



राज्य वित्त वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन



भारतीय रिज़र्व बैंक





प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक 1950-51 से राज्य वित्त के संबंध में वार्षिक अध्ययन प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 1998-99 तक यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 1990-00 से यह वार्षिक अध्ययन एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अनुसंधानकर्त्ताओं को टाइम सीरीज आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004 में 'हैंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट फायनान्सेज' नाम से एक प्रकाशन निकाला। इस दस्तावेज़ में 1980-81 से प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार टाइम सीरीज आंकड़े तथा 1990-91 से राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।

इस अध्ययन में सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करने के अलावा, राज्यों के वित्त का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया गया है। ध्यान देने योग्य रुचि की बात यह है कि 2005-06 में राज्य वित्त के इस अध्ययन में 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं' विषय पर विशेष सामग्री दी गई थी। 2006-07 के अध्ययन में 'सामाजिक क्षेत्र व्यय' पर विशेष विषय वस्तु थी। इस प्रस्तुत अध्ययन अर्थात् 'राज्य वित्त: 2007-08 के बजटों का अध्ययन' में 'राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण' एक विशेष विषय है।

यह अध्ययन आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय वित्त प्रभाग के सहयोग से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग में तैयार किया गया है। इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से भी सहयोग लिया गया। इस अध्ययन को राज्य सरकारों के वित्त विभागों से सहयोग और भरपूर जानकारी मिली तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों तथा योजना आयोग से प्राप्त मूल्यवान तकनीकी जानकारी का भी लाभ मिला।

यह अध्ययन रिपोर्ट श्री बी.एम.मिश्रा, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में कुमुदिनी हाजरा, निदेशक, राखी पी.बी. और धीरेन्द्र गजभिये, अनुसंधान अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है। आंकड़ों के समेकन में ए.के.धर्मपाल, टी.आर.मुरलीधरन, पी.पी.जोशी, बी.ए.रणखांबे और ई.फर्नांडिस ने सहायता की। इस अध्ययन को आर.के. पट्टनायक, परामर्शदाता और जीवन के.खुंड्राक्पम, निदेशक के सुझावों का लाभ मिला।

उपर्युक्त अध्ययन (1950-51 से लेकर) के पुराने अंक भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 2001-02 से लेकर आगे का यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इस अध्ययन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस अध्ययन के संबंध में प्रतिसूचना/अभिमत आमंत्रित हैं। ये ई-मेल के माध्यम से deapdsf@rbi.org.in पर निदेशक, राज्य वित्त एवं स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 को भेजे जा सकते हैं।

राकेश मोहन
उप गवर्नर
20 नवंबर 2007





विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

संक्षेपाक्षर

I.	प्रस्तावना	1
II.	विहगावलोकन	2
III.	नीतिगत पहलें	5
III.1	राज्य सरकारें	7
III.1.1	राजस्व उपाय	7
III.1.2	व्यय उपाय	8
III.1.3	संस्थागत उपाय	8
III.1.4	अन्य पहलें	10
III.2	भारत सरकार	10
III.3	भारतीय रिजर्व बैंक	11
III.3.1	राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पूर्व भुगतान	11
III.3.2	राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए सकेतात्मक कैलेण्डर	11
III.3.3	राज्य विकास ऋणों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की शुरुआत	11
III.3.4	राज्यों के शेषों के निवेश के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए कार्यदल	13
III.3.5	स्थायी तकनीकी समिति का गठन	13
III.3.6	विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन	14
III.3.7	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गमन	14
III.3.8	राज्य विकास ऋणों पर दलाली कमीशन के भुगतान की समीक्षा	14
IV.	राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति	14
IV.1	लेखा : 2005-06	14
IV.2	संशोधित अनुमान : 2006-07	15
IV.3	बजट अनुमान : 2007-08	16
IV.3.1	बजट अनुमान 2007-08 - प्रमुख घाटा संकेतक	18
IV.3.2	राजस्व प्राप्तियां	20
IV.3.3	राजस्व व्यय	22
IV.3.4	पूँजी प्राप्तियां	22
IV.3.5	पूँजी व्यय	22
IV.3.6	केंद्र से राज्य सरकारों को संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण	23



	पृष्ठ सं.
IV.3.7 विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय	23
IV.3.7.1 सामाजिक क्षेत्र व्यय	23
IV.3.7.2 मजदूरी और वेतन तथा परिचालनों और रख-रखाव पर व्यय	26
IV.3.8 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय	27
IV.4 मूल्यांकन	29
IV.4.1 समेकित स्थिति	29
IV.4.2 घाटे में राज्य-वार सुधार	29
IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन	30
IV.4.4 बजट के आंकड़ों में अंतर - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट	31
V. राज्य-वार राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन	33
V.1 समग्र स्थिति - सभी राज्य	35
V.2 गैर विशेष श्रेणी के राज्य	36
V.2.1 समग्र स्थिति	36
V.2.2 घाटे के संकेतक	36
V.2.3 राजस्व निष्पादन	38
V.2.4 व्यय का स्वरूप	39
V.3 विशेष श्रेणी के राज्य	42
V.3.1 समग्र स्थिति	42
V.3.2 घाटे के संकेतक	42
V.3.3 राजस्व निष्पादन	42
V.3.4 व्यय का स्वरूप	44
VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं	47
VI.1 बकाया देयताएं	47
VI.1.1 मात्रा	47
VI.1.2 ऋण की संरचना	48
VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति	49
VI.2 बाजार उधार	51
VI.2.1 समेकित स्थिति	51
VI.2.2 2007-08 के दौरान बाजार उधार का आबंटन	52
VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन	54
VI.4 आकस्मिक देयताएं	55
VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन	56
VI.5.1 ब्याज भुगतान	56
VI.5.2 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता-स्वरूप	56
VI.5.3 नकद शेषों के निवेश	57
VI.5.4 ऋण समेकन और राहत	58



पृष्ठ सं.

VII. राज्य सरकारों के राजकोषीय अंतरण	58
VII.1 अवधारणा, संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत व्यवस्था	59
VII.1.1 अवधारणा	59
VII.1.2 संवैधानिक प्रावधान	59
VII.1.3 संस्थागत व्यवस्था	63
VII.2 राजकोषीय अंतरणों का महत्व	65
VII.2.1 समेकित स्थिति	65
VII.2.2 राज्य-वार स्थिति	69
VII.3 राजकोषीय अंतरणों का प्रभाव	72
VIII. मुद्दे और परिदृश्य	75
VIII.1 राजकोषीय समायोजन पथ	75
VIII.2 व्यय प्रबंधन	76
VIII.3 राजकोषीय पारदर्शिता और बजट विश्वसनीयता	78
VIII.4 ऋण धारणीयता	79
VIII.5 आधारभूत संरचना का वित्तीयन	80
IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां	81
अनुबंध	
1. 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें	84
2. राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान	106
3अ. वर्ष 2003-06 (औसत) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति	110
3आ. वर्ष 2006-07 (संअ) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति	111
3इ. वर्ष 2003-06 (औसत) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति	112
3ई. वर्ष 2006-07 (संअ) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति	113
4. कार्य और वित्त आबंटन का सांविधिक ढांचा	114
5. विभाज्य करों में सिफारिश किया गया अंश : पहले से बारहवां वित्त आयोग	115
6. अनुक्रमी वित्त आयोगों के माध्यम से कर अंतरण के लिए प्रयोग में लाए गए मानदंड और भारांक	116
डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी	117
बॉक्स	
1. कर्नाटक के विशेष संदर्भ सहित राज्य सरकारों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय नीति का अंगीकरण	6
2. भारत में वस्तु और सेवा कर का रोड मैप	12
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : राज्य सरकारों के सामने समस्याएं और चुनौतियां	17
4. राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान और राज्य वित्त	18
5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए राज्यों के संसाधनों पर बने कार्यदल की रिपोर्ट	28
6. राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा	31



पृष्ठ सं.

7. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं - संकलन पद्धति	49
8. आस्ट्रेलिया और कनाडा में राजकोषीय अंतरण	60
9. क्षैतिज और ऊर्ध्वस्थ समता	61
10. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	62
11. गाडगिल फार्मुला और उसके रूपांतर	64

सारणी

1. महत्वपूर्ण घाटा संकेतक	3
2. राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार	9
3. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (लेखा)	15
4. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (ब.अ.) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.)	16
5. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)	19
6. राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां	20
7. चयनित सेवाओं की लागत वसूली	21
8. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप	24
9. राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां	25
10. सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां	25
11. सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संयोजन	26
12. राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव	27
13. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां	29
14. राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)	30
15. सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2005-06 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.) तक	32
16. बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट	32
17. सकल राजकोषीय घाटे (सराधा) का वित्तपोषण - 2007-08 (समायोजित)	33
18. राजकोषीय संकेतक - 2003-04 से 2005-06 (औसत)	34
19. राजकोषीय संकेतक -2006-07 (सं.अ.)	35
20. राजकोषीय संकेतकों का माध्यिका मान	36
21. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार वितरण	36
22. सकल राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण	38
23. निजी कर राजस्व/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण	38
24. विकास व्यय/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	40
25. पूंजीगत परिव्यय/ जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	40
26. राजस्व घाटे / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	42
27. सकल राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	42
28. स्व कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	45



पृष्ठ सं.

29.	विकास व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	45
30.	पूँजी परिव्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	45
31.	राज्य सरकारों की बकाया देयताएं	47
32.	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन	48
33.	ऋण / सराफा अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	50
34.	ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां अनुपात स्तर के अनुसार गैर - विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	51
35.	ऋण / सराफा अनुपात स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	51
36.	ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण	52
37.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की ब्याज दर स्थिति	53
38.	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	53
39.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय	54
40.	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा - 1996 से 2007	54
41.	राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां	55
42.	राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर	56
43.	बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरूप	57
44.	बकाया राज्य ऋण एवं पावर बॉन्ड की परिपक्वता का स्वरूप	57
45.	सकल डिवोल्यूशन और अंतरण का संयोजन	65
46.	सकल डिवोल्यूशन और अंतरण - वार्षिक औसत	66
47.	निवल डिवोल्यूशन और अंतरण - वार्षिक औसत	67
48.	केंद्रीय करों में हिस्सा - वार्षिक औसत	67
49.	सहायता अनुदान - वार्षिक औसत	68
50.	केंद्र से ऋण	68
51.	वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण	69
52.	जीडीपी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	70
53.	वित्त आयोग डिवोल्यूशन /जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी	71
54.	जीडीपी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	72
55.	वित्त आयोग के डिवोल्यूशन जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण	73
56.	डिवोल्यूशन और अंतरणों के पहले और बाद में राजस्व प्राप्तियां	74
57.	केंद्र से निवल ऋण और सकल राजकोषीय घाटा	74
58.	बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट और राज्य बजट	75

चार्ट

1.	प्रमुख घाटा संकेतक	19
2.	चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली	21



पृष्ठ सं.

3.	ब्याज भुगतान, पेंशन एवं प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय	22
4.	पूँजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक	22
5.	विकासात्मक और विकासेतर व्यय	24
6.	सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियाँ (साक्षेव्य)	24
7.	प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियाँ	29
8.	घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य	37
9.	राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य	39
10.	व्यय का स्वरूप - गैर विशेष श्रेणी राज्य	41
11.	घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य	43
12.	राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य	44
13.	व्यय का स्वरूप - विशेष श्रेणी के राज्य	46
14.	बकाया देयताओं की संरचना	48
15.	बकाया देयताएं - गैर विशेष वर्ग के राज्य	50
16.	बकाया देयताएं - विशेष श्रेणी के राज्य	52
17.	राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का उपयोग	55
18.	घाटा, ऋण और ब्याज भार	56
19.	राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश	57
20.	केंद्र से संसाधनों का सकल अंतरण	66
21.	जीडीपी और एनडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरें	66
22.	ओटीआर, एससीटी और जीआइए की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरें	67
23.	सकल डिवोल्यूशन और अंतरण गैर-विशेष श्रेणी के राज्य	70
24.	वित्त आयोग के डिवोल्यूशन - गैर-विशेष श्रेणी के राज्य	71
25.	सकल डिवोल्यूशन और अंतरण विशेष श्रेणी के राज्य	72
26.	वित्त आयोग के डिवोल्यूशन - विशेष श्रेणी के राज्य	73

परिशिष्ट सारणी

1.	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	121
2.	समेकित बजटीय स्थिति - एक नजर में	122
3.	राजस्व प्राप्तियाँ	123
4.	राजस्व व्यय	124
5.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	125
6.	पूँजी संवितरण	126
7.	केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण	127
8.	विकास और विकासेतर व्यय	128
9.	व्यय के घटक	129



पृष्ठ सं.

10. विकासात्मक व्यय : मुख्य शीर्ष	130
11. विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष	131
12. विकासात्मक और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक	132
13. विकासात्मक और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक	133
14. योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक	134
15. राज्यों के योजनेतर-विकासेतर व्यय	135
16. सामाजिक क्षेत्र के व्यय का संयोजन	136
17. कुल के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय का संयोजन	138
18. सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन	140
19. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	141
20. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में	142
21. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट (मार्च के अंत में)	143
22. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट - कुल के अनुपात में (मार्च के अंत में)	144
23. राज्य सरकारों के बाजार उधार	145
24. सकल न्यागमन और अंतरण	146
25. निवल न्यागमन और अंतरण	147
26. केंद्रीय करों में अंश	148
27. सहायता अनुदान	149
28. केंद्र से ऋण	150
29. वित्त आयोग न्यागमन और अन्य चालू अंतरण	151
30. न्यागमन और अंतरण के पहले और बाद में राजस्व प्राप्तियां	152
31. केंद्र से निवल ऋण और सकल राजकोषीय घाटा	153

विवरण

1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक	157
2. प्रमुख राजकोषीय संकेतक	160
3. परंपरागत घाटा/अधिशेष	161
4. सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष	162
5. सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन	163
6. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2005-06 (लेखा)	165
7. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2005-06 (लेखा)	166
8. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2006-07 (सं.अ.)	167
9. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2006-07 (सं.अ.)	168
10. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (ब.अ.)	169
11. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2007-08 (ब.अ.)	170



पृष्ठ सं.

12.	विकासात्मक व्यय	171
13.	विकासेतर व्यय	172
14.	योजना व्यय	173
15.	योजनेतर व्यय	174
16.	योजनेतर विकासेतर व्यय	175
17.	ब्याज भुगतान	176
18.	कर राजस्व	177
19.	राज्यों के अपने कर राजस्व	178
20.	करेतर राजस्व	179
21.	राज्यों के अपने करेतर राजस्व	180
22.	केंद्रीय करों में राज्यों के अंश	181
23.	केंद्र से अनुदान	182
24.	केंद्र से ऋण	183
25.	केंद्र के संसाधनों का सकल और निवल न्यागमन तथा अंतरण	184
26.	बकाया देयताओं का संयोजन (मार्च 2004-2008 के अंत में)	185
27.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत में)	190
28.	कुल बकाया देयताएं - राज्यों के सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत (मार्च के अंत में)	191
29.	राज्य सरकारों के बाजार उधार	192
30.	राज्य सरकारों के योजना परिव्यय	193
31.	पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय	194
32.	राज्य सरकार के बाजार ऋण	195
33.	राज्य सरकार के बकाया बाजार ऋण (मार्च 2007 के अंत में)	215
34.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास (31 मार्च 2007 को बकाया)	216
35.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च 2007 के अनुसार बकाया)	217
36.	राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राज्यों के स्व-राजस्व के अनुपात के रूप में	218
37.	राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में	219
38.	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तता	220
39.	केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	221
40.	14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल का बकाया निवेश (मार्च के अंत में)	222
41.	शिक्षा \$ पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में	223
42.	चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में	224
43.	राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां (मार्च के अंत में)	225
44.	मजदूरी तथा वेतन पर व्यय	226
45.	परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय	227



पृष्ठ सं.

46.	बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत	228
47.	सामाजिक क्षेत्र के व्यय	229
48.	कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय	230
49.	सकल न्यागमन और अंतरण	231
50.	निवल न्यागमन और अंतरण	232
51.	केंद्रीय करों में अंश	233
52.	सहायता अनुदान	234
53.	केंद्र से ऋण	236
54.	वित्त आयोग का न्यागमन	238
55.	केंद्रीय करों में अंश और अनुदान को छोड़कर कुल राजस्व प्राप्तियां	240
56.	केंद्र से निवल ऋण	242

परिशिष्ट

I.	राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां	245
II.	राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय	277
III.	राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां	339
IV.	राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय	355

परिशिष्टों की टिप्पणियां	448

संक्षेपाक्षर

AABY	- आम आदमी बीमा योजना	CSO	- केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
AD	- कुल संवितरण	CSS	- केंद्र प्रायोजित योजना
ADB	- एशियाई विकास बैंक	CST	- केंद्रीय बिक्री कर
AGR	- वार्षिक वृद्धि दर	CT	- चालू अंतरण
AIC	- कृषि बीमा निगम	Dev. Exp.	- विकासात्मक व्यय
APR	- कुल योजना संसाधन	DSS	- ऋण अदला-बदली योजना
ASSOCHAM	- एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	DSLIF	- राज्य वित्त तथा स्थानीय वित्त प्रभाग
AR	- कुल प्राप्तियां	FCs	- वित्त आयोग
BCR	- चालू राजस्व में से शेष	EDUSAT	- शैक्षिक उपग्रह
BE	- बजट अनुमान	EFC	- ग्यारहवां वित्त आयोग
BPL	- गरीबी रेखा से नीचे	FCTs	- वित्त आयोग अंतरण
CAG	- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	FIs	- वित्तीय संस्थाएं
CAGR	- वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर	FRBM	- राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन
CE	- पूंजी व्यय	FRL	- राजकोषीय जवाबदेही विधान
CENVAT	- केंद्रीय मूल्य योजित कर	GDP	- सकल घरेलू उत्पाद
CGC	- राष्ट्रकुल अनुदान आयोग	GDT	- सकल न्यागमन तथा अंतरण
CGST	- केंद्रीय माल एवं सेवा कर	GFD	- सकल राजकोषीय घाटा
CHST	- कनाडा स्वास्थ्य एवं सामाजिक अंतरण	GFS	- सरकारी वित्त सांख्यिकी
CO	- पूंजी परिव्यय	GFD Exp.	- सकल राजकोषीय घाटा व्यय
Comm. Exp.	- प्रतिबद्ध व्यय	GIC	- भारतीय साधारण बीमा निगम
CPA	- केंद्रीय योजना सहायता	GIA	- सहायता अनुदान
CPS	- केंद्रीय प्लान स्कीम	Gol	- भारत सरकार
CPSUs	- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	GLFC	- केन्द्र से सकल ऋण
CR	- पूंजी प्राप्तियां	GRF	- गारंटी मोचन निधि
CRF	- आपदा राहत निधि	GSDP	- सकल राज्य घरेलू उत्पाद
CSF	- समेकित ऋण शोधन निधि	GST	- माल तथा सेवा कर
		HCG	- स्वास्थ्य देखभाल अनुदान
		HFE	- क्षेत्रीय राजकोषीय समकरण
		HRDA	- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण



IAIY	- इंदिरा आवास योजना	NEC	- पूर्वोत्तर परिषद
ICFAI	- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनैशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया	NGO	- गैर सरकारी संगठन
ICDP	- समन्वित बाल विकास कार्यक्रम	NIC	- राष्ट्रीय संसूचना विज्ञान केंद्र
ICDS	- समन्वित बाल विकास योजना	NIPFP	- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
IGA	- अंतर-सरकार करार	NIRE	- ब्याजेतर राजस्व व्यय
IMF	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	Non-Dev. Exp.	- विकासेतर व्यय
IP	- ब्याज भुगतान	Non-Dev. Rev. Exp.	- विकासेतर राजस्व व्यय
IR	- ब्याज प्राप्ति	NPS	- नई पेंशन योजना
ITES	- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा	NREGP	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ITI	- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	NREG	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
IIT	- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	NRHM	- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
JNNURM	- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	NSG	- गैर-सांविधिक अनुदान
JVF	- संयुक्त उद्यम निधि	NSSF	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
KVIC	- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	NTR	- करेतर राजस्व
LAF	- चलनिधि समायोजन सुविधा	OBC	- अन्य पिछड़ा वर्ग
LFC	- केंद्र से ऋण	OCT	- अन्य चालू अंतरण
LIC	- भारतीय जीवन बीमा निगम	OD	- ओवरड्राफ्ट
MDM	- दोपहर भोजन	ONTR	- निजी करेतर राजस्व
MoF	- वित्त मंत्रालय	OTR	- निजी कर राजस्व
MoU	- समझौता ज्ञापन	PC	- योजना आयोग
MTFP	- मध्यावधि राजकोषीय योजना	PD	- प्राथमिक घाटा
NABARD	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	PDS	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
NAIS	- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	PMGSY	- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
NCDC	- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	PPP	- सरकारी निजी भागीदारी
NCRT	- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	PRB	- प्राथमिक राजस्व शेष
NCT	- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	PRI	- पंचायती राज व्यवस्था
NDC	- राष्ट्रीय विकास परिषद	PSB	- सरकारी क्षेत्र के बैंक
NDT	- निवल न्यागमन और अंतरण	PSUs	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
NERUDP	- पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना	PWD	- लोक निर्माण विभाग
NLFC	- केंद्र से निवल ऋण	RBI	- भारतीय रिजर्व बैंक
		RD	- राजस्व घाटा



RE	- संशोधित अनुमान
RIDF	- ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
RLA	- ऋण तथा अग्रिमों की वसूली
RR	- राजस्व प्राप्तियां
RRAT	- न्यागमन तथा अंतरण के बाद राजस्व प्राप्तियां
RRBT	- न्यागमन तथा अंतरण पूर्व राजस्व प्राप्तियां
RSVY	- राष्ट्रीय सम विकास योजना
RTI	- सूचना का अधिकार
SBI	- भारतीय स्टेट बैंक
SC	- अनुसूचित जाति
SCERT	- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परिषद
SCT	- केंद्रीय करों में अंश
SCGS	- विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियां
SDLs	- राज्य विकास ऋण
SEBs	- राज्य बिजली बोर्ड
SEZ	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
SG	- सांविधिक अनुदान
SGST	- राज्य माल एवं सेवा कर
SHGs	- स्वयं सहायता समूह
SKAY	- सिद्ध-कान्हो आवास योजना
SLR	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
SPF	- राज्य भविष्य निधि
SPP	- विशिष्ट प्रयोजन भुगतान
SPS	- राज्य प्लान योजना

SPSUs	- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
SPV	- विशेष प्रयोजन माध्यम
SSA	- सर्व शिक्षा अभियान
SSA	- सर्व स्वास्थ्य अभियान
SSE	- सामाजिक क्षेत्र व्यय
SSGS	- राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियां
ST	- अनुसूचित जनजाति
STC	- स्थायी तकनीकी समिति
S&T	- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
SPVs	- विशेष प्रयोजन माध्यम
TBs	- खजाना बिल
TA	- तकनीकी सहायता
TE	- कुल व्यय
TFC	- बारहवां वित्त आयोग
TFF	- क्षेत्रीय फॉर्मूला वित्तपोषण
TR	- कर राजस्व
T&V	- प्रशिक्षण और विजिट
UGR	- भूमिगत जलाशय
ULBs	- शहरी स्थानीय इकाई
UTI	- भारतीय यूनिट ट्रस्ट
VAT	- मूल्य योजित कर
VRS	- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
WCP	- महिला घटक प्लान
WMA	- अर्थोपाय अग्रिम

राज्य वित्त वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन¹

प्रस्तावना

राजकोषीय सुधार और समेकन का अनुसरण करने के प्रति बढ़ते स्वीकरण के वातावरण में राज्य सरकारों ने 2007-08² के लिए अपने बजट प्रस्तुत किए। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के क्रमिक रूप से कानून बन जाने से राज्य सरकारों के लिए एक नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। राजकोषीय असंतुलनों को घटाने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों की बिना पर कर उछाल में सुधार सहित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से होने वाले पहले से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों से सहायता मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू कर दिया जो राज्यों के लिए कर राजस्व बढ़ाने में संपूर्ण सफलता रही है।

2007-08 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा। मानव संसाधन विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2007-08 में अधिक राशि आबंटित करके सामाजिक क्षेत्र व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी संरचना विकास को दी गई प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रस्तावित किए हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने सरकारी-निजी साझेदारी ढांचे के माध्यम से बुनियादी संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रस्ताव रखे हैं। राज्य सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत शहरी बुनियादी संरचना का विकास कार्य भी प्रारंभ किया है।

राज्य सरकारों ने राजस्व बढ़ाने और व्यय प्रबंधन में सुधार लाने को उद्देश्य में रखकर किए गए उपायों के माध्यम से राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 2007-08 के लिए अपने बजटों में विभिन्न नीतिगत पहलों का प्रस्ताव रखा। अपने राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने कर ढांचे के सरलीकरण/यौक्तिकीकरण, बेहतर कर वसूली और अनुपालन के माध्यम से संसाधन संग्रहण बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा की। कुछ राज्यों ने बिजली, पानी और परिवहन पर उपयोक्ता प्रभारों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। परिणामोन्मुखी बजटीय ढांचा अपनाकर कुछ राज्यों ने निगरानीयोग्य कार्यनिष्पादन संकेतकों के माध्यम से परिव्ययों को परिभाषित परिणामों में बदलने पर जोर दिया है। अनेक राज्यों ने नई भर्ती और नए पदों के सृजन पर रोक के माध्यम से राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी कीं। राज्य सरकारों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सरल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। कुछ और राज्यों ने भी बढ़ती पेंशन देयताओं को नियंत्रित रखने के लिए अपने नए भर्ती किए गए स्टाफ के लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। कुछ राज्यों ने राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य करने और उनकी पुनर्संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा। विद्युत बोर्डों की वित्तीय व्यवहार्यता बहाल करने के उद्देश्य से कुछ राज्यों ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला सशक्तीकरण और विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 'लिंग आधारित बजट' प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

¹ आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी) के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) में केंद्रीय वित्त प्रभाग तथा डीईएपी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से तैयार किया गया। इसके लिए रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से भी सहायता प्राप्त हुई। अट्हाईस राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी सरकारों के वित्त विभागों से प्राप्त तकनीकी सहायता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा योजना आयोग से प्राप्त मूल्यवान सूचनाओं के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है।

² 2007-08 के लिए 29 राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित के राज्य बजटों के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 राज्यों के राज्य बजट शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी से संबंधित सूचना ज्ञापन मद के रूप में अलग से दी गई है। इसमें ब्योरे वार समेकित राजकोषीय स्थिति तथा राज्यवार विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है जिसमें, बजटीय डाटा एवं राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त की गई अतिरिक्त जानकारी दी गई है।

भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा, आदि के क्षेत्र में उपायों की घोषणा करके राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक भूमिका अदा करने में सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट और बाजार से उधार लेने में सहायता देने के अलावा अनेक मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिजर्व बैंक ने उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व चुकौती करने की व्यवस्था करने में, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-स्पर्धी बोलियां लगाने की व्यवस्था प्रारंभ करने में तथा नकद शेषों के निवेश में राज्य सरकारों की सहायता की।

इस अध्ययन का शेष भाग निम्नानुसार विधिवत प्रस्तुत है। खण्ड II में इस अध्ययन का विहगावलोकन दिया गया है। खण्ड III में राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है। राज्य सरकारों की समेकित बजटीय स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन खण्ड IV में किया गया है। खण्ड V में राज्य सरकारों के राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार मूल्यांकन प्रतिपादित किया गया है। खण्ड VI में राज्य सरकारों के बाजार उधारों और आकस्मिक देयताओं सहित बकाया देयताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। एक विशेष थीम के रूप में केंद्र से राज्यों को राजकोषीय अंतरणों का विश्लेषण खण्ड VII में प्रस्तुत किया गया है। राज्य वित्त से संबंधित उभरते मुद्दे खंड VIII में प्रस्तुत किए गए हैं और उसके बाद निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

राज्य बजटों में घोषित राज्यवार प्रमुख नीतिगत पहलें अनुबंध 1 में दी गई हैं। तीन राज्यों नामतः जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और झारखंड के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल), जो क्रमशः अगस्त 2006, अक्टूबर 2006 और मई 2007 में प्रस्तुत किए गए थे, के विवरण अनुबंध 2 में दिए गए हैं। अनुबंध 3 में 2003-06 (औसत) के लिए विभिन्न राजकोषीय संकेतकों और 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य सरकारों की स्थिति का सार संक्षेप दिया गया है। अनुबंध 4 में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों एवं वित्त के आबंटन हेतु संवैधानिक ढांचा दर्शाया गया है। अनुबंध 5 में क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित विभाज्य करों में हिस्सा दिया गया है तथा अनुबंध 6 में वित्त आयोगों द्वारा कर अंतरण (डिवोल्यूशन) हेतु उपयोग किए गए मानदंड और भारांक दिए गए हैं। विभिन्न मापदंडों से संबंधित समेकित आंकड़े और अट्टाईस राज्य सरकारों

के राजकोषीय संकेतक परिशिष्ट सारणी 1-31 में दर्शाए गए हैं जबकि राज्यवार आंकड़े विवरण 1-56 में दिए गए हैं। राज्यवार विस्तृत बजट आंकड़े परिशिष्ट I-IV (परिशिष्ट I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II - राजस्व व्यय, परिशिष्ट III - पूंजी प्राप्तियां, परिशिष्ट IV - पूंजी व्यय) में दिए गए हैं।

II. विहगावलोकन

राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए हैं। राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया को जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2007-08 के अपने बजटों में दो दशकों के अंतर के बाद राजस्व खाते में समेकित अधिशेष बजट किया है। राजस्व घाटे में कमी के बावजूद पूंजी व्यय में वृद्धि के चलते 2005-06 (लेखों) की तुलना में 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देने के बाद 2007-08 के बजट अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रति राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात का अनुमान 2.3 प्रतिशत लगाया गया है जोकि कम है (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट)। 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित सुधार राजस्व लेखों में परिकल्पित पलटे रुख (टर्न अराउंड) पर आधारित है, जो 2006-07 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत के घाटे की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत का अधिशेष पैदा करने के लिए बजट किया गया है। प्राथमिक घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पिछले वर्ष के 0.4 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 0.1 प्रतिशत आने के लिए बजट किया गया है। पूंजी परिव्यय - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बीते वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जाएगा।

जब 2005-06 के संशोधित अनुमान लेखों में बदले तब राज्य सरकारों के घाटा संकेतकों यथा राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई (सारणी-1)। वर्ष 2005-06 (लेखा) के राजस्व लेखों में सुधार ज्यादातर राजस्व व्यय में कमी के कारण था जो मुख्यतः ब्याजेतर राजस्व व्यय था। पूंजी परिव्यय में भी गिरावट थी जोकि लेखों में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में 2005-06 (संशोधित अनुमान) के 2.4 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया।

बजट अनुमानों की तुलना में 2006-07 के संशोधित अनुमानों की प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि बजट अनुमानों की तुलना में

सारणी 1 : महत्वपूर्ण घाटा संकेतक

(संघ का प्रतिशत)

मद	2005-06 (सं.अ.)	2005-06 (लेखे)	2006-07 (ब.अ.)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	0.6	0.2	0.2	0.1	-0.3
सकल राजकोषीय घाटा	3.2	2.5	2.6	2.8	2.3
प्राथमिक घाटा	0.7	0.2	0.2	0.4	0.1

टिप्पणी : ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

राज्य सरकारों के राजस्व लेखे में सुधार हुआ है। राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि मुख्यतः राज्यों के अपने कर राजस्व और केंद्रीय करों में उनके हिस्से में हुई वृद्धि के कारण थी जो राजस्व व्यय में हुई वृद्धि को पूरा करने से अधिक थी। तथापि, पूंजी परिव्यय के लिए ऊंचे प्रावधान के कारण राजस्व घाटे में गिरावट के बावजूद सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई।

वर्ष 2007-08 में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति प्रमुख घाटा संकेतकों के अर्थ में और सुधार दर्शाती है। यह कल्पना की गई है कि 2007-08 के दौरान राजस्व लेखे में सुधार मूलतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के माध्यम से हासिल किया जाएगा जो पिछले वर्ष के 12.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.1 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। राजस्व लेखे में सुधार राजस्व व्यय में आई गिरावट से भी सुसाध्य होगा जो कि पिछले वर्ष के 13.0 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। राजस्व अधिशेष से पिछले वर्ष की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का स्तर सुगमता से निम्नतर हो सकेगा।

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से व्यापक विविधता का पता नहीं चलता जो राज्यों के बीच मौजूद होती है। 2007-08 में 20 राज्यों ने राजस्व अधिशेष वाला बजट प्रस्तुत किया है। तथापि 15 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। मात्र कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कल्पित समग्र सुधार में योगदान देने में प्रमुख भूमिका अदा की है। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण यह बताता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्य राजस्व लेखे

में होने वाले सुधार में 85 प्रतिशत का और सकल राजकोषीय घाटे में सुधार में 73 प्रतिशत का योगदान देंगे।

केंद्रीय बजट 2007-08 के साथ राज्य बजटों का किया गया आकलन दर्शाता है कि सहायता अनुदान 17.8 प्रतिशत अधिक अनुमानित किये गये हैं जबकि साझायोग्य केंद्रीय कर 4.4 प्रतिशत कम अनुमानित किये गये हैं। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पबचत निधि (एनएसएसएफ) का प्रवाह, जोकि बजट में सामान्यतः कम अनुमानित किया जाता है, का 2007-08 में अधिक अनुमान लगाया गया है। यह नोट किया जा सकता है कि 2007-08 के लिए अपने बजटों में राज्य सरकारों की राजस्व बचतों (अधिशेष) की समेकित स्थिति 11,973 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) अनुमानित की गई है जबकि सकल राजकोषीय घाटा 1,08,323 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत) अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के आंकड़े समायोजित करने के बाद राज्य सरकारों का राजस्व अधिशेष 503 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.01 प्रतिशत) के कम स्तर पर रखा जाएगा तथा सकल राजकोषीय घाटा ऊंचा रखा जाएगा जोकि 1,19,793 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत) होगा।

राज्यों के बड़े और बढ़ते हुए सकल राजकोषीय घाटे से खास तौर पर नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध से राज्य सरकारों के बकाया ऋणों में संचय की स्थिति आई। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बकाया देयताओं में हाल के वर्षों में गिरावट दिखाई दी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का बजट अनुमान मार्च 2008 के अंत में 29.9 प्रतिशत लगाया गया है, जोकि मार्च 2007 के अंत के 30.9 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात जोकि 2003-04 में 26.0 प्रतिशत था उसे मुख्यतः ऋण बदली योजना (डीएसएस) के कारण 2007-08 में 16.9 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए बजट बनाया गया है। इसे अनुपात 12वें वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त के लिए सुझाए गए पुनर्संरचना पथ के अनुसार अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) के अंत तक धीरे-धीरे कम करके 15 प्रतिशत तक लाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि से लिया गया ऋण बकाये का सबसे बड़ा घटक है जिसके बाद बाजार उधारों और केंद्र से लिए गए ऋणों का स्थान आता है।

हाल ही की अवधि में राज्य वित्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात राज्य सरकारों द्वारा क्रमिक रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) का अधिनियमन रहा है (अब तक 26 राज्य)। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन ने राजकोषीय निर्वहनीयता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बल दिया है क्योंकि महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों नामतः राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा में कमी राज्यों के ऋण के बढ़ते स्तर को घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। राजकोषीय निर्वहनीयता के अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना न केवल बजटीय परिचालनों में विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विवेकसम्मत ऋण प्रबंधन तथा अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यद्यपि अधिकांश राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन ने एक नियम-आधारित राजकोषीय नीति ढांचा राज्य स्तर पर प्रारंभ किया है, अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया का पूंजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्यय पर विपरीत प्रभाव न पड़े। विशेष रूप से, राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता ने महत्व प्राप्त कर लिया है। राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन दर्शाता है कि अधिकांश राज्य अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अंतर्गत निर्दिष्ट समय से पहले ही अपने राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों पर पहुंच रहे हैं।

विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के लिए यह अपेक्षित है कि टिकाऊ राजकोषीय समेकन राजकोषीय सशक्तीकरण के माध्यम से अर्थात् राजस्व प्रवाहों की व्याप्ति और उनके आकार को बढ़ाकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अधिकाधिक राजस्व बटोरने की नीति पर आधारित राजकोषीय रणनीति भी विकासात्मक प्रयोजनों की दिशा में किए जाने वाले व्यय के पैटर्न को बदलने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगी। दूसरी ओर, व्यय में कमी लाने पर आधारित पहले से ही वर्चस्ववाले राजकोषीय समेकन से कल्याणकारी कार्यों की हानि होगी तथा इससे समग्र आर्थिक गतिविधि में अधोगामी विपरीत रुख प्रारंभ होने का जोखिम रहेगा। कराधान में सुधार तथा कर विसंगतियों में कमी लाने के अर्थ में कर ढांचे को सुधारने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। राज्य सरकारों द्वारा वेट की शुरुआत एक अपार सफलता है। हाल ही के वर्षों में राज्यों के अपने कर राजस्व में भी उछाल दिखाई दिया तथापि, राज्यों का करेतर राजस्व कम रहा है। इस प्रकार, उचित प्रभाओं के माध्यम से करेतर राजस्व से संसाधन संग्रहण में वृद्धि करना, सामाजिक

और आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना ने महत्व प्राप्त कर लिया है। तथापि, ऊंचे उपयोक्ता प्रभार लगाना केवल तभी संभव होगा जब राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सतत सुधार होगा।

राज्य सरकारों के डोमेन पर रखी गई सामाजिक सेवाओं के संबंध में सरकारी व्यय से संबंधित ढेर सारे उत्तरदायित्व के साथ व्यापक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर का मानव विकास के स्तर के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2015 तक हासिल किए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से अधिकांश सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हैं। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय के पुनःअनुकूलन के लिए सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक हो सकता है। इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ढेर सारी विभिन्न प्रकार की पद्धतियां दर्शाता है जिनमें शामिल कतिपय व्ययों की सीमा निर्धारित करना, व्ययों की प्राथमिकता का निर्धारण, कार्यपालकों के कार्यों का अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकरण, परिष्कृत नकदी प्रबंधन तथा निर्दिष्ट लक्ष्यों के सामने सेवाएं देने में अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी। इन कुछ सिद्धांतों के अंगीकरण से राजकोषीय समेकन की गुणात्मक श्रेष्ठ प्रक्रिया सुसाध्य हो सकेगी। व्यय प्रबंधन से बहुत नजदीकी से जुड़ा मुद्दा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन का है। पारंपरिक रूप से, राज्यों द्वारा परिव्ययों के संबंध में हासिल किए गए व्यय के स्तरों की निगरानी रखकर राज्यों द्वारा योजना निगरानी की जाती रही है। व्यय कार्यान्वयन के कदम का एक महत्वपूर्ण पैमाना है न कि इसकी कारगरता को मापने का एक पैमाना है। अतः, यह आवश्यक है कि परिव्ययों और व्ययों की जगह अंतिम परिणामों की ओर बढ़ा जाए।

एक विषय जोकि राज्य सरकारों की चलनिधि और नकदी प्रबंधन पर प्रकाश डालता है, उनके अधिशेष नकद शेषों से संबंधित है। विगत कुछ वर्षों के दौरान लघु बचत संग्रहों में उछाल तथा राज्यों को इन निधियों के स्ववितरण (ऑटोमेटिक चैनलाइजेशन) का अर्थ है कि राज्य सरकारों के उधार उनके सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए अपेक्षित राशि से अधिक हैं। यह अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में निवेश के रूप में रखे गए उनके भारी अधिशेष नकद शेषों में परिलक्षित है जोकि समेकित स्तर पर 62,996 करोड़ रुपए (23 नवंबर 2007 की स्थिति

के अनुसार) होता है। राज्यों को इन संसाधनों के लिए उधार की लागत की तुलना में इन निवेशों पर अपेक्षाकृत कम दर से प्रतिलाभ होता है, इस प्रकार राजस्व खाते पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है।

राजकोषीय पारदर्शिता जोकि अच्छी गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन और समष्टि आर्थिक संतुलन को हासिल करने के संबंध में हाल ही की अवधि में उल्लेखनीय महत्व प्राप्त कर रहा है। राजकोषीय पारदर्शिता के लिए आर्थिक नीतिगत निर्णयों की भूत, भविष्य और भावी गतिविधियों के बारे में विस्तृत और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध करानी होती है। राजकोषीय समेकन और वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया के साथ-साथ सरकारी राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी ताकि सरकार के राजकोषीय दृष्टिकोण की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। राज्य बजटों के माध्यम से सूचना की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता से न केवल नीति निर्माताओं अथवा राज्य स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे निवेशकों को भी 'सुविचारित' निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राजकोषीय पारदर्शिता नागरिकों को मनचाही सूचना देकर लाभान्वित करती है जिससे कि वे अपनी सरकार को उसके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक मुद्दा जो राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में विशेष उल्लेख पाने का हक रखता है, वह है बकाया देयताओं और आकस्मिक देयताओं के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता की कमी। इसके अलावा, बजट अनुमानों और लेखों से संबंधित आंकड़ों के बीच सतत भारी विसंगतियां, खासकर राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों के संबंध में भारी विसंगतियां, बजट अनुमानों की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और संभावित राजकोषीय परिणामों के सही आकलन को दूर कर देती है।

दूरसंचार, नागरी विमानन, रेलवे और प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर अधिकांश बुनियादी संरचना सेवाओं के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। बुनियादी संरचना में अपर्याप्त निवेश से राज्यों की वृद्धि और विकास बाधित हुआ है। राज्यों के लिए राजकोषीय, संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से अपने वित्त को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी जिससे कि उन्हें पर्याप्त बजटीय संसाधनों को जारी करने के साथ-साथ वित्तीय संरचना के लिए ज्यादा आसानी से निधियां जुटाने में भी सहायता मिलेगी। नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत बजट बाध्यताओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों को आर्थिक संरचना के क्षेत्र में सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्रवर्तित करने की भी आवश्यकता है।

अंत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों को इन घाटा संकेतकों में स्पष्ट कमी दिखाई दी है। तथापि, टिकाऊ राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए राज्यों को राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रखनी होगी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार के प्रमुख हिस्से के लिए केवल कुछ ही राज्यों का योगदान रहता है, वहीं कुछ राज्यों की राजकोषीय स्थिति कमजोर बनी रहती है। खासतौर पर कई राज्यों के ऋण के स्तर के उच्च बने रहने से चिंताएं होती हैं। राज्य सरकारें राजकोषीय गुंजाइश पैदा करने के लिए जोर डाल सकती हैं जो उन्हें विकास व्यय के लिए व्यय का स्वरूप बदलने में आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। इस संदर्भ में कर से बचाव का रास्ता बंद करने, करेतर राजस्व इकट्ठा करने के लिए उचित उपयोक्ता प्रभार लगाने और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने के उद्देश्य से कर सुधारों का महत्व बढ़ गया है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय के पुनः अनुकूलन के लिए राज्यों को सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के सिद्धांत अपनाने जरूरी होंगे। कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों का लक्ष्य उन प्रणालियों को अपनाने पर रहेगा जो सेवाएं देने में सुधार लाने, लक्ष्यित समूहों का अभीष्ट लाभ सुनिश्चित करने, निर्धारित समय के अनुसार परियोजनाएं पूरी करने और व्यय प्रक्रियाओं में होनेवाले रिसाव को बंद करने के अर्थ में मापी गई व्यय की दक्षता और प्रभावशालिता सुधारने की आवश्यकता के प्रति प्रतिसंवेदी हों।

III. नीतिगत पहलें

वर्ष 2007-08 में अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए राजकोषीय पुनर्संरचना पथ के अनुसार राजकोषीय सुधार और समेकन का अनुसरण आगे भी जारी रखा। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान छब्बीस राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया गया है (अक्टूबर 2007 के अंत की स्थिति)। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री करके बदले मूल्यवर्धित कर (वैट) कार्यान्वित कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अनुसार उनकी मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) कर प्रशासन सुधारने, कर विसंगतियां दूर करने और व्यय की प्राथमिकताओं का निर्धारण

करने की दृष्टि से संरचनागत कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करती है (बाक्स 1)। राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए राज्य बजटों में

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में निर्दिष्ट की गई प्राथमिकताओं का ध्यान रखा है क्योंकि यह योजना का प्रथम वर्ष है।

बाक्स 1 : कर्नाटक के विशेष संदर्भ सहित राज्य सरकारों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय नीति का अंगीकरण

बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करें और ऋण राहत के लाभ उठाने के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीति बनाएं। दो राज्यों नामतः सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान पारित किए हैं। सामान्य रूप में, राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के खंड 3 में निम्नलिखित को मध्यावधि राजकोषीय नीति में शामिल करना अनिवार्य है : (i) हाल ही की आर्थिक प्रवृत्तियों और वृद्धि एवं विकास की संभावनाओं के बारे में वक्तव्य, (ii) विगत वर्षों में निर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन, (iii) सरकार के मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य, (iv) निहित धारणाओं की विनिर्दिष्टियों के साथ राजकोषीय संकेतकों के तीन-चार वर्ष के चल लक्ष्य, (v) राजस्व घाटे से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकन और उत्पादक आस्तियों के सृजन हेतु पूंजी प्रप्तियों का उपयोग, (vi) कराधान, व्यय, उधार और अन्य देयताओं आदि के संबंध में आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की नीतियां और (vii) सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं और महत्वपूर्ण नीतियां।

राज्यों में कर्नाटक पहला राज्य था जिसने सितंबर 2002 में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान पारित किया उसके बाद तमिलनाडु (मई 2003), केरल (सितंबर 2003) और पंजाब (मई 2004) का स्थान आता है। कर्नाटक को उदाहरण के रूप में लेते हुए 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि को कवर करनेवाले कर्नाटक सरकार के मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातों का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

कर्नाटक की मध्यावधि राजकोषीय नीति में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 8 प्रतिशत और स्फीति 5 प्रतिशत अनुमानित की गई है। विभिन्न संकेतकों के संदर्भ में विगत चार वर्षों में राज्य का वित्तीय निष्पादन अपनी स्थिति में सुधार दर्शाता है। राजस्व व्यय में वृद्धि के बावजूद राजस्व अधिशेष बढ़ा है और राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर रखा गया है। केंद्रीय करों में बढ़िया उछाल और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते केंद्र से करों का डिवोल्यूशन और अनुदान बढ़ा है। कर्नाटक सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय में परिव्यय बढ़ाया जाए ताकि बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें तथा न्यायसंगत वृद्धि प्रदान करने पर जोर दिया जाए। प्रतिबद्ध व्यय नियंत्रण में रखा गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय बढ़ा है जो आर्थिक वृद्धि संवर्धन हेतु परिव्यय बढ़ाने की दिशा में हो रहे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने कतिपय प्रमुख सप्सिडियों से संबंधित मुद्दों के बारे में चिंता प्रकट की है जिनकी मात्रा और लक्ष्यों के अर्थ में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है।

कर सुधार आयोग के गठन के साथ प्रारंभ किए गए राजस्व सुधारों ने राज्य सरकार की राजस्व उगाही को नयी शक्ति प्रदान की है। मध्यावधि राजकोषीय नीति के प्रयोजन से मूल्यवर्धित कर (वैट) में प्रवृत्ति वृद्धि दरों और हाल ही की वृद्धि दरों के आधार पर अनुमान लगाने के प्रयोजन से 1.075 प्रतिशत का उछाल आने का अनुमान लगाया गया है। विगत कुछ वर्षों में आवासन क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण स्टाम्प और पंजीकरण के अंतर्गत आनेवाला राजस्व बजट अनुमानों के ज्यादा बढ़ गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखने पर मध्यावधि योजना के लिए 1.1-1.5 का उछाल लिया गया है। अनुमान लगाने के लिए मोटर वाहन कर में 1.025 का उछाल माना गया है। तथापि, करेतर राजस्व के अंतर्गत वसूली अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ अपना कदम नहीं मिला सकती है और उसके लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण उपयोक्ता शुल्कों और उपयोक्ता प्रभारों को संशोधित करने में कमी रही है।

राज्य की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से राजस्व लेखे के अधिशेष को पूंजी निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्यय हेतु ऊंचे आबंटन करना जारी रखा जाए। मौलिक आवश्यकताओं की सेवाएं देने और स्थानीय आस्ति निर्माण की प्रभावशालिता एवं दक्षता सुधारने के लिए राज्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) दोनों को डिवोल्यूशन बढ़ाने और पर्याप्त रखरखाव व्यय के लिए प्रावधान बढ़ाएंगे। बुनियादी संरचना के क्षेत्र में राज्य का निवेश बढ़ाने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए निजी भागीदारी का मार्ग अपनाने पर जोर दिया जाएगा। परिव्ययों के सामने परिणामों की निगरानी के लिए कार्यक्रम बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ब्याज भुगतानों जैसी पूर्व वचनबद्ध मदों पर होनेवाले राजस्व व्यय को ऋण बदली और उच्च लागत वाले ऋण का समय-पूर्व भुगतान करके कम किया जाएगा। राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से राज्य ऋण माफी योजना का लाभ भी ले सकेंगे।

बजट सुधारों के अंग के रूप में राज्य ने अपने बजटेतर उधारों के साथ-साथ ऋण स्टॉक को घटाने के प्रयास किए हैं। प्रस्ताव है कि बजटेतर उधारों को बजट में लाकर 2008-09 से बजटेतर उधारों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाए। राज्य सरकार ने कामनवेल्थ सेक्रेटेरियट्स डेट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट साफ्टवेयर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस साफ्टवेयर से न केवल राज्य के ऋण की निगरानी और पर्यवेक्षण संभव होगा बल्कि यह प्रबंध सूचना रिपोर्टें भी तैयार करने में मदद करेगा। सरकार गारंटियों के जोखिम स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करेगी और चयनित आधार पर उनकी समीक्षा भी करेगी तथा जरूरी होने पर सुधारक कार्रवाई भी करेगी। यह भी परिकल्पित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक दी गई सभी सरकारी गारंटियों का एक केंद्रीय आंकड़ा आधार बनाया जाए और उससे जुड़ी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक पेशेवर रेटिंग एजेंसी से उनकी रेटिंग करवाई जाए।

अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय अंतरणों तथा प्रस्तावित व्यय पुनर्संरचना उपायों सहित राजस्वों में निर्धारित उछाल के साथ आशा की जाती है कि राज्य में 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.7 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 1.6 प्रतिशत राजस्व अधिशेष पैदा होगा। राजस्व अधिशेषों में मुख्यतः इस वृद्धि के चलते राजकोषीय घाटा 2007-08 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत की तुलना में घटाकर 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत पर लाया जाएगा। उभरती राजकोषीय रूपरेखा दर्शाती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ऋण स्टॉक का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 30.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 के अंत तक 27.3 प्रतिशत तक आ जाएगा। हालांकि विगत कुछ वर्षों में लोक वित्त की स्थिति सुधरी है, कर्नाटक सरकार के सामने प्रमुख चुनौती छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की होगी। चूंकि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी व्यय की अनिवार्य मदें कुल व्यय का एक बड़ा भाग हड़प कर जाती हैं इसलिए सरकार के पास सीमित राजकोषीय हिस्सा ही रह जाता है। कारगर और सही व्यय को तर्कसंगत बनाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ कर प्रशासन के स्वचालन और सेवा कर के अधिक डिवोल्यूशन सहित राजस्व सुधार राज्य वित्त को सतत राजकोषीय समेकन के पथ पर रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ : विभिन्न राज्य सरकारों के मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य

तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण बुनियादी संरचना के लिए आबंटन बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा, आदि के क्षेत्र में उपायों की घोषणा करके राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक भूमिका अदा करने में सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट और बाजार से उधार लेने में सहायता देने के अलावा अनेक मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व चुकौती करने की व्यवस्था करने, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-स्पर्धी बोलियां लगाने की व्यवस्था प्रारंभ करने तथा नकद शेषों के निवेश में राज्य सरकारों की सहायता की। इस खंड में विभिन्न नीतिगत पहलों और उपायों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

III.1 राज्य सरकारें

वर्ष 2007-08 के अपने बजटों में राज्य सरकारें राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध रही हैं और उन्होंने राजस्व बढ़ाने, व्यय प्रबंधन और संस्थागत विकास को लक्ष्य कर अनेक नीतिगत उपाय घोषित किए हैं। राजस्व पक्ष की ओर राज्य सरकारों ने कर ढांचे के सरलीकरण/यौक्तिकीकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण हेतु उपायों की घोषणा की है। राज्यों ने सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूंजी संवितरण बढ़ाते हुए योजनेतर राजस्व व्यय नियंत्रित रखने और पेंशन देयताएं घटाने के वादे किए हैं। राज्यों ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी बुनियादी विकास भी प्रारंभ किया है। राज्यों ने सरकारी-निजी सहयोग के ढांचे के जरिए मूलभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रमुख नीतिगत उपायों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 1 में दिए गए हैं। 2007-08 के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके बजटों में घोषित की गई प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षेप में दी गई हैं।

III.1.1 राजस्व उपाय

बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने सामान्यतः अपने बजटों में नियमों एवं प्रक्रियाओं को

सरल बनाकर, कर दरों को तर्कसंगत बनाकर तथा कर वसूली की प्रणाली आसान और पारदर्शी बनाकर कर प्रशासन को सुधारने पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए, गुजरात ने मोटर वाहन कर को सुधारने और उसे तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है जब कि बिहार ने मोटर वाहन कर में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। राजस्व उत्पादक उपाय के रूप में हरियाणा और राजस्थान ने दावतखानों (बैंक्वेट हाल) और समारोह आयोजित करने के लिए काम में लाए जानेवाले घास के मैदानों (लॉन) पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है। केरल सरकार ने डीमैट लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।

उत्तर प्रदेश और विधान सभा वाले दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने वैट कार्यान्वित कर दिया है। उन राज्यों ने, जो पहले ही मूल्यवर्धित कर (वैट) लागू कर चुके हैं, मूल्यवर्धित कर विवरणी फार्म का सरलीकरण (पश्चिम बंगाल), मूल्यवर्धित कर वसूली की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए वैट का लेखा-परीक्षा मूल्यांकन (मिज़ोरम) और वैट कार्यान्वयन का मूल्यांकन (हिमाचल प्रदेश) करने जैसे उपाय घोषित किए हैं। केंद्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में कुछ राज्यों (केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) ने तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं पर वैट लगाने का निर्णय लिया है।

कुछ राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों/उद्योगों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखकर कतिपय करों में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात और पश्चिम बंगाल ने विलासिता कर कम करने की घोषणा की है। हरियाणा ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा बचत उपकरणों पर कर राहत देने की घोषणा की है। कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात) ने आबादी के विभिन्न वर्गों को ऊर्जा/बिजली की दरों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। तथापि, ऊर्जा की बचत करने के उद्देश्य से गोवा जैसे राज्यों ने उन उपभोक्ताओं पर ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है जो महीने के दौरान निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऊर्जा का उपभोग करेंगे। राजस्थान ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुओं पर कर में छूट प्रदान की है। राज्य सरकारों ने अपने करेतर राजस्व

बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर ने राजस्व प्रवाह बढ़ाने की रणनीतियां तैयार करने के अलावा करेतर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है।

III.1.2 व्यय उपाय

राज्य सरकारों ने व्यय प्रबंधन और योजनेतर राजस्व व्यय को नियंत्रित करने पर अपने प्रयास जारी रखने पर जोर दिया है। जहाँ अनेक राज्यों ने भर्तियों और नए पदों के सृजन पर पहले ही रोक लगा रखी है, नागालैंड ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा नए पदों के सृजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकारों ने वेतन व्यय घटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है तथा प्रशासनिक व्यय कम करने के उपाय प्रस्तावित किये हैं। व्यय की प्राथमिकता का निर्धारण करने को लक्ष्य करते हुए राज्य सरकारों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं प्रस्तावित की हैं। 2007-08 के लिए राज्य के बजटों में ढेर सारी रियायतों की घोषणा की गई, खासकर शिक्षा के प्रयोजन हेतु किसानों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज भार में कमी करने के संबंध में। कुछ राज्य सरकारों ने महिला संगठनों को बाजार ब्याज दर से भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्य सरकारों ने आबादी के निर्धन वर्गों तथा आदिवासी समूहों के लिए बीमा योजना प्रस्तावित की है। छत्तीसगढ़ ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को संरक्षण देने के लिए एक बीमा योजना प्रस्तावित की है जबकि गोवा ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए आग से होनेवाली दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने लक्षित प्रयोजनों/क्षेत्रों के लिए समर्पित निधियां गठित करने का प्रस्ताव रखा है जैसे कि रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए आधारभूत (कार्पस) निधि (बिहार), सड़क विकास निधि (बिहार और झारखंड), कचरा प्रबंधन निधि (गोवा), पेंशन निधि (हिमाचल प्रदेश), सामाजिक क्षेत्र व्यवहार्यता अंतर निधि (राजस्थान)। अनेक राज्य सरकारों ने पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने तथा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)।

बुनियादी संरचना तथा नागरिक सेवाओं को सुधारने के लिए ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों (पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षाकृत अधिक डिवोल्यूशन किया है।

III.1.3 संस्थागत उपाय

विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने विभिन्न संस्थागत उपाय अपनाये हैं जो राजकोषीय अनुशासन को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में उन्मुख थे जैसे कि गारंटी और राजकोषीय उत्तरदायित्व के संबंध में विधान। तीन राज्य सरकारों यथा जम्मू और कश्मीर (अगस्त 2006), मिजोरम (अक्टूबर 2006) तथा झारखंड (मई 2007) ने विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के संबंध में लक्ष्य बनाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया है और इस कारण उन राज्यों की कुल संख्या, जिन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया है, छब्बीस हो गई है। विभिन्न मापदंडों के अर्थ में जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और झारखंड के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-2 में दर्शायी गई हैं। राज्यों ने नई पेंशन योजना प्रारंभ करने (एनपीएस), समेकित ऋणशोधन निधि और गारंटी मोचन निधि गठित करने तथा गारंटियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय भी कार्यान्वित किए हैं (सारणी-2)।

अधिकांश राज्य सरकारों ने लक्षित प्रयोजनों हेतु समितियां/संस्थाएं/योजनाएं गठित करने के प्रस्ताव रखे हैं जैसे कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्राधिकरण (बिहार), ज्ञान प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़), महिला रोजगार कार्यालय (गुजरात), ग्रामीण विकास (हरियाणा और उत्तर प्रदेश), उद्योगों को दी गई छूटों को व्यवस्थित करना (जम्मू और कश्मीर), सड़क विकास (बिहार और झारखंड), सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों का निवारण (झारखंड), क्षेत्रीय असंतुलन (कर्नाटक), माइक्रो-क्रेडिट (कर्नाटक), असंगठित मजदूरों का कल्याण (कर्नाटक), जैव-ईंधन मिशन (कर्नाटक), दुग्ध विकास (कर्नाटक), शहरी विकास (केरल और मिजोरम), कृषक कल्याण (मध्य प्रदेश), बांस संवर्धन (मेघालय और मिजोरम), खनिज अन्वेषण (उड़ीसा), कमजोर वर्गों का कल्याण (राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश), क्षमता निर्माण (सिक्किम), कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी (तमिलनाडु) और व्यावसायिक शिक्षा (उत्तर प्रदेश)। कर्नाटक सरकार ने सभी पेंशन योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन

सारणी 2: राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार *

राज्य	कार्यान्वित मूल्य वर्धित कर (वैट)	अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल)	प्रारंभ की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटियों पर लगाई गई उच्चतम सीमा	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	नहीं
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्टूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	नहीं	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
कुल	27	26	19	17	19	10

* : अक्टूबर 2007 के अंत की स्थिति

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक के रिकार्डों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

महानिदेशालय नामक एक नया महानिदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने बृहद् मूल्यांकन करने के पश्चात विभिन्न सामाजिक योजनाओं को समन्वित करने का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा लिंग आधारित बजट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि केरल एक लिंग परामर्शदात्री समिति बनायेगा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) नामक एक नई योजना के अनुसरण में कुछ राज्यों ने भी बीमा योजनाएं प्रारंभ करने के प्रस्ताव रखे हैं। कुछ राज्य अपनी मौजूदा योजनाओं को

आम आदमी बीमा योजना के साथ जोड़ने की संभावनाओं को तलाशेंगे। असम ने ग्रामीण आवास समस्याएं दूर करने के लिए एक ग्रामीण आवास बोर्ड तथा निरंतर आधार पर आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों के संबंधियों को सहायता देने के लिए एक आतंकवाद पीड़ित कल्याण बोर्ड गठित किया है। कई राज्य सरकारों (असम और छत्तीसगढ़) ने सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। अनेक राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों के लिए महती भूमिका भी प्रस्तावित की है।

III.1.4 अन्य पहलें

राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं प्रस्तावित की हैं विशेषकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में। लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में आबादी के विस्तृत वर्गों को प्राथमिक तथा उन्नत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खोलने और मौजूदा को अपग्रेड करने के प्रस्ताव रखे हैं। राज्य सरकारों ने और अधिक जिलों को कवर करने के लिए रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने की घोषणाएं की हैं। जम्मू और कश्मीर ने रोजगार से संबंधित मामलों को देखने और विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त रोजगार मिशन गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, कई राज्यों (असम और सिक्किम) ने विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा विशिष्ट उद्योगों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकारें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, परिवहन सेवाओं के प्रावधान, बुनियादी संरचना परियोजनाओं और ऊर्जा परियोजनाओं सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकारी और निजी साझेदारी आधार पर परियोजनाएं भी प्रारंभ कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारों (गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) ने विद्युत आपूर्ति बढ़ाने, ऊर्जा संरक्षण सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा पारेषण हानियां कम करने के उपाय सुझाये हैं ताकि उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हो सकें। राज्य सरकारों ने सिंचाई सुविधाओं को सुधारने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुधारने के लिए पहलों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्यों के चाय बागानों को सुधारने तथा उनमें पुनः ऊर्जा डालने के उपायों की घोषणा की है। कुछ राज्यों (पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा) ने बागवानी तथा पुष्पोत्पादन परियोजनाओं पर भी जोर दिया है।

कुछ राज्य सरकारों ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयां गठित करने पर जोर दिया है। कर्नाटक ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने नम भूमि वाले क्षेत्रों का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की योजना प्रस्तावित की है। सिक्किम ने एक पर्यावरण और हरित मिशन प्रारंभ किया है तथा हिमनदों की स्थिति और जल प्रणाली पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में वृक्षों की संख्या एवं वनाच्छादित क्षेत्र

बढ़ाने तथा पर्यावरण-पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उपाय भी प्रस्तावित किए हैं।

III.2 भारत सरकार

भारत सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकार की इस सुधार प्रक्रिया की सहायता करती है। भारत निर्माण के अंतर्गत आठ प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति राज्य सरकारों में विकासात्मक प्रक्रिया की सहायता करना जारी रखेगी।

2007-08 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक और सामाजिक भूमिका निभाने में सहायता देने के लिए अनेक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम समन्वित कर दिया है। अत्यधिक जोखिम वाले उत्तर प्रदेश के बीस जिलों और बिहार के दस जिलों में इसका सघन अभियान चलाया जाएगा। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने “आम आदमी बीमा योजना” नामक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु एवं अपंगता बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना को, जिसमें ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के बीच परिवार के मुखिया अथवा परिवार के एक कमाऊ सदस्य को बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया है, राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम का 50 प्रतिशत वहन करेगी और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे हिताधिकारियों की ओर से शेष 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करें। जल निकायों की मरम्मत करने, उनका पुनरुद्धार करने और फिर से मूल रूप में लाने के लिए मार्च 2005 में 13 राज्यों में एक प्रायोजिक परियोजना प्रारंभ की गई। ऐसी ही परियोजनाएं कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की जा रही हैं। ‘प्रशिक्षण और दौरा’ नामक एक कार्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने एवं दोहराने के उद्देश्य से, जिसमें 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान कृषि सहायक कार्य करनेवाले मजदूरों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार करेगा। कृषि बीमा निगम (एआइसी), जो खरीफ 2004 से एक प्रायोगिक मौसम

बीमा योजना चला रहा है, से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआइएस) के एक विकल्प के रूप में संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से दो या तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ करने के लिए कहा जाएगा। यह योजना सब्सिडी के एक तत्व के साथ मूल्यांकित आधार पर चलाई जाएगी। केंद्र ने प्रमुख कॉयर उत्पादक राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर विशेष जोर के साथ कॉयर उद्योग के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु एक योजना घोषित की है।

केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर समझौते के आधार पर केंद्रीय बजट में 1 अप्रैल 2007 से केंद्रीय बिक्री कर की दर 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत करना शुरू करके चरणबद्ध रूप से केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। वैट तथा केंद्रीय बिक्री कर के कारण राज्यों को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में 5,495 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच सतत सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना में केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी (बॉक्स 2)। सरकारी कार्यों में दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के स्तर पर ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार भी समर्थन प्रदान कर रही है।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के बैंकर और प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक राजकोषीय विषयों पर राज्य सरकारों को आगाह करता रहा है। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के वित्तों से संबंधित विषयों के प्रति परामर्शदात्री दृष्टिकोण के निर्माण के लिए 1997 से राज्य के वित्त सचिवों का एक द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था ने राज्य सरकारों के कई वित्तीय विषयों के समाधान प्रदान करने में मदद की है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधन परिचालनों को सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निम्न लिखित उपाय किए गए हैं।

III.3.1 राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पूर्व भुगतान

अधिशेष नकद शेषों के संचयन और ऐसे शेषों के निवेश पर अर्जित ऋणात्मक स्प्रेड के कारण कुछ राज्य सरकारों ने अपने बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की वापसी-खरीद के लिए रिज़र्व बैंक से कहा है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से राज्य विकास ऋणों की वापसी-खरीद के लिए एक सामान्य योजना बनाई। दो राज्य सरकारों अर्थात् उड़ीसा और राजस्थान के लिए 22 फरवरी 2007 और 23 मार्च 2007 को वापसी-खरीद नीलामी की गई और 479.07 करोड़ रुपये की कुल राशि के एसडीएल वापस लिए गए। बकाया ऋणों का पूर्वभुगतान भावी ब्याज भुगतान देयताओं को घटाता है, अन्यथा रूप में यह सुसुप्त प्रतिभूतियों में बाजार में दिलचस्पी उत्पन्न करता है और उन प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है।

III.3.2 राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए संकेतात्मक कैलेण्डर

अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया था कि राज्यों को, उनके विवेक और पहल पर, एक अग्रिम संकेतात्मक खुले बाजार के उधारों का कैलेण्डर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे निवेशकों को अग्रिम तौर पर अपने निवेशों की योजना बनाने में मदद मिल सकेगी और इस प्रकार प्रणाली में अनुचित तरलता के दबावों से बचा जा सकेगा। राज्य सरकारों के बाजार उधारों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के वित्त सचिवों के सम्मेलन के दौरान आयोजित चर्चा के आधार पर, 2007-08 के दौरान सकल आबंटन (निवल आबंटन, अतिरिक्त आबंटन और पूर्व भुगतानों को मिलाकर) और 2007-08 की बकाया अवधि के दौरान उगाही जा सकने वाली राशि के संबंध में जानकारी के प्रसारण के लिए रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

III.3.3 राज्य विकास ऋणों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की शुरुआत

एसडीएल में निवेशक आधार को बढ़ाने के लिए, अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में एसडीएल की प्राथमिक नीलामी

बॉक्स 2 : भारत में वस्तु और सेवा कर का रोड मैप

वस्तु और सेवा कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर एक व्यापक मूल्यवर्धित कर (वैट) है जो बिक्री और खरीद के प्रत्येक चरण में वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है जिसमें निर्माता और व्यापारी 'इन्पुट कर' के लिए क्रेडिट का दावा करते हैं जबकि अंतिम उपभोक्ता संपूर्ण कर का भार वहन करता है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को इस तर्क पर शुरू किया गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जब कई उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में मूल्य वर्धन को वस्तुओं और सेवाओं दोनों के इन्पुट की जरूरत होती है जिसे अविभक्त रूप से समूहीकृत कर दिया जाता है, ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं पर कर की एकीकृत दर होनी चाहिए। जीएसटी इस प्रकार कर प्रणाली की दुर्बलताओं को दूर करती है और उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था को कार्य कुशलता पूर्वक और आसानी से कार्य करने देती है।

भारत में, अप्रत्यक्ष कराधान सुधारों के मामले में काफी प्रगति हुई है जैसे कर दरों में महत्वपूर्ण संमिश्रण और उत्पाद शुल्क को सेन्वेट में बदलने के लिए इन्पुट कर क्रेडिट को बढ़ाना तथा अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में बिक्री कर को वैट में बदलना। अप्रत्यक्ष कर के इन सुधारों का अंतिम उद्देश्य एक समन्वित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में एक व्यापक वैट को लागू करना होगा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया था कि भारत को 1 अप्रैल 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी की ओर बढ़ना चाहिए जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बाँटा जाएगा। जीएसटी को शुरू करने के पहले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर अप्रत्यक्ष कराधान की प्रत्येक समानांतर व्यवस्था को अंततः उन्हें समन्वित करने के लिए सुधारे जाने की आवश्यकता है क्योंकि जीएसटी को एक कार्यक्षम और समन्विकृत उपभोक्ता कर प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम सेवा कर और सेन्वेट दर को प्रणामी रूप से एक करना है, जबकि दोनों प्रणालियों के एकीकृत और समन्विकृत करने के पहले राज्यों की बिक्री कर प्रणाली को फुटकर चरण लक्ष्य आधारित वैट में परिवर्तित करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्णरूपेण निर्माण चरण के वैट में परिवर्तित करना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की व्यापक और एकीकृत प्रणाली को लाने के लिए अन्य उपायों में शामिल होंगे : केंद्रीय बिक्री कर का समापन; वस्तुओं पर उचित जीएसटी दर निर्धारित करना, जो 16 प्रतिशत की सेन्वेट की मूल दर और 12.5 प्रतिशत राज्य वैट के जोड़ की तुलना में कम हो; राज्यों को वस्तु और सेवाओं पर समान दर से कर लगाने के लिए योग्य बनाना, फुटकर चरण तक वस्तुओं में मूल्यवर्धित कर लगाने के लिए केंद्र को सुयोग्य बनाना।

सीएसटी के समापन के मुद्दे पर, राज्य वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति व्यापक सहमति पर पहुंची। तदनुसार, 2007-08 के केंद्रीय बजट में इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। सीएसटी के समापन से हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। समुचित जीएसटी दर के संबंध में, केलकर समिति ने 20 प्रतिशत संयुक्त जीएसटी दर का सुझाव दिया है क्योंकि इसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय जीएसटी दरों से तुलना की गई है। स्वीडन और डेनमार्क में 25 प्रतिशत की सर्वाधिक ऊँची दर है तथा उसके पश्चात आइसलैंड (24.5 प्रतिशत) तथा फिनलैंड (22 प्रतिशत) का स्थान है।

संघीय देशों के अनुभव जीएसटी के तीन मॉडलों के अनुभव बतलाते हैं : अर्थात् क) संघीय स्तर पर संग्रहण, ख) उप-राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहण, ग) जीएसटी का दुहरा स्तर। तीसरे मॉडल के तीन विभिन्न हैं (1) संघीय सरकार द्वारा संगृहीत यद्यपि संवैधानिक प्राधिकार सरकार की दोनों श्रेणियों के पास निहित हैं, (2) सरकार की दोनों श्रेणियों द्वारा संगृहीत स्वतंत्र वस्तु और सेवाकर (जीएसटी), (3) राज्यों द्वारा प्रशासित सामान्य आधार पर एकल समन्विकृत दर। जीएसटी के प्रत्येक विभिन्न के अपने गुण और दोष हैं। एक केंद्रीयकृत जीएसटी कर दरों को समन्वित करती है तथा परिभाषा से छूट प्रदान करती है। दूसरी तरफ, अतिशय विषमता वाले देश में अंतरणों को समान करने की केंद्र की क्षमता को घटाने के अलावा,

अनन्य राज्य स्तरीय जीएसटी राज्य स्वायत्तता को अतिशयता तक ले जाती है और बाह्य समन्वयीकरण प्रयासों की मांग करती है।

भारत में अपनाए जाने वाले जीएसटी मॉडल पर निर्णय अभी लिया जाना है। तथापि, सामयिक साहित्य में राजकोषीय विशेषज्ञों द्वारा कई विचार व्यक्त किए गए हैं। एक विचार के अनुसार दुहरा वैट, जो कनाडा के क्यूएसटी-जीएसटी मॉडल का विभिन्नक है, जिसमें दरों के मामले में राज्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश और आधार में सीमित गुंजाइश है, भारत में सर्वाधिक आशाजनक विकल्प प्रतीत होता है (बागची, ए. 2006)। ऐसा देखा गया है कि बिक्री कराधान का संकेंद्रण आवश्यक नहीं है और वैट के साथ कनाडा के और आयकर के साथ अमरीका के अनुभवों की तरह ही केंद्रीय और राज्य कर साथ-साथ हो सकते हैं। ऐसा सुझाव दिया गया है कि समवर्ती कराधान की प्रणाली, जिसमें राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी शामिल है, एक व्यवहार्य मध्यमकालिक विकल्प होगी। तथापि, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्षैतिज असंतुलों के दृष्टिकोण से बना हुआ है, समग्र कर दर के लिए बेचमार्क को देखते हुए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के घटक कर दरों को निर्धारित करना है। केलकर समिति ने इस संबंध में 20 प्रतिशत जीएसटी दर के विभाजन की सलाह दी थी जिसमें 12 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी के लिए और 8 प्रतिशत राज्य जीएसटी के लिए होगा। बारहवें वित्त आयोग ने पाया कि 12:8 का अनुपात केंद्र के पक्ष में है और प्रणाली में लंबवत असंतुलन को बढ़ा सकता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, जीएसटी का दो स्तरीय ढाँचा सहायक है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें शामिल हैं। केंद्र की प्रशासनिक क्षमता केंद्रीय उत्पाद विभाग में निहित है जबकि राज्यों की राज्य बिक्री कर स्थापना के रूप में व्यापक क्षमता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जीएसटी के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य दोनों की मशीनरी का उपयोग आदर्श होगा। इसके अलावा, केंद्रीय कर विभाग के संसाधनों की सीमाओं और बिक्री कर क्रियान्वित करने के राज्यों के अनुभवों से निष्कर्ष निकलता है कि दोनों में से किसी सर्वोत्तम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

वित्त मंत्री ने 2007-08 के केंद्रीय बजट में कहा था कि भारत में वैट पूर्ण रूप से सफल साबित होगा। अनुसरण में, राज्य वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार की शक्ति संपन्न समिति 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी शुरू करने के लिए एक रोडमैप बना रही है। जीएसटी के लिए रोडमैप तैयार करने में राज्य स्तर पर वैट के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ :

1. एसोशिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) (2007), जीएसटी : इंपरेटिव ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली।
2. अमरेश वागची (2006), 'टुवर्ड्स जीएसटी : च्वाइसेज एंड ट्रेड ऑफ्स', इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 8 अप्रैल।
3. भारत सरकार (2007), 'वित्त मंत्री का बजट भाषण' 28 फरवरी।
4. गोविंद राव, एम (2007), 'रोड मैप टु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 जनवरी 2006।
5. पुरोहित महेश सी. (2007), 'जीएसटी एंड द 13th फाइनेंस पैनेल', द इकॉनॉमिक टाइम्स, 8 सितंबर।
6. श्रीवास्तव, डी.के. (2007), 'ए रोड मैप टु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स', द हिंदू बिजनेस लाइन, 13 अगस्त।
7. मुखोपाध्याय, एस. (2006), 'ह्विच वे फॉर इनडाइरेक्ट टैक्सेज', द इकॉनॉमिक टाइम्स, 8 अप्रैल।

को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा (वर्तमान में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तक सीमित) प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। जुलाई 2007 में राज्य सरकारों द्वारा जारी संशोधित सामान्य अधिसूचना में “गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा” योजना के आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह योजना शीघ्र ही लागू की जाएगी।

III.3.4 राज्यों के शेषों के निवेश के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए कार्यदल

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों में वृद्धि और इन शेषों पर ऋणात्मक स्प्रेड ने राज्य सरकारों के वित्तीय और नकदी प्रबंधन के लिए नई-नई चुनौतियां खड़ी की हैं। राज्यों के अधिशेष नकद शेषों के निवेश से संबंधित विषयों पर रिज़र्व बैंक में 7 अगस्त 2006 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 18वें सम्मेलन में चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों का संज्ञान लेते हुए, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों के वैकल्पिक निवेश विकल्प के लिए एक ढांचा सुझाने हेतु राज्य वित्त सचिवों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों का एक छोटा समूह बनाया जाए। कार्यदल में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम की राज्य सरकारों के वित्त सचिवों को शामिल किया गया। कार्यदल ने दिसंबर 2006 में रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की रिपोर्ट पर अगस्त 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 20वें सम्मेलन में चर्चा की गई।

III.3.5 स्थायी तकनीकी समिति का गठन

रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में ‘सहमति पूर्ण और सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों संबंधी व्यापक विषयों पर सलाह देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्त्वधान के अंतर्गत’ एक स्थायी तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया था। स्थायी तकनीकी समिति का गठन दिसंबर 2006 में राज्य सरकारों के साथ सलाह करके और भारत सरकार की सहमति से किया गया था। स्थायी तकनीकी समिति के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के उपगवर्नर हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्य सरकारों के प्रधान वित्त सचिव,

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। स्थायी तकनीकी समिति का सचिवालय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।

स्थायी तकनीकी समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:

- विकासमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए; जिसमें ऋण की धारणीयता और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के उपबंध, जहाँ लागू हों, का उचित खयाल रखा जाएगा; राज्य सरकारों की उधार आवश्यकताओं का वार्षिक अनुमान लगाना। स्थायी तकनीकी समिति के अनुमानों को, आंतरिक मौद्रिक अनुमानों के लिए इन्पुट के रूप में विचारार्थ, प्रति वर्ष दिसंबर में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाएगा।
- राज्यों के लिए संसाधन जुटाने हेतु वैकल्पिक परिदृश्य बनाना और वैकल्पिक रणनीति और साधन सुझाना।
- राज्यों के बीच बाजार उधारों के वार्षिक आबंटन के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना।
- बजट में अनुमानित सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के वास्तविक उधारों को ध्यान में रखना। इससे अपने-अपने बजट अनुमानों के विभिन्न साधनों के माध्यम से वास्तविक उधारों के व्यापक विचलन के मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को सलाह देने में मदद मिलेगी।
- एक समुचित डाटाबेस विकसित करना जो उपर्युक्त निगरानी को आसान बनाएगा।
- राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करना।
- बाजार उधार कैलेण्डर बनाने, बाजार उधारों के लिए नीलामी मार्ग को उत्तरोत्तर अपनाने, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की तरलता और राज्य सरकार के स्तर पर ऋण प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण के लिए किए गए उपायों सहित राज्य सरकारों को उनके उधारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह देना।

III.3.6 विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन

राज्यों को बहुमुखीय एजेंसियों द्वारा बाह्य सहायता पारंपरिक तौर पर केंद्रीय सहायता के भाग के रूप में केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती रही है, जिसमें केंद्र विदेशी मुद्रा जोखिम को वहन करता है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा उधारों में केंद्र की मध्यस्थहीनता की नीति के भाग के रूप में, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को बाह्य सहायता का बैंक-टु-बैंक अंतरण होना चाहिए। राज्य वित्त सचिवों के 16वें सम्मेलन के अवसर पर, कुछ राज्य सरकारों के वित्त सचिवों ने सलाह दी कि भारतीय रिजर्व बैंक बाह्य सहायता की बैंक-टु-बैंक अंतरण की नीति के कारण हुए विनिमय दर जोखिम से बचने के लिए राज्यों को सहायता देने में परामर्शदाता की भूमिका निभा सकता है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में और जनवरी 2007 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में चर्चा के फलस्वरूप, राज्य सरकार के अधिकारियों के लाभ के लिए मई 2007 में रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन पर पहली कार्यशाला आयोजित की। राज्यों ने भी अपने-अपने बजटों में निधियों को अलग रख करके, विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रावधान करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित की है, जिसमें रिजर्व बैंक को समेकित ऋण शोधन निधि की तर्ज पर इन निधियों का प्रबंधन करने के लिए भूमिका निभानी है। इन प्रस्तावों पर अगस्त 2007 में आयोजित राज्य के वित्त सचिवों के 20वें सम्मेलन में चर्चा की गई।

III.3.7 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गमन

अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह प्रस्ताव किया गया कि पर्याप्त भंडार बनाने और इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियों की द्वितीयक तरलता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गमन शुरू किया जाए। एसडीएल के पुनर्निर्गमन की प्रणाली को शुरू करने की संभाव्यता का राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिसादों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया जा रहा है।

III.3.8 राज्य विकास ऋणों पर दलाली कमीशन के भुगतान की समीक्षा

24 जनवरी 2007 को आयोजित राज्य के वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में, नीलामी प्रणाली के माध्यम से एसडीएल के निर्गमन के लिए बैंकों/अन्य पात्र कंपनियों को राज्य सरकारों द्वारा देय दलाली/कमीशन के भुगतान के प्रावधान की समीक्षा की गई। तदनुसार, जुलाई 2007 में सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के अनुसार, यदि नीलामी प्रणाली के माध्यम से एसडीएल जारी किए जाते हैं तो बैंकों/ अन्य पात्र कंपनियों को देय दलाली/कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

समष्टि आर्थिक आधारभूत तत्वों की ताकत पर बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और कर वृद्धि में सुधार के साथ, राजकोषीय सुधार और समेकन के लिए राजकोषीय तथा संस्थागत सुधारों ने 2005-06 से राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में वास्तविक सुधार लाने में योगदान किया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक 2000-01 से 2004-05 के औसतों की तुलना में काफी नीचे थे। याद होगा कि 2000-01 से 2002-03 की अवधि में सुधार दर्ज करने के पश्चात राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2003-04 में क्षणिक रूप से खराब हुई। इस खंड में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के उनके खातों के अनुसार विश्लेषित और मूल्यांकित की गई है।³

IV.1 लेखा : 2005-06

जब 2005-06 के संशोधित अनुमानों के खाते तैयार किए गए, तो राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात्, राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में काफी कमी हुई (सारणी 3)। राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे में 2005-06 (संअ) और 2005-06 (लेखा) के बीच क्रमशः 12,813 करोड़ (64.6 प्रतिशत) तथा 22,338 करोड़ (19.9 प्रतिशत) की तीव्र गिरावट हुई। प्राथमिक घाटे में भी 19,070 करोड़ रुपए (75.9 प्रतिशत) की

³ विश्लेषण 2005-06 (लेखा), 2006-07 (संशोधित अनुमान) और 2007-08 (बजट अनुमान) से संबंधित है जिसका अट्हाइस राज्य सरकारों के 2007-08 के बजटों में प्रावधान किया गया है।

सारणी 3 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (लेखा)

मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (I+II)	-13,384	-3.0	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	-3,262	-1.1	24.4
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	-4,563	-2.1	34.1
जिसमें से: बिक्री कर	-3,961	-3.0	29.6
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,302	1.4	-9.7
(ii) करेतर राजस्व	-10,122	-7.5	75.6
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	2,580	5.7	-19.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	-12,702	-14.2	94.9
II. राजस्व व्यय (I + II)	-26,197	-5.6	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	-22,928	-6.1	87.5
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-4,930	-5.9	18.8
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-2,217	-9.8	8.5
ऊर्जा	-276	-1.3	1.1
ग्रामीण विकास	-2,316	-11.6	8.8
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	-1,341	-6.0	5.1
प्रशासनिक सेवा	-1,944	-5.4	7.4
पेंशन	-1,768	-4.2	6.7
(ii) ब्याज भुगतान	-3,269	-3.7	12.5
III. पूंजी प्राप्तियां	10,242	6.6	100.0
IV. पूंजी व्यय	-5,875	-4.5	100.0
जिसमें से:			
पूँजी परिव्यय	-6,207	-7.4	105.6
जिसमें से:			
ग्रामीण विकास	-723	-15.4	12.3
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	-615	-2.3	10.5
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-900	-41.3	15.3
परिवहन	-1,244	-7.9	21.2
जापन मदें :			
राजस्व घाटा	-12,813	-64.6	
सकल राजकोषीय घाटा	-22,338	-19.9	
प्राथमिक घाटा	-19,070	-75.9	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।

2. परिशिष्ट III व IV की टिप्पणियां भी देखें

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

तीव्र कमी हुई। 2005-06 में राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, जीडीपी के सापेक्ष में, 0.2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत

और 0.2 प्रतिशत था जो संशोधित अनुमानों में क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत था (देखें सारणी 1)।

2005-06 (लेखा) में राजस्व खाते में सुधार व्यापक रूप से राजस्व व्यय, मुख्य रूप से गैर-ब्याज राजस्व व्यय, जो 22,928 करोड़ रुपए (6.1 प्रतिशत) कम हुआ, में तीव्र कमी के कारण था। राजस्व खाते के विकासात्मक व्यय में वास्तविक रूप से 17,160 करोड़ रुपए की कमी आई जिससे राजस्व व्यय में 65.5 प्रतिशत की कमी हुई। गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में भी 2005-06 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2005-06 में 9,296 करोड़ रुपए की कमी हुई। राज्यों के अपने कर राजस्व और केन्द्र के अनुदानों में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों में 13,384 करोड़ रुपए की गिरावट हुई, जिसकी केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में और उनके अपने करेतर राजस्व में वृद्धि के द्वारा भरपाई हुई।

पूँजी परिव्यय में 6,207 करोड़ रु (7.4 प्रतिशत) की कमी आई, जो पूँजी व्यय की गिरावट की तुलना में काफी अधिक थी। पूँजी परिव्यय में कमी विशेष रूप से ग्राम्य विकास (15.4 प्रतिशत), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (41.3 प्रतिशत), परिवहन (7.9 प्रतिशत) और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (2.3 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में थी। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत की कमी के बावजूद, प्रमुख घाटा संकेतकों में समग्र सुधार विकासात्मक व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की कमी के कारण था।

IV. 2 संशोधित अनुमान : 2006-07

बजट अनुमानों की तुलना में 2006-07 के संशोधित अनुमानों के रुझानों से पता चला कि राजस्व घाटे में, बजट अनुमानों में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत से संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत की कमी आई (परिशिष्ट सारणी 1)। राजस्व खाते में, 2006-07 (बजट अनुमान) की तुलना में 2006-07 (संशोधित अनुमान) में राजस्व प्राप्तियों में 22,654 करोड़ रुपए (4.5 प्रतिशत) की वास्तविक वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय में 19,872 करोड़ रुपए (3.8 प्रतिशत) की वृद्धि की भरपाई करने से अधिक थी (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 2)।

राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के अपने कर राजस्व और केंद्रीय करों के हिस्से में बढ़ोत्तरी के कारण थी, जिससे राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 39.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्यों के करेतर

सारणी 4 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (ब.अ.) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.)			
मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	22,654	4.5	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	15,318	4.3	67.6
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	9,001	3.6	39.7
जिसमें से: बिजली कर	3,771	2.4	16.6
ख) केंद्रीय कर में अंश	6,317	5.8	27.9
(ii) करेतर राजस्व	7,336	4.8	32.4
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	3,672	7.1	16.2
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	3,664	3.7	16.2
II. राजस्व व्यय (I + II)	19,872	3.8	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	21,463	5.1	108.0
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,900	3.2	14.6
परिवहन और संचार	1,135	8.3	5.7
ऊर्जा	5,412	27.9	27.2
ग्रामीण विकास	1,592	7.7	8.0
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1,887	8.0	9.5
प्राकृतिक आपदा राहत	3,489	77.3	17.6
प्रशासनिक सेवा	-475	-1.1	-2.4
पेंशन	-86	-0.2	-0.4
(ii) ब्याज भुगतान	-1,591	-1.6	-8.0
III. पूंजी प्राप्ति	-8,475	-5.6	100.0
जिसमें से:			
बाजार उधार	-3,290	-11.6	38.8
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि			
के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	-2,516	-3.9	29.7
केंद्र से ऋण	-3,328	-24.6	39.3
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	3,156	59.3	-37.2
अल्पबचत, भविष्य निधि आदि (निवल)	551	5.3	-6.5
जमा राशि और अग्रिम (निवल)	2,928	-253.8	-34.6
IV. पूंजी व्यय	13,290	9.7	100.0
जिसमें से:			
पूंजी परिव्यय	10,399	11.0	78.2
जिसमें से:			
शहरी विकास	109	5.4	0.8
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,242	7.4	16.9
ऊर्जा	1,270	13.4	9.6
परिवहन	1,524	8.1	11.5
ज्ञापन मदें:			
राजस्व घाटा	-2,782	-33.3	
सकल राजकोषीय घाटा	7,160	6.7	
प्राथमिक घाटा	8,752	92.5	

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राजस्व और राज्यों को केंद्र के अनुदान प्रत्येक ने राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी 3)।

राजस्व व्यय का विकासात्मक घटक ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा, शिक्षा, ग्राम्य विकास और परिवहन तथा संचार पर और अधिक व्यय के कारण जीडीपी का 0.5 प्रतिशत बढ़ा (परिशिष्ट सारणी 4)।

राजस्व घाटे में कमी के बावजूद, पूंजी परिव्यय के लिए 10,399 करोड़ रुपए (11.0 प्रतिशत) का बढ़ा प्रावधान करने के कारण सकल राजकोषीय घाटा 7,160 करोड़ रुपए बढ़ा। पूंजी परिव्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन, ऊर्जा तथा शहरी विकास जैसी आर्थिक सेवाओं से संबंधित थी। परिणाम के रूप में, जीडीपी के सापेक्षिक, पूंजी परिव्यय 2006-07 (बजट अनुमान) के 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (संशोधित अनुमान) में 2.5 प्रतिशत हो गया। इसे दर्शाते हुए, जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमानों में 2.8 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और विकासात्मक व्यय के लिए अधिक प्रावधान दोनों के अनुसार 2006-07 के संशोधित अनुमानों का मूल्यांकन बजट अनुमानों, विशेष रूप से राजस्व खाते में, की तुलना में राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। यह ध्यान देने की बात है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों और राजकोषीय जबाबदेही विधान के अंतर्गत बनाए गए राजकोषीय नियमों ने बजट में अनुमानित राजकोषीय स्थिति की चूकों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

IV.3 बजट अनुमान : 2007:08

2006-07 के संशोधित अनुमानों, विशेष रूप से राजस्व खाते में बेहतर राजकोषीय स्थिति की पृष्ठभूमि में, राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए, राजकोषीय जबाबदेही विधान के अनुसार राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया जारी रखने के प्रति और प्रतिबद्धता दिखाई है। इसी प्रकार, राज्यों के बजट में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक और ग्राम्य क्षेत्रों के लिए और अधिक आबंटन किए गए हैं (बॉक्स 3)।

बॉक्स 3 : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : राज्य सरकारों के सामने समस्याएं और चुनौतियां

आर्थिक आधारभूत तत्वों में व्यापक सुधार को स्वीकार करते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीबों और हासिए पर चले गए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर निर्णायक प्रभाव डालना है। इसमें न केवल तीव्र वृद्धि पर जोर दिया गया है, बल्कि इसे और अधिक बहु-व्यापी और समावेशी बनाया गया है। इसलिए इसमें 9.0 प्रतिशत समग्र औसत वृद्धि की कल्पना की गई है, जबकि कृषि वृद्धि को दो गुना बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत करने और निर्धनता निवारण के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 70 मिलियन रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे।

एक दूसरा उद्देश्य वंचितों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेय जल, साफ-सफाई आदि जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करना है। चूंकि सामाजिक सेवाएं मूल रूप से राज्य के विषय हैं, ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

समस्याएं

उत्पादक रोजगार के निर्माण और निर्धनता में कमी के अलावा, ग्यारहवीं योजना में क्षेत्रों और समुदायों के बीच की विषमता पर विचार करना होगा जिसमें हासिए पर आए लोगों और असंगठित समूह की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधान और वंचित तथा कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को अन्य मूल सुविधाओं के लिए बहुत अधिक सार्वजनिक निवेश की जरूरत होगी। न केवल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने बल्कि प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के अनुरूप सरकार द्वारा प्रयोज्यता प्रभाव लगाने में उसे समर्थ बनाने के लिए सेवाओं को प्रदान करने में काफी अधिक सुधार की आवश्यकता होगी। जबकि निर्भरता दर का जनांकिकीय लाभांश (कार्यशील आयु जन संख्या की तुलना में निर्भर व्यक्तियों का अनुपात) गिर रहा है, इसका लाभ उठाने के लिए गुणवत्ता शिक्षा देनी होगी और पर्याप्त लाभप्रद रोजगार का निर्माण करना होगा।

चुनौतियां

राज्य सरकारों को ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों/खण्डों के संबंध में चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होगी।

I. कृषि

कृषि वृद्धि को दोगुना अर्थात् 4.0 प्रतिशत करने के लिए कृषि उत्पादकता में रुकावट की समस्या को दूर करके सही नीतियों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को बड़ी और मझौली सिंचाई के लिए, विशेष रूप से असिंचित और सूखा-प्रवण क्षेत्र में, बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी जिसमें शामिल हैं : अपर्याप्त वर्षा के मामले में बोई जाने वाली फसल के प्रकार और कीट आक्रमण के मामले में ऐतिहासिक उपायों पर किसानों को जानकारी प्रदान करना; कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के बीच संपर्क स्थापित करना; किसानों की ऋणग्रस्तता घटाना; आकस्मिकताओं का बीमा; निम्न कोटि की भूमि में सुधार और मृदा की गुणवत्ता में सुधार। फल, सब्जियों, पुष्प आदि और पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसी मदों को ऊंचे मूल्य में बदलने के लिए समर्थक वातावरण भी बनाना होगा। वहनीय दरों पर ऋण का प्रबंध करने, बाजार के कार्य करने और भूमि सुधारों पर पुनः ध्यान देने पर समान जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

II. रोजगार

सेवा और विनिर्माण क्षेत्र भविष्य में अतिरिक्त रोजगार का मुख्य स्रोत होगा और खाद्य प्रसंस्करण, चर्म उत्पाद, फुटवियर और वस्त्र तथा पर्यटन और निर्माण जैसे इन सेक्टरों के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा जिसमें गांवों और लघु स्तरीय उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा नियोजक कुशल श्रम की कमी के कारण पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी अपना सकता है। राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाए और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

III. शिक्षा

साक्षरता के स्तर को बढ़ाना और ग्यारहवीं योजना में दिए गए स्तर तक शिक्षा देना एक प्रमुख चुनौती है। योजना में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है : समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा देना, माध्यमिक स्कूलों का विस्तार, व्यावसायिक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा को 85 प्रतिशत तक बढ़ाना, समन्वित विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना विकसित करना और वैज्ञानिक मानव शक्ति की संख्या बढ़ाना।

IV. स्वास्थ्य

ग्यारहवीं योजना निम्नलिखित पर जोर देती है : एनजीओ की सहभागिता में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए समन्वित जिला और खण्ड विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की सभी अक्षमताओं और समस्याओं को देखना, सर्व स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखना, स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशिक्षित अर्धचिकित्सा कार्मिकों का उपयोग करना, स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ाना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के वर्तमान स्तर को 2-3 गुने से बढ़ाकर जीडीपी के 2-3 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता होगी।

V. विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना

विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए, राज्य सरकारों को कई मोर्चों पर कार्य करना होगा। इनमें शामिल हैं: कर दरों को सरल बनाना और चुंगी प्रवेश कर आदि समाप्त करना; विशेष आर्थिक अंचलों (जोन) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे स्थानीय क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना, सिंगल विंडो के माध्यम से भूमि पंजीकरण, जल और उपयोगिता कनेक्शनों, पर्यावरण और अनापत्तियों में विलंब को घटाना, जिसमें श्रम कानूनों के संशोधन द्वारा केंद्र की पहल से मदद की गई हो, लघु स्तरीय उत्पादकों के लिए रिजर्वेशन हटाना, अवशिष्ट प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना तथा माइक्रो, लघु और मझौले उद्यमों की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना।

VI. विषमताएं और विभाजन

गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, नियोजित और कम/अनियोजित, राज्यों, जिलों और समुदायों तथा लिंगों के बीच विषमता को कम करना एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे रोजगार निर्माण, लघु उद्योगों को बढ़ावा, संतुलित क्षेत्रीय विकास और लिंग विशिष्ट समस्याओं को हल करने के माध्यम से इन सभी वर्गों की सम्मिलित वृद्धि सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है।

VII. अपेक्षित संसाधन

निवेश को काफी बढ़ाना होगा और संयुक्त सरकार के योजना व्यय के लिए बजट संसाधनों के जीडीपी के 2.5 प्रतिशत अंक से बढ़कर लगभग 9.65 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी, सरकार को राजकोषीय तौर पर विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है क्योंकि केंद्र और अधिकांश राज्यों (28 में से 26) ने एफआरएल को पारित कर लिया है। राज्यों के लिए, या तो सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में अथवा केंद्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के रूप में केंद्र से संसाधनों के काफी प्रवाह की आवश्यकता होगी। राज्य भी अपेक्षित व्यय का एक समुचित प्रतिशत योगदान कर सकेंगे। कर और करेतर राजस्व को बढ़ाने के लिए व्यय का पुनर्प्राथमिकीकरण और गैर-योजना व्यय (स्पष्ट और अप्रत्यक्ष सब्सिडी सहित) को घटाने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

भारत सरकार (2006), 'टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंकलूसिव ग्रोथ : एन एप्रोच टु द 11th फाइव ईयर प्लान', योजना आयोग, दिसंबर।

IV.3.1 बजट अनुमान 2007-08 - प्रमुख घाटा संकेतक

2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में प्रमुख घाटा संकेतकों के अनुसार और सुधार दिखने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में, एक उल्लेखनीय पहलू है कि समेकित राजस्व शेष के 2006-07 (संअ) में 5,566 करोड़

रुपए (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) के घाटे से, 2007-08 (बअ) के दौरान, 11,973 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) के अधिशेष में तब्दील होने की परिकल्पना की गई है। यह उल्लेख करना संगत होगा कि राजकोषीय जबाबदेही विधान शर्तों और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के एक वर्ष पहले ही राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान

बॉक्स 4 : राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान और राज्य वित्त

हाल के समय में राज्य वित्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) बनाना रहा है। राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय कार्यक्रम को अंगीकार करने में सहजता के लिए रिजर्व बैंक ने अगस्त 2003 को राज्य वित्त सचिवों के बारहवें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर, एक मॉडल राजकोषीय उत्तरदायित्व बिल बनाने के लिए कई राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रति निधियों को मिलाकर एक समूह बनाया। समूह ने जनवरी 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। एफआरएल के निर्माण में राजकोषीय सशक्तता को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है क्योंकि प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में कमी राज्यों के ऋणों के बढ़ते स्तर में कमी के लिए महत्वपूर्ण है। राजकोषीय सशक्तता के अलावा, एफआरएल में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करना न केवल बजट कार्यक्रमों की विश्वसनीयता बनाए रखने बल्कि विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन तथा और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसको स्वीकार करते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य एफआरएल को बनाए जो ऋण राहत का लाभ लेने के लिए पूर्व शर्त होगी।

अब तक सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एफआरएल बनाया है। कर्नाटक ने सितंबर 2002 में सबसे पहले एफआरएल बनाया इसके पश्चात तमिलनाडु (मई 2003), केरल (अगस्त 2003) और पंजाब (अक्टूबर 2003) थे। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात बाइस और राज्यों ने एफआरएल का निर्माण किया। यद्यपि लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों के बीच लक्ष्य के विकल्प और समय-सीमा पर विभिन्नता है, अधिकांश राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे के समापन की बात कही गई है और बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे में 31 मार्च 2010 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक की कमी होगी। इसके अलावा, कई राज्यों ने गारंटियों पर सीमाएं लगाई हैं और अपने दायित्वों को घटाने के लिए लक्ष्य तय किए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय सुधार और समेकन के उपायों ने राज्यों के वित्त पर अनुकूल प्रभाव डाला है। इसको परिलक्षित करते हुए, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर सभी गैर-विशेष वर्ग के राज्यों द्वारा 2007-08 में राजस्व शेष/आधिक्य (बजट अनुमान) प्राप्त किए जाने का अनुमान लगाया गया है। शेष चार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों द्वारा, राजस्व शेष के संबंध में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.8 प्रतिशत, 1.4 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत का वार्षिक समायोजन करने की आवश्यकता होगी (सारणी)। जबकि पश्चिम बंगाल ने अब तक एफआरएल नहीं बनाया है, केरल सरकार के वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण में कहा कि केरल का राजस्व घाटा 2010-11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम होगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, सभी विशेष वर्ग के राज्यों ने 2007-08 में राजस्व आधिक्य का बजट अनुमान लगाया है।

सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के संबंध में, आठ गैर-विशेष वर्ग के राज्यों ने 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम जीएफडी का अनुमान लगाया है अर्थात् बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के दो वर्ष पहले। शेष नौ राज्यों में, आठ राज्यों को राजकोषीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.2 - 0.9 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी, जबकि एक राज्य (झारखंड) को अगले दो राजकोषीय वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी। विशेष वर्ग के राज्यों में, ग्यारह राज्यों में से चार में 2007-08 में जीएफडी के सकल राज्य घरेलू

सारणी : राज्य वित्त तथा राजस्व घाटे एवं सकल राजकोषीय घाटे के लिए बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2007-08 (ब.अ.)	वार्षिक समायोजन*
1	2	3
राजस्व घाटा		
गैर विशेष श्रेणी		
1. केरल	3.4	3.4
2. पश्चिम बंगाल	2.7	2.7
3. पंजाब	1.4	1.4
4. झारखंड	0.8	0.8
विशेष श्रेणी		
1. हिमाचल प्रदेश	0.7	0.7
सकल राजकोषीय घाटा		
गैर विशेष श्रेणी		
1. झारखंड	7.4	2.2
2. केरल	4.8	0.9
3. पंजाब	4.6	0.8
4. पश्चिम बंगाल	4.4	0.7
5. गोवा	4.3	0.7
6. बिहार	4.2	0.6
7. उत्तर प्रदेश	3.6	0.3
8. राजस्थान	3.5	0.3
9. मध्य प्रदेश	3.3	0.2
विशेष श्रेणी		
1. सिक्किम	11.6	4.3
2. जम्मू और कश्मीर	7.3	2.2
3. त्रिपुरा	5.9	1.5
4. अरुणाचल प्रदेश	4.2	0.6
5. उत्तराखंड	4.2	0.6
6. हिमाचल प्रदेश	4.1	0.6
7. असम	3.7	0.4

* : 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने तथा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जीएफडी को कम करके 2009-10 तक 3 प्रतिशत करने के लिए अपेक्षित वार्षिक समायोजन।

उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम होने का अनुमान लगाया है। शेष सात राज्यों में से, छः राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.4-2.2 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की जरूरत होगी। तथापि, सिक्किम में, जिसने एफआरएल नहीं बनाया है, बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत के वार्षिक समायोजन की आवश्यकता होगी।

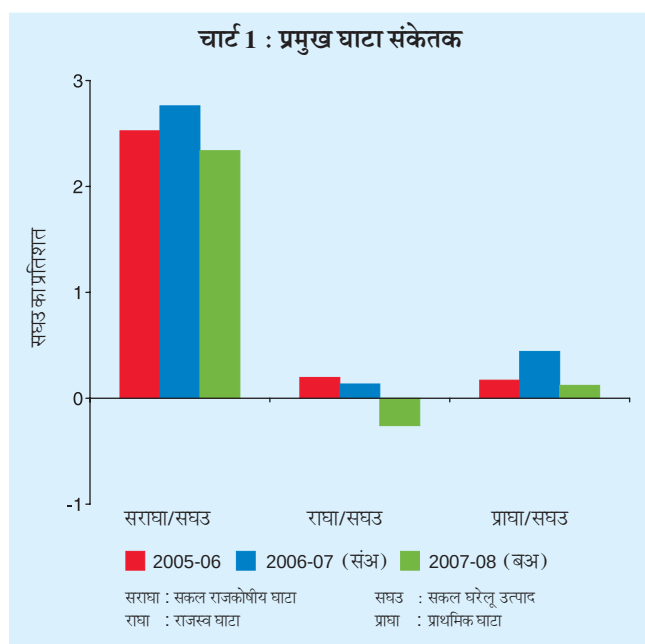
अधिक राज्यों द्वारा एफआरएल के बनाने से राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय नीति ढाँचा तैयार हुआ है। तथापि, राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया पूँजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी। राज्यों द्वारा बनाए गए एफआरएल के अंतर्गत उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से किसी प्रकार का विचलन उनकी विश्वसनीयता का सवाल खड़ा करेगी। इसलिए यह वांछनीय है कि राज्य अपने-अपने संबंधित एफआरएल के अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करें।

संदर्भ:

1. भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10), नवंबर।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (2007), वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, अगस्त।

लगाया गया है (बॉक्स 4)। बजट में अनुमानित राजस्व अधिशेष के परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा 5,590 करोड़ रुपए (4.9 प्रतिशत) घटकर 1,08,323 करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) होगा। इसी प्रकार, प्राथमिक घाटे के 12,561 करोड़ रुपए (69.0 प्रतिशत) से घटकर 2007-08 में 5,648 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) होने का बजट अनुमान लगाया गया है (चार्ट 1)। इसको परिलक्षित करते हुए, जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के राज्य सरकारों के प्राथमिक राजस्व आधिक्य के 2007-08 के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में अधिक होने का बजट अनुमान लगाया गया है अर्थात् पिछले वर्ष में ब्याज भुगतानों के लगभग 94 प्रतिशत की तुलना में ब्याज भुगतानों का 112 प्रतिशत।

प्राथमिक तौर पर पिछले वर्ष हुई 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर से राजस्व प्राप्तियों में 14.2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के माध्यम से 2007-08 के दौरान राजस्व खाते में सुधार होने की परिकल्पना की गई है। 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि अपने कर राजस्व (49.1 प्रतिशत), केंद्रीय करों में अंश (27.2 प्रतिशत), केंद्र से अनुदान (19.1 प्रतिशत) और राज्यों के अपने करेतर राजस्व (4.7 प्रतिशत) द्वारा होने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 5)। वेट/बिक्री कर से प्राप्त राजस्व में, जो राज्यों के अपने कर राजस्व का लगभग आधा है, क्रमशः 15.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जबकि संपत्ति और पूँजी लेनेदेनों में कर में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी (परिशिष्ट सारणी 3)।



सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)			
मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (I-II)	75,304	14.2	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	57,405	15.4	76.2
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	36,958	14.4	49.1
जिसमें से: बिक्री कर	24,860	15.7	33.0
ख) केंद्रीय कर में अंश	20,447	17.7	27.2
(ii) करेतर राजस्व	17,899	11.3	23.8
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	3,534	6.3	4.7
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	14,366	14.0	19.1
II. राजस्व व्यय	57,765	10.8	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	50,795	11.5	87.9
जिसमें से:			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	9,054	9.5	15.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,672	10.7	4.6
ऊर्जा	-817	-3.3	-1.4
ग्रामीण विकास	2,481	11.2	4.3
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	3,143	12.3	5.4
प्रशासनिक सेवा	6,556	15.4	11.3
पेंशन	6,524	13.7	11.3
(ii) ब्याज भुगतान	6,971	7.3	12.1
III. पूँजी प्राप्ति	17,805	12.4	100.0
जिसमें से:			
बाजार उधार	11,840	47.4	66.5
नाबार्ड से ऋण	1,657	20.4	9.3
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां	-2,553	-4.1	-14.3
केंद्र से ऋण	4,721	46.3	26.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-3,890	-45.9	-21.8
आरक्षित निधि (निवल)	-543	-11.4	-3.0
विविध पूँजी प्राप्ति	7,048	230.8	39.6
प्रेषण (निवल)	-364	-113.9	-2.0
IV. पूँजी व्यय	20,908	13.9	100.0
जिसमें से:			
पूँजी परिव्यय	13,854	13.2	66.3
जिसमें से:			
शहरी विकास	390	18.5	1.9
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,655	11.2	17.5
ऊर्जा	4,221	39.2	20.2
परिवहन	3,227	15.9	15.4
जापन मदे:			
राजस्व घाटा	-17,539	-315.1	
सकल राजकोषीय घाटा	-5,590	-4.9	
प्राथमिक घाटा	-12,561	-69.0	

ब.अ. : बजट अनुमान। सं.अ. : संशोधित अनुमान।
 * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

राजस्व खाते में सुधार को, पिछले वर्ष राजस्व व्यय में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि से 2007-08 के दौरान 10.8 प्रतिशत की गिरावट से भी सहायता मिलेगी। 2007-08 के दौरान राजस्व व्यय में अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से गैर ब्याज राजस्व व्यय (87.9 प्रतिशत) द्वारा होगी। राजस्व व्यय के अंतर्गत, विकासात्मक व्यय (आर्थिक और सामाजिक सेवाएं) पिछले वर्ष में 26.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज करने के पश्चात कम होकर 11.3 प्रतिशत हो जाएगा। गैर-विकासात्मक व्यय भी प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन और ब्याज भुगतानों के व्यय में कमी के कारण घटकर 9.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 17.6 प्रतिशत से) हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 4)। ऊर्जा, सिंचाई, खाद्य नियंत्रण और परिवहन में अधिक निवेश आदि के कारण पूँजी परिव्यय 13.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

पूँजी व्यय में वृद्धि के बावजूद, जीडीपी के 0.3 प्रतिशत राजस्व अधिशेष के होने से पिछले वर्ष के 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में सकल राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत होगा।

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 14.2 प्रतिशत और वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2007-08 में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें मुख्य रूप से अपने कर राजस्व और केंद्र से डिवोल्युशन तथा अंतरण शामिल हैं (सारणी 6) (विवरण 19 और 25 भी देखें)।

सारणी 6: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.1)	2,31,618 (14.8)	4,40,075 (17.2)	5,95,628 (16.7)	6,74,736 (16.4)	7,67,845 (16.6)	13.3	13.8
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.1)	1,65,416 (10.7)	2,85,661 (11.2)	4,31,021 (12.1)	5,31,429 (12.9)	6,06,733 (13.1)	23.3	14.2
क) राज्यों के अपने राजस्व	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (7.0)	2,60,247 (7.3)	3,12,738 (7.6)	3,53,229 (7.6)	20.2	12.9
राज्य के अपने कर	41,158 (5.4)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.6)	2,12,307 (6.0)	2,57,080 (6.2)	2,94,038 (6.3)	21.1	14.4
राज्य के अपने करेतर राजस्व	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	55,657 (1.3)	59,191 (1.3)	16.1	6.3
ख) केंद्र को अंतरण	37,133 (4.9)	61,874 (4.0)	1,07,490 (4.2)	1,70,774 (4.8)	2,18,691 (5.3)	2,53,504 (5.5)	28.1	15.9
अंशदायी कर	19,790 (2.6)	37,608 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.6)	1,15,737 (2.8)	1,36,184 (2.9)	23.1	17.7
केंद्र के अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.2)	1,02,955 (2.5)	1,17,320 (2.5)	34.1	14.0
2. पूँजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (6.0)	1,64,607 (4.6)	1,43,307 (3.5)	1,61,112 (3.5)	-12.9	12.4
क) केंद्र से ऋण @	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	10,197 (0.2)	14,918 (0.3)	25.9	46.3
ख) अन्य पूँजी प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.4)	1,33,109 (3.2)	1,46,193 (3.2)	-15.0	9.8

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

@ : वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश, जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया था, अब आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि इस सारणी में सूचित 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े में तुलनात्मकता के लिए अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

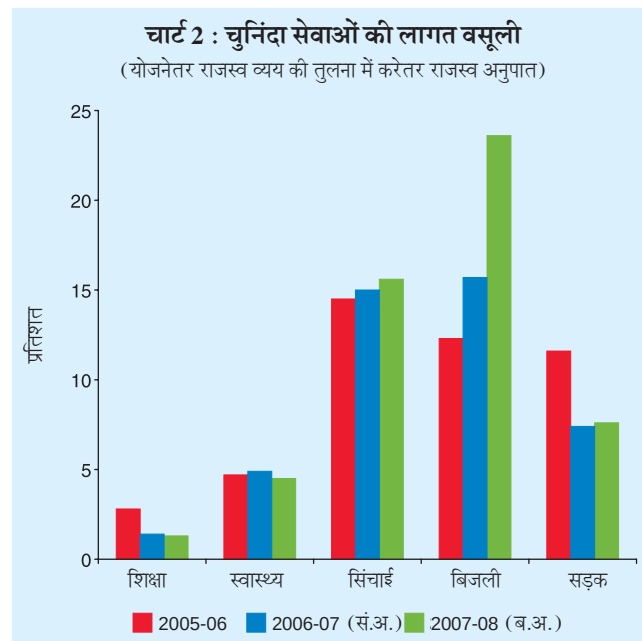
टिप्पणियां : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत अनुपात विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं। पूर्णांकन के कारण जोड़ नहीं मिलेगा।

3. पूँजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं। परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

1990 के दशक के मध्य से ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, 2007-08 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर राजस्व में मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सभी घटक राज्यों के अपने करों को बढ़ाने में योगदान देंगे (परिशिष्ट सारणी 3)। राज्यों के अपने करेतर राजस्व में वृद्धि के पिछले वर्ष के 16.1 प्रतिशत से घटकर 2007-08 के दौरान 6.3 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने करेतर राजस्व को 1.3 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं, विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं, से कम वसूली आंशिक तौर पर उनके कम करेतर राजस्व संग्रह को बतलाती है। 2007-08 में शिक्षा से 1.3 प्रतिशत, सार्वजनिक स्वास्थ्य से 4.5 प्रतिशत, सिंचाई से 15.6 प्रतिशत, विद्युत से 23.6 प्रतिशत और सड़क से 7.6 प्रतिशत लागत वसूली का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 7 और चार्ट 2)। इसके अलावा, उनके कमजोर कार्य निष्पादन के कारण राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों से लाभांशों और लाभों के रूप में वापसी काफी कम रही है। राज्य सरकारों के करेतर राजस्व को



बढ़ाने के लिए समुचित प्रयोक्ता प्रभारों को लगाकर और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की पुनर्संरचना करके लागत वसूली को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी 7 : चयनित सेवाओं की लागत वसूली
(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामाजिक सेवाएं								
क) शिक्षा \$	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	1.4	1.3
ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	4.9	4.5
आर्थिक सेवाएं								
क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.6
ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	15.7	23.6
ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.4	7.6

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

\$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है।

: यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है।

@ : यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए मार्ग परिवहन से संबंधित है।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है। अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एक बार की करेतर प्राप्ति प्राप्त की थीं जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई, ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशि, जो करेतर स्वरूप की नहीं हैं, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रु. तथा उत्तराखण्ड सरकार के मामले में 2004-05 में 134 करोड़ रु. को निकाल दिया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट प्रलेखों से संकलित।

IV.3.3 राजस्व व्यय

राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में पिछले वर्ष के 22.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, राजस्व व्यय पिछले वर्ष के 13.0 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 के दौरान 12.8 प्रतिशत हो जाएगा। राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति, ग्राम्य विकास, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण और परिवहन तथा संचार के कारण होगी। इसके अलावा, 2007-08 के दौरान ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवा और पेंशन के प्रावधानों में काफी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में से ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवा और पेंशन पर व्यय पिछले दो वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान कम होगा (चार्ट 3) (परिशिष्ट सारणी 4 भी देखें)।

IV.3.4 पूँजी प्राप्तियाँ

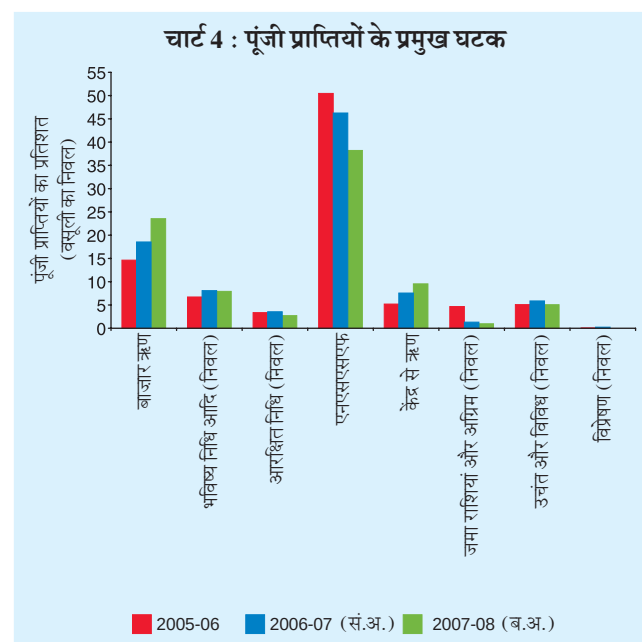
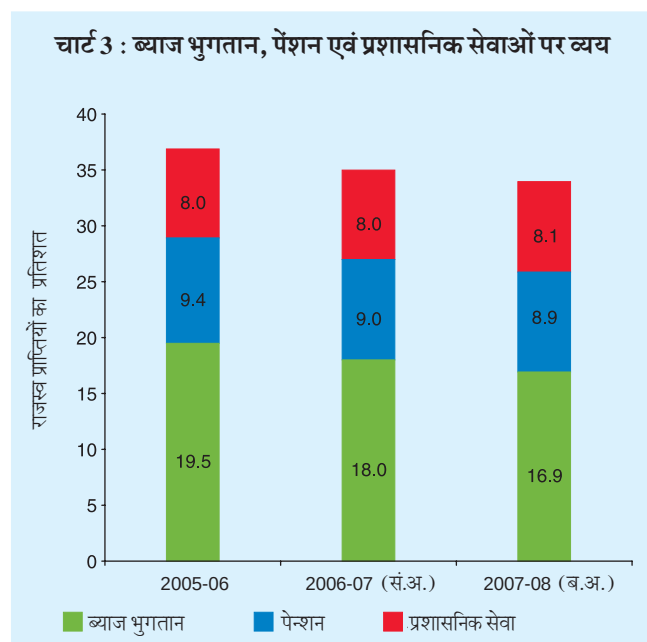
पूँजी प्राप्तियों में, मुख्य रूप से बाजार उधारों की बजट में अनुमानित राशि में तीव्र वृद्धि के कारण, पिछले वर्ष में 12.9 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2007-08 के दौरान 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस बात पर ध्यान देना सामयिक होगा कि राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ के लिए जारी

विशेष प्रतिभूतियों और ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली, दोनों के लिए क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 45.9 प्रतिशत का कम बजट अनुमान लगाया है (परिशिष्ट सारणी 5)।

केंद्र से लिए गए सकल ऋणों में, मुख्य रूप से राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए ऋणों के संबंध में प्रावधानन के कारण, पिछले वर्ष की 25.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 46.3 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है (विवरण 24)। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से लिए जाने वाले ऋणों को समाप्त किया जा रहा है। राज्य सरकारों को अपने योजना कार्यक्रमों के लिए बाजार उधारों का सहारा लेना होगा। राज्यों की कुल पूँजी प्राप्तियों (विशुद्ध वसूली) के अनुपात के रूप में पूँजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक चार्ट 4 में दिए गए हैं।

IV.3.5 पूँजी व्यय

राज्य सरकारों के कुल पूँजी व्यय में, पिछले वर्ष के 22.1 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर 2007-08 के दौरान 13.9 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है। पूँजी परिव्यय में संवृद्धि 2007-08 में पूँजी संवितरण में हुई वृद्धि का 66.3 प्रतिशत होगी जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय का प्रतिनिधित्व करेगी। जीडीपी के अनुपात



के रूप में, पूँजी परिव्यय पिछले वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जाएगा। पूँजी संवितरण (26.6 प्रतिशत) में एक चौथाई वृद्धि आंतरिक ऋण के उन्मोचन के कारण होगी। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के ऋणों और अग्रिमों में 8.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है (परिशिष्ट सारणी 6)।

IV.3.6 केंद्र से राज्य सरकारों को संसाधनों का डिवोलूशन और अंतरण

केंद्र से राज्य सरकारों को संसाधनों का सकल डिवोलूशन और अंतरण (अर्थात् बाँटने योग्य कर राजस्व, अनुदान और ऋण तथा अग्रिम) पिछले वर्ष के 28.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 के दौरान 17.3 प्रतिशत बढ़कर 2,68,422 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, केंद्र का सकल डिवोलूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 में 5.8 प्रतिशत होगा। यह कहा जा सकता है कि केंद्र का सकल डिवोलूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 33.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के कुल संवितरण के 35.0 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य बाँटने योग्य केंद्रीय करों में से एक बड़ा हिस्सा और केंद्र से काफी अधिक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं (परिशिष्ट सारणी-7) (केंद्र से राज्यों को संसाधनों के डिवोलूशन और अंतरण का विस्तृत ब्यौरा खंड VII में दिया गया है)।

IV.3.7 विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय

कुल संवितरण में विकासात्मक व्यय के हिस्से में 1990-91 में 69.6 प्रतिशत से 2005-06 में 58.8 प्रतिशत की सीधी गिरावट हुई है, जिसके साथ गैर-विकासात्मक व्यय के हिस्से में लगभग प्रतिकारी वृद्धि हुई है। तथापि, सकल व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा 2006-07 में 60.9 प्रतिशत बढ़ा (संशोधित अनुमान) तथा 2007-08 में इसके और बढ़कर 61.0 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकासात्मक व्यय को 2007-08 के दौरान 10.1 प्रतिशत पर रखा जाएगा, जो पिछले वर्ष के 10.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है (सारणी 8)। विकासात्मक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक

क्षेत्र के व्यय (सामाजिक सेवाओं, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम भण्डारण और ग्रामीण विकास सहित) को पिछले वर्ष की तरह 2007-08 के दौरान जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा जाएगा (चार्ट 5) (परिशिष्ट सारणी 8-13)।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-विकासात्मक व्यय, पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 5.3 प्रतिशत पर मामूली रूप से कम होगा। 2007-08 के दौरान गैर-विकासात्मक व्यय में प्रमुख वृद्धि ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन और विविध सामान्य सेवाओं के कारण होगी (परिशिष्ट सारणी 11)। 2007-08 के दौरान गैर योजना घटक विकासात्मक व्यय का 49.3 प्रतिशत और गैर विकासात्मक व्यय का 96.8 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 12)। राजस्व व्यय विकासात्मक व्यय का 72.3 प्रतिशत और गैर-विकासात्मक व्यय का 97.7 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 13)। जीडीपी के अनुपात के रूप में, योजनेतर गैर विकासात्मक व्यय को पिछले वर्ष के 5.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान मामूली रूप से कम अर्थात् 5.1 प्रतिशत पर रखा जाएगा। यह कहा जा सकता है कि प्रतिबद्ध व्यय जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं, में हाल के वर्षों में कुछ स्थायित्व के चिह्न दिख रहे हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, प्रतिबद्ध व्यय को पिछले वर्ष की तरह 2007-08 में 34.6 प्रतिशत पर रखा जाएगा। स्व राजस्व के अनुपात के रूप में, प्रतिबद्ध व्यय, वर्षों में, 59.5 प्रतिशत से घटकर 58.3 प्रतिशत हो जाएगा (विवरण 36 और 37 प्रतिशत)।

IV.3.7.1 सामाजिक क्षेत्र व्यय

राज्य सरकारों के कुल व्यय में, जिसमें इस दशक के पहले पांच सालों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी, सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य भण्डारण तथा गोदाम भण्डारण सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय के हिस्से में हाल के वर्षों में सुधार दिखा (चार्ट- 6)। 2000-05 के दौरान 32.5 प्रतिशत के औसत से, कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र के व्यय का अनुपात 2005-06 में 33.7 प्रतिशत और 2006-07 में 35.5 प्रतिशत तक और बढ़ा (संशोधित अनुमान)। 2007-08 में कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

सारणी 8 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये)

मदें	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (16.0)	2,33,441 (15.0)	4,37,299 (17.1)	5,61,682 (15.7)	6,87,946 (16.7)	7,66,620 (16.5)	22.5	11.4
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	98,009 (12.8)	1,93,816 (12.4)	3,40,752 (13.4)	4,38,034 (12.3)	5,36,995 (13.0)	5,94,760 (12.8)	22.6	10.8
ब्याज भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.4)	95,704 (2.3)	1,02,675 (2.2)	13.9	7.3
2. पूंजी व्यय जिसमें से:	24,261 (3.2)	39,625 (2.5)	96,547 (3.6)	1,23,648 (3.5)	1,50,951 (3.7)	1,71,859 (3.7)	22.1	13.9
पूंजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.2)	1,04,942 (2.5)	1,18,796 (2.6)	35.3	13.2
3. विकासात्मक व्यय	81,989 (10.8)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (9.3)	4,19,050 (10.2)	4,67,696 (10.1)	27.0	11.6
4. विकासेतर व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.3)	2,24,475 (5.4)	2,46,130 (5.3)	18.1	9.6
5. अन्य*	6,547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.2)	44,421 (1.1)	52,794 (1.1)	6.7	18.8

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है।

टिप्पणी : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं। पूर्णकन के कारण जोड़ नहीं मिलेगा।

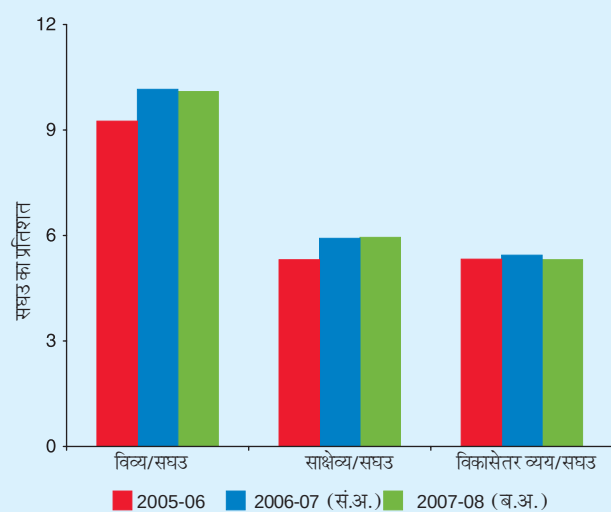
3. पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखें शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट IV की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के व्यय के अनुपात के 35.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 9)। जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक

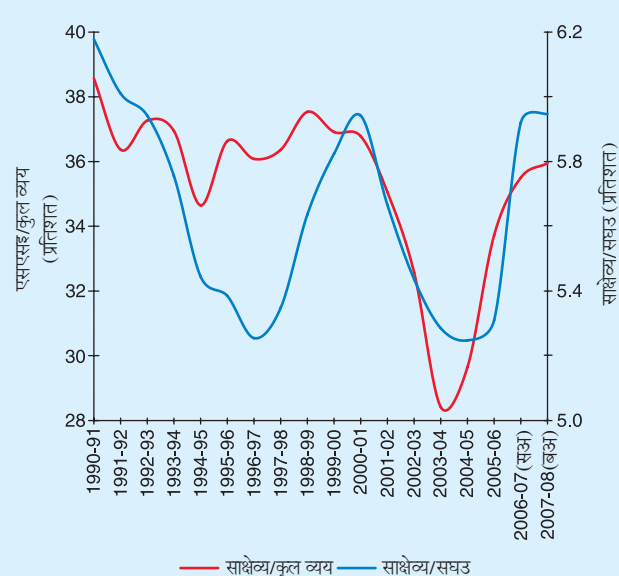
क्षेत्र का व्यय पिछले वर्ष की तरह 2007-08 में 5.9 प्रतिशत पर रखा जाएगा।

चार्ट 5 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय



विव्य : विकासात्मक व्यय
विकासेतर व्यय : विकासेतर व्यय

चार्ट 6 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां (साक्षेव्य)



सारणी 9 : राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.0	17.1	15.7	16.7	16.5
साक्षेव्य/सघउ	5.9	5.5	5.5	5.3	5.9	5.9
साक्षेव्य/कुल व्यय	36.8	36.7	32.5	33.7	35.5	35.9
सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान। औ. : औसत साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र के व्यय स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज						

1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना के अनुसार, राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम क्रमशः 93.3 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत थे। हाल के वर्षों में पूंजी व्यय के हिस्से में, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के सकल व्यय के पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं, कुछ सुधार हुआ है (सारणी 10)। फिर भी, सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए राज्यों के प्रत्यक्ष व्यय (अर्थात् पूंजी परिव्यय) राज्य सरकारों के सामाजिक क्षेत्र के सकल व्ययों का एक छोटा हिस्सा है। सामाजिक सेवाओं का व्यय (बारह उप शीर्षों को शामिल करते

सारणी 10 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां

(एसएसई का प्रतिशत)

मद	राजस्व व्यय	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	78.9	3.8	2.4	85.1
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	0.0	14.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.1	0.0	0.9
जोड़	93.3	4.3	2.4	100.0
1995-96 से 1999-00 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	82.2	4.0	2.0	88.2
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	0.0	10.6
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.1	0.1	0.1	1.2
जोड़	93.4	4.5	2.1	100.0
2000-01 से 2004-05 (औसत)				
सामाजिक सेवाएं	80.8	5.5	2.0	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	0.0	10.2
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	1.4
जोड़	90.3	7.6	2.1	100.0
2005-06				
सामाजिक सेवाएं	78.7	7.5	1.1	87.2
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	0.0	11.4
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.9	0.1	0.4	1.1
जोड़	88.9	9.7	1.5	100.0
2006-07 (सं.अ.)				
सामाजिक सेवाएं	77.4	8.4	1.4	87.2
ग्रामीण विकास	9.1	2.4	0.0	11.5
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.3	0.3	1.3
जोड़	87.2	11.1	1.8	100.0
2007-08 (ब.अ.)				
सामाजिक सेवाएं	76.6	8.5	2.6	87.7
ग्रामीण विकास	9.0	2.3	0.0	11.3
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.5	0.1	0.4	1.0
जोड़	86.1	10.9	3.0	100.0

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान।
टिप्पणी : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण जोड़ मेल नहीं मिलेगा।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 11 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संयोजन

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	45.8	44.1
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.7	11.3
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.5	2.0	1.7	1.7	1.6
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.7	7.6
(ङ) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	3.0	4.6
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	6.4	8.1
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	7.3	7.4
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.6	7.1
(त्र) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.4
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	3.8	2.1
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.7	2.6

औ. : औसत

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

ब.अ. : बजट अनुमान।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

हुए) सामाजिक क्षेत्र के व्यय का प्रमुख घटक है, इसके पश्चात ग्रामीण विकास और खाद्य भण्डारण और गोदाम भण्डारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में, जो 1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्यों के व्यय का क्रमशः 52.2 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत था, गिरती प्रवृत्ति दिखी है। दूसरी तरफ, आवास, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण जैसी सेवाओं पर व्यय के हिस्से में वृद्धि दिखी है (सारणी 11 और परिशिष्ट सारणी 16 और 17)। सामाजिक क्षेत्र के व्यय की राज्य-वार तस्वीर विवरण 47 और 48 में प्रस्तुत की गई है।

IV.3.7.2 मजदूरी और वेतन तथा परिचालनों और रख-रखाव पर व्यय

मजदूरी और वेतन तथा परिचालन और रखरखाव के भी आंकड़े सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त होने के पश्चात उक्त आंकड़ों को मिलाने का प्रयास किया गया है (सारणी 12)।

परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय की सीमा सरकार की पूंजी आस्तियों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। बारहवें वित्त

आयोग ने इस सीमा को बढ़ाने पर जोर दिया था और इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदानों की भी सिफारिश की है। कुल राजस्व व्यय में परिचालन और रखरखाव व्यय के अनुपात में, कुल मिलाकर, वर्षों के दौरान धीरे-धीरे गिरावट दिखी (विवरण 45)। दूसरी तरफ, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बढ़ा, लेकिन 2000-01 के 39.1 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से 2006-07 (सं.अ.) में 27.8 प्रतिशत गिरा (विवरण 44)। कुल राजस्व में मजदूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक-चौथाई से अधिक) राजस्व व्यय में अंतर्निहित निम्नमुखी कड़ाई का एक प्रमुख कारक है। जीडीपी और राजस्व व्यय दोनों के अनुपात के रूप में, मजदूरी और वेतन पर व्यय हाल के वर्षों में स्थिर हुआ है। राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में मजदूरी और वेतन पर व्यय तथा पेंशन दायित्वों को नियंत्रित करने लिए उपाय किए हैं।

इस संदर्भ में यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढाँचे के पुनरीक्षण के लिए अक्टूबर 2006 में छठवां वेतन आयोग गठित किया है, यह आयोग अपने गठन के 18 महीनों के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जैसाकि पूर्व के वेतन आयोगों के साथ

सारणी 12 : राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघट का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघट का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.1
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	34.4	3.8	14,872	9.5	1.0
1998-99	71,234	35.6	4.1	17,710	9.6	1.0
1999-00	86,285	36.4	4.4	17,522	8.2	0.9
2000-01	94,507	39.1	4.5	19,529	8.1	0.9
2001-02	93,008	36.3	4.1	19,591	7.6	0.9
2002-03	94,717	35.1	3.9	22,438	8.3	0.9
2003-04	98,741	32.0	3.6	25,464	8.3	0.9
2004-05	1,03,924	31.1	3.3	29,163	8.8	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.9	33,976	9.5	1.0
2006-07 (सं.अ.)	1,23,270	27.8	3.0	42,081	9.5	1.0
2007-08 (ब.अ.)	1,30,483	29.4	2.8	44,418	10.0	1.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान। ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. विवरण 44 और 45 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है। प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।

2. राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

अनुभव किया गया है, राज्य सरकारों ने, कुल मिलाकर, अपने कर्मचारियों के वेतन ढाँचे को सुधारने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने वेतन आयोग गठित किए हैं। विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह दी गई है कि यदि राज्यों द्वारा सिफारिशों को मान लिया गया है तो राजकोषीय विवेकशीलता और राज्य वित्तों पर हुए संभावित प्रभाव पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह उल्लेख करना भी सामयिक (जैसाकि बारहवें वित्त आयोग ने नोट किया है) होगा कि राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के पश्चात, राज्य वित्तों में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में गिरावट महसूस की गई। इसलिए राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारी क्षमता, जनसंख्या के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए अपेक्षित

संपूरक व्यय पर समुचित विचार करने के पश्चात, वेतन से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

IV.3.8 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को बनाने के संदर्भ में, योजना आयोग ने राज्यों के संसाधनों पर एक कार्य दल बनाया है। ग्यारहवीं योजना के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सकल योजना संसाधनों के दसवीं योजना के तदनुसूची आंकड़ों के 2.4 गुना होने का आकलन किया गया है (बॉक्स 5)। 2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों का सकल अनुमोदित परिव्यय 2,25,642 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष के 31.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 26.0 प्रतिशत कम वृद्धि दर्ज कर रहा है। राज्य सरकारों के योजना परिव्ययों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण 30 में दिया गया है।

बॉक्स 5 : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए राज्यों के संसाधनों पर बने कार्यदल की रिपोर्ट

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए वित्तीय संसाधनों (योजना आयोग) पर बनी संचालक समिति ने डॉ. ई.ए.एस.शर्मा की अध्यक्षता में ग्यारहवीं योजना के लिए राज्यों के संसाधनों की प्रवृत्तियों और अनुमानों का परीक्षण करने के लिए जनवरी 2006 में एक कार्यदल बनाया। कार्यदल ने विस्तार से कर संसाधनों, करेतर संसाधनों और व्ययों का विश्लेषण करने के लिए तीन उप समूह गठित किए थे। राज्यों के संसाधनों पर बने कार्यदल ने जुलाई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना व्यय के वित्तीयन के लिए अपेक्षित सकल योजना संसाधनों का अनुमान लगाया है, जिसे योजनेतर व्यय को घटाकर (योजनेतर राजस्व व्यय और योजनेतर पूँजी व्यय शामिल है) को घटाकर सकल प्राप्तियों के रूप में (योजना अनुदानों को छोड़कर वर्तमान राजस्व, गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां और निवल उधार शामिल हैं) परिभाषित किया गया है। योजना अनुदानों को छोड़कर वर्तमान राजस्व और योजनेतर राजस्व व्यय के बीच अंतर चालू राजस्व के शेष को बतलाता है।

जीएसडीपी से संबंधित कार्य समूह की मान्यताओं और राजस्व तथा व्यय दोनों पक्षों में सकल योजना संसाधनों के विभिन्न घटकों के आधार पर, ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सकल संसाधनों के 14,09,160 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार ग्यारहवीं योजना के लिए सकल योजना संसाधनों के, दसवीं योजना के तदनुसारी आंकड़े से, 2.4 गुना होने का अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि में सहयोग करने वाला प्रमुख कारक राज्यों के अपने संसाधनों में समग्र सुधार है, जिसने राज्यों के चालू राजस्व के शेष में अपेक्षित महत्वपूर्ण सुधार में मुख्य रूप से योगदान किया। ग्यारहवीं योजना के लिए सकल संसाधनों के अनुमानों के ब्यौरे सारणी में दिए गए हैं।

समूह ने राज्यों के ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के वित्तीयन के संदर्भ में विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की। इन पर नीचे चर्चा की गई है :

- 1. रिपोर्ट में राज्य स्तर पर और अधिक राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि राज्यों को भविष्य में बाजार से और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी।
- 2. योजना व्यय के वित्तीयन की वर्तमान प्रणाली, जब उधार का राज्य की ऋण समर्थता और निधियों के अंतिम प्रयोग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, कई राज्यों के राजकोषीय दबाव के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है।
- 3. वर्षों के दौरान योजना व्यय की गुणवत्ता में मजदूरी और वेतन के अधिक हिस्से के कारण गिरावट आई है। इसलिए राजकोषीय स्वस्थता और उधार की योग्यता के बीच समुचित संबंध स्थापित करना आवश्यक है।
- 4. राज्य के कुल उधारों को ऋण (जीएसडीपी के सापेक्ष में) और राजकोषीय घाटे की वांछित सीमाएं तय करके नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन सीमाओं को वृद्धि दर, ब्याज दर, जीएसडीपी की तुलना में वर्तमान ऋण अनुपात और एक वांछित सीमा तक राजस्व प्राप्तियों के सापेक्षिक ब्याज भुगतानों को सीमित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे अनिवार्य

सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वित्तीयन के लिए पर्याप्त वर्तमान संसाधन उपलब्ध हो सकें। इन सीमाओं को राज्यों द्वारा स्वयं-निर्धारित और स्वयं पर लागू करना चाहिए और आकस्मिक देयताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

- 5. कार्य दल की राय में, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बनी ऋण परिषद की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हरेक राज्य के मामले में, राज्य स्तर के ऋण की वहनीयता का निरंतर आधार पर विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा परीक्षण किया जाए। इससे राज्यों के लिए उधार सीमा निश्चित करने वाली प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता मिलेगी। इसके अलावा, यह विचार है कि वित्त मंत्रालय प्रति वर्ष वैश्विक उधार की सीमा निर्धारित करे और राज्यों को ऋण जुटाने के पैटर्न निर्धारित करने की अनुमति दे।
- 6. आगामी वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात की सीमाओं में संभावित कटौती को देखते हुए, राज्यों को गैर-एसएलआर भ्रोंतों से उधार लेना होगा, जिस पर और अधिक ब्याज देना होगा। इस मुद्दे को सावधानी पूर्वक वित्त मंत्रालय द्वारा देखे जाने और कर मुक्त गैर-एसएलआर बांड निर्गम करके राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- 7. यद्यपि जीडीपी/जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का सहयोग बढ़ रहा है, राज्य इससे राजस्व उगाहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि संबंधित सांविधिक प्रावधान राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति नहीं देते हैं। कार्यदल ने महसूस किया है कि योजना आयोग/वित्त मंत्रालय राज्यों को इस बात के लिए मनाने पर विचार करें कि वे स्वयं के द्वारा किए गए समुचित सांविधिक परिवर्तनों से सामान्य माल और सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ें।
- 8. रिपोर्ट में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रसार की बात कही गई है, जिससे राज्यों के लिए निधियों का अंतरण फार्मूला आधारित होने के बजाय विवेकाधीन अधिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृत्ति के राजकोषीय संघवाद के हित में उलट दिए जाने की आवश्यकता है। कार्यदल ने महसूस किया है कि केंद्रीय योजना सहायता के समग्र वितरण की प्रक्रिया को सामान्य रूप से पारदर्शी और फार्मूलायुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय को अधिक भार देकर अंतरण में अंतर-राज्य इक्विटी को सुधारने के लिए गाडगिल मुखर्जी फार्मूला को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
- 9. योजना और योजनेतर में व्यय के वर्तमान वर्गीकरण ने संसाधनों के आबंटन को विकृत कर दिया है, ऐसी विकृति योजनाओं का आकार बड़ा रखने और उत्तरोत्तर बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करने के प्रयास के कारण आई है। कार्यदल की राय है कि इस अंतर को दूर किया जाए तथा इसके बजाय व्यय को सिर्फ विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

संदर्भ :

भारत सरकार (2007); राज्यों पर बने कार्यदल की रिपोर्ट, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए संसाधन (2007-2012), योजना आयोग, जुलाई।

सारणी: ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए संसाधन अनुमान -वर्तमान मूल्यों पर

(करोड़ रुपए)

मद	विशेष वर्ग के राज्य	गैर-विशेष वर्ग के राज्य	कुल	कुल राज्य संशाप्र #
1	2	3	4	5
सकल योजना संसाधन (1 से 4)	1,37,913	11,87,639	13,25,552	14,09,160
1. बीसीआर	-31,216	4,23,146	3,91,930	4,41,742
जिसमें से:				
क) स्वकर राजस्व	71,196	18,29,885	19,01,082	19,85,801
ख) करेतर राजस्व	38,733	3,23,161	3,61,894	3,73,617
ग) केंद्रीय करों में हिस्सा	81,946	9,36,635	10,18,581	10,22,231
घ) योजनेतर अनुदान	58,090	75,679	1,33,770	1,36,392
ड) योजनेतर राजस्व व्यय	2,81,182	27,42,214	30,23,396	30,75,897
2. केंद्रीय सहायता	1,27,741	74,453	2,02,194	2,20,382
3. योजना अनुदान	1,526	9,131	10,656	11,584
4. निवल उधार	39,862	6,80,909	7,20,772	7,35,453

: संघ शासित प्रदेश में विधायन के सहित और रहित दोनों शामिल हैं।

सारणी 13 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	प्राथमिक राजस्व शेष	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5
1999-00	54,548 (2.8)	90,099 (4.6)	9,907 (0.5)	45,458 (2.3)
2000-01	55,316 (2.6)	87,923 (4.2)	4,331 (0.2)	36,937 (1.8)
2001-02	60,398 (2.6)	94,260 (4.1)	-1,198 (-0.1)	32,665 (1.4)
2002-03	57,179 (2.3)	99,726 (4.1)	-11,848 (-0.5)	30,699 (1.2)
2003-04 (पावर बांडों का निवल)	63,407 (2.3)	1,20,631 (4.4)	-16,989 (-0.6)	40,235 (1.5)
2004-05	39,158 (1.3)	1,07,774 (3.4)	-47,263 (-1.5)	21,353 (0.7)
2005-06	7,013 (0.2)	90,084 (2.5)	-77,011 (-2.2)	6,060 (0.2)
2006-07 (सं.अ.)	5,566 (0.1)	1,13,913 (2.8)	-90,139 (-2.2)	18,209 (0.4)
2007-08 (ब.अ.)	-11,973 (-0.3)	1,08,323 (2.3)	-1,14,648 (-2.5)	5,648 (0.1)

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

ब.अ.: बजट अनुमान।

ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

2. राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपये के पावर बांड जारी किए हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4 मूल्यांकन

IV.4.1 समेकित स्थिति

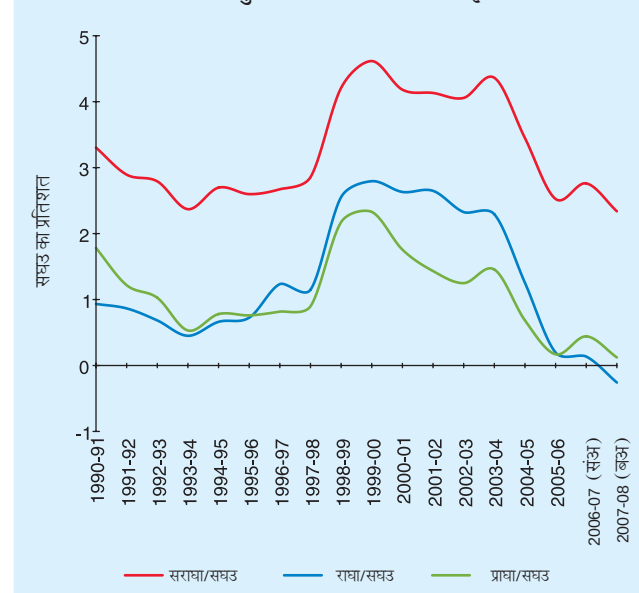
सारणी 13 और चार्ट 7 में दिए गए प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति 1990 के दशक के उत्तरार्ध से क्रमिक गिरावट दर्जा करने के पश्चात, हाल के वर्षों में दिखे महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है (परिशिष्ट सारणी 1 भी देखें)।

राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए, राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान जीएफडी - जीडीपी अनुपात में 2.3 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट) की कटौती का अनुमान लगाया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में 2005-06 (खाते) की तुलना में 2006-07 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखी, ऐसा राजस्व घाटे में गिरावट के बावजूद पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण हुआ। 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे में बजट में अनुमानित सुधार राजस्व खाते में परिकल्पित टर्नअराउंड पर आधारित है, जिसमें जीडीपी के 0.3 प्रतिशत का अधिशेष दिखाने का बजट अनुमान लगाया गया है (पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत अंक का सुधार)। पीडी-जीडीपी अनुपात के पिछले वर्ष के 0.4 प्रतिशत से गिरकर 0.1 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। पूँजी परिव्यय- जीडीपी अनुपात पूर्ववर्ती वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया

है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकारों ने दो दशक के पश्चात राजस्व खाते में समेकित अधिशेष का बजट अनुमान लगाया है।

IV.4.2 घाटे में राज्य-वार सुधार

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, राज्यों के बीच व्यापक अंतर है। 2007-08 के दौरान बीस राज्यों ने राजस्व अधिशेष बजट प्रस्तुत किए हैं। तथापि, पन्द्रह राज्यों ने और

चार्ट 7 : प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियाँ


राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

अधिक सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लगाया है। केवल कुछ राज्यों में परिकल्पित समग्र सुधार का अधिकांश हिस्सा दिखा। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का 2007-08 के दौरान राजस्व खाते में सुधार 85 प्रतिशत और जीएफडी में सुधार 73 प्रतिशत होगा।

बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने राजस्व शेष में क्रमशः 4,236 करोड़ रुपए, 3,703 करोड़ रुपए, 2,787 करोड़ रुपए और 1,802 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। असम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड जैसे विशेष वर्ग के राज्यों के बीच क्रमशः 1,528 करोड़ रुपए, 875 करोड़ रुपए और 586 करोड़ रुपए के सुधार का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, राज्यों के समेकित राजस्व शेष में सुधार काफी हद तक ऊपर उल्लिखित राज्यों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर होगा (सारणी 14)।

इसके अलावा, महाराष्ट्र और बिहार ने 2007-08 के दौरान अपने सकल राजकोषीय घाटे में क्रमशः 4,462 करोड़ रुपए और 3,738 करोड़ रुपए के सुधार की कल्पना की है, ये दोनों मिलकर सभी राज्यों के द्वारा प्रस्तावित कुल जीएफडी सुधार की तुलना में अधिक हैं। गैर विशेष वर्ग के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (1,395 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (1,186 करोड़ रुपए), हरियाणा (992 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (933 करोड़ रुपए) ने 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 के दौरान और अधिक सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लगाया है। असम (1,583 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (417 करोड़ रुपए) जैसे विशेष वर्ग के राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है, जबकि जम्मू और कश्मीर (576 करोड़ रुपए), हिमाचल प्रदेश (246 करोड़ रुपए) और त्रिपुरा (203 करोड़ रुपए) ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रस्तावित की है। 2007-08 के दौरान राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा सुधार गैर-विशेष वर्ग में महाराष्ट्र और बिहार तथा विशेष वर्ग में असम के राजकोषीय कार्य निष्पादन पर काफी हद तक निर्भर होगा।

IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन

सभी राज्य सरकारों के अपने बजट दस्तावेजों के आधार पर समेकित सकल राजकोषीय घाटे के वियोजन से स्पष्ट है कि राजस्व खाते का अधिशेष 2007-08 में पूँजी व्यय का वित्तपोषण करेगा, जबकि राजस्व घाटा पिछले वर्ष में सकल राजस्व घाटे का 4.9 प्रतिशत था।

सारणी 14: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08 (ब.अ.)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2006-07 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत	2006-07 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-17	0.1	717	-17.5
2. बिहार	-4,236	28.2	-3,738	91.5
3. छत्तीसगढ़	-123	0.8	139	-3.4
4. गोवा	-27	0.2	35	-0.9
5. गुजरात	152	-1.0	-171	4.2
6. हरियाणा	-1,802	12.0	992	-24.3
7. झारखंड	-583	3.9	-788	19.3
8. कर्नाटक	1,205	-8.0	933	-22.8
9. केरल	-665	4.4	-906	22.2
10. मध्य प्रदेश	-243	1.6	121	-3.0
11. महाराष्ट्र	-3,703	24.7	-4,462	109.2
12. उड़ीसा	-298	2.0	104	-2.5
13. पंजाब	-351	2.3	389	-9.5
14. राजस्थान	-118	0.8	319	-7.8
15. तमिलनाडु	-145	1.0	1,186	-29.0
16. उत्तर प्रदेश	-2,787	18.6	1,395	-34.1
17. पश्चिम बंगाल	-1,252	8.3	-352	8.6
कुल (क)	-14,994	100.0	-4,086	100.0
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	258	-10.1	-118	7.8
2. असम	-1,528	60.0	-1,583	105.3
3. हिमाचल प्रदेश	196	-7.7	246	-16.4
4. जम्मू और कश्मीर	-875	34.4	576	-38.3
5. मणिपुर	372	-14.6	-122	8.1
6. मेघालय	-170	6.7	-3	0.2
7. मिजोरम	14	-0.5	-175	11.6
8. नागालैंड	-199	7.8	-157	10.4
9. सिक्किम	65	-2.5	46	-3.1
10. त्रिपुरा	-92	3.6	203	-13.5
11. उत्तराखंड	-586	23.0	-417	27.7
कुल (ख)	-2,544	100.0	-1,504	100.0
कुल योग (क + ख)	-17,539	100.0	-5,590	100.0
ज्ञापन म दें :				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,049	—	938	—
2. पुदुचेरी	55	—	269	—
सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।				
— : लागू नहीं.				
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।				

तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटे में पूँजी परिव्यय का हिस्सा वर्ष के दौरान 92.1 प्रतिशत से बढ़कर 109.7 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 18)। एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियाँ सकल राजकोषीय

बॉक्स 6: राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा

हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी प्रतिभूतियां प्रबल स्रोत के रूप में उभरी हैं, जो राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण का दो-तिहाई हैं। 1999 में स्थापित, एनएसएसएफ केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अप्रैल 1999 और मार्च 2000 के बीच, एनएसएसएफ के निवल लघु बचत संग्रहों को राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में 75:25 के अनुपात में निवेश किया जाता था जिसे 2000-01 में संशोधित कर 80:20 कर दिया गया। 2002-03 से 2006-07 तक एनएसएसएफ में जमा संपूर्ण निवल संग्रह को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के विरुद्ध राज्यों को अंतरित कर दिया जाता था। इन प्रतिभूतियों की 25 वर्ष की अवधि होती है जिसमें पुनर्भुगतान पर प्रारंभिक पाँच वर्षों का स्थगन होता है। राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दर को धीरे-धीरे घटाकर 1999-2000 में 13.5 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत, एनएसएसएफ के विरुद्ध राज्यों के ऋण बकायों पर बनी राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, 2007-08 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया कि एनएसएसएफ में राज्यों के हिस्से को घटाकर निवल संग्रहों का 80 प्रतिशत कर दिया जाए, जिसके साथ यह विकल्प रखा गया कि राज्य अपने निवल संग्रहों का 100 प्रतिशत ले सकते हैं। इसके अलावा, 1999-2000 से 2002-03 तक राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज दर को 1 अप्रैल 2007 से 10.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्यों से अपेक्षा है कि वे 2002-03 से 2004-05 के दौरान ऋण स्वैप योजना के अन्तर्गत केंद्र के प्रति अपनी उच्च लागत वाली देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिए एनएसएसएफ के प्रवाहों के एक भाग (पहले वर्ष 20 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 30 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 40 प्रतिशत) का उपयोग करें। ऋण स्वैप योजना को समाप्त किए जाने से, राज्य 2005-06 से संपूर्ण लघु बचत संग्रह का उपयोग कर सकते हैं, जबकि 2004-05 में केवल 60 प्रतिशत का उपयोग कर सकते थे। 1 अप्रैल 2007 को संग्रहों के विरुद्ध राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश 4,49,892 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

1999-2002 के दौरान (राज्य सरकारों के लिए 75/80 प्रतिशत हिस्सा) एनएसएसएफ ने औसतन, राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 34 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 2002-03 से राज्य सरकारों के हिस्से में 100 प्रतिशत वृद्धि से, एनएसएसएफ के प्रवाहों ने, औसतन, 2002-07 की अवधि के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 53 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 1 अप्रैल 2007 से हिस्से में 80 प्रतिशत तक कटौती के फलस्वरूप, एनएसएसएफ के द्वारा राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के 48.8 प्रतिशत को वित्तपोषित करने का अनुमान लगाया गया है।

एनएसएसएफ निधियों का एक स्वायत्त जोखिम है क्योंकि राज्य सरकारें इन उधारों का परिमाण अथवा लागत निर्धारित नहीं कर सकती हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्य सरकारों के पास अपनी वित्तीय आवश्यकताओं से अधिक निधियां इकट्ठी हो गईं। राज्य सरकारों के पास एनएसएसएफ निधियों का संचयन हाल के अतीत में निरंतर आधार पर नकदी अधिशेष के उच्च स्तर को बनाए रखने में दिखता है।

2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ से 53,679 करोड़ रुपए के अन्तर्वाह का अनुमान लगाया है जबकि केंद्रीय बजट में 46,990 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। छोटी बचतों में निवेश वर्ग पर पाबंदी और पाँच वर्ष व उससे अधिक परिपक्वता वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाओं में किए गए निवेश के लिए आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अन्तर्गत आयकर में छूट देने के कारण सावधि जमाओं की ओर रुझान ने राज्य सरकारों के लिए एनएसएसएफ से अन्तर्प्रवाह को 2005-06 के दौरान 73,815 करोड़ रुपए के शीर्ष स्तर से घटा दिया है।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2007), 'केंद्रीय बजट 2007-08', फरवरी।
2. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (2007), वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, अगस्त

घाटे की प्रमुख वित्तीयन की मदें बनी रहेंगी, यद्यपि हाल के रुझान के अनुसार निवल संग्रहों में प्रत्याशित गिरावट और एनएसएसएफ से उधार लेने के लिए राज्यों के न्यूनतम दायित्व को 100 प्रतिशत से उनके निवल संग्रहों के 80 प्रतिशत तक कम करने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय के कारण इसके हिस्से में गिरावट आएगी (बॉक्स 6)। तदनुसारी तौर पर सकल राजस्व घाटे के बड़े हिस्से, पिछले वर्ष के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 24.3 प्रतिशत, का वित्तपोषण बाजार उधारों द्वारा किया जाएगा (सारणी 15) (परिशिष्ट सारणी 19 और 20)।

IV.4.4 बजट के आंकड़ों में अंतर - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

पिछले तीन वर्षों के राज्य बजटों के साथ केंद्रीय बजट का अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्यों ने सामान्यतया केंद्र से अनुदान सहायता का अधिक अनुमान लगाया है जबकि राज्य बजटों में बटवारे योग्य केंद्रीय करों की राशि का कम अनुमान लगाया गया है। जहाँ तक, सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन का संबंध है,

एनएसएसएफ के प्रवाहों का, जिनका राज्य बजटों में सामान्यतया कम आकलन किया गया है, 2007-08 के दौरान राज्य बजटों में अधिक अनुमान लगाया गया है। केंद्र के ऋणों का राज्य बजटों में सामान्यतया अधिक आकलन किया गया है। बजट के इन शीर्षों के लिए राज्य बजट और केंद्रीय बजट के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़ों के अंतर सारणी 16 में दिए गए हैं।

2007-08 के राज्य बजटों में केंद्र के 6,267 करोड़ रुपए के बटवारे योग्य करों के कम आकलन और 17,737 करोड़ रुपए अनुदान के अधिक आकलन को देखते हुए, राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से भिन्न होंगी। इसलिए, राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से थोड़ा अधिक होगा।

सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में, 2007-08 के राज्य बजटों में केंद्र से ऋण और अग्रिम दोनों तथा एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों पर ऋण को क्रमशः 3,501 करोड़ रुपए और

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

सारणी 15 : सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2005-06 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.) तक

(जीएफडी के प्रति प्रतिशत)

मद	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0
1. सकल राजकोषीय घाटा	7.8	4.9	-11.1
2. पूंजी परिव्यय	86.1	92.1	109.7
3. निवल उधार	6.1	5.7	10.7
4. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	0.0	2.7	9.3
वित्तपोषण (1 से 11)			
1. बाजार उधार	17.0	16.8	24.3
2. केंद्र से ऋण	0.0	1.8	6.0
3. अल्प बचत / राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां	81.9	51.5	49.6
4. एल आइ सी. नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	4.5	5.6	6.8
5. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	11.6	9.6	11.4
6. आरक्षित निधि	5.8	4.2	3.9
7. जमा राशि और अग्रिम	8.1	1.6	1.4
8. उंचत और विविध	8.8	0.0	-1.3
9. विप्रेषण	0.1	0.3	0.0
10. अन्य	0.0	-2.8	-0.9
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-37.7	11.6	-1.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

6,689 करोड़ रुपए अधिक आकलित किया गया है। इस प्रकार, सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन पैटर्न केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों के बजट शीर्षों के अधिक आकलन/कम आकलन के कारण सही नहीं हो पाता है।

कहा जा सकता है कि 2007-08 के राज्य सरकारों के बजटों में, उनके राजस्व आधिक्य की समेकित स्थिति का 11,973 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) अनुमान लगाया गया है, जबकि सकल राजकोषीय घाटे का 1,08,323 करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि अनुदान सहायता के 17.8 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बट्टवारे योग्य केंद्रीय करों के 4.4 प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2007-08 के आंकड़ों के समायोजन पर, राज्य सरकारों का राजस्व आधिक्य 503 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.01 प्रतिशत) कम होगा। इसी प्रकार, सकल राजकोषीय घाटा 1,19,793 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.01 प्रतिशत) पर अधिक होगा। केंद्र के ऋणों के आंकड़ों और केंद्रीय बजट 2007-08 पर आधारित एनएसएसएफ के प्रवाहों और बाजार उधारों के आबंटनों (रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के समेकित वित्तीय पैटर्न सारणी 17 में दिये गए हैं। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन से एनएसएसएफ से प्रवाह, बाजार उधार और केंद्र के ऋणों में गिरावट आएगी।

सारणी 16 : बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (ब.अ.)			2006-07 (ब.अ.)			2007-08 (ब.अ.)		
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से मिलनेवाले साक्षा कर	90,002	94,959	-4,957 (-5.2)	109,420	113,448	-4,028 (-3.6)	136,184	142,450	-6,267 (-4.4)
2. सहायता अनुदान	78,297	77,275	1,023 (1.3)	99,291	83,098	16,193 (19.5)	117,320	99,583	17,737 (17.8)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	17,507	-9,687	27,194 (280.7)	4,827	-2,507	7,334 (292.6)	6,485	2,984	3,501 (117.3)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,128	86,990	-33,862 (-38.9)	59,141	83,490	-24,349 (-29.2)	53,679	46,990	6,689 (14.2)

* : ऋणात्मक (-) / सकारात्मक (+) संकेत केंद्रीय बजट के अनुमानों की तुलना में राज्य बजटों में कम आकलन / अधिक आकलन बनाते हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

सारणी 17 : सकल राजकोषीय घाटे (सराधा) का वित्तपोषण - 2007-08 (समायोजित)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (ब.अ.)		घट बढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (सराधा)	1,08,323 (100.0)	1,19,793 (100.0)	11,470	10.6
1. बाजार उधार*	26,307 (24.3)	34,436 (28.7)	8,129	30.9
2. केंद्र से ऋण @	6,485 (6.0)	2,984 (2.5)	-3,501	-54.0
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	53,679 (49.6)	46,990 (39.2)	-6,689	-12.5
4. एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भा.स्ते. बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	7,386 (6.8)	7,386 (6.2)	—	—
5. अल्प बचत और भविष्य निधि आदि	12,396 (11.4)	12,396 (10.3)	—	—
6. आरक्षित निधि	4,235 (3.9)	4,235 (3.5)	—	—
7. जमा राशियां तथा अग्रिम	1,515 (1.4)	1,515 (1.3)	—	—
8. उर्वर और विविध	-1,437 (-1.3)	-1,437 (-1.2)	—	—
9. विप्रेषण	-44 (0.0)	-44 (0.0)	—	—
10. अन्य	-973 (-0.9)	-973 (-0.8)	—	—
11. समग्र अधिशेष (-)/घाटा (+)	-1,225 (-1.1)	12,306 (10.3)	13,531	-1,104.4

* : वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत बंटन के अनुसार आंकड़े समायोजित।

@ : केंद्रीय बजट 2007-08 के अनुसार आंकड़े समायोजित।

‘—’ : कुछ नहीं

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सराधा का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज एवं रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

V. राज्य-वार राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन

हाल के वर्षों में, राज्य सरकारों की समेकित स्थिति में उल्लेखनीय राजकोषीय सुधार हुआ जैसा कि खंड IV में दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट है। तथापि, राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रबल वायदे के बावजूद सभी राज्यों में राजकोषीय सुधार एक समान नहीं रहा है। इस खण्ड में 2006-07⁴ के संशोधित अनुमानों पर आधारित राजकोषीय स्थिति के राज्य-वार मूल्यांकन दिए गए हैं क्योंकि बजट अनुमानों में सामान्यतया वास्तविक संशोधन हो जाता है।

यह विश्लेषण 15 राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिन्हें चार व्यापक समूहों अर्थात् (क) घाटा संकेतक (ख) राजस्व कार्य निष्पादन (ग) व्यय पैटर्न और (घ) ऋण स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। राजकोषीय संकेतकों को सामान्यतया वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अर्थ में व्यक्त किया जाता है और इसके स्रोत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज भी हैं। हाल के वर्षों में, राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जहाँ वे अनुपलब्ध हैं, का पिछले तीन वर्ष की वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है। 2003-06 (औसत) और 2006-07 (संशोधित अनुमान) के इन राजकोषीय संकेतकों के राज्य-वार आंकड़े क्रमशः सारणी 18 और 19 में दिए गए हैं। विशेष और गैर-विशेष

⁴ इस खण्ड में, 2005-06 (लेखा) के माध्यम से 2003-04 के वर्षद्वय के दौरान, औसतन, 2006-07 के संशोधित अनुमान की तुलना विद्यमान राजकोषीय स्थिति से की गई है।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

वर्ग के राज्यों के मामले में, प्रत्येक राजकोषीय संकेतक की माध्यिका का स्तर भी इन सारणियों में दिया गया है। राज्यों (विशेष और गैर-विशेष राज्य) को इन संकेतकों, जैसे क्यू1, जो बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दर्शाता है, पर आधारित उनके कार्य-निष्पादन के द्वारा समूहबद्ध किया गया है। प्रमुख राजकोषीय मानदंडों की विस्तृत राज्य-

वार सूचना विचरण-1 से 48 में दी गई है। समग्र स्थिति के अनुसरण में, विशेष और गैर-विशेष वर्ग के राज्यों के लिए राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण अलग-अलग किया गया है। राज्यों के प्रत्येक वर्ग के मामले में, तुलनाएं समय (दी गई राज्य सरकार के लिए राजकोषीय संकेतक के स्तर में परिवर्तन) और स्थान (किसी राजकोषीय संकेतक

सारणी 18: राजकोषीय संकेतक - 2003-04 से 2005-06 (औसत)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरूप				ऋण स्थिति	
	सराधा/सराघड	राधा/सराघड	प्राधा/सराघड	पीआरबी/सराघड	राधा/सराधा	राधा/राप्रा	ओटीआर/सराघड	ओएनटीआर/सराघड	सीटी/सराघड	विकास/सराघड	विकासेतर/सराघड	एसएसई/सराघड	सीओ/सराघड	ऋण/सराघड	आईपी/राप्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	3.9	1.0	0.5	-2.4	23.9	6.7	7.9	1.9	4.7	12.5	6.3	6.8	2.8	43.3	23.4
2. बिहार	5.4	0.0	-0.8	-6.1	-20.6	0.3	6.0	0.8	20.7	18.9	14.1	12.8	3.0	76.7	22.4
3. छत्तीसगढ़	3.2	-0.6	0.7	-3.2	-102.6	-2.3	8.0	2.9	6.9	14.8	5.6	9.1	3.1	29.4	14.8
4. गोवा	5.4	1.0	1.9	-2.5	19.2	5.5	9.0	7.5	2.5	17.1	7.3	8.0	4.4	45.3	18.7
5. गुजरात	4.4	1.6	1.2	-1.7	31.1	13.9	7.1	1.7	2.5	10.5	5.5	5.4	2.5	38.5	28.8
6. हरियाणा	1.9	-0.2	-0.6	-2.7	-131.4	-1.2	8.9	2.8	1.8	9.9	5.6	4.2	1.1	29.1	18.9
7. झारखंड	7.7	1.8	5.8	-0.1	17.8	10.7	5.8	2.9	9.0	18.1	7.3	11.9	4.4	30.5	10.9
8. कर्नाटक	2.7	-0.7	0.1	-3.2	-32.2	-3.8	10.5	2.5	4.2	12.7	6.6	6.6	3.0	29.9	14.9
9. केरल	4.7	3.5	1.2	0.0	74.6	26.3	8.7	0.8	3.6	10.0	7.9	6.7	0.7	42.3	26.6
10. मध्य प्रदेश	6.0	1.0	2.7	-2.4	11.3	7.5	7.6	2.6	7.3	16.5	7.1	7.5	4.5	42.5	19.2
11. महाराष्ट्र	4.8	2.0	2.5	-0.3	40.7	18.9	7.9	1.2	1.8	10.0	5.7	5.6	2.3	33.3	21.8
12. उड़ीसा	3.1	0.9	-2.5	-4.7	-32.0	5.3	7.0	2.2	10.6	12.7	10.6	8.1	1.7	62.9	28.2
13. पंजाब	4.4	3.1	0.2	-1.1	67.9	20.4	8.0	5.4	2.2	9.0	11.0	4.2	1.0	51.6	27.1
14. राजस्थान	5.5	1.9	1.1	-2.5	31.4	12.5	7.4	2.0	6.2	13.7	7.6	8.7	3.2	52.0	28.4
15. तमिलनाडु	2.4	0.1	0.0	-2.4	-15.4	1.1	10.2	1.2	3.6	10.5	6.4	6.9	2.2	30.2	16.7
16. उत्तर प्रदेश	5.7	4.0	1.3	-0.4	59.3	26.7	6.8	1.1	8.2	14.0	9.1	7.0	3.4	58.5	27.9
17. पश्चिम बंगाल	5.4	4.0	0.8	-0.6	75.1	42.5	4.7	0.5	4.5	7.6	7.5	4.8	0.7	48.2	48.3
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	11.4	-4.5	5.7	-10.1	-47.6	-7.0	1.9	6.2	54.0	54.9	18.6	25.3	15.8	78.0	9.1
2. असम	2.5	-0.3	-0.9	-3.6	162.5	-0.3	6.1	2.6	13.8	17.4	8.8	9.9	3.0	39.1	15.1
3. हिमाचल प्रदेश	8.5	4.8	0.7	-3.0	39.5	21.3	6.1	2.6	16.1	19.9	13.5	12.4	3.8	79.8	32.1
4. जम्मू और कश्मीर	3.9	-8.5	-1.8	-14.2	3,745.2	-18.1	6.7	2.8	37.8	32.6	18.6	15.2	12.2	77.9	12.1
5. मणिपुर	8.2	-3.2	2.4	-9.1	-51.4	-6.3	2.0	1.6	40.9	34.5	18.1	19.4	10.9	81.6	13.4
6. मेघालय	4.4	-0.7	1.0	-4.1	-22.2	-2.3	4.0	2.6	23.0	23.1	11.3	13.6	4.7	45.1	11.5
7. मिजोरम	11.4	-3.2	4.8	-9.7	-29.9	-5.7	1.5	3.0	50.5	48.2	19.0	24.7	14.0	105.6	11.8
8. नागालैंड	1.8	-5.6	-2.5	-9.9	69.7	-13.6	1.4	1.4	35.2	23.3	16.5	12.0	7.4	46.6	11.6
9. सिक्किम	8.1	-11.4	1.8	-17.7	-180.7	-10.3	8.0	53.8	49.8	54.8	65.0	29.9	19.5	74.3	5.8
10. त्रिपुरा	3.0	-4.5	-1.4	-8.8	-256.5	-13.7	3.1	1.8	27.0	21.8	12.7	13.3	7.5	58.8	13.8
11. उत्तराखंड	8.7	3.1	5.2	-0.4	33.9	15.2	7.0	2.5	11.3	19.8	9.1	11.3	5.1	48.1	17.0
सभी राज्य*	3.4	1.2	0.8	-1.4	32.2	11.0	5.8	1.4	4.5	9.4	5.8	5.3	2.0	32.9	23.1
जापन मर्दे :															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.5	-3.3	-0.2	-5.0	496.1	-34.2	7.8	1.2	0.6	8.0	3.1	4.4	1.3	18.4	17.5
2. पुदुचेरी	4.9	-0.1	1.9	-3.1	-2.7	-0.4	8.4	9.0	14.2	29.4	7.2	14.0	5.1	33.3	9.5

राधा : राजस्व घाटा.

सराघड : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सराधा : सकल राजकोषीय घाटा.

प्राधा : प्राथमिक घाटा.

पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष.

राप्रा : राजस्व प्राप्तियां

ओटीआर : स्वाधिकृत कर राजस्व

ओएनटीआर : स्वाधिकृत करेतर राजस्व

सीटी : चालू अंतरण

विकास : विकासात्मक व्यय

विकासेतर : विकासेतर व्यय

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र के व्यय

सीओ : पूंजी परिव्यय

आईपी : ब्याज भुगतान

* : सभी राज्यों के राजकोषीय संकेतक, राधा/सराधा/राधा/राप्रा तथा आईपी/राप्रा छोड़कर जीडीपी के प्रतिशत हैं।

टिप्पणी : 1. ऋण (-) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. सुस्पष्ट (मोटे) आंकड़े प्रदत्त संकेतक के लिए माध्यिका राज्यों से संबंधित हैं।

3. माध्यिका राज्य राज्यों को चढ़ते/उतरते क्रम में लगाने के बाद संकेतक के रूप में अत्यधिक मध्य राज्य है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 19 : राजकोषीय संकेतक -2006-07 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरूप				ऋण स्थिति	
	सराधा/सराधउ	राधा/सराधउ	प्राधा/सराधउ	पीआरबी/सराधउ	राधा/सराधा	राधा/राप्रा	ओटीआर/सराधउ	ओएनटीआर/सराधउ	सीटी/सराधउ	विकास/सराधउ	विकासेतर/सराधउ	एसएसई/सराधउ	सीओ/सराधउ	ऋण/सराधउ	आइपी/राप्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	3.0	0.0	0.0	-3.0	0.7	0.1	9.6	2.1	5.4	15.3	6.1	8.0	3.9	42.1	17.7
2. बिहार	10.4	1.1	4.6	-4.7	10.9	3.3	6.8	0.5	27.1	29.2	15.7	18.7	8.7	73.3	16.9
3. छत्तीसगढ़	2.9	-3.4	0.7	-5.5	-117.6	-14.1	10.7	2.9	10.4	20.2	6.2	13.5	5.1	28.7	8.9
4. गोवा	4.7	0.2	1.8	-2.7	4.9	1.4	7.9	6.1	2.9	15.5	6.2	7.1	4.5	39.6	17.0
5. गुजरात	2.5	-0.7	-0.3	-3.6	-29.2	-5.9	7.5	1.6	3.2	10.3	4.9	5.3	3.4	36.4	22.9
6. हरियाणा	0.6	0.6	-1.4	-1.4	100.8	4.1	9.1	2.6	2.0	11.6	4.3	4.8	1.7	24.5	14.3
7. झारखंड	9.8	2.0	8.4	0.6	20.7	10.7	5.8	2.7	10.4	22.1	6.7	13.8	5.1	40.0	7.7
8. कर्नाटक	2.8	-1.5	0.6	-3.6	-52.7	-7.5	12.3	2.2	5.1	15.1	6.5	8.0	4.1	27.5	11.1
9. केरल	6.1	4.4	2.9	1.1	71.0	31.2	8.8	0.8	4.4	10.4	8.3	7.2	1.2	40.2	23.4
10. मध्य प्रदेश	3.7	-1.4	0.5	-4.6	-38.9	-7.1	8.3	1.9	10.1	15.7	7.3	9.3	4.2	43.8	15.7
11. महाराष्ट्र	3.1	0.6	0.8	-1.7	20.4	5.3	8.1	1.1	2.9	9.8	5.4	6.0	2.1	32.4	19.5
12. उड़ीसा	1.3	-1.0	-3.3	-5.6	-81.2	-4.2	8.0	2.6	14.0	14.4	11.3	9.4	2.3	58.2	18.5
13. पंजाब	4.8	1.9	1.1	-1.8	39.4	11.0	8.4	5.1	3.7	11.1	10.8	5.1	2.8	47.7	21.6
14. राजस्थान	3.6	-0.1	-0.5	-4.2	-1.9	-0.4	8.1	2.3	7.8	14.4	7.7	9.3	3.8	50.8	22.5
15. तमिलनाडु	2.7	0.1	0.5	-2.2	3.7	0.6	11.6	1.2	3.9	12.7	6.5	7.8	2.6	28.4	13.6
16. उत्तर प्रदेश	3.6	-1.1	0.2	-4.6	-30.3	-5.6	8.0	1.8	9.9	14.3	8.1	8.4	4.6	55.9	17.7
17. पश्चिम बंगाल	4.5	3.2	0.4	-0.9	71.1	31.1	4.8	0.5	5.1	8.0	6.9	5.6	0.8	47.2	40.2
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	7.7	-12.5	1.4	-18.9	-162.8	-17.6	2.1	6.2	63.1	60.7	18.5	26.6	20.1	83.6	8.9
2. असम	7.2	1.2	3.0	-3.0	17.3	3.9	7.0	3.2	21.3	26.0	12.7	15.5	5.7	38.0	13.3
3. हिमाचल प्रदेश	3.9	0.2	-2.0	-5.7	4.9	0.8	5.4	3.1	16.1	17.3	11.2	10.7	3.8	65.1	24.0
4. जम्मू और कश्मीर	5.8	-7.6	1.0	-12.4	-131.0	-16.0	7.6	2.4	37.8	35.4	18.3	17.4	13.3	81.6	10.0
5. मणिपुर	4.3	-14.8	-0.9	-20.0	-340.7	-26.0	2.1	3.1	51.7	43.1	18.3	20.3	17.9	83.9	9.2
6. मेघालय	1.4	-5.4	-2.0	-8.8	-395.5	-13.8	4.3	2.8	32.2	29.4	11.5	15.6	6.4	45.9	8.7
7. मिजोरम	8.3	-5.1	1.8	-11.6	-61.2	-8.8	1.8	3.5	52.3	46.9	19.6	23.6	13.9	98.8	11.4
8. नागालैंड	5.3	-5.5	1.6	-9.1	-103.8	-14.8	1.6	1.1	34.0	27.2	14.9	13.2	10.7	45.2	9.9
9. सिक्किम	10.5	-23.4	4.4	-29.5	-222.8	-18.6	6.8	54.5	64.7	69.6	67.0	34.8	34.0	73.9	4.8
10. त्रिपुरा	4.6	-5.3	0.7	-9.2	-116.3	-17.2	3.4	0.7	26.7	21.7	13.2	13.7	9.8	54.0	12.6
11. उत्तराखंड	6.3	-1.2	2.9	-4.6	-19.1	-5.2	7.9	2.1	12.9	20.0	8.6	12.1	7.5	45.8	14.8
सभी राज्य*	2.8	0.1	0.4	-2.2	4.9	1.0	6.2	1.3	5.3	10.2	5.4	5.9	2.5	30.8	18.0
ज्ञापन मदे :															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.7	-3.6	-1.2	-5.4	-532.4	-34.7	8.4	1.2	0.7	7.1	3.6	4.6	1.7	21.4	18.0
2. पुदुचेरी	7.9	2.1	5.0	-0.8	27.0	7.5	8.5	8.3	11.8	28.7	7.9	12.9	5.9	52.9	10.4

टिप्पणी : सारणी 18 की टिप्पणियां देखें ।

के लिए शेष राज्यों के बीच राज्य सरकार की सापेक्षिक स्थिति) के बीच की जाती हैं। सारणी 18 और 19 पर आधारित राजकोषीय संकेतकों के व्यापक दायरे के लिए, दोनों प्रकार के राज्यों की सापेक्षिक राजकोषीय स्थिति चार्ट 8 से 13 के द्वारा भी प्रदर्शित की गई है।

V. 1 समग्र स्थिति - सभी राज्य

अधिकांश राजकोषीय संकेतकों के माध्यिका मूल्य में सुधार में दिखे अनुसार गैर विशेष और विशेष दोनों श्रेणियों के राज्यों का राजकोषीय निष्पादन 2003-06 की अवधि की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान बेहतर रहा (सारणी 20)।

तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से ऊंचा है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अधिक होती है, जैसाकि तुलनात्मक उच्च सीटी-जीएसडीपी अनुपात से दिखता है। इसके अलावा, विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास-जीएसडीपी, एसएसई-जीएसडीपी और सीओ-जीएसडीपी अनुपात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपातों की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। किंतु, विशेष श्रेणी के राज्यों संबंधी आइपी-आरआर अनुपात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत कम है।

सारणी 20 : राजकोषीय संकेतकों का माध्यिका मान				
(प्रतिशत)				
संकेतक	गैर विशेष श्रेणी राज्य		विशेष श्रेणी राज्य	
	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3	4	5
1. सराधा/सराघड	4.7	3.6	8.1	5.8
2. राधा/ सराघड	1.0	0.1	-3.2	-5.4
3. प्राधा/ सराघड	0.8	0.5	1.0	1.4
4. पीआरबी/ सराघड	-2.4	-3.0	-9.1	-9.2
5. राधा/ सराधा	19.2	3.7	-22.2	-116.3
6. राधा/ राप्रा	7.5	0.6	-6.3	-14.8
7. ओटीआर/ सराघड	7.9	8.1	4.0	4.3
8. ओएनटीआर/ सराघड	2.0	2.1	2.6	3.1
9. सीटी/ सराघड	4.5	5.1	35.2	34.0
10. विकास/ सराघड	12.7	14.4	23.3	29.4
11. विकासेतर/ सराघड	7.3	6.7	16.5	14.9
12. एसएसई/ सराघड	6.9	8.0	13.6	15.6
13. सीओ/ सराघड	2.8	3.8	7.5	10.7
14. ऋण/ सराघड	42.5	40.2	74.3	65.1
15. आइपी/ राप्रा	22.4	17.7	12.1	10.0

टिप्पणी : सारणी 18 तथा 19 पर आधारित ।

V.2 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

V.2.1 समग्र स्थिति

गैर विशेष श्रेणी के विभिन्न राज्यों के राजकोषीय निष्पादन में भारी भिन्नता है। हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों का राजकोषीय निष्पादन राजस्व अधिशेष (या निम्न राजस्व घाटा) और तुलनात्मक रूप से कम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के साथ बेहतर था। इन राज्यों का स्वयं का कर राजस्व तुलनात्मक रूप से अधिक होने से उन्हें केंद्र से कम अंतरण प्राप्त होते हैं। किंतु, वित्तीय रूप से दुर्बल बने रहे बिहार और झारखंड का विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय और पूंजी परिव्यय (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) तुलनात्मक रूप से अधिक था। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों का निष्पादन लगभग सभी राजकोषीय संकेतकों की दृष्टि से खराब रहा है।

V.2.2 घाटे के संकेतक

घाटे के संकेतकों के संदर्भ में राजकोषीय निष्पादन में सुधार विभिन्न राज्यों के संबंध में 2003-06 (औसत) अवधि की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में स्पष्ट रूप से दिखता है (चार्ट 8 क, ख और ग)(साथ ही विवरण 1-5 भी देखें)।

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के आरडी-जीएसडीपी अनुपात में स्पष्ट सुधार था जिसमें माध्यिका राज्य का अनुपात 2003-06 के

1.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 0.1 प्रतिशत हो गया था। 2006-07 (सं.अ.) में सात राज्य (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान) राजस्व अधिशेष की स्थिति में थे जबकि 2003-06 में तीन राज्य (छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हरियाणा) थे (सारणी 21 और चार्ट 8-ख)। ये राज्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा (आरडी) समाप्त करने के निर्धारित समय (मार्च 2009 की समाप्ति) के दो वर्ष पहले ही आरडी समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं। इसके अलावा, 2006-07 (सं.अ.) में तीन राज्यों का आरडी-जीएसडीपी अनुपात 0.5 प्रतिशत से कम था जबकि 2003-06 में दो राज्यों का ही था।

आरडी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शाते हुए जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ जिसमें माध्यिका राज्य का अनुपात 2003-06 के 4.7 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 3.6 प्रतिशत हो गया। पीडी-जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य भी उक्त अवधि में 0.8 प्रतिशत से सुधरकर 0.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 8-ग)। जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 2006-07 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सत्रह में से सात राज्यों (हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिल नाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश)

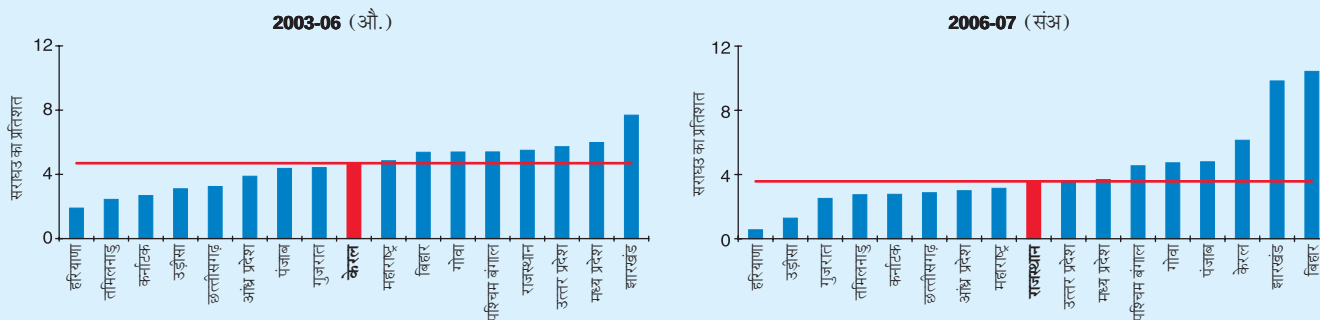
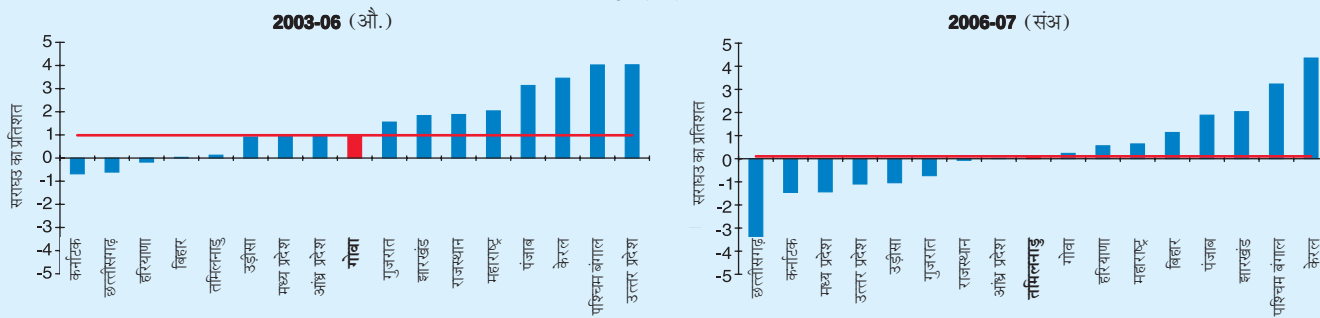
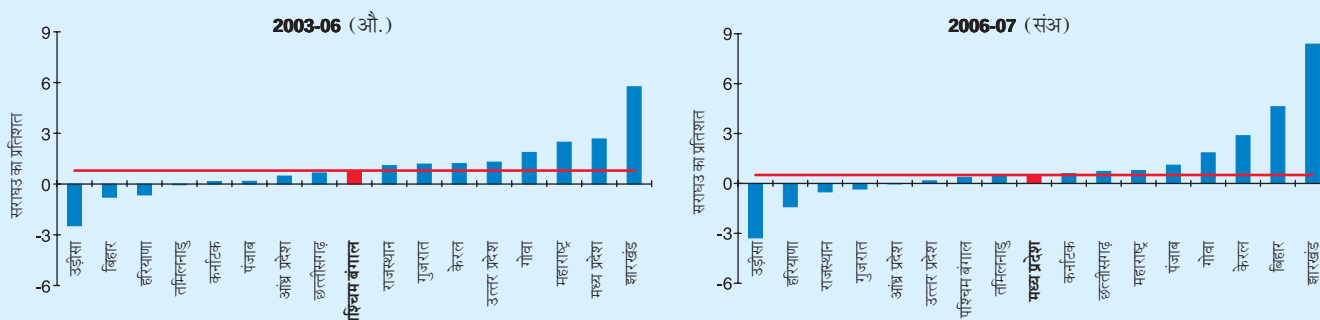
सारणी 21 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार वितरण		
दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा	छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान
0.5 से कम	बिहार, तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा
0.5 से 1.0	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश	हरियाणा, महाराष्ट्र
1.0 से 1.5	—	बिहार
1.5 से 2.0	गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र	पंजाब, झारखंड
2.0 से अधिक	पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल, केरल

औ. : औसत

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

टिप्पणियां : 1. सारणी 18 व 19 पर आधारित।

2. मोटे अक्षर माध्यिका राज्य को दर्शाते हैं।

चार्ट 8 : घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य
क. सकल राजकोषीय घाटा

ख. राजस्व घाटा

ग. प्राथमिक घाटा


में 3 प्रतिशत से कम था जबकि 2003-06 में इनकी संख्या तीन थी (हरियाणा, तमिल नाडु और कर्नाटक) (सारणी 22 और चार्ट 8-क)। यह उल्लेखनीय है कि ये सात राज्य जीएफडी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समय (मार्च 2010 की समाप्ति) से तीन वर्ष पहले ही प्राप्त कर सके हैं।

आरडी-जीएफडी अनुपात, जो चालू व्यय के लिए उधार के पूर्वक्रय की सीमा दर्शाता है, में भी 2003-06 (औसत) की तुलना में

2006-07(सं.अ.) में अनेक राज्य सरकारों के मामले में गिरावट दिखी। आरडी-जीएफडी माध्यिका मूल्य में 2003-06 (औसत) के 19.2 प्रतिशत से भारी सुधार हुआ और वह 2006-07 (सं.अ.) में 3.7 प्रतिशत हो गया। किंतु, कुछ राज्य सरकारों, यथा हरियाणा, बिहार, झारखंड और तमिल नाडु में आरडी-जीएफडी अनुपात में हास देखा गया। तीन राज्यों, नामतः हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल का आरडी-जीएफडी अनुपात 2006-07 (सं.अ.) के दौरान ऊंचा बना रहा।

2006-07 (सं.अ.) में 0.6 प्रतिशत पर आरडी-आरआर अनुपात के माध्यिका मूल्य में 2003-06 के 7.5 प्रतिशत (औसत) की तुलना में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। 2006-07 (सं.अ.) में आरडी-आरआर अनुपात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु (1.0 प्रतिशत से कम अनुपात) की तुलना में केरल (31.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (31.1 प्रतिशत), पंजाब (11.0 प्रतिशत) और झारखंड (10.7 प्रतिशत) के संबंध में अधिक था।

जीएसडीपी के अनुपात के रूप में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात् राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर) का माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 3.0 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक राजस्व घाटे या ब्याज भुगतान से प्राथमिक राजस्व के कम अधिशेष का अर्थ राज्य सरकारों द्वारा ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए निधि उधार लेना है। 2006-07 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के दो राज्यों, नामतः केरल और झारखंड में प्राथमिक राजस्व घाटा था। शेष पंद्रह राज्यों में से सात राज्यों के मामले में ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए प्राथमिक राजस्व अधिशेष पर्याप्त था। दूसरे शब्दों में, गैर विशेष श्रेणी के दस राज्यों ने 2006-07 (सं.अ.) में उनके संपूर्ण या आंशिक ब्याज भुगतानों के वित्तीयन के लिए उधार निधि का सहारा लिया था जो चिंता का मामला है।

सारणी 22 : सकल राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	हरियाणा	हरियाणा, उड़ीसा
2 से 3	तमिलनाडु, कर्नाटक	गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश
3 से 4	उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
4 से 5	पंजाब, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र	गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल
5 से अधिक	बिहार, गोवा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड	केरल, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

V.2.3 राजस्व निष्पादन

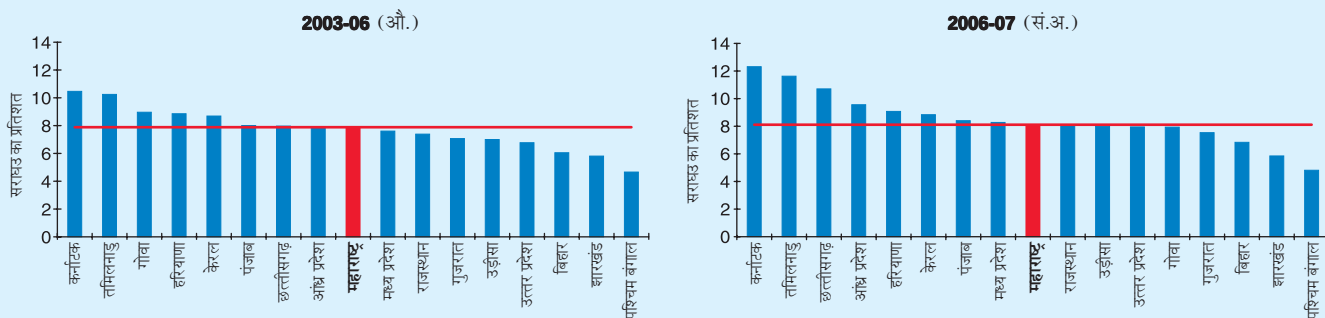
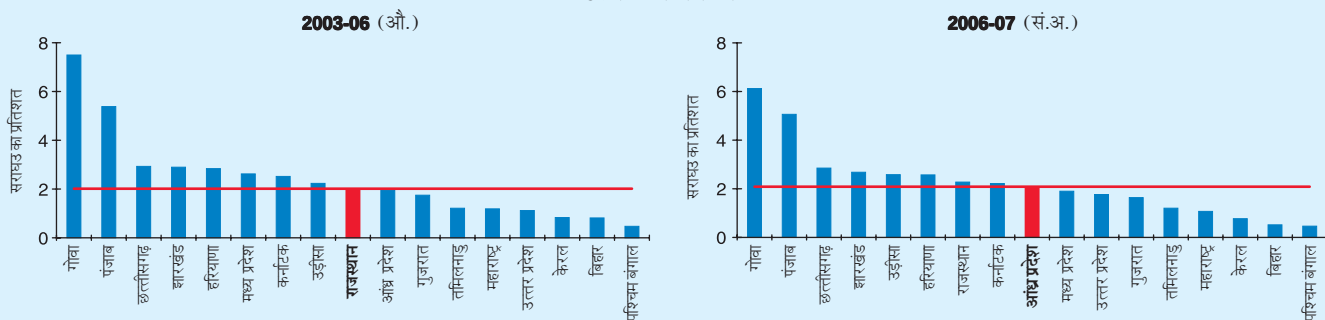
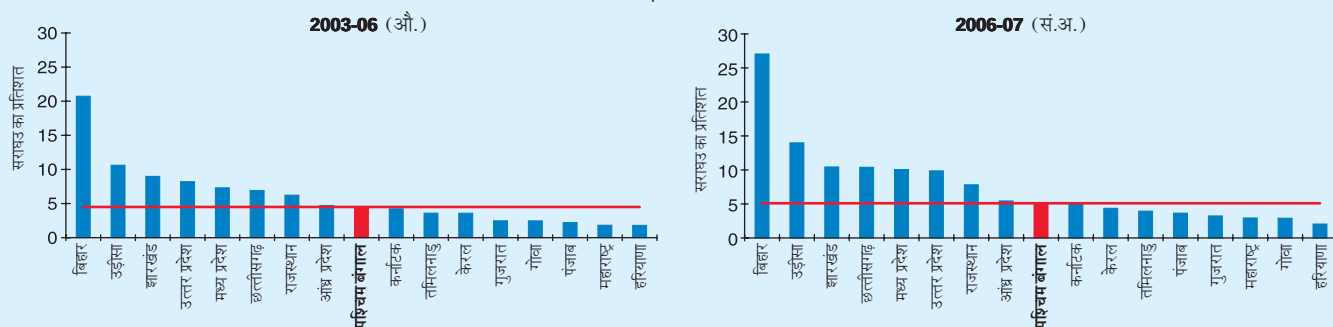
सभी राज्य सरकारों के स्वयं के कर राजस्व निष्पादन (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) में 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार हुआ जिसमें ओटीआर - जीएसडीपी माध्यिका मूल्य 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 9-ए) (विवरण 18-22 भी देखें)। 2006-07 (सं.अ.) के दौरान कर्नाटक (12.3 प्रतिशत), तमिल नाडु (11.6 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (10.7 प्रतिशत) का स्वयं का कर राजस्व - जीएसडीपी अनुपात उच्चतम था जबकि पश्चिम बंगाल (4.8 प्रतिशत), झारखंड (5.8 प्रतिशत) और बिहार (6.8 प्रतिशत) निम्नतम स्थिति वाले राज्य थे (सारणी 23)।

स्वयं के कर राजस्व में देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत कुछ ही राज्य सरकारों ने 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान स्वयं के कर - जीएसडीपी अनुपात में सुधार दर्शाया। परिणाम स्वरूप, कर - जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2.0 से थोड़ा ही बढ़कर 2.1 प्रतिशत हुआ (चार्ट 9 ख)। गोवा (6.1 प्रतिशत) और पंजाब (5.1 प्रतिशत) का कर - जीएसडीपी अनुपात अधिक था जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों का यह अनुपात 1.0 प्रतिशत से कम था। कर - राजस्व के कम स्तर का आंशिक कारण (भाग IV में देखे अनुसार) शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सिंचाई, बिजली और

सारणी 23 : निजी कर राजस्व/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
5 से 7	झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	झारखंड, बिहार
7 से 9	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, हरियाणा, गोवा	गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल
9 से अधिक	तमिलनाडु, कर्नाटक	हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 9 : राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य
क. स्व कर राजस्व

ख. स्व करेतर राजस्व

ग. केंद्र से अंतरण*


* : Include share in Central taxes and grants-in-aid to states.

सड़कों जैसे क्षेत्रों से कम लागत की वसूली (अर्थात् योजनेतर राजस्व व्यय के प्रति करेतर प्राप्तियों का अनुपात) है। लागत वसूली के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच भारी भिन्नता है।

जीएसडीपी के प्रति अनुपात के रूप में चालू अंतरण (यथा बंटवारे योग्य केंद्रीय कर और सहायता अनुदान) बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे

राज्यों के संबंध में अधिक था जो ऐसे राजकोषीय अंतरणों में समतल समानता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट 9-ग)।

V.2.4 व्यय का स्वरूप

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में विकास व्यय (डीईवी) - जीएसडीपी अनुपात

2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में बढ़ गया जिसमें डीईवी-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य उक्त अवधि में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 10-क)। यह उल्लेख करना होगा कि बिहार (29.2 प्रतिशत), झारखंड (22.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (20.2 प्रतिशत) जैसे तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्यों का स्थान विकास व्यय- जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में सर्वोच्च स्तर पर था जबकि पश्चिम बंगाल (8.0 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9.8 प्रतिशत) का स्थान निम्नतम स्तर पर था (सारणी 24)।

जीएसडीपी के प्रति विकासेतर व्यय के अनुपात के रूप में माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में 7.3 प्रतिशत से कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट 10-ख)। 2006-07 (सं.अ.) में जीएसडीपी के प्रति विकासेतर व्यय का अनुपात बिहार, उड़ीसा और पंजाब के मामले में अधिक था (10 प्रतिशत से अधिक) जबकि गुजरात और हरियाणा के मामले में न्यूनतम (5 प्रतिशत से कम) था (विवरण 12-16 भी देखें)।

गोवा और गुजरात को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र के व्यय (अर्थात् सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास, खाद्य संग्रह और भंडारण) के संदर्भ में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व और पूंजी दोनों खाते के अंतर्गत 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान अच्छा सुधार दर्शाया जिसमें माध्यिका

मूल्य 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया था। सभी राज्यों के बीच बिहार (18.7 प्रतिशत), झारखंड (13.8 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (13.5 प्रतिशत) का सामाजिक क्षेत्र के व्यय का स्तर निरंतर उच्च बना रहा (जीएसडीपी के संदर्भ में)। दूसरी ओर, हरियाणा (4.8 प्रतिशत), पंजाब (5.1 प्रतिशत), गुजरात (5.3 प्रतिशत), महाराष्ट्र (6.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (5.6 प्रतिशत) में सामाजिक क्षेत्र व्यय - जीएसडीपी अनुपात का स्तर कम है।

सभी राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर) ने 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) के दौरान पूंजी परिव्यय - जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शाई जिसमें माध्यिका मूल्य 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 10-ग)। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक ने जीएसडीपी के संदर्भ में पूंजी परिव्यय का उच्च अनुपात बनाए रखा जबकि हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल का पूंजीगत परिव्यय - जीएसडीपी अनुपात लगातार कम (2 प्रतिशत से कम) बना रहा (सारणी 25)।

कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में शिक्षा (खेल, कला और संस्कृति सहित) के अंतर्गत समेकित व्यय (राजस्व और पूंजी परिव्यय) का अनुपात 2007-08 में कम होने का बजट अनुमान है (विवरण 41)।

सारणी 24 : विकास व्यय/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

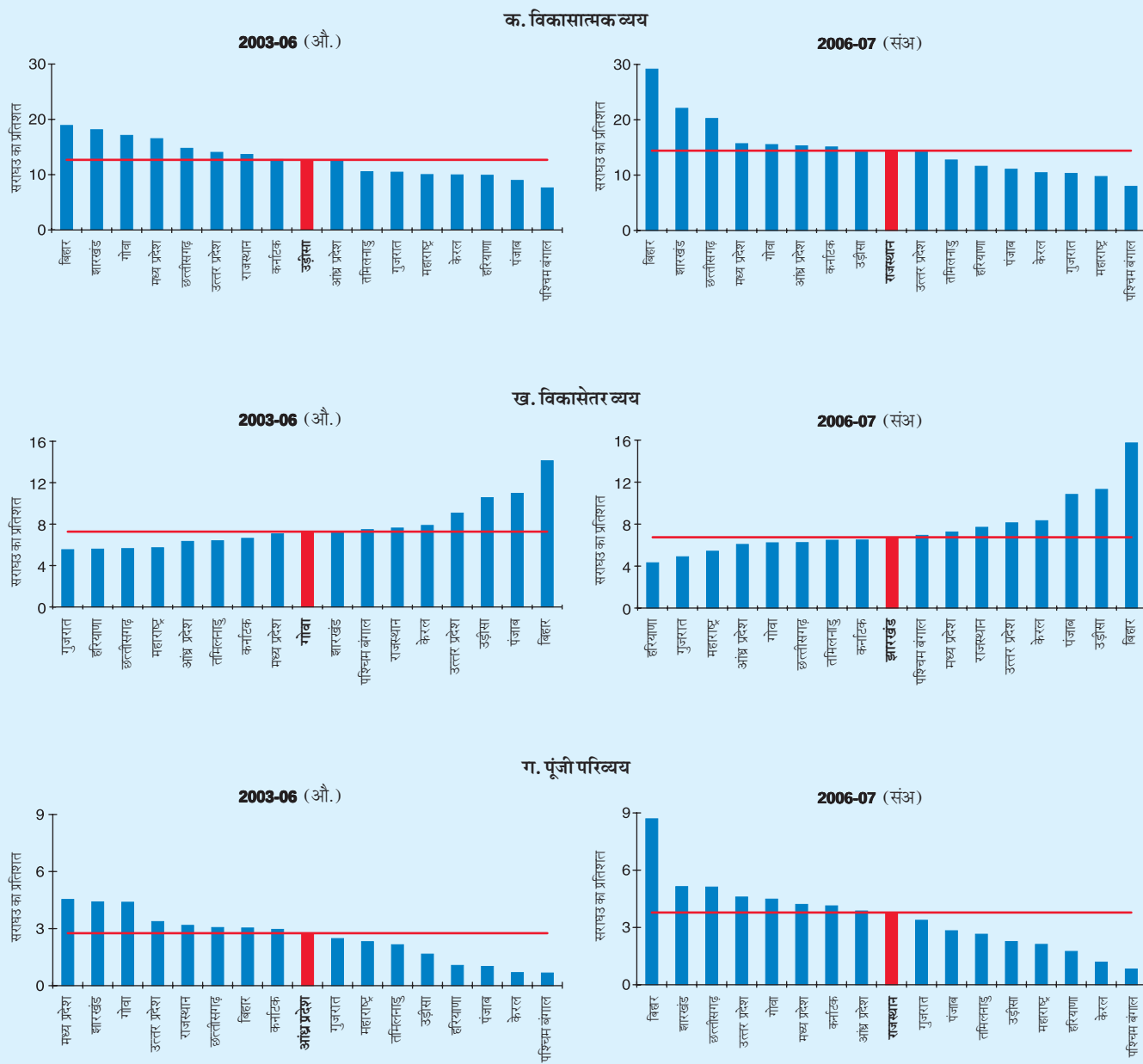
दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
1 से कम	पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
10 से 13	आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा	गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा
13 से 16	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़	उत्तर प्रदेश, राजस्थान , उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश
16 से अधिक	मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार	छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 25 : पूंजीगत परिव्यय/ जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
1 से कम	पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब	पश्चिम बंगाल
1 से 2	हरियाणा, उड़ीसा	केरल, हरियाणा
2 से 3	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, बिहार	महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब
3 से 4	छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	गुजरात, राजस्थान , आंध्र प्रदेश
4 से अधिक	झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 10 : व्यय का स्वरूप - गैर विशेष श्रेणी राज्य


दूसरी ओर, स्वास्थ्य (चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) पर समेकित व्यय पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहेगा (विवरण 42)। किंतु, इस संबंध में विभिन्न राज्यों में भारी भिन्नता है। 2006-07 (सं.अ.) में शिक्षा के अंतर्गत का व्यय दस राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और तमिल नाडु) के कुल संवितरण के 13.9 प्रतिशत (गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। उसी प्रकार, दस राज्यों

(आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिल नाडु) संबंधी कुल संवितरण के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 4.1 प्रतिशत (गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। राज्य सरकारों द्वारा कुल व्यय में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न राज्यों में ये सामाजिक सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंचें।

V.3 विशेष श्रेणी के राज्य⁵

V.3.1 समग्र स्थिति

विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (ग्यारह में से नौ) ने 2006-07 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया जिसमें उच्च पूंजी परिव्यय के कारण जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात का स्तर उच्च था। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों ने एफआरएल लागू होने के कारण उनके राजकोषीय निष्पादन में सुधार दर्शाया।

V.3.2 घाटे के संकेतक

यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी के ग्यारह राज्यों में से नौ ने 2003-06 (औसत) जैसे ही 2006-07 (सं.अ.) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया जिसमें जीएसडीपी के प्रति राजस्व अधिशेष का माध्यिका मूल्य 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 26 और चार्ट 11-ख)। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राजस्व खाते में सुधार देखा गया जबकि असम में इसमें गिरावट देखी गई। 2006-07 (सं.अ.) में राजस्व अधिशेष - जीएसडीपी अनुपात में 23.4 प्रतिशत के साथ सिक्किम प्रथम स्थान पर था किंतु उसी समय उसका जीएफडी - जीएसडीपी अनुपात भी 10.5 प्रतिशत पर सर्वाधिक था।

जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात की स्थिति 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में पांच राज्यों में बहुत खराब हो गई, यद्यपि उक्त अवधि में माध्यिका मूल्य 8.1 प्रतिशत से कम होकर 5.8 प्रतिशत रह गया था (चार्ट 11-क और सारणी 27)। किंतु पीडी-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 1.0 प्रतिशत से खराब होकर 1.4 प्रतिशत रह गया (चार्ट 11-ग)।

ब्याज भुगतान दायित्व पूरे करने के लिए प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात् राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर) 2006-07 (सं.अ.) में असम और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के शेष सभी राज्यों के संबंध में पर्याप्त बना रहा।

V.3.3 राजस्व निष्पादन

स्वयं के कर राजस्व - जीएसडीपी अनुपात, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में कम होता है, में माध्यिका मूल्य 2003-

सारणी 26 : राजस्व घाटे / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर , मिजोरम, मेघालय, असम	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय , उत्तराखंड
0.5 से कम	—	हिमाचल प्रदेश
0.5 से 1.0	—	—
1.0 से 1.5	—	असम
1.5 से 2.0	—	—
2.0 से अधिक	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	—

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

06 (औसत) के 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 4.3 प्रतिशत होने के साथ कुछ सुधार आया। मिजोरम और नागालैंड

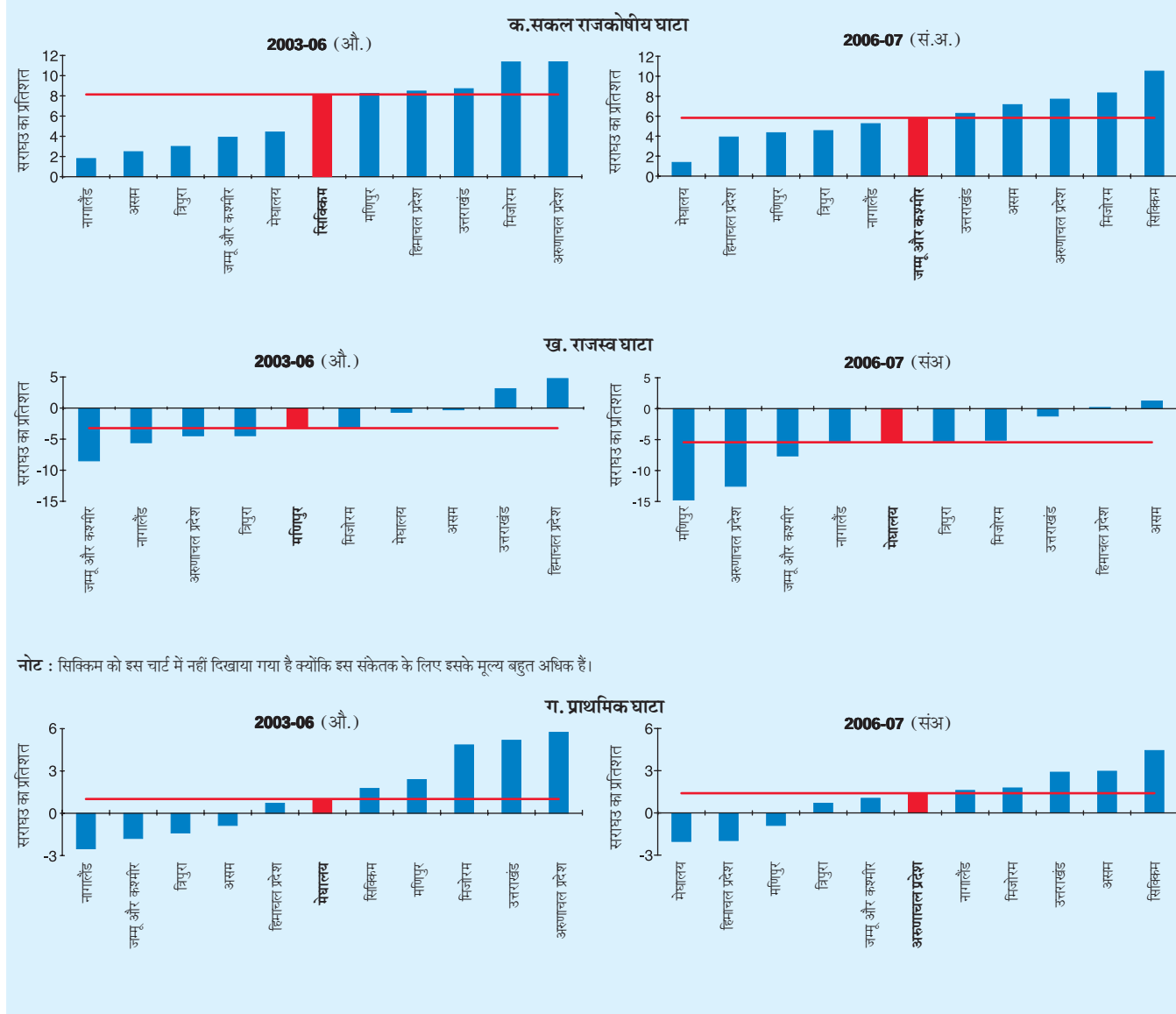
सारणी 27 : सकल राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
1 से 3	नागालैंड, असम, त्रिपुरा	मेघालय
3 से 6	जम्मू और कश्मीर, मेघालय	हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर
6 से 9	सिक्किम , मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड	उत्तराखंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
9 से अधिक	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

⁵ योजना विनिर्धान के संदर्भ में विशेष और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को रखा गया है।

चार्ट 11 : घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य



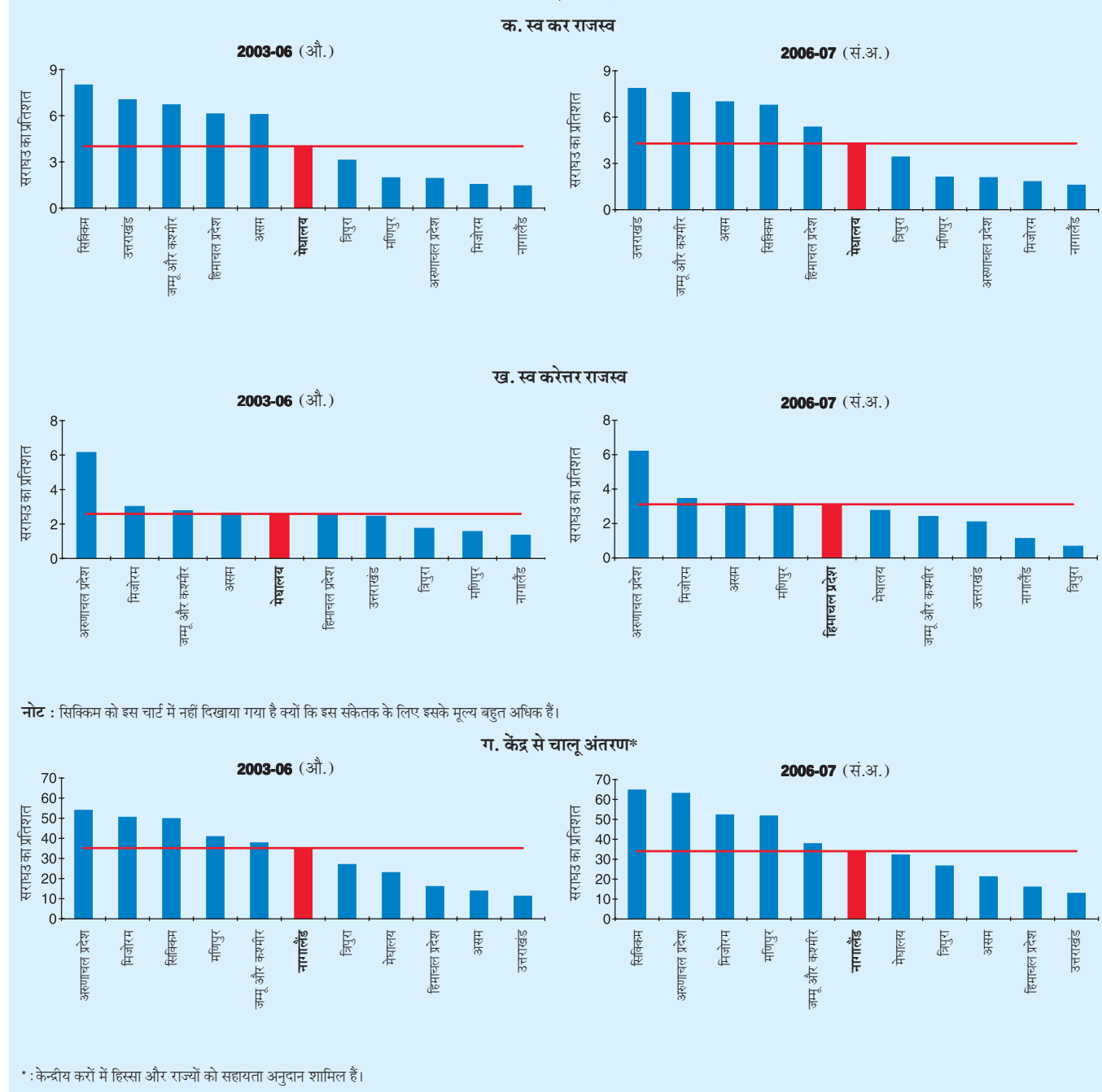
का यह अनुपात निरंतर कम (2 प्रतिशत से कम) और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, असम और सिक्किम के संदर्भ में अधिक बना रहा (6 प्रतिशत से अधिक) (सारणी 28 और चार्ट 12-क)।

विशेष श्रेणी के राज्यों का स्वयं का करेतर राजस्व-जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में बढ़ गया जिसमें इस अनुपात का माध्यिका मूल्य उक्त अवधि में 2.6 प्रतिशत से सुधरकर 3.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 12-ख)। सिक्किम के मामले में दोनों ही अवधियों में यह अनुपात असाधारण रूप से अधिक था, जिसका कारण राज्य लॉटरियों से उत्पन्न

राजस्व था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और सड़कों के संदर्भ में राज्य-वार लागत वसूली (अर्थात् करेतर प्राप्ति-योजनेतर राजस्व व्यय अनुपात) दर्शाती है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त सामाजिक आर्थिक सेवाओं से हुई लागत वसूली विभिन्न राज्यों में कम थी। अतः, इन सेवाओं पर उपयुक्त उपयोग-शुल्क लगाकर लागत वसूली बढ़ाने की आवश्यकता है; हालांकि इसके लिए सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा।

केंद्र से चालू अंतरण और डिवोल्यूशन (बंटवारे योग्य कर और सहायता अनुदान) विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों के

चार्ट 12 : राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य



लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बने रहे और वह भी इसके बावजूद कि सीटी-जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 35.2 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 34.0 प्रतिशत रह गया था (चार्ट 12-ग)। केंद्र के अंतरण का अनुपात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर के मामले में 2006-07 (सं.अ.) में 50 प्रतिशत से

अधिक था जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में 20 प्रतिशत से कम था।

V.3.4 व्यय का स्वरूप

विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात, जो गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में सामान्यतः

**सारणी 28 : स्व कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद
अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के
राज्यों का वितरण**

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश	मिजोरम, नागालैंड
2 से 4	मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा
4 से 6	—	मेघालय , हिमाचल प्रदेश
6 से अधिक	असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम	असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

बहुत अधिक रहता है, में और सुधार हुआ जिसमें माधिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 23.3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अंक बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 29.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13-क)। 2006-07 (सं.अ.) में विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 60 प्रतिशत से अधिक था जबकि हिमाचल प्रदेश के संबंध में 20 प्रतिशत से कम था (सारणी 29)।

गैर-विकास व्यय - जीएसडीपी अनुपात का माधिका स्तर 2003-06 (औसत) के 16.5 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 14.9 प्रतिशत रह गया जो विशेष श्रेणी के राज्यों के व्यय प्रबंधन में सुधार दर्शाता है (चार्ट 13-ख)। 2006-07 (सं.अ.) में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड का गैर-विकास व्यय-जीएसडीपी अनुपात कम (15 प्रतिशत से कम) था जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम का अधिक था। सिक्किम का गैर-विकास व्यय-जीएसडीपी अनुपात बहुत अधिक (67.0 प्रतिशत) था।

विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संदर्भ में अच्छा सुधार देखा गया जिसमें एसएसइ- जीएसडीपी अनुपात का माधिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 13.6 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 15.6 प्रतिशत हो गया। उक्त दोनों अवधियों में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप

**सारणी 29 : विकास व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद
अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के
राज्यों का वितरण**

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
20 से कम	असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
20 से 40	त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड	नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय , जम्मू और कश्मीर
40 से 60	मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर, मिजोरम
60 से अधिक	—	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

में एसएसइ का उच्च अनुपात बनाए रखा जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का यह अनुपात कम था।

विशेष श्रेणी के राज्यों के पूंजी परिव्यय (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) के उच्च स्तर में पुनः सुधार हुआ जिसमें माधिका स्तर 2003-06 (औसत) के 7.5 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2006-07 (सं.अ.) में 10.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13-ग)। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूंजी परिव्यय-जीएसडीपी अनुपात दोनों अवधियों में लगातार ऊंचा बना रहा, वहीं असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड का कम रहा (सारणी 30)।

**सारणी 30 : पूंजी परिव्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद
अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के
राज्यों का वितरण**

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय	हिमाचल प्रदेश
5 से 8	उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा	असम, मेघालय, उत्तराखंड
8 से 11	मणिपुर	नागालैंड , त्रिपुरा
11 से 14	जम्मू और कश्मीर, मिजोरम	मिजोरम, जम्मू और कश्मीर
14 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 13 : व्यय का स्वरूप - विशेष श्रेणी के राज्य



शिक्षा पर व्यय (कुल संवितरण के अनुपात के रूप में) में विशेष श्रेणी के अनेक राज्यों में 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार हुआ (विवरण 41)। इस अवधि में विशेष श्रेणी के छह राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में शिक्षा पर व्यय (कुल संवितरण के अनुपात के रूप में) में सुधार हुआ। कुल

संवितरण में शिक्षा पर व्यय के हिस्से में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच भारी भिन्नता है जिसमें 2006-07 (सं.अ.) में असम में यह अनुपात 18.9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था जबकि सिक्किम में 9.8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था। कुल संवितरण के प्रति स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय के अनुपात में विशेष श्रेणी के लगभग आधे राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम

और त्रिपुरा) में 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में सुधार देखा गया (विवरण 42)। किंतु 2006-07 (सं.अ.) में यह अनुपात त्रिपुरा में 6.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था जबकि सिक्किम का 2.3 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर था।

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के बावजूद विभिन्न राज्यों की राजकोषीय स्थिति में भारी भिन्नता है। यह उल्लेख करना होगा कि बारहवें वित्त आयोग ने एकरूप राजकोषीय पुनर्रचना योजना की सिफारिश की है जो राज्य सरकारों द्वारा 2009-10 तक पूरे किए जाने वाले पंद्रह राजकोषीय मानकों के लक्ष्यों पर आधारित है।

VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं

राज्यों के व्यापक और बढ़ते जीएफडी के कारण, विशेष रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, राज्य सरकारों का बकाया ऋण संचित हो गया। केंद्र से ऋण, जो वर्षों में राज्यों के ऋण का महत्वपूर्ण घटक बन गया था, कम हो गया। दूसरी ओर, बाजार उधार और एनएसएसएफ का हिस्सा 1990 के दशक की तुलना में बढ़ गया। इस खंड में राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार, आकस्मिक देयताएं और अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का विश्लेषण किया गया है।

VI.1 बकाया देयताएं⁶

VI.1.1 मात्रा

राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 1991 के अंत में 1,28,155 करोड़ रुपए (जीडीपी का 22.5 प्रतिशत) थीं। ऋण-जीडीपी अनुपात, जो मार्च 1997 के अंत में 20.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था, मार्च 2006 के अंत में तेजी से बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया किंतु मार्च 2007 के अंत में कम होकर 30.8 प्रतिशत रह गया (सारणी 31)। राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 2008 के अंत में 13,78,663 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जिसमें ऋण - जीडीपी अनुपात 29.8 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी 21 और 22 भी देखें)

सारणी 31 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं
(मार्च के अंत में)

Year	राशि	वार्षिक वृद्धि	ऋण / सघड
	(करोड़ रुपए)	(प्रतिशत)	
1	2	3	4
1991	1,28,155	—	22.5
1992	1,47,030	14.7	22.5
1993	1,68,365	14.5	22.5
1994	1,87,875	11.6	21.9
1995	2,16,473	15.2	21.4
1996	2,49,535	15.3	21.0
1997	2,85,898	14.6	20.9
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	23.0
2000	5,09,529	27.5	26.1
2001	5,94,148	16.6	28.3
2002	6,90,747	16.3	30.3
2003	7,86,427	13.9	32.0
2004	9,13,376	16.1	33.0
2005	10,29,174	12.7	32.9
2006	11,67,866	13.5	32.7
2007 (सं.अ.)	12,68,683	8.6	30.8
2008 (ब.अ.)	13,78,663	8.7	29.8

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

स्रोत:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. भारत के केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार।
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
4. रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।
5. केंद्र सरकार के वित्तीय लेखे, भारत सरकार

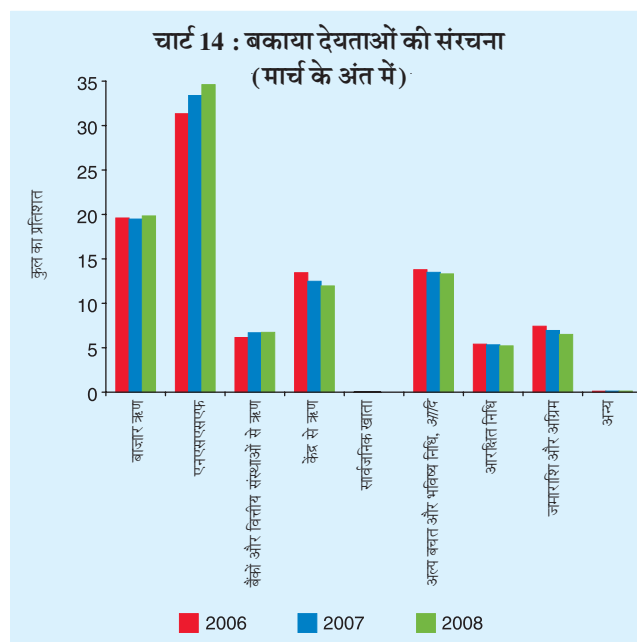
राज्य सरकारों ने ऋण के उच्च स्तर की निरंतरता की चिंता के कारण उनके एफआरएल में ऋण के स्तर की सीमा निश्चित की है जो निर्धारित अवधि में प्राप्त करनी है। बारहवें वित्त आयोग ने भी मध्यावधि में ऋण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 30.8 प्रतिशत ऋण-जीडीपी अनुपात की सिफारिश की है जो राज्य सरकारों द्वारा मार्च 2010 के अंत तक प्राप्त करना है। इसके अलावा, बारहवें वित्त आयोग ने उधार पर समग्र सीमा की भी सिफारिश की है (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) जो राज्य सरकारों को 2009-10 की समाप्ति तक पूरी करनी है। बारहवें वित्त आयोग ने ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत अनुपात की भी सिफारिश की है जो 2009-10 तक प्राप्त करना है।

⁶ 2003-04 से बकाया देयताओं का डाटा बॉक्स 7 में दी गई पद्धति के अनुसार संकलित किया गया है।

VI.1.2 ऋण की संरचना

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना से यह दिखता है कि केंद्र से ऋण के हिस्से में तेज गिरावट हुई है और एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों, बाजार उधार और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के हिस्से में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कुछ वर्षों में आरक्षित निधि और जमाराशियां तथा अग्रिम बकाया देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं। 2007-08 (सं.अ.) के दौरान एनएसएसएफ से उधार मुख्य घटक होंगे (34.7 प्रतिशत) जिसके बाद बाजार उधार (19.5 प्रतिशत) और केंद्र से ऋण (12.0 प्रतिशत) का स्थान होगा। ऋण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अल्प बचत, राज्य भविष्य निधि आदि (13.4 प्रतिशत) और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार (6.8 प्रतिशत, हैं (चार्ट.14)।

बकाया ऋण की व्यापक संरचना सारणी 32 में दी गई है। राज्य सरकारों की समेकित बकाया देयताओं की 1990-91 से 2007-08 (ब.अ.) की विस्तृत संरचना परिशिष्ट 21 और 22 में तथा बकाया देयताओं की राज्य-वार संरचना विवरण 26-28⁷ में दी गई है।



यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर संरचना-वार जानकारी का एकल स्रोत नहीं है। राज्य सरकारों की 2003-04 से बकाया देयताओं को बॉक्स 7 में दी गई पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों

सारणी 32 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)						
मदे	1991	2000	2005	2006	2007 (सं.अ.)	2008 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1. निवल आबंटन	15.0	24.6	57.8	59.8	61.5	62.7
जिसमें से:						
(i) बाजार उधार	12.2	14.8	20.7	19.6	19.1	19.5
(ii) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	—	5.0	27.4	31.3	33.5	34.7
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.6	6.2	6.7	6.8
2. केंद्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.2	15.6	13.4	12.5	12.0
3. लोक लेखा (i से iii)	26.8	29.9	26.6	26.6	25.9	25.1
(i) अल्प बचत और राज्य भविष्य निधि आदि	13.2	15.8	14.2	13.8	13.5	13.4
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.9	5.1	5.4	5.4	5.2
(iii) जमाराशि और अग्रिम	10.0	10.2	7.3	7.4	7.0	6.5
4. आकस्मिकता निधि	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
कुल देयताएं (1 से 4)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
कुल देयताएं (करोड़ रुपए)	1,28,155	5,09,529	10,29,174	11,67,866	12,68,683	13,78,663

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

ब.अ. : बजट अनुमान।

‘—’ : लागू नहीं.

स्रोत : सारणी 31 के अनुसार

⁷ राज्य सरकारों की 1990-91 से 2002-03 तक की बकाया देयताओं पर राज्य-वार आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कृपया ‘राज्य वित्त-बजटों का अध्ययन - 2006-07’ का विवरण 26 देखें।

के बजट दस्तावेजों में उनकी बकाया देयताओं का पर्याप्त ब्यौरा तथा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशि और उनकी संबंधित शर्तों (यथा ब्याज दर और परिपक्वता स्वरूप) का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण सीमित रह जाता है।

VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति

बकाया देयताओं का विस्तृत राज्य-वार घटक-वार विश्लेषण विवरण 26-28 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि तीन विभाजित राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मार्च 2000 के अंत की बकाया देयताएं नव निर्मित तीन राज्यों (क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड) की जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर प्रभाजित की गई हैं। राज्यों (गैर-विशेष और विशेष) को उनके ऋण- जीएसडीपी और आइपी-आरआर अनुपातों के स्तरों के आधार पर समूहबद्ध किया गया है और तुलनात्मक स्थिति अनुबंध 3 में दी गई है।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का ऋण-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 2003-06 के 42.5 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2007 के अंत में 40.2 प्रतिशत रह गया जो राज्य सरकारों द्वारा उनके एफआरएल के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में उनके ऋण का स्तर घटाने के लिए किए गए प्रयासों और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऋण पुनर्चना की पहलों का प्रभाव दर्शाता है (चार्ट 15 क)। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) और 2006-07 (सं.अ.) के दौरान तुलनात्मक रूप से लगातार कम (35.0 प्रतिशत से कम) बना रहा जबकि उक्त दोनों अवधियों में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 55 प्रतिशत से अधिक पर अत्यधिक बना रहा (सारणी 33)।

राजस्व प्राप्तियों में से ब्याज भुगतान के लिए रखी गई राशि की मात्रा (आइपी/आरआर), जो ऋण धारणीयता का एक महत्वपूर्ण

बॉक्स 7 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं - संकलन पद्धति

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर उपलब्ध संगत समय श्रृंखला के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उनकी ऋण शोधन क्षमता और ऋण धारणीयता दर्शाते हैं। राज्य सरकार की देयताओं की परिभाषा और संरचना पर सर्वसम्मति के लिए राज्य सरकार की देयताओं की पद्धति और संकलन पर अगस्त 2004 में कार्य दल का गठन किया गया था (ब्यौरे के लिए 'राज्य वित्त-बजटों का अध्ययन, 2006-07' देखें)। इस दल ने दिसंबर 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़े निर्धारित फार्म में प्रकाशित करने चाहिए। किंतु, राज्य सरकारें यह जानकारी अपने बजट दस्तावेजों में प्रकाशित नहीं कर रही हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़ों का मुख्य स्रोत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रकाशित केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे हैं जो अनुसंधानकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए लगभग दो वर्ष के अंतराल से उपलब्ध होते हैं। किंतु, एनएसएसएफ, केंद्र से ऋण और पॉवर बांड्स संबंधी सभी राज्यों के संगत आंकड़ों की श्रृंखला सीएजी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होती। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और रिजर्व बैंक में अलग से उपलब्ध होते हैं।

अतः, राज्य सरकारों की बकाया देयताओं से संबंधित आंकड़ों को उन वर्षों के लिए, जिनके लेखों के आंकड़े उपलब्ध हैं (2005-06), निम्नलिखित पद्धति से संकलित किया गया है :

1. बाजार उधार (राज्य विकास ऋण), पॉवर बांड्स और क्षतिपूर्ति बांडों के आंकड़े रिजर्व बैंक के रेकार्ड से लिए गए हैं।

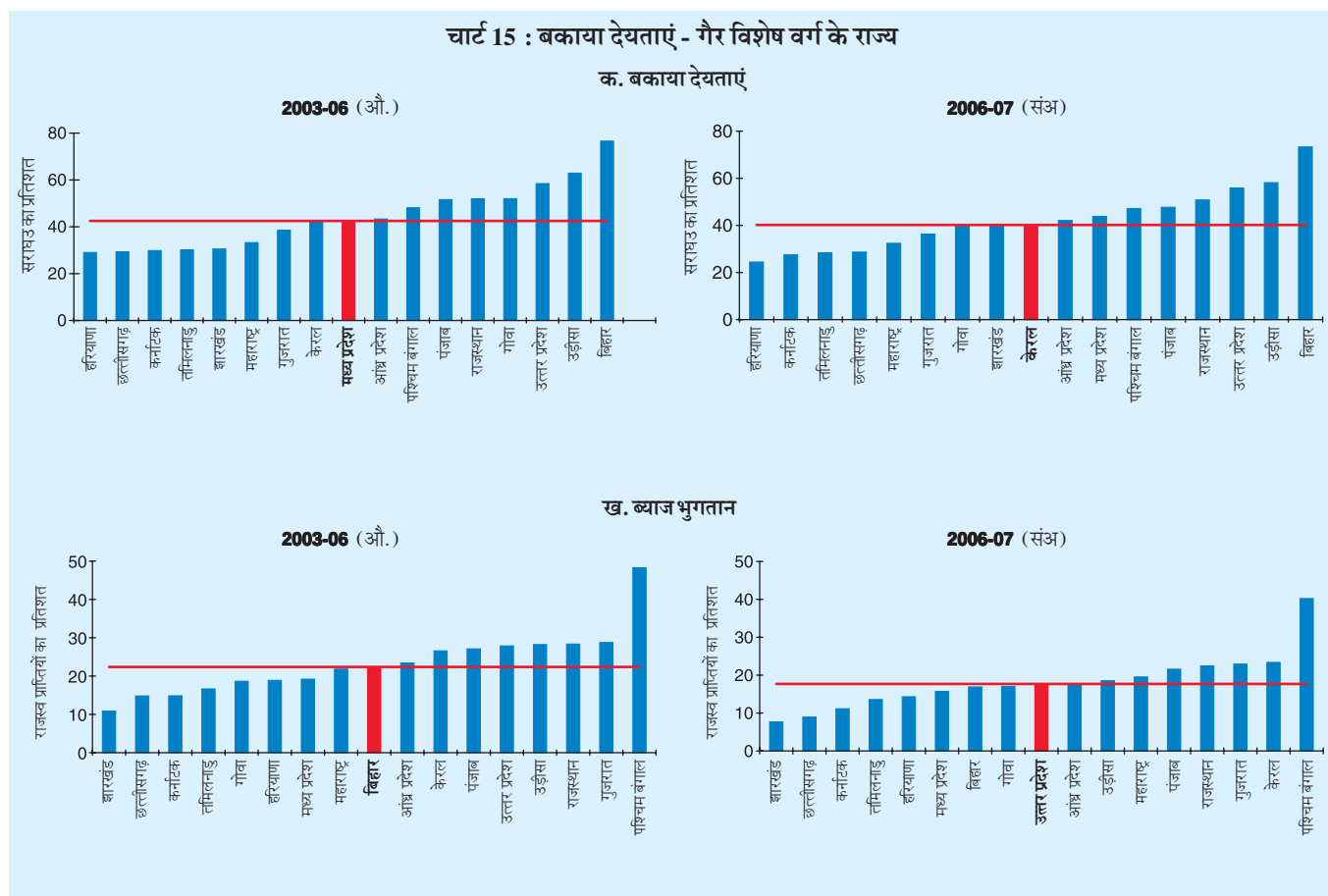
2. केंद्र से राज्यों को ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार के वित्त लेखों से लिए गए हैं।

3. एनएसएसएफ के अंतर्गत की बकाया राशि वित्त मंत्रालय से ली गई है।

4. ऋण की अन्य सभी मदें सीएजी प्रकाशन से ली गई हैं।

2005-06 की बकाया देयताओं को संकलित करते समय सीएजी रिपोर्ट में 'अन्य संस्थाओं से ऋण' शीर्ष के अंतर्गत दिए गए पॉवर बांड्स के आंकड़े निवल किए गए थे क्योंकि पॉवर बांड्स के आंकड़े रिजर्व बैंक के रेकार्ड से अलग से लिए गए थे।

मार्च 2007 की समाप्ति पर भी ऐसा ही कार्य किया गया था जहां बाजार उधार, पॉवर बांडों और क्षतिपूर्ति बांडों के आंकड़े रिजर्व बैंक के रेकार्ड से तथा एनएसएसएफ के वित्त मंत्रालय से लिए गए थे। अन्य सभी मदों के लिए, राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित प्रवाह आंकड़े (फ्लो फिगर्स) मार्च 2006 के बकाया आंकड़ों में जोड़े गए। मार्च 2008 के अंत की स्थिति के संबंध में, बजट दस्तावेजों के प्रवाह आंकड़े मार्च 2007 के अंत के उपर्युक्तानुसार संकलित बकाया के आंकड़ों में जोड़े गए। पॉवर बांडों के मामले में पॉवर बांडों की चुकौती के आंकड़े रिजर्व बैंक के रेकार्ड से लिए गए और मार्च 2007 के अंत में बकाया पॉवर बांडों से घटा दिए गए। संगत आंकड़ों के अन्य स्रोत के अभाव में इस पद्धति को अपनाकर राज्य सरकारों की बकाया देयताएं इस रिपोर्ट में संकलित की गई हैं। इसी पद्धति को अपनाकर पिछले वर्षों, अर्थात् मार्च 2004 की समाप्ति और मार्च 2005 की समाप्ति के ऋण की स्थिति संशोधित करने का कार्य भी किया गया।



संकेतक होती है, में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिसमें माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 22.4 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2006-07 (सं.अ.) में 17.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट 15 ख)। झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के संबंध में यह अनुपात तुलनात्मक रूप से कम था (15.0 प्रतिशत से कम) जबकि पश्चिम बंगाल का अनुपात अधिक (30 प्रतिशत से अधिक) था (सारणी 34)। आइपी/आरआर अनुपात में गिरावट सामान्यतः ऋण अदला-बदली योजना (डीएसएस) के कारण ब्याज भुगतान में गिरावट दर्शाती है।

ऋण धारणीयता के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की ओर से राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया है और यह सुझाव दिया है कि किसी राज्य का समग्र उधार कार्यक्रम सभी स्रोतों से उधार को हिसाब में लेते हुए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक आधार पर निर्धारित होना चाहिए। राज्य सरकारें ऋण के स्तर को नियंत्रित रखने और उसे धारणीय स्तर पर लाने के लिए एफआरएल लागू करना, समेकित शोधन निधि और गारंटी शोधन

सारणी 33 : ऋण / सरासय अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
35 से कम	हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड	हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
35 से 50	गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल	गुजरात, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश
50 से 70	गोवा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
70 से अधिक	बिहार	बिहार

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

निधि की स्थापना तथा गारंटी पर उच्चतम सीमा लगाने जैसा संस्थागत तंत्र स्थापित कर रही हैं।

विशेष वर्ग के राज्य

विशेष वर्ग के राज्यों के ऋण - जीएसडीपी अनुपात का माध्यिका मूल्य 2003-06 (औसत) के 74.3 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) के दौरान 65.1 प्रतिशत हो गया। विशेष वर्ग के राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात का वर्तमान स्तर सापेक्षिक रूप से अधिक माना गया है, ऐसा इन राज्यों के बीच मौजूद व्यापक अंतर के बावजूद है (चार्ट 16 क)। जबकि मिजोरम और मणिपुर के ऋण का स्तर काफी अधिक बना रहा, (उनके संबंधित जीएसडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक), कुछ अन्य राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में, उपर्युक्त 80 प्रतिशत से अधिक के अनुपात को लेते हुए, उनके ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2003-06 (औसत) के स्तर से 2006-07 (सं. अ.) में तेजी से बढ़ोत्तरी दिखी। दूसरी तरफ, हिमाचल प्रदेश का ऋण - जीएसडीपी अनुपात 2003-06 (औसत) के 79.8 प्रतिशत से रूप से कम होगा।

सारणी 34 : ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति अनुपात स्तर के अनुसार गैर - विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
15 से कम	झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक	झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा
15 से 25	तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल
25 से 30	केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात	—
30 से अधिक	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।

2006-07 (सं.अ.) में 66.5 प्रतिशत रह गया। दोनों अवधियों के दौरान असम, नागालैण्ड, उत्तराखंड और मेघालय में ऋण - जीएसडीपी अनुपात सापेक्षिक रूप से कम (50 प्रतिशत से कम) बना रहा (सारणी 35)।

आइपी/आरआर का माध्यिका स्तर 2003-06 (औसत) के 12.1 प्रतिशत से घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) में 10.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 16 ख)। हिमाचल प्रदेश (24.0 प्रतिशत) को छोड़कर सभी विशेष वर्ग के राज्यों का ऋण चुकौती भार 2006-07 के दौरान 15 प्रतिशत से कम था, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को मार्च 2010 के अंत तक प्राप्त किया जाना है। कुछ विशेष वर्ग के राज्यों का आइपी-आरआर अनुपात 10 प्रतिशत से कम था (सारणी 36)।

VI.2 बाजार उधार

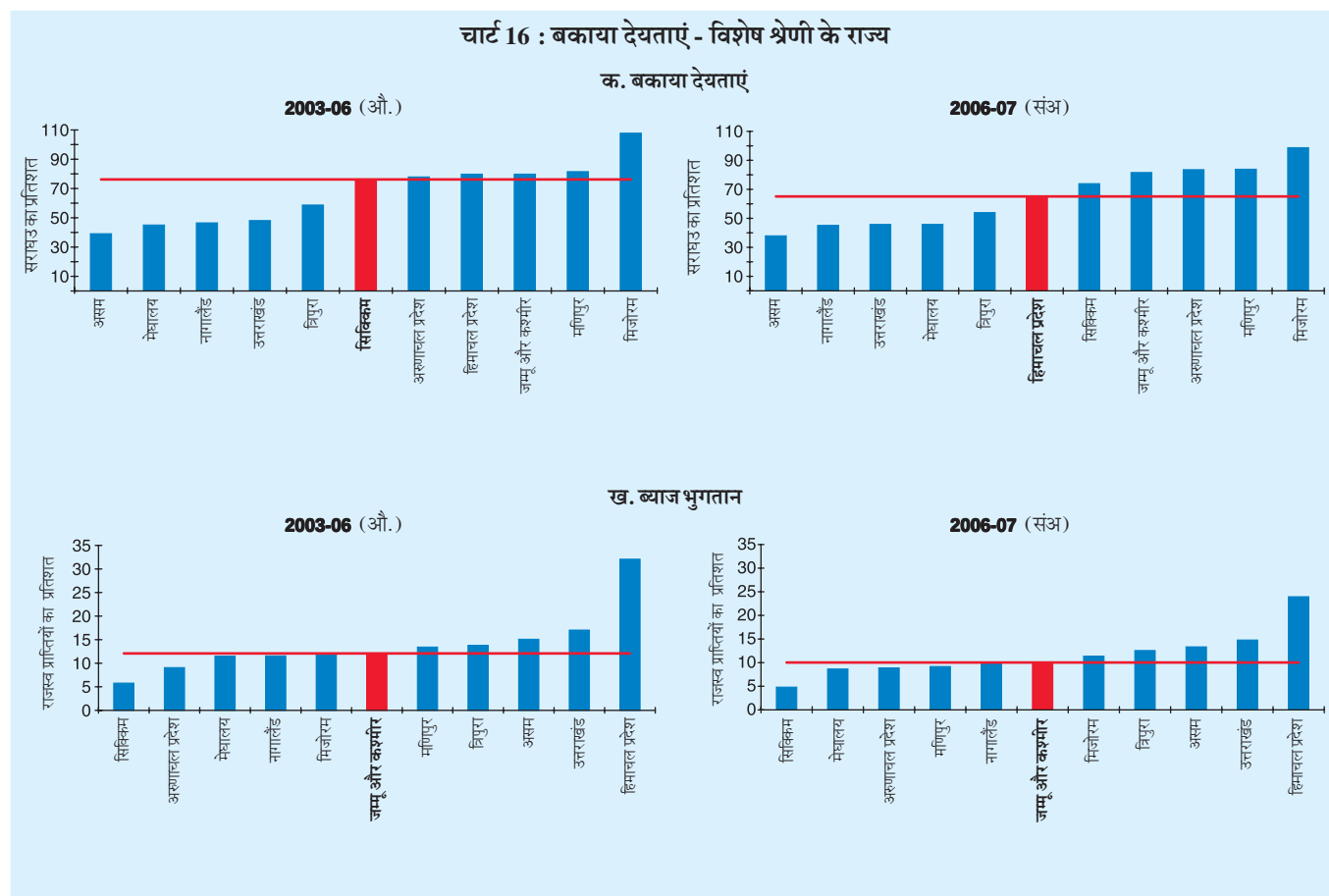
VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारें विभिन्न अवधियों वाली दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिनमें अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंशदान किया जाता है। राज्य सरकारों की समग्र बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 1991 के अंत के 12.2 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 14.8 प्रतिशत और आगे बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 20.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 32)। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, 2005-06 से राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय ऋणों के संबंध में

सारणी 35 : ऋण / सराघड अनुपात स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
40 से कम	असम	असम
40 से 50	मेघालय, नागालैण्ड, उत्तराखंड	उत्तराखंड, नागालैण्ड, मेघालय
50 से 60	त्रिपुरा	त्रिपुरा
60 से अधिक	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।



केन्द्रीय बजट में अब कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है और राज्यों से अपेक्षा है कि वे योजना कार्यक्रमों⁸ के लिए संसाधन जुटाने हेतु

बाजार में प्रवेश करें। कुल ऋण में राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत से लगभग 19.5 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के अधिक लागत वाले बाजार ऋणों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 2007 की समाप्ति को, 10 प्रतिशत और अधिक ब्याज दर वाले बकाया बाजार उधार का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 32.2 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत अंक गिरकर 27.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 37)।

VI.2.2 2007-08 के दौरान बाजार उधार का आबंटन

रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, राज्य सरकारों के बाजार उधारों का निवल आबंटन धीमी गति से बढ़ा है (सारणी 38 और विवरण 29)। अतिरिक्त आबंटनों में 2007-08 के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि 2006-07 तक इसमें गिरावट दिखी। राज्य सरकारों

सारणी 36 : ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष वर्ग के राज्यों का वितरण		
दायरा (प्रतिशत)	2003-06 (औ.)	2006-07 (सं.अ.)
1	2	3
10 से कम	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड
10 से 15	मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा	मिजोरम, त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर
15 से 20	असम, उत्तराखंड	—
20 से अधिक	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
टिप्पणी : सारणी 21 की टिप्पणियां देखें।		

⁸ तथापि, बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा केंद्र से ऋणों के संबंध में प्राप्तियों के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करना जारी है।

सारणी 37 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की ब्याज दर स्थिति
(मार्च के अंत में)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल का प्रतिशत	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	14.8	13.9
6.00-6.99	58,563	58,564	25.6	24.1
7.00-7.99	49,601	59,638	21.7	24.5
8.00-8.99	8,004	18,791	3.5	7.7
9.00-9.99	5,412	5,412	2.4	2.2
10.00-10.99	14,563	14,468	6.4	6.0
11.00-11.99	17,062	16,934	7.5	7.0
12.00-12.99	26,146	25,960	11.4	10.7
13.00-13.99	15,722	9,186	6.9	3.8
जोड़	2,28,898	2,42,777	100.0	100.0

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

के लिए उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटनों को 2007-08 के दौरान 28,811 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की

तुलना में 67.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 11,555 करोड़ रुपए के पुनर्भुगतान और 5,625 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन को ध्यान में रखते हुए, सकल आबंटन की राशि 45,990 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72.9 प्रतिशत अधिक है (परिशिष्ट सारणी 23)। 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) राज्यों ने 8.00-8.90 प्रतिशत की सीमा में निर्दिष्ट दर के साथ नीलामी के माध्यम से 30,875 करोड़ रुपए (सकल आबंटन का 67.2 प्रतिशत) के बाजार उधार जुटाए। बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर, जो 1990 के दशक के मध्य से 2003-04 तक कम हुई थी, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अनुरूप 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) बढ़कर 8.39 प्रतिशत हो गई, जो ब्याज दरों में सामान्य ऊर्ध्वमुखी वृद्धि को दर्शाती है (सारणी 39)। 2007-08 में अब तक (30 नवंबर 2007 तक) बाजार उधारों की संपूर्ण राशि 2006-07 की तरह नीलामी के माध्यम से जुटाई गई, यह बेहतर वित्तीय दशाओं के आधार पर बाजार से उधार जुटाने के राज्य सरकार के इरादे को दर्शाता है।

सारणी 38 : राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(करोड़ रुपए)

मर्दे	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242	28,811
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	2,803	5,625
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	—	—	—
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,971	19,634	20,046	34,436
5. चुकौती	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551	11,555
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,094	25,908	26,597	45,990
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	—	—	—
8. आरआईडीएफ ऋणों की पूर्व चुकौती से जुटाई गई राशि	—	—	1,386	—	—	—
9. कुल जुटाई गई राशि (i + ii)	30,853	50,521	39,101	21,729	20,825	30,875
(i) टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	—	—
(ii) नीलामियां	2,973	2,895	885	10,543	20,825	30,875
	(13)	(8)	(3)	(24)	(22)	(21)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	14,274	19,320
11. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस के अतिरिक्त) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	14,274	19,320
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आरआईडीएफ के अतिरिक्त) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	14,274	19,320
ज्ञापन मर्दे :						
(i) कूपन / अधिकतम आय दायरा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66	8.00-8.90
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.10	8.39
(iii) औसत परिपक्वता अवधि (वर्ष)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00	10.00

* : 30 नवंबर 2007 तक जुटाई गई राशि

डीएसएस : ऋण स्वैप योजना '—': शून्य / लागू नहीं

टिप्पणी : (i) कोष्ठकों के आंकड़े नीलामी रूट का विकल्प देने वाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक रिकार्ड के अनुसार बाजार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से अलग हो सकते हैं।

स्रोत : रिज़र्व बैंक का रिकार्ड।

सारणी 39 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारत औसत आय			
वर्ष	दायरा (प्रतिशत)	भारत औसत (प्रतिशत)	कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07	7.65-8.66	8.10	20,825
2007-08*	8.00-8.90	8.39	30,875

* : 30 नवंबर 2007 तक ।

स्रोत : रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर बनी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों के लिए एक संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई। तदनुसार, सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2006-07 के लिए 9,875 करोड़ रुपए कर दिया गया। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की राज्यवार सीमा की वर्ष के अंत में समीक्षा की गई। यह पाया गया कि विद्यमान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न कारण से पर्याप्त थी : (i) 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग (ii) जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में कहा गया है राजकोषीय वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार राज्य सरकारों का अनुकूलन; इस प्रकार परिवर्तन के अंत का संकेत देना (iii) 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की पर्याप्त चलनिधि का आशानुकूल बने रहना। तदनुसार, 2007-08 के दौरान विद्यमान राज्य-वार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम को बनाए रखने का निर्णय लिया गया (सारणी 40)।

2006-07 के दौरान, राज्य सरकारों का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग

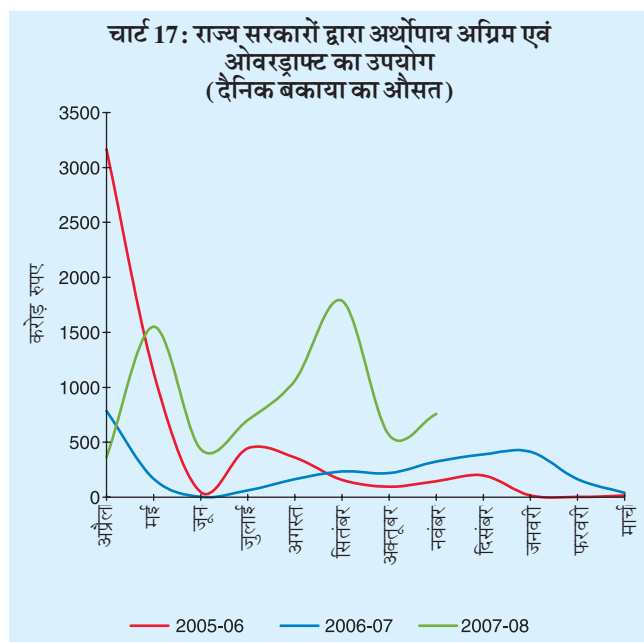
सारणी 40 : सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा - 1996 से 2007		
अवधि	राशि (करोड़ रुपए)	पिछली सीमा की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3
i. अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234	शून्य
ii. मार्च 1999 से जनवरी 2001	3,941	76.4
iii. फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283	34.1
iv. अप्रैल 2002 से 2 मार्च 2003	6,035	14.2
v. 3 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004	7,170	18.8
vi. 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005	8,140	13.5
vii. 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006	8,935	9.8
viii. 1 अप्रैल 2006 आज की तारीख तक	9,875	10.5

स्रोत : रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

कम बना रहा। 2006-07 के दौरान ऐसे राज्यों की संख्या में कमी हो गई जिन्होंने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया था (2005-06 में 12 राज्यों की तुलना में 8 राज्य)। इसी प्रकार, 2006-07 के दौरान ओवरड्राफ्ट उपयोग करने वाली राज्य सरकारों की संख्या में कमी आई (2005-06 में आठ राज्यों की तुलना में दो राज्य) (विवरण 38)। इसने समग्र नकदी स्थिति में सुधार को दर्शाया जिसका परिणाम अधिकांश राज्य सरकारों के पास अधिशेष नकद शेषों का काफी अधिक संचयन हो गया।

2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) 904 करोड़ रुपए का राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (दैनिक बकायों का औसत) का उपयोग पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 246 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक था (चार्ट 17)। 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) सात राज्यों ने 1-155 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया, जिसमें से तीन राज्यों ने 3-65 दिनों की अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 38)। कई राज्य सरकारों द्वारा अधिशेष नकद शेषों के उच्च स्तर को बनाए रखने के बावजूद, अर्थोपाय अग्रिम का अधिक उपयोग कुछ राज्यों के मामले में प्राप्तियों और व्ययों के बीच अस्थायी विषमता को दर्शाता है।

रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम भी प्रदान करती है, जो रिजर्व बैंक से भिन्न मौद्रिक विस्तार का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष अर्थोपाय अग्रिम का सामान्य अर्थोपाय के पहले सहारा लेना चाहिए। 2000-01 से 2007-08 के दौरान (बजट अनुमान)



राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए (सकल) अर्थोपाय अग्रिमों के आंकड़े, जैसाकि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सूचित किया गया, विवरण 39 में दिए गए हैं। ऐसे अग्रिमों की कुल राशि 2002-03 (बारह राज्य) में 3,329 करोड़ रुपए से निरंतर घटकर 2006-07 (संशोधित अनुमान) (दो राज्य) में 400 करोड़ रुपए हो गई है और 2007-08 (दो राज्य) में 400 करोड़ रुपए की समान राशि का बजट अनुमान लगाया गया है। विशेष वर्ग के राज्यों में असम और गैर-विशेष वर्ग के राज्यों में केरल ने 2007-08 के दौरान ऐसे अग्रिमों के लिए बजट प्रावधान किया है।

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं (शहरी स्थानीय निकायों सहित) की ओर से गारंटी और ऋण चुकौती आश्वासन-पत्र जारी करती रही हैं जिससे वे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटा सकें। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण है क्योंकि राज्य ऐसे निवेशों के लिए बजटीय सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां मार्च 2000 के अंत के 1,32,029 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,19,658 करोड़ रुपए (जीडीपी का 7.9 प्रतिशत) हो गईं, लेकिन मार्च 2006 के अंत में गिरकर 1,96,914 करोड़ रुपए (जीडीपी का 5.5 प्रतिशत) हो गईं (सारणी 41 और विवरण 43)।

सारणी 41 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

वर्ष (मार्च का अंत)	राशि (करोड़ रुपए)	सघट का प्रतिशत
1	2	3
1992	40,158	6.1
1993	42,515	5.7
1994	48,865	5.7
1995	48,479	4.8
1996	52,631	4.4
1997	65,339	4.8
1998	73,751	4.8
1999	79,457	4.6
2000	1,32,029	6.8
2001	1,68,719	8.0
2002	1,65,386	7.3
2003	1,84,294	7.5
2004 अ	2,19,658	7.9
2005 अ	2,04,426	6.5
2006 अ	1,96,914	5.5

अ : अनंतिम

टिप्पणी : आंकड़े 2005 तक 17 राज्यों और 2006 के लिए 16 राज्यों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों और राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी।

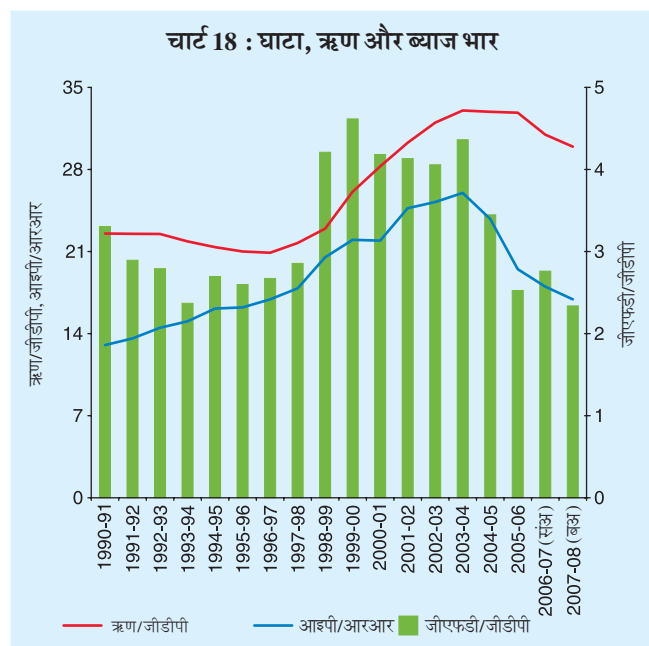
आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के ऋण भार का हिस्सा नहीं बनती हैं। तथापि, उधार लेने वाली एजेंसी के द्वारा चूक की दशा में राज्यों को ब्याज चुकाने का दायित्व पूरा करना होगा। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थ को देखते हुए, कई राज्यों ने अपने एफआरएल अथवा अन्य रूप में गारंटियों पर सीमा (वैधानिक अथवा प्रशासनिक) लगाना शुरू किया है और वे बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गारंटी शुल्क निर्धारित करने के माध्यम से गारंटी शोधन निधि स्थापित करने की प्रक्रिया में भी हैं। अब तक, दस राज्य सरकारों ने गारंटी शोधन निधि की स्थापना की है। जून 2007 के अंत में गारंटी शोधन निधि में कुल निवेश 2,481 करोड़ रुपए था। बेजबरूआ समिति ने सिफारिश की कि समेकित ऋण शोधन निधि/ गारंटी शोधन निधि में राज्यों का निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश उनके सामान्य अर्थोपाय सीमा के उच्चतम तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग करने के लिए पात्र हो सकता है। इन सिफारिशों के फलस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्य सरकारों के बीच गारंटी शोधन निधि के लिए संशोधित मॉडल योजनाएं परिचालित की थीं। 30 जून 2007 को, दस में से तीन राज्यों ने संशोधित गारंटी शोधन निधि योजना स्वीकार की।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों की ऋण स्थिति न केवल उनकी बकाया देयताओं के समग्र स्तर बल्कि ऐसे विभिन्न संकेतकों पर भी, जो ऋण की वहनीयता निर्धारित करते हैं, निर्भर होती है। इस खंड में ब्याज भुगतानों के बोझ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता पैटर्न के अनुसार राज्य सरकारों की ऋण वहनीयता का तथा राज्य सरकारों द्वारा चलनिधि प्रबंधन के संदर्भ में उठने वाली मुद्दों का मूल्यांकन किया जाता है।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात, जो ऋण वहनीयता का एक प्रमुख संकेतक है, 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से क्षति होकर 2003-04 में 26.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गया लेकिन इसके पश्चात इसमें ऋण स्वैप योजना (2002-03 से 2004-05 तक) के कारण व्यापक रूप से गिरावट आई। 2007-08 के दौरान इस के 16.9 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है। राज्य वित्तों के लिए सुझाए गए पुनर्संरचित मार्ग के अनुसार, बारहवें वित्त आयोग के कार्य काल की अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक इस अनुपात को सभी राज्यों के द्वारा धीरे-धीरे कम करके 15 प्रतिशत तक किए जाने की आवश्यकता है। ब्याज भुगतानों का बोझ, यदि नियंत्रित नहीं किया गया, तो राज्य सरकारों के लिए घाटा, ऋण और ब्याज भुगतानों का दुष्चक्र शुरू हो सकता है (चार्ट 18)।



हाल के वर्षों में, ऋण वृद्धि में गिरावट राजकोषीय घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का परिणाम है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण राहत ने हाल के वर्षों में ऋण को कम करने में मदद की है। केंद्र के उच्च लागत ऋण का पूर्व भुगतान करने के लिए हाल की ऋण स्वैप योजना सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों का प्रभाव राज्य सरकारों के बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर 1999-2000 के 11.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम होकर 2004-05 में 9.5 प्रतिशत और 2007-08 (बजट अनुमान) में 8.1 प्रतिशत होने में परिलक्षित हुआ है (सारणी 42)।

VI.5.2 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता-स्वरूप

परिपक्वता-स्वरूप के अनुसार राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 41.2 प्रतिशत मार्च 2007 के अंत में सात वर्ष के ऊपर के परिपक्वता कोष्ठक से संबंधित था और 67.1 प्रतिशत पाँच वर्ष की परिपक्वता के ऊपर था। बकाया ऋण का केवल 17.4 प्रतिशत 0-3 वर्ष के परिपक्वता कोष्ठक में था और 32.9 प्रतिशत 5 वर्ष से कम के परिपक्वता कोष्ठक में था (सारणी 43)।

सारणी 42 : राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर

वर्ष	औसत ब्याज दर* (प्रतिशत)
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.5
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06	8.2
2006-07 (सं.अ.)	8.2
2007-08 (ब.अ.)	8.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।
 * : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की बकाया देयताओं द्वारा भाग देकर परिकलित
 स्रोत : सारणी 31 के समान।

ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान उधारों की अधिक राशि के कारण बाजार उधारों के परिपक्वता स्वरूप में 2012-13 से 2015-16 के दौरान बड़ा पुनर्भुगतान दिखाई पड़ता है। बकाया बाजार ऋणों के राज्य-वार और प्रतिभूति-वार ब्यौरे विवरण 32 में दिए गए हैं।

VI.5.3 नकद शेषों के निवेश

एक मुद्दा, जो राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव डालता है, अधिशेष नकद शेष से संबंधित है। राज्य सरकारों के

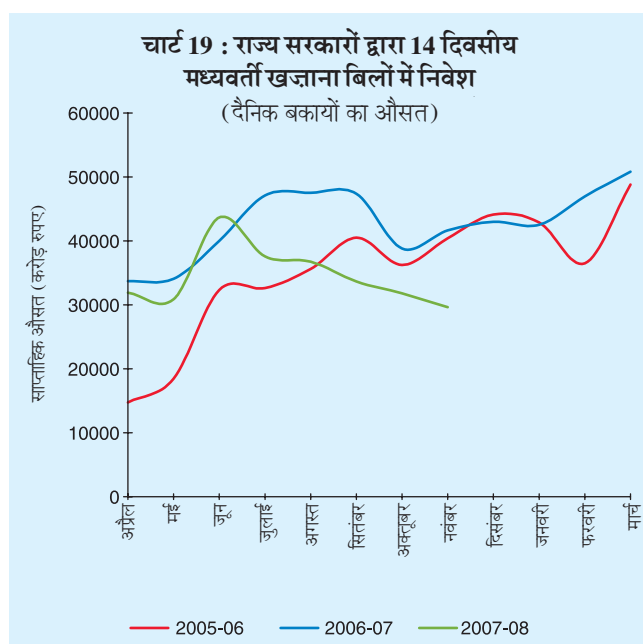
सारणी 43 : बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरूप (मार्च 2007 के अंत में)					
राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	4.28	16.48	17.13	26.03	36.08
2. अरुणाचल प्रदेश	2.44	4.57	12.37	14.62	66.00
3. असम	5.10	12.62	15.07	21.62	45.59
4. बिहार	7.50	11.84	22.12	23.94	34.59
5. छत्तीसगढ़	6.86	17.24	20.34	22.99	32.57
6. गोवा	2.77	16.11	16.94	23.80	40.38
7. गुजरात	3.74	12.63	16.88	37.88	28.87
8. हिमाचल प्रदेश	1.67	8.78	14.36	28.55	46.63
9. हरियाणा	5.07	12.15	13.10	31.64	38.04
10. जम्मू और कश्मीर	3.35	7.19	16.50	27.74	45.22
11. झारखंड	6.93	10.95	20.25	22.85	39.02
12. कर्नाटक	3.95	16.06	19.28	27.36	33.35
13. केरल	5.16	11.52	16.45	18.98	47.88
14. मध्य प्रदेश	4.54	11.41	13.16	22.86	48.02
15. महाराष्ट्र	3.88	8.43	11.98	27.39	48.31
16. मणिपुर	4.28	9.32	10.78	14.22	61.40
17. मेघालय	4.30	13.83	15.31	12.54	54.02
18. मिजोरम	2.56	9.16	11.12	20.93	56.23
19. नागालैंड	4.20	13.07	17.11	17.29	48.33
20. उड़ीसा	8.07	14.81	19.65	24.64	32.83
21. पंजाब	3.47	11.02	9.10	30.59	45.82
22. राजस्थान	4.69	15.86	17.05	24.94	37.46
23. सिक्किम	4.96	18.59	9.24	7.07	60.14
24. त्रिपुरा	3.92	15.00	14.35	17.18	49.55
25. तमिलनाडु	4.96	10.26	16.31	26.84	41.63
26. उत्तराखंड	2.23	6.25	8.03	40.17	43.32
27. उत्तर प्रदेश	5.82	16.35	16.00	20.10	41.72
28. पश्चिम बंगाल	4.16	8.64	11.74	29.67	45.79
सभी राज्य	4.76	12.64	15.54	25.83	41.23

स्रोत : रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

सारणी 44 : बकाया राज्य ऋण एवं पावर बांड की परिपक्वता का स्वरूप (मार्च 2007 के अंत में)			
(करोड़ रुपए)			
वर्ष	राज्य ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2007-08	11,555	1,453	13,008
2008-09	14,371	2,907	17,278
2009-10	16,315	2,907	19,222
2010-11	15,734	2,907	18,641
2011-12	21,999	2,907	24,906
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
जोड़	2,42,777	26,051	2,68,828

स्रोत : रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

अधिशेष नकदी शेष की बहुत बड़ी राशि 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में उनके व्यापक निवेश में परिलक्षित हुई (चार्ट 19)। राज्य सरकारों ने अपने अधिशेष नकदी शेषों का निवेश नीलामी खजाना बिलों में भी किया। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों के समन्वित निवेश 23 नवंबर 2007 को 62,996 करोड़ रुपए थे। चूँकि राज्यों को इन निवेशों पर, इनके संसाधनों के लिए उधारों की लागत की तुलना में,



कम दर पर प्रतिफल मिलता है, इससे उनके राजस्व खाते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एक दूसरा मामला, जिसका राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, उनके ऋणात्मक प्रारंभिक नकद शेष से संबंधित है। कई राज्य सरकारों ने (सात विशेष वर्ग के और बारह गैर-विशेष वर्ग के) 2007-08 के लिए बजट अनुमानों में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दर्ज किए हैं जो (-) 5 करोड़ रुपए (पश्चिम बंगाल) और (-) 2,470 करोड़ (असम) के बीच भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से कई राज्यों ने विगत में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दर्ज किया है। प्रारंभिक नकदी घाटा प्रत्याशित चलनिधि की समस्या को बतलाता है, जिसे उस सीमा तक तीव्र बनाया जा सकता है जिस सीमा तक वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां कुल व्ययों (अर्थात् परंपरागत बजट घाटा) से कम होती हैं, जब तक कि इन्हें अतिरिक्त संसाधन जुटा करके समाप्त नहीं कर दिया जाता। इससे नकदी/निवेश शेषों का आहरण करने अथवा रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ेगी।

VI.5.4 ऋण समेकन और राहत

बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत केंद्रीय ऋणों के समेकन के लिए एक ऋण राहत पैकेज प्रस्तुत किया है। ऋण समेकन और राहत सुविधा के दो हिस्से हैं : (i) सभी राज्य सरकारों पर लागू ऋण राहत की सामान्य योजना और (ii) राजकोषीय कार्य निष्पादन से संबद्ध बड़े खाते डालने की योजना जिससे 2008-09 तक राजस्व शेषों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। ऋण समेकन और राहत सुविधा का उपयोग राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाने, प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में राजकोषीय घाटे में कमी की मात्रा और 2004-05 के स्तर पर सकल राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के अधीन होगा। चौबीस राज्य सरकारें अभी तक ऋण समेकन से लाभान्वित हुई हैं (30 अगस्त 2007 के अनुसार)। 30 अगस्त 2007 को राज्य सरकारों के ऋण समेकन की कुल राशि 1,09,977 करोड़ रुपए, ऋण बड़े खाते डालने की राशि 8,474 करोड़ रुपए और ब्याज राहत राशि 8,387 करोड़ रुपए है (विवरण 46)।

VII. राज्य सरकारों के राजकोषीय अंतरण

राज्यकोषीय अंतरण सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यों और वित्तीय संसाधनों के आबंटन के फलस्वरूप, राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय सरकारों के बीच उत्पन्न हुए असंतुलनों को दूर करके सरकार के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में संघीय प्रणाली के अंतर्गत, जबकि आर्थिक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है, उनके अपने संसाधन जरूरतों से कम पड़ जाते हैं, जिससे केंद्र से राज्यों के लिए राजकोषीय अंतरण की आवश्यकता आ पड़ती है (परिशिष्ट 4)। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। नौवें वित्त आयोग की शुरुआत से, वित्त आयोग ने अंतर-भरण दृष्टिकोण के स्थान पर प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाया है। समानीकरण अंतरण के लिए एक व्यापक भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों में अनुदानों के हिस्से को बढ़ाना प्रस्तावित किया है। जहाँ तक करों के अंतरण की बात है, दसवें वित्त आयोग ने कर अंतरण की एक वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की जिसमें राज्यों को सभी केंद्रीय करों के कुल निवल आगमों में हिस्सा दिया जाएगा। इस योजना को ग्यारहवें वित्त आयोग से आगे लागू किया गया। इस अंतरण ने केंद्र सरकार को समन्वित रूप से कर सुधार को आगे बढ़ाने में और अधिक स्वतंत्रता तथा नमनीयता प्रदान की तथा केंद्रीय करों के सकल आधिक्य का बँटवारा करने में राज्यों की मदद की।

राज्य सरकारों द्वारा 2007-08 में समेकित स्तर पर राजस्व आधिक्य का अनुमान लगाने के कारण, राज्यों की वित्तीय स्थिति में दो दशकों के पश्चात काफी परिवर्तन परिलक्षित होगा⁹। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन तथा अधिकांश राज्यों (अब तक छब्बीस) द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाए जाने के संदर्भ में राजकोषीय अंतरणों की भूमिका का विश्लेषण और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इस खंड में चार वित्त आयोगों अर्थात् नवें वित्त आयोग (1990-95), दसवें वित्त आयोग (1995-2000), ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-05) और बारहवें वित्त आयोग (2005-06 से अब तक) की अवधि के दौरान राज्यों की राजकोषीय स्थिति निर्धारित करने में राजकोषीय अंतरणों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

⁹ वर्ष 1986-87 से राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखे घाटे में चले गए।

VII.1 अवधारणा, संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत व्यवस्था

VII.1.1 अवधारणा

संघीय व्यवस्था में राजकोषीय अंतरण कर डिवोल्यूशन और अनुदानों के माध्यम से किए जाते हैं जिसे केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों से संपूरित किया जाता है। अन्य संघीय देशों में अपनाई गई प्रथा के अनुसार, भारत में राजकोषीय अंतरण 'समानीकरण' के सिद्धांत से संचालित है, जो राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता में कमी को निष्प्रभावी करता है, लेकिन राजस्व प्रयास को नहीं। राजकोषीय अंतरणों के प्रति प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रतिकूल प्रोत्साहनों को निष्प्रभावी करता है क्योंकि राज्यों को उस राजस्व के अर्थ में मूल्यांकित किया जाता है, जिसे उन्हें अपनी-अपनी क्षमताओं को देखते हुए उगाहना चाहिए। इसी प्रकार, व्ययों का मूल्यांकन सेवा के औसत अथवा न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से संबद्ध आवश्यकता और संबंधित लागत मानदंडों के आधार पर किया जाता है, न कि व्ययों के विगत इतिहास के आधार पर। आस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रमुख संघों में राजकोषीय अंतरण प्रथा बॉक्स 8 में दी गई है।

राजकोषीय अंतरणों का उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों को दूर करना है। ऊर्ध्वस्थ असंतुलन इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार को अधिक संसाधन दिए गए हैं जबकि राज्य सरकारों को अधिक ज़िम्मेदारियां दी गई हैं। क्षैतिज असंतुलन भिन्न राजकोषीय क्षमताओं और राज्यों को आवश्यकताओं के साथ-साथ सेवाएं देने की अलग-अलग लागतों के कारण उत्पन्न होते हैं (बॉक्स 9)। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अंतरणों का कुल मिलाकर उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ असंतुलनों को ठीक करना है। राज्य सरकारों के बीच अंतरणों के आबंटन का उद्देश्य क्षैतिज असंतुलनों को ठीक करना है। अंतरणों की वर्तमान योजना में, कर डिवोल्यूशन ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों को ठीक करने में दुहरी भूमिका निभाता है, जबकि अनुदान सहायता का उद्देश्य मुख्य रूप से समानीकरण के स्तर को प्राप्त करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत वैधानिक अनुदानों के अलावा, योजना आयोग द्वारा निर्णीत राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को कवर करने वाले योजना अनुदान हैं, इसी तरह योजना के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए योजना अनुदान हैं (बॉक्स 10)। दूसरे प्रकार के अनुदानों में, जो परिमाण में काफी छोटे हैं, योजना से इतर पक्ष में रखे गए राज्यों को केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए गए विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं।

VII.1.2 संवैधानिक प्रावधान

भारत में, केंद्र से राज्यों को राजकोषीय अंतरण संविधान में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किए जाते हैं। निम्न के माध्यम से संसाधनों के व्यापक अंतरण को आसान बनाने के लिए संविधान में अनिवार्य और प्रभावशाली उपबंध किए गए हैं¹⁰:

- क) केंद्र द्वारा शुल्क को लगाया जाना लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाना और अपने पास बनाए रखना (अनुच्छेद 268);
- ख) केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर और शुल्क लेकिन राज्यों को संपूर्ण रूप में दे दिए गए (अनुच्छेद 269);
- ग) आयकर से प्राप्त आगम का अनिवार्य रूप से बंटवारा (अनुच्छेद 270);
- घ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आगमों में अनुमतियोग्य सहभागिता (अनुच्छेद 272);
- ङ) राज्यों को राजस्व की वैधानिक अनुदान-सहायता (अनुच्छेद 275);
- च) किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान (अनुच्छेद 282); और
- छ) किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऋण देना (अनुच्छेद 293)।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के बंटवारे का कार्य वित्त आयोग को सौंपा गया है (अनुच्छेद 280)। यह केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच करों के निवल आगमों तथा राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता के भी वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग के सामने मुख्य विचारणीय मुद्दे इनसे संबंधित हैं (क) राज्यों का कुल हिस्सा निर्धारित करना, (ख) ऐसे मानदंड निर्धारित करना जिन्हें अलग-अलग राज्यों के बीच हिस्सा तय करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और (ग) बंटवारे संबंधी विभिन्न मानदंडों से संबद्ध भारों को निर्धारित करना। अंतरणों के हिस्से के परस्पर मानदंड विचारणीय विषयों की तीन बातों पर आधारित हैं: अर्थात्, आवश्यकताएं, लागत असमर्थता और राजकोषीय कार्यक्षमता।

¹⁰ स्रोत: विट्टल बी. पी. आर. एवं एम. एल. शास्त्री (2001), "फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बॉक्स 8 : आस्ट्रेलिया और कनाडा में राजकोषीय अंतरण

संघीय राज्यों के बीच ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलन एक सामान्य घटना है जिसमें केंद्र से राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण की प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता होती है। दो बड़े संघों अर्थात् आस्ट्रेलिया और कनाडा में संघीय अंतरण की विशेषताओं की चर्चा नीचे की गई है।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया में राजकोषीय अंतरण के ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज पक्षों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सुस्थापित संस्थागत व्यवस्था की गई है। जबकि आस्ट्रेलिया सरकार की परिषद ऊर्ध्वस्थ अंतरणों को तय करती है, राष्ट्रकुल-राज्य वित्तीय संबंध की मंत्रि परिषद राज्यों को अनुदान आबंटन पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो ऊर्ध्वस्थ अंतरणों का एक घटक बनाती है। इसके अलावा, विशेष प्रयोजन मंत्रि-परिषद राष्ट्रकुल सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए विशेष प्रयोजन भुगतानों को देखती है। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग, जो 1933 में स्थापित एक सलाहकार निकाय है, क्षैतिज राजकोषीय अंतरण के वितरण के लिए मानदंडों की सिफारिश करता है। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग ऊर्ध्वस्थ असंतुलन के मुद्दों को नहीं देखता है। ऋण परिषद राष्ट्रकुल और राज्य सरकारों के उधारों का समन्वयन करती है।

आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरणों की सीमा और आकार के विकास को चार स्पष्ट चरणों में देखा जा सकता है : (i) 1976 के पहले, जब राज्यों को सामान्य राजस्व सहायता दी गई; (ii) 1976-1985 तक, जब राजस्व बंटवारे की व्यवस्था लागू की गई; (iii) 1986 से 1997 तक, जब वित्तीय सहायता अनुदानों की प्रणाली पुनः शुरू की गई और (iv) 1999 में अन्तर-सरकारी सहमति के पश्चात्, जिसमें जीएसटी राजस्व के बंटवारे का प्रावधान किया गया है (रंगराजन और श्रीवास्तव, 2004)। आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरण में जीएसटी संग्रह, स्वास्थ्य देखभाल अनुदान और अनेक विशेष प्रयोजन भुगतान शामिल हैं। विशेष प्रयोजन भुगतान बार-बार दिए जाते हैं और पूँजी अनुदान राज्य के विशेष कार्यों जैसे सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा), सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी, आर्थिक सेवाओं (रोड, परिवहन, उद्योग सहायता, जल संसाधन) और अन्य सेवाओं (जैसे आवास और शहरी पुनर्नवीकरण, क्षेत्रीय विकास, आपदा राहत तथा ऋण प्रभार) के लिए दिए जाते हैं। विशेष प्रयोजन भुगतान आस्ट्रेलिया में ऊर्ध्वस्थ अंतरण के लगभग आधा हैं। राष्ट्रकुल आस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत की समान दर से जीएसटी वसूलता है। तथापि, 1999 में अंतर सरकारी सहमति के पश्चात्, जीएसटी के अंतर्गत किए गए संग्रहणों को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार, जीएसटी संग्रहणों की सीमा तक ऊर्ध्वस्थ अंतरण स्वयमेव निर्धारित हो जाता है।

राष्ट्रकुल अनुदान आयोग द्वारा अपनाया गया क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण, सभी राज्यों में जन सेवाओं का समान स्तर सुनिश्चित करने की बात ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता को समान बनाने का प्रयास करता है। क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण के तीन स्तम्भ हैं अर्थात्, क्षमता समानीकरण, आंतरिक मानक और नीतिगत तटस्थता। राष्ट्रकुल अनुदान आयोग राज्यों के बीच फार्मूला आधारित प्रोसेसर अंतरण के अंतर्गत कार्य करता है। वर्षों के दौरान, राष्ट्रकुल अनुदान आयोग ने क्षैतिज राजकोषीय समानीकरण के लिए अपने मानदंडों को आसान बनाया है। 2005 में, राज्य सरकारों के कुल राजस्व का 46.2 प्रतिशत राष्ट्र कुल सरकारों का अनुदान था और स्थानीय सरकारों के कुल राजस्व का 13.2 प्रतिशत उच्च स्तरीय सरकारों का अनुदान (जीएसटी 2006) था।

कनाडा

कनाडा में अंतर-सरकारी अंतरणों में समानीकरण अनुदान, कनाडा के स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा अंतरण (सीएसएसटी) तथा क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीय

(टीएसएसटी) शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, एक नई सुविधा है जिसे स्वास्थ्य सुधार निधि (एचआरएफ) कहते हैं। राजकोषीय क्षमताओं को समान करने के लिए समानीकरण अनुदानों को 1982 से संविधान में अनिवार्य किया गया है। कनाडा में ये अनुदान कुल अंतर-सरकारी अंतरणों के लगभग एक चौथाई हैं। समानीकरण अनुदान की संपूर्ण राशि प्रतिनिधि कर प्रणाली दृष्टिकोण के ढंग से निर्धारित की जाती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, एक विशेष प्रान्त के लिए अनुदान की संपूर्ण राशि का परिकलन, विभिन्न राजस्व स्रोतों के संबंध में मानक आधार और वास्तविक आधार के बीच अंतर के लिए, औसत राजस्व प्रयास का प्रयोग करके किया जाता है। कनाडा में, मानक आधार को पांच प्रांतों के औसत के रूप में माना जाता है।

सीएसएसटी प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों के लिए सबसे बड़ा संघीय अंतरण है। सीएसएसटी अंतरण का तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं का वित्तीय है। सीएसएसटी दो प्रकार के हैं, अर्थात् नकद और कर अंतरण केंद्र। 1977 में शुरू किए गए कर अंतरण बिंदु कनाडियन प्रणाली के संघीय अंतरण की अनोखी विशेषता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, संघीय सरकार अपनी वैयक्तिक और कंपनी आय कर दरों को घटाने के लिए राजी हो गई और इसके पश्चात् संघीय सरकार द्वारा छोड़ी गई दरों पर उन्हीं कर आधारों से राजस्व एकत्र करने के लिए प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों को अनुमति दी गई। कर केंद्रों की सीमाओं का निर्धारण अलग-अलग प्रांतों अथवा क्षेत्रीय सरकारों और संघीय सरकार के बीच वार्ता के द्वारा किया जाता है। बड़े प्रांतों के कर केंद्र काफी ऊँचे हैं क्योंकि उनके कर आधार बहुत बड़े हैं। सीएसएसटी नकदी अंतरणों को, कर केंद्रों के अंतर्गत प्रांतीय प्रति व्यक्ति कुल पात्रता से अंतरण की राशि को घटाकर, अवशिष्ट के रूप में परिकलित किया जाता है। कनाडा में सीएसएसटी में कुल अंतर-सरकारी अंतरण का लगभग तीन-चौथाई है।

कनाडा में तीन क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीय (टीएसएसटी) के माध्यम से अपनी निधियों के एक हिस्से को प्राप्त करती हैं। इन विशेष अंतरणों का उद्देश्य आबादी के एक छोटे भाग, व्यापक क्षेत्र और मौसम की कठिन दशाओं के कारण प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रति व्यक्ति अधिक लागत के लिए क्षेत्रों की प्रतिपूर्ति करना है। क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीय एक 'अंतर भरने वाला' फार्मूला है जिसमें व्यय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सरकारों के अपने संसाधनों के बीच अंतर पर विचार किया जाता है। कनाडा में कुल सरकारी अंतरणों में क्षेत्रीय फार्मूला वित्तीय परिमाण का एक छोटा हिस्सा है।

2005 में, कनाडा में प्रांतीय सरकारों और स्थानीय सरकारों ने अपने कुल राजस्व का क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 40.2 प्रतिशत अंतर-सरकारी अंतरणों के माध्यम से प्राप्त किया (ओएसएस, 2006)।

संदर्भ

1. रंगराजन, सी. और श्रीवास्तव, डी.के. (2004), आस्ट्रेलिया में "राजकोषीय अंतरण : समीक्षा और भारत में प्रासंगिकता", वर्किंग पेपर सं.20, सार्वजनिक वित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
2. रंगराजन, सी. और श्रीवास्तव, डी.के. (2004), "कनाडा में राजकोषीय अंतरण : प्रतिस्पर्धा और सबक लेना", वर्किंग पेपर सं.18, सार्वजनिक वित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
3. मा जून (1997), "इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर - ए कंपेरिजन ऑफ नाइन कंट्रीज", विश्व बैंक।
4. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (2006), सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएसएस)।
5. राष्ट्रकुल अनुदान आयोग (2002), गाइडलाइन्स फॉर इंप्लीमेंटिंग हॉरिजेंटल फिस्कल इक्वलाइजेशन।

बॉक्स 9 : क्षेत्रीय और ऊर्ध्वस्थ समता

किसी संघीय व्यवस्था में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों को ऐसे ऊर्ध्वस्थ और क्षेत्रीय असंतुलनों की मध्यस्थता करने के लिए आवश्यकता है जो कार्यों के आबंटन और सरकार के विभिन्न स्तरों के वित्तीय स्रोतों के कारण हुए हैं। भारतीय संघ में, जबकि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी कार्य हैं जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का गठन, चुनाव, आदि तथा राज्यों को लोगों के जीवन और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य जैसे व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, पानी, आदि करने पड़ते हैं। कराधान की शक्तियों को भी संघ सरकार और राज्यों के बीच बाँटा गया है, केंद्र सरकार कृषि आय को छोड़कर अन्य आय, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर वसूलती है तथा राज्य सरकारें भूमि राजस्व, अल्कोहल शराब, कृषि आय पर कर, संपदा शुल्क, माल की खरीद/बिक्री पर कर, वाहनों, पेशों, विलासिता की वस्तुओं, मनोरंजन, स्टाम्प शुल्क, आदि पर कर वसूलती हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वस्थ असंतुलन कराधान की शक्तियों से संबंधित उपबंधों के द्वारा संविधान में दिया गया है, जो इस आधार पर राज्यों के सार्वजनिक व्यय से संबंधित कई प्रमुख कार्यों को सौंपने से और बढ़ गया है कि जनता के समीपतम होने के कारण वे ऐसी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के दान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अन्य कारकों के कारण, उनके विकास के स्तरों में अंतरों से राज्यों के बीच तीव्र क्षेत्रीय असंतुलन होते हैं। भारत में, राज्यों की न केवल संख्या अधिक है, उनमें कई अन्य मामलों जैसे क्षेत्र, आबादी का आकार, आय, कराधार और खनिज तथा वन संसाधनों में विविधता है। महत्वपूर्ण बात है कि धनी राज्यों की आबादी के हिस्से की तुलना में गरीब राज्यों की आबादी में अंतरण की आवश्यकता सापेक्षिक रूप से अधिक है। केंद्र और समानीकरण अनुदान के लिए उपलब्ध संसाधनों के राज्यों के बीच बँटवारे के द्वारा देश के सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए, केंद्र द्वारा राज्यों को राजकोषीय अंतरण का उद्देश्य ऐसे अंतर्निहित ऊर्ध्वस्थ और क्षेत्रीय

असंतुलनों को दूर करना है। भारत में, ऊर्ध्वस्थ असंतुलन राजस्व बँटवारे के द्वारा और क्षेत्रीय असंतुलन अनुदानों के द्वारा अनुपूरित राज्यों के बीच बँटवारे योग्य राजस्व के संवितरण के फार्मूले के माध्यम से ठीक किए जाने की आशा है। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद बनाया जाने वाला वित्त आयोग, करों और अनुदान-सहायता के निवल आगम के वितरण की केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच भी सिफारिश करके, राजकोषीय अंतरण को सुगम बनाता है।

सरकार की संघीय प्रणाली वाले अन्य राज्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य सरकारों के राजस्व स्रोतों और व्यय उत्तरदायित्वों के बीच असंतुलन तथा विभिन्न राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं में अंतर की अधिकता भी है, जिससे असंतुलनों को दूर करने में राजकोषीय अंतरणों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा मिलता है। आस्ट्रेलिया की संघीय प्रणाली में क्षेत्रीय असंतुलनों की अधिक मात्रा और क्षेत्रीय असंतुलनों की सापेक्षिक रूप से कम मात्रा है। इन असंतुलनों को कर बँटवारा प्रबंधन और विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों के माध्यम से ठीक किया जाता है। दूसरी तरफ, कनाडा के संघवाद में वास्तविक अंतर-प्रांतीय और आंतर-प्रांतीय अंतरों के कारण ऊर्ध्वस्थ और क्षेत्रीय दोनों असंतुलनों की बहुत अधिक मात्रा है। इसलिए, कनाडा में, संघीय अंतरणों की एक समानकारी और उदार व्यवस्था है जिसमें संघीय - प्रांतीय राजकोषीय व्यवस्था और स्थापित कार्यक्रम वित्तीयन अधिनियम, 1977 के अंतर्गत सांविधिक सब्सिडी और अंतरण शामिल हैं। कनाडा में दोनों स्तरों की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सशर्त समान अनुदानों के माध्यम से लागत में सहभागी होती हैं। अमरीका में भी, जहाँ पर सरकार के अनेक स्तर हैं, राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन काफी अधिक हैं और अंतरण क्रियाविधि में वास्तविक (सशर्त) अनुदान, समूह अनुदान और सामान्य राजस्व बँटवारा शामिल हैं। चार देशों अर्थात आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका और भारत में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों का तुलनात्मक मूल्यांकन नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी : अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध - एक तुलना

	भारत	आस्ट्रेलिया	कनाडा	अमरीका
कार्यों का बँटवारा				
1. महत्वपूर्ण कार्य जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, केंद्र के साथ बातचीत	हां	हां	हां	हां
2. राज्यों के शिक्षा, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, आदि से संबंधित कार्य	हां	हां	हां	हां
कर शक्तियों का बँटवारा				
1. केंद्र के महत्वपूर्ण और लोचपूर्ण कर	हां	हां	हां	हां
2. केंद्र के पास राज्यों पर अभिभावी शक्तियां हैं	हां	हां	हां	हां
3. केंद्र सभी कर लगा सकता है।	नहीं	हां	हां	हां
4. काफी मात्रा परस्पर व्यापी है	नहीं	नहीं	हां	हां
अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध				
1. औपचारिक	हां	हां	—	—
2. अनौपचारिक	—	—	हां	हां
3. ऊर्ध्वस्थ असंतुलन	भारी	भारी	भारी	भारी
4. क्षेत्रीय असंतुलन	ऊंचे	ऊंचे	ऊंचे	ऊंचे
5. असंतुलनों में सुधार	आंशिक	अत्यंत अधिक	अधिक	अधिक नहीं

संदर्भ :

- विट्टल, वी.पी.आर. और एम.एल.शास्त्री (2001), “फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया”, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) - नवंबर।

बॉक्स 10 : केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

भारत में, केन्द्र से राज्यों को निधियों का अंतरण सांविधिक और सांविधिकेतर दोनों मार्गों से किया जाता है। सांविधिक मार्ग के अन्तर्गत, वित्त आयोग हर पाँच वर्ष के लिए केंद्र से राज्यों को बँटवारे योग्य करें और योजनेतर अनुदानों की सिफारिश करता है। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा केंद्र से राज्यों को निधियों का अंतरण दो सांविधिकेतर मार्गों के द्वारा किया जाता है। पहला, राज्य योजनाओं को सहायता, जो केंद्रीय योजना सहायता (सीपीए) कहलाती है और दूसरा केंद्रीय मंत्रालयों की केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाएं (सीएसएस), जो संविधान के अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है।

केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाएं लंबवत् अंतर पाटने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य राज्यों को उस व्यय के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय/क्षेत्रीय प्राथमिकता समझती है, जबकि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सामान्यतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। सीएसएस कई मंत्रालयों द्वारा बनायी जाती हैं, जो मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित केंद्रीय योजना बजट के माध्यम से केंद्र से राज्यों को निधियों का अंतरण करते हैं। लेकिन, योजनाओं का अनुमोदन और अनापत्ति योजना आयोग से अपेक्षित है, इसके पश्चात् केंद्रीय मंत्रालय राज्य-वार आबंटन करते हैं। अलग-अलग योजनाओं का परिव्यय और स्वरूप योजनाओं के साथ संलग्न उपबंधों और दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे राज्यों द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

शुरू में, सीएसएस केवल तभी बनायी जाती थीं जब कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य हो, जैसे निर्धनता उन्मूलन किया जाना हो अथवा कार्यक्रम का स्वरूप क्षेत्रीय अथवा अंतर-राज्य स्वरूप का हो अथवा नई गति देने वाला हो अथवा इसका प्रयोजन सर्वेक्षण या अनुसंधान हो। तथापि, राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के काफी बड़े क्षेत्र को शामिल करके सीएसएस की संख्या बढ़ाई गई। राज्य संबंधी विषयों पर केंद्र की बड़ी हुई संलिप्तता के लिए महत्वपूर्ण कारण हैं : सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने में राज्यों की असमर्थता, राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रणनीति का अभाव और प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की अपर्याप्त प्रतिबद्धता। तथापि, सामाजिक कार्यक्रम के लिए बाह्य निधियों की उपलब्धता, जो कि राज्य का विषय है, और जिसे पहले सरकार की केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता था, योगदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक क्षेत्र के लिए बाह्य निधीयन, जो बाह्य एजेंसियों द्वारा आसान ऋण के रूप में दिया जाता है, के लिए निधियों के आसान प्रवाह हेतु जबाबदेही सुनिश्चित करने और गहरी निगरानी तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की शर्त रहती है।

विशेष प्रयोजन योजनाओं के रूप में, विशेष प्रयोजन अनुदान और ऋण, जिसे 1969 में सीएसएस का नाम दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े का कारण हैं। राज्यों ने कहा है कि यदि केंद्र के पास अतिरिक्त संसाधन हैं, तो उसे शर्तमुक्त अथवा समूह सहायता के रूप में राज्यों को अंतरित किया जा सकता है न कि शर्त सहायता के रूप में जैसा कि सीएसएस में है। 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक फैसला लिया कि राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता कुल मिलाकर समूह/बिना शर्त सहायता के रूप में दी जानी चाहिए और सीएसएस राशि को समूह सहायता के 1/6 तक सीमित किया जाना चाहिए। तथापि, सहायता की संख्या और राशि दोनों के अनुसार केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाओं में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

केंद्रीय योजना में सीएसएस के दो प्रकार हैं। सीएसएस के पहले वर्ग (वर्ग I) में वे योजनाएं शामिल हैं, जिसे केंद्रिय बजट में परिव्यय को स्पष्ट रूप से सीएसएस योजनाओं के रूप में माना गया है और उसे राज्य बजटों के माध्यम से दिया जाएगा। वर्ग II की सीएसएस को केंद्रीय बजट में राज्यों के अंतरण के रूप में नहीं माना गया है और इसमें उन योजनाओं को शामिल किया गया है जिनका विभाग के विशिष्ट कार्यात्मक शीर्ष के अन्तर्गत एक पृथक कार्यक्रमात्मक लघु/अतिलघु शीर्ष के साथ बजट अनुमान लगाया गया है। वर्ग II की सीएसएस को या तो राज्य बजटों के माध्यम

से पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से मार्गस्थ किया जाता है अथवा राज्य बजटों में शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें सीधे राज्य/जिला एजेंसियों को भेजा जाता है। 2007-08 के केंद्रीय बजट के अनुसार, वर्ग I सीएसएस के अन्तर्गत आबंटित राशि 21,880 करोड़ रुपए होगी, जो 2007-08 के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का 47.0 प्रतिशत होगी और जो 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 42.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अनुमान है कि 2006-07 में केंद्र द्वारा प्रायोजित कुल 196 योजनाएं (वर्ग I और वर्ग II दोनों) थीं। इनमें से 24,802 करोड़ रुपए वाली 154 सीएसएस को राज्य बजटों के माध्यम से मार्गस्थ होने का अनुमान लगाया है और 36,516 करोड़ रुपए की 41 शेष सीएसएस राज्य बजटों से बाहर होंगी तथा पंचायती राज जैसी संस्थाओं के पास सीधे कार्यान्वयन के लिए जाएंगी (राव, गुप्ता और जेना, 2007)। 2006-07 में सीएसएस के अन्तर्गत कुल अनुमानित परिव्यय केंद्रीय योजना के लिए सकल बजट सहायता का 46.7 प्रतिशत और राज्य सरकारों के अनुमोदित योजना परिव्यय का 33.3 प्रतिशत था।

यद्यपि सीएसएस को अधिकांश रूप से केंद्र द्वारा अनुदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है, राज्यों को भी उतना ही योगदान करना होता है। 1980 के दशक में, राज्यों द्वारा सामान्य रूप से 50 प्रतिशत का समान योगदान किया गया, लेकिन राज्यों की कठिन राजकोषीय स्थिति को देखते हुए, 1990 के दशक में इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। राज्यों से अपेक्षित इस योगदान को देखते हुए, यह पाया गया कि सापेक्षिक रूप से अच्छी स्थिति वाले राज्यों को सीएसएस से अधिक लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास बेहतर समानुपातिक संसाधन और बेहतर कार्यान्वयन क्षमता है। वर्तमान दशक में शुरू की गई कुछ योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वयं विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को केंद्र से प्राप्त 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से संचालित किया जाता है।

सीएसएस से संबंधित कुछ मुद्दे शैक्षिक साहित्य में उठाए गए हैं, यह प्रायः कहा जाता है कि केंद्रीकृत रूप से प्रवर्तित योजनाओं का विस्तार प्रायः राज्य और स्थानीय निकायों के लिए प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा, सीएसएस के सतत बढ़ने से, राज्यों को राजकोषीय अंतरण फार्मूला आधारित होने के बजाय अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है, जो राजकोषीय संघवाद के हित में वांछनीय नहीं है। सीएसएस से जुड़ी एक समस्या यह है कि केंद्र सरकार इसके मानदंड बनाती है जिसके अन्तर्गत योजनाएं संचालित होती हैं और इससे राज्य सरकारों को अक्सर उस नमनीयता से वंचित होना पड़ता है जिसकी स्थानीय दशाओं को ध्यान में लेते समय आवश्यकता होती है। दूसरी समस्या यह है कि केंद्रीय सहायता जारी करने को उपभोग प्रमाणपत्रों के समय पर प्रस्तुत करने से जोड़ा गया है, ऐसा अनुशासन यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि अंतरणों से वास्तविक व्यय होता है। यह कहा गया है कि सहायता के बाद के हिस्से जारी करने के पहले उपभोग प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा कार्यान्वयन को हानि पहुँचा सकती है, विशेष रूप से तब जब कोई खास प्रकार का कार्य वर्ष के केवल कुछ ही निश्चित महीनों में किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. दीक्षित ए., रेणुका विश्वनाथन और टी आर रघुनंदन (2007), 'एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 9 जून।
2. गर्ग, सुभाषचंद्र (2006), 'ट्रांसफारमेशन ऑफ सेंट्रल ग्रान्ट्स टू स्टेट्स - ग्रीडिंग कंडीशनलटी एंड बाइपासिंग स्टेट बजट्स' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2 दिसंबर।
3. राव, सी. भुजंगा, मनीष गुप्ता और प्रताप रंजन जेना (2007), 'सेंट्रल फ्लोज टु पंचायतस - ए कंपरेटिव स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 3 फरवरी।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विभाज्य करों में राज्यों के अंश पर अब तक की गई सिफारिशें अनुबंध 5 में दी गई हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले दो मुख्य केंद्रीय कर राज्यों के साथ बांटे गए थे, अर्थात् निगम कर छोड़कर आय कर (अनुच्छेद 270) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अनुच्छेद 272)। आय कर का बंटवारा अनिवार्य था जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बंटवारा विवेकसम्मत था। 80वें संविधान संशोधन ने केंद्रीय करों के बंटवारे की पद्धति में आधारभूत परिवर्तन किए। सभी केंद्रीय कर बंटवारे योग्य समूह में लाए गए (अनुच्छेद 270) और अनुच्छेद 268 तथा 269 के तहत के करों, निर्धारित उपकरणों और अनुच्छेद 271 के अंतर्गत के अधिभारों को छोड़कर शेष सभी केंद्रीय करों से अंश देना अनिवार्य हो गया। संशोधित अनुच्छेद 269 में मात्र सीएसटी और परेषण कर हैं जो प्रभारित नहीं किए जाते। इस परिवर्तन का आधार दसवें वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण की उसकी वैकल्पिक योजना में की गई सिफारिश थी जिसके अनुसार एकल करों के विभाजन के स्थान पर राज्य अधिभारों और उप करों को छोड़कर शेष सभी केंद्रीय करों के कुल निवल आगम में हिस्सा पा सकते हैं। यह योजना सर्वप्रथम ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा लागू की गई। इस नई अंतरण योजना से केंद्र को कर सुधार का कार्य समन्वित रूप से करने की अधिक स्वतंत्रता और लोच प्राप्त हुई तथा केंद्रीय करों की कुल घट-बढ़ में अंश प्राप्ति हेतु राज्य सक्षम हुए। संविधान की सातवीं अनुसूची में सेवा कर संबंधी अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं। किंतु, अनुच्छेद 268ए के अंतर्गत सेवा कर को केंद्रीय करों के विभाज्य समूह से हटा दिया गया है जिससे वे वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं।

एक समान विभाजन के संबंध में पिछले कुल वित्त आयोग से वितरण के मानदंड निम्न की ओर परिवर्तित हुए हैं : (क) आवश्यकता संबंधी कारकों में जनसंख्या और आय अंतर को स्वीकृति प्राप्त हुई है; (ख) लागत अक्षमता कारकों में क्षेत्र और बुनियादी सुविधा सूचकांक अंतर अधिमानी संकेतक प्रतीत हुए हैं; और (ग) राजकोषीय कुशलता कारकों में कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन, जिन्हें राजस्व व्यय के प्रति स्वयं के कर राजस्व के अनुपात से नापा गया है, को उपयुक्त माना गया है। अनुवर्ती वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण के लिए उपयोग में लाया गया मानदंड और भारांक अनुबंध 6 में दिया गया है।

एक समान विभाजन का एक अन्य साधन 'सहायता अनुदान' है। अनुदान के संदर्भ में अनुच्छेद 280(3)(बी) और 270 के अंतर्गत वित्त आयोग को दो दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 280(3)(बी) के अनुसार वित्त आयोग को ऐसे सहायता अनुदान संबंधी 'सिद्धांतों' की सिफारिश करनी होती है। अनुच्छेद 275(1) में 'सहायता की आवश्यकता' में राज्य सरकारों को देय विशिष्ट राशि के आकलन पर चर्चा की गई है। आवश्यकता के आकलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई सेवाओं, औसत या अन्य वांछनीय मानदंडों के संबंध में इन सेवाओं के स्तर और सीमा, जहां तक इन अपेक्षाओं को स्वयं के राजस्व से पूरा किया जा सकता है, पर ध्यान देना होगा। सेवाओं को सामान्य प्रशासन जैसे सार्वजनिक सामान और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे गुणवत्तापूर्ण सामान जैसा माना जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि अनुदान पूर्ण राशि के संदर्भ में दिए जाते हैं जिससे वे अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि विभाज्य करों की राशि केंद्र सरकार द्वारा कर जुटाव पर निर्भर होकर बदलती रहती है क्योंकि अंतरण जुटाए गए कुल करों के अनुपात में होते हैं।

VII.1.3 संस्थागत व्यवस्था

सांविधिक अंतरण, जिनमें केंद्रीय कर राजस्व और अनुदान शामिल होते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वितरित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को योजना सहायता दी जाती है जिसमें अनुदान और ऋण शामिल होते हैं। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का अनुदान-ऋण अनुपात 30:70 है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों का 90:10 है। सामान्य केंद्रीय सहायता में 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए निर्धारित होता है। राज्यों की योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का निर्धारण 'गाइडिल फामूर्ला' और उसमें बाद में किए गए आशोधन जैसे संशोधन के आधार पर किया जाता है (बॉक्स 11)। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को ऋण और अनुदान के बीच 70:30 का अनुपात लगाने (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10:90) की प्रणाली समाप्त की जाए।

इसके अलावा, चूंकि राज्य बाहर से उधार नहीं ले सकते, अतः भारत सरकार मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और बाहरी

बॉक्स 11 : गाडगिल फार्मूला और उसके रूपांतर

1. एनडीडीसी द्वारा सितंबर 1968 में अनुमोदित मूल गाडगिल फार्मूला

- (1) केंद्र की कुल सहायता में से सर्वप्रथम असम, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए।
- (2) उसके पश्चात शेष केंद्रीय सहायता शेष चौदह राज्यों के बीच निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वितरित की जानी चाहिए :
 - (i) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत - 1965 के मध्य की अनुमानित जनसंख्या।
 - (ii) प्रति व्यक्ति राज्य देशी उत्पाद (एसडीपी) - तीन वर्षों (1962-63 से 1964-65) का औसत - के आधार पर 10 प्रतिशत; मात्र उन्हीं राज्यों को सहायता दी जाए जहां प्रति व्यक्ति एसडीपी राष्ट्रीय औसत से कम है। वितरण में परिवर्तन पद्धति अपनायी जाएगी।
 - (iii) 10 प्रतिशत राज्यों के कर प्रयासों के आधार पर प्रति व्यक्ति एसडीपी (1962-65 का औसत) के प्रतिशत के रूप में राज्य की अपनी प्रति व्यक्ति कर प्राप्ति (1967-68)।
 - (iv) निरंतर चल रही सिंचाई और बिजली की उन मुख्य परियोजनाओं के चौथी योजना में प्रवेश के आधार पर 10 प्रतिशत जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है और न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय हुआ है।
 - (v) एकल राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रतिशत।

2. अद्यतन किया गया गाडगिल फार्मूला

- (1) केंद्र की कुल सहायता में से सर्वप्रथम असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा की आवश्यकता पूरी की जाए।
- (2) शेष राशि को निम्नवत वितरित किया जाए :
 - (i) 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर - 1971 की जनसंख्या।
 - (ii) 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति एसडीपी के आधार पर - औसत से कम वाले राज्यों को ही, 1970 - 73 का औसत।
 - (iii) 10 प्रतिशत राज्यों के कर प्रयासों के आधार पर - प्रति व्यक्ति एसडीपी (1970-73 का औसत) के प्रतिशत के रूप में राज्य की अपनी प्रति व्यक्ति कर प्राप्ति (1973-74)।

(iv) 10 प्रतिशत निरंतर चल रही सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के आधार पर।

(v) 10 प्रतिशत राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर। (यहां मूल गाडगिल फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मात्र आंकड़ों के आधार को अद्यतन किया गया है)।

3. आशोधित गाडगिल फार्मूला

- (1) विशेष श्रेणी के आठ राज्यों के लिए एकमुश्त राशि अलग रखनी है।
- (2) शेष 14 राज्यों के बीच शेष राशि निम्नवत वितरित की जाएगी :
 - (i) 60 प्रतिशत - 1971 की जनसंख्या।
 - (ii) 10 प्रतिशत - कर प्रयास - 1978-79 की कर प्राप्ति और 1973-76 का प्रति व्यक्ति एसडीपी।
 - (iii) 20 प्रतिशत - औसत से कम वाले राज्यों को 1973-76 का प्रति व्यक्ति एसडीपी।
 - (iv) 10 प्रतिशत - राज्यों की विशेष समस्याएं।

4. संशोधित गाडगिल फार्मूला

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसंबर 1991 में हुई अपनी बैठक में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए निम्नवत संशोधित फार्मूला अनुमोदित किया।

- (i) 60 प्रतिशत - 1971 की जनसंख्या।
- (ii) 25 प्रतिशत - प्रति व्यक्ति एसडीपी :
 - (क) 20 प्रति व्यक्ति एसडीपी के औसत से कम वाले राज्यों के लिए - परिवर्तन पद्धति
 - (ख) 5 प्रतिशत सभी राज्यों के लिए - अंतर पद्धति।
- (iii) 7.5 प्रतिशत - कर प्रयास, राजकोषीय प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, स्त्री शिक्षा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और भूमि सुधार को समय पर पूरा करने संबंधी निष्पादन।
- (iv) 7.5 प्रतिशत : राज्यों की विशेष समस्याएं।

स्रोत : बीपीआर विट्टल और एम.एल.शास्त्री (2002), 'राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आबंटन का गाडगिल फार्मूला', आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र।

सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि राज्यों को अंतरित करती है। केंद्र सरकार ऐसे ऋणों का विनिमय दर जोखिम स्वयं वहन करती है और निधि आगे राज्य सरकारों को उधार देती है जिस पर ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित स्थिर दर होती है। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बाह्य सहायता राज्यों को उन्हीं शर्तों पर अंतरित की जाए जो बाह्य निधीयन एजेंसियों द्वारा ऐसी सहायता पर लगाई जाती है जिससे भारत सरकार बिना

लाभ या हानि वाला वित्तीय मध्यस्थ बन सके। इससे संबंधित विनिमय दर जोखिम राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा।

जहां तक राज्यों को राजकोषीय अंतरणों की लेखांकन व्यवस्था का संबंध है, राजस्व लेखे (केंद्रीय करों में हिस्सा और सहायता अनुदान) तथा पूंजी लेखे (केंद्र से ऋण) के सभी अंतरण भारत की समेकित निधि से होते हैं।

VII.2 राजकोषीय अंतरणों का महत्व¹¹

VII.2.1 समेकित स्थिति

निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया विश्लेषण पिछले दो दशकों के दौरान राजकोषीय अंतरण की प्रवृत्ति और तत्पश्चात केंद्रीय कर में हिस्सा, केंद्र से सहायता अनुदान और ऋण जैसे विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति कवर करता है। इसके अलावा, वित्त आयोग और अन्य के माध्यम से राजकोषीय अंतरणों की प्रवृत्ति भी कवर की गई है।

सकल डिवोल्यूशन और अंतरण

सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (जीडीटी), जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा (एससीटी), सहायता अनुदान (जीआईए) और केंद्र से ऋण शामिल होते हैं, पिछले वर्षों में लगातार बढ़ा है किंतु उसमें 1999-2000 में गिरावट देखी गई (सारणी 45 और चार्ट 20)।

घटक-वार, जीडीटी में एससीटी और जीआईए का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ गया जिसमें बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को एलएफसी समाप्त हो गई।

2007-08 में जीडीटी जीडीपी के 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 24)। औसतन, बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान जीडीटी-जीडीपी का अनुपात ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि (5.2 प्रतिशत) की तुलना में 5.5 प्रतिशत पर अधिक था (सारणी 46)। 2005-08 के दौरान जीडीटी राज्यों के कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों के लगभग 33 प्रतिशत थी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीटी दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधियों के साथ 1990 के दशक में और 2000 के दशक के प्रारंभ में कम हो गई। बारहवें वित्त आयोग की अवधि में अब तक 22.5 प्रतिशत पर जीडीटी की चक्रवृद्धि वार्षिक

सारणी 45 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण का संयोजन

वर्ष	केंद्रीय करों में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	कुल	केंद्रीय करों में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	कुल
	(करोड़ रुपए)				(कुल से प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	8,384	6,985	7,703	23,072	36.3	30.3	33.4	100.0
1987-88	9,660	8,275	9,034	26,969	35.8	30.7	33.5	100.0
1988-89	10,736	9,660	9,937	30,333	35.4	31.8	32.8	100.0
1989-90	13,097	8,505	11,259	32,862	39.9	25.9	34.3	100.0
1990-91	14,242	12,643	13,974	40,859	34.9	30.9	34.2	100.0
1991-92	16,848	15,226	13,069	45,143	37.3	33.7	29.0	100.0
1992-93	20,580	17,759	13,100	51,439	40.0	34.5	25.5	100.0
1993-94	22,395	21,176	14,277	57,848	38.7	36.6	24.7	100.0
1994-95	24,885	19,911	18,742	63,538	39.2	31.3	29.5	100.0
1995-96	29,048	20,873	18,804	68,725	42.3	30.4	27.4	100.0
1996-97	35,038	22,949	22,931	80,918	43.3	28.4	28.3	100.0
1997-98	40,411	23,853	29,744	94,009	43.0	25.4	31.6	100.0
1998-99	39,421	23,480	39,367	1,02,268	38.5	23.0	38.5	100.0
1999-00	44,121	30,177	21,354	95,652	46.1	31.5	22.3	100.0
2000-01	50,734	37,289	18,707	1,06,730	47.5	34.9	17.5	100.0
2001-02	52,215	42,601	24,396	1,19,213	43.8	35.7	20.5	100.0
2002-03	56,655	45,170	26,831	1,28,657	44.0	35.1	20.9	100.0
2003-04	67,080	50,834	25,871	1,43,785	46.7	35.4	18.0	100.0
2004-05	78,550	56,322	25,878	1,60,750	48.9	35.0	16.1	100.0
2005-06	94,024	76,750	8,097	1,78,871	52.6	42.9	4.5	100.0
2006-07 (सं.अ.)	1,15,737	1,02,955	10,197	2,28,889	50.6	45.0	4.5	100.0
2007-08 (ब.अ.)	1,36,184	1,17,320	14,918	2,68,422	50.7	43.7	5.6	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

ब.अ. : बजट अनुमान।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

¹¹ इस खंड के आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं। बारहवें वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत आंकड़े पहले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के लिए उपलब्ध हैं। अतः, बारहवें वित्त आयोग से संबंधित आंकड़े पिछली अवधि के आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

सारणी 46 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण* – वार्षिक औसत

अवधि	जीडीपी (करोड़ रुपए)	जीडीपी/जीडीपी	जीडीपी/एडी	जीडीपी/एआर	जीडीपी (एएजीआर)
		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	51,765	6.8	42.6	42.3	14.2
दसवां वि. आ. (1995-00)	88,314	5.7	38.4	38.7	8.9
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	1,31,827	5.2	30.4	30.2	11.0
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,25,394	5.5	33.4	33.0	18.8

* : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (जीडीपी) में केंद्रीय कर, केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र से सकल ऋण शामिल हैं।

जीडीपी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण

जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

एडी : सकल संवितरण

एआर : कुल प्राप्तियां।

एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वृद्धि दर (सीएजीआर) पिछले तीन वित्त आयोग के दौरान की स्थिति की तुलना में बहुत अधिक थी (चार्ट 21)।

निवल डिवोल्यूशन और अंतरण

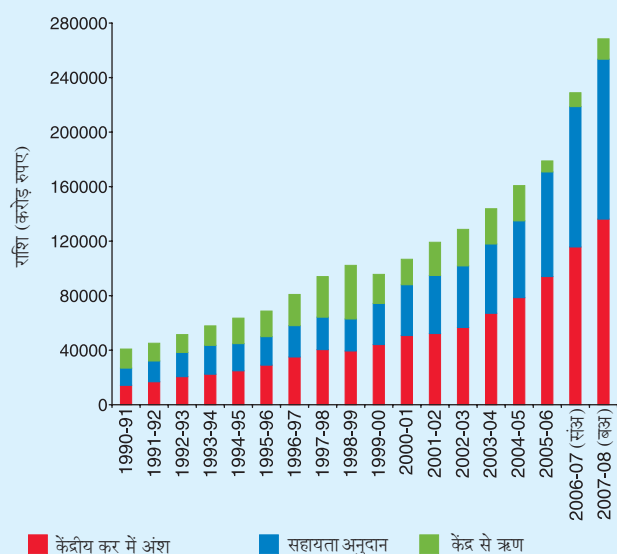
केंद्र से निवल डिवोल्यूशन और अंतरण (एनडीटी), जिनमें चुकौती और ब्याज भुगतान हटाकर सकल डिवोल्यूशन और अंतरण शामिल होते हैं, 2007-08 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 25)। औसतन, बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों के दौरान एनडीटी का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग (3.3 प्रतिशत) और दसवें वित्त आयोग (4.1 प्रतिशत) की अवधि की तुलना में अधिक (जीडीपी का 4.9 प्रतिशत) था (सारणी 47)। एनडीटी कुल

संवितरण और कुल प्राप्तियों का लगभग 30 प्रतिशत था। एनडीटी पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में बारहवें वित्त आयोग की अवधि में अब तक तेज गति से (25.2 प्रतिशत सीएजीआर) बढ़े (चार्ट 21)। इसके अलावा, 2005-06 के दौरान एनडीटी का सीएजीआर जीडीपी को पार कर गया जिससे पूर्ववर्ती तीन पंचवर्षीय अवधियों की प्रवृत्ति उलट गई जब जीडीपी का सीएजीआर एनडीटी से अधिक था।

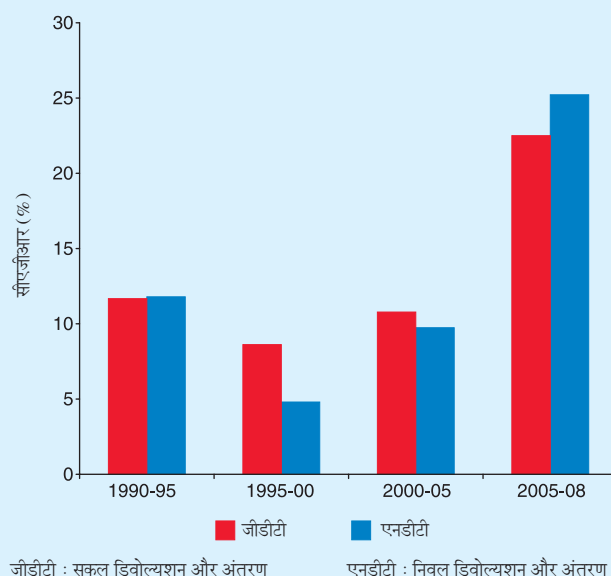
केंद्रीय करों में अंश

ऊपर बनाए अनुसार, एससीटी का उद्देश्य ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज असंतुलनों में सुधार करना है। औसत आधार पर, जीडीपी में एससीटी का अंश नौवें वित्त आयोग के दौरान के 38.0 प्रतिशत से बढ़कर दसवें

चार्ट 20 : केंद्र से संसाधनों का सकल अंतरण



चार्ट 21 : जीडीपी और एनडीटी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरें



सारणी 47 : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण* – वार्षिक औसत

अवधि	एनडीटी (करोड़ रुपए)	एनडीटी/जीडीपी	एनडीटी/एडी	एनडीटी/एआर	एनडीटी (एएजीआर)
		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	39,798	5.2	32.8	32.5	14.7
दसवां वि. आ. (1995-00)	62,965	4.1	27.6	27.8	5.2
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	84,515	3.3	19.4	19.3	11.7
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,04,058	4.9	30.1	29.8	35.6

* : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण ऋण चुकौतियां और भुगतानों को घटाकर प्राप्त सकल डिवोल्यूशन और अंतरण हैं।

एनडीटी : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण

जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

एडी : सकल संवितरण

एआर : कुल प्राप्तियां.

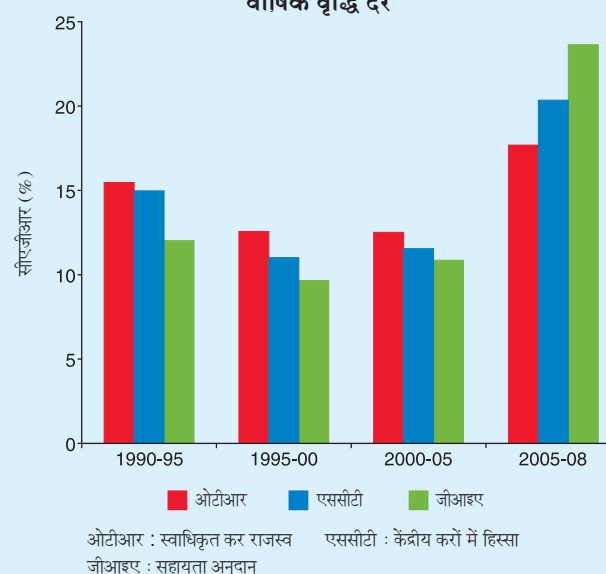
एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वित्त आयोग की अवधि के दौरान 42.6 प्रतिशत और ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में और बढ़कर 46.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में एससीटी-जीडीटी अनुपात बढ़कर 51.3 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एससीटी बढ़कर 2005-08 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गया जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान इसका औसत 2.4 प्रतिशत था (सारणी 48)। एससीटी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 22 प्रतिशत और राज्यों के कुल कर राजस्व का लगभग एक-तिहाई है (परिशिष्ट सारणी 26)। इस प्रकार, हाल के वर्षों के दौरान एससीटी जीडीटी के मुख्य घटक के रूप में उभरा है (सारणी 45 भी देखें)।

2005-08 के दौरान 20.3 प्रतिशत पर एससीटी का सीएजीआर राज्यों के 17.7 प्रतिशत के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) से अधिक था और यह नौवें, दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के विपरीत था (चार्ट 22)।

चार्ट 22 : ओटीआर, एससीटी और जीआइए की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दरें



सारणी 48 : केंद्रीय करों में हिस्सा – वार्षिक औसत

अवधि	एससीटी	एससीटी/जीडीटी	एससीटी/जीडीपी	एससीटी/आरआर	एससीटी/टीआर	एससीटी(एएजीआर)
	(करोड़ रुपए)	(प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7
नौवां वि. आ. (1990-95)	19,790	38.0	2.6	21.4	32.5	13.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	37,608	42.6	2.4	22.7	32.4	12.4
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	61,047	46.2	2.4	21.4	30.1	12.4
बारहवां वि. आ. (2005-08)	1,15,315	51.3	2.8	22.0	31.1	20.2

एससीटी : केंद्रीय करों में हिस्सा

जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण

जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

आरआर : राजस्व प्राप्तियां

टीआर : कर राजस्व

एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 49 : सहायता अनुदान – वार्षिक औसत

अवधि	एसजी	एनएसजी	जीआइए (2+3)	जीआइए/ जीडीपी	एसजी/ जीडीपी	एनएसजी/ जीडीपी	जीआइए/ जीडीपी	जीआइए (एएजीआर)
	(करोड़ रुपए)			(प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौवां वि. आ. (1990-95)	2,382	14,961	17,343	33.4	0.3	1.9	2.3	19.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	2,935	21,332	24,267	27.7	0.2	1.4	1.6	9.1
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	9,792	36,651	46,443	35.2	0.4	1.4	1.8	13.4
बारहवां वि. आ. (2005-08)	20,620	78,389	99,008	43.9	0.5	1.9	2.4	28.1

एसजी : सांविधिक अनुदान
जीडीपी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण
प्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

एनएसजी : सांविधिक अनुदान
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

जीआइए : सहायता अनुदान
एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर

सहायता अनुदान

जीडीपी में जीआइए का अंश नौवें वित्त आयोग के 33.4 प्रतिशत से कम होकर दसवें वित्त आयोग के दौरान 27.7 प्रतिशत रह गया किंतु ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान बढ़कर 35.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में जीआइए-जीडीपी अनुपात बढ़कर 43.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 49)। जीआइए ने राज्यों की राजस्व प्राप्ति में लगभग 19 प्रतिशत का योगदान किया और यह राज्यों के करेतर राजस्व का लगभग दो-तिहाई था (परिशिष्ट सारणी 27)। 2005-06 के दौरान जीआइए 23.6 प्रतिशत सीएजीआर पर बढ़ा और उसने एससीटी के साथ ही राज्यों की ओटीआर वृद्धि को पार कर लिया (चार्ट 22)। यह वृद्धि सांविधिक और गैर सांविधिक दोनों घटकों में हुई थी।

केंद्र से ऋण

केंद्र से राज्यों को मिलने वाले योजना ऋण की 2005-06 से समाप्ति, अल्प बचत के लेखांकन स्वरूप में परिवर्तन और 1

अप्रैल 1999 से एनएसएसएफ का गठन होने से बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एससीटी और जीआइए केंद्र से राज्यों को होने वाले जीडीपी के दो मुख्य घटक बने रहे।

जीडीपी में सकल एलएफसी का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान के 18.6 प्रतिशत से कम होकर बारहवें वित्त आयोग के दौरान 4.8 प्रतिशत रह गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एलएफसी का हिस्सा और राज्यों की कुल पूंजीगत प्राप्ति में उसका हिस्सा तेजी से कम हो गया (सारणी 50 और परिशिष्ट सारणी 28)। एलएफसी के महत्व में गिरावट बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1 अप्रैल 2005 से योजना ऋण की समाप्ति दर्शाती है। 2005-06 के केंद्रीय बजट में यह निर्णय लिया गया था कि विधान युक्त केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपनी वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से सीधे ही ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार, ब्लॉक ऋण (योजना) राज्यों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकारें अनुमोदित योजना आकार के अनुरूप अपेक्षित राशि

सारणी 50 : केंद्र से ऋण

अवधि	जीएलएफसी	एनएलएफसी	जीएलएफसी/ जीडीपी	एनएलएफसी/ एनडीटी	जीएलएफसी/ जीडीपी	एनएलएफसी/ जीडीपी	जीएलएफसी/ सीआर	जीएलएफसी/ (एएजीआर)
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नौवां वि. आ. (1990-95)	14,632	10,384	28.6	26.3	1.9	1.4	48.3	11.6
दसवां वि. आ. (1995-00)	26,440	19,190	29.6	29.9	1.7	1.3	43.2	7.7
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	24,337	4,601	18.6	5.9	1.0	0.2	16.5	4.9
बारहवां वि. आ. (2005-08)	11,071	2,817	4.8	1.2	0.3	0.1	7.1	1.2

जीएलएफसी : केंद्र से सकल ऋण
एनडीटी : निवल डिवोल्यूशन और अंतरण
एएजीआर : वार्षिक औसत वृद्धि दर
प्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

एनएलएफसी : केंद्र से निवल ऋण
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

जीडीटी : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण
सीआर : पूंजी प्राप्ति

सारणी 51 : वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

अवधि	एससीटी	एसजी	एफसीटी (2+3)	ओसीटी	जोड़ (4+5)
1	2	3	4	5	6
नौवां वि. आ. (1990-95)	19,790 (2.6)	2,382 (0.3)	22,172 (2.9)	14,961 (1.9)	37,133 (4.9)
दसवां वि. आ. (1995-00)	37,608 (2.4)	2,935 (0.2)	40,542 (2.6)	21,332 (1.4)	61,874 (4.0)
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	61,047 (2.4)	9,792 (0.4)	70,839 (2.8)	36,651 (1.4)	1,07,490 (4.2)
बारहवां वि. आ. (2005-08)	1,15,315 (2.8)	20,620 (0.5)	1,35,935 (3.3)	78,389 (1.9)	2,14,323 (5.2)

एससीटी : केंद्रीय करों में हिस्सा

एसजी : सांविधिक अनुदान

ओसीटी : अन्य चालू अंतरण

एफसीटी : वित्त आयोग के अंतरण

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े सघट से प्रतिशत के रूप में हैं।

2. अन्य चालू अंतरण सांविधिकेतर अनुदानों के समान हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बाजार से जुटाएंगी। यह निर्णय विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांत के अनुरूप था ताकि राज्यों को उनके ऋण जोखिम के संदर्भ में उधार लेने की अनुमति मिल सके और केंद्र सरकार का मध्यस्थ के रूप में कार्य करना समाप्त किया जा सके।

वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण

वित्त आयोग के अंतरण, जिसमें एससीटी और वैधानिक अनुदान तथा नैसर्गिक आपदाओं के संबंध में अनुदान शामिल होते हैं, औसतन राज्यों को किए गए कुल चालू अंतरणों का लगभग दो-तिहाई थे। जीडीपी के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग के दौरान वित्त आयोग के अंतरण जीडीपी के 3.3 प्रतिशत थे जो नौवें वित्त आयोग के समय से सबसे बड़ा वित्त आयोग का अंतरण है (सारणी 51 और परिशिष्ट सारणी 29)। इसका कारण एससीटी के साथ बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अनुदान के घटक में भारी वृद्धि था।

यह उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित कारणों से वित्त आयोग के समग्र अंतरणों की अधिक भूमिका की सिफारिश की है : (क) अनुदान का निर्धारण निरपेक्ष रूप से किया जाए ताकि राशि का पता चले, (ख) अनुदान को बेहतर रूप से लक्षित किया जा सकता है, और (ग) अनुदान निर्धारित करने में बेहतर लेखे लागत अक्षमता और पुनर्वितरण धारणा में लिए जा

सकते हैं जो कर डिवोल्यूशन फार्मूले में ठीक से पकड़ में नहीं आते हैं। तदनुसार, बारहवें वित्त आयोग ने वित्त आयोग के कुल अंतरण में 2005-10 की अवधि में 18.87 प्रतिशत अंश वृद्धि की अनुमति दी जो दसवें वित्त आयोग के दौरान 8.96 प्रतिशत और ग्यारहवें वित्त आयोग के दौरान के 13.47 प्रतिशत थी। 2005-06 से 2007-08 के डाटा से यह प्रदर्शित हुआ कि वित्त आयोग के अंतरण में अनुदानों का अंश औसतन 15.2 प्रतिशत था जबकि कर डिवोल्यूशन का 84.8 प्रतिशत था।

अन्य चालू अंतरण भी, जिनमें पीसी और वित्त मंत्रालय से अंतरण शामिल होते हैं, बारहवें वित्त आयोग की अवधि में जीडीपी की तुलना में अधिक बढ़े।

VII.2.2 राज्य-वार स्थिति

राज्य-वार स्थिति की समीक्षा से जनसंख्या के आकार के आधार पर डिवोल्यूशन और अंतरण, राजस्व उत्पत्ति क्षमता और राज्यों की विकास-आवश्यकता के आधार के संदर्भ में भारी भिन्नता का पता चलता है। सकल और निवल डिवोल्यूशन और अंतरण, केंद्रीय करों में हिस्सा, अनुदान सहायता, केंद्र से ऋण, वित्त आयोग के अंतरण और अन्य चालू अंतरण, अंतरण से पहले और बाद में राजस्व प्राप्ति तथा जीएफडी के वित्तपोषण में केंद्र के ऋण की भूमिका की स्थिति विवरण सं.49-56 में दी गई है।

सारणी 52 : जीडीटी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

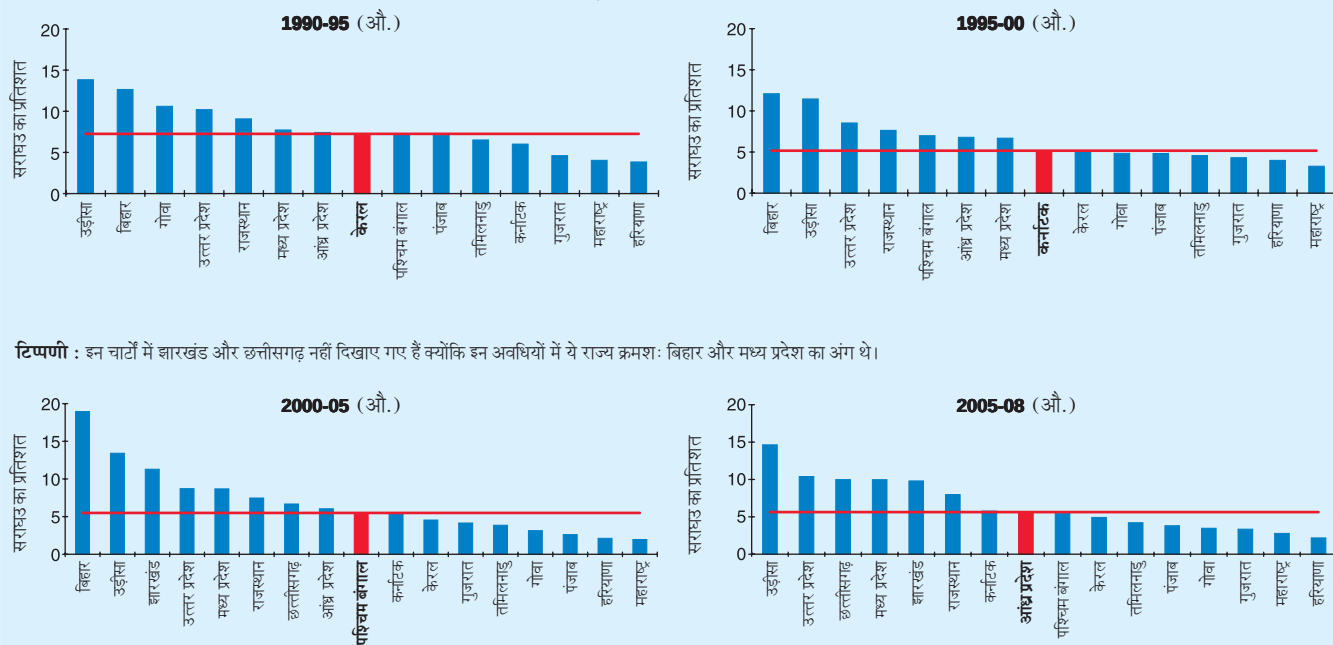
दायरा (प्रतिशत)	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-08 (औ.)
5 से कम	हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात	महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, गोवा	महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, केरल	हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल
5 से 10	कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल , आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान	केरल, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, पश्चिम बंगाल , आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड
10 से अधिक	उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, उड़ीसा	उड़ीसा, बिहार	झारखंड, उड़ीसा, बिहार	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केंद्र से संसाधन अंतरण पर निर्भरता (जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में नापी गई) गैर विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अधिक है (10 प्रतिशत से अधिक) (सारणी 52 और चार्ट 23)। किंतु, यह उल्लेख

करना होगा कि अन्य राज्यों से सापेक्षिक तौर पर अधिक जीएसडीपी वाले राज्यों का जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात कम होगा, भले ही ऐसे राज्यों का निरपेक्ष डिवोल्यूशन और अंतरण अधिक हो। इसके अलावा, जनसंख्या के उच्च स्तरों वाले कम विकसित कुछ राज्यों का जीडीटी-जीएसडीपी अनुपात, माध्यिका स्तर से अधिक होने के बावजूद, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कम हो सकता है।

चार्ट 23 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण गैर-विशेष श्रेणी के राज्य



टिप्पणी : इस चार्ट में बिहार नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए इसका मान 2005-08 के दौरान अत्यंत ऊंचा था।

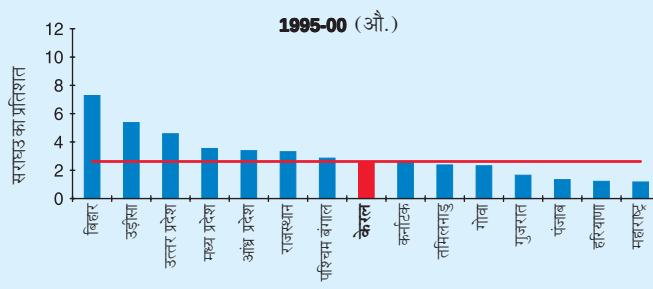
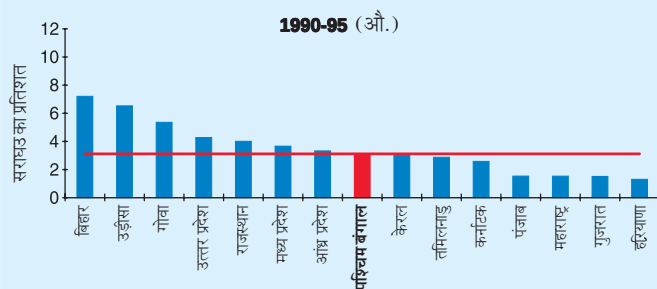
सारणी 53 : वित्त आयोग डिवोल्यूशन /जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी

दायरा (प्रतिशत)	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-08 (औ.)
2 से कम	हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब	महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात	हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, गुजरात	हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात
2 से 5	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल , आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल , पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान	गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल
5 से 8	गोवा, उड़ीसा, बिहार	उड़ीसा, बिहार	उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड	राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
8 से अधिक	—	—	बिहार	उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा

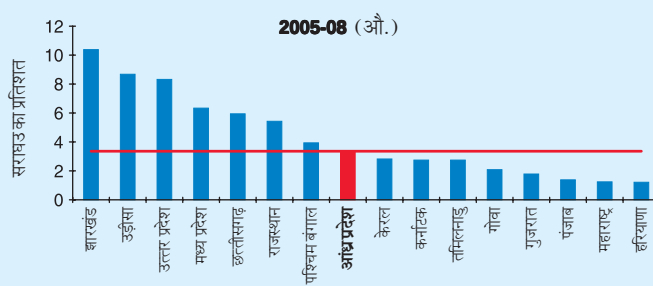
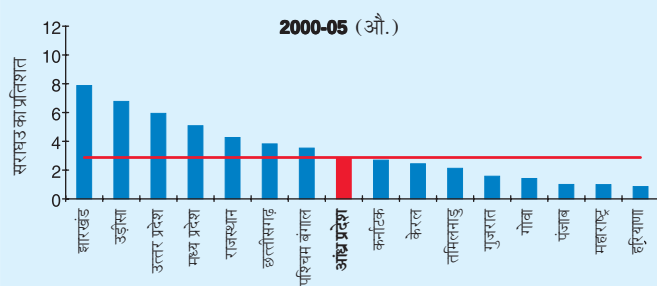
जीएसडीपी के प्रति वित्त आयोग के डिवोल्यूशन के अनुपात में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों, अर्थात् 2005-08 में सुधार हुआ। वित्त आयोग डिवोल्यूशन - जीएसडीपी अनुपात बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों के मामले में 8 प्रतिशत से अधिक था (सारणी 53 और चार्ट 24)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के डिवोल्यूशन और अंतरण उनके जीएसडीपी तथा कुल संवितरण की तुलना में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। किंतु, इसमें राज्य-वार भारी भिन्नता है। 2005-08 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जीडीपी-जीएसडीपी अनुपात 50 प्रतिशत से

चार्ट 24 वित्त आयोग के डिवोल्यूशन - गैर-विशेष श्रेणी के राज्य


टिप्पणी : इन चार्टों में झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि इन अवधियों में ये राज्य क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश का अंग थे।



टिप्पणी : इस चार्ट में बिहार नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए इसका मान 2000-05 और 2005-08 के दौरान अत्यंत ऊंचा था।

सारणी 54 : जीडीपी/जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

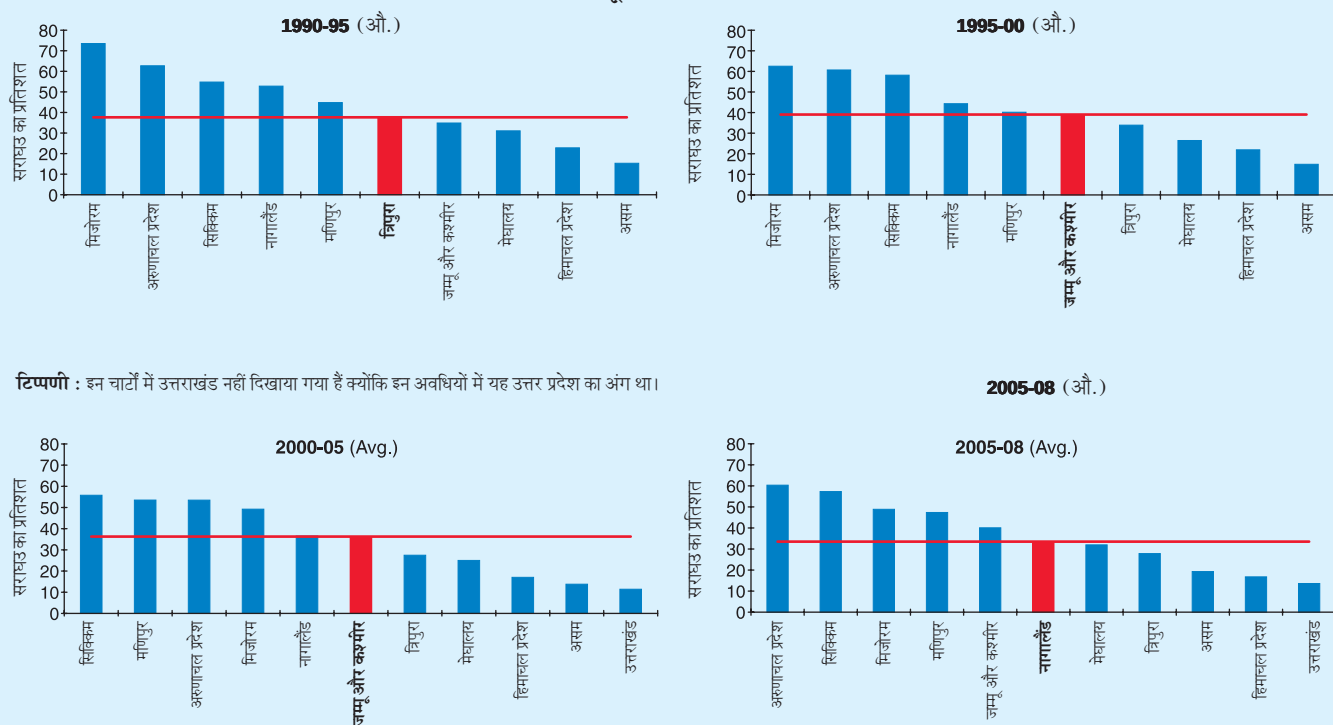
दायरा (प्रतिशत)	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-08 (औ.)
20 से कम	असम	असम	असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम
20 से 35	हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर	हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा	मेघालय, त्रिपुरा,	त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड
35 से 50	त्रिपुरा, मणिपुर,	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड	मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड	मणिपुर, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर
50 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

अधिक था जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का 20 प्रतिशत से कम था (सारणी 54 और चार्ट 25)। मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का वित्त आयोग डिवोल्यूशन-जीएसडीपी अनुपात अधिक (20 प्रतिशत से अधिक) था जबकि असम, मेघालय और उत्तराखंड का कम (10 प्रतिशत से कम) था (सारणी 55 और चार्ट 26)।

VII.3 राजकोषीय अंतरणों का प्रभाव

पहले उल्लेख किए अनुसार, राज्यों की समेकित वित्तीय स्थिति में 2007-08 (ब.अ.) में सुधार होने का अनुमान है जिसमें राज्य सरकारें दो दशक बाद राजस्व अधिशेष की स्थिति में आने के लक्ष्य पर चल रही हैं। 2007-08 (ब.अ.) में, राज्य सरकारों ने 11,973 करोड़ रुपए या जीडीपी के 0.3 प्रतिशत के समेकित

चार्ट 25 : सकल डिवोल्यूशन और अंतरण-विशेष श्रेणी के राज्य

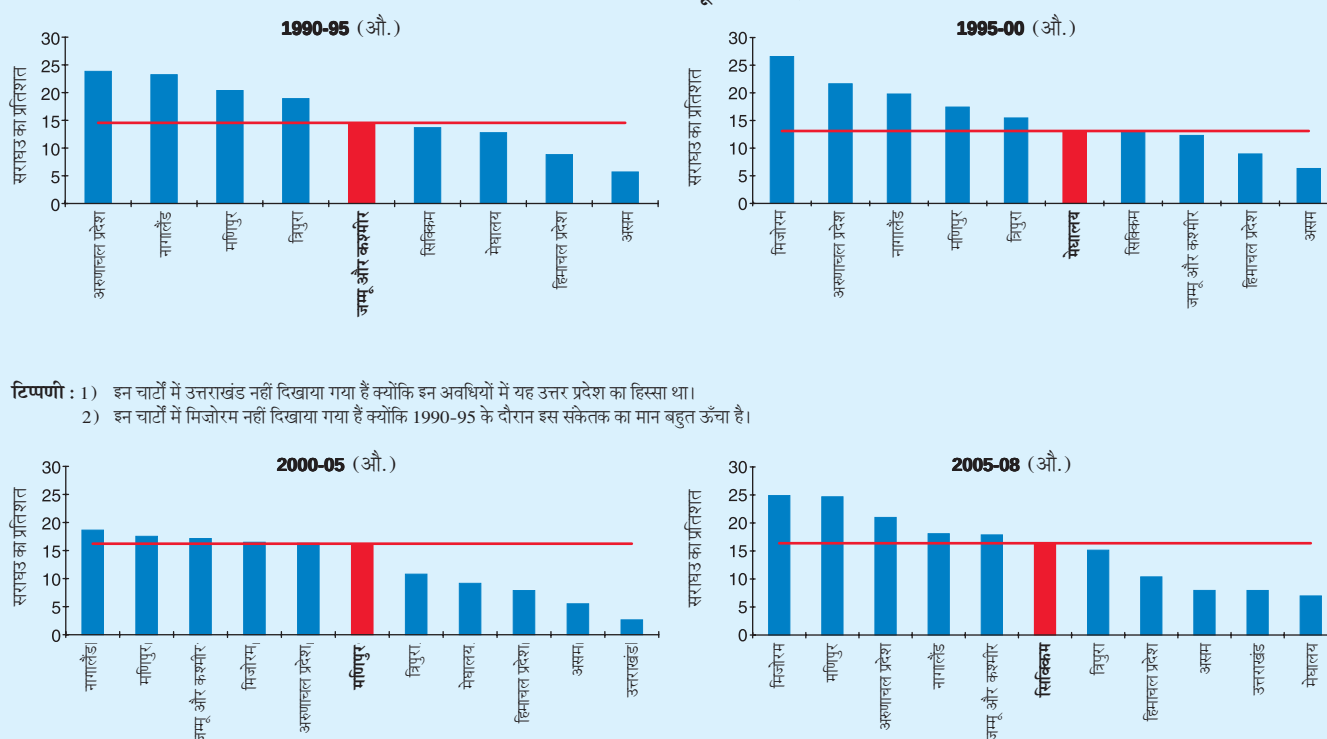


सारणी 55 : वित्त आयोग के डिबोल्डन जीएसडीपी अनुपात के स्तर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों का वितरण

दायरा (प्रतिशत)	1990-95 (औ.)	1995-00 (औ.)	2000-05 (औ.)	2005-08 (औ.)
10 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश	असम, हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय	मेघालय, उत्तराखंड, असम
10 से 20	मेघालय, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर , त्रिपुरा	जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, मेघालय , त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड	त्रिपुरा, मणिपुर , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड	हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
20 से अधिक	मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	—	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम

राजस्व अधिशेष का अनुमान किया है। राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में सुधार होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : (i) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल का अधिनियमन, जिससे राजकोषीय सुधार और समेकन की नियम-आधारित प्रक्रिया स्थापित हुई; (ii) राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में उछाल, जिसके 2006-07 (सं.अ.) के 21.1 प्रतिशत के उपर 2007-08

में 14.4 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है; (iii) राज्य सरकारों द्वारा व्यय प्रबंधन और (iv) केंद्र से ऊंचे चालू अंतरण जिसके 2006-07 (सं.अ.) की 28.1 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2007-08 में 15.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। केंद्र से राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरणों का प्रभाव राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और उससे राजस्व घाटे में कमी होने के माध्यम से दिखा।

चार्ट 26 : वित्त आयोग के डिबोल्डन - विशेष श्रेणी के राज्य


सारणी 56 : डिवोल्यूशन और अंतरणों के पहले और बाद में राजस्व प्राप्तियां				
अवधि	आरआरबीटी	आरआरएटी	आरआरबीटी/जीडीपी	आरआरएटी/जीडीपी
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)	
1	2	3	4	5
नौवां वि. आ. (1990-95)	55,546	92,679	7.2	12.1
दसवां वि. आ. (1995-00)	1,03,542	1,65,416	6.7	10.7
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	1,78,171	2,85,661	7.0	11.2
बारहवां वि. आ. (2005-08)	3,08,738	5,23,061	7.5	12.7
आरआरबीटी : डिवोल्यूशन और अंतरणों के पहले राजस्व प्राप्तियां आरआरएटी : डिवोल्यूशन और अंतरणों के बाद राजस्व प्राप्तियां जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।				

राजस्व लेखा

नौवें से ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य सरकारों की अंतरणों के पहले की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी का 7.0 प्रतिशत था जबकि अंतरणों के बाद की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी का 11.3 प्रतिशत था। बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में अंतरणों के पहले और बाद की राजस्व प्राप्तियों का औसत जीडीपी के क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत है (सारणी 56 और परिशिष्ट सारणी 30)। राज्य सरकारों को उच्च डिवोल्यूशन और संसाधनों के अंतरण से विशेष रूप से राजस्व लेखों में पर्याप्त सुधार में राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया में सहायता मिली।

पूँजी लेखा

पूँजी लेखों में, केंद्र से ऋण के रूप में हुए अंतरणों से राज्यों की जीएफडी के वित्तपोषण में सहायता मिली। ऐतिहासिक रूप से, केंद्र से

प्राप्त ऋण 1998-99 तक जीएफडी के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत था। जीएफडी के वित्तपोषण में निवल एलएफसी के महत्व में तेजी से कमी आई है - 1990-95 के 48.7 प्रतिशत और 1995-2000 के 39.7 प्रतिशत के औसत से 2000-05 में 4.6 प्रतिशत और आगे 2005-08 में 2.6 प्रतिशत रह गया (सारणी 57 और परिशिष्ट सारणी 31)। किंतु राज्य सरकारों के एलएफसी में गिरावट की खुले बाजार से अधिक उधार और वार्तातय ऋणों से क्षतिपूर्ति हो गई। राज्यों के जीएफडी की वित्तपोषण पद्धति का बदलता माहौल भी 1 अप्रैल 1999 से एनएसएसएफ की स्थापना के कारण अल्प बचतों के संदर्भ में लेखांकन मानदंड में परिवर्तन दर्शाता है। एनएसएसएफ के अंतर्गत का संग्रह, जो राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की जमानत पर राज्य सरकारों को अंतरित किया जाता है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान निधि का सक्रिय स्रोत बन गया है। एनएसएसएफ के गठन से पहले अल्प बचतों को केंद्र से राज्यों को ऋण के रूप में देखा जाता था।

2002-03 से 2004-05 की अवधि में डीएसएस लागू होने से भी जीएफडी की वित्तपोषण मद के रूप में एलएफसी का महत्व काफी कम हो गया। इस योजना के अंतर्गत राज्यों ने अतिरिक्त बाजार उधार से प्राप्त आगम और 2004-05 को समाप्त तीन वर्षीय अवधि में प्राप्त चालू निवल अल्प बचत आगम के एक भाग की सहायता से केंद्र के प्रति उच्च लागत की देयताओं की चुकौती कर दी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों ने 2002-03 और 2004-05 के बीच की अवधि में केंद्र के साथ 1,03,652 करोड़ रुपए के उच्च लागत वाले ऋणों की अदला-बदली की। इससे राज्य सरकारों का ब्याज भार कम होने में सहायता मिली।

निष्कर्ष के रूप में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 2005-06 से केंद्र से राज्यों को देय योजना ऋण

सारणी 57 : केंद्र से निवल ऋण और सकल राजकोषीय घाटा						
अवधि	एनएलएफसी	जीएफडी	एनएलएफसी/जीएफडी	अन्य*जीएफडी	एनएलएफसी/जीडीपी	जीएफडी/जीडीपी
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7
नौवां वि. आ. (1990-95)	10,384	21,250	48.7	51.3	1.4	2.8
दसवां वि. आ. (1995-00)	19,190	54,860	39.7	60.3	1.3	3.4
ग्यारहवां वि. आ. (2000-05)	4,601	102,063	4.6	95.4	0.2	4.0
बारहवां वि. आ. (2005-08)	2,817	104,107	2.6	97.4	0.1	2.5
* : अन्य में शामिल हैं, बाजार उधार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि, आदि एनएलएफसी : केंद्र से निवल ऋण जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।						

की समाप्ति और अल्प बचतों के लेखांकन ढांचे में परिवर्तन और 1 अप्रैल 1999 से एनएसएस के गठन के कारण केंद्रीय करों में अंश और सहायता अनुदान केंद्र से राज्यों को होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण के दो मुख्य घटक बने रहे। केंद्र से राज्यों को होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण, जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, सहायता अनुदान और केंद्र से ऋण शामिल होते हैं, ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के 5.2 प्रतिशत के औसत स्तर की तुलना में बारहवें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान जीडीपी के 5.5 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गए। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में उछाल के अलावा बारहवें वित्त आयोग की अवधि के पहले तीन वर्षों में केंद्रीय करों में हुए उच्च डिवोल्यूशन और अनुदान अंतरण से राज्य सरकारों की स्थिति सुधरने में सहायता मिली। इसके अलावा, राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि गरीब राज्यों की ओर अधिक डिवोल्यूशन हुआ है (जीडीपी-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में) जो समतुल्यता सिद्धांत दर्शाता है।

यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों में भिन्नता है। केंद्रीय करों में हिस्सा तथा अनुदान के आंकड़े केंद्र तथा राज्यों में बजट में भिन्न होते हैं जिससे राज्य बजट के आंकड़ों में कम/अधिक अनुमान होते हैं जो सारणी 58 से देखे जा सकते हैं। केंद्रीय बजट के आंकड़ों और राज्य बजट के आंकड़ों के मिलान में बाधा आती है क्योंकि केंद्रीय बजट के दस्तावेजों में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं होते।

VIII. मुद्दे और परिदृश्य

VIII.1 राजकोषीय समायोजन पथ

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि हाल के वर्षों में उनके राजकोषीय असंतुलनों में उल्लेखनीय कमी आई है जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजकोषीय पुनर्गठन पथ के संदर्भ में राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार और समेकन उपाय प्रारंभ करना दर्शाती है। राज्यों ने उनके एफआरएल के संदर्भ में मध्यावधि राजकोषीय योजना भी लाई है। 2007-08 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का विचार किया है और दो दशकों

सारणी 58 : बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट और राज्य बजट

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केंद्रीय करों में अंश	अनुदान	योजना अनुदान	योजनेतर अनुदान
1	2	3 = 4+5	4	5
1986-87	-91	-729	-528	-200
1987-88	62	-855	-607	-248
1988-89	67	-463	-204	-259
1989-90	-135	-369	-101	-268
1990-91	-293	-529	-636	108
1991-92	-349	-853	-867	13
1992-93	58	-659	-770	101
1993-94	154	-340	-191	-149
1994-95	45	-610	-547	30
1995-96	-237	-1,114	-825	-167
1996-97	-23	-1,076	284	-1,154
1997-98	-3,137	473	68	774
1998-99	276	-2,225	-743	-1,099
1999-00	640	-63	864	-781
2000-01	-954	-2,332	905	-3,072
2001-02	-627	-301	3,388	-3,532
2002-03	533	1,159	1,439	-93
2003-04	1,314	3,328	5,285	-1,766
2004-05	-45	3,756	4,222	-256
2005-06	-361	4,532	2,790	1,742
2006-07 (सं.अ.)	-4,640	14,874	14,938	-65
2007-08 (ब.अ.)	-6,266	15,629	20,152	-4,523

सं.अ. : संशोधित अनुमान. ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : राज्य बजट आंकड़ों में (-) कम अनुमान / (+) अधिक अनुमान

स्रोत : 1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. केंद्रीय बजट दस्तावेज।

के अंतराल के बाद राजस्व लेखे में समेकित अधिशेष का अनुमान रखा है। पूंजी परिव्यय में वृद्धि होने के कारण 2005-06 (लेखे) की तुलना में 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी की 0.3 प्रतिशत वृद्धि से 2007-08 (ब.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.3 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है (0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट)। 2007-08 में जीएफडी में बजट सुधार का अनुमान राजस्व लेखे में टर्नअराउंड होने के विचार पर आधारित है जिससे पिछले वर्ष में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत घाटे की तुलना में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत अधिशेष निर्माण होने का बजट अनुमान है।

राज्य सरकारों का राजकोषीय सुधार पथ दीर्घकालिक रहा है, वहीं संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान देना उचित होगा। विशेष रूप से, राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। अनेक राज्य सरकारों ने

राजकोषीय घाटा (आरडी और जीएफडी दोनों) कम करने का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग और उनके एफआरएल में बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। जहां राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 1990 के दशक के पूर्वार्ध में जीडीपी के 12.1 प्रतिशत के औसत स्तर से सुधर कर 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 12.9 प्रतिशत हो गईं, वहीं उक्त अवधि में राजस्व व्यय जीडीपी के 12.8 प्रतिशत के औसत स्तर से थोड़ा बढ़कर जीडीपी के 13.0 प्रतिशत हो गया। 2006-07 (सं.अ.) में 10.2 प्रतिशत पर जीडीपी-कुल विकास व्यय अनुपात 1990 के दशक के पूर्वार्ध के 10.8 प्रतिशत के औसत स्तर से कम बना रहा। किंतु, जीडीपी - पूंजी परिव्यय अनुपात उक्त अवधि में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, उक्त अवधि में गैर विकास व्यय जीडीपी के 4.3 प्रतिशत के औसत स्तर से बढ़कर जीडीपी का 5.4 प्रतिशत हो गया।

विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार टिकाऊ राजकोषीय समेकन राजकोषीय सशक्तिकरण के माध्यम से अर्थात् राजस्व प्रवाह के अवसर और उसका आकार बढ़ाकर किया जाना चाहिए। राजस्व वृद्धि पर आधारित राजकोषीय कार्यनीति भी व्यय पद्धति को विकास प्रक्रिया की ओर मोड़ने में लचीलापन उपलब्ध कराएगी। दूसरी ओर मुख्यतः व्यय कटौती पर आधारित राजकोषीय समायोजन से कल्याण के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा समग्र आर्थिक कार्यों में मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। कर प्रशासन में सुधार और कर विरूपण में कमी के संदर्भ में कर के ढांचे में सुधार में प्रगति हुई है। राज्य सरकारों द्वारा वैट लागू करना सटीक सफलता नहीं रही है। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में हाल के वर्षों में तेजी देखी गई है। किंतु, यह ध्यान देने योग्य है कि जीडीपी के रूप में राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व 1990 के पूर्वार्ध के 1.8 प्रतिशत से घटकर हाल के वर्षों में 1.3 प्रतिशत रह गए। इस प्रकार, उचित उपयोग प्रभार, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के माध्यम से करेतर राजस्व से संसाधन जुटाव में वृद्धि महत्वपूर्ण बन जाती है। राज्य वित्तों की स्थिति में मुख्यतः विभिन्न जन सेवाओं की लागत वसूली में सुधार और सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने से सुधार आएगा। तथापि, उच्च उपयोग प्रभार तभी व्यवहार्य होगा जब राज्यों द्वारा सेवा देने में भी सुधार हो। अतः, जन सेवाएं देने में सुधार लाने को राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः राज्य सरकारों को जन सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सुधार हेतु प्राथमिकता देनी चाहिए।

VIII.2 व्ययप्रबंधन

राज्य सरकार के वित्त का एक निराशाजनक पहलू यह भी है कि यद्यपि विकासात्मक व्यय, जीडीपी के अनुपात में, हाल के वर्षों में 1990 के पूर्वार्ध के लगभग 11 प्रतिशत से घटकर 9-10 प्रतिशत के बीच रहा है, वहीं गैर विकासात्मक व्यय (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाएं सम्मिलित हैं) जीडीपी के अनुपात में लगभग 4 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 5-6 प्रतिशत तक हो गया है। गैर-विकासात्मक व्यय को निर्मित करनेवाले घटकों की कई मंदों की समर्पित प्रकृति को देखते हुए इसमें भारी-भरकम कटौती अल्प काल में करना अर्थक्षम नहीं होगा। भविष्य में जनसांख्यिकी में होनेवाले परिवर्तनों के कारण गैर-विकासात्मक व्यय के अंतर्गत पेंशन भुगतानों में वृद्धि होने की संभावना है। यह नोट करने योग्य बात है कि उन्नीस राज्य सरकारों ने नए भर्ती कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर पेंशन निधियां निर्मित करने की दिशा में पहलकदमी की है जो कुछ सीमा तक ही सही भविष्य में पेंशन के कारण जानेवाली राशि की भरपाई करेगा। जहां तक ब्याज भुगतानों की बात है ब्याज लागत के संबंध में डीएसएस निश्चित बचत देता है। टीएफसी की संस्तुतियों पर आधारित ऋण राहत का लाभ राज्यों को भी प्राप्त होगा। तथापि, यह भलीभांति विदित है कि ऐसी योजनाएं केवल एक अस्थायी राहत देती हैं और जबकि ब्याज भुगतानों में दीर्घकालिक कटौती बकाया ऋणों में हुई कमी के अनुरूप होगी। दूसरी ओर, प्रशासनिक और स्थापना व्ययों में कमी तभी संभव होगी जब स्टाफ की पुनर्संरचना और उनके पुनर्नियोजन के संबंध में कुछ राज्यों द्वारा की गई पहलकदमियों को अधिक से अधिक स्वीकृति और गति प्राप्त हो। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्ययों के पुनः अभिमुखीकरण के लिए लोक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विभिन्न प्रकार की विधियों की ओर इंगित करता है जिसमें कतिपय व्ययों पर सीमा लगाना, व्ययों की प्राथमिकता तय करना, कार्यकारी कार्य का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण, उन्नत नकद प्रबंधन के साथ-साथ तय किए गए लक्ष्यों के लिए सेवाओं की सुपुर्दगी में गुरुतर उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है। इनमें से कुछ सिद्धांतों को अंगीकार करने से राजकोषीय समेकन की उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होगी।

चूंकि सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय से संबंधित जिम्मेदारियों का सर्वाधिक बोझ राज्य सरकारों के दायरे में आता है, आम तौर पर यह माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय का स्तर मानव विकास के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 2000 में यूनाइटेड नेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये मिलेनियम विकास उद्देश्यों (एमडीजी) के अनुसार देशों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वे कतिपय लक्ष्यों, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के संबंध में, को 2015 तक प्राप्त कर लें। इन उद्देश्यों का संबंध (i) 1990 के अत्यंत गरीबी और भूख के स्तरों को कम करके आधा करने (ii) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना सुनिश्चित करने (iii) लिंगभेद मिटाना (iv) पांच वर्ष से कम मृत्यु दर में दो-तिहाई कमी करने और माताओं की मृत्यु दर में तीन-चौथाई की कमी करने (v) एचआइवी/एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलाव को समाप्त करने (vi) अर्थक्षम विकास नीतियों का एकीकरण करके पर्यावरण संसाधनों को सुरक्षित रखने और (vii) सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता तक पहुंच न रखने वाली आबादी को इन साधनों तक पहुंच उपलब्ध कराकर ऐसी आबादी को आधे से कम करने से है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत ने प्राथमिक स्कूलों में अधिक बच्चों को अंगीकृत करने, एचआइवी/एड्स और ट्यूबरक्यूलोसिस को काबू करने में तथा स्वच्छ जल जनसंख्या के बड़े हिस्से को उपलब्ध कराने में पहले ही बेंचमार्क हासिल कर लिया है। तथापि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कतिपय लक्ष्यों के संबंध में भारत महत्वपूर्ण रूप से कई विकसित देशों से पीछे है। गरीबी, भूख, जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रमुख संकेतकों के संबंध में धीमी प्रगति के अलावा रिपोर्ट कहती है कि प्रतीत होता है भारत कुछ जलवायु परिवर्तन मुद्दों से भी जूझ रहा है। मिलेनियम विकास उद्देश्यों में से अधिकतर का संबंध सामाजिक क्षेत्रों से है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की भूमिका प्रमुख है। राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के लिए योजना बना सकती हैं ताकि हमारा देश मिलेनियम विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए।

व्यय प्रबंधन के साथ सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और उनके मूल्यांकन का मुद्दा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। परंपरागत रूप से राज्यों के द्वारा योजना की निगरानी परिव्यय के संबंध में प्राप्त व्यय स्तरों का पता करके की गई है। यद्यपि कार्यान्वयन की गति को मापने के लिए व्यय एक महत्वपूर्ण उपाय है परंतु यह प्रभावोत्पादकता का

मापक नहीं है। अतः परिव्यय और व्यय से हटकर, अंतिम फलों/आउटकम (निष्कर्षों) पर पहुंचना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने 2005-06 के लिए बजट के प्रारंभ के साथ ही आउटकम बजट (बजटफल) बनाने की शुरुआत कर दी है। कई राज्य सरकारों जैसे - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा ने भी बजटफल लागू करने का प्रस्ताव किया है। कई बार निष्कर्षों के निर्धारण के समय आकस्मिक चैन में कार्यक्रम के बाहर के तत्व सम्मिलित हो सकते हैं। यह एक स्पष्ट गोचर तथ्य है, उदाहरणार्थ- स्वास्थ्य के मामले में जहां स्वास्थ्य स्थिति में हुई उन्नति आम तौर पर उपचारात्मक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाधा न पहुंचाने के परिणामस्वरूप नहीं है अपितु स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता और साफ-सफाई की शिक्षा के प्रावधान के परिणामस्वरूप है और ये सभी अन्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों में सम्मिलित हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से इतर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की उचित निगरानी करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्र निगरानी के लिए तथापि आवश्यक है कि मूल्यांकन निष्पादन करने के लिए बेंचमार्क पर एक सहमति होती हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर के अनुसार योजना आयोग एक पक्की शर्त लगाने पर विचार कर रही है जिसमें कहा गया होगा कि योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों के लिए, अनुमोदन से पूर्व, पर्याप्त बेंचमार्किंग जरूरी होगी। आयोग अपनी मूल्यांकन क्षमता को और अधिक मजबूत करने की योजना भी बना रहा है जिसके लिए वह अनुसंधान संस्थाओं और सिविल सोसाइटी संगठनों, जो सश्रम सबूत आधारित मूल्यांकन करने की क्षमता रखती हैं, को इस काम में लगाएगा। राज्य सरकारें योजना कार्यक्रमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन सुधारने के लिए इस जैसे उपाय लागू करने पर विचार करें।

लिंग आधारित बजट की मान्यता तबसे बढ़ रही है जबसे विश्व के कई देशों ने अपने बजट उपायों में इसे लागू किया है। भारत में भारत सरकार की वार्षिक योजना 2006-07 में भी स्त्री कंपोनेट योजना (डब्ल्यूसीपी) और लिंग आधारित बजट इन दो प्रमुख चली आ रही नीतियों को आगे कार्यान्वित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना और लिंग भेद का नाश करने के अंतिम उद्देश्य के लिए काम करना और लिंग न्याय के लिए उर्वरा परिवेश निर्मित करना तथा महिलाओं को शक्तिसंपन्न करना। स्त्री कंपोनेट योजना (डब्ल्यूसीपी) में कहा गया है कि निधियों/लाभों के

30 प्रतिशत से अनधिक भाग को महिलाओं से संबंधित मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न महिला योजनाओं के अंतर्गत सुरक्षित किया जाए। लिंग आधारित बजटिंग को न सिर्फ महिलाओं के लिए संसाधन जुटाने के उपाय के रूप में माना जाता है अपितु यह कार्यान्वयन मुद्दों और निष्कर्षों को जानने में भी उतना ही उपयोगी है। महिलाओं के लिए संसाधनों के संवितरण का मात्रांकन करने के अलावा अन्य पहलकदमियों में नीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रिया में लिंग विषयक चिंताओं को मुख्य धारा में सम्मिलित करना, लिंग विषयक असकल डेटा, लिंग विकास सूचकांक का संकलन और समेकन करना और लिंग विषयक परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रमों, नीतियों/अवरोधों की पुनरीक्षा और उनका विश्लेषण करना सम्मिलित है। राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाये हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने 2007-08 के अपने बजट के साथ ही लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया है जिसमें महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए निधियों के संवितरण के ब्यौरे दिये गए हैं। अन्य राज्यों की सरकारें लिंग आधारित बजटिंग का एकीकरण अपने मुख्य धारा बजटों के साथ करने के उपायों पर विचार करें।

VIII.3 राजकोषीय पारदर्शिता और बजट विश्वसनीयता

राजकोषीय पारदर्शिता, जिसे बेहतर गवर्नेन्स का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है, ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और मैक्रो इकोनॉमिक संतुलन के संदर्भ में हाल ही की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाला है। राजकोषीय पारदर्शिता में आर्थिक नीतिगत निर्णयों के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रभावों से संबंधित विस्तृत और विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता अपेक्षित है। राज्य स्तरों पर सरकार के राजकोष परिचालनों में पारदर्शिता को राजकोषीय समेकन और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि सरकार की राजकोष नीति की विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके। राज्य बजटों के माध्यम से सूचना की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता न सिर्फ नीति निर्माताओं की सहायता के लिए अथवा राज्य स्तर पर पारदर्शिता में वृद्धि के लिए जरूरी है बल्कि इसकी आवश्यकता निवेशकों को भी होती है 'सूचित' निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा राजकोषीय पारदर्शिता नागरिकों को ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराकर लाभान्वित करती है जिसकी आवश्यकता उन्हें सरकार को उसकी चयनित नीति के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए होती है।

यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आइएमएफ) ने 1998 में राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में अच्छे व्यवहार की एक संहिता लागू की है। इसने सभी देशों के द्वारा राजकोषीय पारदर्शिता मूल्यांकन के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वर्ष 2007 में आइएमएफ ने हाल ही में हुई विभिन्न प्रगति को ध्यान में रखते हुए संहिता में संशोधन किए हैं। इस संहिता के 4 स्तंभ हैं- (i) भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्पष्टता (ii) बजट प्रक्रियाओं में खुलापन (iii) सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराना और (iv) विश्वसनीयता का आश्वासन। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल कानून बनाने के बाद राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता में हाल ही में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार स्तर पर प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा ऐसा भी है जो लेखांकन व्यवहारों में एकरूपता की कमी के संबंध में है। एक उदाहरण बजट में पावर बांडों का दिया जा सकता है जहां राज्यों ने अलग-अलग व्यवहार अपनाए हैं। कुछ राज्यों (कर्नाटक और मध्य प्रदेश) के द्वारा पावर बांडों को अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के अंतर्गत प्रावधानित किया जाता है कोड (6003 (109))। कुछ राज्य (उदाहरणार्थ उत्तराखंड) पावर बांडों को बाजार उधारी कोड (6003 (101)) के अंतर्गत प्रावधानित करते हैं जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि जैसे कुछ अन्य राज्य पावर बांडों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांडों के अंतर्गत प्रावधानित करते हैं कोड (6003 (106))। दूसरा उदाहरण है एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों का लेखांकन। 1999-2000 में लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के बाद एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों को आंतरिक ऋण के अंतर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। तथापि कुछ राज्य (उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि) इन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत दिखाते आ रहे हैं (कोड-6004)। इसके अलावा दो राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर अपने बजट में 'आंतरिक ऋण का उन्मोचन' के ब्यौरे नहीं देते। इस प्रकार की प्रथाएं मदवार विशुद्ध उधारियों और राज्य सरकारों के जीएफडी वित्तीयन के संबंध में सूचनाएं समेकित करने में कठिनाई प्रस्तुत करती हैं। पश्चिम बंगाल, नगालैंड, केरल, मणिपुर (लेखा वर्ष के लिए) और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्य सरकारें अपने बजट में सभी अनुदान राशियों के लिए कोड-वार और योजना-वार / गैर-योजना-वार सार उपलब्ध नहीं करातीं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और गुजरात जैसी अन्य राज्य सरकारें समस्त मांग में से आंतरिक ऋण (कोड-

6003) के विस्तृत कोड-वार सार उपलब्ध नहीं कराती। महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ राज्य बजट में ब्याज भुगतानों (कोड 2049) के कोड-वार सार ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराती। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बजट में डेटा-रिपोर्टिंग के लिए एकसमान प्रथा अपनाएं।

अभी भी राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में एक मुद्दा है जिसका विशेष उल्लेख करना आवश्यक है और वह है बकाया देयताओं और आकस्मिक देयताओं के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने में नाकाम रहना। अधिकतर राज्यों के बजट इन दो राजकोषीय परिवर्तियों पर खामोश हैं। पिछले वर्ष के अध्ययन में जैसी कि चर्चा हुई थी, राज्य सरकार देयताओं के समेकन पर गठित कार्यदल ने एक फार्मेट विनिर्दिष्ट किया था जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा उनके बजट कागजात में बकाया देयताओं से संबंधित डेटा प्रकाशित किया जाना चाहिए था। एक संबंधित समस्या और है जो राज्य बजटों में वेतन तथा परिचालनों एवं रखरखाव के संबंध में डेटा की कमी से जुड़ी है। इसके अलावा राज्यों ने बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं के आकलन की कठिनाइयों की ओर भी इंगित किया है, क्योंकि अधिकतर वांछित डेटा राज्य सरकार के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे अपने बजट से इतर ब्यौरों, यदि कोई हो, भी उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें। राज्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे राजकोषीय गतिविधियों, ऊपर की गई चर्चा में सम्मिलित मंदों संबंधी डेटा सम्मिलित करते हुए, के संबंध में रिपोर्टिंग की पारदर्शिता बढ़ाएं और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त जनता को राजकोषीय डेटा की जानकारी देने की बारंबारिता, उदाहरण के लिए तिमाही आधार पर, में वृद्धि की जानी अपेक्षित है।

बजट अनुमान और लेखा आंकड़ों के बीच निरंतर चले आ रहे बृहद् विचलन, विशेष रूप से राज्य सरकारों से राजस्व की प्राप्तियों के संबंध में, गंभीर चिंतावाली बात है क्योंकि इनका विपरीत प्रभाव बजट अनुमानों की विश्वसनीयता पर पड़ता है और वर्ष के लिए संभावित राजकोषीय परिणाम के उचित मूल्यांकन को संदिग्ध बनाता है।

VIII.4 ऋण धारणीयता

ऋण की धारणीयता के संबंध में सबसे अहम मुद्दा है राज्य सरकारों के द्वारा उनके अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की क्षमता के बारे में चिंता। कई वर्षों से बृहद् राजस्व घाटों ने बृहद् राजकोषीय

घाटों और उत्तरोत्तर बढ़ते ऋण को जन्म दिया है उसके परिणामस्वरूप अधिकतर राज्य सरकारें घाटे, ऋण और ऋण चुकौती भुगतान के एक कुचक्र में फंस गईं। जीडीपी के संदर्भ में राज्य सरकारों के ऋण का समेकित स्तर मार्च 1991 के अंत के 22.5 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 32.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार की वृद्धि 2001-05 की अवधि में अधिक तेजी से हुई। ऋण के धारणीय स्तर के संदर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति की थी कि राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान (आइपी) के अनुपात को तत्कालीन 22.0 प्रतिशत के औसत की तुलना में घटाकर 18.0 प्रतिशत किया जाए। तथापि टीएफसी रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि 2000-03 से 17 राज्यों के संबंध में औसत अनुपात 18 प्रतिशत से अधिक था जिसमें से 11 राज्यों का उक्त प्रतिशत 22 से ऊपर था। इस प्रकार ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों के मानदंडों के संदर्भ में, टीएफसी ने निष्कर्ष निकाला कि 28 राज्यों में से 17 का ऋण अधारणीय अथवा धारणीय नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण धारणीयता पर प्रारंभ किए गए एक अध्ययन¹² ने भारत में राज्य स्तर के ऋण की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों पर जोर दिया है जो व्यय संपीड़न, स्व-राजस्व वसूली प्रयासों में सुधार और विभिन्न संस्थागत परिवर्तन के रूप में हैं। संस्थागत परिवर्तनों के प्रमुख उपायों में एफआरएल का विधान करना (ताकि राजकोषीय अनुशासन की प्रक्रिया कानूनी रूप से बाध्य की जा सके), गारंटी सीलिंग लागू करना, समेकित निक्षेप निधि और गारंटी रिडेम्पशन निधि में भागीदारी करना सम्मिलित है। यह नोट करने योग्य है कि विभिन्न राज्य सरकारों के एफआरएल में ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर कैप प्रावधानों और साथ ही राज्य गारंटियों के लिए प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।

ऋण स्टाक के लिए सामान्य जीएसडीपी की वृद्धि दर और सामान्य ब्याज दर एकसमान रहने पर जीएसडीपी के प्रति स्थिर ऋण अनुपात के संदर्भ में ऋण धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक अधिशेष उत्पन्न करना एक अनिवार्य शर्त है। प्राथमिक घाटे की दशा में ऋण स्थिरीकरण परिस्थितियों के लिए अपेक्षित है कि ऋण स्टाक में सामान्य जीएसडीपी की वृद्धि दर सामान्य ब्याज दर से अधिक होती हो। इस संदर्भ में यह नोट करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों के प्रमुख घाटे के सूचकों में सुधार के बावजूद कई राज्यों का प्राथमिक शेष, और परिणामतः समेकित स्तर पर, निरंतर घाटे में ही रहता आया है।

¹² राजारमन, आइ.एस.भिडे और आर.के.पट्टनायक (2005)। 'भारत में राज्य स्तर पर ऋण धारणीयता का अध्ययन' भारिबै., मुंबई।

तथापि, हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल ब्याज दर परिवेश में राज्यों के जीएसडीपी के प्रति ऋण का अनुपात हाल की अवधि में कम हुआ है। भारी भरकम पुनर्भुगतानों के दबाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो डीएसएस के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान बड़ी मात्रा में उधार लिये जाने के कारण वर्ष 2012-13 से 2015-16 में चुकाये जाने हैं। इसके लिए सकल उधारियों की बृहत्तर मात्रा की आवश्यकता होगी जो उस ब्याज दर पर, जिस पर राज्य सरकारें उधार प्राप्त करती हैं, ऊर्ध्वगामी दबाव डालेगा और इसके परिणामस्वरूप ऋण धारणीयता परिस्थितियों में और अधिक अस्थिरता आ सकती है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों ने वर्ष 2009-10 के लिए 15 प्रतिशत के टीएफसी के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान का प्रावधान बजट में 16.9 प्रतिशत रखा है। राज्य सरकारें राजकोषीय पुनर्संरचना के द्वारा धारणीय स्तर पर अपने ऋण को नियंत्रित करें।

टीएफसी ने समस्त स्रोतों, लघु बचतों और राज्य के लोक लेखा तथा रिजर्व निधियों को सम्मिलित करते हुए, से प्राप्त उधार राशियों को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक राज्य के लिए उधार की सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कई देशों में राष्ट्रीय स्तर से नीचे अर्थात् राज्य के स्तर पर ऋण और घाटे की नियमावली प्रचलन में है। अमरीका के सभी, केवल दो राज्यों को छोड़कर, राज्यों में कानून है जिसके अंतर्गत संतुलित बजट रखना आवश्यक होगा और राज्यों के द्वारा ऋण की उगाही एक सीमा तक ही की जा सकेगी। कनाडा के नौ राज्यों और प्रदेशों में संतुलित बजट के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली प्रचलित है जिसके अंतर्गत अपेक्षा की गई है कि वे निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण मात्र के प्रयोजनार्थ ऋण लेंगे। ऋण सीलिंग घाटे की नियमावली के लिए उपयोगी अनुबंध है। व्यवहार्य रूप में उच्च ऋण स्तरों को कम करने की चिंता से ऋण सीलिंग का प्रचलन हुआ है और व्यक्तिगत देशों के अनुभवों के आधार पर सामान्यतया इनका चयन किया जाता है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारें विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से बजटेतर उधार राशियों का एक बृहद भाग जुटाती हैं। ये सभी गारंटी/आकस्मिक देयताओं की प्रकृतिवाली होती हैं, जो अंततः संबंधित राज्य सरकारों की देयता में बदल जाती हैं। गारंटियों के वृद्धिमान स्तर के दुष्प्रभावों, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य सरकार गारंटियों (1999) पर राज्य वित्त सचिवों की रिपोर्ट में भी चिह्नित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों

ने गारंटियों पर सांविधिक/प्रशासनिक सीलिंग लागू करने की पहलकदमी की है। उपर्युक्त रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने अगस्त 2001 में जीआरएफ स्थापित करने के संबंध में दिशा निदेश जारी किया था, जिसमें 2006 में संशोधन किए गए। राज्य सरकार गारंटियों (2002) के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए राज्य वित्त सचिवों के समूह ने गारंटी देयताओं के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक विधि सुझाई थी। गारंटियों से उपजे राजकोषीय जोखिमों और इनसे उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों को परिचित कराने के लिए तथा इस प्रक्रिया के लिए तकनीकी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु भारिबैं ने कार्यशालाएं संचालित की हैं। इसके अलावा, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) पर गठित राज्य वित्त सचिवों के कार्यदल ने राज्य स्तर पर सुझाव दिया है कि राज्य द्वारा दी जानेवाली जोखिम भारित गारंटियों की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए। इस संबंध में यह नोट करने योग्य है कि कुछ राज्यों की सरकारों के एफआरएल में ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर तथा गारंटियों के संबंध में भी कैप से संबंधित प्रावधान निहित हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने अपनी जीएफडी को कम करने हेतु भूमि की बिक्री के द्वारा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए हैं। उपयोग में न आनेवाली भूमि को बेचकर संसाधन जुटाने के लिए इस प्रकार के उपाय जीएफडी कम करने में मात्र अल्पावधिक समाधान उपलब्ध कराते हैं और ऋण के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में लघु बचत संग्रह में आए उफान और इन संग्रह राशियों में फॉर्मूला आधारित हिस्सा के कारण राज्य सरकारों की उधारियों के स्वायत्त कंपोनेंट उनके पास इतने थे जो उनके जीएफडी को वित्त उपलब्ध कराने के लिए वांछित राशि से भी अधिक मात्रा में थे। राज्य सरकारों के बकाया ऋणों के स्तर में अनुपात से अधिक वृद्धि अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा रखे जा रहे बृहद अधिशेष नकदी में परिलक्षित होती है जो 14 दिवसीय इंटरमीडियट और नीलामी खजाना बिलों में निवेश के रूप में होता है। इन निवेशों का समेकित स्तर 23 नवंबर 2007 को लगभग 62,996 करोड़ रुपए था। चूंकि राज्यों को इन संसाधनों के उधार की लागत की तुलना में लाभदर कम प्राप्त होती है, अतः उनके राजस्व खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

VIII.5 आधारभूत संरचना का वित्तीयन

किसी भी अर्थव्यवस्था की पूर्ण संभाव्य वृद्धि प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता के साथ-साथ कुशल आधारभूत सेवाओं का प्रावधान

प्रथम अनिवार्यता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्यों के ऊपर ही अधिकतर आधारभूत संरचनाओं (दूरसंचार, रेलवे और प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर) की जिम्मेदारी है। आधारभूत संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश के कारण राज्यों की आर्थिक वृद्धि और उनका विकास बाधित हुआ है। राज्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे राजकोष संरचना और संस्थागत सुधारों के द्वारा अपने वित्त को मजबूत बनाएं जिससे उन्हें पर्याप्त बजट संसाधन उपलब्ध करने में और साथ ही आधारभूत संरचनाओं के वित्तीयन के लिए निधि जुटाने में अधिक आसानी होगी। नियम आधारित राजकोषीय प्रशासन के अंतर्गत बजट सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के लिए भी आवश्यक है कि वे आर्थिक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा दें। पीपीपी से संबंधित कारणों और मुद्दों के प्रति अभी भी विभिन्न राज्यों में जागरूकता की कमी है और समान प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। पीपीपी को प्रोन्नत करने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भारत सरकार द्वारा एक पीपीपी कक्ष स्थापित करने हेतु सूचित किया गया था जिसके नोडल अधिकारी के रूप में किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। पीपीपी के लिए राज्य सरकारों में समग्र क्षमता का निर्माण करने के लिए एशियन विकास बैंक से तकनीकी सहायता (टीए) प्राप्त हुई है। तकनीकी सहायता के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न पीपीपी कक्षों को निधि उपलब्ध करवाकर उन्हें मजबूत किया जाएगा। इसमें परामर्शदाताओं को अनुबंधित करना और कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित है।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति के एक मूल्यांकन से हाल के वर्षों में प्रमुख घाटा सूचकों में दर्शनीय सुधार का पता चला है। 2006-07 के संशोधित आकलनों में इन्हें सम्मिलित करते हुए राज्यों का समेकित आरडी और जीएफडी, जीडीपी के अनुपात के रूप में, क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत पर रखा गया। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान बजट में जीडीपी के प्रति जीएफडी अनुपात को कम करके 2.3 प्रतिशत किया। जीएफडी में की गई कमी राजस्व खाते में निहित कायापालट, बजट में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत आधिक्य/सरप्लस होने की संभावना है, पर आधारित है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कई राज्यों ने आरडी और जीएफडी में कमी के

लक्ष्यों की प्राप्ति टीएफसी और उनके अपने एफआरएल के द्वारा पुनः संरचना के लिए की गई संस्तुति में तय समय से पूर्व ही कर ली है।

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में जिन प्रमुख कारकों की भूमिका है, वे हैं : (i) राजकोषीय सुधार के लिए नियम आधारित प्रक्रिया और अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा एफआरएल के अंतर्गत अंगीकार किया गया समेकन; (ii) राज्य के अपने ही कर-राजस्व में उफान; (iii) राज्य सरकारों द्वारा व्यय प्रबंधन, (iv) केंद्र सरकार से उच्च चालू अंतरण। राज्य सरकारों को संसाधनों के उच्च डिवोल्यूशन और अंतरण ने राजस्व सुधार और समेकन प्रक्रिया में सहायता की है, विशेष रूप से राजस्व खाते में महत्वपूर्ण वृद्धि की प्राप्ति हुई है। कम राजस्व की प्राप्तिवाले राज्यों को उनके जीएसडीपी के अनुपात रूप में उच्च डिवोल्यूशन और चालू अंतरण करना समानता के सिद्धांत को भी परिलक्षित करता है।

राजकोषीय सुधार को जारी रखने के लिए राजस्व वृद्धि के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों ने कर संरचना के सरलीकरण/युक्तिसंगतकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपायों की घोषणा की है। राज्य सरकारों ने गैर-योजना राजस्व व्ययों को नियंत्रित करने और भविष्य की पेंशन देयताओं को नियंत्रण में रखने के लिए नई पेंशन योजनाएं लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए राज्य के बजटों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में विनिर्दिष्ट प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा है। तदनुसार राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए आवंटन हेतु उगाही किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार उस बृहद् अंतर को उजागर नहीं करता जो विभिन्न राज्यों के राजकोषीय निष्पादनों में पाया जाता है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रखी है परंतु राज्यवार विश्लेषणों से पता चलता है कि राजकोषीय त्रुटिसुधार राज्यों में चहुं ओर एकसमान नहीं रहा है। मात्र कुछ राज्यों के जिम्मे ही समग्र त्रुटिसुधार का एक प्रमुख भाग रह सका है। राजकोषीय त्रुटिसुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि राजस्व खाते में गैर विशेष वर्ग के राज्यों का हिस्सा त्रुटिसुधार में 85 प्रतिशत होगा और जीएफडी में त्रुटि सुधार में उनका हिस्सा 73 प्रतिशत होगा। टीएफसी की यह संस्तुति आने के बाद कि 2009-10 के अंत



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

तक सभी राज्यों के द्वारा एकसमान लक्ष्योन्मुख राजकोषीय पुनर्संरचना मार्ग अपनाया जाना है, राजकोषीय रूप से दुर्बल राज्य विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राजकोषीय रूप से स्वस्थ राज्यों के साथ तालमेल करने की दिशा में उपाय करें।

यद्यपि राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में अपनी राजकोषीय स्थिति में दर्शनीय सुधार प्राप्त किया है, उन्हें राजकोषीय समेकन को टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास करते रहना होगा जिसके लिए उन्हें बजट में राजस्व आप्रवाहों को अधिकाधिक जगह देनी होगी और साथ ही विकासशील उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्ययों को सीमित करने पर अधिक ध्यान देना होगा। समग्र मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों की शक्ति के परिणामस्वरूप राज्यों में उनकी खुद की राजस्व प्राप्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई है और उनकी राजकोषीय क्षमता में भी बृहद् सुधार हुआ है। राजस्व जुटाने की दौड़ में यह भी आवश्यक है कि इन्हें उत्पादक व्ययों और निवेश के लिए सरणीबद्ध किया जाए। यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय त्रुटिसुधार की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूंजी परिव्यय और व्यय को प्रभावित नहीं करती।

भूतकाल में राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटों के उच्च स्तर पर रहने के कारण राज्य सरकारों के खातों में ऋण संचयन का स्तर भी उच्च रहा। कई राज्यों के मामले में ऋण-जीएसडीपी अनुपात का वर्तमान स्तर खतरे की हद तक उच्च था। इसके अलावा राज्य सरकारों अपने ऋण दायित्वों को चुका पाने में सक्षम हो पाएंगी, यह भी चिंता का विषय बन चुका है। टीएफसी ने लघु बचतों और राज्यों के लोक लेखा तथा रिजर्व निधि को भी सम्मिलित करते हुए समस्त स्रोतों से प्राप्त उधारियों को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ऋण सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्थिर ऋण-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में ऋण धारणीयता को, वर्तमान वृद्धि दर और ब्याज दर पर, सुनिश्चित करने में प्राथमिक शेष की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राजकोषीय मानदंडों में सुधार होने के बावजूद कई राज्यों के प्राथमिक शेष, और उसके परिणामस्वरूप समेकित स्तर पर, लगातार घाटे में चले आ रहे हैं। तथापि हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल ब्याज दर परिवेश के कारण राज्यों के ऋण-जीडीपी अनुपात को बढ़ने नहीं दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 के लिए टीएफसी के द्वारा निर्धारित 15.0 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात लक्ष्य के मुकाबले राज्य सरकारों ने वर्ष

2007-08 के बजट में राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात 16.9 प्रतिशत रखा है। राज्य सरकारें अपने ऋण को धारणीय स्तर पर बनाये रखने के लिए राजकोषीय पुनर्संरचना के द्वारा प्रयास कर सकती हैं।

निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रमों में सुधार के दृष्टिगत राज्य सरकारें अपनी मूल्यांकन क्षमता को मजबूत बनाने, परिणामों को ध्यान में रखकर, पर ध्यान दें। वे एक ऐसी प्रणाली तैयार करें जो खर्च करने की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी और अग्रसर हो।

राजकोषीय पारदर्शिता के महत्व को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकारों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए उन्हें अपने बजटों में बकाया और आकस्मिक देयताओं, सब्सिडी इत्यादि जैसी मदों के संबंध में पर्याप्त ब्यौरे दर्शाने होंगे। इसके अतिरिक्त कम अंतरालों पर, हो सके तो तिमाही आधार पर, राजकोषीय आंकड़ों का प्रचार-प्रसार आम जनता के बीच करने पर विचार किया जाए। बजट अनुमानों और लेखा ब्यौरों के बीच पाए गए बृहद् अंतर, विशेष रूप से हाल के वर्षों में राज्यों के राजस्व लेखों में, के कारण संपूर्ण बजट प्रक्रिया अनुमान और विधि में सुधार लाना लाजिमी होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संरचना की जांच के लिए अक्टूबर 2006 में छठे वेतन आयोग के गठन के दृष्टिगत यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार लाने के लिए अमूमन केंद्रीय वेतन आयोग पंचाट का अनुसरण किया। कई राज्य सरकारों ने अपना खुद का वेतन आयोग गठित किया। राज्यों के वित्त अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद 1990 के उत्तरार्ध में क्षरण से होकर गुजर रहे थे। अतएव, राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे वेतन स्तरों से संबंधित कोई भी निर्णय अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, आबादी के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए वांछित पूरक व्ययों को ध्यान में रखकर करें।

निष्कर्ष यह कि राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में सुधार उनके राजस्व करों में आए उफान के साथ ही साथ केंद्र से उच्च चालू अंतरणों के कारण है। तथापि सरकारों को चाहिए कि वे राजस्व के करेतर स्रोतों से संसाधन जुटाने में अभिवृद्धि के लिए नीति तैयार करें। व्यय प्रबंधन का जहाँ तक संबंध है, राज्य सरकारों को सेवा

सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावशालिता में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं की तरह ही गैर-विकासात्मक व्ययों

के स्तर को नीचे लाने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना भी सुनिश्चित करें।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
1. आंध्र प्रदेश	- लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए फ्री जल आपूर्ति की व्यवस्था जारी रखना। - फसल ऋण सुविधा देना जिसके तहत 3.75 लाख नए किसानों को फसल ऋण पर ब्याज राहत दी गई है।	इंदिराम्मा के तहत और 1/3 गावों में पक्के घरों का निर्माण।	- दूरस्थ स्थानों में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 नए महाविद्यालयों, 5 कनिष्ठ महाविद्यालयों और 8 होस्टलों की स्थापना। - ग्रामीण बच्चों के लिए स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 21वीं सदी के गुरुकुलों की स्थापना। - आईटीएस उद्योग में स्नातकों को लाभपूर्ण रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी महाविद्यालयों तक जवाहर ज्ञान केंद्र की धारणा का विस्तार करना।
2. अरुणाचल प्रदेश		सरकार महिलाओं से संबंधित विशेष कल्याण कार्यक्रम लाएगी।	
3. असम		- प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों का पुनरुज्जीवन और सशक्तिकरण। - गरीब और शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए दो नई योजनाएं। - ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे की कक्षा VI और कक्षा X के बीच की विद्यार्थी लड़कियों को साइकिल प्रदान करना। - ग्रामीण आवास संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रामीण आवास बोर्ड का गठन। - आतंकवाद के शिकार लोगों के पारिवारिक सदस्यों के कल्याणार्थ आतंकवाद पीड़ितों के लिए कल्याण बोर्ड बनाना।	- किसानों को पॉवर टिलर, पॉवर श्रेशर, हस्त दाब वाला छिड़काव यंत्र, भू-जांच किट आदि जैसे साधनों का वितरण। - ट्रैक्टर वितरण और प्रत्येक जिले में उर्वरक बिक्री डेपो स्थापित करके कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देना। - राज्य के विभिन्न जिलों में औषधीय और सुगंधित वाटिकाएं तथा नर्सरियां लगाना। 2007-08 के दौरान संवर्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, शहरी बुनियादी संरचना विकास योजना जैसी नई जलापूर्ति योजनाएं शुरू करना। - आठ नई प्रशिक्षण पाठशालाओं, पांच नए जिला अस्पतालों, पांच नए क्षेत्रीय निदान केंद्रों, तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों का गठन और प्रत्येक जिले में चिकित्सा की चल इकाइयों की स्थापना। - गुवाहाटी में संपूर्ण सुविधाओं से युक्त नए आइटी पार्क का गठन।
4. बिहार	- राज्य के बुरी स्थिति वाले उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए आधार निधि तैयार करना। - मोटर वाहन कर में कटौती।	- प्रत्येक पंचायत में “किसान-सलाहकार” नियुक्त करना। - प्रत्येक जिले में “कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्राधिकारी” का गठन।	पाठशाला जाने वाले बच्चों के लिए ‘स्वास्थ्य कार्ड’ की योजना शुरू करना जिसमें संबंधित बच्चे की संपूर्ण आवश्यक जानकारी होगी।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	- कृषि को प्रोत्साहन, जैविक उर्वरकों को कराधान से छूट। - अक्षय रूप में बिहार पथ विकास निधि स्थापित करना जिसमें योजना, योजनेतर और अन्य स्रोतों से आय आएगी।	- पथ विकास के लिए 'स्वायत्त पथ प्राधिकरण' का गठन। - विवादों के निपटान के लिए 'पंचाट' की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर मध्यवर्ती न्यायाधिकरण की शुरुआत। - पटना में उच्च स्तरीय मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। - गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था का गठन। - पटना में कीटनाशक अन्वेषण प्रयोगशाला की स्थापना।	- चुनिंदा आइटीआइ का पीपीपी आधार पर प्रबंधन। - किसानों को 'भू-स्थिति कार्ड' का वितरण। - सड़कों के उचित रखरखाव के लिए रखरखाव नीति बनाना। - पीपीपी के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर बल देना जिसमें नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और पैथोलॉजी तथा रेडियोलॉजी प्रयोगशालाओं, अन्वेषण सेवाओं, अस्पतालों की सफाई, एंबुलेंस सेवा आदि का विकास जैसी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। - पटना, मधेपुरा और बेतिया में तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलना। - चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना। - आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय की शुरुआत।
5. छत्तीसगढ़	- कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए कृषि उपकरणों पर 25 प्रतिशत वितरण अनुदान। - किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए 'अल्पावधि कृषि ऋणों' पर ब्याज दर कम करके 6 प्रतिशत करना।	- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी व्यापारियों के लिए 'ई-विवरणी' का प्रस्तुतीकरण बाध्यकारी बनाना। - जिन किसानों को नैसर्गिक आपदाओं के कारण हानि हुई, उनके लिए 'खलिहान बीमा योजना' शुरू करना। - सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें लागू करना। - वृद्धिशील विनिर्माण उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से 'विश्वकर्मा योजना' नामक नई योजना शुरू करना।	- प्रमाणित बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'बीज बैंक' योजना की शुरुआत। - मुख्य मंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शुरू करना जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा X वीं और XII वीं के अजा/अजजा के 1,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। - छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए नई योजना शुरू करना। - जनसंख्या और स्वास्थ्य योजना लागू करना। - रायपुर में 100 बिस्तरों वाला कैंसर अस्पताल बनाना और चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में 'अनुवंशिक बीमारी और आणविक जैविक प्रयोगशाला' की स्थापना। 'वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना। - होटल प्रबंधन संस्थान शुरू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			- रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना - पारंपरिक हस्तकला क्षेत्र में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कला पाठशाला शुरू करना। - रोजगार गारंटी योजना में कवर न हुए 5 जिलों के विकास के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना' शुरू करना। इसमें से 50 प्रतिशत का उपयोग बुनियादी सुविधा संबंधी कार्यों तथा शेष 50 प्रतिशत रोजगार उन्मुख कार्यों के लिए किया जाएगा। - विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए क्षमता विकास की एक नई योजना शुरू करना। - राज्य के महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों और जिला मार्गों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उन्नयन की योजना शुरू करना।
6. गोवा	- सुपारी की समर्थन मूल्य पात्रता विद्यमान 85 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति किलो करना। - आरपीवीसी पाइपों के नेटवर्क वाली छिड़काव सिंचाई प्रणाली के लिए सब्सिडी को वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना। एचडीपीड पाइप नेटवर्क के लिए 25 प्रतिशत राज्य सब्सिडी की लागत की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करना। फसल कटाई यंत्र, प्रतिरोपक, झाड़ी कर्तक और धान थ्रेशर जैसे अन्य कृषि यंत्रों के क्रय के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी वृद्धि। - किसानों के समूह को राज्य में नामित समितियों के माध्यम से उनके कृषि उत्पाद को जैविक के रूप में प्रमाणित करवाने के लिए वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक की सीमा के अनुसार 5 लाख रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सब्सिडी देना। - निरंतर आधार पर कूड़ा प्रबंधन के लिए उपयोग में लाने के लिए एक विशेष निधि बनाना। बिजली बिल के सकल मूल्य पर	- किफायत की दृष्टि से एसएचजी के प्रत्येक समूह में एकल कार्य को बढ़ावा देकर समूह दृष्टिकोण अपनाना। - एसएचजी को उनके उत्पाद प्रत्येक तालुका में प्रदर्शित करने और बेचने के लिए प्रदर्शन और विपणन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। - महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य योजना बनाना। कार्यरत महिलाओं के लिए पणजी और मार्गोवा में एक-एक होस्टल का निर्माण। - राज्य को अगले दो वर्षों के भीतर कचरा-मुक्त करना। - पणजी, मार्गोवा और मापुसा में पीपीपी फार्मेट में स्व निर्माण, परिचालन और अंतरण आधार पर समन्वित आधुनिक बस अड्डे का निर्माण। - इन्फोग्राम योजना के तहत शेष 39 ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू करना। - नए पर्यटन वाहन खरीदने पर ऋण भुगतान स्थगन या पर्यटन वाहनों हेतु परमिट जारी	- नेत्रहीनों के लिए अलग आवासी पाठशाला खोलना जिसमें उन्हें ब्रेल लिपि सिखाने और विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देने की सुविधा हो। - भिन्न क्षमतायुक्त लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विकलांग कर्मचारी के वेतन के आधार पर प्रोत्साहन राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करना। - विकलांगों को सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत विभिन्न एनजीओ की सेवा उपलब्ध कराने वालों को प्रशिक्षित करना। - सभी 'आंगनवाड़ी' केंद्रों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200 केंद्रों के अनुसार पांच वर्ष के भीतर नए परिसरों का निर्माण। 'आंगनवाड़ी' कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ देना। - बिजली, उर्वरक और परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए गोवा तक गैस पाइप डालने हेतु प्रयास करना

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	0.5 प्रतिशत का पर्यावरण-उपकर लगाना। - छोटे और बहुत छोटे किसानों की काजू और गन्ने की फसल के आकस्मिक अग्नि जोखिम के प्रति बीमा किस्त के 50 प्रतिशत की सब्सिडी देकर बीमा कवर उपलब्ध कराना। - अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा कृषि विभाग से लिए गए ऋण की बकाया राशि माफ करना। - प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को उनके तुलनपत्र की स्थिति सुधारने तथा उनकी गतिविधियों के पुनरुज्जीवन के लिए सहायता देना। आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्टाफ नियोजन ढांचा तैयार करके और सरकारी गजट में प्रवर्तन अधिसूचित करके 'गोवा सहकारी समिति अधिनियम, 2001' तथा 'गोवा सहकारी समिति नियमावली, 2003' लागू करना। - अजा/अजजा के लोगों को उनके घरों के निर्माण और दुरुस्ती के लिए तथा भिन्न क्षमतायुक्त लोगों को स्व रोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए ऋण की बकाया राशि माफ करना। - प्लास्टिक को व्यवस्थित रूप से संगृहीत करने तथा उसकी श्रेडिंग के लिए पंचायतों को अनुदान देना ताकि उसे सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जा सके। - रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए उपयुक्त पैकेज बनाना। - पिछड़ी तालुकाओं में वातावरण के अनुकूल और व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र बनाना। - राज्य में नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए नई इकाइयों तथा साथ ही मशीनरी तथा उपस्कर के विस्तार में	करने की अवधि एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2008 तक बढ़ाना।	2007-08 के दौरान सिंचाई क्षमतायुक्त 5000 हेक्टेयर भूमि तैयार करना। 4.53 मिलियन क्यूबिक मीटर जल बढ़ाने के लिए गंजम में मांडेई नदी को ओपा में खांडेपार नदी से जोड़ने की परियोजना शुरू करना। - गोवा विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए अध्ययन केंद्र का अलग विभाग खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक निवेश करने वाली विद्यमान इकाइयों के लिए भी मशीनरी और उपस्कर पर प्रवेश कर में छूट देना। - प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत वाले ग्राहकों की बिजली की कुल खपत पर 0.5 प्रतिशत ऊर्जा उप कर लगाना। - आईटी उत्पादों की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर आधे प्रतिशत से घटाकर 'शून्य' प्रतिशत करना।		
7. गुजरात	- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और अति निर्धन लोगों को राहत पहुंचाने और ऐसे क्षेत्रों में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं तथा छात्रावासों के लिए बिजली प्रभार की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना। - शहरी क्षेत्रों में आवासों और मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा 40 यूनिट से अधिक की बिजली की खपत के लिए बिजली प्रभार की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना। - अवशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना। - मनोरंजन और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हॉल, प्रेक्षकगृह, सिनेमागृह और होटल तथा रेस्तरा पर लागू बिजली प्रभार की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना। - विद्यमान 67 कर दरों को घटाकर मात्र 18 करके मोटर वाहन कर ढांचे को पुनर्निर्धारित करना। - विलासिता कर की दर में कटौती।	- सहभागी सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र और कवर करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत जलप्रयोग से जुड़ी संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को सिंचाई सुविधाओं का प्रबंधन सौंपा गया है। 3 वर्ष से कम आयु वाले दस लाख बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए 'बाल भोग' योजना शुरू करना। - प्रायोगिक आधार पर दो महानगरों में महिला रोजगार कार्यालय खोलना।	- आदिवासी विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार करना। - टपकन और छिड़काव सिंचाई जैसी लघु सिंचाई के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र कवर करना। 4,500 स्थानों की क्षमता वाले 10 नए आइटीआइ खोलना। 2,695 अतिरिक्त 'आंगनवाड़ियां' खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
8. हरियाणा	- कृषि को प्राप्त सभी अप्रत्यक्ष सब्सिडियों की पहचान करके ऐसी सभी सब्सिडियां किसानों को सीधे ही देने की पद्धति ढूंढना। - राज्य में बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ विमर्श करके कॉम्पैक्ट फ्लूरसंट लैम्प्स और बिजली बचत के अन्य उपकरणों पर कर राहत प्रदान करना। - यात्रियों द्वारा देय कुल किराए में परिवर्तन किए बिना यात्री कर घटाकर 25 प्रतिशत करना और आनुपातिक रूप में आधार किराया बढ़ाना। - बैंकेट हॉल/लॉन और विवाह के भवनों पर उप कर।	- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण स्थापित करना जो गांवों तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेहतर आवासी सुविधाओं तथा नागरी बुनियादी सुविधाओं की योजना और विकास संबंधी कार्य करेगा। - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पहचान किए गए फरीदाबाद कस्बे में बुनियादी सुविधाओं के मुख्य कार्य करना। - सभी आधुनिक सुविधा युक्त क्रीडा अकादमी का गठन करना। - संस्था-उद्योग सहभागिता की स्थापना, शेष संस्थाओं में संस्था प्रबंधन समिति का चरणबद्ध रूप से गठन। - अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मोबाइल फोन और कंप्यूटर दुरुस्ती, नेटवर्किंग, स्व-विकास, खुदरा कार्य आदि जैसे नए उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए “अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण” नामक नई योजना शुरू करना।	- नाबार्ड और एनसीआर योजना बोर्ड की सहायता से 1,100 गांवों में जलापूर्ति बढ़ाकर प्रति दिन 70 लीटर करने का कार्य प्रारंभ करना। राज्य के छह कस्बों में गंदे पानी से संबंधित संयंत्रों का कार्य प्रारंभ करना। - कक्षा छह से बारह तक के विद्यार्थियों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से इडीयूसएटी एजुसेट कवरेज प्राथमिक पाठशालाओं, कला उच्च माध्यमिक पाठशालाओं और तकनीकी संस्थाओं तक बढ़ाना। - प्रत्येक खंड में 40 लाख रुपए की लागत का ग्रामीण स्टेडियम बनाना।
9. हिमाचल प्रदेश	- वृद्धावस्था, विधवा और शारीरिक अक्षमता पेंशन योजना में 25,000 नए पेंशनभोगी जोड़ना। - विशिष्ट से यथामूल्य उत्पाद शुल्क ढांचा अपनाने की संभावना खोजना और वैट कार्यान्वयन का आकलन करना। बिजली शुल्कों के लिए यथामूल्य प्रणाली अपनाने सहित कर वृद्धि करने हेतु अन्य क्षेत्रों की पहचान के लिए अध्ययन शुरू करना। - संपत्ति लेनदेन में अपवंचन और कम मूल्यन रोकने की दृष्टि से भूमि बिक्री लेनदेन के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक जिलों को कवर करना। - पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करना तथा पहले कदम के रूप में उनके दायित्वों के अनुरूप उन्हें भुगतान का प्रस्ताव देना।	- मंडी में सरकारी क्षेत्र का चिकित्सा महाविद्यालय और हमीरपुर में निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय खोलना। 5 महाविद्यालय, 150 उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं, 50 उच्च माध्यमिक पाठशालाएं और 200 माध्यमिक पाठशालाएं खोलना। - बागवानी उत्पादकता में तेजी लाने के लिए बागवानी पौधे तथा जड़ों का स्टॉक आयात करना। - निजी कंपनियों द्वारा शीतगृहों की स्थापना के लिए पीपीपी को सहयोग जारी रखना ताकि किसान खाद्य की आधुनिक खुदरा दुकानों के माध्यम से अपने उत्पादों की मार्केटिंग सीधे ही कर सकें।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	- ट्रैफिक जाम और प्रदूषण पर रोक के लिए वाहनों पर टोकन कर बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना। 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक मूल निधि के साथ निर्धारित पेंशन निधि की शुरुआत करना जिसे प्रति वर्ष उचित रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि समय पर यह पेंशन अपेक्षा का परिव्यय पूरा कर पाएगी।		- सड़कों से न जुड़ी हुई सभी पंचायतों को मार्च 2008 तक और 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को मार्च 2009 तक सड़कों से जोड़ना। - पेय जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हाइड्रोलॉजी परियोजना कार्यान्वित करना।
10. जम्मू और कश्मीर	- चार सदस्यीय मंत्री समिति का गठन करना जो करेतर राजस्व संग्रह की तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी और राजस्व प्रवाह वृद्धि की कार्यनीति पर ध्यान देगी। - सरकारी विभागों और नगरपालिका निकायों तथा निजी संस्थाओं द्वारा देय बिजली प्रभारों और जल प्रभारों के बकाया की वसूली के प्रयास गहन करना। - चुंगी कर संग्रह के लिए बुनियादी सुविधा सुधारना। - सामान्य बिक्री कर के अंतर्गत देय बकाया कर की स्वेच्छिक चुकौती के लिए अंतिम अवसर देने की दृष्टि से व्यापार और उद्योगों के लिए माफी योजना लाना। - पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत निपटान न हो पाए कर निर्धारण के ढेर सारे मामलों के निपटान के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 'मांग कर निर्धारण' की योजना लाना। - बेहतर कर संग्रह के लिए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने वाले लोगों को ईनाम देने की योजना बनाना। - कूरियर सेवा, कोचिंग संस्थाएं, बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं आदि जैसी अन्य सेवाओं को भी कराधान की परिधि में लाना। - सेवाओं पर कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना।	- उद्योगों को प्राप्त छूट को व्यवस्थित करने के मामले पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन करना। - रोजगार से संबंधित मामलों पर ध्यान देने और प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों और संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय का दायित्व लेने के लिए उच्च अधिकारयुक्त रोजगार मिशन की स्थापना करना।	- विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नवोन्मेषी स्व-रोजगार परियोजनाओं के अवसर तलाशना। - उद्योग और वाणिज्य विभाग व्यापार नीति बनाएं जो विशेषतः नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की मजबूत और अनुकूल संभावनाओं के संदर्भ में भावी मार्ग दिखाएं। - बिजली क्षेत्र में सुधार और उसकी पुनर्रचना के कदम उठाना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	- यात्रा और टैक्सी परिचालकों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के प्रति कम ब्याज वाले ऋण। - राज्य वित्त निगम द्वारा दिए गए गैर निष्पादक ऋणों के एक बारगी निपटान की योजना लाना।		
11. झारखंड	- संसाधन वृद्धि और राजकोषीय प्रबंधन में मजबूती लाने के उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। - कर संग्रह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नौ स्थानों पर समन्वित चुंगी चौकियां स्थापित करना। - सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए झारखंड सड़क विकास निधि स्थापित करना।	- राज्य में सड़कों के विकास और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए झारखंड राज्य महामार्ग प्राधिकरण स्थापित करना। - भारत सरकार के एनसीआईआरटी की तर्ज पर शिक्षा प्रणाली के संगठन और प्रबंधन के लिए एससीआईआरटी की स्थापना। - गरीबी रेखा से नीचे के और इंदिरा आवास योजना का लाभ न मिले लोगों के लिए सीधा-कान्हो आवास योजना नामक नई योजना शुरू करना। - सार्वजनिक वितरण की दुकानों संबंधी विवादों के निपटान के लिए सार्वजनिक वितरण शिकायत निवारण आयोग का गठन करना।	- कृषि की नई तकनीक और साधनों की जानकारी के प्रसार को सुगम बनाने के लिए छत्रा और दुमका जिलों में कृषि पार्क बनाना। - गोड़ा जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलना। - कोलहान प्रभाग के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलना। - रामगढ़, चाइबासा और दुमका जिलों में एक-एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना। - पीपीपी आधार पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ संस्थाएं खोलना। - ग्रामीण जनता के लिए कंप्यूटर शिक्षा सुगम बनाने की दृष्टि से सभी सरकारी पाठशालाओं में कक्षा 9 से 12 में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना।
12. कर्नाटक	- किसानों, बुनकरों और मछुआरों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा जारी रखना और इसे 'स्त्री शक्ति' तथा अन्य स्व-सहायता समूहों तक बढ़ाना। 19 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े और छोटे सिंचाई कार्यों में पूंजी कार्यों के लिए अधिक आबंटन करना। - सहकारी संस्थाओं से अल्पावधि फसल ऋण लिए किसानों को एक बारगी राहत पहुंचाने के लिए ऋण माफी के लाभ उन तक बढ़ाना। बुनकरों और मछुआरों को 25,000 रुपए तक माफी देना। - राज्य द्वारा नियुक्त पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना।	- एक स्थायी "कर्नाटक कृषि माल वायदा बाजार आयोग" की स्थापना को सहायता देना। - क्षेत्रीय असंतुलनों पर ध्यान देने और डा. नन्जुन्दप्पा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विकास की आठ वर्षीय विशेष योजना बनाना। - पेंशन की सभी योजनाएं लागू करने के लिए नया सामाजिक सुरक्षा और पेंशन निदेशालय बनाना। "लघु ऋण" की नई योजना शुरू करना जिसके अंतर्गत अजा/अजजा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कुशल/अकुशल लोगों को छोटे कारोबार करने में सहायता दी जाएगी।	"कर्नाटक जैव ईंधन कार्यक्रम" को मिशन तरीके से शुरू करना। इस मिशन का पहला चरण सात वर्ष का होगा जिसमें 15 चुनिंदा तालुकाओं में कार्य किया जाएगा। - उत्तर कर्नाटक में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रम बनाना। - अज तथा अजजा के लिए क्रमशः 25 और 5 मोरारजी देसाई आवासीय पाठशालाएं तथा 75 और 10 नए छात्रावास खोलना। - पिछड़े वर्गों के लिए 22 नई मोरारजी देसाई निवासी पाठशालाएं और 75 नए छात्रावास खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	“संध्या सुरक्षा” योजना के अंतर्गत कृषि श्रमिक, बुनकर, मछुआरे आदि सहित असंगठित क्षेत्र के छोटे और अत्यंत छोटे किसानों, श्रमिकों में से चुने गए 60 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों को 400 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देना। - विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक रूप से अपंग लोगों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना। - हक बीमा से समर्थित सभी संपत्तियों के लिए संपत्ति के पंजीयन के समय स्टॉप शुल्क के भुगतान पर 0.5 प्रतिशत रियायत देना। - समाज तथा गरीब लोगों के हित में सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध।	“सुवर्ण सुरक्षा” योजना को केंद्र के 2007-08 के बजट में घोषित “आम आदमी बीमा योजना” के साथ जोड़ने की संभावना तलाशना। - श्रम शक्ति के विभिन्न घटकों को कवर करते हुए “असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड” स्थापित करना। “कर्नाटक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण” और “कर्नाटक राज्य विशेषज्ञ आकलन” समिति गठित करना। - किसी विशिष्ट विकासक द्वारा घोषित संपूर्ण जानकारी के संग्रहण की दृष्टि से पीपीपी आधार पर “बंगलूर भू-विकासक, भवन निर्माता और आवास स्वामी रिपॉजिटरी” की स्थापना।	- रामनगरम सिटी को स्वास्थ्य-नगर के रूप में विकसित करना। - चार पॉलीटेक्निकों का अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में उन्नयन तथा विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा हसन में घटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना।
13. केरल	- कंपनी क्षेत्र से अन्य सभी मूल्यांकितियों को पिछले वर्ष कृषि आय कर में दी गई छूट को एक और वर्ष जारी रखना। - नारियल पर कर छूट एक और वर्ष जारी रखना। - सभी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत कर लगाना जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित माल की सूची से तंबाकू को हटाने की अधिसूचना जारी होने पर लागू होगा। - डिमेंट लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क लगाना। - केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की हानि कम करने के लिए पैकेज लाना।	- सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से एक नई योजना शुरू करना। - विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए नई योजना शुरू करना। - समग्र मूल्यांकन के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समन्वयन करना। - समाज कल्याण विभाग का नाम बदलकर कल्याण और महिला विकास विभाग रखना तथा इस विभाग के अंतर्गत परामर्शदाता समिति गठित करना। - शहरी विकास के लिए केरल नगर विकास निगम स्थापित करना। - कर्मचारी विकास, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के अद्यतन लेखे, बजट के नियम, लेखे, सार्वजनिक कार्य, स्टोर्स के लिए क्रय आदि जैसे प्रशासनिक सुधार लागू करने को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाएं।	- कृषि की वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर धान उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज, वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर ऋण और धान उत्पादकों के लिए सहायक रोजगार सुनिश्चित करने की विशेष योजना। - पीत पर्ण रोग से प्रभावित सुपारी किसानों के लिए विशेष पैकेज। - कृषि क्षेत्र में बाजार की मध्यस्थता पर बल देना। - किसानों, कृषि श्रमिकों और स्वयंसेवकों की सहायता से वाटरशेड कार्यक्रमों को जन आंदोलन में बदलना। - सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त तथा अन्य को कम दर पर इलाज देने के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बनाना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कोच्ची और तिरुवनंतपुरम शहरों का विकास।	- नम भूमि क्षेत्रों का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण क्षेत्र में योजना बनाना। - जैविक भिन्नता संरक्षण, पर्यावरणीय पर्यटन और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्य की सुरक्षा के उपाय करना। - स्थानीय शासन संस्थाओं की सहभागिता के साथ 'अक्षय परियोजना' नामक आइटी क्षेत्र परियोजना को पुनर्गठित करना। - बायो-डीजल के रूप में रबड़ बीज के तेल का उपयोग, बायो-मेथिनेशन के माध्यम से नारियल के गूदे से गैस उत्पादन, गैसहाल उत्पादन की व्यवहार्यता की खोज जैसे ऊर्जा के अपारंपरिक कार्य शुरू करना। - एनसीआईआरटी और विदेशी भाषा प्रणाली संस्था की सहायता से निर्मित योजना द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का स्तर सुधारना।
14. मध्य प्रदेश	- सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से 7 प्रतिशत की दर पर सब्सिडी युक्त कृषि ऋण देना। - विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 'जेंडर बजट' शुरू करना। - वित्तीय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रणाली शुरू करना।	- किसानों के कल्याणार्थ उपाय सुझाने के लिए "किसान आयोग" की स्थापना। - इंदिरा आवास योजना के लाभ प्राप्त न हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए "अपना घर" नामक नई योजना शुरू करना। - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए महासंघ बनाना ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके तथा इन समूहों को बेहतर मार्केटिंग सुविधा मिल सके। - लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू करना।	- एडीबी और अन्य वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से 27 राज्य महामार्गों और चार प्रमुख जिला सड़कों का विकास। - पीपीपी के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल देना। - परेषण में होने वाली हानियों के स्तर को कम करने की दृष्टि से बिजली परेषण और वितरण प्रणाली का उन्नयन करना। - नए पशु औषधालय और रीवा में पशु महाविद्यालय की स्थापना तथा पशु अस्पतालों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण। - विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को सक्षम बनाने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		‘बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण’ की स्थापना करना जो इस पिछड़े क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के अनुसार विकास की रणनीति बनाएगा। - सुधार प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भोपाल में उत्तम संचालन केंद्र बनाना।	केंद्र सरकार के सहयोग से पांच पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलना।
15. महाराष्ट्र	- विदर्भ के छह जिलों में किसानों को राहत देने के लिए सहायता का पैकेज जारी रखना। - तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर लगाना। बीड़ी और गैर विनिर्मित तंबाकू पर छूट देना। - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत छोटे और बहुत छोटे किसानों को प्रीमियम सब्सिडी देना। - पर्यटन परियोजनाओं के स्थान के आधार पर विलासिता कर, मनोरंजन कर और स्टाम्प शुल्क के भुगतान में रियायत देकर पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना।		- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8,528 कक्षाओं के कमरों, 19 खंड संसाधन केंद्रों और 1,073 समूह संसाधन केंद्रों का निर्माण। - पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना। - उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम सिंचाई संभावना के लिए अंतिम स्थलीय परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देना। - महाराष्ट्र स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट लागू करना जिसके अंतर्गत 35 जिले मंत्रालय से जोड़े जाएंगे और सभी तालुकाओं को जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। - उपलब्ध बिजली के उचित उपयोग की दृष्टि से बिजली आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए उपाय करना। - चिकित्सा शिक्षा और रुग्ण देखभाल में आधुनिक स्तर प्राप्त करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का उन्नयन। - वन और पेड़ों की संख्या बढ़ाने तथा वन क्षेत्र में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाना। - विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने की परियोजना कार्यान्वित करना जिससे राज्य के तटीय जिलों को लाभ मिलेगा। - भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बस्तियों को कवर करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
16. मणिपुर			- गैर-सहायता प्राप्त और स्थायी रूप से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क की प्रतिपूर्ति करना। - माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना। - एनएलपीसीआर के अंतर्गत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाकर पहाड़ों तथा जिरिबाम में 4 जिला अस्पतालों का उन्नयन करना। - मारम से इंफाल तक की 78 कि.मी. की सड़क का उन्नयन करके उसे चार मार्ग वाला बनाना तथा खोउपुम होकर बिष्णुपुर से रेंगपांड के 93 कि.मी. के वाहनयोग्य पुराने कचर मार्ग को ठीक करना।
17. मेघालय		राष्ट्रीय बांस मिशन की सहायता से राज्य बांस नीति कार्यान्वित करने के लिए राज्य बांस विकास एजेंसी स्थापित करना।	- लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 1800 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करना। वर्षा जल संचय और भू-जल संभावना की खोज करना। - ड्राइविंग लाइसेंस, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट्स में स्मार्ट कार्ड लागू करना और परमिट निर्गम सुगम बनाने की दृष्टि से कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया में उन्नयन करना। - कवर न हुई और आंशिक रूप से कवर हुई 800 बस्तियों, 1000 ग्रामीण पाठशालाओं और 50 आइसीडीसी केंद्रों को केंद्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करना। 2530 हेक्टेयर कवर करते हुए भू-सुधार, वनीकरण और जल वितरण का कार्य करना, भूक्षरण नियंत्रण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त 680 हेक्टेयर भूमि लाना और 250 जल संचय फार्म / तालाब बनाना। - केंद्रीय क्षेत्र मिल गेट मूल्य योजना, हथकरघा समूह विकास कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			न्यू शिलांग में आइटी एस्टेट और सामान्य सेवा केंद्रों, एसडब्ल्यूएएन, एनइजीपी के अंतर्गत डाटा केंद्र बनाना।
18. मिजोरम	- गारंटी शोधन निधि के गठन को अंतिम रूप देना। - अधिक क्षेत्रों को कवर करते हुए वैट की लेखापरीक्षा/आकलन की प्रक्रिया जारी रखना। - सड़कों और पुलों पर पथ कर तथा लघु सिंचाई पर जल उप कर लगाना।		“बांस विकास और अकाल का सामना करने की योजना” को प्राथमिकता देना जारी रखना। - एजवाल सिटी के शहरी विकास के लिए “उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (चरण I)” शुरू करना।
19. नागालैंड		“किसान वर्ष” कार्यक्रम को 2007-08 तक बढ़ाना जिसमें विपुल संसाधनों को उपयोग में लाने पर ध्यान केंद्रित करना ताकि न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात हेतु अधिशेष की स्थिति पर पहुंचा जा सके।	- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नागा अस्पताल प्राधिकरण, कोहिमा के साथ जुड़े नर्सिंग कॉलेज को शुरू करना। - नवनिर्मित जिलों में तीन नए जिला अस्पताल खोलना। - एडीबी के ऋण से कोहिमा के लिए गंदे पानी का निकास और स्वच्छता प्रणाली स्थापित करना। - आइसीएफएआई विश्वविद्यालय के तत्वावधान में व्यवसाय प्रशासन, कंप्यूटर प्रयोज्यता, विज्ञान, आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना।
20. उड़ीसा	लिफ्ट सिंचाई योजना को फ्री जलापूर्ति जारी रखना।	- बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लागू करना। 300 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बिजली मुहैया कराने के लिए “बिजू ग्राम ज्योति” नामक नई योजना लागू करना।	- बिजू पटनाईक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत घटक महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधा विकास करना। “गहन खनिज अन्वेषण और खनिज संसाधनों का आकलन” नामक नई योजना शुरू करना।
21. पंजाब	- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा तथा नागरी सेवाओं में सुधार के लिए उनकी सहायता के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अंतरण करना। - आधारभूत स्टाम्प शुल्क दर 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।	1.9.2007 से सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक तक के चिकित्सा बीमा की ‘भाई धनइया सेहत सेवा योजना’ लागू करना। यह पूर्ववर्ती उस योजना का विस्तारित रूप है जो प्राथमिक कृषि समितियों के सदस्यों तक ही सीमित थी। ऐसी ही योजना बीपीएल परिवारों के लिए भी	भूमि की गुणवत्ता घटने और जल बहाव की समस्या के समाधान के लिए शून्य जुताई, गहरी जुताई, रेज्ड बेड प्लांटिंग, लेजर भू-समतलीकरण आदि जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का कार्यक्रम लोकप्रिय करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		शुरू करना। इसमें प्रत्येक परिवार 100 रुपए वार्षिक का प्रीमियम अदा करेगा और शेष प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा।	- कृषि-प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने संबंधी विधान अधिनियमित करना और सब्जी, खाद्यान्न तथा दुग्ध व्यवसाय में ठेका कृषि तथा खुदरा कार्य को संगठित करने को बढ़ावा देना। - उत्पादकता और वृद्धि तथा समष्टि प्रबंधन कार्य योजना के लिए पंजाब में कृषि उत्पादन पैटर्न समायोजन कार्यक्रम के माध्यम से विविधीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजना बनाना। - बागवानी पर विशेष बल देना। - प्रयोगशालाओं और फार्मों के बीच की दूरी मिटाने के लिए राज्य में 20 किसान प्रशिक्षण केंद्र खोलना। - घाटे में चल रहे दूध संगठनों के पुनरुज्जीवन का प्रस्ताव।
22. राजस्थान	- स्व-सहायता समूहों का हस्तनिर्मित माल करमुक्त करना। - बैंकेट हॉल, विवाह और पार्टी स्थलों पर विलासिता कर लगाना। - जयपुर में शुरू की गई 'कहीं भी पंजीयन' सुविधा शेष राजस्थान तक बढ़ाना। - सरकारी कर्मचारियों की सीपीएफ योजना की तर्ज पर असंगठित श्रमिकों के लिए 'विश्वकर्मा' नामक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करना।	'राजस्थान सोशल सेक्टर वाएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम' शुरू करना। 3 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ 'राजस्थान इन्नोवेशन फाउंडेशन' की स्थापना करना। - नया उपभोक्ता कार्य निदेशालय स्थापित करना। - आर्थिक रूप से दुर्बल घटकों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'आर्थिक रूप से दुर्बल घटक आयोग' की स्थापना करना।	- प्रत्येक जिले में चल कम्प्यूटर शिक्षा जिसमें बस और कम्प्यूटरों की लागत का 75 प्रतिशत भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1,500 उच्च प्राथमिक पाठशालाओं का माध्यमिक पाठशालाओं में तथा 600 माध्यमिक पाठशालाओं का उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में उन्नयन। - एक नया अभिघात (ट्राउमा) अस्पताल खोलना। - मानसरोवर में एक नया अस्पताल खोलना जिसका प्रबंधन बॉम्बे हास्पिटल जैसे किसी सुस्थापित अस्पताल की भागीदारी से किया जाएगा। - ग्रामीण और विरासती पर्यटन को कवर करने के लिए होटल नीति में संशोधन करना। 1500 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलना। - संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम करने तथा शीघ्र निदान और उपचार के लिए पतंजलि आरोग्य योजना शुरू करना। - पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय पर्यटन नीति बनाना।
23. सिक्किम	वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना।	महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आय, रोजगार और सामाजिक-राजनैतिक सहभागिता संबंधी मामलों के अध्ययन	बीज उत्पादन पर विशेष बल देना जिसमें बीज की जांच और प्रमाणन के लिए सहायक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	- सिक्किम में महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सर्वोत्तम एनजीओ को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देना। - प्रसिद्ध निजी पार्टियों द्वारा तकनीकी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं और प्रबंधन स्कूलों में निवेश करने को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सुगम पहुंच और कर में रियायत देना।	- और जांच के लिए राज्य नैदानिक विशेषज्ञ समिति स्थापित करना। - जैव-प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर समग्र नीति बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना। - एक स्वयंपूर्ण क्षमता निर्माण निदेशालय की स्थापना करना जिसमें विशेषज्ञ और व्यावसायिक व्यक्ति सहभागी किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग उनके संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए उनके वार्षिक व्यय का कम से कम 2 प्रतिशत का विनिधान करेगा। पंचायती राज संस्थाएं भी उनके कुल निधि विनिधान का 2 प्रतिशत क्षमता निर्माण कार्यों के लिए ही अलग रखेंगी। - क्षमता निर्माण निदेशालय द्वारा राज्य में विदेशी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निधि परिचालित की जाएगी। - राज्य में हरियाली बढ़ाने की प्रक्रिया एक निर्धारित समय में तेज करने के लिए पर्यावरण और हरियाली मिशन की स्थापना करना। - हिम नदियों की स्थिति तथा सिक्किम में जल प्रणाली पर उसके प्रभाव के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ दल का गठन करना। - शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का एक साथ विकास करने तथा विकास का अंतर मिटाने की दृष्टि से ‘‘सिटी-स्टेट इनिशिएटिव’’ नामक नई परियोजना संबंधी विधायी कार्रवाई शुरू करना। - प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ध्यान देने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग में तीन अलग निदेशालयों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और सुसंगतीकरण। - शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने, शिक्षा से संबंधित सभी संस्थाओं का	- लोक और पारंपरिक औषधि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान अनुदान देना। - बागवानी तथा पुष्प-कृषि को बड़े कार्यक्रम की हैसियत देना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		पर्यवेक्षण करने और उच्च शिक्षा नीति के व्यापक प्रभाव पर ध्यान देने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा विनियामक आयोग स्थापित करना। - ज्ञान, शिक्षा देने का कौशल बढ़ाने, शिक्षा का ढांचा और शैक्षिक तकनीक के उन्नयन के लिए राज्य से शिक्षकों को राज्य के बाहर की संस्थाओं में भेजने और साथ ही अन्य राज्यों के ख्यातनाम शिक्षकों और शिक्षाविदों को सिक्किम में बुलाने के लिए अध्यापन कौशल कोष नामक नया कार्यक्रम शुरू करना। - सभी जिला मुख्यालयों में आधारभूत संप्रेषण सुविधाओं से युक्त मीडिया केंद्र बनाना। - भारत और विदेश दोनों से लघु और मझौले उद्यमों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना।	
24. तमिलनाडु	- सहकारी फसल ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। फार्म सिंचाई संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों और ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। - फसल बीमा के लिए किसानों को वित्तीय सहायता। - अंतरण की राशि राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना। 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना। - दो चरणों में ई-टेंडरिंग लागू करना। 1.7.2007 से शुरू होने वाले पहले चरण में 10 लाख रु. से अधिक मूल्य के टेंडर खोलने के लिए टेंडर फार्म इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और 1.10.2007 से शुरू हो रहे दूसरे चरण	- अनुपयोगी भूमि सुधार की योजना जारी रखना तथा उसे निर्धन कृषक परिवारों को निःशुल्क वितरित करना। - दक्षिणी जिलों में नए उद्योग लगाने को बढ़ावा देने की दृष्टि से विरुधुनगर जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना। 25,000 नए स्व सहायता समूह बनाना तथा उनकी क्षमता निर्माण के लिए और उन्हें आय उत्पादक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता देना। - निर्धनों में भी निर्धन, निर्धन महिलाएं, विकलांग और निराश्रितों जैसे समाज के अति निर्धन घटकों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 15 जिलों में 15 पंचायत यूनियनों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 'वजंदू कट्टुवोम' परियोजना का पहला चरण लागू करना। - सरकार के माध्यम से 50,000 बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना। - सरकार की मुख्य कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य	- जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1,30,100 एकड़ भूमि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लघु सिंचाई तकनीक शुरू करना। - सभी जिलों में प्रदर्शन के माध्यम से सूक्ष्म फार्मिंग शुरू करके कृषि की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। - नदी का उर्वर क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से समन्वित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार तथा प्रबंधन परियोजना शुरू करना। 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में तथा 80 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नीत करना। - सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना। - सरकारी कला तथा विज्ञान माहविद्यालयों में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे सभी छात्रों को शिक्षा शुल्क से

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्र
	में संबंधित विभाग की वेबसाइटों के माध्यम से भी बिड प्रस्तुत किये जा सकते हैं।	स्तरीय उच्च स्तर की निगरानी समिति का गठन करना।	छूट प्रदान करना जिससे सरकारी महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा मुफ्त मिल सके। • पेरम्बलुर जिले में दो नई सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (आईटीआई) और शिवगंगा जिले में एक नई आईटीआई खोलना। • दक्षिणी जिलों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करने की दृष्टि से तिरुनेलवेली अण्णा विश्वविद्यालय नामक एक नया तकनीकी विश्वविद्यालय खोलना। • तिरुवरूर और धर्मापुरी में दो नए चिकित्सा महाविद्यालय। • नीलगीरि जिले में चाय बागानों के पुनरुज्जीवन तथा सहकारी चाय कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से योजना लागू करना। • परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए चेन्नई शहर में मेट्रो रेल परियोजना लागू करना। • 9,000 ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त सुरक्षित जलापूर्ति की योजना बनाना। • जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत चेन्नई शहर में ठोस अनुपयोगी माल प्रबंधन प्रणाली सुधारने तथा जलापूर्ति बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की योजना लागू करना।
25. त्रिपुरा	• गारंटी शोधन निधि शुरू करना। • जन सेवाओं में सुधार करने और कर संग्रह में और वृद्धि करने की दृष्टि से कर ढांचे को मजबूत बनाना। • स्व-सहायता समूहों को उनके निष्पादन के आकलन के आधार पर पूंजी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान से एक मूल निधि का निर्माण करना।	• पशु बीमा योजना का सभी जिलों तक विस्तार करना, दुग्ध विपणन प्रणाली को मजबूत बनाना और पशु चिकित्सा सेवा नेटवर्क का विस्तार करना। • बीपीएल परिवारों के लिए प्रायोगिक आधार पर बीमा योजना शुरू करने पर विचार करना।	• डिग्री और डिप्लोमा माइयूल्स वाली त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खोलना। • कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए कृषि महाविद्यालय खोलना। • फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रचार के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य करके बागवानी विकास पर बल देना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			- अतिरिक्त आठ मॉडल एक्वा पंचायत, तीन झींगा गांवों तथा चार विशेष गांवों के विकास का कार्य शुरू करना। - मत्स्य व्यवसाय में मल्टिपल स्टॉकिंग तथा हारवेस्टिंग की धारणा लाना। - स्व-सहायता समूहों के गठन, जल निकाय निर्माण और रबर के अतिरिक्त पौधे लगाने के माध्यम से वन क्षेत्र के विकास पर बल देना। - निश्चित सिंचाई के अंतर्गत 7550 हेक्टर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य। - स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए बुराताली में निवासी शाला और कोरबूक में आश्रम शाला शुरू करना।
26. उत्तराखंड		- आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 'आयुष ग्राम' की स्थापना। - स्थानीय उत्पादकों द्वारा स्थानीय उत्पाद, माल औषधियां और हस्तनिर्मित माल को स्थानीय रूप से बेचने को प्रोत्साहित करने और उनके माल की मार्केटिंग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रामीण कारोबार हब की स्थापना करना। - राज्य में तेजी से समाप्त हो रहे जल स्रोतों को बचाने और पेय जल के संरक्षण की दृष्टि से 'राज्य स्तरीय जल संवर्धन मिशन' की स्थापना करना।	- टपकेश्वर के करीब पीपीपी आधार पर होटल/सम्मेलन केंद्र बनाना। - दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए पीपीपी आधार पर रोप वे का निर्माण करना। - शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी की सहायता से 31 शहरों में पेय जल व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, ठोस निपटान प्रबंधन और सड़क निर्माण जैसे कार्य करना। - वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में विशेष प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देना। - राज्य में वैमानिकीय गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में तकनीकी कौशल प्राप्त करने तथा इस क्षेत्र की ओर उद्यमियों का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से वैमानिकी विश्वविद्यालय/ अकादमी स्थापित करना। - मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देहरादून में मानसिक स्वास्थ्य संस्था खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
27. उत्तर प्रदेश	वृद्धों, विकलांगों, निराश्रित महिलाओं और किसानों को देय पेंशन 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करना।	- ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के पोषण और सुदृढ़ीकरण के लिए आंबेडकर गांवों के समन्वित विकास की दृष्टि से “डॉ. आंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना” नामक एक नई योजना शुरू करना। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार निर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। - शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहरी निकायों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दृष्टि से एक नई योजना बनाना। - पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ “समन्वित विकास योजना” शुरू करना। - जन सहयोग से पादरोपण करने और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन’ नामक एक नई योजना शुरू करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करना। - नई चीनी उद्योग नीति बनाना। - सहकारी क्षेत्र और राज्य चीनी मिल निगम द्वारा चलाए जाने वाले और घाटे में चल रहे चीनी मिलों का निजीकरण करना। - प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन करना।	- निजी निवेशकों की सहायता से इलाहाबाद और अनापारा में दो पॉवर हाउस बनाना। - तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियांत्रिकी संस्था को भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर की तर्ज पर विकसित करना। अन्य अभियांत्रिकी संस्था का आइआईटी स्तर पर उन्नयन करना। - दो नए राज्य होमियोपैथी महाविद्यालय और दो नए एलोपैथी महाविद्यालय खोलना। 813 नए प्राथमिक विद्यालय और 4,500 नए कनिष्ठ उच्च विद्यालय सुविधा रहित क्षेत्रों में खोलना। - व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड का गठन करना। - जिन विकास खंडों में अब तक स्नातक महाविद्यालय स्थापित नहीं हुए हैं, वहां निजी क्षेत्र के स्नातक महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता देना। - शहरी क्षेत्रों में 35 और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल और 92 नए सरकारी होमियोपैथी अस्पताल खोलना।
28. पश्चिम बंगाल	- भूमि वितरण के एक लाख लाभार्थियों और एक लाख रेकार्डेड शेयर-क्रॉपरों को कम ब्याज दर (4 प्रतिशत) पर बैंक ऋण मुहैया कराना। - भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भविष्य निधि की योजना के अंतर्गत कवरेज 9.42 लाख से बढ़ाकर 10.50 लाख करना।	- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भविष्य निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग 7.92 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना। - पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अलावा बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के और पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954, जो अब निरस्त हो गए हैं, के अंतर्गत 30	500 प्राथमिक विद्यालय, 750 शिशु शिक्षा केंद्र, 1000 कनिष्ठ उच्च विद्यालय और 100 कनिष्ठ मदरसे खोलना। 500 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा 100 मदरसों को उच्च मदरसों में उन्नीत करना। 500 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। उत्तरी बंगाल, पश्चिमांचल और सुंदरबन क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक सरकारी

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	- कृषि मजदूरों की 'आम आदमी बीमा योजना' में सहभागी होना और इस योजना को कृषि मजदूरों की भविष्य निधि योजना से समन्वित करना। - वाणिज्यिक कर निदेशालय का कंप्यूटरीकरण करना। - रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वाणिज्यिक कर आयोग की समिति की सिफारिशों के आधार पर वैट विवरणी को और सरल करना। - पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग का योजना परिव्यय बढ़ाना। - वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, असमर्थता पेंशन, कारीगर पेंशन, कृषक पेंशन तथा महुआरा पेंशन की योजना के अंतर्गत व्याप्ति बढ़ाना। - अपनी कुल बिक्री का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों के संदर्भ में आकलन पूर्व के चरण में निर्यात की गई मात्रा के संबंध में इनपुट टैक्स की वापसी करना जैसा कि 100 प्रतिशत निर्यातानुमुख इकाइयों के संबंध में किया गया है। - विवादित कर के 46 प्रतिशत और विवादित ब्याज तथा दंड के 5 प्रतिशत का भुगतान करने पर 30 जून 2007 तक के बिक्री कर संबंधी विवादों को निपटान योजना की प्रयोज्यता बढ़ाना। - पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 में दिए गए बिक्री मूल्य की परिभाषा संशोधित करके सामान की सुपुर्दगी के समय या सुपुर्दगी से पहले प्रभारित की गई राशि बिक्री मूल्य से बाहर रखना। - बंद पड़े चाय बागानों को पुनः खोलने और पुनःपादरोपण तथा मशीनरी में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण तथा अतिरिक्त राहत देना।	जून 1997 तक पारित आकलन आदेशों के विरुद्ध अपील तथा संशोधन के लंबित मामलों का निपटान आयोग की परिधि में लाकर इस आयोग का क्षेत्र विस्तार करना। - माइक्रो और लघु उद्योगों के सहायतार्थ प्रोत्साहन योजना शुरू करना। राज्य में जिले की स्थिति के आधार पर माइक्रो उद्योग निवेश के 35 प्रतिशत तक की पूंजी निवेश सब्सिडी की और लघु उद्योग इकाइयां निवेश के 20 प्रतिशत तक की पूंजी निवेश सब्सिडी की हकदार होंगी। - व्यक्तिगत रूप से या स्व-सहायता समूह बनाकर लघु उद्योग उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उन युवाओं को प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता देना जो रोजगार केंद्रों में पंजीकृत हैं।	माहविद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त दस और महाविद्यालय खोलना जहां सामान्य विषयों के अलावा प्रबंध शिक्षा और उच्च स्तरीय कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया जाएगा। - उत्तर 24 परगना जिले में एक नया स्वयंपूर्व विश्वविद्यालय खोलना। - सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना और राज्य से गुजरने वाली नदियों का सुधार कार्य करना। - पुष्प कृषि और बागवानी पर विशेष बल देते हुए फसल विविधता को प्रोत्साहित करना। - लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न जिलों में 45 औद्योगिक समूहों की स्थापना करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर मूल्यवर्धित कर लगाना।		
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	- पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से दिल्ली की सीमा के भीतर के चार सितारा तक के होटलों को अप्रैल 2007 और अक्टूबर 2010 के बीच कर अवकाश देना। - कल्याण गृहों और अस्पतालों के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा करना। - आर्थिक रूप से दुर्बल और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों का मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करना। - तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत कर लगाना।	- जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से दुर्बल वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर गृह निर्माण करना। - बहु उद्देशीय सहकारी समितियों का गठन करके झोपड़पट्टी निवासियों को आवास उपलब्ध कराना। - यमुना नदी विकास प्राधिकरण का गठन करना। - महिला और बाल कल्याण की सभी योजनाओं तक पहुंच और उनका प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महिला और बाल विकास निदेशालय खोलना।	- बेहतर और संतुलित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिसंबर 2009 तक शहर के विभिन्न भागों में 53 भूमिगत जलाशय बनाना। उक्त 53 भूमिगत जलाशयों में से 13 का निर्माण पहले ही पूरा हो गया है और पांच का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो गया है। - नियमित की गई अनधिकृत बस्तियों में सड़कें, नालियां, जलापूर्ति, सीवरेज, बगीचा, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा, आदि, जैसी सभी नागरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। - दिल्ली के सभी गांवों की बस्तियों का गंदा जल यमुना नदी में मिलने से रोकने के लिए सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराना। - दिल्ली की बिजली की मांग पूरी करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करना। - स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा मुहैया कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना। - आठ नए विद्यालय खोलना। - सरकारी विद्यालयों के मेधावी छात्रों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पांच विद्यमान विद्यालयों को प्रतिभा विकास विद्यालयों में परिवर्तित करना। - कंप्यूटरयुक्त शिक्षा परियोजनाओं को 200 विद्यालयों से बढ़ाकर शेष सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तक पहुंचाना। - सभी विद्यालय पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण। - बकोली में महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 'आबेडकर विश्वविद्यालय' नामक एक नया विश्वविद्यालय खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (समाप्त)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			- आइटीआइ में सभी पाठ्यक्रमों के लिए कन्या विद्यार्थियों को शुल्क से छूट देना। - बहु उपचार युक्त अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के अलावा रोकथाम, प्रोत्साहन, उपचार और परिवार कल्याण की सेवाओं सहित समग्र स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल देना। - पारंपरिक फसलों के अलावा पुष्प कृषि और बागवानी जैसी नकदी फसलों की विविधता लाने को प्रोत्साहन देना। - सभी प्रकार के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को जारी रखना।
10. पुदुचेरी	- मछली पकड़ने की नौका के स्वामी द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम पर सब्सिडी बढ़ाना। - कृषि ऋण समिति/भूमि विकास बैंक को शेयर पूंजी सहायता देना।	- फसल बीमा का विस्तार कपास, मूंगफली और केले तक करना। - भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. द्वारा शुरू की गई 'वर्षा बीमा' नामक मौसमी वर्षा बीमा योजना लागू करना। - दूध उत्पादकों के लाभार्थ किसान आय गारंटी योजना नामक एक नई योजना शुरू करना। - रोजगार उत्पत्ति की दृष्टि से उन ग्रामीण और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देना जो मुख्यतः स्वामी द्वारा ही चलाए जाते हैं। - रोजगार उन्मुख प्रदूषण रहित उद्योगों, आइटी, जैव प्रौद्योगिकी और ऐसे ही अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना। - लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से ई-गवर्नेंस प्रथा अपनाना। - पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के भाग के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को कंप्यूटरीकृत करना। - सभी क्षेत्रों में तेज और संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए आधारभूत आयोजना को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से जिला योजना समिति का गठन करना।	- कृषक समाज में आदर्श इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सब्जी उत्पादन में सूक्ष्म कृषि पर एक नई योजना लागू करना। - माहे जनरल अस्पताल के लिए ट्राउमा केयर सेंटर बनाना। - पुदुचेरी टाउन क्षेत्र की तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग पूरी करने की दृष्टि से वेंकट नगर में सब स्टेशन स्थापित करना। - पुदुचेरी केंद्रीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को सभी सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सोसाइटी महाविद्यालयों में निःशुल्क उच्च शिक्षा देना। - सरकारी महाविद्यालयों में बी.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान), एमसीए और एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान) का अध्ययन कर रहे बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त में कंप्यूटर देना। - तेज औद्योगिक विकास की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता से औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट भाषण, 2007-08.

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
1. अधिनियमन का माह/वर्ष	अगस्त 2006	अक्टूबर 2006	मई 2007
2. सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	- मार्च 2010 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। - अप्रैल 2006 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 0.5 प्रतिशत जीएफडी/जीएसडीपी घटाना।	- मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। - प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जीएफडी/जीएसडीपी इतने प्रतिशत अंक कम करना कि मार्च 2009 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाए।	- मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत। - जीएफडी/जीएसडीपी को इतने प्रतिशत अंक कम करना जिससे मार्च 2009 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाए।
3. राजस्व घाटा (आरडी)	- राजस्व अधिशेष बनाए रखना। - राजस्व अधिशेष बढ़ाने हेतु कदम उठाना।	31 मार्च 2009 तक शून्य।	31 मार्च 2009 तक शून्य।
4. गारंटी	वार्षिक वृद्धिशील जोखिम भारांकित गारंटियां चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत तक या चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत तक सीमित रखना।	किसी वर्ष में जोखिम भारांकित बकाया गारंटियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के दुगुने से अधिक नहीं होंगी।	—
5. देयताएं	- कुल बकाया देयताएं 2010 में अनुमानित जीएसडीपी के 55 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। - प्रति वर्ष बकाया देयताओं/जीएसडीपी अनुपात में 500 आधार अंक की वार्षिक गिरावट।	सार्वजनिक लेखे छोड़कर, किसी वर्ष कुल बकाया ऋण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के दुगुने से अधिक नहीं होगा।	- कुल ऋण स्टॉक 2007-08 तक राज्य के टीआरआर के 300 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। - ऋण स्टॉक को वहनीय स्तर तक लाने की दृष्टि से ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति अनुपात 18 से 25 प्रतिशत के बीच सीमित रखना होगा।
6. व्यय	- आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। - पूंजी व्यय को प्राथमिकता देने के मानदंड बनाना	- आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। - पूंजी व्यय को प्राथमिकता देने के मानदंड बनाना - सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति नामक समिति नियुक्त कर सकती है।	- आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार पर बल देने वाली व्यय नीति जारी रखना। - उत्पन्न राजस्व के स्तर के अनुरूप व्यय प्रबंधन।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (जारी)

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
7. मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी)	- एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल किए जाएंगे। - निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : - राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। - उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। - अगले दस वर्षों के लिए बीमांकन आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन	- निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : - राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। - उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। - अगले दस वर्षों के लिए बीमांकन आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन	- एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल किए जाएंगे। - निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का आकलन : - राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन। - उत्पादक आस्ति निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों का उपयोग। - राज्य सरकार के मध्यावधि-राजकोषीय लक्ष्य। - पहले निर्धारित लक्ष्यों और संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के संभाव्य कार्यानिष्पादन की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का आकलन। - राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की कार्यनीतिक प्राथमिकता। - व्यय, उधार और निवेश तथा गारंटी और संभाव्य बजटीय प्रभाव वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों जैसे अन्य कार्यों के विवरण से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष की राज्य सरकार की नीतियां।
8. अनुपालन	- बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। - अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी का गठन। - जब भी बजट लक्ष्यों से राजस्व में कमी हो या व्यय बढ़ जाए तब राजस्व वृद्धि और/या व्यय कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने हैं।	बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की छमाही समीक्षा।	- बजट अनुमानों संबंधी प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा। - जब भी बजट लक्ष्यों से राजस्व में कमी हो या व्यय बढ़ जाए तब राजस्व वृद्धि और/या व्यय कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने हैं। - व्यय कटौती और/या राजस्व वृद्धि के विवरण के साथ अनुपूरक अनुमान रखे जाएंगे।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (जारी)

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
	विधान परिषद के दोनों गृहों में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रस्तावित उपाय के लिए विवरण प्रस्तुत करना जिससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है, इसके साथ ऐसी वृद्धि या हानि का प्रभाव समाप्त करने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का विवरण दिया जाएगा।		- सरकार के अनुमोदन के बिना वित्त विभाग में वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान के बाहर की कोई भी देयता निर्मित नहीं की जाएगी। - नैसर्गिक आपदा के समय सरकार आपदा की निवल राजकोषीय लागत की पहचान करेगी और ऐसी लागत विनिर्दिष्ट सीमा के अनुपालन की उच्चतम सीमा होगी।
9. पेंशन	- अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई। - यदि पहले 3 वर्षों के लिए उपर्युक्त बात संभव न हो तो प्रवृत्ति वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया जाए।	- अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई। - यदि पहले 3 वर्षों के लिए उपर्युक्त संभव न हो तो प्रवृत्ति वृद्धि दर के आधार पर अनुमान लगाया जाए।	अगले दस वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं की गणना बीमांकन आधार पर की गई।
10. राजकोषीय पारदर्शिता	- राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। - लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। - भारिबैंक से प्राप्त डब्ल्यूएमए/ओडी के ब्यौरों का प्रकटीकरण। - राज्य जब भी किसी अलग कानूनी संस्था के मूलधन और/या ब्याज की चुकौती करता है तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।	- राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। - लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। - भारिबैंक से प्राप्त डब्ल्यूएमए/ओडी के ब्यौरों का प्रकटीकरण।	- राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। - लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण। - राज्य सरकार द्वारा संस्थावार दी गई गारंटी, इन संस्थाओं द्वारा ऋण शोधन, देयता निवारण में चूक और इन संस्थाओं की चूक के कारण राज्य सरकार के खाते में निर्मित आकस्मिक देयताओं को दर्शाने वाला विवरण झारखंड विधान परिषद में रखा जाएगा। - राज्य सरकार अपने ऋण और वित्तीय आस्तियों के स्तर की पूरी जानकारी प्रकाशित करेगी। ऋण संबंधी जानकारी में अवधिपूर्णता का स्वरूप और ब्याज दर दिया जाएगा।
11. अन्य	वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।	वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।	वित्त की अनपेक्षित मांग के कारण आरडी और जीएफडी इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से बढ़ सकते हैं।

अनुबंध 2 : राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (समाप्त)

मद / राज्य	जम्मू और कश्मीर	मिजोरम	झारखंड
1	2	3	4
	- करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। - राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। - यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। - अंतरण-पूर्व का योजनेतर राजस्व घाटा 1 अप्रैल 2006 के प्रारंभ से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अंक के समतुल्य राशि से कम करना ताकि इसे 31 मार्च 2010 तक जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक कम किया जा सके और उसके बाद यह स्तर बनाया रखा जा सके।	- करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। - राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। - यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। - वार्षिक बजट के साथ विशेष विवरण भी प्रकाशित करना जिसमें सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतन का ब्यौरा दिया जाएगा।	- करेतर राजस्व जुटाने की नीति जारी रखना जिसमें लागत वसूली और ईक्विटी पर ध्यान दिया जाएगा। - राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सरकारी गजट में अधिसूचित करके नियम बनाएगी। - यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे आवश्यक प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों। 2008 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक का प्राथमिक अधिशेष निर्मित करना। - राज्य के स्वयं के राजस्व से वेतन का अनुपात 2008 तक कम करके 80 प्रतिशत तक लाना। - राज्य के स्वयं के और अनिवार्य राजस्व से गैर-ब्याज प्रतिबद्ध राजस्व का अनुपात 2008 तक कम करके 55 प्रतिशत तक लाना।

टिप्पणी: 1. 16 राज्यों (यथा कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) के राजकोषीय जवाबदेही विधान (एफआरएल) का सारांश 'राज्य वित्त-2005-06 के बजटों का अध्ययन' के अनुबंध-2 (पृष्ठ 79-88) में तथा 7 राज्यों (यथा मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार और गोवा) के एफआरएल का सारांश 'राज्य वित्त-2006-07 के बजटों का अध्ययन' के अनुबंध 2 में प्रकाशित किया गया है।

2. कुछ राज्यों ने अपने एफआरएल में बाद में संशोधन किए हैं। तथापि, यह अनुबंध अद्यतन उपलब्ध जानकारी के आधार पर है और हो सकता है कि इसमें संशोधन शामिल न हो।

अनुबंध 3अ: वर्ष 2003-06 (औसत) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1 (क्यू 1)	क्वार्टाइल 2 (क्यू 2)	क्वार्टाइल 3 (क्यू 3)	क्वार्टाइल 4 (क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 1.9 से 3.1 हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा	रेंज: 3.2 से 4.4 छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात	रेंज: 4.7 से 5.4 केरल , बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल	रेंज: 5.5 से 7.7 राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -0.7 से 0.0 कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा	रेंज: 0.1 से 1.0 तमिलनाडु, गोवा , उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 1.6 से 2.0 गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र	रेंज: 3.1 से 4.0 पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.5 से 0.0 उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु	रेंज: 0.1 से 0.7 कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़	रेंज: 0.8 से 1.2 पश्चिम बंगाल , राजस्थान, केरल, गुजरात	रेंज: 1.3 से 5.8 उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -6.1 से -3.2 बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़	रेंज: -2.7 से -2.4 हरियाणा, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश	रेंज: -2.4 से -1.1 मध्य प्रदेश , तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात	रेंज: -0.6 से 0.0 पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -131.4 से -32.0 हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक	रेंज: -20.6 से 17.8 बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश	रेंज: 19.2 से 31.4 गोवा , राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात	रेंज: 40.7 से 75.1 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
6. आरडी/आरआर	रेंज: -3.8 से 0.3 कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा	रेंज: 1.1 से 6.7 तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश	रेंज: 7.5 से 13.9 मध्य प्रदेश , झारखंड, राजस्थान, गुजरात	रेंज: 18.9 से 42.5 महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 8.9 से 10.5 हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु	रेंज: 7.9 से 8.7 आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	रेंज: 7.1 से 7.6 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश	रेंज: 4.7 से 7.0 पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 2.9 से 7.5 झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा	रेंज: 2.2 से 2.8 उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा	रेंज: 1.2 से 2.0 महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान , आंध्र प्रदेश	रेंज: 0.5 से 1.1 पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 8.2 से 20.7 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा	रेंज: 4.7 से 7.3 आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.6 से 4.5 केरल, पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु, कर्नाटक	रेंज: 1.8 से 2.5 हरियाणा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 16.5 से 18.9 मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार	रेंज: 13.7 से 14.8 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़	रेंज: 10.5 से 12.7 गुजरात, उड़ीसा , कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	रेंज: 7.6 से 10.0 पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 5.5 से 5.7 गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	रेंज: 6.3 से 7.1 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	रेंज: 7.3 से 7.6 गोवा , पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान	रेंज: 7.9 से 14.1 केरल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 8.7 से 12.8 राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड	रेंज: 7.0 से 8.1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा	रेंज: 6.6 से 6.9 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश	रेंज: 4.2 से 5.6 पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 3.4 से 4.5 उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.0 से 3.2 कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़	रेंज: 2.2 से 2.8 तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश	रेंज: 0.7 से 1.7 पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 29.0 से 30.2 हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु	रेंज: 30.5 से 42.3 झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात	रेंज: 42.5 से 51.6 मध्य प्रदेश , आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब	रेंज: 52.0 से 76.6 राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश
15. आइपी/आरआर	रेंज: 10.9 से 16.7 झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु	रेंज: 18.7 से 21.8 गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश	रेंज: 22.4 से 27.1 बिहार , आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब	रेंज: 27.9 से 48.3 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात
टिप्पणी: 1. इन सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 18 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 क्वार्टाइलों यथा, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 में समूहन दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेतक दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइलों में समूहबद्ध किया गया है। किसी भी संकेतक श्रेणी में क्यू 1 से क्यू 4 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा। 2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है। 3. दिए गए संकेतक हेतु मोटे अक्षरों में दर्शाए गए राज्य माध्यमिका राज्यों से संबंधित हैं। 4. सारणी 18 पर दिए गए नोट भी देखें।				

अनुबंध 3आ: वर्ष 2006-07 (संअ) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1 (क्यू 1)	क्वार्टाइल 2 (क्यू 2)	क्वार्टाइल 3 (क्यू 3)	क्वार्टाइल 4 (क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 0.6 से 2.7 हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु	रेंज: 2.8 से 3.1 कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश	रेंज: 3.6 से 4.5 राजस्थान , पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 4.7 से 10.4 पंजाब, बिहार, गोवा, केरल, झारखंड
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -3.4 से -1.1 छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	रेंज: -1.0 से 0.0 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान	रेंज: 0.1 से 0.6 तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा	रेंज: 1.1 से 4.4 बिहार, केरल, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -3.3 से -0.3 उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान	रेंज: 0.0 से 0.5 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु	रेंज: 0.5 से 0.8 मध्य प्रदेश , कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़	रेंज: 1.1 से 8.4 पंजाब, झारखंड, गोवा, केरल, बिहार
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -5.6 से -4.6 उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,	रेंज: -4.2 से -3.6 गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान	रेंज: -3.0 से -1.8 आंध्र प्रदेश , पंजाब, तमिलनाडु, गोवा	रेंज: -1.4 से 1.1 केरल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -117.6 से -38.9 छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	रेंज: -30.3 से 0.7 उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश	रेंज: 3.7 से 20.4 तमिलनाडु , गोवा, महाराष्ट्र, बिहार	रेंज: 20.7 से 100.8 झारखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल
6. आरडी/आरआर	रेंज: -14.1 से -5.9 छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश	रेंज: -5.6 से 0.1 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान	रेंज: 0.6 से 4.1 तमिलनाडु , गोवा, बिहार, हरियाणा	रेंज: 5.3 से 31.2 महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/ जीएसडीपी	रेंज: 9.6 से 12.3 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक	रेंज: 8.3 से 9.1 मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल	रेंज: 8.0 से 8.1 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र , राजस्थान	रेंज: 4.8 से 7.9 पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड, बिहार, गुजरात
8. ओएनटीआर/ जीएसडीपी	रेंज: 2.7 से 6.1 झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा	रेंज: 2.2 से 2.6 कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा	रेंज: 1.6 से 2.1 गुजरात, आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 0.5 से 1.2 पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 10.4 से 27.1 छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार	रेंज: 5.4 से 10.1 आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.9 से 5.1 तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल , कर्नाटक	रेंज: 2.0 से 3.6 हरियाणा, पंजाब, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 15.7 से 29.2 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड	रेंज: 14.4 से 15.5 उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	रेंज: 11.6 से 14.4 हरियाणा, राजस्थान , तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	रेंज: 8.0 से 11.1 पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब
11. गैर-डीइवी/ जीएसडीपी	रेंज: 4.3 से 6.1 हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र	रेंज: 6.2 से 6.5 गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु	रेंज: 6.7 से 7.7 झारखंड , मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान	रेंज: 8.1 से 15.7 उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पंजाब, बिहार
12. एसएसई/ जीएसडीपी	रेंज: 9.4 से 18.7 उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड	रेंज: 8.4 से 9.3 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 7.1 से 8.0 गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक , केरल	रेंज: 4.8 से 6.0 महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 4.6 से 8.7 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार	रेंज: 3.9 से 4.5 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश	रेंज: 2.6 से 3.8 तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान , गुजरात	रेंज: 0.8 से 2.3 पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 24.5 से 28.7 हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु	रेंज: 32.4 से 40.0 महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, झारखंड	रेंज: 40.2 से 47.2 केरल , आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल	रेंज: 47.7 से 73.3 पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार
15. आइपी/आरआर	रेंज: 7.7 से 13.6 झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक	रेंज: 14.3 से 17.0 हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा	रेंज: 17.7 से 19.5 उत्तर प्रदेश , आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र	रेंज: 21.6 से 40.2 पंजाब, केरल, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल
टिप्पणी: 1. इन सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 19 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 क्वार्टाइलों यथा, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 में समूहन दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेतक दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइलों में समूहबद्ध किया गया है। किसी भी संकेतक श्रेणी में क्यू 1 से क्यू 4 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा। 2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है। 3. दिए गए संकेतक हेतु मोटे अक्षरों में दर्शाए गए राज्य माध्यमिका राज्यों से संबंधित हैं। 4. सारणी 18 पर दिए गए नोट भी देखें।				

अनुबंध 3इ: वर्ष 2003-06 (औसत) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1 (क्यू 1)	क्वार्टाइल 2 (क्यू 2)	क्वार्टाइल 3 (क्यू 3)	क्वार्टाइल 4 (क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 1.8 से 3.0 नागालैंड, असम, त्रिपुरा	रेंज: 3.9 से 8.1 जम्मू और कश्मीर, मेघालय, सिक्किम	रेंज: 8.2 से 8.7 मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 11.4 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -11.4 से -5.6 सिक्किम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -4.5 से -3.2 अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर	रेंज: -0.7 से -0.3 मेघालय, असम	रेंज: 3.1 से 4.8 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.5 से -1.4 नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -0.9 से 1.0 असम, मेघालय , हिमाचल प्रदेश	रेंज: 1.8 से 4.8 सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर	रेंज: 5.2 से 5.7 उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -17.7 से -10.1 सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -9.9 से -9.1 नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर	रेंज: -8.8 से -3.6 त्रिपुरा, मेघालय, असम	रेंज: -3.0 से -0.4 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -256.5 से -51.4 त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर	रेंज: -47.6 से -22.2 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय	रेंज: 33.9 से 69.7 उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 162.5 से 3745.2 असम, जम्मू और कश्मीर
6. आरडी/आरआर	रेंज: -18.1 से -13.6 जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, नागालैंड	रेंज: -10.3 से -6.3 सिक्किम, मणिपुर , अरुणाचल प्रदेश	रेंज: -5.7 से -0.3 मिजोरम, असम, मेघालय	रेंज: 15.2 से 21.3 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 6.7 से 8.0 सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 4.0 से 6.1 हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय	रेंज: 1.9 से 3.1 त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 1.4 से 1.5 मिजोरम, नागालैंड
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 3.0 से 53.8 सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 2.6 से 2.8 जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय , हिमाचल प्रदेश	रेंज: 1.8 से 2.5 उत्तराखंड, त्रिपुरा	रेंज: 1.4 से 1.6 मणिपुर, नागालैंड
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 49.8 से 54.0 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम	रेंज: 35.2 से 40.9 मणिपुर, नागालैंड , जम्मू और कश्मीर	रेंज: 16.1 से 27.0 त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 11.3 से 13.8 असम, उत्तराखंड
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 48.2 से 54.9 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम	रेंज: 23.3 से 34.5 मणिपुर, नागालैंड , जम्मू और कश्मीर	रेंज: 19.9 से 23.1 मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 17.4 से 19.8 उत्तराखंड, असम
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 8.8 से 11.3 असम, उत्तराखंड, मेघालय	रेंज: 12.7 से 16.5 त्रिपुरा, नागालैंड , हिमाचल प्रदेश	रेंज: 18.1 से 18.6 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 19.0 से 65.0 मिजोरम, सिक्किम
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 24.7 से 29.9 सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 13.6 से 19.4 मणिपुर, मेघालय , जम्मू और कश्मीर	रेंज: 12.0 से 13.3 त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 9.9 से 11.3 उत्तराखंड, असम
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 14.0 से 19.5 सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 7.5 से 12.2 जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा	रेंज: 4.7 से 7.4 नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड	रेंज: 3.0 से 3.8 हिमाचल प्रदेश, असम
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 39.1 से 46.5 असम, नागालैंड, मेघालय	रेंज: 48.1 से 76.2 उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम	रेंज: 77.9 से 79.8 अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 81.5 से 107.8 मणिपुर, मिजोरम
15. आइपी/आरआर	रेंज: 5.8 से 11.5 सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 11.6 से 12.1 नागालैंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 13.4 से 15.1 मणिपुर, त्रिपुरा, असम	रेंज: 17.0 से 32.1 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
टिप्पणी : 1. इन सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 18 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 क्वार्टाइलों यथा, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 में समूहन दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेतक दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइलों में समूहबद्ध किया गया है। किसी भी संकेतक श्रेणी में क्यू 1 से क्यू 4 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा। 2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है। 3. दिए गए संकेतक हेतु मोटे अक्षरों में दर्शाए गए राज्य माध्यमिका राज्यों से संबंधित हैं। 4. सारणी 18 पर दिए गए नोट भी देखें।				

अनुबंध 3ई: वर्ष 2006-07 (संअ) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1 (क्यू 1)	क्वार्टाइल 2 (क्यू 2)	क्वार्टाइल 3 (क्यू 3)	क्वार्टाइल 4 (क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 1.4 से 4.3 मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर	रेंज: 4.6 से 5.8 त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 6.3 से 7.7 उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 8.3 से 10.5 मिजोरम, सिक्किम
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -23.4 से -12.5 सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: -7.6 से -5.4 जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय	रेंज: -5.3 से -1.2 त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड	रेंज: 0.2 से 1.2 हिमाचल प्रदेश, असम
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.0 से -0.9 मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर	रेंज: 0.7 से 1.4 त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 1.6 से 2.9 नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड	रेंज: 3.0 से 4.4 असम, सिक्किम
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -29.5 से -18.9 सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: -12.4 से -9.2 जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा	रेंज: -9.1 से -5.7 नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश	रेंज: -4.6 से -3.0 उत्तराखंड, असम
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -395.5 से -222.8 मेघालय, मणिपुर, सिक्किम	रेंज: -162.8 से -116.3 अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा	रेंज: -103.8 से -19.1 नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड	रेंज: 4.9 से 17.3 हिमाचल प्रदेश, असम
6. आरडी/आरआर	रेंज: -26.0 से -17.6 मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: -17.2 से -14.8 त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड	रेंज: -13.8 से -5.2 मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड	रेंज: 0.8 से 3.9 हिमाचल प्रदेश, असम
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 7.0 से 7.9 असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड	रेंज: 4.3 से 6.8 मेघालय , हिमाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 2.1 से 3.4 मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा	रेंज: 1.6 से 1.8 नागालैंड, मिजोरम
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 3.5 से 54.5 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 3.1 से 3.2 हिमाचल प्रदेश , मणिपुर, असम	रेंज: 2.1 से 2.8 उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय	रेंज: 0.7 से 1.1 त्रिपुरा, नागालैंड
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 52.3 से 64.7 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 34.0 से 51.7 नागालैंड , जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 21.3 से 32.2 असम, त्रिपुरा, मेघालय	रेंज: 12.9 से 16.1 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 46.9 से 69.6 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 29.4 से 43.1 मेघालय , जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 21.7 से 27.2 त्रिपुरा, असम, नागालैंड	रेंज: 17.3 से 20.0 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 8.6 से 11.5 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय	रेंज: 12.7 से 14.9 असम, त्रिपुरा, नागालैंड	रेंज: 18.3 से 18.5 मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 19.6 से 67.0 मिजोरम, सिक्किम
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 23.6 से 34.8 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 15.6 से 20.3 मेघालय , जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 13.2 से 15.5 नागालैंड, त्रिपुरा, असम	रेंज: 10.7 से 12.1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 17.9 से 34.0 मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 10.7 से 13.9 नागालैंड , जम्मू और कश्मीर, मिजोरम	रेंज: 6.4 से 9.8 मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा	रेंज: 3.8 से 5.7 हिमाचल प्रदेश, असम
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 38.0 से 45.8 असम, नागालैंड, उत्तराखंड	रेंज: 45.9 से 65.1 मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 73.9 से 83.6 सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 83.9 से 98.8 मणिपुर, मिजोरम
15. आइपी/आरआर	रेंज: 4.8 से 8.9 सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश	रेंज: 9.2 से 10.0 मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 11.4 से 13.3 मिजोरम, त्रिपुरा, असम	रेंज: 14.8 से 24.0 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
टिप्पणी : 1. इन सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 19 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 क्वार्टाइलों यथा, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 में समूहन दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेतक दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइलों में समूहबद्ध किया गया है। किसी भी संकेतक श्रेणी में क्यू 1 से क्यू 4 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा। 2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है। 3. दिए गए संकेतक हेतु मोटे अक्षरों में दर्शाए गए राज्य माध्यमिका राज्यों से संबंधित हैं। 4. सारणी 18 पर दिए गए नोट भी देखें।				

अनुबंध 4 : कार्य और वित्त आबंटन का सांविधिक ढांचा

सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अंतर्गत भारतीय संविधान संघीय और राज्य स्तरीय सरकार के वित्तीय संसाधनों और संबंधित कार्यों को निर्धारित करता है और उसमें निम्नवत तीन सूचियां हैं :

सूची 1 - संघीय सूची (97 मदें)

- कार्य : रक्षा, अणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, विदेशी मामले, राजनयिक संबंध, रेलवे, वायुमार्ग, डाक और टेलीग्राफ, संघीय लोक ऋण, मुद्रा और सिक्के, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, आदि।
- स्रोत : आय कर (कृषि आय छोड़कर), सीमा शुल्क, विनिर्मित माल पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, सेवा कर आदि।

सूची II - राज्य सूची (66 मदें)

- कार्य : सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, कृषि, जल, मत्स्य व्यवसाय, राज्य का लोक ऋण, आदि।
- स्रोत : कृषि आय पर कर, भूमि-भवन पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर, बिजली कर, माल के क्रय-विक्रय पर कर (वैट), वाहनों पर कर, चुंगी, व्यवसाय, व्यापार पर कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, आदि।

सूची III - समवर्ती सूची (47 मदें)

- आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, भारतीय प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बेरोजगारी, श्रम कल्याण, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, मूल्य नियंत्रण, कारखाने, बिजली, आदि।

स्रोत : भारतीय संविधान, भारत सरकार।

अनुबंध 5 : विभाज्य करों में सिफारिश किया गया अंश : पहले से बारहवां वित्त आयोग

वित्त आयोग	आय कर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क (आधार)	
	राज्य का अंश (%)	राज्य का अंश (%)	कवर हुए अनुच्छेदों की संख्या
1	2	3	4
पहला	55	40	3
दूसरा	60	25	8
तीसरा	66.7	20	35
चौथा	75	20	सभी
पांचवां	75	20	सभी
छठा	80	20	सभी
सातवां	85	40	सभी
आठवां	85	45	सभी
नौवां	85	45	सभी
दसवां	77.5	47.5	सभी
ग्यारहवां	29.5	29.5	सभी कर
बारहवां	30.5	30.5	सभी कर

स्रोत : बारहवां वित्त आयोग, 2005-10 की रिपोर्ट।



अनुबंध 6 :अनुक्रमी वित्त आयोगों के माध्यम से कर अंतरण के लिए प्रयोग में लाए गए मानदंड और भारांक

वित्त आयोग	जनसंख्या	अंशदान	अविनिर्दिष्ट	पिछड़ापन	आय अंतर	विपरीत प्रति व्यक्ति आय	गरीबी	राजस्व समतुल्यता	योजनेतर घाटा	क्षेत्र	बुनियादी ढांचे का सूचकांक	राजकोषीय अनुशासन	कर प्रयास
पहला (1952-57) आय कर: 55 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	80.0 100.0	20.0											
दूसरा (1957-62) आय कर: 60 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 25 %	90.0 90.0	10.0	10.0										
तिसरा (1962-66) आय कर: 66.66 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	80.0	20.0	100.0										
चौथा (1966-69) आय कर: 75 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	80.0 80.0	20.0		20.0									
पांचवा (1969-74) आय कर: 75 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	90.0 80.0	10.0		6.66	13.34								
छठा (1974-79) आय कर: 80 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	90.0 75.0	10.0			25.0								
सातवां (1979-84) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	90.0 25.0	10.0				25.0	25.0	25.0					
आठवां(1984-89) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 45 %	22.5 25.0	10.0			45.0 50.0	22.5 25.0							
नौवां (1989-90) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	22.5 25.0	10.0			45.0 50.0	11.25 12.5	11.25 12.5						
दसवां (1990-95) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 45 %	22.5 25.0	10.0		11.25 12.5	45.0 33.5	11.25 12.5			16.5				
दसवां (1995-2000) आय कर: 77.5 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 47.5 %	20.0 20.0				60.0 60.0					5.0 5.0	5.0 5.0	10 10	
ग्यारहवां (2000-05) सभी केंद्रीय कर: 29.5 %	10.0				62.5				7.5	7.5	5.0	7.5	
बारहवां (2005-10) सभी केंद्रीय कर: 30.5 %	25.0				50.0					10.0		7.5	7.5

स्रोत : बारहवां वित्त आयोग, 2005-10 की रिपोर्ट।



डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन अट्ठाईस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण अट्ठाईस राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्ति एवं व्यय के वर्गीकरण और 'योजना' एवं 'योजनेतर' में उनके विभाजन पर आधारित हैं। राज्य सरकारों से गारंटियों (आकस्मिक देयताएं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। संस्थागत सुधारों के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी सारणी 2 में प्रस्तुत की गई है। राज्यवार योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम, ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट-IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट-III में कुल पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखा के अलावा कुल पूंजीगत व्यय बताता है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए परिशिष्ट

सारणियां (समेकित), विवरण (राज्यवार) और विश्लेषण सरकारी लेखा (निवल) पर आधारित हैं जबकि सरकारी लेखा को पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्ठाईस राज्यों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़ों को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिया गया है। इसकी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से की गई है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़ों को पिछले तीन वर्षों की औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और उन्हें 2006-07 तक (सं.अ.) सीएसओ से तथा 2007-08 (ब.अ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी वर्ष का सकल राज्य घरेलू उत्पाद / सकल घरेलू उत्पाद बजट अनुमान (ब.अ.) से संशोधित अनुमान (सं.अ.) में और वहाँ से लेखा में परिवर्तित हो जाता है। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात जीएसडीपी /जीडीपी के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों पर आधारित है। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

जैसा कि बजट दस्तावेजों में बताया गया है, व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण और अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। यह पुनर्वर्गीकरण बजट दस्तावेज में प्रस्तुत

कुल प्राप्तियों, व्यय और समग्र शेष में कोई परिवर्तन किए बिना किया जाता है। परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में सकल आधार पर डाटा प्रस्तुतीकरण के बावजूद विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परंपरागत घाटा/अधिशेष) नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि / कमी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि / कमी के बराबर है क्योंकि परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में बताई गई बाद वाली दो मदों को क्रमशः पूंजीगत प्राप्तियों (निवल आधार पर सरकारी लेखों सहित, और पूंजीगत व्यय (पूंजीगत लेखा को छोड़कर) में से निकाल दिया गया है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित

किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई थी जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। वर्तमान अध्ययन में डाटा सीरीज को 2003-04 से संशोधित करने का प्रयास किया गया है। किसी भी अन्य संगत डाटा स्रोत के अभाव में इस रिपोर्ट में प्रयुक्त ऋण पर डाटा संकलन की अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा बॉक्स 7 में दिया गया है जो पृष्ठ 49 पर है।

परिशिष्ट सारणी 20 और 21 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

नोट : 1980-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित, राज्य सरकार के वित्त पर सांख्यिकी पुस्तिका, में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



परिशिष्ट सारणी





भारतीय रिजर्व बैंक

परिशिष्ट सारणी 1 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	परंपरागत घाटा	प्राथमिक घाटा	भा.रि.बैंक से राज्यों का निवल ऋण
1	2	3	4	5	6
1990-91	18,787 (3.3)	5,309 (0.9)	-72 (0.0)	10,132 (1.8)	420 (0.1)
1991-92	18,900 (2.9)	5,651 (0.9)	156 (0.0)	7,956 (1.2)	-340 (-0.1)
1992-93	20,891 (2.8)	5,114 (0.7)	-1,829 (-0.2)	7,681 (1.0)	176 (0.0)
1993-94	20,364 (2.4)	3,872 (0.5)	363 (0.0)	4,564 (0.5)	591 (0.1)
1994-95	27,308 (2.7)	6,706 (0.7)	-4,346 (-0.4)	7,895 (0.8)	48 (0.0)
1995-96	30,870 (2.6)	8,620 (0.7)	-2,680 (-0.2)	9,031 (0.8)	16 (0.0)
1996-97	36,561 (2.7)	16,878 (1.2)	7,202 (0.5)	11,175 (0.8)	898 (0.1)
1997-98	43,474 (2.9)	17,492 (1.1)	-1,803 (-0.1)	13,675 (0.9)	1,543 (0.1)
1998-99	73,295 (4.2)	44,462 (2.6)	3,268 (0.2)	37,854 (2.2)	5,579 (0.3)
1999-00	90,099 (4.6)	54,548 (2.8)	3,125 (0.2)	45,458 (2.3)	1,312 (0.1)
2000-01	87,923 (4.2)	55,316 (2.6)	-2,379 (-0.1)	36,937 (1.8)	-1,092 (-0.1)
2001-02	94,260 (4.1)	60,398 (2.6)	3,545 (0.2)	32,665 (1.4)	3,451 (0.2)
2002-03	99,726 (4.1)	57,179 (2.3)	-4,291 (-0.2)	30,699 (1.2)	-3,100 (-0.1)
2003-04	1,20,631 (4.4)	63,407 (2.3)	-526 (0.0)	40,235 (1.5)	293 (0.0)
2004-05	1,07,774 (3.4)	39,158 (1.3)	-10,232 (-0.3)	21,353 (0.7)	-2,705 (-0.1)
2005-06	90,084 (2.5)	7,013 (0.2)	-33,947 (-1.0)	6,060 (0.2)	2,425 (0.1)
2006-07 (ब.अ.)	1,06,753 (2.6)	8,348 (0.2)	-5,773 (-0.1)	9,458 (0.2)	-
2006-07 (सं.अ.)	1,13,913 (2.8)	5,566 (0.1)	13,210 (0.3)	18,209 (0.4)	-2,733 (-0.1)
2007-08 (ब.अ.)	1,08,323 (2.3)	-11,973 (-0.3)	-1,225 (-0.0)	5,648 (0.1)	-

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

‘-’ उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : 1. (—) घाटा संकेतक के लिए अधिशेष दर्शाता है।

- परंपरागत घाटे के रूप में समग्र अधिशेष या घाटा कुल संचितरण और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर दर्शाते हैं। कुल प्राप्तियों में (i) राजस्व प्राप्तियां (ii) अधोपाय अग्रिम और भा.रि.बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा (iii) लोक लेखा के अंतर्गत नकर शेष निवेश खाता एवं नकर शेष में आहरण को छोड़कर निवल प्राप्तियाँ शामिल हैं। कुल संचितरण में (i) राजस्व व्यय और (ii) अधोपाय अग्रिम की चुकौती भा.रि.बैंक से ओवरड्राफ्ट के अलावा पूंजीगत संचितरण शामिल हैं।
- राजस्व घाटे से तात्पर्य है : राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।
- कुल राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है : निवल ऋण चुकौती के कुल संचितरण और कर्ज वसूली तथा राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों में अंतर।
- प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है : व्याज भुगतान निकालने के बाद सकल राजकोषीय घाटा।
- कोष्ठकों के अंकड़े सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत हैं।
- जम्मा और कश्मीर के 1990-91 से 2005-06 के अंकड़े तथा शारखड के 2001-02 से 2005-06 के अंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को निवल ऋण से तात्पर्य है : भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को उनकी भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी बुद्धिशाल जमा राशियों के निवल आधार पर, दिए गए ऋण तथा अग्रिम में अंतर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेख।



परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियां	4,31,021	5,08,775	5,31,429	6,06,733	1,00,408	23.3	22,654	4.5	75,304	14.2
ख. व्यय	4,38,034	5,17,123	5,36,995	5,94,760	98,961	22.6	19,872	3.8	57,765	10.8
ग. अधिशेष(+) / घाटा(-) (I क- I ख)	-7,013	-8,348	-5,566	11,973						
II. पूंजी खाता *										
क. प्राप्तियां	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4
ख. संवितरण	1,23,648	1,37,661	1,50,951	1,71,859	27,304	22.1	13,290	9.7	20,908	13.9
ग. अधिशेष(+) / घाटा(-) (II क- II ख)	40,960	14,120	-7,645	-10,748						
III. कुल प्राप्तियाँ	5,95,628	6,60,557	6,74,736	7,67,845	79,107	13.3	14,179	2.1	93,109	13.8
IV. कुल संवितरण	5,61,682	6,54,784	6,87,946	7,66,620	1,26,264	22.5	33,162	5.1	78,674	11.4
V. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) [III-IV]	33,947	5,773	-13,210	1,225						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटे (-) [V=VI(क+ख+ग)] का वित्तपोषण										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-1,827	4,560	-9,469	3,311						
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) / से आहरण (-) (निवल)	34,761	1,263	-3,672	-2,016						
ग. भा.रि.बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती(+) / में वृद्धि (-) (निवल)	1,013	-50	-70	-70						

* : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री और (iii) भारिबैंक के पास जमाराशियों को छोड़कर । पूंजी प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूंजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर ।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल राजस्व (I+II)	4,31,021	5,08,775	5,31,429	6,06,733	1,00,408	23.3	11,282	2.2	75,304	14.2
I. कर-राजस्व (क+ख)	3,06,332	3,57,499	3,72,817	4,30,222	66,485	21.7	6,194	1.7	57,405	15.4
क. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	2,12,307	2,48,080	2,57,080	2,94,038	44,773	21.1	-123	-	36,958	14.4
(i) आय पर कर (क+ख)	2,563	2,721	2,864	3,028	301	11.7	143	5.3	164	5.7
(क) कृषिगत आयकर	17	22	21	26	5	29.0	-1	-3.0	5	23.1
(ख) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर कर	2,547	2,699	2,843	3,002	296	11.6	144	5.3	159	5.6
(ii) संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	27,667	30,779	34,080	40,310	6,413	23.2	2,401	7.6	6,230	18.3
(क) मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	24,868	27,344	30,903	36,862	6,036	24.3	2,659	9.4	5,958	19.3
(ख) भू-राजस्व	2,716	3,332	3,070	3,287	353	13.0	-263	-7.9	217	7.1
(ग) शहरी अचल संपत्ति कर	83	102	107	162	24	28.6	5	4.6	55	51.4
(iii) पण्य और सेवाओं पर कर (क से छ)	1,82,077	2,14,578	2,20,136	2,50,700	38,059	20.9	-2,667	-1.2	30,564	13.9
(क) बिक्री-कर*	1,28,769	1,54,342	1,58,113	1,82,973	29,343	22.8	-2,819	-1.8	24,860	15.7
(ख) राज्य उत्पाद शुल्क	25,036	28,558	29,409	31,578	4,374	17.5	-124	-0.4	2,169	7.4
(ग) वाहन-कर	11,964	13,232	13,572	15,222	1,608	13.4	-50	-0.4	1,650	12.2
(घ) यात्री और माल पर कर	6,450	7,463	7,746	8,509	1,297	20.1	266	3.6	763	9.9
(ङ) बिजली प्रशुल्क	7,718	8,226	8,559	9,052	842	10.9	333	4.1	493	5.8
(च) मनोरंजन कर	649	855	767	851	119	18.3	-132	-14.6	83	10.9
(छ) अन्य कर और शुल्क	1,492	1,901	1,970	2,515	478	32.0	-142	-6.7	545	27.7
ख. केंद्रीय कर में अंश	94,024	1,09,420	1,15,737	1,36,184	21,712	23.1	6,317	5.8	20,447	17.7
II. करेतर-राजस्व (ग+घ)	1,24,690	1,51,276	1,58,612	1,76,511	33,922	27.2	5,087	3.3	17,899	11.3
ग. केंद्र से प्राप्त अनुदान	76,750	99,290	1,02,955	1,17,320	26,205	34.1	2,767	2.8	14,366	14.0
घ. राज्यों के अपने करेतर राजस्व (क से च)	47,939	51,986	55,657	59,191	7,718	16.1	2,320	4.4	3,534	6.3
(क) ब्याज प्राप्तियाँ	9,380	8,502	9,302	11,008	-78	-0.8	-422	-4.3	1,706	18.3
(ख) लाभांश और लाभ	578	303	320	335	-258	-44.7	13	4.3	15	4.6
(ग) सामान्य सेवाएँ	11,784	15,108	16,972	14,285	5,189	44.0	1,815	12.0	-2,688	-15.8
जिसमें से :										
राज्य लॉटरी	7,124	10,741	8,670	8,207	1,546	21.7	-2,071	-19.3	-463	-5.3
(घ) समाज सेवा	4,549	3,286	4,539	4,474	-9	-0.2	1,225	37.0	-65	-1.4
(ङ) आर्थिक सेवा	21,649	24,781	24,522	29,090	2,873	13.3	-307	-1.2	4,568	18.6
(च) राजकोषीय सेवा	1	6	2	-	1	170.4	-4	-65.6	-2	-95.4

* : सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर और गन्ने खरीद पर बिक्री कर आदि शामिल।

‘-’ : नगण्य /शून्य

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 4 : राजस्व व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (I+II+III)	4,38,034	5,17,123	5,36,995	5,94,760	98,961	22.6	19,872	3.8	57,765	10.8
I. विकास व्यय (क+ख)	2,41,196	2,82,476	3,03,934	3,38,251	62,738	26.0	21,458	7.6	34,318	11.3
क. सामाजिक सेवाएँ (1 से 11)	1,48,552	1,77,535	1,87,960	2,10,153	39,408	26.5	10,425	5.9	22,193	11.8
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	78,147	91,915	94,816	1,03,870	16,668	21.3	2,900	3.2	9,054	9.5
2. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	20,306	24,826	24,977	27,649	4,671	23.0	151	0.6	2,672	10.7
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता-प्रबंध	8,465	8,405	8,810	9,468	345	4.1	405	4.8	659	7.5
4. आवास निर्माण	2,002	3,043	3,388	4,219	1,386	69.2	345	11.3	831	24.5
5. शहरी विकास	4,687	10,588	11,456	17,219	6,769	144.4	867	8.2	5,764	50.3
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,457	12,366	13,229	15,639	2,772	26.5	863	7.0	2,411	18.2
7. श्रम और श्रमिक-कल्याण	1,656	2,017	2,346	2,576	690	41.7	329	16.3	230	9.8
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,232	12,987	13,802	16,819	4,570	49.5	815	6.3	3,016	21.9
9. पोषण	4,022	5,100	5,254	5,746	1,232	30.6	154	3.0	492	9.4
10. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	8,570	4,517	8,006	4,978	-564	-6.6	3,489	77.3	-3,028	-37.8
11. अन्य*	1,009	1,770	1,877	1,969	868	86.0	106	6.0	93	4.9
ख. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	92,644	1,04,941	1,15,974	1,28,099	23,330	25.2	11,033	10.5	12,125	10.5
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियाँ	20,987	23,585	25,472	28,615	4,486	21.4	1,887	8.0	3,143	12.3
2. ग्रामीण विकास	17,588	20,564	22,156	24,636	4,568	26.0	1,592	7.7	2,481	11.2
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	812	1,013	1,295	1,271	483	59.5	281	27.8	-23	-1.8
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	11,395	14,861	15,260	17,233	3,865	33.9	399	2.7	1,973	12.9
5. ऊर्जा	21,217	19,385	24,797	23,980	3,580	16.9	5,412	27.9	-817	-3.3
6. उद्योग और खनिज	3,824	3,938	4,658	5,724	834	21.8	721	18.3	1,066	22.9
7. परिवहन और संचार	10,657	13,652	14,787	15,808	4,130	38.7	1,135	8.3	1,022	6.9
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	295	442	415	501	120	40.9	-26	-6.0	86	20.7
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ	5,870	7,502	7,134	10,329	1,264	21.5	-368	-4.9	3,195	44.8
II. विकासेतर व्यय (क से च)	1,86,885	2,21,970	2,19,709	2,40,585	32,823	17.6	-2,261	-1.0	20,877	9.5
क. राज्य के अंग	4,127	5,010	5,343	5,457	1,215	29.4	333	6.6	115	2.1
ख. राजकोषीय सेवा	9,606	10,728	11,568	12,185	1,962	20.4	841	7.8	617	5.3
ग. ब्याज अदायगी और ऋण शोधन (1+2)	90,453	1,03,915	1,03,430	1,09,887	12,977	14.3	-485	-0.5	6,456	6.2
1. ऋण में कमी अथवा ऋण से बचाव के लिए विनियोग	6,430	6,620	7,726	7,212	1,297	20.2	1,106	16.7	-514	-6.7
2. ब्याज अदायगी	84,024	97,295	95,704	1,02,675	11,680	13.9	-1,591	-1.6	6,971	7.3
घ. प्रशासनिक सेवाएँ	34,298	42,985	42,511	49,066	8,213	23.9	-475	-1.1	6,555	15.4
ड. पेंशन	40,647	47,825	47,739	54,263	7,091	17.4	-86	-0.2	6,524	13.7
च. विविध सामान्य सेवाएँ	7,753	11,507	9,118	9,727	1,365	17.6	-2,389	-20.8	609	6.7
जिसमें से : राज्य लॉटरी	6,774	10,257	8,290	7,888	1,515	22.4	-1,968	-19.2	-402	-4.8
III. सहायता अनुदान तथा अंशदान	9,953	12,677	13,352	15,923	3,399	34.2	675	5.3	2,571	19.3

* : इसमें मुख्यतः सूचना और प्रचार, सचिवालय - सामाजिक सेवा आदि पर व्यय शामिल है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 5 : पूंजीगत प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियाँ (1 से 10)	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4
1. आंतरिक ऋण* जिसमें से :	1,16,644	1,10,700	1,03,600	1,14,658	-13,044	-11.2	-7,100	-6.4	11,058	10.7
बाजार ऋण (सकल)	22,795	28,268	24,978	36,818	2,183	9.6	-3,290	-11.6	11,840	47.4
एनएसएसएफ @ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	78,576	64,815	62,299	59,746	-16,277	-20.7	-2,516	-3.9	-2,553	-4.1
2. केंद्र से प्राप्त ऋण@	8,097	13,525	10,197	14,918	2,101	25.9	-3,328	-24.6	4,721	46.3
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	8,904	5,326	8,482	4,592	-422	-4.7	3,156	59.3	-3,890	-45.9
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	10,463	10,336	10,887	12,396	423	4.0	551	5.3	1,509	13.9
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	838	57	244	178	-594	-70.9	188	-	-66	-27.1
6. आरक्षित निधि (निवल)**	5,228	4,365	4,778	4,235	-450	-8.6	413	9.5	-543	-11.4
7. जमा और अग्रिम (निवल)***	7,262	-1,154	1,775	1,515	-5,488	-75.6	2,928	-253.8	-260	-14.7
8. आकस्मिकता निधि में विनियोग (निवल)	-801	-	-60	-	741	-92.5	-60	-	60	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	51	1,975	319	-44	268	520.3	-1,656	-83.8	-364	-113.9
10. अन्य#	7,920	6,652	3,085	8,665	-4,835	-61.0	-3,567	-53.6	5,580	180.9

'-' : नगण्य / शून्य

* भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि क्षतिपूर्ति और अन्य बांड भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि से दिए गए ऋण आदि शामिल हैं।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश जो अब तक केंद्र से ऋण शीर्ष के अंतर्गत आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता था, अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

** आरक्षित निधि (निवल) में, ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ (जैसे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियाँ) और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ (जैसे शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** जमा राशियों और अग्रिमों (निवल) में ब्याजवाली जमाराशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमाराशि) और ब्याज-रहित जमाराशि (जैसे रक्षा और डाक जमाराशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल हैं।

उच्च और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल। परिशिष्ट की टिप्पणियाँ भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6 : पूंजी संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूंजी संवितरण (1 से 4)	1,23,648	1,37,661	1,50,951	1,71,859	27,304	22.1	13,290	9.7	20,908	13.9
1. पूंजी परिव्यय (i+ii)	77,559	94,543	1,04,942	1,18,796	27,383	35.3	10,399	11.0	13,854	13.2
i) विकास परिव्यय (क+ख)	74,823	90,374	1,00,667	1,13,855	25,845	34.5	10,293	11.4	13,187	13.1
क) सामाजिक सेवाएं	14,137	18,189	20,319	23,239	6,182	43.7	2,130	11.7	2,920	14.4
ख) आर्थिक सेवाएं	60,686	72,185	80,348	90,616	19,663	32.4	8,163	11.3	10,267	12.8
ii) विकासेतर परिव्यय@	2,737	4,168	4,275	4,941	1,538	56.2	106	2.6	666	15.6
2. आंतरिक ऋण की चुकौती@@	23,523	22,183	22,882	28,437	-641	-2.7	699	3.2	5,556	24.3
जिसमें से :										
बाजार ऋण	7,490	5,506	5,872	10,511	-1,618	-21.6	366	6.7	4,639	79.0
3. केंद्र के ऋणों की चुकौती	8,141	8,698	8,187	8,433	46	0.6	-511	-5.9	246	3.0
4. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i+ii)	14,424	12,238	14,941	16,193	516	3.6	2,702	22.1	1,253	8.4
i) विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	14,026	11,758	14,449	15,589	423	3.0	2,691	22.9	1,140	7.9
क) सामाजिक सेवाएं	3,042	4,745	4,766	8,809	1,724	56.7	21	0.4	4,043	84.8
ख) आर्थिक सेवाएं	10,984	7,013	9,683	6,780	-1,301	-11.8	2,670	38.1	-2,903	-30.0
ii) विकासेतर प्रयोजन	399	480	492	604	93	23.3	12	2.4	112	22.8

@ : सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल है।

@@ : इसमें बाजार ऋण, भूमि प्रतिकर बांड तथा साथ ही, नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से प्राप्त ऋण की चुकौती भी शामिल है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट से प्राप्त चुकौती एवं भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से नकद ऋण तथा कर्ज इसमें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. लोक लेखा को छोड़कर पूंजी व्यय। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 7 : केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय करों में राज्यों का अंश	94,024	1,09,420	1,15,737	1,36,184	21,712	23.1	6,317	5.8	20,447	17.7
II. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	76,750	99,290	1,02,955	1,17,320	26,205	34.1	3,664	3.7	14,366	14.0
1. राज्य आयोजना योजनाएं	28,748	42,299	41,079	52,499	12,332	42.9	-1,220	-2.9	11,420	27.8
2. केन्द्रीय आयोजना योजनाएं	2,216	5,678	5,049	5,551	2,833	127.8	-629	-11.1	502	9.9
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	13,314	18,189	19,914	24,655	6,599	49.6	1,725	9.5	4,741	23.8
4. एनईसी/विशेष आयोजना योजनाएं	339	735	825	736	486	143.5	91	12.3	-90	-10.9
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	32,133	32,390	36,087	33,880	3,954	12.3	3,697	11.4	-2,207	-6.1
क) सांविधिक अनुदान	18,049	19,637	17,113	17,067	-936	-5.2	-2,524	-12.9	-45	-0.3
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	3,272	2,532	3,636	2,722	365	11.1	1,104	43.6	-914	-25.1
ग) योजनेतर गैर-सांविधिक अनुदान	10,812	10,221	15,338	14,091	4,526	41.9	5,117	50.1	-1,247	-8.1
III. केन्द्र से सकल ऋण (I+II)	8,097	13,525	10,197	14,918	2,101	25.9	-3,328	-24.6	4,721	46.3
i) योजना ऋण	8,062	13,040	9,768	14,503	1,705	21.2	-3,273	-25.1	4,735	48.5
ii) योजनेतर ऋण*	34	485	430	415	395	1,150	-55	-11.4	-14	-3.3
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	1,78,871	2,22,235	2,28,889	2,68,422	50,017	28.0	6,653	3.0	39,534	17.3
V. ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान (क+ख)	21,290	23,104	21,370	21,348	80	0.4	-1,734	-7.5	-22	-0.1
क) केन्द्र को ऋण की चुकौती	8,141	8,698	8,187	8,433	46	0.6	-511	-5.9	246	3.0
ख) केन्द्र के ऋण पर ब्याज का भुगतान	13,150	14,406	13,183	12,914	33	0.3	-1,223	-8.5	-269	-2.0
VI. केन्द्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	1,57,581	1,99,132	2,07,519	2,47,075	49,938	31.7	8,387	4.2	39,556	19.1

* : केन्द्र से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

पारिशिष्ट सारणी 8 : विकास और विकासेतर व्यय

(राशी करोड़ रुपए में)

वर्ष	विकास*	विकासेतर*	अन्य**	कुल
1	2	3	4	5
1990-91	63,370 (69.6)	22,600 (24.8)	5,118 (5.6)	91,088 (100.0)
1991-92	74,588 (69.1)	27,143 (25.1)	6,198 (5.7)	1,07,929 (100.0)
1992-93	80,567 (67.5)	32,104 (26.9)	6,664 (5.6)	1,19,335 (100.0)
1993-94	88,791 (66.3)	37,859 (28.3)	7,199 (5.4)	1,33,849 (100.0)
1994-95	1,02,629 (64.5)	48,964 (30.8)	7,554 (4.7)	1,59,147 (100.0)
1995-96	1,12,888 (64.6)	54,544 (31.2)	7,200 (4.1)	1,74,632 (100.0)
1996-97	1,29,363 (64.9)	61,353 (30.8)	8,537 (4.3)	1,99,253 (100.0)
1997-98	1,42,266 (63.5)	70,652 (31.6)	11,006 (4.9)	2,23,924 (100.0)
1998-99	1,61,200 (61.7)	85,174 (32.6)	15,045 (5.8)	2,61,419 (100.0)
1999-00	1,83,540 (59.6)	1,08,451 (35.2)	15,986 (5.2)	3,07,977 (100.0)
2000-01	2,05,670 (60.5)	1,16,823 (34.2)	17,342 (5.1)	3,39,835 (100.0)
2001-02	2,11,086 (57.3)	1,35,505 (36.8)	22,089 (6.0)	3,68,680 (100.0)
2002-03	2,21,799 (54.1)	1,49,554 (36.5)	38,896 (9.5)	4,10,249 (100.0)
2003-04	2,72,848 (53.1)	1,66,538 (32.4)	74,916 (14.6)	5,14,302 (100.0)
2004-05	2,86,473 (51.8)	1,85,152 (33.3)	81,803 (14.9)	5,53,428 (100.0)
2005-06	3,30,044 (58.8)	1,90,021 (33.8)	41,617 (7.4)	5,61,682 (100.0)
2006-07 (सं.अ.)	4,19,050 (60.9)	2,24,475 (32.6)	44,421 (6.5)	6,87,946 (100.0)
2007-08 (ब.अ.)	4,67,696 (61.0)	2,46,130 (32.1)	52,794 (6.9)	7,66,620 (100.0)

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें राजस्व और पूँजी खाता संबंधी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल है।

** : इसमें सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आबंटन), आंतरिक ऋण चुकौती और केन्द्र से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के अंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2005-06 के अंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के अंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





परिशिष्ट सारणी 9 : व्यय के घटक

(कुल व्यय से प्रतिशत)

मद	वर्ष	विकासतक*	विकासेतर*	अन्य**	कुल
1	2	3	4	5	6
योजना	2005-06	24.9	0.7	0.1	25.7
	2006-07 (सं.अ.)	29.4	0.9	0.1	30.3
	2007-08 (ब.अ.)	31.0	1.0	0.1	32.1
योजनेतर	2005-06	33.8	33.1	7.3	74.3
	2006-07 (सं.अ.)	31.5	31.7	6.4	69.7
	2007-08 (ब.अ.)	30.1	31.1	6.8	67.9
कुल	2005-06	58.8	33.8	7.4	100.0
	2006-07 (सं.अ.)	60.9	32.6	6.5	100.0
	2007-08 (ब.अ.)	61.0	32.1	6.9	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें राजस्व और पूंजी खातों पर व्यय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान ऋण और अग्रिम शामिल है।

** : इसमें सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आवंटन), आंतरिक ऋण की चुकौती और केंद्र से लिए गए ऋणों की चुकौती शामिल है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, शारवहड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संशोधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 10 : विकासात्मक व्यय : मुख्य शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ.4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ.4	कॉ. 4 की तुलना में कॉ.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) (क+ख) क. समाज सेवाएं (1 से 11)	3,16,018 1,62,689 (49.3)	3,72,850 1,95,724 (50.9)	4,04,601 2,08,278 (49.7)	4,52,106 2,33,392 (49.9)	28.0 28.0	8.5 6.4	11.7 12.1
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	79,863	94,096	97,493	1,06,845	22.1	3.6	9.6
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण	22,031	28,021	28,435	31,283	29.1	1.5	10.0
3. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	13,646	15,205	16,325	18,495	19.6	7.4	13.3
4. आवास निमाण	2,747	4,098	4,607	5,523	67.7	12.4	19.9
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण	11,698	13,966	15,452	17,830	32.1	10.6	15.4
6. श्रम और श्रमिक कल्याण	1,656	2,017	2,346	2,576	41.7	16.3	9.8
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,476	13,360	14,097	17,251	48.8	5.5	22.4
8. पोषण	4,022	5,100	5,254	5,746	30.6	3.0	9.4
9. प्राकृतिक आपदा राहत	8,570	4,517	8,006	4,978	-6.6	77.3	-37.8
10. शहरी विकास	6,988	12,592	13,568	19,722	94.1	7.8	45.4
11. अन्य*	1,991	2,753	2,695	3,144	35.4	-2.1	16.6
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,53,330 (46.1)	1,77,126 (46.1)	1,96,322 (46.8)	2,18,714 (46.8)	28.0 28.0	10.8 10.8	11.4 11.4
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	22,699	26,892	30,077	32,757	32.5	11.8	8.9
2. ग्रामीण विकास	21,539	25,436	27,929	30,881	29.7	9.8	10.6
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,093	3,257	3,846	3,488	83.8	18.1	-9.3
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	37,531	45,369	48,011	53,639	27.9	5.8	11.7
5. ऊर्जा	31,870	28,886	35,567	38,971	11.6	23.1	9.6
6. उद्योग और खनिज	4,797	4,874	5,835	6,886	21.6	19.7	18.0
7. परिवहन और संचार	25,096	32,361	35,020	39,270	39.5	8.2	12.1
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	310	509	475	564	53.5	-6.5	18.6
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	7,396	9,543	9,563	12,259	29.3	0.2	28.2
II. राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक प्रयोजन के लिए ऋण और अधिमा (क+ख) क. सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	14,026 3,042 (0.9)	11,758 4,745 (1.2)	14,449 4,766 (1.1)	15,589 8,809 (1.9)	3.0 56.7	22.9 0.4	7.9 84.8
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	53	71	16	15	-68.9	-18.2	-8.2
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	71	20	77	185	8.5	-	140.4
3. परिवार कल्याण	1	2	2	2	184.6	0.3	-3.9
4. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	846	1,098	1,190	1,439	40.6	8.4	20.9
5. आवास निमाण	750	1,265	1,256	4,956	67.3	-0.7	294.6
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	360	725	542	616	50.5	-25.3	13.8
7. अन्य@	961	1,559	1,684	1,597	75.2	8.0	-5.2
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	10,984 (3.3)	7,014 (1.8)	9,683 (2.3)	6,780 (1.4)	-11.8 -11.8	38.1 38.1	-30.0 -30.0
1. फसल उत्पादन	30	11	108	12	264.7	908.5	-88.9
2. मिट्टी और जल परिरक्षण	3	-	2	-	-39.4	-	-100.0
3. खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम	346	321	831	784	140.4	159.4	-5.7
4. संस्कारिता	2,320	1,197	2,154	389	-7.2	80.0	-81.9
5. बाढ़ी एवं मध्यम सिंचाई, आर्गि	11	18	7	8	-34.8	-57.8	8.8
6. ऊर्जा परियोजनाएं	6,828	4,354	4,988	3,966	-26.9	14.6	-20.5
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	124	71	90	78	-27.5	27.4	-13.6
8. अन्य उद्योग और खनिज	618	481	731	512	18.4	51.9	-30.0
9. ग्रामीण विकास	6	7	7	4	13.8	4.7	-50.4
10. अन्य+	697	555	763	1,028	9.5	37.6	34.7
III. कुल विकासात्मक व्यय (I + II)	3,30,044	3,84,608	4,19,050	4,67,696	27.0	9.0	11.6

— : शून्य / नगण्य

* : सूचना और प्रचार पर व्यय शामिल है।

@ : शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि पर किया गया खर्च शामिल है।

+ : वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं, शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के अंकड़े कुल विकासात्मक व्यय से प्रतिशत हैं।

2. जम्मा और कश्मीर, शारखंड के संबंध में वर्ष 2005-06 (लेखा) के अंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





परिशिष्ट सारणी 11 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (सामान्य सेवाएं) (I से V)	1,86,885	2,21,970	2,19,709	2,40,585	17.6	-1.0	9.5
i. राज्य सरकार के अंग	4,127	5,010	5,343	5,457	29.4	6.6	2.1
ii. राजकीय सेवाएं	9,606	10,728	11,568	12,185	20.4	7.8	5.3
iii. ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती (1+2)	90,453	1,03,915	1,03,430	1,09,887	14.3	-0.5	6.2
1. ऋण में घट अथवा बचाव के लिए विनियोग	6,430	6,620	7,726	7,212	20.2	16.7	-6.7
2. ब्याज भुगतान	84,024	97,295	95,704	1,02,675	13.9	-1.6	7.3
iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)	34,298	42,985	42,511	49,066	23.9	-1.1	15.4
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,491	2,905	2,927	3,733	96.3	0.8	27.6
2. जिला प्रशासन	3,935	4,855	4,991	5,296	26.8	2.8	6.1
3. पुलिस	21,214	23,443	24,612	26,469	16.0	5.0	7.5
4. लोक निर्माण	3,039	4,038	4,225	4,431	39.0	4.6	4.9
5. अन्यⒶ	4,618	7,744	5,756	9,136	24.6	-25.7	58.7
V. पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	48,401	59,331	56,857	63,990	17.5	-4.2	12.5
II. पूँजी लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (1+2)							
1. विकासेतर (सामान्य सेवाएं)	2,737	4,168	4,275	4,941	56.2	2.6	15.6
2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क +ख)	399	480	492	604	23.4	2.4	22.9
क) सरकारी कर्मचारी	243	344	341	358	40.3	-0.8	4.7
ख) विविध	155	136	150	246	-3.3	10.5	64.1
III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)	1,90,021	2,29,618	2,24,475	2,46,130	18.1	-0.9	9.6
IV. कुल प्रादियों के प्रतिशत के रूप में III	31.9	34.3	33.3	32.1			
V. कुल संचितरण के प्रतिशत के रूप में III	33.8	34.6	32.6	32.1			

Ⓐ : इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और प्रशासन, जेल, आदि का व्यय शामिल है।
टिप्पणी : जन्म और कश्मीर तथा शारखंड के संबंध में वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



परिशिष्ट सारणी 12 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल संवितरण (1 से 3) *	1,44,594	4,17,088	5,61,682	1,91,216	4,63,568	6,54,784	2,08,774	4,79,172	6,87,946	2,45,888	5,20,731	7,66,620
1. विकासात्मक व्यय (क + ख)	1,40,095	1,89,949	3,30,044	1,84,824	1,99,784	3,84,608	2,02,074	2,16,976	4,19,050	2,37,291	2,30,404	4,67,696
क) प्रत्यक्ष विकासात्मक व्यय (i + ii)	1,34,317	1,81,701	3,16,018	1,77,489	1,95,361	3,72,850	1,94,237	2,10,363	4,04,601	2,25,524	2,26,582	4,52,106
i) आर्थिक सेवाएं	80,806	72,524	1,53,330	1,02,266	74,860	1,77,126	1,12,924	83,398	1,96,322	1,30,177	88,537	2,18,714
ii) सामाजिक सेवाएं	53,512	1,09,177	1,62,689	75,223	1,20,500	1,95,724	81,314	1,26,965	2,08,278	95,347	1,38,045	2,33,392
ख) विकासात्मक प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम (i + ii)	5,778	8,248	14,026	7,335	4,423	11,758	7,837	6,612	14,449	11,767	3,822	15,589
i) आर्थिक सेवाएं	4,501	6,483	10,984	4,925	2,089	7,014	5,130	4,553	9,683	5,009	1,771	6,780
ii) सामाजिक सेवाएं	1,277	1,765	3,042	2,410	2,334	4,745	2,707	2,059	4,766	6,758	2,051	8,809
2. विकासेतर व्यय (क + ख)	3,875	1,86,145	1,90,021	5,816	2,20,802	2,26,618	6,076	2,18,399	2,24,475	7,974	2,38,156	2,46,130
क) प्रत्यक्ष विकासेतर व्यय	3,873	1,85,749	1,89,622	5,814	2,20,325	2,26,138	6,075	2,17,909	2,23,983	7,972	2,37,554	2,45,526
ख) विकासेतर प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम	2	396	399	3	477	480	1	491	492	2	602	604
3. अन्य (क से ग)	623	40,994	41,617	576	42,982	43,558	624	43,797	44,421	623	52,171	52,794
क) केन्द्र को ऋण की अदायगी	—	8,141	8,141	—	8,698	8,698	—	8,187	8,187	—	8,433	8,433
ख) आंतरिक ऋण की चुकौती	—	23,523	23,523	—	22,183	22,183	—	22,882	22,882	—	28,437	28,437
जिसमें से:												
बाजार ऋण	—	7,490	7,490	—	5,506	5,506	—	5,872	5,872	—	10,511	10,511
ग) सहायता अनुदान और अंशदान	623	9,330	9,953	576	12,102	12,677	624	12,729	13,352	623	15,301	15,923
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और अंशदान	623	8,866	9,489	576	12,102	12,677	624	12,729	13,352	623	15,301	15,923

‘—’ : शून्य / नगण्य

* : राजस्व और पूंजी लेखा दोनों के व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



पारिशिष्ट सारणी 13 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(राशी करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. विकासात्मक व्यय	3,30,044 (58.8)	3,84,608 (58.7)	4,19,050 (60.9)	4,67,696 (61.0)
क) राजस्व	2,41,195	2,82,476	3,03,934	3,38,251
ख) पूंजी	88,849	1,02,132	1,15,116	1,29,444
II. विकासेतर व्यय	1,90,021 (33.8)	2,26,618 (34.6)	2,24,475 (32.6)	2,46,130 (32.1)
क) राजस्व	1,86,885	2,21,970	2,19,709	2,40,585
ख) पूंजी	3,135	4,649	4,766	5,545
III. अन्य	41,617 (7.4)	43,558 (6.7)	44,421 (6.5)	52,794 (6.9)
क) राजस्व *	9,953	12,677	13,352	15,923
ख) पूंजी **	31,664	30,880	31,069	36,870
IV. कुल सवितरण (I+II+III)	5,61,682	6,54,784	6,87,946	7,66,620

* : इसमें सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है (स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति और समुद्देशन) ।

** : आंतरिक ऋण की चुकोती और केन्द्र से लिए गए ऋण की चुकोती शामिल है।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े समग्र सवितरण से प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 14 : योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. योजनाव्यय	1,44,594 (25.7)	1,91,216 (29.2)	2,08,774 (30.3)	2,45,888 (32.1)
क) राजस्व	69,626	95,604	1,02,597	1,23,501
ख) पूंजी	74,967	95,612	1,06,176	1,22,387
II. योजनेतर व्यय	4,17,088 (74.3)	4,63,568 (70.8)	4,79,172 (69.7)	5,20,731 (67.9)
क) राजस्व	3,68,408	4,21,519	4,34,397	4,71,259
ख) पूंजी	48,680	42,049	44,775	49,473
III. कुल व्यय	5,61,682	6,54,784	6,87,946	7,66,620

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, शारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के अंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के अंकड़े कुल व्यय से प्रतियत है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





परिशिष्ट सारणी 15 : राज्यों के योजनेतर-विकासेतर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

सद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
I. योजनेतर विकासेतर राजस्व व्यय (1 से 5)	1,85,380 (1.4)	2,16,651 (16.9)	2,36,356 (9.1)
1. राज्य सरकारों के विभागा और संस्थाएं	4,060 (-8.4)	5,231 (28.8)	5,342 (2.1)
2. राजकीर्षीय सेवाएं	9,388 (-15.9)	11,152 (18.8)	11,852 (6.3)
3. ब्याज अदायगी और ऋणों की चुकौती	90,445 (-2.3)	1,03,387 (14.3)	1,09,887 (6.3)
जिसमें से : ब्याज अदायगी जिसमें से :	84,016 (-4.5)	95,661 (13.9)	1,02,675 (7.3)
केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	13,150 (-48.7)	13,183 (0.3)	12,914 (-2.0)
4. प्रशासनिक सेवाएं	33,190 (10.9)	40,181 (21.1)	45,509 (13.3)
5. पेंशन और फुटकर सामान्य सेवाएं	48,295 (8.2)	56,699 (17.4)	63,767 (12.5)
II. योजनेतर विकासेतर पूंजी संवितरण (1 + 2)*	766 (-71.1)	1,749 (128.4)	1,800 (2.9)
1. योजनेतर विकासेतर पूंजी परिव्यय	370 (-62.5)	1,258 (240.4)	1,197 (-4.8)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर विकासेतर ऋण और अग्रिम	396 (-76.2)	491 (23.8)	602 (22.8)
III. कुल योजनेतर विकासेतर व्यय	1,86,145 (0.4)	2,18,399 (17.3)	2,38,156 (9.0)

* इसमें केन्द्र के ऋणों की चुकौती और आंतरिक ऋण से मुक्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के अंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. जम्मू और कश्मीर तथा शारखड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के योजनेतर अंकड़े संशोधित अनुमान से संवधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



परिशिष्ट सारणी 16 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय* का संयोजन

(करोड़ रुपए)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. राजस्व व्यय (i + ii)	32,826	36,617	41,344	46,342	51,292	60,003	67,364	76,107	91,460
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	27,962	31,092	34,565	38,685	44,079	52,596	59,097	66,798	80,187
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,528	17,077	19,261	21,462	24,556	28,419	32,495	36,377	44,697
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,586	5,054	5,662	6,608	7,271	6,646	7,660	8,716	10,511
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	1,639	1,554	1,730	1,858
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,638	1,845	2,095	2,424	2,979	3,130	3,661	4,557	5,239
(ङ) आवास निर्माण	361	398	445	467	561	689	837	907	1,126
(च) शहरी विकास	634	764	727	791	848	1,102	1,385	1,735	2,134
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,790	2,071	2,301	2,569	3,007	3,390	3,890	4,493	5,175
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	453	489	550	585	658	728	799	1,008	1,051
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,362	1,477	1,663	1,852	2,092	2,378	2,587	3,004	3,568
(ञ) पोषण	536	611	633	665	852	2,136	1,854	1,844	2,116
(ट) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	877	1,076	972	948	899	1,927	1,963	1,976	2,104
(ठ) अन्य	198	230	256	314	357	413	413	452	608
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	4,863	5,525	6,779	7,657	7,213	7,407	8,267	9,309	11,273
(क) ग्रामीण विकास	4,675	5,287	6,362	7,276	6,777	6,568	7,526	8,367	10,460
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	188	238	416	381	436	839	741	942	813
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	1,566	1,690	2,022	1,985	2,409	2,472	2,524	3,862	5,094
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	1,257	1,647	1,664	1,787	2,219	2,510	2,887	3,303	4,144
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	284	278	302	304	365	408	435	451	535
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	237	276	263	272	306	302	330	451	482
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	35	38	65	45
(घ) जल, आपूर्ति और स्वच्छता	354	499	549	677	894	896	1,026	1,117	1,688
(ङ) आवास निर्माण	182	209	188	196	251	346	296	398	580
(च) शहरी विकास	30	146	97	109	125	179	263	244	176
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	120	162	177	167	189	217	355	411	487
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27	39	37	24	43	25	72	86	89
(झ) अन्य	24	39	50	38	47	101	73	80	62
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	308	43	358	197	190	-38	-362	559	950
(क) ग्रामीण विकास	115	204	184	139	136	152	353	330	321
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	194	-161	174	58	54	-190	-716	229	630
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	741	948	1,103	1,125	1,442	1,501	2,008	1,458	1,573
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	741	948	1,103	1,125	1,442	1,406	1,820	1,436	1,559
(क) शिक्षा	—	—	—	—	—	21	9	22	10
(ख) आवास निर्माण	174	213	228	316	274	222	471	293	360
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	143	162	185	229	257	279	340	358	448
(घ) अन्य	424	573	690	579	910	884	1,000	764	741
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	—	—	—	—	—	95	188	22	14
(क) ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	95	188	22	14
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127

(जारी)

परिशिष्ट सारणी 16 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय* का संयोजन (समाप्त)

(करोड़ रुपए)

मद	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. राजस्व व्यय (I + II)	1,05,688	1,13,366	1,16,342	1,21,866	1,32,204	146,001	1,67,775	2,11,765	2,36,191
(I) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	94,097	1,02,385	1,05,350	1,09,075	1,17,517	129,035	1,48,552	1,87,960	2,10,152
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	54,897	58,783	59,095	61,253	64,280	69,371	78,147	94,816	1,03,869
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,805	12,627	12,943	13,443	14,121	15,230	17,542	21,453	23,792
(ग) परिवार कल्याण	2,102	2,339	2,466	2,375	2,473	2,530	2,763	3,524	3,857
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	5,345	5,398	5,519	5,502	6,482	6,923	8,465	8,810	9,468
(ङ) आवास निर्माण	1,012	1,285	1,243	1,442	1,739	1,868	2,002	3,388	4,219
(च) शहरी विकास	2,660	2,678	3,216	3,544	3,921	4,833	4,687	11,456	17,219
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,513	6,104	6,778	7,105	7,704	9,189	10,457	13,229	15,639
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1,202	1,203	1,132	1,194	1,381	1,483	1,656	2,346	2,576
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,054	4,897	5,042	6,124	7,104	8,005	9,232	13,802	16,819
(ञ) पोषण	2,248	2,478	2,249	2,255	2,836	3,226	4,022	5,254	5,746
(ट) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	2,609	3,878	5,012	4,153	4,657	5,566	8,570	8,006	4,978
(ठ) अन्य	649	714	655	684	818	810	1,009	1,877	1,969
(II) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	11,592	10,981	10,992	12,791	14,687	16,966	19,223	23,805	26,040
(क) ग्रामीण विकास	10,505	10,014	10,192	11,747	13,547	15,391	17,588	22,156	24,636
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,087	967	800	1,045	1,140	1,574	1,635	1,650	1,403
2. पूंजी परिव्यय (I + II)	5,637	8,508	9,669	9,028	11,171	15,573	18,261	26,872	29,801
(I) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	4,218	5,348	5,777	7,203	9,294	11,685	14,137	20,319	23,239
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	361	370	513	492	648	984	1,716	2,677	2,975
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	669	604	605	623	917	1,008	1,722	3,401	3,580
(ग) परिवार कल्याण	27	42	34	10	18	3	4	57	54
(घ) जल, आपूर्ति और स्वच्छता	1,822	3,069	2,686	3,553	3,586	5,180	5,181	7,515	9,027
(ङ) आवास निर्माण	500	491	511	635	599	976	745	1,219	1,304
(च) शहरी विकास	233	322	350	468	1,841	1,774	2,301	2,112	2,502
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	474	394	423	618	781	928	1,242	2,223	2,190
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	103	21	36	85	163	158	244	295	432
(झ) अन्य	31	35	619	718	740	675	982	819	1,175
(II) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	1,419	3,160	3,892	1,825	1,877	3,888	4,124	6,553	6,562
(क) ग्रामीण विकास	550	1,285	2,280	2,223	2,318	3,015	3,951	5,773	6,245
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	868	1,876	1,613	-399	-441	873	173	780	318
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (I + II)	2,365	3,046	3,242	2,754	2,789	2,503	3,394	5,605	9,957
(I) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	2,235	2,980	2,863	2,736	2,784	2,186	3,042	4,766	8,809
(क) शिक्षा	4	-	3	34	49	128	53	16	15
(ख) आवास निर्माण	407	440	506	544	810	739	750	1,256	4,956
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	994	1,145	952	786	560	320	360	542	616
(घ) अन्य	831	1,395	1,402	1,371	1,365	998	1,879	2,953	3,223
(II) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	130	66	379	18	5	317	352	838	788
(क) ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	7	6	7	4
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	130	66	379	18	5	310	346	831	784
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	1,13,690	1,24,919	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,44,241	2,75,589

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-': उपलब्ध नहीं

* : राजस्व व्यय के अंतर्गत आनेवाले सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास, खाद्यान्न भंडारण और गोदाम पर व्यय तथा पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों के ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2005-06 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 17 : कुल के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय का संयोजन

(प्रतिशत)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. राजस्व व्यय (i + ii)	93.4	93.3	93.0	93.7	93.0	93.8	93.7	93.5	93.2
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	79.6	79.2	77.7	78.2	79.9	82.2	82.2	82.0	81.7
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	44.2	43.5	43.3	43.4	44.5	44.4	45.2	44.7	45.5
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13.1	12.9	12.7	13.4	13.2	10.4	10.7	10.7	10.7
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	2.6	2.2	2.1	1.9
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4.7	4.7	4.7	4.9	5.4	4.9	5.1	5.6	5.3
(ङ) आवास निर्माण	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1
(च) शहरी विकास	1.8	1.9	1.6	1.6	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5.1	5.3	5.2	5.2	5.5	5.3	5.4	5.5	5.3
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.7	3.6
(ञ) पौष्टिक आहार	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	3.3	2.6	2.3	2.2
(ट) प्राकृतिक आपदा राहत	2.5	2.7	2.2	1.9	1.6	3.0	2.7	2.4	2.1
(ठ) अन्य	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	13.8	14.1	15.2	15.5	13.1	11.6	11.5	11.4	11.5
(क) ग्रामीण विकास	13.3	13.5	14.3	14.7	12.3	10.3	10.5	10.3	10.7
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	1.2	0.8
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	4.5	4.3	4.5	4.0	4.4	3.9	3.5	4.7	5.2
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	3.6	4.2	3.7	3.6	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1.0	1.3	1.2	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7
(ङ) आवास निर्माण	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
(च) शहरी विकास	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1
(झ) अन्य	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	0.9	0.1	0.8	0.4	0.3	-0.1	-0.5	0.7	1.0
(क) ग्रामीण विकास	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.3
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.6	-0.4	0.4	0.1	0.1	-0.3	-1.0	0.3	0.6
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	2.1	2.4	2.5	2.3	2.6	2.3	2.8	1.8	1.6
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	2.1	2.4	2.5	2.3	2.6	2.2	2.5	1.8	1.6
(क) शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आवास निर्माण	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	0.4
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
(घ) अन्य	1.2	1.5	1.6	1.2	1.7	1.4	1.4	0.9	0.8
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—
(क) ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(जारी)

परिशिष्ट सारणी 17 : कुल के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय का संयोजन (समाप्त)

मद	(प्रतिशत)								
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. राजस्व व्यय (i + ii)	93.0	90.8	90.0	91.2	90.4	89.0	88.8	87.2	86.1
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	82.8	82.0	81.5	81.6	80.4	78.6	78.7	77.4	76.6
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	48.3	47.1	45.7	45.8	44.0	42.3	41.4	39.0	37.9
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10.4	10.1	10.0	10.1	9.7	9.3	9.3	8.8	8.7
(ग) परिवार कल्याण	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4.7	4.3	4.3	4.1	4.4	4.2	4.5	3.6	3.5
(ङ) आवास निर्माण	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4	1.5
(च) शहरी विकास	2.3	2.1	2.5	2.7	2.7	2.9	2.5	4.7	6.3
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4.8	4.9	5.2	5.3	5.3	5.6	5.5	5.4	5.7
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.6	3.9	3.9	4.6	4.9	4.9	4.9	5.7	6.1
(ञ) पौष्टिक आहार	2.0	2.0	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1
(ट) प्राकृतिक आपदा राहत	2.3	3.1	3.9	3.1	3.2	3.4	4.5	3.3	1.8
(ठ) अन्य	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	10.2	8.8	8.5	9.6	10.0	10.3	10.2	9.8	9.5
(क) ग्रामीण विकास	9.2	8.0	7.9	8.8	9.3	9.4	9.3	9.1	9.0
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	5.0	6.8	7.5	6.8	7.6	9.5	9.7	11.1	10.9
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	3.7	4.3	4.5	5.4	6.4	7.1	7.5	8.4	8.5
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.1
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	1.4	1.3
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1.6	2.5	2.1	2.7	2.5	3.2	2.7	3.1	3.3
(ङ) आवास निर्माण	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
(च) शहरी विकास	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	1.1	1.2	0.9	0.9
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
(झ) अन्य	—	—	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	1.2	2.5	3.0	1.4	1.3	2.4	2.2	2.7	2.4
(क) ग्रामीण विकास	0.5	1.0	1.8	1.7	1.6	1.8	2.1	2.4	2.3
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.8	1.5	1.2	-0.3	-0.3	0.5	0.1	0.3	0.1
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	2.1	2.4	2.5	2.1	1.9	1.5	1.8	2.3	3.5
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	2.0	2.4	2.2	2.0	1.9	1.3	1.6	2.0	3.2
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
(ख) आवास निर्माण	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	1.8
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
(घ) अन्य	0.7	1.1	1.1	1.0	0.9	0.6	1.0	1.2	1.2
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	0.1	0.1	0.3	—	—	0.2	0.2	0.3	0.3
(क) ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.1	0.1	0.3	—	—	0.2	0.2	0.3	0.3
सामाजिक क्षेत्र का कुल व्यय (1+2+3)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

— : उपलब्ध नहीं / नगण्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 16 की टिप्पणी देखें।

2. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2005-06 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 18 : सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4-5)	सकल राजकोषीय घाटा से प्रतिशत				
						राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	कुल (7+8+9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	5,309	9,223	4,255	—	18,787	28.3	49.1	22.6	—	100.0
1991-92	5,651	10,096	3,154	—	18,900	29.9	53.4	16.7	—	100.0
1992-93	5,114	10,655	5,123	—	20,891	24.5	51.0	24.5	—	100.0
1993-94	3,872	12,354	4,139	—	20,364	19.0	60.7	20.3	—	100.0
1994-95	6,706	17,138	3,464	—	27,308	24.6	62.8	12.7	—	100.0
1990-95 (औसत)	5,330	11,893	4,027	—	21,250	25.2	55.4	19.4	—	100.0
1995-96	8,620	18,226	4,024	—	30,870	27.9	59.0	13.0	—	100.0
1996-97	16,878	17,123	2,754	193	36,562	46.2	46.8	7.5	0.5	100.0
1997-98	17,492	22,137	3,845	—	43,474	40.2	50.9	8.8	—	100.0
1998-99	44,462	22,731	6,606	505	73,295	60.7	31.0	9.0	0.7	100.0
1999-2000	54,549	25,002	10,549	—	90,099	60.5	27.7	11.7	—	100.0
1995-2000 (औसत)	28,400	21,044	5,555	140	54,860	47.1	43.1	10.0	0.2	100.0
2000-01	55,316	30,260	2,346	—	87,923	62.9	34.4	2.7	—	100.0
2001-02	60,398	31,658	2,206	—	94,261	64.1	33.6	2.3	—	100.0
2002-03	57,179	35,655	6,892	—	99,726	57.3	35.8	6.9	—	100.0
2003-04	63,407	51,573	5,650	—	1,20,631	52.6	42.8	4.7	—	100.0
2004-05	39,158	60,133	8,483	—	1,07,774	36.3	55.8	7.9	—	100.0
2000-05 (औसत)	55,091	41,856	5,116	—	1,02,063	54.6	40.5	4.9	—	100.0
2005-06	7,013	77,559	5,521	9	90,084	7.8	86.1	6.1	—	100.0
2006-07 (संशोधित अनुमान)	5,566	1,04,942	6,459	3,054	1,13,913	4.9	92.1	5.7	2.7	100.0
2007-08 (बजट अनुमान)	-11,973	1,18,796	11,602	10,102	1,08,323	-11.1	109.7	10.7	9.3	100.0

'—' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर के 1990-91 से 2005-06 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
2. ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 19 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचित और विविध	विशेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (-) घाटा (+) (13+14+15)	नकदी शेष में वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (+)/में योगदान (-)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (+) कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	—	241	3,069	1,120	1,670	376	-154	4	-74	266	-427	88	18,787
1991-92	3,305	9,374	—	-19	2,909	1,343	1,587	724	-716	237	156	629	-685	212	18,900
1992-93	3,501	8,921	—	-46	3,622	1,523	2,378	3,197	-337	-38	-1,829	602	-2,248	-183	20,891
1993-94	3,620	9,400	—	113	4,330	1,541	1,561	-556	-226	217	363	561	-137	38	20,364
1994-95	4,075	14,250	—	2,099	4,779	1,713	3,545	788	59	347	-4,347	1,173	-3,667	-1,974	27,308
1990-95 (औसत)	3,411	10,385	—	478	3,742	1,448	2,148	906	-275	153	-1,146	646	-1,433	-364	21,250
1995-96	5,888	14,075	—	635	4,902	2,101	2,947	3,096	-338	245	-2,680	-465	-3,589	1,204	30,870
1996-97	6,515	16,696	—	686	5,375	2,438	4,465	129	-7,505	558	7,202	6,794	-415	663	36,561
1997-98	7,280	22,649	—	1,504	6,226	2,930	3,521	271	-30	927	-1,803	-561	385	-1,926	43,474
1998-99	10,467	30,350	—	2,382	11,969	3,588	7,131	1,483	2,244	414	3,268	-33,690	32,982	4,228	73,295
1999-2000	12,664	12,178	26,416	3,381	17,877	2,562	9,051	849	77	1,917	3,126	-625	1,268	2,470	90,098
1995-2000 (औसत)	8,563	19,190	26,416*	1,718	9,270	2,724	5,423	1,166	-1,111	812	1,823	-5,710	6,126	-1,328	54,860
2000-01	12,519	8,324	32,606	4,550	13,107	3,099	7,136	2,355	1,032	5,574	-2,379	-849	-727	-769	87,922
2001-02	17,249	10,895	35,648	6,285	10,186	4,521	4,996	-2,452	-427	3,814	3,545	-637	1,203	2,860	94,261
2002-03	28,484	-372	48,966	4,858	9,863	4,799	711	1,212	93	5,403	-4,290	5,057	-2,762	-6,907	99,727
2003-04	47,286	13,940	18,003	4,132	9,325	6,377	-374	-3,651	1,850	24,268	-526	1,713	-1,778	-461	1,20,631
2004-05	34,559	-9,781	64,192	26**	8,883	7,127	8,074	-2,623	1,240	6,335	-10,232	-651	-8,026	-1,782	1,07,774
2000-05 (औसत)	28,019	4,601	39,883	4,956	10,273	5,185	4,109	-1,032	758	9,079	-2,776	927	-2,418	1,412	1,02,063
2005-06	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-17	-33,947	1,827	-34,761	-1,013	90,084
2006-07 (सं.अ.)	19,106	2,010	58,667	6,373	10,887	4,778	1,775	31	319	-3,242	13,210	9,469	3,672	70	1,13,913
2007-08 (ब.अ.)	26,307	6,485	53,679	7,386	12,396	4,235	1,515	-1,437	-44	-973	-1,225	-3,311	2,016	70	1,08,323

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि

‘-’ : लागू नहीं

* 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार, 1995-2000 (औसत) की मदों की जोड़ सकल राजकोषीय घाटे के बराबर नहीं होगी।

** तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के बांडों के समायोजन के कारण तमिलनाडु ने एनसीडीसी से लिए गए ऋण के अंतर्गत 1376 करोड़ रुपए का नकारात्मक आंकड़ा दर्शाया।

टिप्पणी : 1. ‘अन्य’ अवशिष्ट है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान, भूमि क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड एवं सारणी में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल हैं।

2. वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण ‘केन्द्र से ऋण’ में लघु बचत संग्रह में राज्य का शेयर शामिल नहीं है, इसे ‘आंतरिक ऋण’ के अधीन एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। तदनुसार, प्राप्तियों और व्यय के सतत लेखांकन हेतु केन्द्र से ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल लघु बचत संग्रह चुकौती को आंतरिक ऋण को चुकौती के अंतर्गत दर्शाया गया है।

3. जम्मू और कश्मीर के संबंध में 1990-91 से 2005-06 तथा झारखंड के संबंध में वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

4. सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 20 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी, नाबार्ड, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उच्च और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (-) घाटा (+) (13+14+15)	नकदी शेष में वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (+)/में योगदान (-)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (+) कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (जोएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	13.6	53.1	—	1.3	16.3	6.0	8.9	2.0	-0.8	—	-0.4	1.4	-2.3	0.5	100.0
1991-92	17.5	49.6	—	-0.1	15.4	7.1	8.4	3.8	-3.8	1.3	0.8	3.3	-3.6	1.1	100.0
1992-93	16.8	42.7	—	-0.2	17.3	7.3	11.4	15.3	-1.6	-0.2	-8.8	2.9	-10.8	-0.9	100.0
1993-94	17.8	46.2	—	0.6	21.3	7.6	7.7	-2.7	-1.1	1.1	1.8	2.8	-0.7	0.2	100.0
1994-95	14.9	52.2	—	7.7	17.5	6.3	13.0	2.9	0.2	1.3	-15.9	4.3	-13.4	-7.2	100.0
1990-95 (औसत)	16.1	48.8	—	1.8	17.6	6.8	9.9	4.3	-1.4	0.7	-4.5	2.9	-6.2	-1.3	100.0
1995-96	19.1	45.6	—	2.1	15.9	6.8	9.5	10.0	-1.1	0.8	-8.7	-1.5	-11.6	3.9	100.0
1996-97	17.8	45.7	—	1.9	14.7	6.7	12.2	0.4	-20.5	1.5	19.7	18.6	-1.1	1.8	100.0
1997-98	16.7	52.1	—	3.5	14.3	6.7	8.1	0.6	-0.1	2.1	-4.1	-1.3	0.9	-4.4	100.0
1998-99	14.3	41.4	—	3.2	16.3	4.9	9.7	2.0	3.1	0.6	4.5	-46.0	45.0	5.8	100.0
1999-2000	14.1	13.5	29.3	3.8	19.8	2.8	10.0	0.9	0.1	2.1	3.5	-0.7	1.4	2.7	100.0
1995-2000 (औसत)	16.4	39.7	28.9*	2.9	16.2	5.6	9.9	2.8	-3.7	1.4	3.0	-6.2	6.9	2.0	100.0
2000-01	14.2	9.5	37.1	5.2	14.9	3.5	8.1	2.7	1.2	6.3	-2.7	-1.0	-0.8	-0.9	100.0
2001-02	18.3	11.6	37.8	6.7	10.8	4.8	5.3	-2.6	-0.5	4.0	3.8	-0.7	1.3	3.0	100.0
2002-03	28.6	-0.4	49.1	4.9	9.9	4.8	0.7	1.2	0.1	5.4	-4.3	5.1	-2.8	-6.9	100.0
2003-04	39.2	11.6	14.9	3.4	7.7	5.3	-0.3	-3.0	1.5	20.1	-0.4	1.4	-1.5	-0.4	100.0
2004-05	31.6	-10.8	62.2	—	7.2	6.5	7.4	-2.4	1.1	-12.4	9.6	0.6	7.3	1.6	100.0
2000-05 (औसत)	26.4	4.3	40.2	4.0	10.1	5.0	4.2	-0.8	0.7	4.7	1.2	1.1	0.7	-0.7	100.0
2005-06	17.0	—	81.9	4.5	11.6	5.8	8.1	8.8	0.1	—	-37.7	2.0	-38.6	-1.1	100.0
2006-07 (सं.अ.)	16.8	1.8	51.5	5.6	9.6	4.2	1.6	—	0.3	-2.8	11.6	8.3	3.2	0.1	100.0
2007-08 (ब.अ.)	24.3	6.0	49.6	6.8	11.4	3.9	1.4	-1.3	—	-0.9	-1.1	-3.1	1.9	0.1	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि

'—' : शून्य / नगण्य / लागू नहीं

* : 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार, 1995-2000 (औसत) की मर्दों की जोड़ 100 के बराबर नहीं होगी।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 19 जैसी।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 21 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार ऋण	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	जीआई सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा. स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी सी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	प्रारक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = जोड़ (14-19)
1991	15,652	-	60	-	1,050	718	241	278	303	630	343	2,513	19,274	73,521	16,861	4,734	12,769	995	1,28,155
1992	19,008	-	64	-	1,288	775	267	151	604	812	301	2,910	23,270	82,979	19,790	5,519	14,502	969	1,47,030
1993	22,480	-	72	-	1,073	894	295	25	733	885	396	3,228	26,853	91,626	23,515	6,698	18,911	762	1,68,365
1994	26,119	-	79	-	1,306	1,044	380	-85	807	893	391	3,429	30,933	1,01,122	27,972	8,180	19,009	658	1,87,875
1995	31,200	-	77	-	608	1,135	421	-79	943	1,071	499	3,989	35,875	1,15,238	32,894	9,013	22,963	489	2,16,473
1996	37,088	-	76	-	1,894	1,257	501	288	1,175	1,101	517	4,838	43,895	1,29,264	38,216	10,577	26,654	929	2,49,535
1997	43,602	-	74	-	2,557	1,418	-	821	1,183	1,108	575	5,106	51,338	1,46,168	44,095	12,350	31,436	511	2,85,898
1998	50,847	-	77	-	630	1,684	-	2,038	1,396	1,107	1,510	7,734	59,289	1,68,656	50,843	14,498	36,609	921	3,30,816
1999	61,477	-	66	-	4,858	2,203	-	3,147	2,057	1,204	2,178	10,789	77,190	1,99,007	63,256	17,320	42,357	445	3,99,576
2000	75,427	-	65	25,251	7,328	3,102	-	4,372	3,177	1,345	5,114	17,110	1,26,346	2,30,331	80,523	19,769	52,193	1,533	5,09,529
2001	86,767	-	62	56,352	6,559	4,216	-	6,501	4,390	1,439	12,667	29,213	1,81,623	2,38,655	93,629	22,868	59,328	714	5,94,147
2002	1,04,027	-	59	90,226	9,419	5,085	-	8,969	7,139	1,622	18,078	40,894	2,49,069	2,49,551	1,03,815	27,389	64,325	1,042	6,90,747
2003	1,33,066	-	63	1,39,193	2,512	6,621	-	11,546	7,896	1,611	23,524	51,198	3,33,753	2,49,179	1,13,678	32,188	65,036	314	7,86,430
2004	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,32,043	42,217	69,116	246	9,13,376
2005	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	5,95,064	1,60,045	1,45,936	52,311	75,290	527	10,29,174
2006	2,28,925	31,581	82	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195	35,718	71,845	6,98,773	1,57,004	1,60,955	63,120	86,691	1,322	11,67,866
2007 (सं.अ.)	2,42,777	26,051	82	4,25,310	477	12,433	989	18,341	9,314	1,423	42,700	85,200	7,79,896	1,59,014	1,71,842	67,898	88,466	1,566	12,68,683
2008 (ब.अ.)	2,69,084	23,144	81	4,78,989	547	12,125	989	26,161	8,908	1,703	43,334	93,221	8,65,065	1,65,502	1,84,238	72,133	89,981	1,744	13,78,663

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-' : लागू नहीं / अनुपलब्ध / नगण्य

टिप्पणी : 1. 1997 से 2003 तक 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'अन्य ऋण' एवं 'जीआईसी से ऋण' भी शामिल है। 2004 से अन्य संस्थाओं से ऋण में 'अन्य ऋण' शामिल है।

2. चूंकि अरुणाचल प्रदेश [2006-07 (सं.अ.) और 2007-08 (ब. अ.)] तथा जम्मू और कश्मीर [2006-07 (सं.अ.) तथा 2007-08 (ब.अ.)] के आंतरिक ऋण से मुक्ति संबंधी अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं थे अतः उन्हें 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में शामिल किया है।

3. 'आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी' भी देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक

परिशिष्ट सारणी 22 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की बनावट - कुल के अनुपात में
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाजार ऋण	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	एल आईसी से ऋण	जीआई सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी सी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंको और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = जोड़ (14-19)
1991	12.2	—	0.05	—	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	2.0	15.0	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	100.0
1992	12.9	—	0.04	—	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	2.0	15.8	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	100.0
1993	13.4	—	0.04	—	0.6	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.9	15.9	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	100.0
1994	13.9	—	0.04	—	0.7	0.6	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.5	53.8	14.9	4.4	10.1	0.4	100.0
1995	14.4	—	0.04	—	0.3	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.6	53.2	15.2	4.2	10.6	0.2	100.0
1996	14.9	—	0.03	—	0.8	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	1.9	17.6	51.8	15.3	4.2	10.7	0.4	100.0
1997	15.3	—	0.03	—	0.9	0.5	—	0.3	0.4	0.4	0.2	1.8	18.0	51.1	15.4	4.3	11.0	0.2	100.0
1998	15.4	—	0.02	—	0.2	0.5	—	0.6	0.4	0.3	0.5	2.3	17.9	51.0	15.4	4.4	11.1	0.3	100.0
1999	15.4	—	0.02	—	1.2	0.6	—	0.8	0.5	0.3	0.5	2.7	19.3	49.8	15.8	4.3	10.6	0.1	100.0
2000	14.8	—	0.01	5.0	1.4	0.6	—	0.9	0.6	0.3	1.0	3.4	24.8	45.2	15.8	3.9	10.2	0.3	100.0
2001	14.6	—	0.01	9.5	1.1	0.7	—	1.1	0.7	0.2	2.1	4.9	30.6	40.2	15.8	3.8	10.0	0.1	100.0
2002	15.1	—	0.01	13.1	1.4	0.7	—	1.3	1.0	0.2	2.6	5.9	36.1	36.1	15.0	4.0	9.3	0.2	100.0
2003	16.9	—	0.01	17.7	0.3	0.8	—	1.5	1.0	0.2	3.0	6.5	42.4	31.7	14.5	4.1	8.3	—	100.0
2004	19.7	3.2	0.01	21.7	0.4	1.0	0.1	1.2	0.9	0.3	3.7	7.2	52.2	21.1	14.5	4.6	7.6	—	100.0
2005	20.7	2.9	0.01	27.4	0.1	1.2	0.1	0.8	0.9	0.2	3.5	6.6	57.8	15.6	14.2	5.1	7.3	0.1	100.0
2006	19.6	2.7	0.01	31.3	—	1.1	0.1	1.0	0.8	0.1	3.1	6.2	59.8	13.4	13.8	5.4	7.4	0.1	100.0
2007 (सं.अ.)	19.1	2.1	0.01	33.5	—	1.0	0.1	1.4	0.7	0.1	3.4	6.7	61.5	12.5	13.5	5.4	7.0	0.1	100.0
2008 (ब.अ.)	19.5	1.7	0.01	34.7	—	0.9	0.1	1.9	0.6	0.1	3.1	6.8	62.7	12.0	13.4	5.2	6.5	0.1	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

‘—’ : लागू नहीं / अनुपलब्ध / नगण्य

टिप्पणी: 1. 1997 से 2003 तक “अन्य संस्थाओं से ऋण” में “अन्य ऋण” एवं “जीआईसी से ऋण भी शामिल है। 2004 से अन्य संस्थाओं से ऋण” में “अन्य ऋण” शामिल है।

2. अरुणाचल प्रदेश का [2006-07 (सं.अ.) और 2007-08 (ब.अ.) और जम्मू और कश्मीर] 2006-07 (स.अ.) और 2007-08 (ब.अ.) के अलग-अलग विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें “अन्य ऋण” में शामिल किया गया है।

3. “आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी” भी देखें।



भारतीय रिजर्व बैंक

परिशिष्ट सारणी 23 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन
1	2	3	4
1990-91	2,569	-	2,569
1991-92	3,364	-	3,364
1992-93	3,805	334	3,471
1993-94	4,145	507	3,638
1994-95	5,123	-	5,123
1995-96	6,274	343	5,931
1996-97	6,536	-	6,536
1997-98	7,749	557	7,192
1998-99	12,114	1,414	10,700
1999-00	13,706	1,301	12,405
2000-01	13,300	420	12,880
2001-02	18,707	1,446	17,261
2002-03*	30,853	1,789	29,064
2003-04*	50,521	4,145	46,376
2004-05*	39,101	5,123	33,978
2005-06	21,729	6,274	15,455
2006-07	20,825	6,551	14,274
2007-08	45,990	11,555	34,436

— : शून्य
* : इसमें ऋण बदल योजना (डेट स्वीप स्कीम) के अंतर्गत 2002-03 के लिए 10,000 करोड़ रुपए , 2003-04 के लिए 26,623 करोड़ रुपए और 2004-05 के लिए 16,943 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार उधार शामिल हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 24 : सकल न्यागमन और अंतरण*

वर्ष	जीडीपी (करोड़ रु)	जीडीपी/जीडीपी	जीडीपी/एंडी	जीडीपी/एआर	जीडीपी/एजीआर
		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6
1986-87	23,072	7.4	44.6	45.1	-
1987-88	26,969	7.6	45.0	45.1	16.9
1988-89	30,333	7.2	45.2	45.0	12.5
1989-90	32,862	6.8	42.8	42.9	8.3
1990-91	40,859	7.2	44.9	44.8	24.3
1991-92	45,143	6.9	41.8	41.9	10.5
1992-93	51,439	6.9	43.1	42.5	13.9
1993-94	57,848	6.7	43.2	43.3	12.5
1994-95	63,538	6.3	39.9	38.9	9.8
1995-96	68,725	5.8	39.4	38.8	8.2
1996-97	80,918	5.9	40.6	42.1	17.7
1997-98	94,009	6.2	42.0	41.6	16.2
1998-99	1,02,268	5.9	39.1	39.6	8.8
1999-00	95,652	4.9	31.1	31.4	-6.5
2000-01	1,06,730	5.1	31.4	31.2	11.6
2001-02	1,19,213	5.2	32.3	32.6	11.7
2002-03	1,28,657	5.2	31.4	31.0	7.9
2003-04	1,43,785	5.2	28.0	27.9	11.8
2004-05	1,60,750	5.1	29.0	28.5	11.8
2005-06	1,78,871	5.0	31.8	30.0	11.3
2006-07 (सं.अ.)	2,28,889	5.5	33.3	33.9	28.0
2007-08 (ब.अ.)	2,68,422	5.8	35.0	35.0	17.3

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* : सकल न्यागमन और अंतरण में केंद्रीय करों में अंश, केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र से सकल ऋण शामिल है।

जीडीपी : सकल न्यागमन और अंतरण

जीडीपी : सकल देशी उत्पाद

एजीआर : समस्त सकल रण

एआर : समस्त प्राप्ति

एजीआर : वार्षिक वृद्धि दर

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और शारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





परिशिष्ट सारणी 25: निवल न्यागमन और अंतरण*

वर्ष	एनडीटी (करोड़ ₹)	एनडीटी/एनडीपी (प्रतिशत)			
		एनडीटी/जीडीपी	एनडीटी/एजी	एनडीटी/एआर	एनडीटी/एजीआर
1	2	3	4	5	6
1986-87	17,426	5.6	33.7	34.1	-
1987-88	20,623	5.8	34.4	34.5	18.3
1988-89	23,385	5.5	34.9	34.7	13.4
1989-90	25,132	5.2	32.7	32.8	7.5
1990-91	31,684	5.6	34.8	34.8	26.1
1991-92	34,925	5.3	32.4	32.4	10.2
1992-93	39,431	5.3	33.0	32.5	12.9
1993-94	43,457	5.1	32.5	32.6	10.2
1994-95	49,490	4.9	31.1	30.3	13.9
1995-96	51,034	4.3	29.2	28.8	3.1
1996-97	59,718	4.3	30.0	31.1	17.0
1997-98	69,714	4.6	31.1	30.9	16.7
1998-99	72,792	4.2	27.8	28.2	4.4
1999-00	61,569	3.2	20.0	20.2	-15.4
2000-01	69,665	3.3	20.5	20.4	13.1
2001-02	77,181	3.4	20.9	21.1	10.8
2002-03	71,712	2.9	17.5	17.3	-7.1
2003-04	1,02,983	3.7	20.0	20.0	43.6
2004-05	1,01,034	3.2	18.3	17.9	-1.9
2005-06	1,57,581	4.4	28.1	26.5	56.0
2006-07 (सं.अ.)	2,07,519	5.0	30.2	30.8	31.7
2007-08 (ब.अ.)	2,47,075	5.3	32.2	32.2	19.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* : सकल न्यागमन और अंतरण में केंद्रीय करों में अंश, केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र से सकल ऋण शामिल है।

एनडीटी : सकल न्यागमन और अंतरण

जीडीपी : सकल देशी उत्पाद

एजी : समस्त सकल गण

एआर : समस्त प्रान्तियाँ

एजीआर : वार्षिक वृद्धि दर

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 26: केन्द्रीय करो में अंश

वर्ष	एससीटी (करोड़ रु)	एससीटी/जीडीपी (प्रतिशत)			
		एससीटी/जीडीपी	एससीटी/आयकर	एससीटी/टीआर	एससीटी/एजीआर
1	2	3	4	5	6
1986-87	8,384	2.7	21.9	33.4	-
1987-88	9,660	2.7	22.0	33.3	15.2
1988-89	10,736	2.5	21.3	32.4	11.1
1989-90	13,097	2.7	23.2	33.5	22.0
1990-91	14,242	2.5	21.4	31.9	8.7
1991-92	16,848	2.6	20.9	32.0	18.3
1992-93	20,580	2.7	22.6	34.0	22.2
1993-94	22,395	2.6	21.3	32.8	8.8
1994-95	24,885	2.5	20.7	31.6	11.1
1995-96	29,048	2.4	21.6	32.0	16.7
1996-97	35,038	2.5	23.4	33.8	20.6
1997-98	40,411	2.7	24.2	34.0	15.3
1998-99	39,421	2.3	22.8	31.5	-2.4
1999-00	44,121	2.3	21.7	30.8	11.9
2000-01	50,734	2.4	21.8	30.9	15.0
2001-02	52,215	2.3	20.9	29.8	2.9
2002-03	56,655	2.3	20.7	29.3	8.5
2003-04	67,080	2.4	21.7	30.3	18.4
2004-05	78,550	2.5	21.6	30.1	17.1
2005-06	94,024	2.6	21.8	30.7	19.7
2006-07 (सं.अ.)	1,15,737	2.8	21.8	31.0	23.1
2007-08 (ब.अ.)	1,36,184	2.9	22.4	31.7	17.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान
एससीटी : केन्द्रीय करो में अंश
आयकर : राजस्व प्राप्तियां
एजीआर : वार्षिक वृद्धि दर

ब.अ. : बजट अनुमान
जीडीपी : सकल देशी उत्पाद
टीआर : कर राजस्व

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





परिशिष्ट सारणी 27 : सहायता अनुदान

वर्ष	एसजी	एनएसजी	जीआइए (2 + 3)	एसजी/जीडीपी	एनएसजी/ जीडीपी	जीआइए/ जीडीपी	जीआइए/ आरआर	जीआइए/ एनटीआर	जीआइए (एजीआर)
(करोड़ ₹)				(प्रतिशत)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1986-87	1,109	5,876	6,985	0.4	1.9	2.2	18.3	53.2	-
1987-88	1,271	7,004	8,275	0.4	2.0	2.3	18.8	55.1	18.5
1988-89	1,177	8,483	9,660	0.3	2.0	2.3	19.2	55.9	16.7
1989-90	1,529	6,976	8,505	0.3	1.4	1.7	15.0	48.8	-12.0
1990-91	2,581	10,062	12,643	0.5	1.8	2.2	19.0	57.8	48.7
1991-92	2,468	12,758	15,226	0.4	2.0	2.3	18.9	54.5	20.4
1992-93	2,639	15,120	17,759	0.4	2.0	2.4	19.5	58.0	16.6
1993-94	2,201	18,975	21,176	0.3	2.2	2.5	20.2	57.7	19.2
1994-95	2,021	17,890	19,911	0.2	1.8	2.0	16.6	48.0	-6.0
1995-96	4,255	16,618	20,873	0.4	1.4	1.8	15.5	47.8	4.8
1996-97	4,129	18,820	22,949	0.3	1.4	1.7	15.3	49.4	9.9
1997-98	2,159	21,694	23,853	0.1	1.4	1.6	14.3	49.6	3.9
1998-99	2,028	21,452	23,480	0.1	1.2	1.3	13.6	49.5	-1.6
1999-00	2,101	28,076	30,177	0.1	1.4	1.5	14.9	50.6	28.5
2000-01	8,542	28,747	37,289	0.4	1.4	1.8	16.0	54.7	23.6
2001-02	9,854	32,747	42,601	0.4	1.4	1.9	17.1	57.6	14.2
2002-03	11,436	33,735	45,170	0.5	1.4	1.8	16.5	56.3	6.0
2003-04	9,324	41,509	50,834	0.3	1.5	1.8	16.4	57.7	12.5
2004-05	9,804	46,518	56,322	0.3	1.5	1.8	15.5	54.7	10.8
2005-06	21,321	55,430	76,750	0.6	1.6	2.2	17.8	61.6	36.3
2006-07 (सं.अ.)	20,749	82,205	1,02,955	0.5	2.0	2.5	19.4	64.9	34.1
2007-08 (बं.अ.)	19,789	97,531	1,17,320	0.4	2.1	2.5	19.3	66.5	14.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

एसजी : सांविधिक अनुदान

आरआर : राजस्व प्राप्तियां

एजीआर : वार्षिक वृद्धि दर

बं.अ. : बजट अनुमान

एनएसजी : गैर - सांविधिक अनुदान

एनटीआर : करेतर राजस्व

जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद

दिएगी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 28: केन्द्र से ऋण

वर्ष	जीएलएफसी	एनएलएफसी	जीएलएफसी / जीडीपी	एनएलएफसी / एनडीपी	जीएलएफसी / जीडीपी	एनएलएफसी / जीडीपी	जीएलएफसी / सीआर
	(कोरोड़ रु)		(प्रतिशत)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1986-87	7,703	4,787	33.4	27.5	2.5	1.5	59.8
1987-88	9,034	5,832	33.5	28.3	2.5	1.6	57.2
1988-89	9,937	6,688	32.8	28.6	2.4	1.6	58.3
1989-90	11,259	7,918	34.3	31.5	2.3	1.6	56.1
1990-91	13,974	9,978	34.2	31.5	2.5	1.8	56.6
1991-92	13,069	9,374	29.0	26.8	2.0	1.4	48.0
1992-93	13,100	8,921	25.5	22.6	1.8	1.2	43.6
1993-94	14,277	9,400	24.7	21.6	1.7	1.1	50.1
1994-95	18,742	14,250	29.5	28.8	1.9	1.4	43.4
1995-96	18,804	14,075	27.4	27.6	1.6	1.2	43.9
1996-97	22,931	16,696	28.3	28.0	1.7	1.2	54.6
1997-98	29,744	22,650	31.6	32.5	2.0	1.5	50.5
1998-99	39,367	30,350	38.5	41.7	2.3	1.7	46.1
1999-00	21,354	12,178	22.3	19.8	1.1	0.6	21.0
2000-01	18,707	8,325	17.5	11.9	0.9	0.4	16.9
2001-02	24,396	10,896	20.5	14.1	1.1	0.5	21.1
2002-03	26,831	-373	20.9	-0.5	1.1	-	19.0
2003-04	25,871	13,940	18.0	13.5	0.9	0.5	12.6
2004-05	25,878	-9,781	16.1	-9.7	0.8	-0.3	12.9
2005-06	8,097	-44	4.5	-	0.2	-	4.9
2006-07 (सं.अ.)	10,197	2,010	4.5	1.0	0.2	-	7.1
2007-08 (ब.अ.)	14,918	6,485	5.6	2.6	0.3	0.1	9.3

सं.अ. : संशोधित अनुमान
जीएलएफसी : केन्द्र से सकल ऋण
एनडीपी : निवल न्यागामन और अंतरण

ब.अ. : बजट अनुमान
एनएलएफसी : केन्द्र से निवल ऋण
जीडीपी : सकल देशी उत्पाद

‘-’ : नगण्य
जीडीपी : सकल हस्तांतरण और अंतरण
सीआर : पूंजी प्राप्तिवां

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और शारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





पारिशिष्ट सारणी 29 : वित्त आयोग न्यागमन और अन्य चालू अंतरण

वर्ष	एससीटी	एसजी	एससीटी (2 + 3)	ओसीटी	कुल (4 + 5)	एससीटी/ जीडीपी	ओसीटी/ जीडीपी	एससीटी (एजीआर)	ओसीटी (एजीआर)
	(करोड़ रु)					(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1986-87	8,384	1,109	9,493	5,876	15,369	3.1	1.9	-	-
1987-88	9,660	1,271	10,931	7,004	17,935	3.1	2.0	15.1	19.2
1988-89	10,736	1,177	11,913	8,483	20,396	2.8	2.0	9.0	21.1
1989-90	13,097	1,529	14,627	6,976	21,603	3.0	1.4	22.8	-17.8
1990-91	14,242	2,581	16,823	10,062	26,885	3.0	1.8	15.0	44.2
1991-92	16,848	2,468	19,316	12,758	32,074	3.0	2.0	14.8	26.8
1992-93	20,580	2,639	23,219	15,120	38,339	3.1	2.0	20.2	18.5
1993-94	22,395	2,201	24,595	18,975	43,571	2.9	2.2	5.9	25.5
1994-95	24,885	2,021	26,906	17,890	44,796	2.7	1.8	9.4	-5.7
1995-96	29,048	4,255	33,303	16,618	49,921	2.8	1.4	23.8	-7.1
1996-97	35,038	4,129	39,167	18,820	57,987	2.8	1.4	17.6	13.2
1997-98	40,411	2,159	42,570	21,694	64,264	2.8	1.4	8.7	15.3
1998-99	39,421	2,028	41,449	21,452	62,901	2.4	1.2	-2.6	-1.1
1999-00	44,121	2,101	46,222	28,076	74,298	2.4	1.4	11.5	30.9
2000-01	50,734	8,542	59,276	28,747	88,023	2.8	1.4	28.2	2.4
2001-02	52,215	9,854	62,069	32,747	94,817	2.7	1.4	4.7	13.9
2002-03	56,655	11,436	68,091	33,735	1,01,826	2.8	1.4	9.7	3.0
2003-04	67,080	9,324	76,404	41,509	1,17,914	2.8	1.5	12.2	23.0
2004-05	78,550	9,804	88,354	46,518	1,34,871	2.8	1.5	15.6	12.1
2005-06	94,024	21,321	1,15,345	55,430	1,70,774	3.2	1.6	30.5	19.2
2006-07 (सं.अ.)	1,15,737	20,749	1,36,486	82,205	2,18,691	3.3	2.0	18.3	48.3
2007-08 (ब.अ.)	1,36,184	19,789	1,55,973	97,531	2,53,504	3.4	2.1	14.3	18.6

सं.अ. : संशोधित अनुमान
एससीटी : क्षेत्रय करो में अंश
ओसीटी : अन्य चालू अंतरण
एजीआर : वार्षिक बृद्धि दर

ब.अ. : बजट अनुमान
एसजी : सांविधिक अनुमान
एससीटी : वित्त आयोग अंतरण
जीडीपी : सकल देशी उत्पाद

टिप्पणी : 1. अन्य चालू अंतरण (ओसीटी) गैर - सांविधिक अनुदान जैसे हो है।

2. जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के आंकड़े और शारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्वयन

परिशिष्ट सारणी 30 : न्यागमन और अंतरण के पहले और बाद में राजस्व प्राप्तिचां

वर्ष	आरआरबीटी	आरआरएटी	आरआरबीटी/ जीडीपी	आरआरएटी/ जीडीपी	आरआरबीटी (एजीआर)	आरआरएटी (एजीआर)
	(करोड़ रु)		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7
1986-87	22,857	38,225	7.3	12.3	-	-
1987-88	26,067	44,002	7.4	12.4	14.0	15.1
1988-89	30,024	50,420	7.1	12.0	15.2	14.6
1989-90	34,933	56,536	7.2	11.6	16.3	12.1
1990-91	39,582	66,467	7.0	11.7	13.3	17.6
1991-92	48,462	80,536	7.4	12.3	22.4	21.2
1992-93	52,752	91,091	7.0	12.2	8.9	13.1
1993-94	61,426	1,04,997	7.1	12.2	16.4	15.3
1994-95	75,508	1,20,303	7.5	11.9	22.9	14.6
1995-96	84,585	1,34,507	7.1	11.3	12.0	11.8
1996-97	92,053	1,50,041	6.7	10.9	8.8	11.5
1997-98	1,02,556	1,66,820	6.7	11.0	11.4	11.2
1998-99	1,09,886	1,72,787	6.3	9.9	7.1	3.6
1999-00	1,28,629	2,02,927	6.6	10.4	17.1	17.4
2000-01	1,44,486	2,32,509	6.9	11.1	12.3	14.6
2001-02	1,54,605	2,49,422	6.8	10.9	7.0	7.3
2002-03	1,71,848	2,73,674	7.0	11.1	11.2	9.7
2003-04	1,91,273	3,09,187	6.9	11.2	11.3	13.0
2004-05	2,28,641	3,63,512	7.3	11.6	19.5	17.6
2005-06	2,60,247	4,31,021	7.3	12.1	13.8	18.6
2006-07 (सं.अ.)	3,12,738	5,31,429	7.6	12.9	20.2	23.3
2007-08 (ब.अ.)	3,53,229	6,06,733	7.6	13.1	12.9	14.2

सं.अ. : संशोधित अनुमान
आरआरबीटी : न्यागमन और अंतरण के पहले राजस्व प्राप्तिचां
आरआरएटी : न्यागमन और अंतरण के बाद में राजस्व प्राप्तिचां

ब.अ. : बजट अनुमान
जीडीपी : सकल देशी उत्पाद
एजीआर : वार्षिक वृद्धि दर

टिप्पणी : जन्म और कश्मीर के 1986-87 से 1986-87 के अंकड़े और शारखंड से संबंधित वर्ष 2001-02 से 2005-06 के अंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





परिशिष्ट सारणी 31 : केंद्र से निवल ऋण और सकल राजकोषीय घाटा

वर्ष	एनएलएफसी	जीएफडी	एनएलएफसी/ जीएफडी	अन्य ^{1/} जीएफडी	एनएलएफसी/ जीडीपी	जीएफडी/ जीडीपी
	(करोड़ ₹)		(प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7
1986-87	4,787	9,269	51.6	48.4	1.5	3.0
1987-88	5,832	11,221	52.0	48.0	1.6	3.2
1988-89	6,688	11,672	57.3	42.7	1.6	2.8
1989-90	7,918	15,434	51.3	48.7	1.6	3.2
1990-91	9,978	18,787	53.1	46.9	1.8	3.3
1991-92	9,374	18,900	49.6	50.4	1.4	2.9
1992-93	8,921	20,891	42.7	57.3	1.2	2.8
1993-94	9,400	20,364	46.2	53.8	1.1	2.4
1994-95	14,250	27,308	52.2	47.8	1.4	2.7
1995-96	14,075	30,870	45.6	54.4	1.2	2.6
1996-97	16,696	36,561	45.7	54.3	1.2	2.7
1997-98	22,650	43,474	52.1	47.9	1.5	2.9
1998-99	30,350	73,295	41.4	58.6	1.7	4.2
1999-00	12,178	90,099	13.5	86.5	0.6	4.6
2000-01	8,325	87,923	9.5	90.5	0.4	4.2
2001-02	10,896	94,260	11.6	88.4	0.5	4.1
2002-03	-373	99,726	-0.4	100.4	-	4.1
2003-04	13,940	1,20,631	11.6	88.4	0.5	4.4
2004-05	-9,781	1,07,774	-9.1	109.1	-0.3	3.4
2005-06	-44	90,084	-	100.0	-	2.5
2006-07 (सं.अ.)	2,010	1,13,913	1.8	98.2	-	2.8
2007-08 (ब.अ.)	6,485	1,08,323	6.0	94.0	0.1	2.3

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '—': नगण्य
* : अन्य में बाजार उधार, बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण, राज्य भाविष्य निधि आदि शामिल है।
एनएलएफसी : केंद्र से निवल ऋण जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा
जीडीपी : सकल देशी उत्पाद
टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर के 1986-87 के अंकड़े और झारखंड से संबंधित वर्ष 1986-87 के अंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।







विवरण







विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के कुल संवितरण/ कुल संवितरण			सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा व्यय			राजस्व घाटा/सकल राजकोषीय घाटा			पूंजी परिव्यय/सकल राजकोषीय घाटा		
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	8.6	8.8	10.2	19.2	14.1	11.8	0.8	0.7	0.4	92.3	129.2	149.3
2. बिहार	4.0	4.5	4.2	17.2	23.3	10.3	-2.2	10.9	-110.2	56.3	83.4	202.2
3. छत्तीसगढ़	1.7	2.0	2.1	4.6	10.7	10.4	-325.0	-117.6	-115.0	349.8	178.6	227.1
4. गोवा	0.5	0.5	0.6	21.8	21.8	18.0	3.6	4.9	1.1	96.3	94.8	97.9
5. गुजरात	6.1	5.6	5.4	20.0	16.8	15.4	6.4	-29.2	-27.5	111.0	134.5	124.0
6. हरियाणा	2.6	2.8	2.7	2.0	3.9	8.4	-424.8	100.8	-70.0	564.4	313.4	170.5
7. झारखंड	2.4	2.3	2.1	37.5	34.1	27.8	31.6	20.7	11.3	45.2	52.3	66.6
8. कर्नाटक	6.2	6.4	6.4	10.8	12.4	13.2	-62.7	-52.7	-25.8	157.9	149.3	130.2
9. केरल	3.8	4.2	4.0	21.5	30.5	25.7	74.8	71.0	70.7	19.5	19.4	17.8
10. मध्य प्रदेश	5.2	4.5	4.5	18.2	15.4	14.3	-0.7	-38.9	-43.1	144.9	114.1	126.4
11. महाराष्ट्र	12.2	11.4	10.8	26.7	20.6	14.0	21.8	20.4	-4.6	57.2	67.3	95.8
12. उड़ीसा	2.8	3.0	3.1	1.9	5.0	5.0	-174.0	-81.2	-102.0	375.5	176.4	186.7
13. पंजाब	3.6	3.9	3.9	13.5	21.9	20.7	46.8	39.4	30.9	57.1	59.0	70.1
14. राजस्थान	4.8	4.7	4.7	19.8	16.4	15.7	12.8	-1.9	-4.0	83.4	105.8	99.7
15. तमिलनाडु	6.9	7.7	7.3	6.2	14.1	14.9	-86.7	3.7	1.3	180.2	96.6	100.8
16. उत्तर प्रदेश	10.7	10.7	11.7	18.2	15.6	14.4	12.6	-30.3	-49.2	86.4	127.1	147.6
17. प. बंगाल	7.2	6.3	6.1	28.8	30.4	27.3	77.0	71.1	62.4	17.2	18.2	23.7
कुल I	89.4	89.3	89.7	18.2	18.0	15.4	14.3	9.9	-4.7	79.5	87.0	103.5
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.4	0.4	12.2	9.7	5.7	-71.0	-162.8	-116.0	171.0	261.5	214.3
2. असम	2.2	3.0	2.6	-3.0	18.6	10.8	424.3	17.3	-43.4	-305.1	79.9	138.0
3. हिमाचल प्रदेश	1.5	1.3	1.2	9.9	13.8	15.6	-12.8	4.9	18.5	113.9	96.2	81.1
4. जम्मू और कश्मीर	2.4	2.0	2.1	12.1	10.9	13.2	-114.4	-131.0	-136.9	211.7	227.9	234.1
5. मणिपुर	0.5	0.5	0.4	10.1	7.1	3.7	-149.1	-340.7	-381.2	227.0	412.9	469.5
6. मेघालय	0.4	0.4	0.4	9.3	3.4	2.5	-40.5	-395.5	-617.5	144.9	466.5	700.1
7. मिजोरम	0.4	0.3	0.3	19.4	12.6	5.5	-16.5	-61.2	-143.3	113.7	167.3	254.0
8. नागालैंड	0.5	0.5	0.5	11.9	12.5	7.1	-67.4	-103.8	-257.4	169.0	203.7	356.1
9. सिक्किम	0.4	0.4	0.4	7.0	7.7	8.2	-132.2	-222.8	-155.0	232.3	323.1	255.2
10. त्रिपुरा	0.6	0.5	0.6	3.5	12.9	15.5	-574.4	-116.3	-94.9	675.8	216.2	194.8
11. उत्तराखंड	1.4	1.3	1.4	25.3	21.5	13.9	3.9	-19.1	-64.6	90.8	120.0	162.8
कुल II	10.6	10.7	10.3	9.8	14.3	11.4	-92.8	-46.9	-85.1	188.1	145.0	182.5
सर्वयोग (I+II)	100.0	100.0	100.0	17.3	17.6	14.9	7.8	4.9	-11.1	86.1	92.1	109.7
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	-2.3	6.1	10.2	1,765.5	-532.4	-305.6	-612.9	247.8	197.4
2. पुदुचेरी	-	-	-	13.4	21.7	28.2	-2.7	27.0	24.7	103.5	74.1	75.6

(जारी)



विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के कुल संवितरण/ कुल संवितरण			सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा व्यय			राजस्व घाटा/सकल राजकोषीय घाटा			पूंजी परिव्यय/सकल राजकोषीय घाटा		
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	6.9	8.7	59.3	28.1	26.4	24.3	38.7	35.2	34.3	20.1	17.7	15.7
2. बिहार	45.9	5.7	8.0	38.1	33.7	32.4	47.8	44.5	37.5	20.6	16.4	16.3
3. छत्तीसगढ़	75.2	39.0	-12.2	22.8	22.5	23.8	24.7	25.4	27.6	12.9	10.4	10.3
4. गोवा	0.1	0.2	1.0	29.5	27.9	40.6	34.3	32.9	48.0	18.3	16.8	14.7
5. गुजरात	-17.2	-5.2	3.5	33.5	30.9	33.4	45.0	39.0	41.6	24.1	24.4	24.7
6. हरियाणा	-39.6	-314.2	-0.5	32.0	26.0	26.4	33.1	30.5	29.3	16.6	13.7	14.9
7. झारखंड	23.2	27.0	22.0	25.5	22.9	28.0	40.5	34.7	38.1	7.4	6.9	14.9
8. कर्नाटक	4.8	3.4	6.7	29.4	28.4	24.9	33.1	32.2	28.9	13.4	12.0	12.3
9. केरल	5.6	9.6	11.5	41.8	39.3	40.0	57.2	59.2	57.2	20.6	17.8	17.9
10. मध्य प्रदेश	-44.1	24.8	16.8	26.6	29.1	29.5	36.9	35.5	36.0	16.6	16.9	16.4
11. महाराष्ट्र	21.0	12.2	8.8	31.8	34.4	36.6	44.8	44.2	43.7	17.9	18.5	17.9
12. उड़ीसा	-101.4	4.7	15.3	43.9	39.8	36.1	48.5	44.8	41.9	27.2	19.4	22.0
13. पंजाब	-3.9	1.6	-1.0	51.9	46.8	45.8	62.0	62.3	59.2	20.4	19.4	17.7
14. राजस्थान	3.8	-3.8	4.3	32.8	33.2	32.6	42.3	41.6	40.8	24.2	22.6	21.6
15. तमिलनाडु	6.5	-0.3	-2.1	33.6	29.3	30.1	38.0	38.0	36.9	14.2	13.5	12.4
16. उत्तर प्रदेश	1.0	3.2	1.6	35.5	33.9	30.3	46.1	40.2	35.8	19.5	18.7	16.3
17. प.बंगाल	5.8	10.7	13.9	40.4	41.8	40.7	68.9	66.4	61.5	31.3	30.7	30.4
कुल I	6.2	6.0	11.4	34.0	32.7	32.1	44.3	41.9	40.2	19.7	18.3	17.7
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-	1.3	1.7	20.8	21.8	22.1	26.4	24.3	24.5	9.4	10.8	9.6
2. असम	-19.1	2.9	5.5	34.9	31.6	30.6	34.9	40.0	35.5	14.3	12.8	11.6
3. हिमाचल प्रदेश	-1.1	-1.0	0.5	33.4	34.9	35.6	43.0	44.9	45.5	24.2	23.8	23.5
4. जम्मू और कश्मीर	2.7	3.2	2.9	30.9	33.0	31.5	32.5	34.5	33.6	13.4	11.9	11.8
5. मणिपुर	22.1	27.8	11.7	33.1	27.4	27.1	29.9	27.6	30.5	11.9	12.4	12.5
6. मेघालय	-4.4	29.0	17.4	31.8	27.3	23.6	35.8	27.9	23.8	11.4	10.1	8.2
7. मिजोरम	2.8	-6.2	-10.7	25.6	28.4	30.2	32.8	32.9	33.1	11.6	12.5	12.1
8. नागालैंड	-1.6	0.0	1.3	35.7	33.8	38.3	41.5	38.2	36.7	12.3	11.7	12.6
9. सिक्किम	-0.1	-0.3	-0.1	55.0	48.3	53.0	59.2	52.2	57.8	5.8	5.9	5.4
10. त्रिपुरा	-1.4	0.1	0.2	35.1	36.4	43.5	35.6	38.0	39.6	15.5	15.2	12.9
11. उत्तराखंड	5.3	-1.0	1.8	28.9	28.4	27.7	36.6	35.0	31.2	14.4	15.6	14.3
कुल II	4.7	2.0	2.7	32.7	32.0	32.2	36.3	37.2	35.6	14.7	14.0	13.2
सर्वयोग (I+II)	6.1	5.7	10.7	33.8	32.6	32.1	43.4	41.3	39.7	19.2	17.8	17.3
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-1,052.7	384.6	208.1	25.8	20.5	23.1	20.5	23.4	22.3	25.7	27.5	26.8
2. पुदुचेरी	-0.8	-1.1	-0.3	18.8	20.8	18.3	21.1	25.8	25.1	9.6	9.7	9.4

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (समाप्त)

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के कुल संवितरण/ कुल संवितरण			सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा व्यय			राजस्व घाटा/सकल राजकोषीय घाटा			पूंजी परिव्यय/सकल राजकोषीय घाटा		
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	55.0	55.9	57.1	13.4	12.2	12.5	23.7	25.5	23.2	17.6	15.7	11.6
2. बिहार	20.1	19.2	20.7	2.9	1.5	1.7	60.9	57.9	68.5	10.7	6.7	4.8
3. छत्तीसगढ़	54.3	52.0	51.7	16.5	13.9	14.9	37.2	38.7	37.5	10.1	3.5	4.7
4. गोवा	50.1	46.2	36.4	34.7	35.6	47.7	11.0	17.4	14.3	26.4	15.7	14.5
5. गुजरात	61.6	64.5	66.6	13.2	14.0	12.4	21.5	22.4	20.7	20.7	16.8	17.6
6. हरियाणा	71.8	63.7	73.1	19.5	18.0	17.4	15.9	12.6	13.6	12.7	11.3	9.8
7. झारखंड	29.6	27.8	29.3	14.3	12.8	13.2	29.2	35.5	39.4	11.6	8.2	7.2
8. कर्नाटक	66.4	67.9	68.2	13.8	12.2	4.7	25.4	24.8	28.9	12.8	10.7	9.0
9. केरल	53.1	48.2	51.7	5.1	4.2	4.2	24.5	25.2	25.7	19.5	14.4	14.4
10. मध्य प्रदेश	44.3	44.0	45.1	10.7	10.1	9.3	33.0	41.7	43.5	11.4	8.9	7.9
11. महाराष्ट्र	64.2	63.5	67.7	11.4	8.4	8.5	13.8	19.5	21.2	14.6	5.7	6.3
12. उड़ीसा	36.8	34.0	35.9	11.3	11.0	8.6	47.9	53.7	56.1	16.8	10.4	12.2
13. पंजाब	49.4	44.2	44.2	24.9	26.6	26.9	16.9	15.9	19.1	13.3	6.1	4.5
14. राजस्थान	46.0	44.7	45.5	12.7	12.6	11.9	32.5	35.3	37.0	11.2	8.8	7.7
15. तमिलनाडु	72.9	68.9	69.4	8.1	7.1	6.4	21.9	19.2	21.7	8.6	9.1	7.1
16. उत्तर प्रदेश	40.5	43.0	41.0	6.3	9.5	10.1	41.4	41.8	44.6	12.6	9.9	7.3
17. प.बंगाल	33.4	35.3	37.7	3.3	3.4	3.4	31.8	32.6	34.6	18.8	19.1	16.4
कुल I	51.7	51.2	52.6	10.9	10.4	9.8	28.3	30.0	31.9	14.0	10.5	9.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	3.7	3.5	3.7	12.1	10.6	8.1	73.4	77.5	77.0	12.0	1.5	2.7
2. असम	30.7	21.4	25.1	13.9	9.7	10.5	61.3	53.6	57.3	3.8	8.9	4.9
3. हिमाचल प्रदेश	23.2	21.7	25.8	10.7	12.6	10.6	51.2	51.6	49.4	3.0	3.0	2.9
4. जम्मू और कश्मीर	17.4	18.9	20.7	7.5	6.0	8.6	70.7	72.0	67.6	2.0	1.1	1.0
5. मणिपुर	4.7	5.0	5.4	3.8	7.5	6.2	81.8	77.9	78.8	7.5	13.3	13.7
6. मेघालय	15.1	12.7	12.1	8.7	8.2	6.6	67.3	76.5	79.4	4.6	3.6	2.3
7. मिजोरम	3.5	3.5	3.8	7.6	6.6	5.5	68.5	76.2	81.6	4.2	3.4	2.8
8. नागालैंड	5.1	5.1	5.2	4.7	3.6	4.0	77.2	77.0	81.1	7.4	2.2	1.8
9. सिक्किम	8.3	6.6	6.1	56.0	53.1	58.1	38.8	47.0	40.6	5.8	4.2	3.1
10. त्रिपुरा	12.4	13.4	13.3	2.7	2.7	2.6	80.8	73.7	71.6	3.2	1.6	1.6
11. उत्तराखंड	31.8	36.2	34.0	11.6	9.7	10.9	40.6	43.1	49.9	2.4	1.7	1.2
कुल II	20.3	18.9	20.6	11.5	10.1	10.9	62.2	61.0	61.8	4.0	4.4	3.1
सर्वयोग (I+II)	48.5	47.9	49.4	10.9	10.4	10.0	31.8	33.3	35.0	11.9	9.3	8.0
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	137.2	125.3	121.7	21.5	17.1	17.1	4.5	4.1	7.9	363.8	259.1	183.1
2. पुदुचेरी	26.7	27.7	27.3	28.5	27.1	26.0	53.6	49.2	41.4	22.0	23.7	25.9

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

रा.रा.क्षे. : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

‘-’ : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।



विवरण 2: राजस्व घाटा /अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06 (लेखा)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	34,851	34,915	-64	45,146	45,200	-54	54,950	54,986	-36
2. अरुणाचल प्रदेश	17,837	17,756	81	22,760	23,513	-752	27,441	23,958	3,483
3. छत्तीसगढ़	8,839	7,457	1,381	11,926	10,248	1,678	13,467	11,666	1,801
4. गोवा	2,169	2,191	-22	2,534	2,569	-35	3,382	3,390	-8
5. गुजरात	25,067	25,465	-399	30,460	28,657	1,803	32,964	31,313	1,651
6. हरियाणा	13,853	12,640	1,213	15,918	16,571	-653	17,917	16,769	1,149
7. झारखंड	8,203	9,756	-1,553	10,144	11,234	-1,090	11,612	12,119	-507
8. कर्नाटक	30,352	28,041	2,311	37,996	35,164	2,832	40,762	39,135	1,627
9. केरल	15,295	18,424	-3,129	18,967	24,884	-5,916	21,446	26,697	-5,251
10. मध्य प्रदेश	20,597	20,563	33	24,860	23,096	1,763	27,996	25,989	2,007
11. महाराष्ट्र	48,438	52,280	-3,842	60,267	63,460	-3,193	68,299	67,788	511
12. उड़ीसा	14,085	13,604	481	17,649	16,901	748	19,467	18,421	1,046
13. पंजाब	16,966	18,208	-1,242	19,875	22,066	-2,191	22,750	24,589	-1,839
14. राजस्थान	20,839	21,499	-660	25,434	25,337	96	28,599	28,385	215
15. तमिलनाडु	33,960	32,009	1,951	40,461	40,707	-247	44,532	44,634	-101
16. उत्तर प्रदेश	45,349	46,617	-1,268	60,030	56,671	3,359	74,018	67,871	6,146
17. प.बंगाल	23,726	31,117	-7,391	27,041	35,460	-8,420	30,657	37,825	-7,168
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	1,849	1,668	182	2,393	1,972	420	2,331	2,169	163
2. असम	12,045	10,536	1,509	16,018	16,648	-630	16,988	16,091	897
3. हिमाचल प्रदेश	6,559	6,466	92	6,946	7,000	-54	7,305	7,556	-250
4. जम्मू और कश्मीर	11,540	9,724	1,816	11,981	10,067	1,914	13,405	10,616	2,789
5. मणिपुर	2,409	2,005	404	2,989	2,212	776	2,762	2,358	404
6. मेघालय	1,747	1,674	72	2,458	2,118	340	3,242	2,732	510
7. मिजोरम	1,654	1,588	66	1,993	1,817	176	1,936	1,774	163
8. नागालैंड	2,267	2,061	207	2,743	2,336	407	3,060	2,454	605
9. सिक्किम	1,964	1,768	197	2,417	1,968	449	2,764	2,380	384
10. त्रिपुरा	3,024	2,392	633	3,182	2,634	548	3,663	3,023	640
11. उत्तराखंड	5,537	5,611	-74	6,843	6,485	358	9,016	8,073	944
विशेष श्रेणी राज्य	4,31,021	4,38,034	-7,013	5,31,429	5,36,995	-5,566	6,06,733	5,94,760	11,973
जापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	10,844	6,515	4,328	12,307	8,041	4,266	15,282	9,967	5,316
2. पुदुचेरी	1,802	1,794	7	1,802	1,937	-135	1,960	2,150	-190

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 3: परंपरागत घाटा/अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06 (लेखा)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	परंपरागत अधिशेष (+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	48,305	48,306	-1	60,730	60,699	31	78,225	78,200	25
2. अरुणाचल प्रदेश	22,870	22,568	302	27,939	30,896	-2,957	32,257	32,257	-
3. छत्तीसगढ़	10,290	9,725	565	13,589	13,842	-254	15,905	15,952	-47
4. गोवा	3,005	2,849	156	3,310	3,328	-18	4,249	4,238	11
5. गुजरात	37,430	34,235	3,195	38,970	38,816	154	42,061	41,731	330
6. हरियाणा	16,527	14,830	1,697	20,653	19,342	1,312	21,826	20,580	1,246
7. झारखंड	10,536	13,417	-2,881	15,294	15,726	-432	16,360	16,401	-41
8. कर्नाटक	37,177	34,973	2,204	43,191	44,327	-1,136	45,715	49,116	-3,401
9. केरल	21,659	21,115	544	28,189	28,756	-567	30,597	30,735	-138
10. मध्य प्रदेश	29,440	28,975	464	30,264	30,663	-399	34,494	34,375	118
11. महाराष्ट्र	71,091	68,677	2,414	77,151	78,257	-1,106	85,544	82,637	2,906
12. उड़ीसा	18,065	15,746	2,318	20,543	20,422	121	23,428	23,512	-84
13. पंजाब	22,052	20,453	1,599	25,441	26,871	-1,430	29,654	29,972	-318
14. राजस्थान	28,301	27,220	1,081	32,097	32,468	-371	36,320	35,961	359
15. तमिलनाडु	45,258	38,744	6,514	51,934	53,252	-1,318	55,951	55,995	-43
16. उत्तर प्रदेश	68,263	59,839	8,424	73,805	73,614	191	90,032	89,411	621
17. प.बंगाल	43,074	40,587	2,487	41,116	43,193	-2,077	47,157	46,749	408
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	2,581	2,437	144	2,690	2,838	-148	2,482	2,697	-215
2. असम	13,670	12,088	1,582	18,315	20,419	-2,105	19,525	19,892	-366
3. हिमाचल प्रदेश	8,909	8,587	322	9,266	9,096	169	9,494	9,494	-
4. जम्मू और कश्मीर	13,467	13,467	-	13,875	13,873	2	15,832	15,980	-148
5. मणिपुर	3,038	2,743	295	3,428	3,493	-65	3,254	3,166	88
6. मेघालय	2,208	2,008	201	2,777	2,643	134	3,686	3,447	239
7. मिजोरम	2,180	2,172	8	2,386	2,391	-4	2,269	2,186	83
8. नागालैंड	2,707	2,809	-101	3,275	3,299	-24	3,403	3,494	-91
9. सिक्किम	2,083	2,146	-63	2,657	2,658	-1	3,070	3,066	4
10. त्रिपुरा	3,459	3,301	157	3,563	3,741	-178	4,208	4,446	-239
11. उत्तराखंड	7,982	7,664	318	8,288	9,022	-734	10,847	10,928	-82
सभी राज्य	5,95,628	5,61,682	33,947	6,74,736	6,87,946	-13,210	7,67,845	7,66,620	1,225
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	17,060	11,142	5,918	16,524	20,986	-4,462	15,654	18,561	-2,907
2. पुदुचेरी	2,161	2,173	-12	2,254	2,407	-153	2,753	2,843	-90

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।



विवरण 4: सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06 (लेखा)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	34,851	43,151	8,300	48,196	56,100	7,904	64,350	72,970	8,621
2. अरुणाचल प्रदेश	17,837	21,537	3,700	22,760	29,658	6,898	27,441	30,600	3,159
3. छत्तीसगढ़	8,839	9,264	425	11,926	13,354	1,428	13,467	15,034	1,567
4. गोवा	2,169	2,772	603	2,534	3,241	707	3,382	4,124	742
5. गुजरात	25,075	31,345	6,270	30,461	36,626	6,165	32,964	38,958	5,994
6. हरियाणा	13,853	14,139	286	15,918	16,566	648	17,917	19,558	1,640
7. झारखंड	8,203	13,121	4,918	10,144	15,402	5,257	11,612	16,081	4,469
8. कर्नाटक	30,352	34,039	3,687	37,996	43,368	5,372	41,462	47,767	6,305
9. केरल	15,295	19,476	4,182	18,967	27,298	8,331	21,446	28,871	7,425
10. मध्य प्रदेश	20,597	25,169	4,572	24,860	29,393	4,533	27,996	32,650	4,655
11. महाराष्ट्र	48,438	66,069	17,630	60,267	75,887	15,620	68,299	79,457	11,158
12. उड़ीसा	14,085	14,361	276	17,649	18,570	921	19,467	20,493	1,025
13. पंजाब	16,966	19,622	2,656	19,875	25,441	5,567	22,750	28,705	5,956
14. राजस्थान	20,840	25,990	5,150	25,434	30,436	5,003	28,599	33,921	5,322
15. तमिलनाडु	33,960	36,211	2,251	40,461	47,075	6,614	44,532	52,333	7,801
16. उत्तर प्रदेश	45,349	55,427	10,078	60,030	71,120	11,090	74,018	86,502	12,485
17. प.बंगाल	23,726	33,327	9,601	27,041	38,876	11,836	30,657	42,141	11,484
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	1,849	2,105	256	2,393	2,651	258	2,331	2,472	140
2. असम	12,045	11,690	-356	16,018	19,666	3,649	16,988	19,054	2,065
3. हिमाचल प्रदेश	6,559	7,279	720	6,946	8,055	1,109	7,305	8,660	1,355
4. जम्मू और कश्मीर	11,540	13,128	1,588	11,983	13,444	1,461	13,407	15,444	2,037
5. मणिपुर	2,409	2,680	271	2,989	3,217	228	2,762	2,868	106
6. मेघालय	1,747	1,926	179	2,458	2,544	86	3,242	3,324	83
7. मिजोरम	1,654	2,051	397	1,993	2,282	288	1,936	2,050	114
8. नागालैंड	2,267	2,574	306	2,743	3,135	392	3,060	3,295	235
9. सिक्किम	1,964	2,113	149	2,417	2,618	202	2,764	3,012	248
10. त्रिपुरा	3,024	3,134	110	3,182	3,653	471	3,663	4,337	674
11. उत्तराखंड	5,537	7,415	1,878	6,843	8,721	1,878	9,016	10,477	1,460
सभी राज्य	4,31,030	5,21,114	90,084	5,34,483	6,48,396	1,13,913	6,16,835	7,25,157	1,08,323
जापन मद :									
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	10,844	10,598	-245	12,307	13,108	801	15,282	17,022	1,740
2. पुदुचेरी	1,802	2,081	279	1,802	2,302	500	1,960	2,728	769

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)				2006-07 (संशोधित अनुमान)				2007-08 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.*	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.\$	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	64 (0.8)	7,662 (92.3)	574 (6.9)	8,300	54 (0.7)	10,212 (129.2)	689 (8.7)	7,904	36 (0.4)	12,869 (149.3)	5,115 (59.3)	8,621
2. अरुणाचल प्रदेश	-81 (-2.2)	2,084 (56.3)	1,697 (45.9)	3,700	752 (10.9)	5,751 (83.4)	394 (5.7)	6,898	-3,483 (-110.2)	6,389 (202.2)	254 (8.0)	3,159
3. छत्तीसगढ़	-1,381 (-325.0)	1,487 (349.8)	320 (75.2)	425	-1,678 (-117.6)	2,549 (178.6)	557 (39.0)	1,428	-1,801 (-115.0)	3,559 (227.1)	-191 (-12.2)	1,567
4. गोवा	22 (3.6)	580 (96.3)	1 (0.1)	603	35 (4.9)	670 (94.8)	2 (0.2)	707	8 (1.1)	726 (97.9)	8 (1.0)	742
5. गुजरात	399 (6.4)	6,959 (111.0)	-1,079 (-17.2)	6,270	-1,803 (-29.2)	8,292 (134.5)	-322 (-5.2)	6,165	-1,651 (-27.5)	7,433 (124.0)	212 (3.5)	5,994
6. हरियाणा	-1,213 (-424.8)	1,612 (564.4)	-113 (-39.6)	286	653 (100.8)	2,031 (313.4)	-2,036 (-314.2)	648	-1,149 (-70.0)	2,797 (170.5)	-8 (-0.5)	1,640
7. झारखंड	1,553 (31.6)	2,222 (45.2)	1,143 (23.2)	4,918	1,090 (20.7)	2,750 (52.3)	1,418 (27.0)	5,257	507 (11.3)	2,977 (66.6)	985 (22.0)	4,469
8. कर्नाटक	-2,311 (-62.7)	5,822 (157.9)	176 (4.8)	3,687	-2,832 (-52.7)	8,019 (149.3)	184 (3.4)	5,372	-1,627 (-25.8)	8,207 (130.2)	424 (6.7)	6,305
9. केरल	3,129 (74.8)	817 (19.5)	236 (5.6)	4,182	5,916 (71.0)	1,613 (19.4)	802 (9.6)	8,331	5,251 (70.7)	1,320 (17.8)	854 (11.5)	7,425
10. मध्य प्रदेश	-33 (-0.7)	6,623 (144.9)	-2,018 (-44.1)	4,572	-1,763 (-38.9)	5,172 (114.1)	1,124 (24.8)	4,533	-2,007 (-43.1)	5,881 (126.4)	780 (16.8)	4,655
11. महाराष्ट्र	3,842 (21.8)	10,078 (57.2)	3,710 (21.0)	17,630	3,193 (20.4)	10,516 (67.3)	1,911 (12.2)	15,620	-511 (-4.6)	10,690 (95.8)	978 (8.8)	11,158
12. उड़ीसा	-481 (-174.0)	1,038 (375.5)	-280 (-101.4)	276	-748 (-81.2)	1,625 (176.4)	44 (4.7)	921	-1,046 (-102.0)	1,914 (186.7)	157 (15.3)	1,025
13. पंजाब	1,242 (46.8)	1,517 (57.1)	-103 (-3.9)	2,656	2,191 (39.4)	3,287 (59.0)	89 (1.6)	5,567	1,839 (30.9)	4,174 (70.1)	-58 (-1.0)	5,956
14. राजस्थान	660 (12.8)	4,294 (83.4)	197 (3.8)	5,150	-96 (-1.9)	5,292 (105.8)	-192 (-3.8)	5,003	-215 (-4.0)	5,307 (99.7)	229 (4.3)	5,322
15. तमिलनाडु	-1,951 (-86.7)	4,055 (180.2)	147 (6.5)	2,251	247 (3.7)	6,388 (96.6)	-20 (-0.3)	6,614	101 (1.3)	7,861 (100.8)	-162 (-2.1)	7,801
16. उत्तर प्रदेश	1,268 (12.6)	8,711 (86.4)	99 (1.0)	10,078	-3,359 (-30.3)	14,093 (127.1)	355 (3.2)	11,090	-6,146 (-49.2)	18,430 (147.6)	201 (1.6)	12,485
17. प.बंगाल	7,391 (77.0)	1,653 (17.2)	557 (5.8)	9,601	8,420 (71.1)	2,152 (18.2)	1,264 (10.7)	11,836	7,168 (62.4)	2,720 (23.7)	1,595 (13.9)	11,484



विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन (समाप्त)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06 (लेखा)				2006-07 (संशोधित अनुमान)				2007-08 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.*	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.\$	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-182 (-71.0)	438 (171.0)	— (0.0)	256	-420 (-162.8)	675 (261.5)	3 (1.3)	258	-163 (-116.0)	301 (214.3)	2 (1.7)	140
2. असम	-1,509 (424.3)	1,085 (-305.1)	68 (-19.1)	-356	630 (17.3)	2,914 (79.9)	105 (2.9)	3,649	-897 (-43.4)	2,849 (138.0)	113 (5.5)	2,065
3. हिमाचल प्रदेश	-92 (-12.8)	821 (113.9)	-8 (-1.1)	720	54 (4.9)	1,066 (96.2)	-11 (-1.0)	1,109	250 (18.5)	1,098 (81.1)	6 (0.5)	1,355
4. जम्मू और कश्मीर	-1,816 (-114.4)	3,362 (211.7)	42 (2.7)	1,588	-1,914 (-131.0)	3,330 (227.9)	47 (3.2)	1,461	-2,789 (-136.9)	4,769 (234.1)	59 (2.9)	2,037
5. मणिपुर	-404 (-149.1)	616 (227.0)	60 (22.1)	271	-776 (-340.7)	941 (412.9)	63 (27.8)	228	-404 (-381.2)	498 (469.5)	12 (11.7)	106
6. मेघालय	-72 (-40.5)	259 (144.9)	-8 (-4.4)	179	-340 (-395.5)	401 (466.5)	25 (29.0)	86	-510 (-617.5)	578 (700.1)	14 (17.4)	83
7. मिजोरम	-66 (-16.5)	451 (113.7)	11 (2.8)	397	-176 (-61.2)	482 (167.3)	-18 (-6.2)	288	-163 (-143.3)	289 (254.0)	-12 (-10.7)	114
8. नागालैंड	-207 (-67.4)	518 (169.0)	-5 (-1.6)	306	-407 (-103.8)	798 (203.7)	— (0.0)	392	-605 (-257.4)	838 (356.1)	3 (1.3)	235
9. सिक्किम	-197 (-132.2)	346 (232.3)	— (0.0)	149	-449 (-222.8)	651 (323.1)	-1 (-0.3)	202	-384 (-155.0)	633 (255.2)	— (0.0)	248
10. त्रिपुरा	-633 (-574.4)	744 (675.8)	-2 (-1.4)	110	-548 (-116.3)	1,018 (216.2)	1 (0.1)	471	-640 (-94.9)	1,312 (194.8)	1 (0.2)	674
11. उत्तराखंड	74 (3.9)	1,705 (90.8)	99 (5.3)	1,878	-358 (-19.1)	2,254 (120.0)	-18 (-1.0)	1,878	-944 (-64.6)	2,377 (162.8)	27 (1.8)	1,460
सभी राज्य	7,013 (7.8)	77,559 (86.1)	5,521 (6.1)	90,084	5,566 (4.9)	1,04,942 (92.1)	6,459 (5.7)	1,13,913	-11,973 (-11.1)	1,18,796 (109.7)	11,602 (10.7)	1,08,323
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-4,328 (1,765.5)	1,502 (612.9)	2,581 (1,052.7)	-245	-4,266 (532.4)	1,986 (247.8)	3,082 (384.6)	801	-5,316 (305.6)	3,435 (197.4)	3,621 (208.1)	1,740
2. पुदुचेरी	-7 (-2.7)	289 (103.5)	-2 (-0.8)	279	135 (27.0)	370 (74.1)	-5 (-1.1)	500	190 (24.7)	581 (75.6)	-3 (-0.3)	769

सराधा : सकल राजकोषीय घाटा

'-' : नगण्य/शून्य

* : वर्ष 2005-06 के लिए गुजरात तथा राजस्थान सरकार का 8 करोड़ रुपए तथा 1 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

\$: वर्ष 2006-07 के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर सरकार का 3,050 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तथा 2 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

: वर्ष 2007-08 के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर सरकार का 9,400 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए तथा 2 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-6 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 6: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2005-06 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम राशि	उचंत् और विविध	विशेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. ओन्न प्रदेश	1,383	-61	4,834	822	481	33	1,223	2,796	233	-3,445	1	8,300
2. अरुणाचल प्रदेश	343	-443	777	5	365	440	415	-37	30	2,108	-302	3,700
3. छत्तीसगढ़	-85	-108	981	5	-19	139	115	-20	-15	-1	-565	425
4. गोवा	66	-23	604	-6	47	8	-7	67	16	-12	-156	603
5. गुजरात	353	770	7,824	84	258	32	459	-760	9	434	-3,195	6,270
6. हरियाणा	387	-60	1,851	44	355	14	158	-829	44	20	-1,697	286
7. झारखंड	106	-135	503	593	153	-	133	52	-18	650	2,881	4,918
8. कर्नाटक	166	609	3,969	171	656	150	-368	522	40	-23	-2,204	3,687
9. केरल	1,456	7	2,649	109	50	118	-29	374	-37	27	-544	4,182
10. मध्य प्रदेश	944	-96	2,974	494	1	145	595	58	39	-117	-464	4,572
11. महाराष्ट्र	1,147	-35	15,733	222	587	1,019	1,425	-592	-177	716	-2,414	17,630
12. उड़ीसा	103	-533	1,385	168	1,348	-180	149	135	4	14	-2,318	276
13. पंजाब	978	-136	3,274	-315	389	191	-85	21	-11	-51	-1,599	2,656
14. राजस्थान	643	273	3,396	310	1,377	-36	429	-28	-13	-119	-1,081	5,150
15. तमिलनाडु	1,214	140	6,094	426	328	-74	-7	1,085	138	-579	-6,514	2,251
16. उत्तर प्रदेश	2,007	35	6,734	234	1,960	3,162	3,339	755	140	136	-8,424	10,078
17. प.बंगाल	1,268	-239	6,654	-1	288	129	-1,242	4,040	-5	1,197	-2,487	9,601
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	286	-11	105	52	113	9	21	-90	22	-107	-144	256
2. असम	718	-45	618	72	386	-184	-51	-275	15	-26	-1,582	-356
3. हिमाचल प्रदेश	425	-28	803	36	310	13	103	5	116	-739	-322	720
4. जम्मू और कश्मीर	152	206	600	323	550	98	-250	15	-	-106	-	1,588
5. मणिपुर	189	-38	127	5	150	8	437	-74	-237	-	-295	271
6. मेघालय	131	-15	55	13	44	-	162	-10	-4	4	-201	179
7. मिजोरम	100	-9	26	-3	99	-9	-2	92	71	41	-8	397
8. नागालैंड	214	-13	11	37	4	-3	-46	-27	-32	60	101	306
9. सिक्किम	88	-6	17	15	13	3	3	11	-56	-2	63	149
10. त्रिपुरा	119	-23	198	-5	70	7	-10	66	-42	-112	-157	110
11. उत्तराखंड	404	-23	1,018	145	100	-1	196	558	-217	16	-318	1,878
सभी राज्य	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-16	-33,947	90,084
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-165	5,838	-	-	-	-	-	-	-	-5,918	-245
2. पुदुचेरी	-	268	-1	-	-	-	-	-	-	-	12	279

'-': नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 7: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2005-06 (लेखा)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम राशि	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. ओडिशा प्रदेश	16.7	-0.7	58.2	9.9	5.8	0.4	14.7	33.7	2.8	-41.5	-	100.0
2. बिहार	9.3	-12.0	21.0	0.1	9.9	11.9	11.2	-1.0	0.8	57.0	-8.2	100.0
3. छत्तीसगढ़	-20.1	-25.5	230.7	1.1	-4.5	32.6	27.1	-4.7	-3.6	-0.1	-132.9	100.0
4. गोवा	10.9	-3.8	100.2	-1.0	7.9	1.3	-1.2	11.1	2.6	-2.1	-25.8	100.0
5. गुजरात	5.6	12.3	124.8	1.3	4.1	0.5	7.3	-12.1	0.2	6.9	-51.0	100.0
6. हरियाणा	135.5	-21.0	647.9	15.3	124.2	4.9	55.3	-290.2	15.3	7.0	-594.1	100.0
7. झारखंड	2.2	-2.7	10.2	12.1	3.1	-	2.7	1.1	-0.4	13.2	58.6	100.0
8. कर्नाटक	4.5	16.5	107.7	4.6	17.8	4.1	-10.0	14.2	1.1	-0.6	-59.8	100.0
9. केरल	34.8	0.2	63.4	2.6	1.2	2.8	-0.7	8.9	-0.9	0.7	-13.0	100.0
10. मध्य प्रदेश	20.7	-2.1	65.0	10.8	0.0	3.2	13.0	1.3	0.8	-2.6	-10.2	100.0
11. महाराष्ट्र	6.5	-0.2	89.2	1.3	3.3	5.8	8.1	-3.4	-1.0	4.1	-13.7	100.0
12. उड़ीसा	37.3	-192.7	501.1	60.9	487.6	-65.0	53.8	48.8	1.5	5.0	-838.5	100.0
13. पंजाब	36.8	-5.1	123.3	-11.9	14.7	7.2	-3.2	0.8	-0.4	-1.9	-60.2	100.0
14. राजस्थान	12.5	5.3	65.9	6.0	26.7	-0.7	8.3	-0.5	-0.3	-2.3	-21.0	100.0
15. तमिलनाडु	53.9	6.2	270.8	18.9	14.6	-3.3	-0.3	48.2	6.1	-25.7	-289.4	100.0
16. उत्तर प्रदेश	19.9	0.3	66.8	2.3	19.4	31.4	33.1	7.5	1.4	1.4	-83.6	100.0
17. प.बंगाल	13.2	-2.5	69.3	-	3.0	1.3	-12.9	42.1	-0.1	12.5	-25.9	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	111.7	-4.5	41.1	20.5	44.3	3.5	8.3	-35.2	8.5	-41.8	-56.4	100.0
2. असम	-201.8	12.8	-173.8	-20.1	-108.4	51.8	14.4	77.3	-4.2	7.3	444.8	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	59.0	-3.9	111.4	5.0	43.0	1.8	14.3	0.7	16.1	-102.6	-44.7	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	9.6	13.0	37.8	20.3	34.6	6.2	-15.8	0.9	-	-6.7	-	100.0
5. मणिपुर	69.6	-14.1	47.0	2.0	55.1	3.0	160.9	-27.4	-87.4	-	-108.6	100.0
6. मेघालय	73.1	-8.2	30.5	7.2	24.8	-	90.3	-5.3	-2.3	2.2	-112.1	100.0
7. मिजोरम	25.1	-2.2	6.6	-0.7	24.8	-2.2	-0.6	23.3	17.8	10.2	-2.1	100.0
8. नागालैंड	69.9	-4.4	3.6	12.0	1.4	-1.0	-15.0	-9.0	-10.3	19.6	33.1	100.0
9. सिक्किम	59.4	-4.0	11.4	10.0	8.7	1.9	2.1	7.5	-37.8	-1.1	42.0	100.0
10. त्रिपुरा	108.3	-21.1	180.0	-4.9	63.1	6.5	-9.0	59.5	-37.7	-101.8	-143.0	100.0
11. उत्तराखंड	21.5	-1.2	54.2	7.7	5.3	-0.1	10.4	29.7	-11.6	0.9	-16.9	100.0
सभी राज्य	17.0	-	81.9	4.5	11.6	5.8	8.1	8.8	0.1	-	-37.7	100.0
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	67.5	-2,381.5	-	-	-	-	-	-	-	2,414.0	100.0
2. पुदुचेरी	-	96.1	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	4.2	100.0

'-': नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 8: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण – 2006-07 (सं.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत/ एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबाई, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जपाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	2,196	343	3,854	839	643	267	124	—	—	-330	-31	7,904
2. बिहार	1,981	-467	2,335	572	15	—	-390	—	—	-105	2,957	6,898
3. छत्तीसगढ़	-96	175	871	155	61	-261	250	26	16	-24	254	1,428
4. गोवा	120	117	397	9	30	—	16	—	—	—	18	707
5. गुजरात	-364	209	5,817	-46	—	-350	—	—	—	—	-154	6,165
6. हरियाणा	-147	-48	1,013	134	441	-77	125	550	—	-31	-1,312	648
7. झारखंड	253	-137	1,476	997	198	—	133	52	-18	1,871	432	5,257
8. कर्नाटक	-234	754	2,485	501	942	506	-685	-30	30	-34	1,136	5,372
9. केरल	1,491	733	2,899	675	1,316	-32	81	395	252	-45	567	8,331
10. मध्य प्रदेश	1,064	7	2,044	610	135	1	551	-1	-40	-236	399	4,533
11. महाराष्ट्र	1,267	304	8,839	151	711	1,842	1,412	-104	68	24	1,106	15,620
12. उड़ीसा	-702	490	951	250	200	—	-1	-11	-7	—	-121	921
13. पंजाब	903	-190	2,470	-255	768	257	219	212	-5	-242	1,430	5,567
14. राजस्थान	1,065	141	1,721	290	1,347	174	191	-1	—	-298	371	5,003
15. तमिलनाडु	2,339	387	4,085	321	572	294	93	111	5	-2,911	1,318	6,614
16. उत्तर प्रदेश	3,248	-688	6,160	263	1,717	1,983	266	-1,500	—	-168	-191	11,090
17. प.बंगाल	2,157	-95	8,341	-12	314	-82	-445	192	34	-646	2,077	11,836
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	26	51	—	53	50	-90	—	—	—	—	148	258
2. असम	721	-252	634	97	415	—	—	—	—	-72	2,105	3,649
3. हिमाचल प्रदेश	553	89	845	245	326	—	—	—	—	-780	-169	1,109
4. जम्मू और कश्मीर	167	408	300	250	531	212	-291	33	—	-147	-2	1,461
5. मणिपुर	202	-238	242	4	19	—	-82	9	10	—	65	228
6. मेघालय	98	-16	52	25	49	—	27	17	-18	-13	-134	86
7. मिजोरम	106	-8	32	38	106	-1	9	2	7	—	4	288
8. नागालैंड	246	-20	15	31	-20	—	80	—	—	—	24	392
9. सिक्किम	140	-5	33	13	23	—	—	—	—	-4	1	202
10. त्रिपुरा	15	-28	176	29	76	4	9	55	-13	-31	178	471
11. उत्तराखंड	290	-8	580	134	-97	130	82	25	—	8	734	1,878
सभी राज्य	19,106	2,010	58,667	6,373	10,887	4,778	1,774	31	319	-3,238	13,210	1,13,913
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	-0.3	-3,660	—	—	—	—	—	—	—	4,462	801
2. पुदुचेरी	—	350	-3	—	—	—	—	—	—	—	153	500

‘—’ : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित ‘आंतरिक ऋण की चुकौती’ के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे ‘अन्य’ में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 9: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2006-07 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम राशि	उच्च और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	27.8	4.3	48.8	10.6	8.1	3.4	1.6	-	-	-4.2	-0.4	100.0
2. बिहार	28.7	-6.8	33.9	8.3	0.2	-	-5.7	-	-	-1.5	42.9	100.0
3. छत्तीसगढ़	-6.7	12.3	61.0	10.9	4.3	-18.3	17.5	1.8	1.1	-1.7	17.8	100.0
4. गोवा	17.0	16.6	56.2	1.2	4.2	-	2.2	-	-	-	2.6	100.0
5. गुजरात	-5.9	3.4	94.4	-0.7	-	-5.7	-	-	-	-	-2.5	100.0
6. हरियाणा	-22.7	-7.4	156.3	20.7	68.0	-11.8	19.3	84.9	-	-4.8	-202.4	100.0
7. झारखंड	4.8	-2.6	28.1	19.0	3.8	-	2.5	1.0	-0.3	35.6	8.2	100.0
8. कर्नाटक	-4.4	14.0	46.3	9.3	17.5	9.4	-12.8	-0.6	0.6	-0.6	21.1	100.0
9. केरल	17.9	8.8	34.8	8.1	15.8	-0.4	1.0	4.7	3.0	-0.5	6.8	100.0
10. मध्य प्रदेश	23.5	0.2	45.1	13.5	3.0	-	12.2	-	-0.9	-5.2	8.8	100.0
11. महाराष्ट्र	8.1	1.9	56.6	1.0	4.6	11.8	9.0	-0.7	0.4	0.2	7.1	100.0
12. उड़ीसा	-76.2	53.2	103.2	27.1	21.7	-	-0.1	-1.2	-0.8	-	-13.2	100.0
13. पंजाब	16.2	-3.4	44.4	-4.6	13.8	4.6	3.9	3.8	-0.1	-4.3	25.7	100.0
14. राजस्थान	21.3	2.8	34.4	5.8	26.9	3.5	3.8	-	-	-5.9	7.4	100.0
15. तमिलनाडु	35.4	5.9	61.8	4.8	8.7	4.5	1.4	1.7	0.1	-44.0	19.9	100.0
16. उत्तर प्रदेश	29.3	-6.2	55.5	2.4	15.5	17.9	2.4	-13.5	-	-1.5	-1.7	100.0
17. प.बंगाल	18.2	-0.8	70.5	-0.1	2.7	-0.7	-3.8	1.6	0.3	-5.5	17.5	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	10.0	19.9	-	20.4	19.4	-34.8	-	-	-	-	57.4	100.0
2. असम	19.8	-6.9	17.4	2.7	11.4	-	-	-	-	-	57.7	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	49.8	8.0	76.2	22.1	29.4	-	-	-	-	-70.3	-15.3	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	11.5	27.9	20.5	17.1	36.3	14.5	-19.9	2.2	-	-10.1	-0.2	100.0
5. मणिपुर	88.8	-104.3	106.3	1.9	8.3	-	-35.9	3.9	4.4	-0.1	28.5	100.0
6. मेघालय	113.8	-18.6	60.5	29.1	56.4	-	31.8	19.3	-21.1	-14.9	-156.4	100.0
7. मिजोरम	36.7	-2.8	11.1	13.4	36.6	-0.2	3.3	0.6	2.3	-	1.5	100.0
8. नागालैंड	62.7	-5.0	3.8	7.8	-5.1	-	20.4	-	-	-	6.0	100.0
9. सिक्किम	69.4	-2.4	16.5	6.5	11.3	-	-	-	-	-1.9	0.7	100.0
10. त्रिपुरा	3.2	-5.9	37.3	6.1	16.2	0.9	1.9	11.8	-2.8	-6.6	37.8	100.0
11. उत्तराखंड	15.4	-0.4	30.9	7.1	-5.2	6.9	4.4	1.3	-	0.4	39.1	100.0
सभी राज्य	16.8	1.8	51.5	5.6	9.6	4.2	1.6	-	0.3	-2.8	11.6	100.0
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-456.7	-	-	-	-	-	-	-	556.8	100.0
2. पुदुचेरी	-	70.0	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	30.6	100.0

'-': नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 10: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत/ एनएसएस एफ	एलआइसी, नाबाई, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम राशि	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	3,920	664	3,296	1,099	707	178	-44	-	-	-1,175	-25	8,621
2. बिहार	1,338	-422	1,815	623	250	33	-269	-	-	-208	-	3,159
3. छत्तीसगढ़	91	171	855	277	24	123	30	6	-5	47	1,567	742
4. गोवा	270	39	389	9	30	-	16	-	-	-11	5,994	1,640
5. गुजरात	161	-138	5,799	-28	-	-275	-	-	-	805	-330	4,469
6. हरियाणा	496	-49	859	200	484	14	135	650	-	97	-1,246	6,305
7. झारखंड	318	-139	1,676	826	218	-	-162	1	-20	1,708	41	7,425
8. कर्नाटक	-465	1,527	421	470	1,013	-	-	-	-	-61	3,401	4,655
9. केरल	1,438	758	2,626	629	1,917	-4	135	-67	-41	-105	138	11,158
10. मध्य प्रदेश	1,776	655	1,979	694	92	-220	250	-	-55	-397	-118	1,025
11. महाराष्ट्र	1,268	402	7,906	846	863	1,908	1,187	-15	-	-300	-2,906	5,956
12. उड़ीसा	-333	1,488	-359	242	201	-3	-100	-6	-	-	84	5,322
13. पंजाब	2,023	257	2,228	-227	919	466	219	-5	-5	-236	318	7,801
14. राजस्थान	1,763	623	1,169	253	1,414	304	211	-	-	-56	-359	12,485
15. तमिलनाडु	2,607	1,133	3,511	310	543	63	226	-335	3	-304	43	11,484
16. उत्तर प्रदेश	4,287	-677	7,467	275	1,716	1,357	250	-1,500	-	-69	-621	
17. प.बंगाल	2,196	115	9,011	-15	346	44	-273	-	-	468	-408	
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	139	-56	-	71	53	-	6	-248	30	-69	215	140
2. असम	863	-84	433	159	445	-	-	-	-	-118	366	2,065
3. हिमाचल प्रदेश	521	89	874	101	350	-	-	-	-	-581	-	1,355
4. जम्मू और कश्मीर	207	403	596	300	590	165	-287	-	-	-85	148	2,037
5. मणिपुर	167	-238	233	4	23	-	-20	10	20	-5	-88	106
6. मेघालय	234	-14	42	23	55	-	14	8	-22	-	-239	83
7. मिजोरम	111	-5	18	5	110	-1	-	-	-	-	-83	114
8. नागालैंड	225	-20	16	25	-22	-	-100	-	-	-	91	235
9. सिक्किम	221	-6	6	24	14	-1	-	-	-	-6	-4	248
10. त्रिपुरा	75	-28	180	49	84	-	10	40	50	-	239	674
11. उत्तराखंड	391	35	632	143	-42	85	82	25	-	27	82	1,460
सभी राज्य	26,307	6,485	53,679	7,386	12,396	4,235	1,515	-1,437	-45	-973	-1,225	1,08,323
ज्ञापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-1,167	-	-	-	-	-	-	-	2,907	1,740
2. पुदुचेरी	-	260	-7	-	-	-	-	-	-	-	90	769

‘-’ : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित ‘आंतरिक ऋण की चुकौती’ के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे ‘अन्य’ में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 11: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2007-08 (ब.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / (एनएसएस एफ)	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	अन्य	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	45.5	7.7	38.2	12.8	8.2	2.1	-0.5	-	-	-13.6	-0.3	100.0
2. बिहार	42.3	-13.3	57.4	19.7	7.9	1.0	-8.5	-	-	-6.6	-	100.0
3. छत्तीसगढ़	5.8	10.9	54.6	17.7	1.5	7.9	1.9	0.4	-0.3	-3.4	3.0	100.0
4. गोवा	36.4	5.3	52.4	1.2	4.0	-	2.1	-	-	-	-1.5	100.0
5. गुजरात	2.7	-2.3	96.7	-0.5	-	-4.6	-	-	-	13	-5.5	100.0
6. हरियाणा	30.2	-3.0	52.4	12.2	29.5	0.8	8.2	39.6	-	5.9	-75.9	100.0
7. झारखंड	7.1	-3.1	37.5	18.5	4.9	-	-3.6	-	-0.4	38.2	0.9	100.0
8. कर्नाटक	-7.4	24.2	6.7	7.4	16.1	-	-	-	-	-1.0	53.9	100.0
9. केरल	19.4	10.2	35.4	8.5	25.8	-	1.8	-0.9	-0.5	-1.4	1.9	100.0
10. मध्य प्रदेश	38.1	14.1	42.5	14.9	2.0	-4.7	5.4	-	-1.2	-8.5	-2.5	100.0
11. महाराष्ट्र	11.4	3.6	70.9	7.6	7.7	17.1	10.6	-0.1	-	-2.7	-26.0	100.0
12. उड़ीसा	-32.5	145.2	-35.0	23.6	19.6	-0.3	-9.8	-0.6	-	-	8.2	100.0
13. पंजाब	34.0	4.3	37.4	-3.8	15.4	7.8	3.7	-0.1	-0.1	-4.0	5.3	100.0
14. राजस्थान	33.1	11.7	22.0	4.8	26.6	5.7	4.0	-	-	-1.0	-6.7	100.0
15. तमिलनाडु	33.4	14.5	45.0	4.0	7.0	0.8	2.9	-4.3	-	-3.9	0.6	100.0
16. उत्तर प्रदेश	34.3	-5.4	59.8	2.2	13.7	10.9	2.0	-12.0	-	-0.6	-5.0	100.0
17. प. बंगाल	19.1	1.0	78.5	-0.1	3.0	0.4	-2.4	-	-	4.1	-3.6	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	99.1	-40.0	-	50.4	37.5	-	4.0	-177.0	21.4	-49	153.6	100.0
2. असम	41.8	-4.0	21.0	7.7	21.6	-	-	-	-	-5.7	17.7	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	38.5	6.6	64.5	7.5	25.8	-	-	-	-	-42.9	-	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	10.2	19.8	29.3	14.7	29.0	8.1	-14.1	-	-	-4.2	7.3	100.0
5. मणिपुर	157.6	-224.6	219.8	4.1	21.8	-	-18.9	9.4	18.9	-4.7	-83.4	100.0
6. मेघालय	283.8	-17.3	51.1	27.5	66.5	-	16.5	9.1	-26.6	-	-289.3	100.0
7. मिजोरम	97.5	-4.4	16.2	4.7	96.8	-0.4	-	-	-	-	-73.3	100.0
8. नागालैंड	95.8	-8.4	7.0	10.6	-9.5	-	-42.5	-	-	-	38.7	100.0
9. सिक्किम	89.0	-2.3	2.4	9.6	5.7	-0.3	-	-	-	-2.5	-1.6	100.0
10. त्रिपुरा	11.1	-4.1	26.7	7.2	12.5	-	1.5	5.9	7.4	-	35.4	100.0
11. उत्तराखंड	26.8	2.4	43.3	9.8	-2.9	5.8	5.6	1.7	-	1.9	5.6	100.0
सभी राज्य	24.3	6.0	49.6	6.8	11.4	3.9	1.4	-1.3	-	-0.9	-1.1	100.0
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-67.1	-	-	-	-	-	-	-	167.1	100.0
2. पुदुचेरी	-	33.8	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	11.8	100.0

'-': नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 19 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित 'आंतरिक ऋण की चुकौती' के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे 'अन्य' में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 12: विकासात्मक व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संगोषित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(को.3/को.2)	(को.4/को.3)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	29,553	40,424	53,933	36.8	33.4
2. बिहार	12,988	19,291	20,168	48.5	4.5
3. छत्तीसगढ़	6,734	10,078	11,316	49.6	12.3
4. गोवा	1,938	2,319	2,411	19.7	4.0
5. गुजरात	21,569	25,299	25,159	17.3	-0.6
6. हरियाणा	9,436	13,494	13,997	43.0	3.7
7. झारखंड	9,708	11,803	11,498	21.6	-2.6
8. कर्नाटक	22,734	29,283	33,699	28.8	15.1
9. केरल	10,697	14,174	14,549	32.5	2.6
10. मध्य प्रदेश	19,189	19,271	21,158	0.4	9.8
11. महाराष्ट्र	43,408	48,487	48,813	11.7	0.7
12. उड़ीसा	7,648	10,361	11,929	35.5	15.1
13. पंजाब	8,765	12,850	14,502	46.6	12.9
14. राजस्थान	17,291	20,167	22,277	16.6	10.5
15. तमिलनाडु	22,042	30,743	33,670	39.5	9.5
16. उत्तर प्रदेश	32,446	43,896	56,351	35.3	28.4
17. प.बंगाल	17,247	20,759	22,860	20.4	10.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,601	2,033	1,879	27.0	-7.6
2. असम	7,502	13,236	12,883	76.4	-2.7
3. हिमाचल प्रदेश	4,424	4,902	5,303	10.8	8.2
4. जम्मू और कश्मीर	8,972	8,874	10,420	-1.1	17.4
5. मणिपुर	1,774	2,259	2,011	27.4	-11.0
6. मेघालय	1,305	1,841	2,529	41.1	37.4
7. मिजोरम	1,518	1,625	1,413	7.0	-13.1
8. नागालैंड	1,577	2,026	1,961	28.4	-3.2
9. सिक्किम	933	1,334	1,386	43.1	3.9
10. त्रिपुरा	1,926	2,244	2,340	16.5	4.3
11. उत्तराखंड	5,120	5,977	7,280	16.7	21.8
सभी राज्य	3,30,044	4,19,050	4,67,696	27.0	11.6
<i>नोट्स पर :</i>					
1. या.रा.क्षे. दिल्ली	7,639	8,490	12,440	11.1	46.5
2. पुदुचेरी	1,674	1,807	2,209	7.9	22.2

* इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।
टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संगोषित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 13: विकासेतर व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(कॉ. 3/कॉ. 2)	(कॉ. 4/कॉ. 3)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	13,555	16,035	19,032	18.3	18.7
2. बिहार	8,596	10,413	10,458	21.1	0.4
3. छत्तीसगढ़	2,214	3,109	3,797	40.4	22.1
4. गोवा	840	930	1,721	10.7	85.1
5. गुजरात	11,452	12,009	13,933	4.9	16.0
6. हरियाणा	4,743	5,023	5,423	5.9	8.0
7. झारखंड	3,423	3,608	4,596	5.4	27.4
8. कर्नाटक	10,270	12,599	12,213	22.7	-3.1
9. केरल	8,831	11,307	12,300	28.0	8.8
10. मध्य प्रदेश	7,714	8,915	10,153	15.6	13.9
11. महाराष्ट्र	21,861	26,959	30,242	23.3	12.2
12. उड़ीसा	6,913	8,123	8,489	17.5	4.5
13. पंजाब	10,620	12,579	13,714	18.4	9.0
14. राजस्थान	8,936	10,776	11,737	20.6	8.9
15. तमिलनाडु	13,032	15,605	16,830	19.7	7.8
16. उत्तर प्रदेश	21,235	24,919	27,133	17.3	8.9
17. प.बंगाल	16,377	18,054	19,018	10.2	5.3
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	507	619	595	22.1	-4.0
2. असम	4,214	6,457	6,080	53.2	-5.8
3. हिमाचल प्रदेश	2,870	3,174	3,377	10.6	6.4
4. जम्मू और कश्मीर	4,160	4,574	5,027	10.0	9.9
5. मणिपुर	907	958	858	5.7	-10.5
6. मेघालय	640	723	813	12.9	12.6
7. मिजोरम	555	680	660	22.5	-2.9
8. नागालैंड	1,002	1,115	1,339	11.3	20.1
9. सिक्किम	1,181	1,284	1,626	8.8	26.6
10. त्रिपुरा	1,159	1,360	1,936	17.4	42.4
11. उत्तराखंड	2,215	2,567	3,029	15.9	18.0
सभी राज्य	1,90,021	2,24,475	2,46,130	18.1	9.6
जाफ़ा भर :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	2,871	4,301	4,287	49.8	-0.3
2. पुद्दुचेरी	410	500	521	22.0	4.3

* इसमें राजस्व तथा पूंजी ख़ाता पर व्यय और राजगो द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के अंकिड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 14: योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(कॉ.3/कॉ.2)	(कॉ.4/कॉ.3)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	14,502	22,822	32,973	57.4	44.5
2. बिहार	4,084	9,532	10,200	133.4	7.0
3. छत्तीसगढ़	3,803	6,646	7,841	74.7	18.0
4. गोवा	997	1,206	1,303	20.9	8.0
5. गुजरात	11,113	14,004	14,409	26.0	2.9
6. हरियाणा	3,707	4,643	5,999	25.3	29.2
7. झारखंड	6,017	7,949	7,540	32.1	-5.1
8. कर्नाटक	11,131	16,458	17,256	47.9	4.9
9. केरल	4,293	5,593	5,372	30.3	-4.0
10. मध्य प्रदेश	7,950	11,034	13,118	38.8	18.9
11. महाराष्ट्र	12,980	18,123	20,777	39.6	14.6
12. उड़ीसा	3,094	4,751	5,994	53.6	26.2
13. पंजाब	2,274	4,627	6,027	103.5	30.3
14. राजस्थान	7,768	9,375	10,728	20.7	14.4
15. तमिलनाडु	9,505	14,625	16,522	53.9	13.0
16. उत्तर प्रदेश	15,195	23,240	30,777	52.9	32.4
17. प.बंगाल	6,765	8,802	10,953	30.1	24.4
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,163	1,447	1,346	24.4	-7.0
2. असम	3,239	6,608	6,527	104.0	-1.2
3. हिमाचल प्रदेश	2,013	2,209	2,238	9.7	1.3
4. जम्मू और कश्मीर	4,408	4,014	5,042	-8.9	25.6
5. मणिपुर	1,070	1,473	1,090	37.7	-26.0
6. मेघालय	758	1,277	1,938	68.6	51.7
7. मिजोरम	996	1,112	846	11.6	-23.9
8. नागालैंड	927	1,340	1,377	44.5	2.8
9. सिक्किम	640	1,046	1,095	63.5	4.6
10. त्रिपुरा	1,031	1,465	1,814	42.1	23.9
11. उत्तराखंड	3,171	3,353	4,788	5.8	42.8
सभी राज्य	1,44,594	2,08,774	2,45,888	44.4	17.8
ज्ञापन भर :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	4,298	5,269	9,089	22.6	72.5
2. पुरुचेरी	938	1,074	1,467	14.5	36.6

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के अंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 15: योजनांतर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(कॉ.3/कॉ.2)	(कॉ.4/कॉ.3)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	33,803	37,877	45,227	12.1	19.4
2. बिहार	18,485	21,364	22,057	15.6	3.2
3. छत्तीसगढ़	5,922	7,196	8,111	21.5	12.7
4. गोवा	1,852	2,123	2,936	14.6	38.3
5. गुजरात	23,122	24,812	27,322	7.3	10.1
6. हरियाणा	11,123	14,699	14,581	32.1	-0.8
7. झारखंड	7,400	7,777	8,861	5.1	13.9
8. कर्नाटक	23,842	27,869	31,859	16.9	14.3
9. केरल	16,822	23,162	25,364	37.7	9.5
10. मध्य प्रदेश	21,025	19,629	21,257	-6.6	8.3
11. महाराष्ट्र	55,696	60,135	61,861	8.0	2.9
12. उड़ीसा	12,653	15,671	17,517	23.9	11.8
13. पंजाब	18,179	22,244	23,945	22.4	7.6
14. राजस्थान	19,453	23,093	25,233	18.7	9.3
15. तमिलनाडु	29,239	38,627	39,473	32.1	2.2
16. उत्तर प्रदेश	44,644	50,374	58,634	12.8	16.4
17. प.बंगाल	33,822	34,391	35,796	1.7	4.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,274	1,391	1,352	9.2	-2.9
2. असम	8,849	13,812	13,365	56.1	-3.2
3. हिमाचल प्रदेश	6,573	6,887	7,256	4.8	5.4
4. जम्मू और कश्मीर	9,060	9,859	10,938	8.8	10.9
5. मणिपुर	1,673	2,020	2,076	20.7	2.8
6. मेघालय	1,250	1,366	1,509	9.3	10.5
7. मिजोरम	1,176	1,279	1,340	8.7	4.8
8. नागालैंड	1,882	1,959	2,117	4.1	8.0
9. सिक्किम	1,506	1,612	1,971	7.0	22.3
10. त्रिपुरा	2,271	2,277	2,632	0.3	15.6
11. उत्तराखंड	4,493	5,668	6,140	26.1	8.3
सभी राज्य	4,17,088	4,79,172	5,20,731	14.9	8.7
जाफ़ा नोट :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	6,843	15,717	9,472	129.7	-39.7
2. पुद्दुचेरी	1,235	1,333	1,377	7.9	3.3

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 16: योजनांतर विकासेतर व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(कॉ.3/कॉ.2)	(कॉ.4/कॉ.3)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	13,447	15,806	17,884	17.5	13.1
2. बिहार	8,534	9,804	9,682	14.9	-1.2
3. छत्तीसगढ़	2,182	3,012	3,691	38.0	22.6
4. गोवा	739	826	1,612	11.8	95.1
5. गुजरात	11,300	11,748	13,582	4.0	15.6
6. हरियाणा	4,622	4,896	5,287	5.9	8.0
7. झारखंड	2,872	3,020	4,349	5.2	44.0
8. कर्नाटक	10,040	12,109	11,735	20.6	-3.1
9. केरल	8,588	11,099	12,032	29.2	8.4
10. मध्य प्रदेश	7,597	8,781	10,056	15.6	14.5
11. महाराष्ट्र	21,739	26,497	29,605	21.9	11.7
12. उड़ीसा	6,896	8,082	8,402	17.2	4.0
13. पंजाब	10,583	12,488	13,572	18.0	8.7
14. राजस्थान	8,807	10,605	11,655	20.4	9.9
15. तमिलनाडु	12,854	15,439	16,570	20.1	7.3
16. उत्तर प्रदेश	20,932	24,354	26,638	16.3	9.4
17. प.बंगाल	16,310	17,905	18,793	9.8	5.0
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	474	578	568	22.0	-1.8
2. असम	4,004	5,990	5,435	49.6	-9.3
3. हिमाचल प्रदेश	2,802	3,093	3,308	10.4	6.9
4. जम्मू और कश्मीर	3,724	4,137	4,497	11.1	8.7
5. मणिपुर	717	826	846	15.1	2.5
6. मेघालय	606	659	734	8.7	11.5
7. मिजोरम	523	648	635	23.7	-2.0
8. नागालैंड	932	1,036	1,113	11.2	7.4
9. सिक्किम	1,156	1,248	1,573	7.9	26.0
10. त्रिपुरा	1,082	1,236	1,426	14.3	15.4
11. उत्तराखंड	2,083	2,479	2,876	19.0	16.0
सभी राज्य	1,86,145	2,18,399	2,38,156	17.3	9.0
<i>नोट्स:</i>					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली					
2. पुडुचेरी					

* इसमें राजस्व तथा पूंजी खता पर व्यय और राज्यों द्वारा लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।
टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आकड़े संशोधित अनुमानों से संशोधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 17: ब्याज भुगतान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)			2006-07 (संशोधित अनुमान)		2007-08 (बजट अनुमान)		अंतर (प्रतिशत)					
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	कॉ. 4	कॉ. 2	कॉ. 5	कॉ. 3	कॉ. 6	कॉ. 4	कॉ. 7
							कॉ. 1	सकल	निवल*	सकल	निवल*		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10			11
I. गैर-विशेष श्रेणी													
1. आंध्र प्रदेश	7,008	4,969	7,983	5,172	8,629	5,008	13.9	4.1	8.1	-3.2			
2. बिहार	3,649	3,433	3,845	3,792	3,909	3,851	5.4	10.5	1.7	1.5			
3. छत्तीसगढ़	962	864	1,066	921	1,199	1,072	10.9	6.6	12.4	16.4			
4. गोवा	400	388	432	424	497	486	7.9	9.4	15.1	14.5			
5. गुजरात	6,143	6,012	6,988	6,778	7,745	7,559	13.7	12.7	10.8	11.5			
6. हरियाणा	2,100	1,657	2,278	1,762	2,501	1,909	8.5	6.3	9.8	8.3			
7. झारखंड	720	630	777	718	1,802	1,740	8.0	13.9	131.8	142.3			
8. कर्नाटक	3,765	3,482	4,232	4,053	4,818	4,630	12.4	16.4	13.8	14.2			
9. केरल	3,799	3,753	4,433	4,388	4,778	4,733	16.7	16.9	7.8	7.9			
10. मध्य प्रदेश	3,422	2,895	3,909	3,818	4,253	4,213	14.2	31.9	8.8	10.3			
11. महाराष्ट्र	9,347	7,610	11,769	10,717	12,114	11,087	25.9	40.8	2.9	3.5			
12. उड़ीसा	3,697	3,399	3,272	3,096	4,049	3,979	-11.5	-8.9	23.8	28.5			
13. पंजाब	3,715	3,071	4,288	3,554	4,356	3,525	15.4	15.7	1.6	-0.8			
14. राजस्थान	5,210	4,220	5,714	4,703	6,126	5,176	9.7	11.4	7.2	10.1			
15. तमिलनाडु	4,559	3,761	5,493	4,617	5,546	4,704	20.5	22.7	1.0	1.9			
16. उत्तर प्रदेश	9,098	8,640	10,614	9,962	11,061	9,397	16.7	15.3	4.2	-5.7			
17. प.बंगाल	9,753	9,375	10,878	10,463	11,485	11,028	11.5	11.6	5.6	5.4			
II. विशेष श्रेणी													
1. अरुणाचल प्रदेश	156	149	212	202	208	203	35.8	35.4	-2.2	0.4			
2. असम	1,510	1,474	2,138	1,981	1,862	1,734	41.6	34.4	-12.9	-12.5			
3. हिमाचल प्रदेश	1,563	1,513	1,664	1,651	1,772	1,760	6.5	9.1	6.5	6.6			
4. जम्मू और कश्मीर	1,300	1,284	1,201	1,183	1,251	1,232	-7.6	-7.9	4.2	4.2			
5. मणिपुर	238	231	275	266	294	285	15.6	14.8	7.2	7.3			
6. मेघालय	191	184	213	208	225	219	11.5	12.7	5.8	5.5			
7. मिजोरम	185	178	227	221	214	208	22.8	24.2	-5.6	-5.9			
8. नागालैंड	254	248	273	269	309	306	7.4	8.3	13.4	13.8			
9. सिक्किम	103	96	116	112	129	126	13.5	16.8	10.9	12.2			
10. त्रिपुरा	371	354	400	380	389	369	7.9	7.3	-2.6	-2.8			
11. उत्तराखंड	808	773	1,012	992	1,150	1,129	25.4	28.3	13.6	13.8			
सभी राज्य	84,024	74,644	95,704	86,402	1,02,675	91,667	13.9	15.8	7.3	6.1			
नोट्स :													
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	1,673	419	2,210	946	2,669	1,089	32.1	126.0	20.7	15.1			
2. पुद्दुचेरी	171	169	187	182	203	200	9.3	7.9	8.2	9.7			

* निवल ब्याज भुगतान के आंकड़े सकल ब्याज भुगतान से ब्याज प्राप्तियां घटाने के बाद के आंकड़े दर्शाता है।

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 18: कर राजस्व *

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	कर राजस्व / सभी राज्यों का कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. अंध्र प्रदेश	26,158	33,611	40,590	8.5	9.0	9.4
2. बिहार	13,982	17,049	20,001	4.6	4.6	4.6
3. छत्तीसगढ़	6,560	8,346	9,343	2.1	2.2	2.2
4. गोवा	1,341	1,480	1,557	0.4	0.4	0.4
5. गुजरात	19,071	22,497	25,155	6.2	6.0	5.8
6. हरियाणा	10,280	11,770	13,594	3.4	3.2	3.2
7. झारखंड	5,122	6,946	8,345	1.7	1.9	1.9
8. कर्नाटक	22,845	28,898	32,991	7.5	7.8	7.7
9. केरल	12,297	15,198	17,591	4.0	4.1	4.1
10. मध्य प्रदेश	15,456	17,790	20,102	5.0	4.8	4.7
11. महाराष्ट्र	38,522	46,347	53,002	12.6	12.4	12.3
12. उड़ीसा	9,879	11,965	13,406	3.2	3.2	3.1
13. पंजाब	10,217	11,332	12,729	3.3	3.0	3.0
14. राजस्थान	15,180	18,075	20,914	5.0	4.8	4.9
15. तमिलनाडु	28,339	34,436	38,555	9.3	9.2	9.0
16. उत्तर प्रदेश	37,061	46,262	55,281	12.1	12.4	12.8
17. प.बंगाल	17,057	21,040	24,321	5.6	5.6	5.7
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	334	417	490	0.1	0.1	0.1
2. असम	6,289	7,241	8,268	2.1	1.9	1.9
3. हिमाचल प्रदेश	1,990	2,110	2,603	0.6	0.6	0.6
4. जम्मू और कश्मीर	2,853	3,391	3,670	0.9	0.9	0.9
5. मणिपुर	437	522	644	0.1	0.1	0.1
6. मेघालय	603	690	861	0.2	0.2	0.2
7. मिजोरम	281	335	409	0.1	0.1	0.1
8. नागालैंड	354	418	471	0.1	0.1	0.1
9. सिक्किम	329	339	406	0.1	0.1	0.1
10. त्रिपुरा	700	833	929	0.2	0.2	0.2
11. उत्तराखंड	2,795	3,482	3,991	0.9	0.9	0.9
सभी राज्य	3,06,332	3,72,817	4,30,222	100.0	100.0	100.0
शेष मर :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	8,939	10,076	12,125	-	-	-
2. पुद्दुचेरी	479	537	586	-	-	-

पू : नगण्य/शून्य
* : उसी क्षेत्र के राजस्व के अंश और कर राजस्व शामिल हैं।
टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 19: राज्यों के अपने कर राजस्व

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				(राशि करोड़ रुपए में)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	19,207	25,256	31,399	31.5	24.3
2. बिहार	3,561	4,523	4,970	27.0	9.9
3. छत्तीसगढ़	4,052	5,332	6,028	31.6	13.1
4. गोवा	1,096	1,186	1,233	8.1	4.0
5. गुजरात	15,698	18,494	20,868	17.8	12.8
6. हरियाणा	9,079	10,549	12,251	16.2	16.1
7. झारखंड	2,888	3,128	3,550	8.3	13.5
8. कर्नाटक	18,632	23,888	26,691	28.2	11.7
9. केरल	9,779	11,998	13,790	22.7	14.9
10. मध्य प्रदेश	9,115	10,168	11,717	11.6	15.2
11. महाराष्ट्र	33,540	40,324	45,874	20.2	13.8
12. उड़ीसा	5,002	5,753	6,616	15.0	15.0
13. पंजाब	8,989	9,758	10,876	8.5	11.5
14. राजस्थान	9,880	11,314	12,913	14.5	14.1
15. तमिलनाडु	23,326	28,046	30,988	20.2	10.5
16. उत्तर प्रदेश	18,858	24,381	27,802	29.3	14.0
17. प.बंगाल	10,388	12,535	14,255	20.7	13.7
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	62	70	79	13.1	13.8
2. असम	3,232	3,566	4,042	10.3	13.4
3. हिमाचल प्रदेश	1,497	1,517	1,951	1.3	28.6
4. जम्मू और कश्मीर	1,689	1,903	2,199	12.6	15.6
5. मणिपुर	95	111	127	16.8	14.9
6. मेघालय	253	268	332	6.2	23.7
7. मिजोरम	55	63	68	14.7	7.9
8. नागालैंड	106	119	128	12.7	7.8
9. सिक्किम	147	130	145	-11.7	11.4
10. त्रिपुरा	296	353	401	19.3	13.5
11. उत्तराखंड	1,785	2,350	2,745	31.7	16.8
सभी राज्य	2,12,307	2,57,080	2,94,038	21.1	14.4
शेष मद :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	8,939	10,076	12,125	12.7	20.3
2. पुद्दुचेरी	479	537	586	12.0	9.1

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 20: केरल राजस्व*

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	केरल राजस्व/सभी राज्यों का केरल राजस्व (प्रतिशत)		
				2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
				5	6	7
1	2	3	4			
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. अंध्र प्रदेश	8,693	11,535	14,360	7.0	7.3	8.1
2. बिहार	3,855	5,712	7,440	3.1	3.6	4.2
3. छत्तीसगढ़	2,279	3,580	4,124	1.8	2.3	2.3
4. गोवा	828	1,054	1,825	0.7	0.7	1.0
5. गुजरात	5,996	7,963	7,809	4.8	5.0	4.4
6. हरियाणा	3,574	4,148	4,323	2.9	2.6	2.4
7. झारखंड	3,081	3,198	3,267	2.5	2.0	1.9
8. कर्नाटक	7,507	9,098	7,771	6.0	5.7	4.4
9. केरल	2,998	3,769	3,854	2.4	2.4	2.2
10. मध्य प्रदेश	5,141	7,070	7,894	4.1	4.5	4.5
11. महाराष्ट्र	9,916	13,920	15,297	8.0	8.8	8.7
12. उड़ीसा	4,206	5,683	6,061	3.4	3.6	3.4
13. पंजाब	6,750	8,543	10,020	5.4	5.4	5.7
14. राजस्थान	5,659	7,359	7,685	4.5	4.6	4.4
15. तमिलनाडु	5,621	6,025	5,977	4.5	3.8	3.4
16. उत्तर प्रदेश	8,288	13,768	18,736	6.6	8.7	10.6
17. प.बंगाल	6,669	6,001	6,336	5.3	3.8	3.6
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	1,515	1,976	1,841	1.2	1.2	1.0
2. असम	5,756	8,777	8,720	4.6	5.5	4.9
3. हिमाचल प्रदेश	4,568	4,836	4,702	3.7	3.0	2.7
4. जम्मू और कश्मीर	8,687	8,590	9,735	7.0	5.4	5.5
5. मणिपुर	1,972	2,466	2,118	1.6	1.6	1.2
6. मेघालय	1,144	1,768	2,381	0.9	1.1	1.3
7. मिजोरम	1,373	1,659	1,527	1.1	1.0	0.9
8. नागालैंड	1,913	2,325	2,589	1.5	1.5	1.5
9. सिक्किम	1,635	2,078	2,358	1.3	1.3	1.3
10. त्रिपुरा	2,324	2,348	2,734	1.9	1.5	1.5
11. उत्तराखंड	2,743	3,361	5,026	2.2	2.1	2.8
सभी राज्य	1,24,690	1,58,612	1,76,511	100.0	100.0	100.0
ज्ञापन भर :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	1,904	2,231	3,157	-	-	-
2. पुद्दुचेरी	1,322	1,265	1,374	-	-	-

— : लागू नहीं।
* : इसमें केंद्र से प्राप्त अनुदान और राज्यों के केरल राजस्व शामिल हैं।
टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के अंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 21: राज्यों के अपने केनेटर राजस्व

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)	
				कॉ.3/कॉ.2	कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. अंध प्रदेश	4,691	5,510	6,858	17.4	24.5
2. बिहार	522	342	396	-34.4	15.7
3. छत्तीसगढ़	1,230	1,420	1,744	15.5	22.8
4. गोवा	761	915	1,617	20.2	76.8
5. गुजरात	3,353	4,018	3,880	19.8	-3.4
6. हरियाणा	2,459	2,988	2,925	21.6	-2.1
7. झारखंड	1,391	1,434	1,599	3.1	11.6
8. कर्नाटक	3,875	4,297	1,857	10.9	-56.8
9. केरल	937	1,046	1,133	11.7	8.3
10. मध्य प्रदेश	2,208	2,334	2,427	5.7	4.0
11. महाराष्ट्र	5,935	5,322	5,748	-10.3	8.0
12. उड़ीसा	1,532	1,853	1,581	21.0	-14.7
13. पंजाब	4,536	5,878	6,620	29.6	12.6
14. राजस्थान	2,738	3,184	3,384	16.3	6.3
15. तमिलनाडु	2,601	2,901	2,846	11.5	-1.9
16. उत्तर प्रदेश	2,930	5,410	6,824	84.6	26.1
17. प.बंगाल	1,019	1,207	1,298	18.5	7.5
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	202	208	176	2.8	-15.3
2. असम	1,459	1,616	1,694	10.8	4.8
3. हिमाचल प्रदेश	690	882	803	27.8	-8.9
4. जम्मू और कश्मीर	727	604	913	-16.9	51.1
5. मणिपुर	76	165	146	115.8	-11.3
6. मेघालय	146	173	180	18.6	4.2
7. मिजोरम	120	120	98	-0.3	-18.2
8. नागालैंड	97	84	97	-12.8	14.9
9. सिक्किम	990	1,046	1,383	5.6	32.3
10. त्रिपुरा	64	71	79	11.7	11.2
11. उत्तराखंड	650	629	883	-3.3	40.5
सभी राज्य	47,939	55,657	59,191	16.1	6.3
नोट्स :					
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	1,399	1,378	1,699	-1.5	23.3
2. पुद्दुचेरी	511	525	559	2.7	6.5

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 22: केंद्रीय करो में राज्यों के अंश

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)		
				कॉ.3/कॉ.2		कॉ.4/कॉ.3
1	2	3	4	5	6	
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	6,951	8,355	9,191	20.2	10.0	
2. बिहार	10,421	12,526	15,031	20.2	20.0	
3. छत्तीसगढ़	2,508	3,015	3,315	20.2	10.0	
4. गोवा	245	294	324	20.3	10.0	
5. गुजरात	3,373	4,003	4,287	18.7	7.1	
6. हरियाणा	1,201	1,221	1,343	1.7	10.0	
7. झारखंड	2,233	3,818	4,795	71.0	25.6	
8. कर्नाटक	4,213	5,010	6,300	18.9	25.8	
9. केरल	2,518	3,200	3,801	27.1	18.8	
10. मध्य प्रदेश	6,341	7,623	8,385	20.2	10.0	
11. महाराष्ट्र	4,982	6,023	7,128	20.9	18.3	
12. उड़ीसा	4,877	6,213	6,791	27.4	9.3	
13. पंजाब	1,227	1,574	1,853	28.2	17.7	
14. राजस्थान	5,300	6,760	8,001	27.6	18.4	
15. तमिलनाडु	5,013	6,390	7,567	27.5	18.4	
16. उत्तर प्रदेश	18,203	21,881	27,479	20.2	25.6	
17. प.बंगाल	6,668	8,505	10,067	27.5	18.4	
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	273	347	411	27.4	18.4	
2. असम	3,057	3,675	4,226	20.2	15.0	
3. हिमाचल प्रदेश	493	593	652	20.2	10.0	
4. जम्मू और कश्मीर	1,164	1,488	1,471	27.9	-1.1	
5. मणिपुर	342	411	517	20.2	25.6	
6. मेघालय	351	421	529	20.2	25.6	
7. मिजोरम	226	271	341	20.2	25.6	
8. नागालैंड	249	299	343	20.2	14.7	
9. सिक्किम	182	209	262	14.6	25.4	
10. त्रिपुरा	404	480	528	18.7	10.0	
11. उत्तराखंड	1,010	1,132	1,245	12.1	10.0	
सभी राज्य	94,024	1,15,737	1,36,184	23.1	17.7	

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 23: केंद्र से अनुदान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर (प्रतिशत)		
				को.3/को.2		को.4/को.3
				5	6	
I. गैर-विशेष श्रेणी	2	3	4	5	6	
1. अंध प्रदेश	4,002	6,025	7,502	50.6	24.5	
2. बिहार	3,333	5,369	7,044	61.1	31.2	
3. छत्तीसगढ़	1,049	2,160	2,380	105.9	10.1	
4. गोवा	67	139	208	108.9	49.5	
5. गुजरात	2,643	3,945	3,929	49.3	-0.4	
6. हरियाणा	1,115	1,160	1,398	4.0	20.5	
7. झारखंड	1,691	1,765	1,667	4.4	-5.5	
8. कर्नाटक	3,632	4,801	5,914	32.2	23.2	
9. केरल	2,061	2,723	2,721	32.1	-0.1	
10. मध्य प्रदेश	2,933	4,736	5,467	61.5	15.5	
11. महाराष्ट्र	3,981	8,598	9,549	116.0	11.1	
12. उड़ीसा	2,674	3,830	4,480	43.2	17.0	
13. पंजाब	2,213	2,666	3,400	20.4	27.6	
14. राजस्थान	2,921	4,175	4,301	42.9	3.0	
15. तमिलनाडु	3,020	3,124	3,131	3.4	0.2	
16. उत्तर प्रदेश	5,358	8,358	11,912	56.0	42.5	
17. प.बंगाल	5,650	4,794	5,038	-15.2	5.1	
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	1,313	1,768	1,665	34.6	-5.8	
2. असम	4,297	7,161	7,026	66.6	-1.9	
3. हिमाचल प्रदेश	3,879	3,955	3,899	2.0	-1.4	
4. जम्मू और कश्मीर	7,960	7,985	8,822	0.3	10.5	
5. मणिपुर	1,895	2,302	1,972	21.4	-14.3	
6. मेघालय	998	1,595	2,200	59.9	38.0	
7. मिजोरम	1,253	1,539	1,429	22.9	-7.1	
8. नागालैंड	1,816	2,241	2,492	23.4	11.2	
9. सिक्किम	645	1,032	975	60.1	-5.6	
10. त्रिपुरा	2,260	2,277	2,655	0.8	16.6	
11. उत्तराखंड	2,092	2,732	4,143	30.6	51.6	
सभी राज्य	76,750	1,02,955	1,17,320	34.1	14.0	
ज्ञापन मंत्र :						
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	505	853	1,458	68.8	70.9	
2. पुद्दुचेरी	811	740	815	-8.8	10.0	

टिप्पणी : झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 24: केंद्र से ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		अंतर (प्रतिशत)				
	(लेखा)		(संशोधित अनुमान)		(बजट अनुमान)		कॉ. 4/कॉ. 2	कॉ. 5/कॉ. 3	कॉ. 6/कॉ. 4	कॉ. 7/कॉ. 5	
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. गैर-विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	513	-61	1,127	343	1,478	664	119.7	-663.2	31.2	93.2	
2. बिहार	2	-443	4	-467	7	-422	112.7	5.4	75.8	-9.7	
3. छत्तीसगढ़	56	-108	188	175	279	171	234.9	-261.7	48.1	-2.6	
4. गोवा	2	-23	145	117	75	39	6,129.1	-610.0	-48.1	-66.3	
5. गुजरात	1,357	770	756	209	421	-138	-44.3	-72.9	-44.3	-166.2	
6. हरियाणा	40	-60	53	-48	53	-49	32.8	-19.8	-1.5	0.7	
7. झारखंड	-	-135	-	-137	-	-139	-	1.4	-	1.2	
8. कर्नाटक	1,027	609	1,188	754	1,991	1,527	15.7	23.8	67.6	102.5	
9. केरल	603	7	1,334	733	1,383	758	121.1	11,057.5	3.7	3.4	
10. मध्य प्रदेश	294	-96	434	7	1,097	655	47.7	-107.2	152.9	9,300.5	
11. महाराष्ट्र	490	-35	630	304	819	402	28.5	-960.8	30.0	32.3	
12. उड़ीसा	-10	-533	923	490	1,923	1,488	-9,049.2	-192.1	108.5	203.5	
13. पंजाब	24	-136	21	-190	468	257	-13.4	39.7	2,149.1	-235.3	
14. राजस्थान	636	273	514	141	1,006	623	-19.2	-48.2	95.8	341.5	
15. तमिलनाडु	442	140	692	387	1,451	1,133	56.7	177.3	109.5	192.9	
16. उत्तर प्रदेश	1,217	35	503	-688	513	-677	-58.7	-2,065.0	2.0	-1.5	
17. प. बंगाल	584	-239	780	-95	1,048	115	33.5	-60.1	34.5	-220.6	
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	203	-11	84	51	1	-56	-58.7	-549.6	-99.3	-209.2	
2. असम	55	-45	108	-252	148	-84	93.9	454.8	38.0	-66.8	
3. हिमाचल प्रदेश	28	-28	144	89	144	89	413.7	-413.8	-0.3	-0.2	
4. जम्मू और कश्मीर	394	206	521	408	516	403	32.1	97.9	-0.9	-1.2	
5. मणिपुर	5	-38	7	-238	6	-238	32.6	521.1	-7.5	0.2	
6. मेघालय	3	-15	6	-16	7	-14	74.1	8.3	20.3	-10.3	
7. मिजोरम	10	-9	11	-8	13	-5	12.2	-9.0	20.0	-37.8	
8. नागालैंड	105	-13	-	-20	-	-20	-100.0	46.4	-	0.7	
9. सिक्किम	5	-6	8	-5	8	-6	39.5	-19.8	4.7	16.8	
10. त्रिपुरा	4	-23	-	-28	-	-28	-100.0	19.9	-	0.2	
11. उत्तराखंड	8	-23	20	-8	64	35	158.1	-65.8	217.7	-550.1	
सभी राज्य	8,097	-44	10,197	2,010	14,918	6,485	25.9	-4,670.8	46.3	222.6	
जाफन नोट :											
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-165	-	-	-	-	-	-100.0	-	-	
2. पुदुचेरी	353	268	443	350	362	260	25.5	30.4	-18.3	-25.6	

* : निवल ऋण केंद्र को ऋण चुकौती को घटाकर केंद्र से प्राप्त सकल ऋण का शेषांक है।
टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 25: केंद्र के संसाधनों का सकल और निवल न्यागमन तथा अंतरण (राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)		2006-07 (संशोधित अनुमान)		2007-08 (बजट अनुमान)		अंतर (प्रतिशत)				
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	कॉ. 4/कॉ. 2	कॉ. 5/कॉ. 3	कॉ. 6/कॉ. 4	कॉ. 7/कॉ. 5	
							सकल	निवल*	सकल	निवल*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. गैर-विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	11,465	9,452	15,507	13,070	18,171	16,056	35.2	38.3	17.2	22.8	
2. बिहार	13,755	12,286	17,899	16,696	22,082	21,012	30.1	35.9	23.4	25.9	
3. छत्तीसगढ़	3,613	3,249	5,363	5,175	5,974	5,692	48.4	59.3	11.4	10.0	
4. गोवा	314	231	578	487	607	519	84.3	111.2	4.9	6.4	
5. गुजरात	7,372	5,845	8,704	7,244	8,638	7,119	18.1	23.9	-0.8	-1.7	
6. हरियाणा	2,356	2,056	2,434	2,159	2,794	2,521	3.3	5.0	14.8	16.8	
7. झारखंड	3,924	3,467	5,583	5,125	6,463	6,000	42.3	47.8	15.8	17.1	
8. कर्नाटक	8,872	7,740	10,999	9,823	14,205	12,927	24.0	26.9	29.1	31.6	
9. केरल	5,182	4,173	7,257	6,214	7,906	6,768	40.0	48.9	8.9	8.9	
10. मध्य प्रदेश	9,568	8,478	12,792	11,654	14,949	13,772	33.7	37.5	16.9	18.2	
11. महाराष्ट्र	9,453	8,072	15,251	14,374	17,496	16,385	61.3	78.1	14.7	14.0	
12. उड़ीसा	7,540	6,271	10,965	9,827	13,194	11,581	45.4	56.7	20.3	17.8	
13. पंजाब	3,465	3,004	4,260	4,001	5,721	5,464	23.0	33.2	34.3	36.6	
14. राजस्थान	8,857	7,868	11,449	10,445	13,308	12,279	29.3	32.7	16.2	17.6	
15. तमिलनाडु	8,475	7,747	10,206	9,275	12,149	11,292	20.4	19.7	19.0	21.7	
16. उत्तर प्रदेश	24,778	21,667	30,741	27,705	39,904	36,997	24.1	27.9	29.8	33.5	
17. प. बंगाल	12,903	10,474	14,078	11,394	16,153	13,503	9.1	8.8	14.7	18.5	
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	1,789	1,574	2,199	2,166	2,076	2,020	22.9	37.6	-5.6	-6.8	
2. असम	7,409	7,129	10,943	9,974	11,401	10,847	47.7	39.9	4.2	8.8	
3. हिमाचल प्रदेश	4,400	4,269	4,692	4,551	4,695	4,558	6.6	6.6	0.1	0.2	
4. जम्मू और कश्मीर	9,518	9,330	9,995	9,882	10,809	10,696	5.0	5.9	8.1	8.2	
5. मणिपुर	2,243	2,074	2,719	2,357	2,495	2,153	21.3	13.6	-8.3	-8.6	
6. मेघालय	1,351	1,289	2,022	1,950	2,736	2,674	49.6	51.2	35.3	37.1	
7. मिजोरम	1,488	1,425	1,822	1,759	1,783	1,733	22.4	23.4	-2.1	-1.4	
8. नागालैंड	2,170	2,008	2,540	2,484	2,835	2,782	17.0	23.7	11.6	12.0	
9. सिक्किम	832	784	1,249	1,196	1,245	1,207	50.0	52.6	-0.3	0.9	
10. त्रिपुरा	2,668	2,582	2,757	2,713	3,183	3,131	3.3	5.0	15.4	15.4	
11. उत्तराखंड	3,110	3,037	3,885	3,819	5,452	5,386	24.9	25.7	40.3	41.0	
सभी राज्य	1,78,871	1,57,581	2,28,889	2,07,519	2,68,422	2,47,075	28.0	31.7	17.3	19.1	
शेष मद :											
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	505	-1,333	853	-1,357	1,458	-1,211	68.8	1.8	70.9	-10.8	
2. पुद्दुचेरी	1,165	908	1,184	904	1,177	872	1.6	-0.5	-0.6	-3.5	

* : निवल न्यागमन तथा अंतरण केंद्र को ऋण की चुकौती और केंद्र से प्राप्त ऋण पर व्याज का भुगतान घटाकर सकल न्यागमन तथा अंतरण है।
टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन
(मार्च 2004 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	रा. वि. ऋण	पॉवर बॉंड	क्षतिपूर्ति बॉंड	एनएस- एसएफ	भारिवे से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं से ऋण	आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	17,090	2,436	-	10,109	-	472	143	1,449	-	10	3,581	5,654	35,289	18,628	14,888	1,224	5,306	26	75,361
2. बिहार	8,904	1,594	24	7,797	-9	14	4	65	-	42	11	135	18,444	10,302	7,997	460	2,446	350	39,999
3. छत्तीसगढ़	2,623	483	-	1,654	-	20	11	336	57	1	-	425	5,185	2,822	1,511	491	775	40	10,825
4. गोवा	843	-	-	975	66	33	-	33	-	1	98	164	2,047	944	485	53	327	29	3,885
5. गुजरात	10,849	1,629	2	20,945	42	186	16	-6	-	80	1,409	1,686	35,153	14,273	3,641	1,412	7,721	107	62,307
6. हरियाणा	3,825	2,022	-	5,319	-	32	22	418	304	78	53	907	12,074	3,720	4,953	559	1,134	10	22,450
7. झारखंड	2,896	-	8	3,173	9	5	2	3	-	5	2	16	6,102	3,106	261	206	340	22	10,036
8. कर्नाटक	9,645	551	-	8,119	-	782	89	532	-	56	-	1,460	19,776	10,885	5,885	-	3,375	39	39,959
9. केरल	8,221	1,158	1	4,174	565	1,944	248	479	-	275	267	3,214	17,334	5,629	14,403	199	1,578	8	39,151
10. मध्य प्रदेश	7,692	2,664	-	6,658	267	44	23	1,268	-	59	65	1,459	18,739	9,221	6,861	882	2,225	39	37,967
11. महाराष्ट्र	13,659	1,019	-	30,612	-	2,354	-5	1,050	2	684	2,071	6,156	51,445	16,476	7,689	18,180	12,945	102	1,06,838
12. उड़ीसा	8,681	1,103	-	3,045	-	31	55	585	-	12	869	1,552	14,381	9,190	7,822	413	1,996	48	33,850
13. पंजाब	6,059	637	-	11,152	455	150	2	681	5,121	11	668	6,634	24,937	9,377	6,767	679	1,033	25	42,819
14. राजस्थान	12,282	369	-	13,790	-	103	95	954	-	35	654	1,841	28,282	9,881	10,516	581	3,814	35	53,109
15. तमिलनाडु	11,889	1,962	1	9,609	596	944	144	1,338	-	1,497	3,496	7,419	31,477	9,420	6,932	683	3,098	150	51,759
16. उत्तर प्रदेश	23,123	5,872	40	21,515	-31	4	86	768	1,156	7	6,075	8,095	58,613	28,038	13,534	13,850	10,952	-924	1,24,063
17. प.बंगाल	14,714	1,964	2	30,918	831	43	21	50	-	123	8,781	9,017	57,445	19,329	4,505	493	7,682	18	89,472
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	262	24	-	87	-	1	-	116	-	-	112	229	602	468	444	84	138	-	1,736
2. असम	4,497	858	-	3,099	298	4	25	194	-	19	188	430	9,180	3,454	2,498	679	-173	50	15,688
3. हिमाचल प्रदेश	2,839	70	-	1,413	118	745	3	302	-	14	3,433	4,497	8,938	1,848	2,720	225	642	5	14,379
4. जम्मू और कश्मीर	2,279	1,591	-	1,524	-	420	14	353	1,547	-	354	2,688	8,083	2,792	2,870	770	213	-	14,728
5. मणिपुर	529	157	-	93	105	8	-	-	-	22	101	132	1,016	824	539	14	144	-	2,537
6. मेघालय	700	14	-	143	-	2	1	63	-	9	126	202	1,059	390	413	32	224	6	2,123
7. मिजोरम	422	46	-	73	27	237	-	41	-	5	104	387	955	359	602	16	675	-	2,606
8. नागालैंड	1,098	79	-	52	5	49	2	35	-	17	235	337	1,571	428	478	-2	-86	-	2,389
9. सिक्किम	296	48	-	62	-	55	2	32	-	-	17	105	510	235	267	6	-10	1	1,010
10. त्रिपुरा	792	64	-	563	-	284	1	8	-	1	66	358	1,777	621	1,662	-12	-1	10	4,057
11. उत्तराखंड	3,208	572	2	1,781	31	1	5	139	36	9	573	764	6,358	322	900	40	603	50	8,273
सभी राज्य	1,79,917	28,984	81	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,221	3,071	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,32,043	42,217	69,116	246	9,13,376
जापन मद:																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	11,938	-	-	-	-	-	-	-	-	11,938	2,211	-	-	-	-	14,149
2. पुदुचेरी	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	380	930	-	-	-	1	1,310

(जारी)

भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन (जारी)
(मार्च 2005 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	रा. वि. ऋण	पॉवर बॉंड	क्षतिपूर्ति बॉंड	एनएस- एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं से ऋण	आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	19,965	2,436	-	14,981	-	2,289	158	854	-	75	4,376	7,752	45,134	16,131	20,111	1,571	7,403	50	90,399
2. बिहार	10,463	1,594	24	10,097	-9	14	3	120	-	41	38	216	22,385	9,103	8,401	537	2,407	350	43,183
3. छत्तीसगढ़	2,788	483	-	2,550	-	20	11	486	-	60	1	578	6,400	2,383	1,569	751	990	40	12,133
4. गोवा	961	-	-	1,428	-	31	-	28	-	1	98	159	2,547	907	527	80	327	30	4,417
5. गुजरात	12,660	1,629	2	29,733	-	0	4	-8	142	48	1,333	1,520	45,544	11,470	3,872	1,670	8,586	193	71,334
6. हरियाणा	4,755	2,022	-	7,448	-	29	20	527	6	81	96	758	14,984	2,302	5,238	686	1,680	10	24,900
7. झारखंड	3,311	899	8	4,766	9	5	2	3	-	4	12	25	9,017	2,943	278	275	426	150	13,090
8. कर्नाटक	11,762	551	-	12,386	-	748	78	389	-	74	-	1,289	25,988	9,033	6,470	-	2,813	41	44,345
9. केरल	9,598	1,158	1	6,969	235	2,282	274	525	-	290	257	3,628	21,589	5,412	14,791	322	1,496	85	43,695
10. मध्य प्रदेश	9,301	2,664	-	9,423	-	41	21	731	-	45	2,223	3,061	24,449	9,123	7,501	1,218	2,254	40	44,586
11. महाराष्ट्र	17,547	1,019	3	46,365	-	2,226	-7	445	2	630	2,202	5,499	70,433	8,584	8,184	21,515	15,794	45	1,24,554
12. उड़ीसा	9,581	1,103	-	4,382	-	28	50	304	-	13	820	1,215	16,281	9,280	8,381	1,263	1,749	29	36,982
13. पंजाब	7,719	637	-	14,793	283	7	2	770	5,121	6	770	6,676	30,109	7,398	7,186	1,106	1,247	25	47,071
14. राजस्थान	14,359	369	-	18,833	-	991	90	287	-	29	487	1,883	35,444	7,915	11,681	916	3,977	35	59,968
15. तमिलनाडु	13,788	1,962	-	15,523	391	1,419	134	655	342	48	2,786	5,384	37,049	6,537	6,504	1,246	4,482	150	55,968
16. उत्तर प्रदेश	26,435	5,872	40	28,696	-5	-4	79	756	2,111	-45	6,417	9,315	70,353	24,622	15,343	16,102	10,745	-892	1,36,273
17. प.बंगाल	18,731	1,964	2	41,353	-	38	18	47	-	109	8,090	8,302	70,352	16,078	4,781	852	5,263	16	97,342
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	279	24	-	129	96	1	-	113	-	2	112	228	756	516	525	100	172	-	2,069
2. असम	5,129	858	-	3,932	317	4	23	160	-	-25	167	329	10,566	2,830	2,880	914	-197	50	17,043
3. हिमाचल प्रदेश	3,691	70	-	2,202	22	692	3	236	-	16	3,777	4,725	10,710	1,104	2,981	156	1,528	5	16,483
4. जम्मू और कश्मीर	2,695	1,591	-	2,096	-	496	14	412	1,727	-	334	2,983	9,365	2,316	3,115	871	211	-	15,877
5. मणिपुर	598	157	-	127	55	8	-	-	-	22	91	122	1,058	1,482	560	13	252	-	3,365
6. मेघालय	825	14	-	200	-	2	1	27	-	9	142	180	1,219	395	503	45	242	6	2,410
7. मिजोरम	501	46	-	106	27	225	-	43	-	5	113	385	1,065	403	728	30	695	-	2,922
8. नागालैंड	1,237	79	-	77	9	54	2	48	-	15	256	376	1,778	451	499	-2	-88	-	2,638
9. सिक्किम	332	48	-	94	-	62	1	9	-	-	16	88	561	240	292	9	47	1	1,150
10. त्रिपुरा	1,025	64	-	762	-	286	-	7	-	1	60	353	2,204	602	2,020	-4	21	10	4,853
11. उत्तराखंड	3,443	572	2	2,749	65	1	5	253	36	23	573	892	7,724	484	1,013	73	771	58	10,123
सभी राज्य	2,13,480	29,883	82	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	5,95,064	1,60,045	1,45,936	52,311	75,290	527	10,29,174
जापन मद:																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	15,670	-	-	-	-	-	-	-	-	15,670	166	-	-	-	-	15,836
2. पुदुचेरी	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	591	958	-	-	-	1	1,549

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन (जारी)
(मार्च 2006 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	रा. वि. ऋण	पॉवर बॉंड	क्षतिपूर्ति बॉंड	एनएस- एसएफ	भारिवे से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं से ऋण	आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा राशिवां और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	21,348	2,436	-	19,895	-	2,414	149	1,616	-	9	3,377	7,566	51,245	15,884	25,449	1,925	8,625	49	1,03,177
2. बिहार	10,811	2,076	23	12,591	-9	13	3	121	-	46	14	197	25,689	8,687	8,766	976	2,822	350	47,290
3. छत्तीसगढ़	2,701	483	-	3,530	-	20	11	501	-	50	-	582	7,297	2,246	1,563	939	1,105	40	13,190
4. गोवा	1,027	-	-	2,046	-	29	-	24	-	1	85	140	3,212	882	574	108	319	30	5,126
5. गुजरात	13,006	1,629	2	38,192	-	-	4	-10	249	27	1,837	2,107	54,936	11,579	4,130	3,210	9,045	124	83,024
6. हरियाणा	5,142	2,022	-	9,309	-	25	18	587	-	74	118	822	17,295	2,222	5,593	850	1,009	10	26,979
7. झारखंड	3,546	2,115	8	6,400	9	5	2	235	-	1	54	296	12,374	2,793	490	331	785	150	16,924
8. कर्नाटक	11,934	551	-	16,713	-	713	72	638	-	31	-	1,454	30,652	9,285	7,126	-	2,444	80	49,587
9. केरल	11,061	1,158	1	9,647	-	2,591	299	341	-	274	247	3,752	25,619	5,418	14,841	439	1,468	98	47,883
10. मध्य प्रदेश	10,246	2,664	-	12,458	-	37	20	1,130	123	22	2,115	3,446	28,814	8,998	7,489	1,464	2,850	32	49,647
11. महाराष्ट्र	18,701	1,019	3	62,098	-	2,531	-8	610	2	383	3,052	6,570	88,390	8,680	8,771	23,051	16,625	711	1,46,228
12. उड़ीसा	9,687	1,103	-	5,776	-	25	46	480	-	8	758	1,317	17,883	8,836	9,729	2,135	2,033	110	40,724
13. पंजाब	8,697	637	-	18,195	-	6	2	879	4,704	-	719	6,310	33,839	7,221	7,575	1,297	1,182	25	51,140
14. राजस्थान	15,005	369	-	22,485	-	984	85	599	-	33	373	2,074	39,934	7,927	13,059	879	4,406	35	66,239
15. तमिलनाडु	15,003	1,962	-	21,617	-	1,351	125	1,166	329	45	2,234	5,249	43,831	6,682	6,832	1,896	4,475	134	63,848
16. उत्तर प्रदेश	28,498	5,872	40	36,475	-31	-11	76	919	2,191	-47	6,441	9,569	80,423	23,763	17,230	19,263	14,157	-776	1,54,061
17. प.बंगाल	19,999	1,964	2	52,287	-	33	16	44	-	115	9,288	9,496	83,748	15,435	5,069	2,087	8,061	18	1,14,419
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	321	24	-	367	262	2	-	138	-	7	110	258	1,232	497	464	117	102	-	2,412
2. असम	5,847	858	-	4,561	-	3	21	232	-	25	144	425	11,691	2,769	3,265	874	-248	50	18,401
3. हिमाचल प्रदेश	4,116	70	-	3,015	-	607	3	354	-	19	3,037	4,021	11,221	1,073	3,291	169	1,631	5	17,390
4. जम्मू और कश्मीर	2,922	1,591	-	2,687	-	586	14	479	2,047	1	475	3,602	10,802	2,196	3,527	922	978	1	18,427
5. मणिपुर	787	157	-	254	-	8	-	8	-	19	91	127	1,325	1,445	837	21	688	-	4,316
6. मेघालय	956	14	-	255	-	1	1	40	-	8	146	197	1,422	379	347	54	403	6	2,610
7. मिजोरम	601	46	-	132	27	262	-	41	-	6	115	423	1,229	394	720	27	785	-	3,154
8. नागालैंड	1,451	79	-	99	118	75	27	68	-	12	292	473	2,219	434	515	-1	-162	-	3,006
9. सिक्किम	420	48	-	111	-	69	1	17	-	-	14	101	680	230	305	12	61	1	1,289
10. त्रिपुरा	1,144	64	-	961	-	227	-	1	-	1	7	236	2,404	579	2,285	3	76	10	5,358
11. उत्तराखंड	3,949	572	2	3,776	31	1	5	397	36	25	573	1,038	9,367	469	1,113	72	967	30	12,017
सभी राज्य	2,28,925	31,581	81	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195	35,718	71,845	6,98,773	1,57,004	1,60,955	63,120	86,691	1,321	11,67,866
ज्ञापन मद:																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	21,567	-	-	-	-	-	-	-	-	21,567	-	-	-	-	-	21,567
2. पुदुचेरी	-	-	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	798	1,820	-	-	-	1	2,619

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन (जारी)
(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	रा. वि. ऋण	पॉवर बॉंड	क्षतिपूर्ति बॉंड	एनएस- एसएफ	भारिवे से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं से ऋण	आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	23,543	2,192	-	24,039	-	2,294	149	2,561	-	23	3,169	8,196	57,971	16,227	26,092	2,191	8,749	49	1,11,279
2. बिहार	10,393	1,868	23	14,704	-9	13	3	694	-	45	22	776	27,756	8,220	8,781	976	2,432	350	48,514
3. छत्तीसगढ़	2,695	435	-	4,295	-	20	11	659	-	47	-	738	8,163	2,421	1,624	679	1,355	40	14,282
4. गोवा	1,108	-	-	2,582	-	27	-	33	-	3	85	148	3,838	999	604	108	335	30	5,914
5. गुजरात	12,722	1,466	2	43,966	-	-	4	-13	227	6	2,889	3,114	61,270	11,788	4,130	2,860	9,045	124	89,217
6. हरियाणा	4,994	1,820	-	10,485	-	22	18	718	-	80	188	1,026	18,320	2,174	6,034	773	1,134	10	28,451
7. झारखंड	3,805	1,904	8	7,731	9	5	2	1,055	-	178	1,777	3,016	16,473	2,656	689	331	917	300	21,366
8. कर्नाटक	11,700	-	-	19,306	-	678	72	1,215	-	-10	-6	1,949	32,955	10,039	8,068	506	1,759	80	53,407
9. केरल	12,847	1,042	1	11,875	-	2,871	299	776	-	234	260	4,440	30,206	6,152	16,157	407	1,549	98	54,568
10. मध्य प्रदेश	11,219	2,398	-	14,579	-	34	20	1,634	243	11	2,107	4,048	32,243	9,005	7,624	1,465	3,401	92	53,830
11. महाराष्ट्र	19,967	917	3	71,376	-	2,336	-8	787	2	551	3,076	6,744	99,007	8,984	9,482	24,893	18,036	711	1,61,113
12. उड़ीसा	8,898	993	-	6,862	-	22	46	736	-	5	686	1,494	18,247	9,326	9,929	2,135	2,032	110	41,778
13. पंजाब	9,435	574	-	21,185	-	5	2	1,068	4,255	5	509	5,845	37,038	7,031	8,343	1,553	1,401	25	55,392
14. राजस्थान	16,070	221	-	24,425	-	799	85	1,076	-	32	223	2,214	42,932	8,068	14,406	1,053	4,597	35	71,090
15. तमिलनाडु	16,373	-	-	25,631	-	1,279	125	1,583	314	36	1,731	5,067	47,070	7,069	7,404	2,190	4,568	134	68,434
16. उत्तर प्रदेश	30,759	5,285	40	42,647	-31	-18	76	1,192	2,191	-50	12,373	15,765	94,465	23,075	18,947	21,247	14,423	-753	1,71,404
17. प.बंगाल	20,839	1,767	2	60,987	-	29	16	52	-	100	8,738	8,934	92,530	15,340	5,383	2,006	7,616	20	1,22,895
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	424	22	-	496	332	3	-	183	-	14	136	336	1,609	549	514	27	102	-	2,801
2. असम	6,525	772	-	4,689	-	3	21	332	-	23	115	494	12,479	2,518	3,680	874	-248	50	19,352
3. हिमाचल प्रदेश	4,583	63	-	3,694	-	620	3	585	-	20	2,261	3,490	11,830	1,162	3,617	169	1,631	5	18,415
4. जम्मू और कश्मीर	3,538	1,432	-	3,141	-	686	14	629	2,047	1	466	3,843	11,953	2,604	4,058	1,135	688	1	20,438
5. मणिपुर	868	141	-	481	-	5	-	18	-	17	178	218	1,709	1,207	856	21	607	-	4,399
6. मेघालय	1,120	13	-	279	-	4	1	63	-	7	134	210	1,622	363	395	54	430	6	2,870
7. मिजोरम	709	41	-	140	27	295	-	48	-	4	122	468	1,386	386	825	27	794	-	3,418
8. नागालैंड	1,700	71	-	113	118	97	27	85	-	2	329	540	2,543	414	495	-1	-82	-	3,370
9. सिक्किम	517	43	-	117	-	75	1	24	-	-	13	113	790	225	328	12	61	1	1,417
10. त्रिपुरा	1,159	57	-	1,111	-	227	-	30	-	-	-21	236	2,563	551	2,361	7	85	10	5,578
11. उत्तराखंड	4,266	515	2	4,373	31	1	5	515	36	41	1,140	1,738	10,925	461	1,016	202	1,049	38	13,691
सभी राज्य	2,42,777	26,051	82	4,25,310	477	12,432	989	18,341	9,314	1,423	42,699	85,199	7,79,896	1,59,014	1,71,842	67,898	88,466	1,566	12,68,683
जापन मद:																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	25,569	-	-	-	-	-	-	-	-	25,569	-	-	-	-	-	25,568
2. पुदुचेरी	-	-	-	1,165	-	-	-	-	-	-	-	-	1,165	2,170	-	-	-	1	3,335

विवरण 26: बकाया देयताओं का संयोजन (समाप्त)
(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	रा. वि. ऋण	पॉवर बॉंड	क्षतिपूर्ति बॉंड	एनएस- एसएफ	भारिबै से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंक और अन्य वित्त संस्थाओं से ऋण	आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा राशि और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर-विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	27,464	1,949	-	27,335	-	2,153	149	3,774	-	50	2,238	8,364	65,112	16,891	26,799	2,369	8,704	49	1,19,925
2. बिहार	11,731	1,660	24	16,519	-9	13	3	1,322	-	40	22	1,400	31,325	7,798	9,030	1,009	2,163	350	51,675
3. छत्तीसगढ़	2,786	387	-	5,151	-	14	11	947	-	43	-4	1,010	9,334	2,592	1,648	802	1,385	40	15,801
4. गोवा	1,377	-	-	2,971	-	25	-	42	-	5	85	157	4,505	1,039	634	108	350	30	6,667
5. गुजरात	12,883	1,303	2	49,765	-	-	4	-14	204	2	3,694	3,891	67,844	11,650	4,130	2,585	9,045	124	95,377
6. हरियाणा	5,491	1,618	-	11,344	-	19	18	913	-	87	488	1,525	19,978	2,126	6,518	787	1,269	10	30,687
7. झारखंड	4,124	1,692	6	9,407	9	5	2	1,680	-	379	3,337	5,402	20,640	2,518	906	331	756	450	25,601
8. कर्नाटक	11,235	-	-	19,727	-	644	72	1,760	-	-51	-12	2,412	33,375	11,566	9,080	506	1,759	80	56,366
9. केरल	14,285	927	1	14,502	-	3,121	299	1,190	-	199	271	5,080	34,794	6,910	18,074	404	1,683	98	61,963
10. मध्य प्रदेश	12,994	2,131	-	16,558	-	30	20	2,215	362	7	2,165	4,799	36,483	9,660	7,716	1,244	3,651	92	58,846
11. महाराष्ट्र	21,234	815	3	79,281	-	2,086	-8	1,723	2	712	2,776	7,290	1,08,624	9,386	10,345	26,800	19,223	711	1,75,090
12. उड़ीसा	8,565	882	-	6,503	-	19	46	982	-	4	608	1,659	17,609	10,815	10,129	2,131	1,932	110	42,726
13. पंजाब	11,457	510	-	23,413	-	4	2	1,325	3,768	10	305	5,413	40,793	7,289	9,262	2,019	1,620	25	61,008
14. राजस्थान	17,833	184	-	25,594	-	614	85	1,518	-	28	186	2,431	46,042	8,690	15,820	1,357	4,808	35	76,752
15. तमिलनाडु	18,980	-	-	29,141	-	1,203	125	1,995	298	24	1,428	5,073	53,194	8,202	7,947	2,253	4,794	134	76,523
16. उत्तर प्रदेश	35,046	4,697	40	50,114	-31	-24	76	1,477	2,191	-53	12,305	15,971	1,05,837	22,401	20,664	22,603	14,673	-753	1,85,425
17. प.बंगाल	23,035	1,571	2	69,998	-	25	16	59	-	82	9,402	9,583	1,04,189	15,455	5,729	2,050	7,343	20	1,34,786
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	563	19	-	496	402	3	-	247	-	20	68	338	1,817	493	567	27	108	-	3,012
2. असम	7,388	686	-	5,122	-	2	21	485	-	29	83	621	13,816	2,434	4,125	874	-248	50	21,051
3. हिमाचल प्रदेश	5,104	56	-	4,569	-	671	3	639	-	17	1,688	3,017	12,746	1,251	3,967	169	1,631	5	19,769
4. जम्मू और कश्मीर	3,745	1,273	-	3,737	-	786	14	829	2,047	1	380	4,057	12,812	3,008	4,648	1,300	401	1	22,168
5. मणिपुर	1,035	126	-	714	-	2	-	28	-	14	173	218	2,082	969	879	21	587	-	4,548
6. मेघालय	1,354	11	-	322	-	4	1	87	-	7	118	216	1,903	349	450	54	444	6	3,206
7. मिजोरम	820	36	-	159	27	295	-	55	-	2	80	432	1,474	381	935	26	794	-	3,611
8. नागालैंड	1,926	63	-	129	118	104	27	101	-	5	349	585	2,821	394	473	-1	-182	-	3,506
9. सिक्किम	738	38	-	123	-	80	1	42	-	-	11	135	1,034	219	342	11	61	1	1,669
10. त्रिपुरा	1,234	51	-	1,291	-	227	-	79	-	-	-46	261	2,836	524	2,445	7	95	10	5,917
11. उत्तराखंड	4,657	458	2	5,005	31	1	5	658	36	41	1,139	1,880	12,033	496	974	287	1,131	66	14,988
सभी राज्य	2,69,084	23,144	81	4,78,989	547	12,125	989	26,161	8,908	1,703	43,334	93,221	8,65,065	1,65,502	1,84,238	72,133	89,981	1,744	13,78,663
जापन मद :																			
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	24,402	-	-	-	-	-	-	-	-	24,402	-	-	-	-	-	24,402
2. पुदुचेरी	-	-	-	1,164	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164	2,430	-	-	-	1	3,595

रा.वि.ऋण : राज्य विकास ऋण '-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : वर्ष 2004 के पूर्व बकाया देयताओं के राज्य-वार आंकड़ों के शृंखला के लिए कृपया "राज्य वित्त : 2006-07 के बजट अध्ययन" को देखें।

स्रोत : 1. भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, सीएजी

2. केंद्र सरकार की वित्तीय लेखा, सीजीए, भारत सरकार

3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

4. रिजर्व बैंक के रिकार्ड

5. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 27: राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (सं.अ.)	2008 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर-विशेष श्रेणी																		
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301	34,829	41,809	48,637	56,030	75,361	90,399	1,03,177	1,11,279	1,19,925
2. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,695	20,752	23,584	27,109	32,866	29,942	34,135	38,254	39,999	43,183	47,290	48,514	51,675
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,967	8,121	9,592	10,825	12,133	13,190	14,282	15,801
4. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,936	2,510	2,822	3,746	3,503	3,885	4,417	5,126	5,914	6,667
5. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068	34,190	42,781	47,919	55,175	62,307	71,334	83,024	89,217	95,377
6. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250	13,810	14,650	17,726	19,948	22,450	24,900	26,979	28,451	30,687
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,448	9,979	11,887	10,036	13,090	16,924	21,366	25,601
8. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455	21,045	25,301	31,337	36,020	39,959	44,345	49,587	53,407	56,366
9. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333	22,214	26,259	29,536	34,312	39,151	43,695	47,883	54,568	61,963
10. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957	25,933	22,127	26,043	29,882	37,967	44,586	49,647	53,830	58,846
11. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264	58,813	67,601	78,541	89,952	1,06,838	1,24,554	1,46,228	1,61,113	1,75,090
12. उड़ीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281	20,614	24,220	28,161	30,869	33,850	36,982	40,724	41,778	42,726
13. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823	26,610	30,763	35,730	40,125	42,819	47,071	51,140	55,392	61,008
14. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136	31,684	35,541	41,634	47,534	53,109	59,968	66,239	71,090	76,752
15. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189	29,568	34,541	39,069	44,471	51,759	55,968	63,848	68,434	76,523
16. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,253	38,998	45,630	52,428	62,103	77,934	83,098	95,822	1,05,126	1,24,063	1,36,273	1,54,061	1,71,404	1,85,425
17. प.बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192	44,042	54,929	66,396	78,325	89,472	97,342	1,14,419	1,22,895	1,34,786
II. विशेष श्रेणी																		
1. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566	735	739	790	966	1,736	2,069	2,412	2,801	3,012
2. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765	8,666	10,227	11,988	13,099	15,688	17,043	18,401	19,352	21,051
3. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383	7,840	8,705	10,055	12,228	14,379	16,483	17,390	18,415	19,769
4. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429	7,739	9,101	9,624	10,528	14,728	15,877	18,427	20,438	22,168
5. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328	1,614	1,870	1,870	1,890	2,537	3,365	4,316	4,399	4,548
6. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862	1,117	1,388	1,528	1,820	2,123	2,410	2,610	2,870	3,206
7. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842	1,178	1,375	1,713	1,967	2,606	2,922	3,154	3,418	3,611
8. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063	1,389	1,604	1,884	2,385	2,389	2,638	3,006	3,370	3,506
9. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415	593	852	929	989	1,010	1,150	1,289	1,417	1,669
10. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525	1,993	2,384	2,817	3,278	4,057	4,853	5,358	5,578	5,917
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106	5,018	6,274	8,273	10,123	12,017	13,691	14,988
सभी राज्य	1,28,155	1,47,030	1,68,365	1,87,875	2,16,473	2,49,535	2,85,898	3,30,816	3,99,576	5,09,529	5,94,148	6,90,747	7,86,427	9,13,376	10,29,174	11,67,866	12,68,683	13,78,663
ज्ञापन मद:																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788	6,348	7,924	9,777	12,494	14,149	15,836	21,567	25,568	24,402
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310	1,549	2,619	3,335	3,595

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : आंकड़ा स्रोत तथा कार्यपद्धति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

स्रोत : विवरण 26 के अनुसार

विवरण 28: कुल बकाया देयताएं - राज्यों के सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (सं.अ.)	2008 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर-विशेष श्रेणी																		
1. आंध्र प्रदेश	23.0	21.9	23.5	22.4	22.1	22.3	22.4	24.3	24.6	27.8	29.8	32.1	34.3	40.9	44.6	44.4	42.1	40.3
2. बिहार	38.1	37.8	40.2	37.8	37.9	42.3	38.6	38.4	39.0	45.2	63.7	72.5	72.0	76.5	75.6	78.0	73.3	68.8
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.3	27.5	30.7	28.1	30.2	29.8	28.7	29.1
4. गोवा	67.3	58.4	52.5	46.5	41.7	38.4	35.4	31.9	31.9	37.1	36.7	46.4	37.9	41.1	45.1	49.7	39.6	38.6
5. गुजरात	26.5	28.0	23.9	23.3	20.5	20.7	19.8	22.4	23.8	31.4	39.4	39.4	39.5	37.6	39.7	38.3	36.4	34.3
6. हरियाणा	20.9	19.7	20.8	20.0	19.2	20.7	19.7	21.0	23.5	28.2	26.6	29.3	30.1	30.4	30.0	26.8	24.5	23.2
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	30.5	32.6	25.2	30.4	35.9	40.0	42.2
8. कर्नाटक	23.6	19.4	20.2	21.5	20.8	19.7	19.5	20.1	19.9	22.2	24.2	28.9	30.4	30.7	29.9	29.0	27.5	25.6
9. केरल	30.2	28.5	28.7	28.9	29.1	27.7	27.7	29.2	30.8	35.5	37.6	40.8	42.3	43.8	43.5	39.7	40.2	40.2
10. मध्य प्रदेश	24.7	26.1	30.3	20.7	21.0	21.4	21.4	22.0	23.5	25.1	30.0	30.8	36.6	38.7	43.3	45.5	43.8	42.2
11. महाराष्ट्र	19.4	20.2	18.0	16.6	16.9	16.7	17.1	19.0	21.1	24.2	28.3	29.4	30.0	32.6	33.5	33.8	32.4	31.0
12. उड़ीसा	45.2	41.4	42.9	41.5	40.1	38.0	45.3	42.3	45.8	53.2	62.4	67.0	70.4	62.2	62.3	64.3	58.2	54.2
13. पंजाब	38.4	36.5	37.2	36.0	36.4	36.4	35.3	36.8	39.2	43.6	46.6	50.4	54.4	52.8	53.3	48.8	47.7	47.4
14. राजस्थान	27.5	28.8	27.7	30.4	28.6	29.9	29.1	30.0	33.0	40.3	45.0	47.3	56.3	50.6	52.1	53.3	50.8	49.8
15. तमिलनाडु	20.3	20.4	21.4	20.2	19.7	19.4	19.3	18.8	19.6	23.4	24.5	27.2	28.7	30.7	29.6	30.2	28.4	27.8
16. उत्तर प्रदेश	32.8	32.8	34.4	34.5	33.9	34.3	33.5	35.8	37.9	44.3	48.0	52.9	53.2	57.7	57.8	59.9	55.9	53.5
17. प.बंगाल	23.6	23.3	24.2	24.2	24.4	24.0	25.7	25.7	27.9	34.7	39.3	43.2	47.3	48.0	47.1	49.4	47.2	45.6
II. विशेष श्रेणी																		
1. अरुणाचल प्रदेश	55.9	46.4	36.0	31.4	32.9	33.5	39.6	35.7	37.4	45.1	41.5	40.7	45.5	71.6	81.6	80.8	83.6	80.6
2. असम	39.7	38.2	34.8	30.9	29.8	32.6	30.5	28.4	26.5	29.6	32.5	34.9	34.8	39.0	39.2	39.1	38.0	38.2
3. हिमाचल प्रदेश	41.7	39.8	42.3	41.7	43.9	48.8	47.2	48.6	59.7	64.1	64.1	67.2	75.3	79.6	82.0	77.7	65.1	59.3
4. जम्मू और कश्मीर	81.0	80.7	76.7	71.1	63.8	57.2	58.0	55.8	56.3	55.4	61.7	60.4	59.4	76.8	76.0	80.9	81.6	79.0
5. मणिपुर	47.5	51.0	48.6	43.1	43.2	41.5	38.0	48.2	54.7	57.7	64.1	55.9	54.3	69.3	83.4	92.0	83.9	77.4
6. मेघालय	21.4	20.7	22.9	25.2	27.0	24.6	21.6	26.3	29.3	34.0	37.2	36.9	41.2	44.1	45.8	45.5	45.9	46.9
7. मिजोरम	84.8	59.1	53.0	53.1	60.1	57.4	53.5	68.6	67.6	83.6	77.7	89.0	89.7	106.7	107.4	102.8	98.8	92.0
8. नागालैंड	53.4	51.6	48.4	42.6	39.1	43.0	37.2	37.7	44.6	54.5	43.6	45.5	50.2	47.4	47.1	45.3	45.2	41.8
9. सिक्किम	58.0	60.2	71.5	55.2	59.7	56.1	38.4	38.2	52.8	70.2	87.7	86.0	80.2	72.8	75.1	75.1	73.9	78.1
10. त्रिपुरा	39.8	39.1	40.7	42.7	45.5	41.3	35.8	35.3	40.0	43.9	45.2	46.9	50.6	56.6	61.1	58.6	54.0	51.5
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.6	38.1	41.6	47.6	50.1	46.6	45.8	43.4
सभी राज्य (सघट का प्रतिशत)	22.5	22.5	22.5	21.9	21.4	21.0	20.9	21.7	23.0	26.1	28.3	30.3	32.0	33.0	32.9	32.7	30.8	29.8
जापन मद :																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	0.6	2.4	4.8	6.5	7.5	8.0	11.5	12.9	14.7	17.4	17.5	17.2	20.5	21.4	17.9
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	29.8	45.9	52.9	51.4

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-' : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

स्रोत : विवरण 26 के अनुसार

विवरण 29 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06				2006-07				2007-08			
	सकल आंबटन	चुकोति	निबल आंबटन (2-3)	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकोति	निबल आंबटन (6-7)	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकोति	निबल आंबटन (10-11)	उगाही गई राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,956	573	1,383	1,956	2,726	530	2,196	2,726	5,936	1,008	4,928	2,850
2. बिहार	1,076	380	696	728	1,183	418	766	—	1,622	779	842	—
3. छत्तीसगढ़	432	86	346	—	476	95	381	—	407	157	250	—
4. गोवा	144	18	127	83	159	19	140	100	636	31	605	150
5. गुजरात	858	256	602	602	944	282	662	—	2,275	475	1,800	2,275
6. हरियाणा	521	134	387	521	598	147	451	—	750	253	496	—
7. झारखंड	364	129	236	364	401	141	259	401	648	264	384	192
8. कर्नाटक	1,582	243	1,339	415	1,376	233	1,142	—	1,556	462	1,094	—
9. केरल	1,808	346	1,462	1,808	2,168	380	1,788	2,168	2,026	663	1,363	2,826
10. मध्य प्रदेश	1,551	315	1,236	1,261	1,421	357	1,065	1,420	2,514	538	1,976	1,375
11. महाराष्ट्र	1,580	426	1,154	1,580	1,738	468	1,269	1,738	3,820	775	3,044	2,820
12. उड़ीसा	1,169	401	768	506	1,047	393	653	—	1,085	718	367	—
13. पंजाब	1,199	221	978	1,199	981	243	738	981	1,918	328	1,591	1,500
14. राजस्थान	1,363	394	968	1,041	1,499	434	1,065	1,499	2,796	754	2,043	2,415
15. तमिलनाडु	1,650	403	1,246	1,619	1,814	444	1,371	1,814	2,367	813	1,554	1,900
16. उत्तर प्रदेश	3,096	1,034	2,062	3,096	3,248	979	2,269	3,248	6,494	1,791	4,703	1,000
17. प.बंगाल	2,324	447	1,876	1,714	1,336	492	844	1,336	5,063	867	4,196	9,263
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	47	5	42	47	108	5	103	108	149	10	139	20
2. असम	880	163	717	880	857	179	678	857	727	333	394	517
3. हिमाचल प्रदेश	469	44	425	469	512	44	468	512	675	77	598	500
4. जम्मू और कश्मीर	298	71	227	298	691	73	617	691	728	118	610	728
5. मणिपुर	205	16	189	205	99	18	81	99	247	37	210	86
6. मेघालय	158	27	131	158	192	28	164	192	176	48	128	55
7. मिजोरम	115	15	100	115	125	17	108	125	134	18	116	76
8. नागालैंड	254	40	214	254	293	44	250	293	359	71	287	215
9. सिक्किम	104	16	88	104	115	17	97	115	224	26	199	112
10. त्रिपुरा	137	18	119	137	123	20	104	35	86	45	40	—
11. उत्तराखंड	568	55	513	568	369	52	317	369	571	95	479	—
सभी राज्य	25,909	6,274	19,633	21,729	26,597	6,551	20,046	20,825	45,990	11,555	34,436	30,875

* : 30 नवंबर 2007 तक
स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड

— : शून्य



विवरण 30: राज्य सरकारों के योजना परिव्यय

राज्य		1999-2000 (वास्तविक व्यय)	2000-01 (वास्तविक व्यय)	2001-02 (वास्तविक व्यय)	2002-03 (वास्तविक व्यय)	2003-04 (वास्तविक व्यय)	2004-05 (वास्तविक व्यय)	2005-06 (वास्तविक व्यय)	2006-07 (संशोधित परिव्यय)	2007-08 (संशोधित परिव्यय)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	4,748	7,035	7,969	8,315	10,759	11,457	13,439	20,000	30,500	
2. बिहार	2,676	1,638	1,471	2,207	2,627	3,196	4,465	8,671	10,200	
3. छत्तीसगढ़	—	470	1,361	1,767	2,404	2,833	3,465	5,996	7,414	
4. गोवा	237	361	373	423	568	767	958	1,200	—	
5. गुजरात	6,492	4,965	5,357	5,403	7,585	7,603	11,000	12,503	16,000	
6. हरियाणा	1,676	1,718	1,766	1,776	1,866	2,108	2,997	3,300	5,300	
7. झारखंड	—	—	2,024	2,797	1,772	2,991	4,079	4,795	6,676	
8. कर्नाटक	6,363	6,785	7,904	8,164	8,619	11,741	12,678	17,228	17,783	
9. केरल	2,946	2,954	2,398	3,944	3,618	3,544	3,878	6,210	6,950	
10. मध्य प्रदेश	3,589	3,177	4,532	5,330	5,087	6,610	7,443	9,357	12,011	
11. महाराष्ट्र	10,419	9,586	8,526	7,739	8,188	9,817	14,674	14,829	20,200	
12. उड़ीसा	2,484	2,562	2,450	2,474	2,437	2,739	2,819	3,600	5,105	
13. पंजाब	1,753	1,877	2,171	1,766	1,586	1,956	3,825	4,000	5,111	
14. राजस्थान	3,601	3,773	4,338	4,431	6,044	6,591	7,700	8,250	11,639	
15. तमिलनाडु	5,414	5,777	5,319	5,841	7,088	8,286	8,784	12,500	14,000	
16. उत्तर प्रदेश	6,572	5,956	7,695	6,618	6,132	8,428	13,523	19,000	25,000	
17. प.बंगाल	3,928	5,631	4,595	2,673	2,529	4,268	5,990	7,574	9,150	
कुल I	62,898	64,265	70,249	71,668	78,908	94,935	1,21,717	1,59,013	2,03,039	
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	468	511	555	532	642	656	738	1,059	1,320	
2. असम	1,405	1,481	1,628	1,415	1,456	2,175	1,869	3,798	3,800	
3. हिमाचल प्रदेश	1,624	1,723	1,720	2,051	1,307	1,475	1,676	1,800	2,100	
4. जम्मू और कश्मीर	1,506	1,538	1,743	2,064	2,352	2,839	3,556	4,348	4,850	
5. मणिपुर	453	248	229	209	287	560	611	1,176	1,374	
6. मेघालय	343	463	470	400	487	590	688	900	1,120	
7. मिजोरम	378	372	402	421	551	550	693	764	850	
8. नागालैंड	306	318	400	368	479	463	648	792	900	
9. सिक्किम	193	218	282	340	368	467	472	552	691	
10. त्रिपुरा	453	474	523	591	576	579	746	874	1,220	
11. उत्तराखंड	—	821	1,729	1,449	1,678	1,917	3,026	4,017	4,378	
कुल II	7,129	8,167	9,681	9,840	10,183	12,271	14,723	20,080	22,603	
समग्र कुल (I+II)	70,027	72,432	79,930	81,508	89,091	1,07,206	1,36,440	1,79,093	2,25,642	
नोट : '—' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।										
स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार।										

1. रा.रा.क्षे. दिल्ली

2. पुदुचेरी

2,298—3,129—4,005—4,406—4,609—4,261—4,2869165,2001,0439,0001,455





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 31: पूँजी प्राप्तियां तथा पूँजी व्यय

पूँजी प्रतियां				पूँजी व्यय			(कोड़ रुपए)
राज्य	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	
1	2	3	4	5	6	7	
I. गैर-विशेष श्रेणी							
1. आंध्र प्रदेश	13,454	15,584	23,276	13,391	15,500	23,214	
2. बिहार	5,034	5,179	4,816	4,812	7,383	8,299	
3. छत्तीसगढ़	1,451	1,662	2,438	2,268	3,594	4,286	
4. गोवा	836	776	867	658	760	849	
5. गुजरात	12,363	8,510	9,097	8,769	10,159	10,418	
6. हरियाणा	2,674	4,735	3,908	2,190	2,770	3,811	
7. झारखंड	2,334	5,149	4,748	3,661	4,492	4,282	
8. कर्नाटक	6,825	5,195	4,952	6,932	9,162	9,980	
9. केरल	6,364	9,222	9,151	2,691	3,872	4,039	
10. मध्य प्रदेश	8,843	5,404	6,498	8,412	7,566	8,386	
11. महाराष्ट्र	22,653	16,884	17,245	16,397	14,798	14,849	
12. उड़ीसा	3,980	2,895	3,961	2,143	3,521	5,090	
13. पंजाब	5,085	5,566	6,905	2,244	4,806	5,383	
14. राजस्थान	7,462	6,663	7,720	5,721	7,131	7,576	
15. तमिलनाडु	11,298	11,474	11,419	6,736	12,545	11,361	
16. उत्तर प्रदेश	22,914	13,775	16,015	13,222	16,943	21,540	
17. प.बंगाल	19,349	14,075	16,500	9,471	7,733	8,924	
II. विशेष श्रेणी							
1. अरुणाचल प्रदेश	732	297	151	769	866	529	
2. असम	1,624	2,297	2,537	1,551	3,772	3,801	
3. हिमाचल प्रदेश	2,350	2,320	2,189	2,120	2,096	1,939	
4. जम्मू और कश्मीर	1,927	1,895	2,427	3,743	3,806	5,364	
5. मणिपुर	629	439	492	738	1,281	808	
6. मेघालय	462	320	444	333	525	715	
7. मिजोरम	527	393	333	584	574	412	
8. नागालैंड	440	532	343	748	963	1,039	
9. सिक्किम	119	240	306	378	691	686	
10. त्रिपुरा	435	382	545	912	1,108	1,423	
11. उत्तराखंड	2,445	1,444	1,830	2,053	2,536	2,856	
सभी राज्य	1,64,607	1,43,307	1,61,112	1,23,648	1,50,952	1,71,859	
<i>नोट्स पर :</i>							
1. रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली	6,216	4,217	372	4,626	12,945	8,594	
2. पुदुचेरी	359	452	793	379	470	693	

टिप्पणी : 1. पूँजी प्राप्तियो में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल है जबकि पूँजी व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।
2. परिशिष्ट के नोट भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





विवरण 32 : राज्य सरकार के बाज़ार ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम ब्यौरा संख्या			मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष		
1	2		3		
आंध्र प्रदेश					
ब्याज वाले ऋण					
1	12.30% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		65.15		
2	13.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		362.52		
3	13.05% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		580.00		
4	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		226.04		
5	12.15% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		381.12		
6	12.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		775.72		
7	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		245.36		
8	11.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		400.00		
9	11.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		251.49		
10	12.25% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		700.67		
11	12.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		400.00		
12	10.52% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		514.13		
13	11.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		500.01		
14	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		239.91		
15	11.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		400.00		
16	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		285.07		
17	8.37% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		350.00		
18	9.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		198.74		
19	9.53% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011		475.00		
20	10.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		684.46		
21	10.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		200.02		
22	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		127.20		
23	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		212.31		
24	6.67% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		294.65		
25	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		386.71		
26	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		442.82		
27	7.90% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012		250.00		
28	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		154.00		
29	8.30% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		192.54		
30	6.03% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013		500.00		
31	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		462.14		
32	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		404.26		
33	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		531.53		
34	6.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		828.00		
35	6.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		808.85		
36	6.75% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		342.19		
37	6.95% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		876.00		
38	5.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		732.45		
39	5.70% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		590.62		
40	7.32% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		321.15		
41	7.36% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		734.87		
42	5.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		263.83		
43	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		462.25		
44	7.02% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		354.34		
45	7.39% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015		482.10		
46	7.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		782.75		
47	7.34% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015		375.00		
48	7.32% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		316.53		
49	7.74% आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		400.00		
जोड़ [क]					
पावर बांड					
1	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00		
2	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		121.80		
3	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		121.80		
4	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		121.80		
5	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		121.80		
6	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		121.80		
7	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		121.80		
8	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		121.80		
9	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		121.80		
10	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		121.80		
11	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		121.80		
12	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		121.80		
13	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		121.80		
14	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		121.80		
15	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		121.80		
16	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		121.80		
17	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		121.80		
18	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		121.80		
19	8.50% आंध्र प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		121.80		
जोड़ [ख]					
ब्याज रहित ऋण [ग]					
जोड़ [क+ख+ग]					
अरुणाचल प्रदेश					
ब्याज वाले ऋण					
1	13.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		4.68		
2	13.05% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		5.65		
3	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		3.33		
4	12.15% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		4.00		
5	12.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		2.22		
5	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		3.60		
6	12.25% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		4.00		
7	10.52% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		4.01		
8	11.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		2.22		
9	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		4.30		
10	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		2.21		
11	8.60% अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011		5.17		
12	9.45% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		5.17		
13	10.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		5.88		
14	10.82% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		10.00		

(जारी)



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष			क्रम संख्या			ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
15	11.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	1.77			असम					
16	12.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	2.96			ब्याज वाले ऋण					
17	6.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.12			1	12.30%	असम रा.वि.ऋ. 2007	87.40		
18	7.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	8.43			2	13.00%	असम रा.वि.ऋ. 2007	120.47		
19	7.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	4.67			3	13.05%	असम रा.वि.ऋ. 2007	125.00		
20	8.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	7.93			4	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2008	24.10		
21	8.30%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.05			5	12.15%	असम रा.वि.ऋ. 2008	200.00		
22	6.95%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	14.00			6	12.50%	असम रा.वि.ऋ. 2008	181.25		
23	6.75%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	4.00			7	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2009	31.83		
24	6.40%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	9.02			8	11.85%	असम रा.वि.ऋ. 2009	100.00		
25	6.35%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	8.75			9	12.25%	असम रा.वि.ऋ. 2009	200.00		
26	6.20%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	10.00			10	10.52%	असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00		
27	5.60%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.50			11	11.30%	असम रा.वि.ऋ. 2010	86.45		
28	7.32%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	5.13			12	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2010	34.31		
29	7.36%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.52			13	12.00%	असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00		
30	6.20%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	10.00			14	9.45%	असम रा.वि.ऋ. 2011	155.00		
31	5.85%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	11.88			15	10.35%	असम रा.वि.ऋ. 2011	75.00		
32	5.85%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 [II श्रृंखला]	23.00			16	10.82%	असम रा.वि.ऋ. 2011	129.90		
33	7.77%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	7.21			17	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2011	14.14		
34	7.39 %	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	6.83			18	12.00%	असम रा.वि.ऋ. 2011	23.60		
35	7.53 %	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	9.35			19	6.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012	118.88		
36	7.61 %	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	23.60			20	7.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012	89.04		
37	8.00 %	अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	12.63			21	7.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	177.19		
38	8.04%	अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	48.10			22	8.00%	असम रा.वि.ऋ. 2012	106.76		
39	8.10%	अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017	47.00			23	8.30%	असम रा.वि.ऋ. 2012	194.52		
40	5.90%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	58.00			24	6.95%	असम रा.वि.ऋ. 2013	303.00		
जोड़ [क]			423.90			25	6.75%	असम रा.वि.ऋ. 2013	222.52		
पावर बांड						26	6.40%	असम रा.वि.ऋ. 2013	207.37		
1	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00			27	6.35%	असम रा.वि.ऋ. 2013	113.41		
2	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	1.20			28	6.20%	असम रा.वि.ऋ. 2013	129.60		
3	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	1.20			29	6.35%	असम रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]	49.53		
4	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	1.20			30	5.60%	असम रा.वि.ऋ. 2014	220.00		
5	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	1.20			31	5.70%	असम रा.वि.ऋ. 2014	110.49		
6	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	1.20			32	7.32%	असम रा.वि.ऋ. 2014	174.32		
7	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	1.20			33	7.36%	असम रा.वि.ऋ. 2014	137.11		
8	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	1.20			34	6.20%	असम रा.वि.ऋ. 2015	129.60		
9	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	1.20			35	5.85%	असम रा.वि.ऋ. 2015	157.60		
10	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	1.20			36	7.02%	असम रा.वि.ऋ. 2015	69.40		
11	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	1.20			37	7.39%	असम रा.वि.ऋ. 2015	146.62		
12	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	1.20			38	7.50%	असम सरकार का स्टॉक 2015	208.84		
13	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	1.20			39	7.77%	असम रा.वि.ऋ. 2015	224.84		
14	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	1.20			40	7.65%	असम सरकार का स्टॉक 2016	200.00		
15	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	1.20			41	7.75%	असम सरकार का स्टॉक 2016	100.00		
16	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	1.20			42	7.89%	असम सरकार का स्टॉक 2016	166.46		
17	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	1.20			43	7.95%	असम सरकार का स्टॉक 2016	262.63		
18	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	1.20			44	8.11%	असम सरकार का स्टॉक 2016	215.00		
19	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	1.20			45	8.20%	असम सरकार का स्टॉक 2017	212.57		
जोड़ [ख]			21.66			46	5.90%	असम सरकार का स्टॉक 2017	205.40		
<i>ब्याज रहित ऋण [ग]</i>			0.00			47	7.17%	असम रा.वि.ऋ. 2017	33.61		
जोड़ [क+ख+ग]			445.56			48	असम राज्य जमींदारी अधिग्रहण अधिनियम, 1951 क्षतिपूर्ति बांड			0.08	
						जोड़ [क]			6,524.82		



विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपये)

मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष			मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष		
क्रम संख्या	व्योरा		क्रम संख्या	व्योरा	
1	2	3	1	2	3
पावर बांड					
1	8.50% असम सरकार पावर बांड 2007	0.00	25	6.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	297.97
2	8.50% असम सरकार पावर बांड 2007	42.88	26	6.95% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	299.00
3	8.50% असम सरकार पावर बांड 2008	42.88	27	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	151.98
4	8.50% असम सरकार पावर बांड 2008	42.88	28	5.60% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	359.00
5	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88	29	5.70% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	265.06
6	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88	30	7.32% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	308.53
7	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	31	7.36% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	266.05
8	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	32	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	202.06
9	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	33	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.83
10	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	34	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	337.20
11	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	35	7.02% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	213.00
12	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	36	7.77% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	494.14
13	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	37	7.39% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	233.49
14	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	38	5.90% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	568.50
15	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	39	7.17% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	326.55
16	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	जोड़ [ख]		7,562.21
17	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88	जोड़ [क+ख]		10,416.11
18	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88	पावर बांड		
19	8.50% असम सरकार पावर बांड 2016	42.88	1	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
जोड़ [ख]		771.78	2	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	103.78
<i>ब्याज रहित ऋण [ग]</i>		0.01	3	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	103.78
जोड़ [क+ख+ग]		7,296.60	4	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	103.78
			5	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	103.78
बिहार			6	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	103.78
ब्याज वाले ऋण			7	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	103.78
1	13.05% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	149.42	8	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	103.78
2	12.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	331.10	9	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	103.78
3	13.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	298.82	10	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	103.78
4	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	184.56	11	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	103.78
5	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	548.37	12	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	103.78
6	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	199.31	13	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	103.78
7	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	298.86	14	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	103.78
8	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	253.77	15	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	103.78
9	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	216.66	16	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	103.78
10	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	59.77	17	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	103.78
11	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	108.88	18	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	103.78
12	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	181.74	19	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	103.78
13	2.50% बिहार जमींदारी समापन क्षतिपूर्ति बांड	22.65	जोड़ [ग]		1,868.05
जोड़ [क]		2,853.90	<i>ब्याज रहित ऋण [घ]</i>		0.29
14	9.45% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	262.00	जोड़ [क+ख+ग+घ]		12,284.45
15	10.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	170.02	झारखंड		
16	10.82% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	362.19	ब्याज वाले ऋण		
17	6.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	227.09	1	13.05% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	50.58
18	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	184.30	2	12.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	112.08
19	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	327.11	3	13.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	101.15
20	8.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	323.61	4	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	62.47
21	8.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	360.30	5	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	185.63
22	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	337.20	6	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	67.47
23	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	295.05	7	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	101.17
24	6.40% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	369.00			



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			व्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
8	11.50%	बिहार रा.वि.ऋ. 2010		85.90
9	10.52%	बिहार रा.वि.ऋ. 2010		73.34
10	12.00%	बिहार रा.वि.ऋ. 2010		20.23
11	11.50%	बिहार रा.वि.ऋ. 2011		36.86
12	12.00%	बिहार रा.वि.ऋ. 2011		61.52
13	2.50%	बिहार जमींदारी समापन क्षतिपूर्ति बांड		7.67
जोड़ [क]				966.07
14	10.35%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2011		120.13
15	10.82%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2011		122.61
16	6.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012		64.91
17	7.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012		87.69
18	7.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		97.37
19	8.00%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012		97.76
20	8.30%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012		152.40
21	6.20%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013		82.81
22	6.35%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013		72.45
23	6.40%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013		161.71
24	6.75%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013		75.62
25	6.95%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013		129.38
26	6.35%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		97.50
27	5.60%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014		124.78
28	5.70%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014		130.43
29	7.32%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014		116.75
30	7.36%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014		74.50
31	5.85%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		147.11
32	6.20%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		82.83
33	7.02%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		15.69
34	7.39%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		79.04
35	7.50%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		117.81
36	7.77%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015		167.27
37	7.96%	झारखंड सरकार का स्टॉक 2016		129.59
38	7.99%	झारखंड सरकार का स्टॉक 2016		192.56
39	8.65%	झारखंड सरकार का स्टॉक 2016		78.37
40	5.90%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2017		27.99
जोड़ [ख]				2,847.07
जोड़ [क+ख]				3,813.14
पावर बांड				
1	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		105.77
3	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		105.77
4	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		105.77
5	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		105.77
6	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		105.77
7	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		105.77
8	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		105.77
9	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		105.77
10	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		105.77
11	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		105.77
12	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		105.77
13	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		105.77
14	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		105.77
15	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		105.77
16	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		105.77
17	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		105.77
18	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		105.77
19	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		105.77
जोड़ [ग]				1,903.79
व्याज रहित ऋण [घ]				0.10
जोड़ [क+ख+ग+घ]				5,717.03
मध्य प्रदेश				
व्याज वाले ऋण				
1	12.30%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		114.18
2	13.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		131.49
3	13.05%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		264.17
4	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		59.32
5	12.15%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		222.99
6	12.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		224.99
7	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		105.25
8	11.85%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		176.62
9	12.25%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		271.15
10	10.52%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		173.51
11	11.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		220.14
12	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		110.50
13	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		169.50
14	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		48.83
15	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		71.71
16	5.00%	नगर भूमि अधिकतम सीमा (मध्यप्रदेश) बांड		0.40
जोड़ [क]				2,365
16	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011		43.00
17	9.45%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		87.55
18	9.55%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011		105.00
19	10.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		187.32
20	10.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		105.00
21	10.82%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		84.02
22	6.94%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012		247.00
23	7.80%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		109.04
24	7.80%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		370.17
25	8.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		129.07
26	8.30%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		161.32
27	6.95%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		281.26
28	6.75%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		129.50
29	6.40%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		379.12
30	6.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		199.86
31	6.20%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		228.42
32	6.00%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013		220.00
33	6.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		400.78
34	6.20%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		228.44
35	5.85%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		220.01
36	5.85%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)		799.96
37	7.02%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		99.97



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
38	7.39%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		292.75
39	7.53%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		50.02
40	7.77%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		418.04
41	7.61%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016		300.00
42	7.65%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		200.00
43	7.95%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		300.00
44	8.66%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		300.00
45	5.90%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017		129.01
46	8.20%	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017		350.00
47	8.40 %	मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017		470.00
48	5.60%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		349.50
49	5.70%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		247.00
50	7.32%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		290.01
51	7.36%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		342.44
जोड़ [ख]				8,855
जोड़ [क+ख]				11,219
पावर बांड				
1	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		133.19
3	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		133.19
4	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		133.19
5	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		133.19
6	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		133.19
7	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		133.19
8	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		133.19
9	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		133.19
10	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		133.19
11	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		133.19
12	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		133.19
13	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		133.19
14	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		133.19
15	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		133.19
16	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		133.19
17	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		133.19
18	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		133.19
19	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		133.19
जोड़ [ग]				2,398
ब्याज रहित ऋण [घ]				1.20
जोड़ [क+ख+ग+घ]				13,618
छत्तीसगढ़*				
ब्याज वाले ऋण				
1	12.30%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		41.42
2	13.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		47.70
3	13.05%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		95.83
4	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		21.52
5	12.15%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		80.90
6	12.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		81.62
7	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		38.18
8	11.85%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		64.08
9	12.25%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		98.37

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
10	10.52%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		62.94
11	11.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		79.86
12	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		40.08
13	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		61.49
14	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		17.71
15	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		26.01
16	5.00%	नगर भूमि अधिकतम सीमा (मध्यप्रदेश) बांड		0.15
जोड़ [क]				857.87
16	10.35%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011		84.93
17	10.50%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011		40.00
18	10.82%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011		30.49
19	7.80%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012		56.45
20	7.80%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		154.87
21	8.00%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012		65.49
22	8.10%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012		67.00
23	8.30%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012		52.00
24	6.75%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013		115.21
25	6.95%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013		137.01
26	6.35%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013		72.80
27	6.20%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013		83.21
28	5.60%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014		153.68
29	5.70%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014		106.67
30	7.32 %	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014		132.00
31	6.20%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015		83.23
32	5.85%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015		100.02
33	5.90%	छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2017		302.32
जोड़ [ख]				1,837
जोड़ [क+ख]				2,695
पावर बांड				
1	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		24.16
3	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		24.16
4	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		24.16
5	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		24.16
6	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		24.16
7	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		24.16
8	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		24.16
9	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		24.16
10	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		24.16
11	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		24.16
12	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		24.16
13	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		24.16
14	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		24.16
15	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		24.16
16	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		24.16
17	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		24.16
18	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		24.16
19	8.50%	छत्तीसगढ़ सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		24.16
जोड़ [ग]				434.90
ब्याज रहित ऋण [घ]				0.43
कुल जोड़ [क+ख+ग+घ]				3,130.58

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	व्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष	क्रम संख्या	व्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3	1	2	3
गोवा					
ब्याज वाले ऋण					
1	13.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2007	9.50	11	10.52% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	488.07
2	13.05% गोवा रा.वि.ऋ. 2007	21.17	12	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	84.30
3	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	6.09	13	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	71.19
4	12.15% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	21.17	14	9.45% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	200.73
5	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	18.83	15	9.50% गुजरात सरकार का स्टॉक 2011	190.00
6	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	7.31	16	10.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	388.50
7	11.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.57	17	10.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	250.00
8	12.25% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.43	18	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	36.61
9	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	50.00	19	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	61.12
10	10.52% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	39.74	20	6.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	360.77
11	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	8.73	21	7.33% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	200.00
12	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	40.27	22	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	344.21
13	9.45% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	20.00	23	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	240.04
14	10.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	40.01	24	7.83% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	245.00
15	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	3.60	25	8.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	99.75
16	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	6.00	26	8.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	277.20
17	6.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	48.29	27	6.00% गुजरात सरकार का स्टॉक 2013	250.00
18	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	34.31	28	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	629.72
19	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.41	29	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	550.93
20	8.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	6.69	30	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	508.86
21	8.30% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	22.58	31	6.40% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	343.08
22	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	24.81	32	6.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	452.88
23	6.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	21.70	33	6.95% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	694.03
24	6.40% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	62.15	34	5.60% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	318.94
25	6.75% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	11.24	35	5.70% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	740.00
26	6.95% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	33.75	36	7.32% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	169.25
27	5.60% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	67.22	37	7.36% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	283.42
28	7.32% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	26.39	38	5.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	300.04
29	7.36% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	39.35	39	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	629.73
30	5.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	57.33	40	7.77% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	347.85
31	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	24.82	41	7.61% गुजरात रा.वि.ऋ. 2016	254.42
32	7.77% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	33.22	42	5.90% गुजरात रा.वि.ऋ. 2017	629.27
33	7.65% गोवा रा.वि.ऋ. 2016	50.00	43	5.00% नगर भूमि अधिकतम सीमा (गुजरात) बांड	1.18
34	5.90% गोवा रा.वि.ऋ. 2017	49.00	44	3.00% बंबई भूमि समापन अधिनियम क्षतिपूर्ति बांड	0.70
35	7.99% गोवा सरकार का स्टॉक 2017	100.00	45	4.50% गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 क्षतिपूर्ति बांड	0.32
जोड़ [क]		1,107.68	46	3.00% गुजरात उत्तरजीवी हस्तांतरण अधिनियम, 1963 क्षतिपूर्ति बांड	0.17
			जोड़ [क]		12,723.98
गुजरात			पावर बांड		
ब्याज वाले ऋण			1	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
1	12.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	68.69	2	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	81.44
2	13.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	131.58	3	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	81.44
3	13.05% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	275.00	4	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	81.44
4	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	92.43	5	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	81.44
5	12.15% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	210.00	6	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	81.44
6	12.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	374.42	7	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	81.44
7	9.40% गुजरात सरकार का स्टॉक 2009	250.00	8	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	81.44
8	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	99.57	9	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	81.44
9	11.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	80.05	10	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	81.44
10	12.25% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	500.00	11	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	81.44
			12	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	81.44
			13	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	81.44
			14	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	81.44



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
15	8.50%	गुजरात सरकार पावर बॉड अप्रैल 2014		81.44
16	8.50%	गुजरात सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2014		81.44
17	8.50%	गुजरात सरकार पावर बॉड अप्रैल 2015		81.44
18	8.50%	गुजरात सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2015		81.44
19	8.50%	गुजरात सरकार पावर बॉड अप्रैल 2016		81.44
जोड़ [ख]				1,465.84
जोड़ [क+ख]				14,189.82
ब्याज रहित ऋण [ग]				2.75
जोड़ [क+ख+ग]				14,192.57
हरियाणा				
ब्याज वाले ऋण				
1	12.30%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007		77.42
2	13.00%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007		76.01
3	13.05%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007		100.00
4	11.50%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008		56.21
5	12.15%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008		170.00
6	12.50%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008		64.28
7	11.50%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009		60.07
8	11.85%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009		144.93
9	12.25%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009		111.33
10	10.52%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010		140.30
11	11.50%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010		53.97
12	12.00%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010		98.08
13	9.45%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011		80.00
14	10.35%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011		100.01
15	11.50%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011		26.16
16	12.00%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011		40.99
17	6.80%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012		168.90
18	7.80%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012		129.78
19	7.80%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]		77.86
20	8.00%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012		30.68
21	8.30%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012		83.92
22	6.95%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013		289.40
23	6.75%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013		89.61
24	6.40%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013		215.55
25	6.35%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013		185.52
26	6.20%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013		212.04
27	6.35%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]		211.70
28	5.60%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014		204.88
29	5.70%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014		271.04
30	7.32%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014		99.44
31	7.36%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014		165.65
32	6.20%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015		212.05
33	5.85%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015		198.86
34	7.02%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015		86.00
35	7.53%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015		164.97
36	7.77%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015		189.86
37	7.33%	हरियाणा सरकार का स्टॉक 2016		165.93
38	5.90%	हरियाणा रा.वि.ऋ. 2017		141.02
जोड़ [क]				4,994.44
हिमाचल प्रदेश				
ब्याज वाले ऋण				
1	13.00%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		25.73
2	13.05%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		50.88
3	11.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		16.59
4	12.15%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		50.00
5	12.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		93.02
6	11.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		13.76
7	11.85%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		97.96
8	12.25%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		91.21
9	10.52%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		134.19
10	11.00%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		40.01
11	11.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		22.54
12	12.00%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		48.91
13	9.45%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		40.01
14	10.35%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		121.45
15	10.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		50.00
16	11.50%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		9.11
17	12.00%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		17.33
18	6.80%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		99.91
19	7.80%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		104.05
20	7.80%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		149.88
21	8.00%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		22.20
22	8.30%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		192.56
23	6.20%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		141.22
24	6.35%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		123.57



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
25	6.35%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		155.40
26	6.40%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		190.31
27	6.60%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		100.00
28	6.75%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		68.65
29	6.95%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		175.36
30	5.60%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		207.76
31	5.70%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		174.03
32	7.32%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		85.31
33	7.36%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014		157.50
34	5.85%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		175.51
35	6.20%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		141.22
36	7.02%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		89.75
37	7.39%	हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015		56.25
38	7.53%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		212.57
39	7.77%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015		200.00
40	7.74%	हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016		300.00
41	5.90%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017		110.00
42	7.17%	हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017		15.85
43	8.35%	हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टॉक 2017		211.50
जोड़ [क]				4,583.05
पावर बांड				
1	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		3.51
3	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		3.51
4	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		3.51
5	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		3.51
6	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		3.51
7	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		3.51
8	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		3.51
9	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		3.51
10	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		3.51
11	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		3.51
12	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		3.51
13	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		3.51
14	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		3.51
15	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		3.51
16	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		3.51
17	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		3.51
18	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		3.51
19	8.50%	हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		3.51
जोड़ [ख]				63.22
जोड़ [क+ख]				4,646.27
ब्याज रहित ऋण [ग]				0.11
जोड़ [क+ख+ग]				4,646.38
जम्मू और कश्मीर				
ब्याज वाले ऋण				
1	12.30%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007		34.15
2	13.00%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007		34.30
जम्मू और कश्मीर				
3	13.05%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007		50.00
4	11.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008		21.58
5	12.15%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008		60.00
6	12.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008		45.95
7	11.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009		26.54
8	11.85%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009		50.44
9	12.25%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009		50.00
10	10.52%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010		50.00
11	11.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010		28.80
12	12.00%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010		38.61
13	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2011		45.00
14	9.45%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011		38.71
15	10.35%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011		30.00
16	10.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011		150.00
17	11.50%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011		16.87
18	12.00%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011		19.81
19	6.80%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012		30.37
20	7.80%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012		61.14
21	7.80%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012(II श्रृंखला)		45.54
22	8.00%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012		41.92
23	8.00%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012		70.00
24	8.30%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012		123.88
25	6.20%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		109.20
26	6.35%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		95.56
27	6.35%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		65.00
28	6.40%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		115.66
29	6.60%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		211.99
30	6.75%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		87.00
31	6.95%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013		90.00
32	5.60%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014		54.15
33	5.70%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014		106.78
34	7.32%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014		35.60
35	7.36%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014		42.20
36	5.85%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015		17.48
37	6.20%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015		109.22
38	7.02%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015		45.03
39	7.53%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015		128.38
40	7.77%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015		95.11
41	7.75%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016		75.00
42	7.80%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016		90.97
43	8.04%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016		149.73
44	5.90%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017		75.01
45	7.17%	जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017		124.98
46	7.95%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2017		200.00
47	8.45%	जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2017		250.00
जोड़ [क]				3,537.63
पावर बांड				
1	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		79.54
3	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		79.54
4	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		79.54
5	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		79.54



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या		ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष	क्रम संख्या		ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3	1	2		3
6	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	79.54	31	6.95%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	456.79
7	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	79.54	32	5.60%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	550.09
8	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	79.54	33	5.70%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	435.13
9	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	79.54	34	7.32%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	295.70
10	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	79.54	35	7.36%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	365.47
11	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	79.54	36	5.85%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	518.68
12	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	79.54	37	5.85%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.03
13	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	79.54	38	6.20%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	339.84
14	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	79.54	39	7.02%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	261.02
15	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	79.54	40	7.77%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	414.92
16	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	79.54	41	5.90%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2017	220.96
17	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	79.54	42	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (मैसूर) क्षतिपूर्ति बांड	0.29
18	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	79.54	43	2.75%	मैसूर इनाम समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.02
19	8.50%	जम्मू और कश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	79.54	44	5.00%	नगरभूमि अधिकतम सीमा कर्नाटक बांड 1976	0.10
जोड़ [ख]			1,431.73	जोड़ [क]			11,700.82
जोड़ [क+ख]			4,969.37	पावर बांड			
ब्याज रहित ऋण [ग]			0.90	1	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
जोड़ [क+ख+ग]			4,970.26	2	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	0.00
कर्नाटक				3	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.00
ब्याज वाले ऋण				4	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	0.00
1	12.30%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	84.97	5	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	0.00
2	13.00%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	177.01	6	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	0.00
3	13.05%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	200.00	7	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	0.00
4	11.50%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	131.37	8	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	0.00
5	12.15%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	275.75	9	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	0.00
6	12.50%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	426.31	10	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	0.00
7	11.50%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	142.28	11	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	0.00
8	11.85%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	203.96	12	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	0.00
9	12.25%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	500.00	13	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	0.00
10	10.52%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	428.64	14	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	0.00
11	11.08%	कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	200.00	15	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	0.00
12	11.50%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	137.18	16	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	0.00
13	11.57%	कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	250.00	17	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	0.00
14	9.10%	कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2011	315.00	18	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	0.00
15	10.35%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	400.04	19	8.50%	कर्नाटक सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	0.00
16	10.82%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	146.97	जोड़ [ख]			0.00
17	11.50%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	59.14	जोड़ [क+ख]			11,700.82
18	12.00%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	98.81	ब्याज रहित ऋण [ग]			0.77
19	6.80%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	352.24	जोड़ [क+ख+ग]			11,701.59
20	7.80%	कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	80.00	केरल			
21	7.80%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	150.02	ब्याज वाले ऋण			
22	7.80%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	300.04	1	12.30%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	147.91
23	7.90%	कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	200.00	2	13.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	215.03
24	8.00%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	80.21	3	13.05%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	300.00
25	8.30%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	259.41	4	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	142.28
26	6.20%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	339.68	5	12.15%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	301.62
27	6.35%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	297.25	6	12.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	290.34
28	6.35%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	391.57	7	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	154.70
29	6.40%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	562.46				
30	6.75%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	151.47				



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या		व्यौरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
8	11.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	138.21
9	12.25%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	452.73
10	10.52%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	302.03
11	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	152.23
12	11.75%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	200.00
13	12.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	75.42
14	8.37%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	138.96
15	9.56%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	289.59
16	10.53%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	200.00
17	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	72.28
18	12.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	120.64
19	6.80%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	197.39
20	6.93%	केरल सरकार का स्टॉक 2012	220.00
21	7.80%	केरल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	251.06
22	8.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	286.15
23	8.30%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	276.42
24	6.02%	केरल सरकार का स्टॉक 2013	250.00
25	6.20%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	192.05
26	6.35%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	168.01
27	6.35%	केरल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	221.46
28	6.40%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	395.01
29	6.75%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	85.97
30	6.95%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	258.00
31	5.60%	केरल रा.वि.ऋ. 2014	329.94
32	5.70%	केरल रा.वि.ऋ. 2014	396.08
33	5.80%	केरल सरकार का स्टॉक 2014	200.00
34	7.25%	केरल सरकार का स्टॉक 2014	355.66
35	7.32%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	250.00
36	7.42%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	145.82
37	7.33%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	361.14
38	5.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	114.57
39	5.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.02
40	6.20%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	192.02
41	7.02%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	41.54
42	7.45%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	300.00
43	7.77%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	422.84
44	7.75%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	328.00
45	7.65%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	300.00
46	7.87%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	400.00
47	7.94%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	400.00
48	7.99%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	153.23
49	8.11%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	300.00
50	5.90%	केरल रा.वि.ऋ. 2017	118.99
51	7.17%	केरल रा.वि.ऋ. 2017	327.23
52	7.99%	केरल सरकार का स्टॉक 2017	314.59
53	8.19%	केरल सरकार का स्टॉक 2017	300.00
54	4.25%	केरल गृहभूमि बांड	0.01
55	4.50%	केरल गृहभूमि बांड	0.00
56	4.50%	केरल भूमिसुधार बांड	0.99
57	4%	जन्मीकरण अदायगी (समापन) बांड	0.02
जोड़ [क]			12,848.15

क्रम संख्या		व्यौरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
पावर बांड			
1	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
2	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	57.91
3	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	57.91
4	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	57.91
5	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	57.91
6	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	57.91
7	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	57.91
8	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	57.91
9	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	57.91
10	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	57.91
11	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	57.91
12	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	57.91
13	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	57.91
14	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	57.91
15	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	57.91
16	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	57.91
17	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	57.91
18	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	57.91
19	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	57.91
जोड़ [ख]			1,042.43
जोड़ [क+ख]			13,890.58
ब्याज रहित ऋण [ग]			0.20
जोड़ [क+ख+ग]			13,890.78

महाराष्ट्र			
ब्याज वाले ऋण			
1	13.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2007	222.76
2	13.05%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2007	552.59
3	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	109.50
4	12.15%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	563.81
5	12.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	121.46
6	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	116.51
7	11.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	172.47
8	12.25%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	600.00
9	10.52%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	421.49
10	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	104.43
11	11.70%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	280.00
12	12.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	107.70
13	8.37%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	141.20
14	9.40%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2011	290.00
15	10.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	500.01
16	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	38.97
17	12.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	150.11
18	6.93%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	230.00
19	7.80%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	328.16
20	7.80%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	236.97
21	7.83%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	278.75
22	8.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	150.52
23	8.30%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	207.92



विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
24	5.78%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2013		400.00
25	6.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013		1,253.75
26	6.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013		1,096.98
27	6.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		700.52
28	6.40%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013		643.66
29	5.60%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014		610.98
30	5.70%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014		1,145.00
31	6.00%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2014		300.00
32	7.32%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014		347.66
33	7.36%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014		427.16
34	5.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015		567.42
35	5.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)		50.06
36	6.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015		1,253.61
37	7.02%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015		136.92
38	7.39%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015		407.39
39	7.77%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015		595.35
40	7.45%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2015		290.00
41	7.70%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016		286.89
42	7.74%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016		500.00
43	7.91%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016		500.00
44	5.90%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017		883.92
45	7.17%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017		519.97
46	7.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017		386.38
47	8.35%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2017		737.60
48	5.00%	नगर भूमि अधिकतम सीमा (महाराष्ट्र) बांड		0.33
49	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (बम्बई) क्षतिपूर्ति बांड		0.10
50	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार अधिनियम (महाराष्ट्र) क्षतिपूर्ति बांड		0.05
51	3.00%	महाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतर सीमा) अधिनियम, 1961 (क्रिस्तों में चुकौती योग्य) क्षतिपूर्ति बांड		1.87
52	3.00%	महाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतम सीमा) अधिनियम, 1961 क्षतिपूर्ति बांड (परिपक्वता पर प्रतिदानयोग्य)		0.21
53	3.00%	हैदराबाद (नकदी मंजूरी समापन) अधिनियम 1952 क्षतिपूर्ति बांड		0.03
54	3.00%	महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय समापन) अधिनियम 1962		0.01
55	3.00%	कोल्हापूर के न्यासी जागीरदरों के सरंजाम(पुनर्ग्रहण) नियमावली, 1957		0.00
56	4.00%	बम्बई नगर (इनामी और विशेष धारणाधिकार) समापन और महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (कोड) (संशोधन) अधिनियम, 1969		0.00
जोड़ [क]				19,969.13
पावर बांड				
1	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		—
2	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		50.93
3	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		50.93
4	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		50.93
5	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		50.93
6	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		50.93
7	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		50.93
8	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		50.93
9	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		50.93
10	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		50.93
11	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		50.93
12	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		50.93
13	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		50.93
14	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		50.93
15	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		50.93
16	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		50.93
17	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		50.93
18	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		50.93
19	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		50.93
जोड़ [ख]				916.73
जोड़ [क+ख]				20,885.86
ब्याज रहित ऋण [ग]				3.56
जोड़ [क+ख+ग]				20,889.42
मणिपुर				
ब्याज वाले ऋण				
1	13.00%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2007		14.52
2	13.05%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2007		22.66
3	11.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008		9.77
4	12.15%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008		20.00
5	12.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008		9.28
6	11.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009		11.43
7	11.85%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009		9.75
8	12.25%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009		20.64
9	10.52%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010		15.76
10	11.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010		11.03
11	12.00%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010		9.44
12	9.45%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011		10.00
13	10.35%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011		10.00
14	11.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011		4.54
15	12.00%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011		7.59
16	6.80%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012		21.43
17	7.80%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012		10.33
18	7.80%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		27.52
19	8.00%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012		11.90
20	8.30%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012		13.29
21	6.20%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013		10.40
22	6.35%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013		9.10
23	6.40%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013		26.62
24	6.75%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013		4.50
25	6.95%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013		13.50
26	5.60%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014		34.00
27	7.36%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014		44.06
28	5.85%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015		57.69
29	5.85%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)		28.00
30	6.20%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015		10.40
31	7.02%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015		2.00
32	7.39%	मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015		27.23



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष			क्रम ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष		
1	2	3	1	2	3
33	7.45% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015	36.95	14	6.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	19.60
34	7.77% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	25.73	15	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	21.00
35	7.61% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2016	30.00	16	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	29.40
36	7.74% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	85.00	17	8.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	11.11
37	7.82% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	42.25	18	8.30% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	27.31
38	7.98% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	56.65	19	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	10.00
39	5.90% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	50.00	20	6.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	8.75
40	7.17% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	2.93	21	6.40% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	34.70
जोड़ [क]		867.90	22	6.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	4.25
पावर बांड			23	6.95% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	12.75
1	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00	24	5.60% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	41.15
2	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	7.85	25	7.36% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	46.61
3	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	7.85	26	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	52.06
4	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	7.85	27	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.32
5	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	7.85	28	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	10.00
6	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	7.85	29	7.02% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	3.00
7	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010 (03804)	7.85	30	7.53% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	69.14
8	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	7.85	31	7.77% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	39.11
9	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	7.85	32	7.70% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	50.00
10	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	7.85	33	7.94% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	55.44
11	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	7.85	34	7.95% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	40.00
12	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	7.85	35	8.65% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	29.43
13	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	7.85	36	5.90% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	39.22
14	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	7.85	37	7.17% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	51.59
15	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	7.85	38	8.39% मेघालय सरकार का स्टॉक 2017	67.00
16	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	7.85	जोड़ [क]		1,120.11
17	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	7.85	पावर बांड		
18	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	7.85	1	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
19	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	7.85	2	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	0.70
जोड़ [ख]		141.38	3	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	0.70
जोड़ [क+ख]		1,009.29	4	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	0.70
ब्याज रहित ऋण [ग]		0.09	5	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	0.70
जोड़ [क+ख+ग+घ]		1,009.38	6	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	0.70
मेघालय			7	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	0.70
ब्याज वाले ऋण			8	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	0.70
1	13.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2007	13.27	9	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	0.70
2	13.05% मेघालय रा.वि.ऋ. 2007	34.93	10	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	0.70
3	12.15% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	30.00	11	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	0.70
4	12.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	43.08	12	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	0.70
5	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	2.71	13	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	0.70
6	11.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	29.15	14	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	0.70
7	12.25% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	50.00	15	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	0.70
8	10.52% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	50.00	16	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	0.70
9	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	20.00	17	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	0.70
10	9.45% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00	18	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	0.70
11	10.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00	19	8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	0.70
12	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	4.70	जोड़ [ख]		12.59
13	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	8.33	जोड़ [क+ख]		1,132.70
			ब्याज रहित ऋण [ग]		0.00
			जोड़ [क+ख+ग]		1,132.71



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	व्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष	क्रम संख्या	व्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3	1	2	3
मिजोरम					
ब्याज वाले ऋण					
1	13.05% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2007	18.15	13	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	2.28
2	12.15% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	15.00	14	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	2.28
3	12.50% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	14.97	15	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	2.28
4	11.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	14.97	16	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	2.28
5	12.25% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	20.00	17	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	2.28
6	10.52% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	20.00	18	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	2.28
7	12.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	14.97	19	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	2.28
8	9.45% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	13.00			
9	10.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	10.32		जोड़ [ख]	41.01
10	6.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	80.59		जोड़ [क+ख]	750.09
11	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	10.49		<i>ब्याज रहित ऋण [ग]</i>	0.00
12	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	13.89		जोड़ [क+ख+ग]	750.09
13	8.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	6.44	नागालैंड		
14	8.30% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	14.12	ब्याज वाले ऋण		
15	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	7.20	1	13.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2007	18.97
16	6.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	6.30	2	13.05% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2007	52.40
17	6.40% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	16.96	3	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	12.84
18	6.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	3.25	4	12.15% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	50.00
19	6.95% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	9.75	5	12.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	30.73
20	5.60% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	15.50	6	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	15.06
21	7.32% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	9.96	7	11.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	63.65
22	7.36% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	16.81	8	12.25% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	50.00
23	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	18.01	9	10.52 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	50.00
24	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.95	10	11.50 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	14.37
25	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	7.20	11	9.45% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	43.00
26	7.53% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	29.28	12	10.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	35.00
27	7.77% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	20.31	13	10.82% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	54.95
28	7.61% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2016	15.08	14	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	5.92
29	7.71% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2016	50.00	15	12.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	9.88
30	7.82% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2016	20.52	16	6.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	74.29
31	8.05% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2016	15.00	17	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	36.33
32	8.65% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2016	19.02	18	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	53.49
33	5.90% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	33.05	19	8.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	20.15
34	7.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	46.82	20	8.30% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	57.65
35	8.39% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2017	70.20	21	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	8.40
	जोड़ [क]	709.08	22	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.35
पावर बांड			23	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013(II श्रृंखला)	42.50
1	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00	24	6.40% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	57.65
2	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	2.28	25	6.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	6.99
3	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	2.28	26	6.95% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.00
4	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	2.28	27	5.60% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	62.00
5	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	2.28	28	7.32% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	21.00
6	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	2.28	29	7.36% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	34.27
7	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	2.28	30	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	82.15
8	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	2.28	31	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015(II श्रृंखला)	21.00
9	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	2.28	32	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	8.40
10	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	2.28	33	7.02% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	1.80
11	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	2.28	34	7.53% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	125.09
12	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	2.28	35	7.77% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	59.57
			36	7.61% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2016	24.17
			37	7.69% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	45.00



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष			क्रम ब्यौरा मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष		
1	2	3	1	2	3
38	7.81% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	40.00	17	10.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	156.00
39	7.82% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	43.19	18	10.82% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	139.00
40	7.95% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	120.00	19	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	79.42
41	5.90% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	42.00	20	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	145.27
42	7.17% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	2.04	21	6.80% उड़ीसा सरकार ऋण 2012	186.81
43	8.39% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2017	90.00	22	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	154.03
जोड़ [क]		1,700.25	23	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	280.23
पावर बांड			24	8.00% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	161.07
1	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00	25	8.30% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	207.24
2	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	3.95	26	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	220.00
3	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	3.95	27	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	192.50
4	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	3.95	28	6.40% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	339.28
5	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.95	29	6.75% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	333.96
6	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	3.95	30	6.95% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	353.02
7	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.95	31	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013 (II शृंखला)	133.10
8	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.95	32	5.60% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	313.46
9	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.95	33	5.70% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	174.69
10	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.95	34	7.32% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	217.83
11	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.95	35	7.36% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	168.89
12	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.95	36	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	183.39
13	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.95	37	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)	481.46
14	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.95	38	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	220.03
15	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.95	39	7.77% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	506.13
16	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.95	40	5.90% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	464.21
17	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.95	41	7.17% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	191.00
18	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.95	जोड़ [क]		8,898.25
19	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.95	पावर बांड		
जोड़ [ख]		71.03	1	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	0.00
जोड़ (क+ख)		1,771.28	2	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	55.14
ब्याज रहित ऋण [ग]		0.10	3	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	55.14
जोड़ [क+ख+ग]		1,771.38	4	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	55.14
उड़ीसा			5	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	55.14
ब्याज वाले ऋण			6	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	55.14
1	12.30% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	86.05	7	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	55.14
2	12.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	0.05	8	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	55.14
3	13.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	271.62	9	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	55.14
4	13.05% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	360.00	10	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	55.14
5	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	134.03	11	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	55.14
6	12.15% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	216.42	12	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	55.14
7	12.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	319.77	13	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	55.14
8	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2009	83.03	14	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	55.14
9	11.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	301.40	15	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	55.14
10	12.25% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	201.30	16	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	55.14
11	11.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	61.62	17	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	55.14
12	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	126.22	18	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	55.14
13	10.52% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	116.51	19	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	55.14
14	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	159.20	जोड़ [ख]		992.59
15	9.45% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	300.00	जोड़ [क+ख]		9,890.83
16	10.35% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	159.01	ब्याज रहित ऋण [ग]		0.20
			जोड़ [क+ख+ग]		9,891.04



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
पंजाब				
ब्याज वाले ऋण				
1	12.30%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2007		80.92
2	13.00%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2007		46.60
3	13.05%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2007		200.00
4	11.50%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2008		42.39
5	12.15%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2008		200.00
6	12.50%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2008		113.33
7	11.50%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2009		43.43
8	11.85%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2009		80.48
9	12.25%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2009		300.00
10	12.47%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2009		60.00
11	10.52%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2010		261.26
12	11.00%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2010		200.02
13	11.50%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2010		37.25
14	12.00%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2010		100.45
15	9.40%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2011		130.00
16	10.35%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2011		200.02
17	11.50%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2011		15.35
18	12.00%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2011		25.63
19	6.80%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2012		85.00
20	7.80%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2012		212.08
21	7.80%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]		127.26
22	8.00%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2012		37.28
23	8.30%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2012		51.34
24	6.95%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013		450.50
25	6.75%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013		266.34
26	6.40%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013		205.85
27	6.35%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013		351.43
28	6.20%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013		401.66
29	6.35%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]		596.05
30	5.90%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2013		189.78
31	5.60%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2014		210.81
32	5.70%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2014		512.11
33	5.85%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2015 [II श्रृंखला]		249.99
34	7.02%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2015		292.50
35	6.20%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2015		401.69
36	7.67%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2016		619.30
37	7.74%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2016		243.36
38	7.79%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2016		580.00
39	7.93%	पंजाब सरकार का स्टॉक 2016		437.86
40	5.90%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2017		256.03
41	7.17%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2017		219.23
42	8.32%	पंजाब रा.वि.ऋ. 2017		300.00
जोड़ [क]				9,434.58
पावर बांड				
1	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		31.87
3	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		31.87
4	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		31.87
5	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		31.87
6	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		31.87
7	8.50%	पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		31.87
जोड़ [ख]				
				573.61
जोड़ [क+ख]				
				10,008.19
<i>ब्याज रहित ऋण [ग]</i>				
				0.21
कुल जोड़ [क+ख+ग]				
				10,008.40
राजस्थान				
ब्याज वाले ऋण				
1	13.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2007		231.77
2	13.05%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2007		522.18
3	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008		158.82
4	12.15%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008		442.29
5	12.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008		559.02
6	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009		165.28
7	11.85%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009		243.32
8	12.25%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009		700.00
9	10.52%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010		342.56
10	11.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010		280.03
11	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010		160.79
12	12.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010		425.18
13	9.45%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		350.00
14	10.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		446.15
15	10.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		280.00
16	10.82%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		134.33
17	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		76.63
18	12.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011		127.69
19	6.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012		283.94
20	7.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012		248.52
21	7.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		425.98
22	8.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012		177.87
23	8.30%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012		218.08
24	6.20%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013		381.22
25	6.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013		333.58
26	6.40%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013		516.65
27	6.75%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013		711.63
28	6.95%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013		713.35
29	6.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		393.37
30	5.60%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014		512.84
31	5.70%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014		495.33
32	7.32%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014		217.06
33	7.36%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014		504.86
34	5.85%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015		571.19



(करोड रुपए)

210



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपये)

क्रम ब्योरा संख्या			मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
तमिलनाडु			
ब्याज वाले ऋण			
1	12.30% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007		338.75
2	13.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007		289.12
3	13.05% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007		185.00
4	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008		184.66
5	12.15% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008		389.59
6	12.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008		231.34
7	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009		200.42
8	11.74% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2009		200.00
9	11.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009		24.18
10	12.25% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009		450.00
11	10.52% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010		400.00
12	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010		185.12
13	11.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010		290.00
14	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010		152.53
15	9.38% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2011		320.00
16	9.45% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011		137.42
17	10.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011		460.00
18	10.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011		249.94
19	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011		86.91
20	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011		146.14
21	6.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012		145.94
22	7.30% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2012		275.00
23	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012		309.02
24	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		406.48
25	8.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012		107.37
26	8.30% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012		134.96
27	6.95% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013		728.57
28	6.75% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013		460.40
29	6.40% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013		657.07
30	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013		335.00
31	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013		382.97
32	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)		443.27
33	6.00% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2013		250.00
34	5.60% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014		580.56
35	5.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014		722.60
36	7.10% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2014		270.00
37	7.36% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014		449.93
38	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015		383.01
39	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015		150.10
40	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)		249.95
41	7.02% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015		133.01
42	7.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015		209.50
43	7.77% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015		200.01
44	7.68% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016		600.00
45	7.79% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016		609.38
47	7.93% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016		400.00
48	7.96% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017		500.00
49	8.19% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017		500.00
50	5.90% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2017		442.86
51	8.32% तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2017		414.47
जोड़ [क]			16,372.53

क्रम ब्योरा संख्या			मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
पावर बांड			
1	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		0.00
3	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		0.00
4	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		0.00
5	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		0.00
6	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		0.00
7	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		0.00
8	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		0.00
9	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		0.00
10	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		0.00
11	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		0.00
12	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		0.00
13	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		0.00
14	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		0.00
15	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		0.00
16	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		0.00
17	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		0.00
18	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		0.00
19	8.50% तमिलनाडु सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		0.00
जोड़ [ख]			0.00
जोड़ [क+ख+ग]			16,372.53
<i>ब्याज रहित ऋण [ग]</i>			<i>2.53</i>
जोड़ [क+ख+ग]			16,375.06

त्रिपुरा			
ब्याज वाले ऋण			
1	13.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2007		19.12
2	13.05% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2007		26.37
3	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008		10.54
4	12.15% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008		25.00
5	12.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008		42.43
6	11.50 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009		12.93
7	11.85 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009		46.92
8	12.25 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009		36.13
9	10.52% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010		50.00
10	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010		12.84
11	9.45% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011		27.00
12	10.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011		30.00
13	10.82% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011		29.95
14	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011		5.08
15	12.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011		11.49
16	6.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012		24.19
17	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012		25.34
18	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)		34.92
19	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013		20.40
20	6.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013		17.85
21	6.40% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013		39.42
22	6.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013		17.00
23	6.95% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013		20.00
24	5.60% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014		41.60



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या			ब्यौरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
25	7.32%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014		22.00
26	7.36%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014		39.85
27	5.85%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015		61.93
28	5.85%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)		13.00
29	6.20%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015		20.40
30	7.02%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015		1.50
31	7.45%	त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2015		40.00
32	7.77%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015		30.08
33	7.61%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016		42.09
34	7.70%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016		25.03
35	8.11%	त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2016		35.00
36	5.90%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017		56.00
37	7.17%	त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017		145.94
जोड़ [क]				1,159.35
पावर बांड				
1	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		3.18
3	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		3.18
4	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		3.18
5	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		3.18
6	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		3.18
7	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		3.18
8	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		3.18
9	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		3.18
10	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		3.18
11	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		3.18
12	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		3.18
13	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		3.18
14	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		3.18
15	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		3.18
16	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		3.18
17	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		3.18
18	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		3.18
19	8.50%	त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		3.18
जोड़ [ख]				57.16
जोड़ [क+ख]				1,216.50
ब्याज रहित ऋण [ग]				0.06
जोड़ [क+ख+ग]				1,216.56
उत्तराखंड*				
ब्याज वाले ऋ.ण				
1	12.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		35.12
2	13.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		32.13
3	13.05%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		27.68
4	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		21.30
5	12.15%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		37.68
6	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		47.90
7	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		23.32
8	11.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		40.26
9	12.25%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		43.43
10	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		20.13
क्रम संख्या			ब्यौरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
11	10.52%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		45.29
12	11.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		25.16
13	11.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		7.39
14	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		23.09
15	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		17.61
16	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		10.31
17	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		18.69
18	2.75%	उत्तर प्रदेश जैग.- बांड		0.59
19	3.25%	उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड		0.01
20	3.50%	उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा क्षतिपूर्ति बांड		0.02
21	2.50%	उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड		0.02
22	2.50%	उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड		1.47
जोड़ [क]				478.60
23	9.45%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011		126.25
24	10.35%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011		45.00
25	10.82%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011		15.99
26	6.80%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012		286.29
27	7.80%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012		56.85
28	7.80%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)		22.74
29	8.00%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012		19.23
30	8.30%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012		21.26
31	6.20%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013		339.24
32	6.35%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013		296.95
33	6.40%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013		127.68
34	6.75%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013		291.99
35	6.95%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013		292.00
36	5.60%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014		209.00
37	7.32 %	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014		32.54
38	7.36 %	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014		67.31
39	5.85%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015		262.70
40	6.20%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015		339.25
41	7.77%	उत्तराखंड रा.वि.ऋ. उत्तरांचल रा.वि.ऋ. 2015		92.00
42	7.70%	उत्तराखंड सरकार प्रतिभूतियां 2016		250.00
43	7.72%	उत्तराखंड सरकार प्रतिभूतियां 2016		226.25
44	7.95%	उत्तराखंड सरकार प्रतिभूतियां 2016		158.65
45	8.38%	उत्तराखंड सरकार प्रतिभूतियां 2017		210.54
जोड़ [ख]				3,789.71
जोड़ [क+ख]				4,268.31
पावर बांड				
1	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2007		0.00
2	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007		28.60
3	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2008		28.60
4	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008		28.60
5	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009		28.60
6	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009		28.60
7	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010		28.60
8	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010		28.60
9	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011		28.60
10	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011		28.60
11	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012		28.60
12	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012		28.60



भारतीय रिज़र्व बैंक

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या			ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3		
13	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013		28.60
14	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013		28.60
15	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014		28.60
16	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014		28.60
17	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015		28.60
18	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015		28.60
19	8.50%	उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016		28.60
जोड़ [ग]				514.80
जोड़ [क+ख+ग]				4,783.11
ब्याज रहित ऋण [घ]				0.31
जोड़ [क+ख+ग+घ]				4,783.42
उत्तर प्रदेश *				
ब्याज वाले ऋण				
1	12.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		662.77
2	13.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		606.38
3	13.05%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007		522.32
4	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		401.99
5	12.15%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		711.06
6	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008		903.88
7	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		440.15
8	11.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		759.74
9	12.25%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		819.57
10	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009		379.87
11	10.52%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		854.71
12	11.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		474.86
13	11.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		139.49
14	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		435.83
15	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010		332.38
16	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		194.47
17	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		352.63
18	2.75%	यूपीशेडएआरजी बांड		11.22
19	3.25%	उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड		0.20
20	3.50%	उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा क्षतिपूर्ति बांड		0.30
21	2.50%	यूपीशेडए क्षतिपूर्ति बांड		0.33
22	2.50%	यूपीशेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र		27.66
जोड़ [क]				9,031.83
23	8.37%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		207.35
24	9.45%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		597.75
25	10.35%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		574.94
26	10.82%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011		302.45
27	6.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		542.49
28	7.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		432.67
29	7.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)		813.82
30	8.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		471.51
31	8.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012		597.50
32	6.20%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		808.00
33	6.35%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		707.92
34	6.40%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		916.49
35	6.75%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013		598.78
जोड़ [ग]				5,284.67
जोड़ [क+ख+ग]				36,083.35
ब्याज रहित ऋण [घ]				5.79
जोड़ [क+ख+ग+घ]				36,089.14
पश्चिम बंगाल				
ब्याज वाले ऋ.ण				
1	13.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2007		295.72
2	13.05%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2007		570.81
3	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008		148.14

विवरण 32 : राज्य सरकार के बाजार ऋण (समाप्त)

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या				ब्योरा	मार्च 2007 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3		
4	12.15%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	435.16		
5	12.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	270.60		
6	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	180.83		
7	11.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	272.68		
8	12.25%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	494.00		
9	10.52%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	372.56		
10	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	178.45		
11	11.80%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2010	250.00		
12	12.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	104.81		
13	9.45%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	75.00		
14	9.72%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2011	250.00		
15	10.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	387.74		
16	10.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	150.00		
17	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	94.10		
18	12.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	177.08		
19	7.35%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2012	152.65		
20	7.80%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	384.37		
21	7.80%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	229.05		
22	8.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	160.83		
23	8.30%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	245.90		
24	5.78%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2013	335.00		
25	6.20%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,170.57		
26	6.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,024.11		
27	6.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	680.60		
28	6.40%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	465.71		
29	6.75%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	838.23		
30	6.95%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	901.77		
31	5.60%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	406.22		
32	5.70%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	1,112.58		
33	7.15%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2014	259.00		
34	7.32%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	182.92		
35	7.36%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	289.31		
36	5.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	164.22		
37	5.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.00		
38	6.20%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	1,170.59		
39	7.02%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	542.21		
40	7.39%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	449.45		
41	7.53%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	633.49		
42	7.77%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	631.53		
43	7.74%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2016	466.67		
44	7.93%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2016	869.34		
45	5.90%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	898.96		
46	7.17%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	965.99		
47		पश्चिम बंगाल संपदा अभिग्रहण क्षतिपूर्ति बांड	2.29		
जोड़ [क]			20,841.21		
पावर बांड					
1	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2007	—		
2	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2007	98.19		
3	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2008	98.19		
4	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2008	98.19		
5	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	98.19		
6	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	98.19		
7	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	98.19		
8	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	98.19		
9	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	98.19		
10	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	98.19		
11	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	98.19		
12	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	98.19		
13	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	98.19		
14	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	98.19		
15	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	98.19		
16	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	98.19		
17	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	98.19		
18	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	98.19		
19	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	98.19		
जोड़ [ख]			1,767.40		
जोड़ [क+ख]			22,608.61		
ब्याज रहित ऋण [ग]			3.71		
जोड़ [क+ख+ग]			22,612.32		

रा.वि.ऋ. : राज्य विकास ऋण

टिप्पणी : 1. क्रम संख्या 1 से 13 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 आदेश क्र. एफ 9(3)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।
2. क्रम संख्या 1 से 13 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 आदेश क्र. एफ 9(3)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।
3. क्रम संख्या 1 से 16 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 आदेश क्र. एफ 9(2)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।
4. क्रम संख्या 1 से 16 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 आदेश क्र. एफ 9(2)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।
5. क्रम संख्या 1 से 22 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 आदेश क्र. एफ 9(1)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।
6. क्रम संख्या 1 से 22 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 आदेश क्र. एफ 9(1)-बी (एस) / 2002 के अनुसार को प्रभाजित किए गए हैं ।

स्त्रोत : रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार



विवरण 33 : राज्य सरकार के बकाया बाजार ऋण
(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	व्याज रहित बाजार ऋण	क्षतिपूर्ति बांड	कुल बकाया बाजार ऋण
1	2	3	4	5	6= 2 से 5
I. गैर-विशेष श्रेणी					
1. अंध्र प्रदेश	23,543.2	2,192.5	1.0	0.1	25,736.8
2. बिहार	10,393.5	1,868.0	0.3	22.7	12,284.4
3. छत्तीसगढ़	2,695.1	434.9	0.4	0.1	3,130.6
4. गोवा	1,107.7	—	—	—	1,107.7
5. गुजरात	12,721.6	1,465.8	2.7	2.4	14,192.6
6. हरियाणा	4,994.4	1,820.1	0.1	—	6,814.7
7. झारखंड	3,805.5	1,903.8	0.1	7.7	5,717.0
8. कर्नाटक	11,700.4	—	0.8	0.4	11,701.6
9. केरल	12,847.1	1,042.4	0.2	1.0	13,890.8
10. मध्य प्रदेश	11,218.9	2,397.5	1.2	0.4	13,618.0
11. महाराष्ट्र	19,966.5	916.7	3.6	2.6	20,889.4
12. उड़ीसा	8,898.2	992.6	0.2	—	9,891.0
13. पंजाब	9,434.6	573.6	0.2	—	10,008.4
14. राजस्थान	16,070.3	221.3	0.2	0.2	16,292.0
15. तमिलनाडु	16,372.5	—	2.5	—	16,375.1
16. उत्तर प्रदेश	30,759.0	5,284.7	5.8	39.7	36,089.1
17. प. बंगाल	20,838.9	1,767.4	3.7	2.3	22,612.3
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	423.9	21.7	—	—	445.6
2. असम	6,524.7	771.8	0.0	0.1	7,296.6
3. हिमाचल प्रदेश	4,583.0	63.2	0.1	—	4,646.4
4. जम्मू और कश्मीर	3,537.6	1,431.7	0.9	—	4,970.3
5. मणिपुर	867.9	141.4	0.1	—	1,009.4
6. मेघालय	1,120.1	12.6	—	—	1,132.7
7. मिजोरम	709.1	41.0	—	—	750.1
8. नागालैंड	1,700.3	71.0	0.1	—	1,771.4
9. सिक्किम	517.4	43.0	—	—	560.4
10. त्रिपुरा	1,159.3	57.2	0.1	—	1,216.6
11. उत्तराखंड	4,266.2	514.8	0.3	2.1	4,783.4
सभी राज्य	2,42,777.2	26,050.7	24.6	81.8	2,68,934.3

— : शुन्य/नाप्य/उपलब्ध नहीं
स्रोत : रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार।



विवरण 34 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास
(31 मार्च 2007 को बकाया)

(करोड़ रुपए)

राज्य / वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	पावर बाँड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,007.67	1,782.88	2,097.53	1,639.13	2,394.24	3,401.21	2,725.92	2,733.42	2,682.46	3,078.77	23,543.23	2,192.49
2. बिहार	779.34	732.93	498.17	892.39	1,406.54	1,335.47	1,153.23	1,433.47	1,266.89	895.05	10,393.47	1,868.05
3. छत्तीसगढ़	184.96	184.04	280.48	235.01	313.14	463.53	156.01	392.35	183.25	302.32	2,695.10	434.90
4. गोवा	30.67	96.09	82.31	88.74	98.88	155.00	108.66	132.96	165.37	149.00	1,107.68	0.00
5. गुजरात	475.27	676.85	929.62	893.56	1,253.91	2,536.92	2,282.59	1,511.60	1,532.04	629.27	12,721.62	1,465.84
6. हरियाणा	253.43	290.49	316.32	292.35	361.77	755.56	824.82	827.01	931.68	141.02	4,994.44	1,820.06
7. झारखंड	263.81	248.10	168.63	302.08	468.66	454.98	414.47	462.15	594.06	428.52	3,805.47	1,903.79
8. कर्नाटक	461.99	833.43	1,046.23	962.80	1,292.62	1,610.57	1,590.96	2,407.42	1,273.45	220.96	11,700.41	0.00
9. केरल	662.95	734.24	745.63	729.68	1,384.04	1,012.41	1,426.53	1,423.23	2,114.39	2,614.03	12,847.13	1,042.43
10. मध्य प्रदेश	509.84	507.30	773.16	642.53	833.79	1,136.97	1,428.18	2,128.87	1,709.26	1,549.01	11,218.92	2,397.50
11. महाराष्ट्र	775.35	794.78	888.98	913.62	1,478.72	1,073.88	4,394.91	2,717.78	3,400.66	3,527.86	19,966.55	916.73
12. उड़ीसा	717.72	670.21	647.35	696.93	1,052.01	1,308.05	884.88	1,356.33	909.55	655.21	8,898.25	992.59
13. पंजाब	327.52	415.72	623.93	398.96	459.62	1,141.19	1,744.77	1,265.40	1,600.99	1,456.49	9,434.58	573.61
14. राजस्थान	753.95	1,160.13	1,388.63	1,342.86	1,396.42	2,383.41	1,624.82	2,297.87	1,993.25	1,729.01	16,070.34	221.27
15. तमिलनाडु	812.87	805.59	874.59	1,277.58	1,392.81	2,325.40	2,068.31	2,406.05	2,151.99	2,257.33	16,372.53	0.00
16. उत्तर प्रदेश	1,791.47	2,396.81	2,633.82	1,925.37	2,996.16	3,236.91	2,945.98	3,987.81	4,699.04	4,145.61	30,758.97	5,284.67
17. प. बंगाल	866.53	853.90	947.51	1,055.82	1,390.65	2,506.07	3,675.98	3,292.24	3,049.28	3,200.95	20,838.92	1,767.40
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	10.33	9.55	9.82	20.52	31.93	34.22	27.77	45.15	68.87	165.73	423.90	21.66
2. असम	332.86	405.35	418.28	414.21	569.02	910.63	499.91	711.32	1,167.50	1,095.66	6,524.74	771.78
3. हिमाचल प्रदेश	76.61	159.61	242.94	255.65	402.65	697.85	610.49	714.36	785.55	637.35	4,583.05	63.22
4. जम्मू और कश्मीर	118.44	127.53	126.98	267.41	316.19	596.04	385.42	283.75	425.18	890.69	3,537.63	1,431.73
5. मणिपुर	37.18	39.05	41.82	36.23	57.32	77.28	46.12	108.06	273.00	151.83	867.90	141.38
6. मेघालय	48.20	73.08	81.86	70.00	101.45	87.00	53.45	102.08	220.31	282.67	1,120.11	12.59
7. मिजोरम	18.15	29.97	34.97	34.97	43.88	117.97	30.46	54.22	139.88	204.61	709.08	41.01
8. नागालैंड	71.37	93.57	128.71	119.32	171.60	178.10	115.90	140.07	344.38	337.23	1,700.25	71.03
9. सिक्किम	25.65	45.16	51.01	31.11	16.72	20.00	16.57	22.42	119.02	169.76	517.43	43.02
10. त्रिपुरा	45.49	77.97	95.98	92.79	73.57	121.45	77.67	117.95	219.53	236.94	1,159.35	57.16
11. उत्तराखंड	94.93	127.01	139.57	101.99	240.73	949.87	763.87	308.85	1,170.19	369.19	4,266.21	514.80
कुल	11,554.52	14,371.33	16,314.86	15,733.62	21,999.04	30,627.93	32,078.66	33,384.18	35,191.00	31,522.06	2,42,777.24	26,050.72
पावर बाँड	1,453.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,907.00	1,453.00		

स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 35 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में
(31 मार्च 2007 के अनुसार बकाया)

राज्य / वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर-विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	4.28	7.57	8.91	6.96	10.17	14.45	11.58	11.61	11.39	13.08	100.00
2. बिहार	7.50	7.05	4.79	8.59	13.53	12.85	11.10	13.79	12.19	8.61	100.00
3. छत्तीसगढ़	6.86	6.83	10.41	8.72	11.62	17.20	5.79	14.56	6.80	11.22	100.00
4. गोवा	2.77	8.68	7.43	8.01	8.93	13.99	9.81	12.00	14.93	13.45	100.00
5. गुजरात	3.74	5.32	7.31	7.02	9.86	19.94	17.94	11.88	12.04	4.95	100.00
6. हरियाणा	5.07	5.82	6.33	5.85	7.24	15.13	16.51	16.56	18.65	2.82	100.00
7. झारखंड	6.93	6.52	4.43	7.94	12.32	11.96	10.89	12.14	15.61	11.26	100.00
8. कर्नाटक	3.95	7.12	8.94	8.23	11.05	13.77	13.60	20.58	10.88	1.89	100.00
9. केरल	5.16	5.72	5.80	5.68	10.77	7.88	11.10	11.08	16.46	20.35	100.00
10. मध्य प्रदेश	4.54	4.52	6.89	5.73	7.43	10.13	12.73	18.98	15.24	13.81	100.00
11. महाराष्ट्र	3.88	3.98	4.45	4.58	7.41	5.38	22.01	13.61	17.03	17.67	100.00
12. उड़ीसा	8.07	7.53	7.28	7.83	11.82	14.70	9.94	15.24	10.22	7.36	100.00
13. पंजाब	3.47	4.41	6.61	4.23	4.87	12.10	18.49	13.41	16.97	15.44	100.00
14. राजस्थान	4.69	7.22	8.64	8.36	8.69	14.83	10.11	14.30	12.40	10.76	100.00
15. तमिलनाडु	4.96	4.92	5.34	7.80	8.51	14.20	12.63	14.70	13.14	13.79	100.00
16. उत्तर प्रदेश	5.82	7.79	8.56	6.26	9.74	10.52	9.58	12.96	15.28	13.48	100.00
17. प. बंगाल	4.16	4.10	4.55	5.07	6.67	12.03	17.64	15.80	14.63	15.36	100.00
II. गैर-विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	2.44	2.25	2.32	4.84	7.53	8.07	6.55	10.65	16.25	39.10	100.00
2. असम	5.10	6.21	6.41	6.35	8.72	13.96	7.66	10.90	17.89	16.79	100.00
3. हिमाचल प्रदेश	1.67	3.48	5.30	5.58	8.79	15.23	13.32	15.59	17.14	13.91	100.00
4. जम्मू और कश्मीर	3.35	3.60	3.59	7.56	8.94	16.85	10.89	8.02	12.02	25.18	100.00
5. मणिपुर	4.28	4.50	4.82	4.17	6.60	8.90	5.31	12.45	31.46	17.49	100.00
6. मेघालय	4.30	6.52	7.31	6.25	9.06	7.77	4.77	9.11	19.67	25.24	100.00
7. मिजोरम	2.56	4.23	4.93	4.93	6.19	16.64	4.30	7.65	19.73	28.86	100.00
8. नागालैंड	4.20	5.50	7.57	7.02	10.09	10.47	6.82	8.24	20.25	19.83	100.00
9. सिक्किम	4.96	8.73	9.86	6.01	3.23	3.87	3.20	4.33	23.00	32.81	100.00
10. त्रिपुरा	3.92	6.73	8.28	8.00	6.35	10.48	6.70	10.17	18.94	20.44	100.00
11. उत्तराखंड	2.23	2.98	3.27	2.39	5.64	22.26	17.91	7.24	27.43	8.65	100.00
कुल	4.76	5.92	6.72	6.48	9.06	12.62	13.21	13.75	14.50	12.98	100.00

स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 36: राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राज्यों के स्व-राजस्व के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2005-06				2006-07 (सं.अ.)				2007-08 (ब.अ.)			
	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (2+3+4)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	ब्याज	कुल (6+7+8)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	29.3	9.4	13.4	52.1	25.9	8.9	12.8	47.6	22.6	11.1	11.8	45.5
2. बिहार	89.4	45.8	60.1	195.3	79.0	53.5	62.2	194.8	72.9	49.3	58.2	180.4
3. छत्तीसगढ़	18.2	9.5	8.7	36.5	15.8	10.7	10.8	37.3	15.4	14.9	10.1	40.3
4. गोवा	21.6	6.9	8.4	36.8	20.6	7.9	7.9	36.3	17.4	6.2	6.7	30.2
5. गुजरात	32.2	6.7	11.0	50.0	31.0	6.4	9.3	46.7	31.3	6.2	9.4	46.9
6. हरियाणा	18.2	8.2	9.0	35.4	16.8	8.3	8.2	33.4	16.5	7.8	8.1	32.3
7. झारखंड	16.8	37.6	18.1	72.5	17.0	37.0	17.3	71.4	35.0	31.8	13.7	80.6
8. कर्नाटक	16.7	7.7	9.9	34.4	15.0	7.8	9.5	32.2	16.9	9.4	12.0	38.2
9. केरल	35.5	9.5	26.7	71.7	34.0	11.1	31.1	76.1	32.0	11.0	30.7	73.7
10. मध्य प्रदेश	30.2	12.7	13.8	56.7	31.3	13.9	13.8	59.0	30.1	16.5	14.1	60.7
11. महाराष्ट्र	23.7	10.7	8.4	42.8	25.8	11.3	8.6	45.6	23.5	13.7	8.0	45.2
12. उड़ीसा	56.6	11.5	20.5	88.6	43.0	12.7	21.3	77.0	49.4	13.5	25.9	88.8
13. पंजाब	27.5	12.5	12.2	52.2	27.4	12.5	11.4	51.4	24.9	11.7	10.2	46.9
14. राजस्थान	41.3	10.5	13.1	64.9	39.4	10.2	16.1	65.6	37.6	9.7	16.3	63.5
15. तमिलनाडु	17.6	8.2	17.2	43.0	17.7	9.8	16.7	44.2	16.4	9.8	18.2	44.4
16. उत्तर प्रदेश	41.8	17.2	18.3	77.2	35.6	14.8	14.6	65.0	31.9	12.7	16.8	61.4
17. प. बंगाल	85.5	17.5	31.9	134.9	79.2	17.7	25.0	121.9	73.8	15.7	23.8	113.3
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	59.2	84.9	26.8	171.0	76.4	91.2	28.0	195.7	81.3	93.7	33.4	208.4
2. असम	32.2	27.7	21.6	81.5	41.3	43.1	28.3	112.6	32.5	38.1	24.9	95.4
3. हिमाचल प्रदेश	71.5	19.5	30.6	121.6	69.4	20.6	33.4	123.4	64.4	18.5	32.0	114.8
4. जम्मू और कश्मीर	53.8	64.9	30.2	149.0	47.9	70.8	40.3	159.0	40.2	66.7	31.6	138.4
5. मणिपुर	138.6	157.3	98.3	394.1	99.5	105.3	76.5	281.3	107.6	109.7	73.8	291.1
6. मेघालय	47.9	65.1	23.4	136.4	48.2	71.4	21.5	141.1	44.0	70.3	22.1	136.4
7. मिजोरम	105.4	126.1	50.9	282.4	124.0	145.9	58.0	327.9	128.9	159.6	63.8	352.3
8. नागालैंड	125.5	226.5	88.7	440.6	134.0	237.8	110.0	481.9	137.3	214.7	113.6	465.6
9. सिक्किम	9.0	9.1	3.7	21.8	9.9	10.8	3.9	24.6	8.5	9.2	3.1	20.7
10. त्रिपुरा	103.0	104.9	67.2	275.1	94.2	109.0	65.5	268.7	81.1	143.5	60.7	285.3
11. उत्तराखंड	33.2	18.9	18.6	70.7	34.0	18.3	17.6	69.8	31.7	18.2	16.5	66.4
सभी राज्य	32.3	13.2	15.6	61.1	30.6	13.6	15.3	59.5	29.1	13.9	15.4	58.3
ज्ञापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	16.2	3.1	—	19.3	19.3	3.4	—	22.7	19.3	3.1	—	22.4
2. पुदुचेरी	17.3	9.5	8.7	35.5	17.6	9.6	9.8	37.1	17.7	9.1	9.0	35.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

‘—’ : शून्य

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए चयनित प्रतिबद्ध व्यय में राज्य सरकार की ब्याज चुकौतियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेन्शन शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 37: राज्य सरकार के चयनित प्रतिबद्ध व्यय-राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2005-06				2006-07 (सं.अ.)				2007-08 (ब.अ.)			
	व्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (2+3+4)	व्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (6+7+8)	व्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	20.1	6.5	9.2	35.7	17.7	6.1	8.7	32.4	15.7	7.7	8.2	31.6
2. बिहार	20.6	10.5	13.8	44.9	16.4	11.1	12.9	40.3	16.3	11.0	13.0	40.4
3. छत्तीसगढ़	12.9	6.7	6.2	25.8	10.4	7.0	7.1	24.6	10.3	9.9	6.7	26.9
4. गोवा	18.3	5.9	7.1	31.2	16.8	6.4	6.4	29.7	14.7	5.2	5.6	25.4
5. गुजरात	24.1	5.0	8.3	37.4	24.4	5.0	7.3	36.7	24.7	4.9	7.4	37.1
6. हरियाणा	16.6	7.5	8.2	32.3	13.7	6.8	6.7	27.3	14.9	7.0	7.3	29.2
7. झारखंड	7.4	16.5	7.9	31.8	6.9	15.0	7.0	29.0	14.9	13.5	5.8	34.2
8. कर्नाटक	13.4	6.2	8.0	27.6	12.0	6.2	7.6	25.8	12.3	6.8	8.7	27.9
9. केरल	20.6	5.6	15.5	41.7	17.8	5.8	16.3	39.9	17.9	6.1	17.1	41.2
10. मध्य प्रदेश	16.6	7.0	7.6	31.2	16.9	7.5	7.5	31.9	16.4	9.0	7.7	33.0
11. महाराष्ट्र	17.9	8.0	6.4	32.3	18.5	8.1	6.2	32.8	17.9	10.4	6.1	34.4
12. उड़ीसा	27.2	5.5	9.8	42.6	19.4	5.7	9.6	34.6	22.0	6.0	11.5	39.5
13. पंजाब	20.4	9.3	9.1	38.8	19.4	8.9	8.1	36.4	17.7	8.3	7.3	33.3
14. राजस्थान	24.2	6.2	7.7	38.1	22.6	5.8	9.2	37.6	21.6	5.5	9.4	36.5
15. तमिलनाडु	14.2	6.7	13.9	34.8	13.5	7.4	12.7	33.6	12.4	7.4	13.8	33.7
16. उत्तर प्रदेश	19.5	8.0	8.6	36.1	18.7	7.8	7.7	34.2	16.3	6.5	8.6	31.3
17. प. बंगाल	31.3	6.4	11.7	49.5	30.7	6.8	9.7	47.2	30.4	6.4	9.8	46.6
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	9.4	13.4	4.2	27.0	10.8	12.8	3.9	27.5	9.6	11.0	3.9	24.6
2. असम	14.3	12.4	9.6	36.3	12.8	13.4	8.8	35.1	11.6	13.6	8.9	34.0
3. हिमाचल प्रदेश	24.2	6.6	10.4	41.1	23.8	7.1	11.4	42.3	23.5	6.7	11.6	41.8
4. जम्मू और कश्मीर	13.4	16.1	7.5	37.0	11.9	17.6	10.0	39.6	11.8	19.5	9.3	40.6
5. मणिपुर	11.9	13.4	8.4	33.7	12.4	13.1	9.5	35.1	12.5	12.7	8.6	33.8
6. मेघालय	11.4	15.5	5.6	32.5	10.1	14.9	4.5	29.4	8.2	13.2	4.1	25.6
7. मिजोरम	11.6	13.9	5.6	31.2	12.5	14.7	5.8	33.0	12.1	14.9	6.0	33.0
8. नागालैंड	12.3	22.2	8.7	43.3	11.7	20.7	9.6	41.9	12.6	19.7	10.4	42.7
9. सिक्किम	5.8	5.8	2.3	14.0	5.9	6.4	2.3	14.7	5.4	5.9	2.0	13.3
10. त्रिपुरा	15.5	15.8	10.1	41.4	15.2	17.6	10.5	43.3	12.9	22.8	9.6	45.3
11. उत्तराखंड	14.4	8.2	8.1	30.7	15.6	8.4	8.1	32.1	14.3	8.2	7.4	29.9
सभी राज्य	19.2	7.8	9.3	36.3	17.8	7.9	8.9	34.6	17.3	8.2	9.1	34.6
जापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	25.7	5.0	—	30.6	27.5	4.8	—	32.3	26.8	4.3	—	31.1
2. पुदुचेरी	9.6	5.2	4.8	19.6	9.7	5.3	5.4	20.3	9.4	4.8	4.8	19.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

‘—’ : शून्य

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए चयनित प्रतिबद्ध व्यय में राज्य सरकार की व्याज चुकौतियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेंशन शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 38 : भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तिता

राज्य	अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट					
	2005-06	2006-07	2007-08#	2005-06		2006-07		2007-08#	
	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरो की संख्या*	दिनों की संख्या	अवसरो की संख्या*	दिनों की संख्या	अवसरो की संख्या*	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर-विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. झारखंड	-	29	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. केरल	240	223	155	11	63	9	63	8	40
10. मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. महाराष्ट्र	41	42	-	1	20	-	-	-	-
12. उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. पंजाब	22	-	19	-	-	-	-	-	-
14. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. उत्तर प्रदेश	34	-	-	1	11	-	-	-	-
17. प. बंगाल	-	-	142	-	-	-	-	6	65
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	29	2	-	-	18	-	-	-	-
2. असम	57	-	-	2	22	-	-	-	-
3. हिमाचल प्रदेश	25	1	1	-	-	-	-	-	-
4. मणिपुर	63	-	3	1	44	-	-	-	-
5. मेघालय	15	-	-	1	1	-	-	-	-
6. मिजोरम	14	1	4	-	-	-	-	-	-
7. नागालैंड	42	28	19	1	17	2	16	1	3
8. त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. उत्तराखंड	27	63	-	1	13	-	-	-	-

: 30 नवंबर 2007 तक की स्थिति।
* : वर्ष के दौरान दिए गए ओवरड्राफ्ट के संदर्भ में।
स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।





विवरण 39 : केंद्र से अर्थोपाय अभिप्रम

(करोड़ रुपए)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	75	329	135	-	-	-	-	-
2. बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
5. गुजरात	550	91	-	-	-	-	-	-
6. हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	-	-	-	500	-	-	-	-
9. केरल	-	203	178	310	350	350	350	350
10. मध्य प्रदेश	-	-	312	-	250	-	-	-
11. महाराष्ट्र	-	-	25	-	-	-	-	-
12. उड़ीसा	250	382	695	400	-	-	-	-
13. पंजाब	250	305	-	150	200	-	-	-
14. राजस्थान	-	-	198	-	-	-	-	-
15. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
16. उत्तर प्रदेश	-	-	1	-	-	13	-	-
17. प. बंगाल	200	227	650	-	-	-	-	-
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
2. असम	200	675	470	50	200	-	50	50
3. हिमाचल प्रदेश	110	187	-	125	100	-	-	-
4. जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-
5. मणिपुर	196	433	573	445	331	-	-	-
6. मेघालय	-	-	65	-	65	-	-	-
7. मिजोरम	-	37	-	-	-	-	-	-
8. नागालैंड	-	70	27	-	100	100	-	-
9. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
10. त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
सभी राज्य	1,831	2,939	3,329	1,980	1,596	463	400	400

सं.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
टिप्पणी : सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 40: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना वित्त का बकाया निवेश
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	139	190	1,183	1,701	2,076	3,416
2. बिहार	91	943	299	2,845	2,848	1,674
3. छत्तीसगढ़	352	589	271	335	882	1,121
4. गोवा	-	-	-	80	258	353
5. गुजरात	-	747	289	227	3,420	2,105
6. हरियाणा	-	149	632	1,571	3,861	2,898
7. झारखंड	1,482	217	1,259	1,139	147	963
8. कर्नाटक	1,885	388	296	2,033	4,213	1,597
9. केरल	-	-	-	-	147	828
10. मध्य प्रदेश	-	27	-	200	646	2,507
11. महाराष्ट्र	857	1,021	1,831	1,095	3,255	4,711
12. उड़ीसा	-	-	102	653	1,722	2,621
13. पंजाब	-	-	-	-	1,527	457
14. राजस्थान	-	-	179	930	1,805	-
15. तमिलनाडु	-	-	-	-	2,944	3,407
16. उत्तर प्रदेश	-	407	240	-	3,234	5,481
17. प. बंगाल	-	-	-	935	3,302	1,136
कुल (I)	4,806	4,678	6,580	13,744	36,288	35,276
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	48	97	6	-	-	39
2. असम	-	-	-	-	1,378	2,549
3. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	337	-
4. मणिपुर	-	-	-	-	138	315
5. मेघालय	89	123	148	160	165	366
6. मिजोरम	-	36	11	114	84	-
7. नागालैंड	-	245	25	-	-	-
8. त्रिपुरा	-	103	8	297	476	538
9. उत्तराखंड	-	311	77	-	118	133
कुल (II)	137	916	275	571	2,685	3,941
कुल योग (I+II)	4,943	5,594	6,856	14,314	38,983	39,217

स्रोत : राज्य
प्रगत : रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार ।





विवरण 41 : शिक्षा \$ पर व्यय* - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)								
राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	13.3	12.5	11.7	11.6	9.8	11.1	11.7	10.4
2. बिहार	23.7	20.7	18.4	18.9	15.8	19.6	17.5	16.9
3. छत्तीसगढ़	13.1	12.4	11.0	10.8	12.3	13.4	13.2	13.4
4. गोवा	11.9	10.5	12.0	12.1	13.9	12.3	13.7	10.0
5. गुजरात	13.6	12.7	13.5	11.2	11.5	12.6	12.2	12.2
6. हरियाणा	14.6	13.8	13.7	10.2	11.6	13.4	12.3	14.3
7. झारखंड	-	16.2	19.0	14.2	14.9	15.8	15.2	15.9
8. कर्नाटक	17.7	16.0	14.8	12.9	12.7	14.0	13.5	14.5
9. केरल	20.0	19.0	17.6	15.7	16.2	16.6	17.2	18.1
10. मध्य प्रदेश	16.3	12.5	12.2	9.9	8.8	10.2	11.9	12.1
11. महाराष्ट्र	22.3	22.1	18.9	15.5	14.0	15.7	16.2	15.0
12. उड़ीसा	15.9	14.6	14.3	12.2	12.6	14.7	12.6	12.9
13. पंजाब	13.2	11.7	12.1	10.2	10.1	11.3	10.4	10.8
14. राजस्थान	18.8	18.2	15.5	14.1	13.8	17.2	15.2	14.8
15. तमिलनाडु	18.0	17.3	13.8	12.6	11.2	13.6	13.2	15.1
16. उत्तर प्रदेश	16.8	16.0	14.6	9.1	12.5	15.2	15.2	14.0
17. प. बंगाल	17.1	16.2	15.9	11.8	14.9	13.7	15.2	14.7
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	6.4	13.3	12.1	9.1	10.7	9.9	10.9	8.4
2. असम	25.5	21.9	22.4	22.3	17.0	20.8	18.9	18.7
3. हिमाचल प्रदेश	17.0	16.2	14.5	12.4	13.5	14.1	15.0	16.8
4. जम्मू और कश्मीर	11.1	11.6	10.9	11.1	9.7	9.3	10.0	9.2
5. मणिपुर	20.2	13.7	13.3	13.1	15.3	15.4	12.1	12.3
6. मेघालय	16.6	17.9	15.3	15.2	15.0	15.5	14.8	14.9
7. मिजोरम	16.2	16.0	14.5	12.0	13.8	13.4	13.9	13.4
8. नागालैंड	13.8	11.0	11.0	10.8	11.0	11.6	11.8	11.2
9. सिक्किम	14.2	8.0	7.6	11.8	8.8	10.4	9.8	8.6
10. त्रिपुरा	19.3	18.6	19.2	18.3	20.0	15.3	16.8	14.7
11. उत्तराखंड	21.5	21.1	20.0	17.6	18.4	17.2	16.9	16.7
सभी राज्य	17.4	16.2	15.1	12.6	12.7	14.2	14.2	13.9
सभी राज्य (सघट का प्रतिशत)	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3
<i>ज्ञापन मद:</i>								
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	15.1	13.7	12.1	10.9	13.1	14.9	9.5	13.4
2. पुडुचेरी	-	-	-	-	-	10.7	9.9	9.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान
- : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं
* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय
\$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय शामिल है।
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।





राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 42: चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय* -
कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-विशेष श्रेणी								
1. औषध प्रवेश	4.7	4.4	4.0	3.7	3.2	3.4	3.4	3.3
2. बिछार	5.9	4.9	4.2	3.8	3.1	4.5	4.4	4.1
3. छलीसाढ़	4.1	4.3	4.0	3.3	3.3	3.4	3.9	4.7
4. गोवा	4.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	4.7	3.7
5. गुजरात	3.4	2.8	3.2	2.7	2.8	3.1	2.9	3.1
6. हरियाणा	3.3	3.0	3.3	2.4	2.7	3.1	2.7	2.8
7. झारखंड	-	4.9	4.2	4.1	3.7	6.9	6.3	5.6
8. कर्नाटक	5.1	4.9	4.2	3.4	3.0	3.3	3.6	3.9
9. केरल	5.3	5.8	4.8	4.3	4.5	4.7	4.9	4.6
10. मध्य प्रदेश	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.4	4.0	3.9
11. महाराष्ट्र	3.9	4.3	3.7	3.2	2.7	3.2	3.3	3.3
12. उड़ीसा	4.2	3.7	3.8	3.2	4.0	3.0	3.4	3.6
13. पंजाब	4.5	3.9	3.5	3.0	2.9	3.4	3.0	3.1
14. राजस्थान	5.2	5.2	4.2	4.0	3.7	4.4	4.2	4.3
15. तमिलनाडु	4.9	4.9	4.1	3.8	3.2	4.2	3.7	4.2
16. उत्तर प्रदेश	4.0	3.6	3.8	2.7	3.8	5.1	6.4	5.2
17. प. बंगाल	5.6	5.0	4.9	3.7	4.2	3.9	4.4	4.4
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	5.0	4.9	4.5	3.5	4.5	3.1	4.1	3.0
2. असम	4.7	4.2	3.7	3.5	2.9	3.4	5.0	6.0
3. हिमाचल प्रदेश	5.6	4.9	4.5	4.3	4.6	4.6	4.4	4.5
4. जम्मू और कश्मीर	4.9	5.5	5.2	5.5	4.9	4.5	5.4	5.1
5. मणिपुर	4.8	3.4	2.9	3.2	2.6	3.0	3.1	2.8
6. मेघालय	5.6	6.6	5.9	5.5	4.9	5.5	4.7	4.6
7. मिजोरम	5.4	5.4	5.0	5.0	4.3	3.5	3.7	4.0
8. नागालैंड	5.2	4.1	4.6	4.0	5.7	4.3	4.0	4.8
9. सिक्किम	3.7	2.2	2.0	2.9	2.6	2.8	2.3	2.6
10. त्रिपुरा	4.0	3.7	3.8	3.4	3.5	4.7	6.4	5.8
11. उत्तराखंड	3.1	4.4	3.8	3.4	3.9	4.6	4.6	4.9
सभी राज्य	4.6	4.4	4.0	3.4	3.4	3.9	4.1	4.1
सभी राज्य (सघट का प्रतिशत)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
ज्ञापन मद:								
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	7.2	6.7	6.3	6.0	6.6	8.2	5.5	7.8
2. पुडुचेरी	-	-	-	-	-	5.4	7.7	7.2

सं.अ. : संशोधित अनुमान
- : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं
* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय
प्रति : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।





विवरण 43: राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 #	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आंध्र प्रदेश *	3,633	5,021	5,326	5,848	4,343	7,947	9,885	10,469	13,794	13,138	10,237	15,337	15,317	17,707	17,386
2. असम	1,008	1,022	1,022	945	1,430	1,430	1,430	1,430	1,033	1,100	1,854	1,101	1,023	607	1,221
3. बिहार	1,359	1,477	1,652	73	1,184	525	525	525	1,149	1,157	997	789	899	1,166	591
4. गुजरात	4,514	5,190	5,387	6,501	6,519	6,602	7,274	7,299	13,450	17,301	18,723	19,001	17,624	15,683	14,079
5. हरियाणा*	1,264	1,526	1,856	1,811	2,362	3,749	4,119	4,119	4,315	8,209	9,174	7,684	5,869	4,380	5,574
6. हिमाचल प्रदेश*	370	482	502	495	798	989	1,299	1,299	3,109	1,921	4,113	2,153	4,610	4,315	6,888
7. जम्मू और कश्मीर*	459	443	480	275	599	599	599	599	790	1,143	1,033	1,033	3,629	5,071	—
8. कर्नाटक*	3,057	2,255	3,640	3,862	4,669	4,887	6,122	6,517	9,829	12,989	11,845	13,314	14,179	17,451	8,983
9. केरल	1,744	2,296	2,320	3,229	2,082	2,069	2,466	2,866	7,952	8,756	11,937	11,410	13,836	12,316	11,935
10. मध्य प्रदेश*	677	720	1,890	287	440	3,485	3,485	3,485	9,841	10,482	9,670	9,670	9,974	9,435	13,692
11. महाराष्ट्र	7,351	6,132	7,305	7,706	8,127	7,636	9,933	12,851	21,161	44,954	35,520	38,002	67,068	58,818	59,470
12. उड़ीसा*	1,090	1,333	1,357	1,484	1,716	1,919	2,094	2,292	3,837	3,787	5,309	5,499	5,178	3,823	3,496
13. पंजाब*	1,303	1,225	1,517	2,360	2,525	6,691	7,044	7,292	8,744	6,067	6,149	18,632	12,987	10,585	9,226
14. राजस्थान*	2,727	3,143	3,573	3,929	4,758	5,754	6,154	6,454	11,270	11,954	12,912	14,819	17,239	12,703	13,098
15. तमिलनाडु*	2,895	3,205	3,604	2,128	3,456	4,339	4,339	4,637	9,287	12,388	12,004	11,918	10,818	7,779	6,329
16. उत्तर प्रदेश	4,257	4,852	5,135	5,300	4,730	4,338	4,503	4,643	8,090	6,391	6,268	3,601	8,364	8,433	11,426
17. प. बंगाल*	2,450	2,193	2,299	2,246	2,893	2,380	2,480	2,680	4,378	6,982	7,641	10,331	11,044	14,154	13,519
कुल	40,158	42,515	48,865	48,479	52,631	65,339	73,751	79,457	1,32,029	1,68,719	1,65,386	1,84,294	2,19,658	2,04,426	1,96,914
सघट्ट का प्रतिशत	6.1	5.7	5.7	4.8	4.4	4.8	4.8	4.6	6.8	8.0	7.3	7.5	7.9	6.5	5.5

‘-’: लागू नहीं।

अ : अनंतिम

* : वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बकाया गारंटियों में मूल तथा ब्याज का भाग शामिल है।

: आकड़े अप्रैल से सितंबर तक से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के बजट दस्तावेजों के अनुसार।



विवरण 44: मजदूरी तथा वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश	2,048 (37.2)	2,470 (38.3)	2,732 (38.0)	3,083 (38.5)	3,622 (38.1)	3,773 (35.5)	4,219 (29.3)	4,768 (32.8)	5,936 (35.0)	6,668 (37.0)	7,978 (34.6)	8,165 (33.0)	8,103 (31.1)	8,718 (29.2)	8,825 (28.2)	10,269 (29.4)	12,049 (26.7)	13,550 (24.6)
2. असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,264 (50.9)	3,410 (49.8)	3,646 (51.3)	3,877 (45.9)	4,056 (39.7)	4,435 (42.1)	4,951 (29.7)	-
3. बिहार	2,410 (49.3)	2,640 (46.0)	3,024 (46.0)	3,262 (44.6)	3,448 (44.6)	3,833 (45.3)	4,047 (49.0)	4,561 (50.9)	5,321 (50.1)	6,686 (41.5)	7,129 (49.7)	5,276 (42.0)	5,073 (36.2)	5,020 (34.3)	5,005 (34.2)	-	-	-
4. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833 (51.7)	1,916 (39.0)	1,948 (35.2)	2,059 (31.2)	2,103 (29.6)	2,139 (28.7)	2,806 (27.4)	3,636 (31.2)
5. गुजरात	636 (15.6)	765 (14.6)	890 (14.3)	917 (13.2)	1,049 (13.9)	1,299 (14.8)	1,345 (13.1)	1,547 (12.7)	2,124 (13.6)	2,116 (12.1)	2,229 (10.1)	2,310 (10.2)	2,460 (11.5)	2,548 (11.6)	2,567 (10.6)	2,709 (10.6)	2,801 (9.8)	-
6. हरियाणा	687 (35.5)	774 (34.0)	881 (37.0)	980 (28.8)	1,171 (18.7)	1,369 (25.5)	1,597 (23.6)	1,827 (27.6)	2,703 (38.5)	2,627 (37.8)	2,687 (37.4)	2,920 (33.7)	3,156 (33.8)	3,143 (31.1)	3,455 (30.3)	3,737 (29.6)	4,123 (24.9)	4,611 (27.5)
7. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	646 (40.0)	769 (40.4)	879 (40.9)	1,053 (39.0)	1,412 (42.3)	1,578 (41.3)	1,683 (38.5)	1,877 (41.0)	2,062 (40.1)	2,148 (38.4)	2,198 (37.9)	-	-	-
8. कर्नाटक*	1,289 (32.5)	1,431 (28.9)	1,657 (29.6)	1,941 (31.3)	2,213 (30.5)	2,481 (29.2)	2,871 (28.1)	3,365 (30.9)	3,810 (30.6)	4,576 (30.0)	4,630 (27.7)	5,030 (27.0)	4,941 (26.3)	5,323 (25.0)	5,530 (22.2)	5,899 (21.0)	6,783 (19.3)	8,640 (22.1)
9. केरल	1,683 (59.6)	1,384 (43.0)	1,419 (38.8)	1,836 (42.8)	2,194 (43.3)	2,230 (38.3)	2,617 (38.5)	2,842 (34.5)	3,298 (35.7)	4,566 (39.5)	4,561 (38.4)	4,263 (36.6)	4,745 (32.2)	5,136 (33.1)	5,417 (31.6)	5,677 (30.8)	8,192 (32.9)	9,106 (34.1)
10. मध्य प्रदेश	-	2,461 (45.4)	2,638 (42.8)	3,048 (40.5)	3,308 (42.4)	3,815 (41.8)	4,257 (37.1)	4,795 (40.9)	6,440 (45.3)	7,012 (43.5)	6,015 (40.1)	4,934 (34.3)	5,310 (36.5)	4,987 (26.6)	6,200 (32.6)	6,039 (29.4)	6,901 (29.9)	8,187 (31.5)
11. महाराष्ट्र	3,848 (44.0)	4,908 (48.8)	5,548 (48.0)	6,216 (47.4)	6,837 (46.2)	7,899 (46.0)	8,890 (42.6)	10,074 (44.0)	11,125 (43.4)	16,089 (54.5)	18,188 (48.6)	18,475 (48.3)	18,499 (45.7)	19,627 (46.0)	20,678 (40.5)	22,816 (43.6)	25,380 (40.0)	28,669 (42.3)
12. मिजोरम	89 (29.3)	104 (32.4)	127 (34.1)	147 (35.1)	172 (37.1)	204 (36.0)	240 (38.7)	262 (39.6)	280 (40.5)	393 (43.9)	437 (42.7)	474 (42.0)	487 (43.1)	503 (39.1)	556 (39.9)	544 (34.3)	624 (34.3)	729 (41.1)
13. उड़ीसा	906 (41.4)	991 (37.6)	1,157 (38.0)	1,274 (36.6)	1,427 (35.4)	1,798 (38.3)	2,209 (43.2)	2,814 (50.8)	3,091 (45.3)	3,741 (44.2)	3,803 (43.1)	3,736 (37.8)	3,929 (39.2)	4,002 (36.8)	4,074 (32.9)	4,350 (32.0)	4,877 (28.9)	5,335 (29.0)
14. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	3,089 (36.7)	3,395 (37.8)	4,737 (40.9)	5,043 (37.6)	5,101 (33.9)	5,298 (33.2)	5,282 (31.0)	5,745 (30.5)	6,081 (30.5)	6,815 (31.7)	7,228 (28.5)	8,100 (28.5)
15. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398 (52.2)	403 (24.2)	428 (22.8)	447 (37.9)	449 (26.0)	500 (28.3)	425 (21.6)	446 (18.7)
16. तमिलनाडु	2,350 (41.6)	2,530 (29.1)	2,869 (33.6)	3,235 (36.9)	3,603 (37.4)	4,136 (37.9)	4,818 (36.9)	5,559 (37.2)	7,469 (42.2)	8,295 (40.0)	8,251 (37.9)	8,262 (38.3)	7,981 (31.1)	7,966 (31.5)	8,507 (29.2)	8,980 (28.1)	12,696 (31.2)	15,220 (34.1)
17. उत्तर प्रदेश	2,569 (26.9)	2,585 (24.9)	3,291 (25.9)	3,492 (26.3)	3,628 (23.6)	4,066 (23.2)	4,670 (24.3)	6,033 (27.2)	6,389 (24.5)	7,054 (24.5)	7,721 (24.9)	6,962 (21.9)	7,395 (22.5)	8,039 (16.0)	8,423 (18.9)	9,057 (19.4)	12,003 (21.2)	12,175 (17.9)
18. प. बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	5,386 (47.6)	7,098 (49.8)	9,842 (50.5)	9,600 (43.4)	9,297 (39.7)	9,270 (40.0)	9,451 (36.7)	9,801 (34.8)	10,190 (32.7)	11,430 (32.2)	12,079 (31.9)
सभी राज्य	18,515 (37.3)	23,042 (35.2)	26,234 (35.5)	29,431 (35.6)	33,317 (34.3)	37,673 (34.4)	45,746 (33.3)	58,282 (34.4)	71,234 (35.6)	86,285 (36.4)	94,507 (39.1)	93,008 (36.3)	94,717 (35.1)	98,741 (32.0)	1,03,924 (31.1)	1,04,158 (29.1)	1,23,270 (27.8)	1,30,483 (29.4)
जापन मदें :																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली#	-	-	-	-	-	-	-	761 (32.8)	962 (33.9)	1,012 (28.7)	1,064 (28.8)	1,106 (21.9)	1,172 (25.5)	1,275 (25.1)	1,441 (24.7)	-	-	-
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 (21.1)	446 (23.0)	444 (20.6)

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान '-' : उपलब्ध नहीं/लागू नहीं
 \$: 2001-02 से आंकड़े विभाजित बिहार से संबंधित हैं। * : वेतन व्यय से संबंधित # : 1998-99 से आंकड़े कर्मचारियों को दिए गए मुआवजा से संबंधित हैं।
 टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।
 स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी।

विवरण 45: परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय

(राशी करोड़ रुपए में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश	576 (10.5)	722 (11.2)	746 (10.4)	871 (10.9)	810 (8.5)	911 (8.6)	1,103 (7.7)	1,085 (7.5)	1,427 (8.4)	1,395 (7.7)	2,499 (10.8)	2,899 (11.7)	3,117 (12.0)	3,828 (12.8)	3,833 (12.2)	3,884 (11.1)	5,017 (11.1)	6,692 (12.2)
2. असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402 (6.3)	322 (4.7)	333 (4.7)	366 (4.3)	511 (5.0)	541 (5.1)	562 (3.4)	—
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47 (2.9)	125 (2.5)	221 (4.0)	212 (3.2)	189 (2.7)	114 (1.5)	463 (4.5)	473 (4.1)
4. गुजरात	193 (4.7)	259 (4.9)	640 (10.3)	356 (5.1)	373 (4.9)	425 (4.8)	403 (3.9)	794 (6.5)	433 (2.8)	483 (2.8)	1,224 (5.6)	909 (4.0)	1,419 (6.6)	2,180 (9.9)	1,380 (5.7)	791 (3.1)	636 (2.2)	—
5. हरियाणा	86 (4.4)	88 (3.9)	99 (4.2)	115 (3.4)	135 (2.1)	158 (3.0)	171 (2.5)	208 (3.1)	191 (2.7)	254 (3.7)	220 (3.1)	259 (3.0)	318 (3.4)	414 (4.1)	349 (3.1)	456 (3.6)	715 (4.3)	736 (4.4)
6. हिमाचल प्रदेश \$	—	—	—	—	204 (12.6)	208 (10.9)	228 (10.6)	271 (10.0)	355 (10.6)	364 (9.5)	401 (9.2)	297 (6.5)	268 (5.2)	379 (6.8)	349 (6.0)	—	—	—
7. कर्नाटक	11 (0.3)	14 (0.3)	9 (0.2)	12 (0.2)	16 (0.2)	15 (0.2)	14 (0.1)	15 (0.1)	16 (0.1)	33 (0.2)	49 (0.3)	93 (0.5)	89 (0.5)	253 (1.2)	274 (1.1)	448 (1.6)	847 (2.4)	735 (1.9)
8. केरल @	—	—	—	—	—	—	—	254 (3.1)	236 (2.6)	272 (2.3)	248 (2.1)	291 (2.5)	347 (2.4)	354 (2.3)	434 (2.5)	504 (2.7)	629 (2.5)	622 (2.3)
9. मध्य प्रदेश \$	—	268 (4.9)	291 (5.4)	342 (5.5)	339 (4.5)	367 (4.7)	414 (4.5)	436 (3.8)	418 (3.6)	410 (2.9)	371 (2.5)	366 (2.5)	311 (2.1)	204 (1.1)	246 (1.4)	268 (1.3)	420 (1.8)	535 (2.1)
10. महाराष्ट्र*	3,194 (36.5)	3,079 (30.6)	3,817 (33.1)	3,552 (27.1)	3,864 (26.1)	4,266 (24.9)	5,690 (27.3)	6,461 (28.2)	7,029 (27.4)	6,675 (22.6)	7,207 (19.3)	7,444 (19.4)	8,630 (21.3)	9,229 (21.6)	12,350 (24.2)	16,002 (30.6)	18,400 (29.0)	18,574 (27.4)
11. मिजोरम	17 (5.6)	21 (6.5)	26 (6.9)	30 (7.1)	32 (7.0)	25 (4.4)	46 (7.4)	49 (7.5)	43 (6.2)	48 (5.3)	56 (5.5)	59 (5.2)	118 (10.4)	130 (10.1)	126 (9.0)	174 (11.0)	191 (10.5)	149 (8.4)
12. उड़ीसा	97 (4.4)	106 (4.0)	156 (5.1)	176 (5.1)	199 (4.9)	223 (4.7)	261 (5.1)	260 (4.7)	262 (3.8)	320 (3.8)	426 (4.8)	424 (4.3)	436 (4.4)	423 (3.9)	484 (3.9)	672 (4.9)	1,220 (7.2)	1,546 (8.4)
13. राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	1,380 (11.9)	1,493 (11.1)	794 (5.3)	851 (5.3)	1,117 (6.6)	1,136 (6.0)	1,224 (6.1)	1,274 (5.9)	1,566 (6.2)	1,622 (5.7)
14. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,389 (181.9)	1,400 (84.1)	1,522 (80.9)	1,707 (144.5)	1,650 (95.7)	1,751 (99.1)	2,256 (114.7)	2,648 (111.3)
15. तमिलनाडु	915 (16.2)	1,109 (12.8)	1,146 (13.4)	1,268 (14.5)	1,415 (14.7)	1,498 (13.7)	1,728 (13.2)	1,816 (12.1)	1,941 (11.0)	1,815 (8.8)	1,867 (8.6)	1,683 (7.8)	2,144 (8.3)	2,472 (9.8)	3,159 (10.8)	3,829 (12.0)	4,137 (10.2)	4,000 (9.0)
16. उत्तर प्रदेश	1,832 (19.2)	1,637 (15.7)	2,353 (18.5)	2,317 (17.4)	3,199 (20.8)	3,272 (18.6)	2,584 (13.5)	2,478 (11.2)	3,043 (11.7)	2,718 (9.5)	749 (2.4)	749 (2.4)	1,034 (3.1)	1,110 (2.2)	1,376 (3.1)	1,664 (3.6)	2,433 (4.3)	2,791 (4.1)
17. प. बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	745 (6.6)	937 (6.6)	1,242 (6.4)	1,580 (7.1)	1,420 (6.1)	1,015 (4.4)	1,068 (4.1)	1,232 (4.4)	1,603 (5.2)	2,589 (7.3)	3,295 (8.7)
सभी राज्य	6,922 (16.5)	7,302 (12.9)	9,281 (14.6)	9,037 (12.7)	10,585 (12.5)	11,368 (11.9)	12,642 (11.1)	14,872 (9.5)	17,710 (9.6)	17,522 (8.2)	19,529 (8.1)	19,591 (7.6)	22,438 (8.3)	25,464 (8.3)	29,163 (8.8)	33,976 (9.5)	42,081 (9.5)	44,418 (10.0)
जापन मदें :																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली#	—	—	—	—	—	—	—	94 (4.1)	104 (3.7)	116 (3.3)	138 (3.7)	129 (2.6)	135 (2.9)	141 (2.8)	164 (2.8)	—	—	—
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,556 (86.7)	1,691 (87.3)	2,103 (97.8)

बअ : बजट अनुमान

संअ : संशोधित अनुमान

'-': उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

\$: रखरखाव से संबंधित।

@ : इसमें यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, भाड़ा, छोटे-छोटे काम, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, रखरखाव, मोटार वाहन, ईंधन प्रभार, और अन्य प्रभार शामिल हैं।

* : इसमें रखरखाव कार्यों के अंतर्गत आनेवाला व्यय, औजार व संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, वेतनेतर सहायता अनुदान, और उचित शामिल हैं।

: मरम्मत तथा रखरखाव से संबंधित आंकड़े।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी।



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

विवरण 46: बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत (30 अप्रैल 2007 को)

(करोड़ रुपये)

राज्य	ऋण समेकन	2005-06		2006-07	
		ऋण राहत	ब्याज राहत	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	14,062	483	553	703	527
2. अरुणाचल प्रदेश	404	-	17	20	16
3. असम	2,108	-	72	-	50
4. बिहार	7,699	-	306	-	284
5. छत्तीसगढ़	1,865	93	71	93	66
6. गोवा * #	404	-	-	20	17
7. गुजरात	9,437	316	378	472	357
8. हरियाणा	1,933	97	77	-	69
9. हिमाचल प्रदेश	906	27	37	45	34
10. जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-
11. झारखंड	-	-	-	-	-
12. कर्नाटक	7,166	358	292	358	276
13. केरल	4,177	-	168	-	156
14. मध्य प्रदेश	7,261	363	288	363	273
15. महाराष्ट्र	6,799	-	271	340	237
16. मणिपुर	751	38	30	38	17
17. मेघालय #	298	-	-	15	12
18. मिजोरम #	259	-	-	13	11
19. नागालैंड	317	-	13	16	12
20. उड़ीसा	7,638	382	314	382	197
21. पंजाब \$	3,068	64	131	68	134
22. राजस्थान	6,174	309	224	309	195
23. सिक्किम	-	-	-	-	-
24. तमिलनाडु	5,266	263	213	263	195
25. त्रिपुरा	445	22	19	-	18
26. उत्तराखंड	262	-	7	13	6
27. उत्तर प्रदेश	21,278	1,064	910	1,064	836
28. प. बंगाल	-	-	-	-	-
सभी राज्य	1,09,977	3,879	4,392	4,595	3,995

* : संयोजित क्षेत्र होने के पहले की अवधि के 239.22 करोड़ रु. के ऋण को छोड़कर। ‘-’ : लागू नहीं।
: इन सभी राज्यों ने 2006-07 के दौरान वित्तीय जबाबदेही अधिनियम (एफआरएल) बनाया, इसलिए समेकन 2005-06 से आरंभ किया।
\$: 2006-07 के लिए राज्यों का ऋण में छूट पाने का अधिकार 153.39 करोड़ रुपये था। 85.89 करोड़ रुपये का शेष 2007-08 में उपलब्ध कराया जाएगा।
टिप्पणी : 1. छत्तीस राज्यों ने वित्तीय जबाबदेही अधिनियम (एफआरएल) बनाया।
2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में केंद्रीय ऋण के समेकन का प्रस्ताव विचारधीन है।
3. 2005-06 के दौरान चौदह और 2006-07 के दौरान उन्नीस पात्र राज्यों को ऋण राहत प्रदान की गई।
स्त्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।





विवरण 47 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय*

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर-विशेष श्रेणी																		
1. आंध्र प्रदेश	2,741	3,121	3,662	3,919	4,265	5,507	6,284	6,759	8,927	8,831	10,006	10,876	11,179	13,367	13,821	14,900	21,119	28,247
2. बिहार	2,381	3,073	3,143	3,434	3,524	3,796	4,014	4,375	5,354	8,338	7,408	5,783	6,466	7,023	6,117	8,663	12,392	13,165
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	2,435	2,820	3,244	3,635	4,295	6,726	7,101
4. गोवा	162	181	192	216	223	257	292	350	415	470	518	543	626	686	798	880	1,063	1,173
5. गुजरात	1,993	2,344	2,456	2,844	3,273	3,666	4,068	4,953	6,609	7,571	9,681	9,029	8,177	8,992	10,127	10,995	13,055	13,378
6. हरियाणा	776	781	955	1,093	1,304	1,698	1,628	1,829	2,474	2,572	3,387	3,675	2,810	2,818	3,497	4,742	5,630	6,887
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,727	4,904	4,320	5,127	6,156	7,392	7,173
8. कर्नाटक	1,842	2,299	2,557	3,063	3,449	3,995	4,526	4,886	5,851	6,803	7,541	7,642	7,570	8,315	9,764	11,675	15,479	19,225
9. केरल	1,477	1,594	1,791	2,061	2,387	2,691	3,215	4,239	4,660	5,432	5,242	4,932	6,338	5,924	7,344	7,524	9,768	10,472
10. मध्य प्रदेश	2,439	2,664	3,020	3,508	3,854	4,416	5,267	5,622	6,887	7,417	7,153	6,007	7,158	6,787	7,268	9,426	11,375	13,005
11. महाराष्ट्र	3,792	4,601	5,561	6,204	6,723	8,361	9,195	10,609	11,407	12,844	15,429	15,452	15,704	18,877	20,433	24,268	29,928	31,307
12. उड़ीसा	1,113	1,310	1,492	1,747	1,864	2,188	2,467	2,636	3,246	4,889	4,065	4,122	4,210	4,360	4,598	5,386	6,778	7,763
13. पंजाब	957	1,099	1,058	1,335	1,565	1,767	1,231	2,242	3,054	2,724	3,887	3,730	2,990	3,525	3,747	4,052	5,935	6,963
14. राजस्थान	1,866	2,036	2,393	2,783	3,291	3,912	4,324	4,697	5,953	6,377	7,224	7,730	8,032	9,228	9,845	10,920	12,995	13,733
15. तमिलनाडु	2,985	3,433	3,929	4,251	4,550	5,145	6,210	6,654	8,153	8,862	9,618	9,190	9,662	11,586	13,617	14,297	18,778	21,221
16. उत्तर प्रदेश	4,711	4,443	5,573	5,212	6,031	6,466	7,693	9,080	10,477	11,669	12,135	12,279	13,103	12,999	16,932	20,141	25,643	31,643
17. प. बंगाल	2,824	2,716	2,747	3,323	3,827	4,097	4,991	5,180	6,626	9,338	9,623	9,581	8,463	9,008	9,732	11,445	14,470	16,404
II. विशेष श्रेणी																		
1. अरुणाचल प्रदेश	128	137	172	198	217	263	317	334	332	372	325	449	421	620	650	742	891	511
2. असम	932	1,113	1,138	1,397	1,538	1,815	1,708	1,892	2,151	2,640	3,077	3,035	3,233	3,709	4,775	4,452	7,907	8,018
3. हिमाचल प्रदेश	444	495	581	621	731	881	994	1,242	1,553	1,701	1,963	1,912	1,973	2,348	2,328	2,804	3,017	3,204
4. जम्मू और कश्मीर	600	732	887	901	1,047	1,223	1,393	1,623	1,496	1,726	2,044	2,321	2,518	2,493	3,104	4,030	4,348	4,651
5. मणिपुर	151	185	196	210	241	307	384	416	391	605	449	550	562	603	873	939	1,065	869
6. मेघालय	160	189	198	238	216	288	314	338	390	502	578	565	570	640	741	767	976	1,319
7. मिजोरम	153	173	200	212	239	292	343	320	379	506	505	542	562	652	647	722	817	726
8. नागालैंड	182	179	224	269	299	364	353	370	415	479	585	544	567	644	629	804	986	929
9. सिक्किम	61	73	81	90	101	151	166	188	254	245	259	314	348	406	479	501	667	727
10. त्रिपुरा	264	286	261	324	383	429	517	594	673	776	896	968	974	963	1,121	1,121	1,420	1,489
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	1,320	1,708	2,027	2,327	2,781	3,621	4,287
सभी राज्य	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127	1,13,690	1,24,919	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,44,241	2,75,590
ज्ञापन मद:																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	386	1,155	1,365	1,714	2,043	2,245	2,461	3,000	2,989	3,492	3,465	4,267	4,566	5,514	7,296
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797	810	1,252

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-': लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 48 : कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय *

(प्रतिशत)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर-विशेष श्रेणी																		
1. आंध्र प्रदेश	41.7	40.2	40.8	37.2	34.2	38.5	38.6	38.1	40.7	38.8	35.6	35.0	32.5	33.3	29.3	30.8	34.8	36.1
2. बिहार	38.3	45.2	40.6	40.7	41.2	40.3	42.7	42.8	44.0	42.7	43.7	38.9	36.4	36.7	30.5	38.4	40.1	40.8
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.5	43.3	41.3	36.2	37.7	44.2	48.6	44.5
4. गोवा	40.9	38.8	38.6	38.7	37.1	27.2	30.8	27.6	28.5	29.1	26.4	23.1	26.1	28.4	31.4	30.9	31.9	27.7
5. गुजरात	36.4	33.9	30.8	33.8	34.5	33.9	32.3	33.3	34.5	35.3	35.6	35.2	30.4	27.3	29.0	32.1	33.6	32.1
6. हरियाणा	32.4	28.6	32.3	26.6	18.9	27.7	20.8	23.4	28.8	30.8	37.0	34.3	26.6	18.6	24.2	32.0	29.1	33.5
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.0	50.0	44.4	44.1	45.9	47.0	43.7
8. कर्नाटक	37.0	36.8	36.0	37.9	38.9	38.4	37.8	38.8	39.3	38.2	38.3	34.8	31.4	28.4	28.5	33.4	34.9	39.1
9. केरल	43.7	39.8	41.1	40.1	40.1	38.9	40.5	43.2	43.9	42.1	39.9	37.6	37.4	30.0	36.2	35.6	34.0	34.1
10. मध्य प्रदेश	41.3	40.1	39.4	39.5	41.4	41.7	40.2	39.5	43.1	41.3	42.3	35.4	37.7	28.4	24.7	32.5	37.1	37.8
11. महाराष्ट्र	35.2	38.2	39.7	38.8	33.6	39.1	36.8	38.3	37.6	33.6	36.6	36.4	33.3	30.9	28.1	35.3	38.2	37.9
12. उड़ीसा	36.5	36.0	38.1	39.2	37.4	39.3	39.1	38.5	37.6	48.3	36.8	34.2	31.7	28.0	28.9	34.2	33.2	33.0
13. पंजाब	28.1	21.9	25.1	25.6	20.9	25.2	16.3	23.7	27.9	22.7	27.6	23.8	17.2	17.3	17.8	19.8	22.1	23.2
14. राजस्थान	39.5	35.0	37.7	37.5	39.1	35.9	39.4	37.0	41.6	39.2	41.3	40.7	37.3	35.7	34.1	40.1	40.0	38.2
15. तमिलनाडु	45.1	35.8	40.3	42.2	39.8	41.1	40.3	38.4	41.0	39.2	39.4	37.0	32.0	34.3	32.6	36.9	35.3	37.9
16. उत्तर प्रदेश	38.5	33.5	34.5	32.0	28.6	31.1	33.4	34.1	33.3	33.7	33.1	32.2	31.1	18.7	28.6	33.7	34.8	35.4
17. प. बंगाल	46.9	43.9	41.3	41.7	41.2	39.0	38.3	38.2	38.6	41.2	36.0	34.1	30.5	23.4	29.1	28.2	33.5	35.1
II. विशेष श्रेणी																		
1. अरुणाचल प्रदेश	32.1	31.0	34.1	34.4	31.5	32.8	35.6	34.3	33.1	33.9	26.9	32.5	30.9	28.3	31.2	30.4	31.4	19.0
2. असम	34.7	40.3	36.3	38.6	38.5	41.3	40.0	37.7	41.3	37.3	40.3	35.5	36.2	35.0	32.4	36.8	38.7	40.3
3. हिमाचल प्रदेश	39.7	21.1	40.1	36.7	36.4	37.5	37.7	36.0	37.3	36.1	36.9	33.7	29.8	29.0	29.0	32.7	33.2	33.7
4. जम्मू और कश्मीर	29.7	32.0	38.2	34.7	31.4	34.2	34.6	33.2	25.6	24.3	26.1	28.8	28.8	28.3	27.9	29.9	31.3	29.1
5. मणिपुर	33.4	34.6	23.8	32.9	35.6	37.9	37.9	36.7	35.1	34.0	32.5	26.0	26.0	26.0	33.6	34.2	30.5	27.5
6. मेघालय	39.3	38.3	36.4	34.9	36.8	37.0	40.0	39.7	38.7	42.0	40.6	40.5	35.9	36.2	35.8	38.2	36.9	38.3
7. मिजोरम	30.6	41.8	40.9	40.7	40.3	40.8	42.4	36.8	42.4	43.6	39.2	40.7	40.0	35.7	35.6	33.3	34.2	33.2
8. नागालैंड	33.0	27.6	26.2	28.9	33.0	35.0	32.2	30.0	27.9	32.1	31.9	26.9	29.6	27.0	27.6	28.6	29.9	26.6
9. सिक्किम	33.3	32.2	32.4	34.4	16.8	15.2	13.4	13.5	15.7	15.1	27.3	16.5	16.3	27.5	22.2	23.3	25.1	23.7
10. त्रिपुरा	43.1	42.3	39.8	41.2	43.5	43.4	43.8	44.0	43.9	43.8	42.0	39.3	38.4	34.8	37.6	34.0	37.9	33.5
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0	40.0	35.2	32.7	36.6	36.3	40.1	39.2
सभी राज्य	38.6	36.4	37.3	36.9	34.6	36.6	36.1	36.4	37.5	36.9	36.8	35.1	32.6	28.4	29.6	33.7	35.5	35.9
ज्ञापन मद:																		
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-	-	-	48.2	48.0	46.3	48.8	48.5	45.4	41.6	40.8	34.6	34.2	29.6	33.1	41.0	26.3	39.3
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.7	33.6	44.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 49 : सकल न्यागमन और अंतरण*

राज्य	जीडीटी (करोड़ रु.)				जीएसडीपी की तुलना में जीडीटी (प्रतिशत)				समग्र संवितरण की तुलना में जीडीटी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	3,720	6,794	10,142	15,048	7.4	6.8	6.0	5.6	40.4	37.0	28.5	24.2
2. बिहार	4,428	7,274	10,552	17,912	12.7	12.1	19.0	26.4	58.5	62.4	59.2	62.4
3. छत्तीसगढ़	—	—	2,264	4,984	—	—	6.7	10.0	—	—	36.1	37.8
4. गोवा	201	228	276	499	10.6	4.8	3.1	3.5	41.0	19.1	11.9	14.2
5. गुजरात	2,016	4,006	5,819	8,238	4.6	4.3	4.2	3.4	26.2	26.0	19.8	21.6
6. हरियाणा	758	1,531	1,429	2,528	3.8	4.0	2.1	2.2	21.7	20.0	12.1	14.0
7. झारखंड	—	—	4,293	5,323	—	—	11.3	9.8	—	—	44.0	34.7
8. कर्नाटक	2,199	3,867	6,502	11,359	6.0	5.2	5.3	5.8	30.9	28.8	25.6	26.4
9. केरल	1,707	2,529	3,798	6,782	7.3	5.1	4.6	4.9	37.4	26.9	22.8	25.2
10. मध्य प्रदेश	3,222	5,574	7,628	12,436	7.7	6.7	8.7	10.0	42.0	39.0	36.7	39.4
11. महाराष्ट्र	3,754	6,362	5,948	14,067	4.0	3.3	2.0	2.8	26.4	23.0	11.2	18.1
12. उड़ीसा	2,233	3,679	6,364	10,567	13.8	11.5	13.4	14.6	56.1	49.6	46.9	52.6
13. पंजाब	1,800	2,393	1,964	4,482	7.1	4.8	2.6	3.8	37.6	25.8	11.4	17.3
14. राजस्थान	2,826	4,848	7,036	11,205	9.1	7.6	7.5	8.0	43.4	37.5	31.4	34.9
15. तमिलनाडु	3,218	4,671	6,191	10,277	6.5	4.6	3.9	4.2	33.9	27.0	20.1	20.9
16. उत्तर प्रदेश	7,983	12,481	17,541	31,808	10.2	8.5	8.7	10.4	51.0	46.5	36.9	42.6
17. प. बंगाल	3,527	6,853	9,229	14,378	7.2	7.0	5.5	6.0	48.7	46.5	30.4	33.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	456	833	1,165	2,021	62.7	60.7	53.5	66.0	88.1	87.4	71.6	75.9
2. असम	2,098	3,487	5,186	9,918	15.3	14.9	13.8	19.3	65.2	68.3	52.5	57.4
3. हिमाचल प्रदेश	988	2,005	2,801	4,596	22.8	21.9	17.0	16.8	60.2	59.3	42.3	50.8
4. जम्मू और कश्मीर	1,933	4,127	6,452	10,107	34.9	39.0	36.3	40.1	75.9	82.5	72.2	70.1
5. मणिपुर	497	875	1,894	2,486	44.8	40.2	53.5	47.4	81.4	76.7	89.0	79.5
6. मेघालय	415	675	1,118	2,037	31.1	26.4	25.0	32.0	76.6	73.7	68.1	74.4
7. मिजोरम	428	725	1,100	1,698	73.5	62.5	48.2	45.1	85.1	81.5	72.1	75.4
8. नागालैंड	585	990	1,686	2,515	52.8	44.3	36.5	33.5	75.7	77.5	81.9	78.5
9. सिक्किम	176	398	689	1,109	54.8	58.2	55.8	57.3	64.5	29.1	42.4	42.1
10. त्रिपुरा	598	1,110	1,803	2,870	37.6	33.9	27.5	27.8	83.1	82.2	69.8	75.4
11. उत्तराखंड	—	—	1,813	4,149	—	—	11.4	13.6	—	—	45.8	44.5
कुल	51,765	88,314	1,31,827	2,25,394	6.8	5.7	5.2	5.5	42.4	37.7	29.7	32.6
ज्ञापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	368	1,082	796	939	1.5	2.8	1.1	0.8	20.8	26.7	8.1	5.5
2. पुदुचेरी	—	—	—	1,175	—	—	—	18.7	—	—	—	48.1

* : सकल न्यागमन और अंतरण (जीडीटी) में केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र से ऋण शामिल हैं।

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

जीएसडीपी : राज्यों के सकल देशी उत्पाद

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 50 : निवल न्यागमन और अंतरण*

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

राज्य	एनडीटी (करोड़ रु.)				जीएसडीपी की तुलना में एनडीटी (प्रतिशत)				समग्र संवितरण की तुलना में एनडीटी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	2,976	4,839	6,018	12,859	6.0	4.9	3.6	4.8	32.4	26.6	17.2	20.5
2. बिहार	3,513	5,674	8,194	16,665	10.0	9.4	14.7	24.5	46.5	48.9	45.8	57.9
3. छत्तीसगढ़	—	—	1,579	4,705	—	—	4.7	9.4	—	—	25.6	35.5
4. गोवा	142	127	91	412	7.7	2.8	1.1	2.8	29.4	10.9	4.0	11.7
5. गुजरात	1,173	2,269	2,262	6,736	2.7	2.5	1.6	2.7	15.2	15.0	7.6	17.6
6. हरियाणा	496	884	407	2,246	2.5	2.4	0.6	1.9	14.2	11.7	3.5	12.4
7. झारखंड	—	—	3,606	4,864	—	—	9.5	8.9	—	—	36.8	31.7
8. कर्नाटक	1,674	2,736	3,917	10,163	4.6	3.7	3.3	5.2	23.4	20.5	15.8	23.5
9. केरल	1,258	1,783	2,245	5,718	5.3	3.6	2.7	4.1	27.5	19.1	13.5	21.1
10. मध्य प्रदेश	2,579	4,463	5,628	11,301	6.2	5.4	6.4	9.0	33.6	31.3	27.3	35.8
11. महाराष्ट्र	2,456	3,626	1,375	12,944	2.7	1.9	0.4	2.6	17.4	13.5	2.4	16.6
12. उड़ीसा	1,755	2,908	4,210	9,226	10.9	9.0	8.8	12.8	44.1	39.1	30.9	45.7
13. पंजाब	1,075	277	-95	4,156	4.5	0.6	-0.1	3.5	24.2	3.5	-0.5	15.9
14. राजस्थान	2,214	3,397	3,824	10,197	7.1	5.4	4.1	7.3	33.7	26.5	17.3	31.7
15. तमिलनाडु	2,569	3,258	3,298	9,438	5.2	3.2	2.1	3.9	27.0	19.0	11.0	19.2
16. उत्तर प्रदेश	6,616	8,887	11,771	28,790	8.4	6.1	5.8	9.4	41.9	33.4	24.3	38.4
17. प. बंगाल	2,550	4,555	5,282	11,790	5.2	4.7	3.1	4.9	35.2	31.7	17.3	27.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	434	793	1,075	1,920	59.6	57.8	49.4	62.5	83.7	83.2	66.4	71.9
2. असम	1,539	2,658	4,015	9,317	11.3	11.4	10.6	18.1	48.4	52.4	40.1	54.1
3. हिमाचल प्रदेश	843	1,649	2,142	4,459	19.5	18.2	12.9	16.3	51.5	49.5	31.9	49.2
4. जम्मू और कश्मीर	1,534	3,754	5,869	9,969	27.7	35.4	32.8	39.5	60.4	74.7	65.4	69.1
5. मणिपुर	445	795	1,379	2,195	40.2	36.6	39.0	41.9	73.3	69.8	65.5	70.4
6. मेघालय	375	632	1,010	1,971	28.2	24.8	22.6	30.9	69.7	69.0	61.6	71.9
7. मिजोरम	383	697	1,020	1,639	63.1	60.2	44.6	43.5	76.1	78.5	66.8	72.8
8. नागालैंड	486	901	1,558	2,425	43.8	40.5	33.8	32.2	63.4	71.1	75.8	75.5
9. सिक्किम	165	362	624	1,062	51.1	53.0	50.4	54.9	60.3	26.5	38.3	40.3
10. त्रिपुरा	549	1,042	1,657	2,809	34.6	31.9	25.3	27.2	76.3	77.2	64.2	73.7
11. उत्तराखंड	—	—	1,275	4,081	—	—	8.0	13.4	—	—	35.0	43.7
कुल	39,798	62,965	84,515	2,04,058	5.2	4.1	3.3	4.9	32.6	27.1	19.0	29.4
ज्ञापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	368	701	-1,079	-1,300	1.5	1.9	-1.3	-1.1	20.8	18.3	-9.4	-8.3
2. पुदुचेरी	—	—	—	895	—	—	—	14.3	—	—	—	36.7

* : निवल न्यागमन और अंतरण (एनडीटी) में ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान के निवल जीडीटी शामिल।

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

जीएसडीपी : राज्यों के सकल देशी उत्पाद

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 51 : केंद्रीय करों में अंश

राज्य	एससीटी (करोड़ रु)				जीएसडीपी की तुलना में एससीटी (प्रतिशत)				कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में एससीटी (प्रतिशत)				कर राजस्व की तुलना में एससीटी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	1,512	3,053	4,494	8,166	3.0	3.1	2.6	3.1	21.2	23.6	18.6	18.4	30.5	32.6	25.3	24.7
2. बिहार	2,221	4,236	7,224	12,659	6.3	7.1	13.0	18.7	38.8	46.7	58.0	56.1	59.3	62.4	70.8	74.4
3. छत्तीसगढ़	—	—	1,296	2,946	—	—	3.8	5.9	—	—	26.2	26.1	—	—	37.8	36.6
4. गोवा	71	90	125	288	3.6	1.9	1.4	2.1	18.2	9.0	7.3	10.8	33.2	20.7	16.2	19.6
5. गुजरात	673	1,439	1,722	3,888	1.4	1.6	1.2	1.6	11.0	12.9	9.7	13.2	15.2	17.6	14.2	17.5
6. हरियाणा	253	467	554	1,255	1.3	1.2	0.8	1.1	8.8	8.3	6.3	7.9	14.8	15.2	8.8	10.6
7. झारखंड	—	—	2,281	3,615	—	—	6.0	6.6	—	—	32.5	35.4	—	—	50.2	52.0
8. कर्नाटक	906	1,882	3,021	5,174	2.5	2.5	2.5	2.6	16.6	17.8	16.4	14.2	21.7	22.6	20.8	18.3
9. केरल	668	1,294	1,866	3,173	2.8	2.6	2.3	2.3	19.7	19.1	17.4	17.0	25.2	23.1	20.6	21.0
10. मध्य प्रदेश	1,495	2,870	4,247	7,450	3.6	3.5	4.9	6.0	24.1	26.4	29.7	30.5	38.8	38.4	40.7	41.9
11. महाराष्ट्र	1,373	2,243	2,901	6,044	1.5	1.1	1.0	1.2	12.0	10.8	8.7	10.2	16.6	14.2	10.8	13.1
12. उड़ीसा	956	1,572	3,073	5,960	5.8	5.0	6.4	8.3	33.3	34.0	35.5	34.9	54.9	52.7	50.9	50.6
13. पंजाब	339	571	727	1,551	1.3	1.2	1.0	1.3	10.5	9.4	6.6	7.8	71.8	75.6	56.0	60.2
14. राजस्थान	1,035	1,841	3,338	6,687	3.3	2.9	3.5	4.8	21.1	21.9	23.5	26.7	37.3	34.1	33.7	36.9
15. तमिलनाडु	1,380	2,355	3,296	6,323	2.8	2.3	2.1	2.6	19.1	17.7	15.0	15.8	24.3	21.0	18.0	18.6
16. उत्तर प्रदेश	3,190	6,294	11,679	22,521	4.0	4.3	5.8	7.4	28.8	35.9	39.5	37.9	44.7	46.8	47.8	48.7
17. प. बंगाल	1,432	2,632	4,974	8,413	2.9	2.7	2.9	3.5	26.7	29.7	30.9	30.8	34.1	36.5	39.6	40.3
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	109	231	130	344	15.0	16.4	5.9	11.1	22.2	26.1	10.4	15.6	96.4	95.6	76.8	82.9
2. असम	641	1,272	1,987	3,653	4.6	5.4	5.3	7.1	24.6	30.3	27.8	24.4	54.1	58.3	50.9	50.2
3. हिमाचल प्रदेश	272	628	398	579	6.2	6.7	2.4	2.1	24.3	26.2	10.4	8.3	54.6	55.8	29.4	26.0
4. जम्मू और कश्मीर	462	1,009	782	1,375	8.4	9.5	4.4	5.4	23.9	23.5	10.5	11.2	69.6	72.1	43.6	41.6
5. मणिपुर	149	286	204	423	13.4	12.9	5.8	8.0	29.8	32.4	15.0	15.6	89.3	90.3	76.0	79.1
6. मेघालय	117	261	200	434	8.7	10.0	4.4	6.9	26.2	33.3	15.3	17.8	71.8	75.6	56.0	60.2
7. मिजोरम	132	232	102	279	22.6	19.6	4.4	7.3	28.5	30.7	8.9	15.0	97.0	96.5	78.3	81.6
8. नागालैंड	162	368	144	297	14.6	16.2	3.1	3.9	30.2	37.1	8.1	11.0	89.7	91.5	67.4	71.5
9. सिक्किम	36	90	91	217	11.2	13.0	7.3	11.2	15.6	7.0	6.2	9.1	73.9	77.1	48.9	60.4
10. त्रिपुरा	205	393	285	471	12.8	11.6	4.3	4.6	33.6	33.6	14.0	14.3	85.9	84.2	60.6	57.4
11. उत्तराखंड	—	—	360	1,129	—	—	2.2	3.8	—	—	12.4	16.2	—	—	27.3	33.3
कुल	19,790	37,608	61,047	1,15,315	2.6	2.4	2.4	2.8	21.4	22.7	21.4	22.0	32.5	32.4	30.1	31.1
जापन मद:																
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

एससीटी : केंद्रीय करों में अंश

जीएसडीपी : राज्यों के सकल देशी उत्पाद

‘—’ : लागू नहीं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 52 : सहायता अनुदान

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

राज्य	सांविधिक अनुदान (करोड़ रु.)				गैर सांविधिक अनुदान (करोड़ रु.)				कुल अनुदान (करोड़ रु.)				जीएसडीपी की तुलना में सांविधिक अनुदान (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	140	296	399	736	921	1,367	2,627	5,106	1,061	1,663	3,025	5,843	0.3	0.3	0.2	0.3
2. बिहार	322	86	198	151	861	1,231	1,621	5,097	1,183	1,317	1,818	5,249	0.9	0.2	0.4	0.2
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	636	1,863	—	—	636	1,863	—	—	—	—
4. गोवा	34	17	1	1	32	41	65	136	66	58	66	138	1.8	0.4	—	—
5. गुजरात	28	86	530	493	454	703	1,488	3,013	482	790	2,018	3,506	0.1	0.1	0.4	0.2
6. हरियाणा	6	8	30	141	195	357	520	1,084	201	365	550	1,224	—	—	—	0.1
7. झारखंड	—	—	83	156	—	—	1,078	1,552	—	—	1,451	1,708	—	—	0.2	0.3
8. कर्नाटक	26	66	282	213	554	823	1,538	4,569	580	889	1,819	4,783	0.1	0.1	0.2	0.1
9. केरल	36	14	161	697	431	594	789	1,805	467	609	950	2,502	0.2	—	0.2	0.5
10. मध्य प्रदेश	37	74	198	374	1,059	1,328	1,618	4,005	1,096	1,402	1,816	4,378	0.1	0.1	0.2	0.3
11. महाराष्ट्र	65	71	76	160	917	1,210	1,846	7,216	982	1,281	1,923	7,376	0.1	—	—	—
12. उड़ीसा	114	118	134	243	636	959	1,573	3,419	750	1,077	1,707	3,661	0.7	0.4	0.3	0.4
13. पंजाब	63	93	33	70	212	285	610	2,690	275	378	643	2,760	0.2	0.2	—	0.1
14. राजस्थान	206	268	650	923	918	1,114	1,803	2,876	1,124	1,383	2,453	3,799	0.7	0.4	0.7	0.7
15. तमिलनाडु	36	74	112	395	768	969	1,744	2,697	804	1,043	1,856	3,092	0.1	0.1	0.1	0.2
16. उत्तर प्रदेश	157	372	332	2,899	2,402	1,955	2,669	5,644	2,559	2,327	3,001	8,543	0.2	0.3	0.2	0.9
17. प. बंगाल	81	176	966	1,884	808	1,047	1,531	3,277	888	1,223	2,497	5,161	0.2	0.2	0.6	0.8
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	62	64	227	360	255	496	746	1,222	317	561	973	1,582	8.9	5.2	10.4	11.8
2. असम	140	197	86	408	961	1,412	2,453	5,753	1,102	1,610	2,539	6,161	1.1	0.9	0.2	0.8
3. हिमाचल प्रदेश	109	176	885	2,251	426	751	1,280	1,660	535	927	2,165	3,911	2.6	2.3	5.5	8.3
4. जम्मू और कश्मीर	322	280	2,243	3,102	915	2,317	3,089	5,153	1,237	2,597	5,333	8,256	6.1	2.8	12.7	12.4
5. मणिपुर	76	87	363	878	228	420	663	1,179	303	507	1,026	2,056	7.0	4.6	10.4	16.7
6. मेघालय	52	67	195	7	203	311	639	1,590	256	379	834	1,598	4.1	3.1	4.7	0.1
7. मिजोरम	77	72	268	587	200	386	666	820	277	458	934	1,407	13.6	7.0	11.7	15.6
8. नागालैंड	93	71	717	1,055	231	451	723	1,128	323	522	1,440	2,183	8.7	3.6	15.6	14.1
9. सिक्किम	7	—	132	95	120	264	427	790	127	264	558	884	2.5	—	10.2	5.1
10. त्रिपुरा	94	101	424	1,088	255	537	1,005	1,309	349	638	1,429	2,397	6.1	3.8	6.5	10.6
11. उत्तराखंड	—	—	68	1,253	—	—	1,205	1,736	—	—	1,273	2,989	—	—	0.4	4.2
कुल	2,382	2,935	9,792	20,620	14,961	21,332	36,651	78,389	17,343	24,267	46,443	99,008	0.3	0.2	0.4	0.5
जापन मद:																
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	59	326	326	19	246	181	613	93	305	507	939	—	0.1	0.4	0.3
2. पुदुचेरी	—	—	—	90	—	—	—	699	—	—	—	789	—	—	—	1.4

(जारी)



विवरण 52 : सहायता अनुदान (समाप्त)

राज्य	जीएसडीपी की तुलना में गैर-सांविधिक अनुदान (प्रतिशत)				जीएसडीपी की तुलना में कुल अनुदान (प्रतिशत)				राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान (प्रतिशत)				करेतर प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	1.8	1.4	1.6	1.9	2.1	1.7	1.8	2.2	14.9	13.0	12.6	12.8	48.4	47.3	47.2	50.2
2. बिहार	2.5	2.0	3.0	7.4	3.4	2.2	3.3	7.7	20.7	14.1	14.2	22.6	59.8	54.8	77.9	91.7
3. छत्तीसगढ़	—	—	1.9	3.7	—	—	1.9	3.7	—	—	13.4	15.9	—	—	43.7	54.7
4. गोवा	1.7	0.9	0.7	0.9	3.5	1.3	0.7	0.9	17.6	6.1	3.8	4.9	38.8	10.8	7.1	10.9
5. गुजरात	1.0	0.7	1.1	1.2	1.1	0.8	1.4	1.4	8.3	7.0	11.4	11.8	31.3	26.4	36.2	48.0
6. हरियाणा	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	1.1	7.1	6.5	6.4	7.7	20.0	16.0	22.5	30.5
7. झारखंड	—	—	2.8	2.9	—	—	3.8	3.2	—	—	20.2	17.5	—	—	56.2	53.7
8. कर्नाटक	1.5	1.1	1.3	2.3	1.6	1.2	1.5	2.4	10.5	8.2	10.0	13.0	44.8	38.3	47.8	59.1
9. केरल	1.8	1.2	1.0	1.3	2.0	1.2	1.1	1.8	13.7	9.0	8.8	13.5	61.9	52.6	57.0	70.5
10. मध्य प्रदेश	2.5	1.6	1.8	3.2	2.6	1.7	2.1	3.5	17.7	12.9	12.6	17.6	46.7	41.2	47.6	64.4
11. महाराष्ट्र	1.0	0.6	0.6	1.4	1.0	0.7	0.6	1.4	8.6	6.3	5.7	12.2	31.3	26.6	30.2	54.8
12. उड़ीसा	4.0	2.9	3.2	4.7	4.6	3.3	3.6	5.1	26.5	22.7	19.5	21.2	67.6	63.9	64.3	68.3
13. पंजाब	0.8	0.6	0.8	2.3	1.1	0.8	0.9	2.4	8.7	6.2	6.0	13.8	32.4	16.1	14.5	32.6
14. राजस्थान	2.9	1.8	1.9	2.0	3.6	2.2	2.6	2.7	22.9	16.5	17.5	15.2	52.8	47.1	57.8	54.8
15. तमिलनाडु	1.6	0.9	1.1	1.1	1.6	1.0	1.1	1.3	11.2	7.8	8.3	7.9	53.9	49.2	49.1	52.7
16. उत्तर प्रदेश	3.1	1.3	1.3	1.8	3.3	1.6	1.5	2.7	23.4	13.4	10.2	13.9	65.7	58.4	58.2	63.0
17. प. बंगाल	1.7	1.1	0.9	1.4	1.8	1.2	1.5	2.2	16.7	13.7	16.0	19.3	76.5	73.6	73.4	81.4
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	34.6	36.0	34.5	39.7	43.5	41.2	44.9	51.5	64.5	65.0	78.9	72.1	83.9	89.4	90.9	88.8
2. असम	6.8	6.0	6.5	11.1	7.9	6.9	6.7	12.0	41.4	38.8	35.2	40.6	75.7	80.7	77.4	78.9
3. हिमाचल प्रदेश	9.8	8.1	7.7	6.0	12.4	10.4	13.2	14.3	47.6	40.7	57.4	56.5	85.6	77.1	88.6	83.2
4. जम्मू और कश्मीर	15.6	22.0	17.2	20.3	21.7	24.8	29.9	32.8	59.7	61.6	71.0	67.1	90.8	91.3	93.5	91.7
5. मणिपुर	20.3	19.1	18.8	22.6	27.3	23.7	29.2	39.3	60.8	59.0	76.6	75.7	91.4	92.0	95.5	94.2
6. मेघालय	15.2	12.0	14.0	24.9	19.3	15.1	18.7	25.0	57.9	49.1	64.5	63.3	91.1	87.4	88.7	90.0
7. मिजोरम	33.8	32.9	29.2	21.8	47.3	40.0	41.0	37.5	59.3	62.2	83.8	75.6	84.6	91.3	94.5	92.5
8. नागालैंड	20.4	20.3	15.6	14.9	29.1	23.9	31.2	29.0	60.0	55.0	84.8	81.1	90.4	92.4	96.3	95.9
9. सिक्किम	37.0	39.1	35.0	40.6	39.5	39.1	45.2	45.7	54.8	21.1	37.2	36.9	70.9	23.1	42.9	43.5
10. त्रिपुरा	15.8	16.1	15.3	12.7	21.9	19.9	21.8	23.3	57.4	56.1	70.8	72.9	94.2	93.3	92.0	97.1
11. उत्तराखंड	—	—	7.6	5.6	—	—	8.0	9.8	—	—	44.8	41.2	—	—	82.2	80.0
कुल	1.9	1.4	1.4	1.9	2.3	1.6	1.8	2.4	18.8	14.7	16.3	18.8	55.2	49.4	56.2	64.3
ज्ञापन मद:																
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	0.6	0.2	0.5	0.2	0.7	0.7	0.8	2.4	8.8	7.5	7.0	48.4	66.6	38.6	37.0
2. पुदुचेरी	—	—	—	11.2	—	—	—	12.5	—	—	—	42.6	—	—	—	59.7

जीएसडीपी : राज्यों का सकल देशी उत्पाद

‘—’ : लागू नहीं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 53 : केंद्र से ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	केंद्र से सकल ऋण (जीएलएफसी)				केंद्र से निवल ऋण (एनएलएफसी)				जीएसडीपी की तुलना में जीएलएफसी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,147	2,078	2,623	1,039	914	1,415	668	315	2.3	2.1	1.6	0.4
2. बिहार	1,024	1,721	1,509	4	705	1,277	676	-444	3.0	2.8	2.7	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	415	175	-	-	-14	79	-	-	1.2	0.3
4. गोवा	63	79	85	74	44	49	-6	44	3.5	1.7	1.0	0.5
5. गुजरात	862	1,777	2,079	844	627	1,385	563	280	2.1	1.9	1.5	0.4
6. हरियाणा	303	699	325	49	223	510	-71	-52	1.5	1.9	0.5	-
7. झारखंड	-	-	562	-	-	-	293	-137	-	-	1.4	-
8. कर्नाटक	714	1,097	1,662	1,402	546	835	458	963	1.9	1.5	1.4	0.7
9. केरल	572	627	981	1,107	366	435	188	499	2.4	1.3	1.2	0.8
10. मध्य प्रदेश	630	1,302	1,566	608	373	990	655	189	1.5	1.5	1.8	0.5
11. महाराष्ट्र	1,398	2,838	1,125	646	1,046	2,198	-483	224	1.5	1.5	0.4	0.1
12. उड़ीसा	527	1,031	1,584	945	316	769	545	482	3.4	3.2	3.4	1.2
13. पंजाब	1,187	1,445	594	171	974	694	-398	-23	4.7	2.9	0.8	0.1
14. राजस्थान	668	1,624	1,245	718	424	1,071	205	345	2.2	2.5	1.3	0.5
15. तमिलनाडु	1,034	1,272	1,039	861	797	914	-439	553	2.1	1.3	0.7	0.3
16. उत्तर प्रदेश	2,235	3,860	2,861	744	1,725	2,982	936	-443	2.9	2.6	1.4	0.3
17. प. बंगाल	1,206	2,998	1,758	804	914	2,551	791	-73	2.5	3.1	1.1	0.3
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	30	41	62	96	18	30	6	-5	4.3	3.1	2.7	3.3
2. असम	355	605	660	104	91	190	-56	-127	2.8	2.6	1.8	0.2
3. हिमाचल प्रदेश	180	451	238	105	130	343	-57	50	4.2	4.8	1.5	0.4
4. जम्मू और कश्मीर	234	521	338	477	83	339	50	339	4.7	4.8	1.9	1.9
5. मणिपुर	44	82	664	6	7	33	225	-171	4.1	3.6	18.5	0.1
6. मेघालय	43	35	85	5	20	23	23	-15	3.1	1.3	1.9	0.1
7. मिजोरम	20	35	63	11	-12	27	20	-7	3.6	3.0	2.8	0.3
8. नागालैंड	100	100	101	35	21	43	24	-18	9.2	4.2	2.3	0.5
9. सिक्किम	13	43	41	7	9	25	5	-6	4.1	6.1	3.3	0.4
10. त्रिपुरा	44	80	90	1	23	61	28	-26	2.9	2.3	1.4	-
11. उत्तराखंड	-	-	181	31	-	-	-234	2	-	-	1.2	0.1
कुल	14,632	26,440	24,337	11,071	10,384	19,190	4,601	2,817	1.9	1.7	1.0	0.3
जापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	321	777	289	-	129	708	-451	-55	-	2.1	0.4	-
2. पुदुचेरी	-	-	-	386	-	-	-	293	-	-	-	6.1

(जारी)



विवरण 53 : केंद्र से ऋण (समाप्त)

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	जीएसडीपी की तुलना में एनएलएफसी (प्रतिशत)				पूंजी प्राप्तियों की तुलना में जीएलएफसी (प्रतिशत)				पूंजी प्राप्तियों की तुलना में एनएलएफसी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1.8	1.4	0.5	0.1	55.4	38.5	23.0	5.8	43.5	26.4	8.5	1.5
2. बिहार	2.1	2.1	1.2	-0.7	57.4	35.7	27.1	0.1	39.5	26.1	12.3	-8.9
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	0.1	-	-	16.7	8.9	-	-	-3.4	3.4
4. गोवा	2.6	1.0	-	0.3	64.5	42.3	15.7	9.2	42.6	26.4	1.3	5.6
5. गुजरात	1.5	1.5	0.4	0.1	44.6	43.8	17.3	8.2	32.3	34.3	4.6	2.4
6. हरियाणा	1.1	1.4	-0.1	-	46.7	29.0	9.8	1.3	33.9	20.4	-1.2	-1.5
7. झारखंड	-	-	-0.4	0.2	-	-	24.7	-	-	-	-	-3.8
8. कर्नाटक	1.4	1.1	0.5	0.5	43.2	39.2	23.0	26.0	32.6	30.1	8.0	18.1
9. केरल	1.5	0.9	0.2	0.3	46.5	26.8	16.6	13.0	28.9	19.1	3.5	5.4
10. मध्य प्रदेश	0.9	1.2	0.8	0.1	44.3	38.7	24.3	9.4	26.0	29.2	10.8	3.0
11. महाराष्ट्र	1.2	1.2	-0.1	-	46.0	39.8	5.9	3.5	34.5	31.3	-1.8	1.3
12. उड़ीसा	2.0	2.4	1.2	0.6	45.0	39.0	31.9	26.7	26.9	29.1	10.9	13.7
13. पंजाब	4.0	1.5	-0.5	-	66.1	46.8	9.2	2.5	54.3	25.1	-5.8	-0.8
14. राजस्थान	1.3	1.7	0.2	0.2	43.3	38.7	14.3	9.8	25.3	26.0	2.5	4.6
15. तमिलनाडु	1.6	0.9	-0.2	0.2	45.0	34.0	12.2	7.5	34.1	24.8	-2.1	4.8
16. उत्तर प्रदेश	2.2	2.0	0.5	-0.1	48.3	42.8	16.7	4.1	36.9	33.1	5.0	-3.0
17. प. बंगाल	1.9	2.6	0.5	-	62.4	56.0	12.0	5.0	46.4	48.1	5.3	-0.4
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	2.6	2.3	0.3	-0.1	105.9	55.8	20.8	18.8	19.0	36.6	1.9	-7.2
2. असम	0.9	0.8	-0.1	-0.2	35.9	75.8	25.8	4.7	-25.4	23.0	-1.9	-5.7
3. हिमाचल प्रदेश	3.0	3.8	-0.4	0.2	45.9	132.2	9.4	4.7	33.7	104.3	-2.5	2.2
4. जम्मू और कश्मीर	2.0	3.0	0.3	1.3	68.1	164.2	40.6	23.1	17.1	107.9	5.0	16.3
5. मणिपुर	0.9	1.4	6.1	-3.1	40.2	46.3	86.7	1.2	9.5	18.5	31.0	-36.2
6. मेघालय	1.5	0.9	0.5	-0.2	48.7	20.4	26.5	1.3	27.9	13.0	8.6	-3.8
7. मिजोरम	-3.9	2.4	0.8	-0.2	-96.0	32.1	15.1	2.9	-101.2	25.4	4.7	-1.7
8. नागालैंड	2.1	1.8	0.7	-0.2	59.6	34.2	51.6	7.9	16.8	16.8	44.2	-4.2
9. सिक्किम	3.0	3.6	0.5	-0.3	36.7	44.7	22.6	3.4	26.4	25.1	1.8	-3.0
10. त्रिपुरा	1.5	1.8	0.5	-0.3	38.3	38.0	17.0	0.3	19.6	28.4	6.5	-5.9
11. उत्तराखंड	-	-	-1.4	-	-	-	12.0	1.7	-	-	-8.1	0.1
कुल	1.4	1.3	0.2	0.1	48.3	43.2	16.5	7.1	34.1	31.7	3.7	1.8
ज्ञापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	1.3	1.9	-0.5	-0.1	96.1	80.3	9.1	-	-	73.4	-9.7	-0.9
2. पुदुचेरी	-	-	-	4.7	-	-	-	80.7	-	-	-	61.6

जीएसडीपी : राज्यों का सकल देशी उत्पाद

‘-’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

भारतीय रिज़र्व बैंक



विवरण 54 : वित्त आयोग का न्यागमन

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	वित्त आयोग (एफसी) न्यागमन				अन्य चालू अंतरण				कुल चालू अंतरण			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,652	3,349	4,893	8,902	921	1,367	2,627	5,106	2,573	4,716	7,520	14,008
2. बिहार	2,543	4,321	7,422	12,811	861	1,231	1,621	5,097	3,404	5,553	9,043	17,908
3. छत्तीसगढ़	—	—	1,296	2,946	—	—	636	1,863	—	—	1,932	4,809
4. गोवा	105	107	126	289	32	41	65	136	138	148	191	425
5. गुजरात	700	1,525	2,252	4,381	454	703	1,488	3,013	1,154	2,229	3,740	7,394
6. हरियाणा	259	475	584	1,396	195	357	520	1,084	454	832	1,104	2,479
7. झारखंड	—	—	1,908	3,771	—	—	1,280	1,660	—	—	2,563	4,490
8. कर्नाटक	932	1,947	3,303	5,388	554	823	1,538	4,569	1,486	2,770	4,841	9,957
9. केरल	704	1,308	2,028	3,870	431	594	789	1,805	1,135	1,902	2,816	5,675
10. मध्य प्रदेश	1,532	2,944	4,445	7,823	1,059	1,328	1,618	4,005	2,591	4,272	6,063	11,828
11. महाराष्ट्र	1,439	2,314	2,977	6,205	917	1,210	1,846	7,216	2,356	3,524	4,824	13,420
12. उड़ीसा	1,070	1,689	3,207	6,203	636	959	1,573	3,419	1,706	2,648	4,780	9,621
13. पंजाब	401	663	760	1,622	212	285	610	2,690	613	948	1,370	4,311
14. राजस्थान	1,241	2,110	3,988	7,610	918	1,114	1,803	2,876	2,158	3,224	5,791	10,486
15. तमिलनाडु	1,416	2,429	3,408	6,718	768	969	1,744	2,697	2,184	3,398	5,153	9,415
16. उत्तर प्रदेश	3,346	6,667	12,011	25,420	2,402	1,955	2,669	5,644	5,748	8,622	14,680	31,064
17. प. बंगाल	1,513	2,809	5,940	10,297	808	1,047	1,531	3,277	2,321	3,856	7,471	13,574
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	171	296	358	704	255	496	746	1,222	426	792	1,104	1,925
2. असम	782	1,470	2,073	4,061	961	1,412	2,453	5,753	1,743	2,882	4,526	9,814
3. हिमाचल प्रदेश	382	804	1,283	2,830	426	751	1,280	1,660	808	1,555	2,563	4,490
4. जम्मू और कश्मीर	784	1,289	3,025	4,477	915	2,317	3,089	5,153	1,699	3,605	6,115	9,630
5. मणिपुर	225	372	567	1,301	228	420	663	1,179	453	792	1,230	2,480
6. मेघालय	169	328	395	441	203	311	639	1,590	373	640	1,034	2,031
7. मिजोरम	209	304	370	867	200	386	666	820	409	690	1,037	1,686
8. नागालैंड	255	439	861	1,351	231	451	723	1,128	485	890	1,584	2,480
9. सिक्किम	43	90	222	312	120	264	427	790	163	354	649	1,102
10. त्रिपुरा	299	494	709	1,559	255	537	1,005	1,309	554	1,031	1,713	2,868
11. उत्तराखंड	—	—	428	2,382	—	—	1,205	1,736	—	—	1,632	4,118
कुल	22,172	40,542	70,839	1,35,935	14,961	21,332	36,651	78,389	37,133	61,874	1,07,490	2,14,323
जापन मद:												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	59	326	326	—	246	181	613	—	305	507	939
2. पुदुचेरी	—	—	—	90	—	—	—	699	—	—	—	789

(जारी)

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



विवरण 54 : वित्त आयोग का न्यागमन (समाप्त)

राज्य	जीएसडीपी की तुलना में एफसी न्यागमन (प्रतिशत)				जीएसडीपी की तुलना में अन्य चालू अंतरण (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	14	15	16	17	18	19	20	21
I. गैर-विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	3.3	3.4	2.9	3.4	1.8	1.4	1.6	1.9
2. बिहार	7.2	7.3	13.3	18.9	2.5	2.0	3.0	7.4
3. छत्तीसगढ़	—	—	3.8	5.9	—	—	1.9	3.7
4. गोवा	5.4	2.3	1.4	2.1	1.7	0.9	0.7	0.9
5. गुजरात	1.5	1.7	1.6	1.8	1.0	0.7	1.1	1.2
6. हरियाणा	1.3	1.2	0.9	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9
7. झारखंड	—	—	7.9	10.4	—	—	7.7	6.0
8. कर्नाटक	2.6	2.6	2.7	2.7	1.5	1.1	1.3	2.3
9. केरल	3.0	2.6	2.4	2.8	1.8	1.2	1.0	1.3
10. मध्य प्रदेश	3.7	3.5	5.1	6.3	2.5	1.6	1.8	3.2
11. महाराष्ट्र	1.5	1.2	1.0	1.2	1.0	0.6	0.6	1.4
12. उड़ीसा	6.5	5.4	6.8	8.7	4.0	2.9	3.2	4.7
13. पंजाब	1.5	1.3	1.0	1.4	0.8	0.6	0.8	2.3
14. राजस्थान	4.0	3.3	4.3	5.4	2.9	1.8	1.9	2.0
15. तमिलनाडु	2.9	2.4	2.1	2.7	1.6	0.9	1.1	1.1
16. उत्तर प्रदेश	4.3	4.6	5.9	8.3	3.1	1.3	1.3	1.8
17. प. बंगाल	3.1	2.9	3.5	4.3	1.7	1.1	0.9	1.4
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	23.8	21.6	16.3	23.0	34.6	36.0	34.5	39.7
2. असम	5.7	6.3	5.5	8.0	6.8	6.0	6.5	11.1
3. हिमाचल प्रदेश	8.8	9.0	7.9	10.4	9.8	8.1	7.7	6.0
4. जम्मू और कश्मीर	14.5	12.3	17.1	17.9	15.6	22.0	17.2	20.3
5. मणिपुर	20.4	17.4	16.2	24.7	20.3	19.1	18.8	22.6
6. मेघालय	12.8	13.1	9.2	7.0	15.2	12.0	14.0	24.9
7. मिजोरम	36.1	26.6	16.1	23.0	33.8	32.9	29.2	21.8
8. नागालैंड	23.2	19.8	18.6	18.1	20.4	20.3	15.6	14.9
9. सिक्किम	13.7	13.0	17.5	16.4	37.0	39.1	35.0	40.6
10. त्रिपुरा	18.9	15.5	10.8	15.1	15.8	16.1	15.3	12.7
11. उत्तराखंड	—	—	2.7	8.0	—	—	7.6	5.6
कुल	2.9	2.6	2.8	3.3	1.9	1.4	1.4	1.9
ज्ञापन मद:								
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	0.1	0.4	0.3	—	0.6	0.2	0.5
2. पुदुचेरी	—	—	—	1.4	—	—	—	11.2

जीएसडीपी : राज्यों का सकल देशी उत्पाद

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य

टिप्पणी : एफसी न्यागमन में केंद्रीय करों में अंश, सांविधिक अनुदान और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान सहायता शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 55 : केंद्रीय करों में अंश और अनुदान को छोड़कर कुल राजस्व प्राप्तियां

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

राज्य	टीआरआर अंतरण के पहले (करोड़ रु)				टीआरआर अंतरण के बाद (करोड़ रु)				जीएसडीपी को अंतरित करने के पहले टीआरआर (प्रतिशत)				जीएसडीपी को अंतरित करने के बाद टीआरआर (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 औसत	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	4,574	8,479	16,469	30,974	7,147	13,195	23,988	44,982	9.2	8.3	9.8	11.6	14.3	13.0	14.2	16.8
2. बिहार	2,309	3,639	3,440	4,771	5,713	9,192	12,482	22,679	6.6	6.0	6.1	7.1	16.2	15.3	22.4	33.5
3. छत्तीसगढ़	—	—	3,044	6,602	—	—	4,977	11,411	—	—	8.9	13.3	—	—	14.7	22.9
4. गोवा	261	874	1,536	2,269	398	1,022	1,726	2,695	12.6	17.7	17.5	16.2	19.6	20.9	19.6	19.2
5. गुजरात	4,604	8,968	13,883	22,103	5,758	11,196	17,622	29,497	10.5	9.6	9.9	9.0	13.0	12.0	12.6	11.9
6. हरियाणा	2,725	4,809	7,660	13,417	3,179	5,641	8,765	15,896	13.0	12.6	11.2	11.5	15.3	14.7	12.9	13.7
7. झारखंड	—	—	2,666	4,663	—	—	3,807	6,937	—	—	7.4	8.8	—	—	23.0	25.2
8. कर्नाटक	3,991	7,813	13,888	26,413	5,476	10,583	18,728	36,370	11.0	10.5	11.2	13.6	15.1	14.2	15.2	18.6
9. केरल	2,298	4,863	7,931	12,894	3,432	6,765	10,747	18,569	9.6	9.7	9.6	9.4	14.5	13.5	13.0	13.5
10. मध्य प्रदेश	3,619	6,622	8,395	12,656	6,211	10,895	14,458	24,484	8.6	8.0	9.5	10.2	14.8	13.1	16.4	19.7
11. महाराष्ट्र	9,117	17,103	28,406	45,581	11,473	20,628	33,229	59,002	9.6	8.7	9.5	9.1	12.1	10.5	11.1	11.8
12. उड़ीसा	1,157	2,001	3,956	7,445	2,863	4,650	8,736	17,067	7.0	6.3	8.2	10.4	17.5	14.6	18.2	23.8
13. पंजाब	2,798	5,118	9,694	15,553	3,411	6,066	11,065	19,864	10.6	10.4	12.7	13.3	12.9	12.3	14.5	17.0
14. राजस्थान	2,758	5,169	8,374	14,471	4,917	8,393	14,165	24,957	8.8	8.2	8.9	10.4	15.7	13.3	15.0	17.8
15. तमिलनाडु	5,049	9,949	16,873	30,236	7,233	13,347	22,026	39,651	10.2	9.7	10.5	12.5	14.7	13.0	13.7	16.3
16. उत्तर प्रदेश	5,289	8,916	14,804	28,735	11,037	17,538	29,484	59,799	6.7	6.1	7.4	9.4	14.0	12.0	14.6	19.5
17. प. बंगाल	3,039	4,990	8,551	13,567	5,360	8,846	16,023	27,141	6.2	5.2	5.0	5.7	11.0	9.1	9.4	11.4
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	66	77	137	266	492	869	1,241	2,191	8.8	5.7	6.2	8.7	67.3	63.3	57.0	71.4
2. असम	874	1,299	2,693	5,203	2,617	4,181	7,220	15,017	6.4	5.5	7.1	10.2	18.9	17.8	19.1	29.3
3. हिमाचल प्रदेश	317	834	1,244	2,446	1,125	2,389	3,807	6,937	7.2	8.6	7.4	8.8	25.8	25.7	23.0	25.2
4. जम्मू और कश्मीर	319	646	1,410	2,678	2,017	4,251	7,524	12,309	5.8	6.0	7.8	10.6	36.0	40.3	42.2	48.8
5. मणिपुर	47	74	113	240	499	866	1,342	2,720	4.2	3.5	3.2	4.5	44.8	40.0	38.2	51.8
6. मेघालय	71	138	264	451	443	778	1,298	2,482	5.3	5.4	5.9	7.2	33.3	30.5	29.0	39.1
7. मिजोरम	56	51	81	175	465	741	1,118	1,861	11.5	4.5	3.5	4.7	81.4	64.0	48.9	49.5
8. नागालैंड	53	76	118	210	538	966	1,703	2,690	4.7	3.4	2.5	2.8	48.3	43.5	36.8	35.8
9. सिक्किम	102	916	948	1,280	264	1,270	1,597	2,382	26.9	133.9	76.5	66.4	77.6	186.0	129.0	123.3
10. त्रिपुरा	56	120	313	421	609	1,151	2,026	3,290	3.5	3.6	4.7	4.1	38.2	35.2	30.8	31.9
11. उत्तराखंड	—	—	1,280	3,014	—	—	2,912	7,132	—	—	7.9	10.0	—	—	18.1	23.5
कुल	55,546	1,03,542	1,78,171	3,08,738	92,679	1,65,416	2,85,661	5,23,061	7.2	6.7	7.0	7.5	12.1	10.7	11.2	12.7
ज्ञापन मद:																
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	491	2,996	6,348	11,872	509	3,302	6,855	12,811	—	7.3	8.5	9.8	—	8.1	9.2	10.6
2. पुदुचेरी	—	—	—	1,066	—	—	—	1,855	—	—	—	16.9	—	—	—	29.4

टीआरआर : कुल राजस्व प्राप्तियां

जीएसडीपी : राज्यों का सकल देशी उत्पाद

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



विवरण 56 : केंद्र से निवल ऋण

राज्य	केंद्र से निवल ऋण (एनएलएफसी) (करोड़ रु.)				सकल राजकोषीय धारा (जीएफडी) (करोड़ रु.)				जीएफसी की तुलना में एनएलएफसी (प्रतिशत)				जीएलएफसी की तुलना में एनएलएफसी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर-विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	914	1,415	668	315	1,569	3,668	7,459	8,275	58.2	38.6	9.0	3.8	1.8	1.4	0.5	0.1
2. बिहार	705	1,277	676	-444	1,445	2,386	3,831	4,586	48.8	53.5	17.7	-9.7	2.1	2.1	1.2	-0.7
3. छत्तीसगढ़	—	—	-14	79	—	—	1,084	1,140	—	—	-1.3	7.0	—	—	—	0.1
4. गोवा	44	49	-6	44	83	187	440	684	52.5	26.4	-1.4	6.5	2.6	1.0	—	0.3
5. गुजरात	627	1,385	563	280	1,333	3,938	7,687	6,143	47.1	35.2	7.3	4.6	1.5	1.5	0.4	0.1
6. हरियाणा	223	510	-71	-52	444	1,517	2,123	858	50.2	33.6	-3.4	-6.1	1.1	1.4	-0.1	—
7. झारखंड	—	—	293	-137	—	—	1,978	1,061	—	—	14.8	-12.9	—	—	-0.4	0.2
8. कर्नाटक	546	835	458	963	1,126	2,480	4,694	5,121	48.5	33.7	9.8	18.8	1.4	1.1	0.5	0.5
9. केरल	366	435	188	499	876	2,562	4,426	6,646	41.8	17.0	4.3	7.5	1.5	0.9	0.2	0.3
10. मध्य प्रदेश	373	990	655	189	1,056	2,684	4,848	4,587	35.3	36.9	13.5	4.1	0.9	1.2	0.8	0.1
11. महाराष्ट्र	1,046	2,198	-483	224	2,196	6,943	14,142	14,803	47.6	31.7	-3.4	1.5	1.2	1.2	-0.1	—
12. उड़ीसा	316	769	545	482	866	2,292	3,009	741	36.4	33.6	18.1	65.1	2.0	2.4	1.2	0.6
13. पंजाब	974	694	-398	-23	1,385	2,456	4,436	4,726	70.4	28.3	-9.0	-0.5	4.0	1.5	-0.5	—
14. राजस्थान	424	1,071	205	345	1,146	3,629	5,939	5,158	37.0	29.5	3.5	6.7	1.3	1.7	0.2	0.2
15. तमिलनाडु	797	914	-439	553	1,406	3,196	5,544	5,555	56.7	28.6	-7.9	10.0	1.6	0.9	-0.2	0.2
16. उत्तर प्रदेश	1,725	2,982	936	-443	3,509	8,129	11,844	11,217	49.2	36.7	7.9	-4.0	2.2	2.0	0.5	-0.1
17. प. बंगाल	914	2,551	791	-73	1,485	5,775	11,363	10,973	61.6	44.2	7.0	-0.7	1.9	2.6	0.5	—
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	18	30	6	-5	17	69	267	218	106.0	43.3	2.1	-2.5	2.6	2.3	0.3	-0.1
2. असम	91	190	-56	-127	345	562	1,473	1,786	26.3	33.9	-3.8	-7.1	0.9	0.8	-0.1	-0.2
3. हिमाचल प्रदेश	130	343	-57	50	317	829	1,978	1,061	41.0	41.4	-2.9	4.7	3.0	3.8	-0.4	0.2
4. जम्मू और कश्मीर	83	339	50	339	276	620	1,030	1,695	30.0	54.6	4.8	20.0	2.0	3.0	0.3	1.3
5. मणिपुर	7	33	225	-171	34	244	312	202	20.7	13.5	72.1	-84.9	0.9	1.4	6.1	-3.1
6. मेघालय	20	23	23	-15	66	112	229	116	29.8	20.4	10.1	-12.9	1.5	0.9	0.5	-0.2
7. मिजोरम	-12	27	20	-7	3	126	331	266	-371.0	21.4	5.9	-2.7	-3.9	2.4	0.8	-0.2
8. नागालैंड	21	43	24	-18	150	222	246	311	14.1	19.4	9.7	-5.7	2.1	1.8	0.7	-0.2
9. सिक्किम	9	25	5	-6	34	80	73	199	27.2	31.7	7.4	-2.8	3.0	3.6	0.5	-0.3
10. त्रिपुरा	23	61	28	-26	85	152	420	418	26.6	40.0	6.7	-6.3	1.5	1.8	0.5	-0.3
11. उत्तराखंड	—	—	-234	2	—	—	1,006	1,739	—	—	-23.3	0.1	—	—	-1.4	—
कुल	10,384	19,190	4,601	2,817	21,250	54,860	1,02,063	1,04,107	48.9	35.0	4.5	2.7	1.4	1.3	0.2	0.1
ज्ञापन मद:																
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	129	708	-451	-55	—	863	1,932	765	—	82.1	-23.3	-7.2	1.3	1.9	-0.5	-0.1
2. पुदुचेरी	—	—	—	293	—	—	—	516	—	—	—	56.8	—	—	—	4.7

जीएसडीपी : राज्यों का सकल देशी उत्पाद

‘-’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।





परिशिष्ट I से IV





परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	3,485,120	4,433,117	4,514,598	5,494,959	184,941	199,999	239,265	233,127
I. कर राजस्व (अ+आ)	2,615,826	3,170,675	3,361,147	4,058,988	33,424	33,649	41,694	49,025
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	1,920,740	2,366,792	2,525,630	3,139,913	6,171	6,280	6,980	7,940
1. आय पर कर (i+ii)	22,707	33,000	33,000	38,300	—	—	—	—
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	22,707	33,000	33,000	38,300	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	208,549	239,348	264,348	389,448	152	220	400	720
i) भू-राजस्व	6,875	12,848	12,848	12,948	111	150	200	500
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	201,345	225,000	250,000	375,000	41	70	200	220
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	329	1,500	1,500	1,500	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	1,689,484	2,094,444	2,228,282	2,712,165	6,019	6,060	6,580	7,220
i) बिक्री कर (क से च)	1,254,161	1,546,533	1,683,900	2,056,800	4,769	4,000	5,300	5,800
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,150,020	1,403,200	1,512,371	1,875,271	4,769	4,000	5,300	5,800
ख) केंद्रीय बिक्री कर	101,737	139,106	169,106	179,106	—	—	—	—
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	30	28	28	28	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	1,704	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	670	3,199	1,395	1,395	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	268,457	325,000	342,100	412,500	951	1,800	1,000	1,100
iii) वाहन कर	135,574	177,700	157,700	189,240	299	260	280	320
iv) माल और यात्री कर	5,035	7,231	7,231	7,593	—	—	—	—
v) विद्युत शुल्क और कर	15,196	16,664	16,034	17,583	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	5,632	10,349	10,349	10,449	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	5,429	10,967	10,968	18,000	—	—	—	—
आ. केंद्रीय कर में अंश	695,086	803,883	835,517	919,075	27,253	27,369	34,714	41,085
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	869,293	1,262,441	1,153,451	1,435,970	151,517	166,350	197,570	184,102
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	469,137	524,006	550,981	685,762	20,236	18,749	20,812	17,618
1. ब्याज प्राप्तियाँ	203,952	263,321	281,081	362,026	698	450	1,000	450
2. लाभांश और लाभ	4,588	5,797	5,797	7,087	—	—	—	—
3. सामान्य सेवाएं	84,379	29,439	29,439	30,911	4,077	1,095	1,780	2,180
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	14,130	16,182	20,023	22,081	435	486	741	1,006
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,935	7,175	10,611	10,400	75	73	208	73
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,059	4,375	4,375	4,595	17	40	40	40
iii) परिवार कल्याण	120	2	401	401	—	—	—	—

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	134	221	221	232	6	9	9	9
v) शहरी विकास	201	1,187	1,187	1,062	205	200	200	600
vi) श्रम और रोजगार	1,599	1,542	1,542	1,582	1	3	3	3
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	185	188	197	265	4	10	10	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	511	1,002	1,002	1,052	126	150	270	270
ix) अन्य	386	490	487	2,492	1	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	162,088	209,267	214,641	263,657	15,026	16,718	17,291	13,982
i) फसल कार्य	658	824	1,013	865	140	135	135	135
ii) पशुपालन	733	122	122	128	38	50	50	50
iii) मत्स्य पालन	215	182	182	191	10	17	17	17
iv) वानिकी और वन्य जीवन	13,793	13,860	13,860	14,553	1,371	1,200	900	900
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	1,245	3,363	3,363	3,532	10	15	15	15
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	6	6	6	4	56	56	56
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	4,782	6,203	6,513	6,813	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	198	626	626	657	3	—	—	—
x) बिजली	2,226	2,473	3,305	3,007	8,877	11,400	10,567	8,500
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	150	191	191	201	43	40	40	40
xiii) उद्योग@	107,374	126,592	126,592	175,134	2,501	1,515	3,055	1,565
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	4,110	7,169	7,169	7,527	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	857	1,018	1,184	1,432
xvi) पर्यटन	—	1,538	1,538	1,615	23	18	18	18
xvii) अन्य*	26,600	46,118	50,161	49,428	1,149	1,254	1,254	1,254
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	400,156	738,435	602,470	750,208	131,281	147,601	176,758	166,484
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	144,874	274,843	201,832	350,862	72,639	92,262	87,477	105,829
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	17,185	184,568	139,398	151,108	4,390	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	119,823	146,364	121,330	140,628	10,490	19,381	42,600	21,319
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	4,912	3,316	7,359	3,642
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	118,274	132,660	139,910	107,610	38,850	32,642	39,322	35,694
क) सांविधिक अनुदान	36,130	51,720	51,720	51,720	27,184	28,838	31,155	31,851
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	25,806	27,096	33,548	21,999	8,967	2,184	6,622	2,248
ग) अन्य	56,338	53,844	54,642	33,891	2,699	1,620	1,545	1,595



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,204,537	1,566,145	1,601,755	1,698,823	1,783,671	2,239,079	2,276,032	2,744,103
I. कर राजस्व (अ+आ)	628,898	750,168	724,057	826,787	1,398,169	1,667,912	1,704,866	2,000,116
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	323,220	382,688	356,577	404,185	356,078	452,267	452,267	496,997
1. आय पर कर (i+ii)	10,682	13,317	12,206	13,757	—	—	—	—
i) कृषि-आय कर	702	1,200	1,200	1,650	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	9,980	12,117	11,006	12,107	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	16,076	27,572	17,572	19,439	56,031	77,242	77,242	79,467
i) भू-राजस्व	7,465	18,307	8,307	9,155	5,502	7,242	7,242	7,467
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	8,588	9,265	9,265	10,284	50,529	70,000	70,000	72,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	23	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	296,462	341,799	326,799	370,989	300,047	375,025	375,025	417,530
i) बिक्री कर (क से च)	256,841	274,371	274,371	312,951	173,359	236,467	236,467	287,993
क) राज्य बिक्री कर / वैट	144,559	—	—	—	167,883	227,506	227,506	276,657
ख) केंद्रीय बिक्री कर	—	50,661	50,661	55,726	5,418	8,961	8,961	11,336
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	-7	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	1	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	734	—	—	—	6	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	111,555	223,710	223,710	257,225	51	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	16,039	18,461	18,461	20,492	31,859	40,000	40,000	50,000
iii) वाहन कर	15,591	17,263	17,263	19,162	30,244	35,000	35,000	37,500
iv) माल और यात्री कर	6,152	29,077	14,077	15,625	61,338	60,364	60,364	38,133
v) विद्युत शुल्क और कर	1,329	1,799	1,799	1,888	1,806	1,207	1,207	1,969
vi) मनोरंजन कर	231	441	441	465	1,376	1,764	1,764	1,734
vii) अन्य कर और शुल्क	279	387	387	406	65	223	223	201
आ. केंद्रीय कर में अंश	305,678	367,480	367,480	422,602	1,042,091	1,215,645	1,252,599	1,503,119
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	575,639	815,977	877,698	872,036	385,502	571,167	571,167	743,987
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	145,927	146,992	161,627	169,433	52,230	34,239	34,239	39,625
1. ब्याज प्राप्तियाँ	3,641	1,130	15,765	12,810	21,607	5,312	5,312	5,889
2. लाभांश और लाभ	1,547	1,083	1,083	1,159	4	78	78	79
3. सामान्य सेवाएं	3,474	3,474	3,474	3,721	6,435	5,790	5,790	9,305
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	3,859	2,469	2,469	2,642	7,936	3,956	3,956	6,888
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,715	624	624	668	3,299	781	781	3,076
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	350	556	556	595	1,510	1,480	1,480	1,573
iii) परिवार कल्याण	47	12	12	13	82	—	—	—

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	233	230	230	246	162	137	137	103
v) शहरी विकास	2	13	13	14	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	210	221	221	236	317	111	111	125
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	224	42	42	45	1,476	625	625	1,002
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	75	758	758	811	104	20	20	24
ix) अन्य	3	13	13	14	986	802	802	985
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	133,406	138,836	138,836	149,101	16,248	19,103	19,103	17,464
i) फसल कार्य	33	36	36	39	184	250	250	56
ii) पशुपालन	41	55	55	59	36	58	58	67
iii) मत्स्य पालन	85	117	117	125	569	730	730	740
iv) वानिकी और वन्य जीवन	3,842	2,995	2,995	3,750	889	759	759	465
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	38	27	27	29	284	295	295	248
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	21	24	24	26	6	—	—	6
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	21	30	30	32	1,244	2,650	2,650	2,650
ix) लघु सिंचाई	17	50	50	54	42	50	50	50
x) बिजली	103	1	1	1	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	121,616	130,000	130,000	139,100	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	313	142	142	152	36	42	42	48
xiii) उद्योग@	46	89	101	108	10,091	9,512	9,512	10,310
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	1	1	1	3	3	3	3
xvi) पर्यटन	8	10	10	11	1	—	—	1
xvii) अन्य*	7,222	5,259	5,247	5,614	2,863	4,754	4,754	2,820
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	429,712	668,985	716,071	702,603	333,272	536,928	536,928	704,362
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	267,301	371,438	386,408	410,081	155,146	277,996	277,996	356,270
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	3,971	14,515	14,888	15,916	8,999	8,488	8,488	15,370
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	52,486	140,141	166,401	134,134	48,598	85,659	85,659	160,270
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	11,135	38,717	43,282	40,024	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	94,819	104,174	105,092	102,448	120,529	164,785	164,785	172,452
क) सांविधिक अनुदान	84,941	14	14	14	533	149,018	8,000	8,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	—	22,137	22,137	15,336	5,584	11,492	11,492	11,831
ग) अन्य	9,878	82,023	82,941	87,097	114,412	4,275	145,293	152,621



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	883,851	1,079,718	1,192,629	1,346,696	216,887	314,212	253,380	338,199
I. कर राजस्व (अ+आ)	655,973	749,766	834,603	934,338	134,119	136,877	148,029	155,692
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	405,202	479,624	533,153	602,792	109,649	107,432	118,584	123,307
1. आय पर कर (i+ii)	2,057	1,873	1,873	2,061	—	—	—	—
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,057	1,873	1,873	2,061	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	33,969	47,004	45,377	50,918	6,557	5,814	7,466	8,096
i) भू-राजस्व	2,689	12,004	7,386	7,395	508	769	769	769
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	31,280	35,000	37,991	43,523	6,049	5,045	6,697	7,327
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	369,176	430,747	485,903	549,813	103,092	101,618	111,118	115,211
i) बिक्री कर (क से च)	208,920	250,062	290,300	328,000	74,331	75,000	83,000	84,110
क) राज्य बिक्री कर / वैट	101,490	192,057	220,300	243,000	66,611	70,900	75,250	75,010
ख) केंद्रीय बिक्री कर	41,519	58,005	70,000	85,000	7,148	3,000	7,500	8,900
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	39	—	—	—	334	100	100	100
ड) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	65,872	—	—	—	238	1,000	150	100
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	63,450	66,001	70,444	82,822	5,535	6,700	6,700	6,700
iii) वाहन कर	20,597	27,500	25,000	30,248	6,384	7,000	7,800	8,475
iv) माल और यात्री कर	39,533	42,531	49,500	60,000	13,080	9,043	8,043	9,051
v) विद्युत शुल्क और कर	36,231	44,090	50,095	48,100	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	341	492	492	540	518	600	800	1,000
vii) अन्य कर और शुल्क	104	71	72	103	3,244	3,275	4,775	5,875
आ. केंद्रीय कर में अंश	250,771	270,142	301,450	331,546	24,470	29,445	29,445	32,385
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	227,878	329,951	358,026	412,357	82,768	177,335	105,351	182,507
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	122,955	146,940	141,983	174,396	76,116	157,442	91,458	161,732
1. ब्याज प्राप्तियाँ	9,767	10,950	14,551	12,713	1,277	788	788	1,142
2. लाभांश और लाभ	6	136	136	136	18	108	108	108
3. सामान्य सेवाएं	6,012	5,611	4,540	4,721	943	70,401	5,586	70,387
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	—	69,317	2	69,317
4. समाज सेवा (i से ix)	4,251	2,481	3,603	2,671	7,709	10,089	10,089	10,245
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,331	186	186	205	478	664	664	812
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	307	1,583	2,583	1,583	1,267	617	617	617
iii) परिवार कल्याण	11	15	15	15	—	—	—	—

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	207	114	114	114	23	26	26	26
v) शहरी विकास	42	40	40	40	18	10	10	10
vi) श्रम और रोजगार	287	118	139	149	170	243	243	243
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44	6	6	6	27	5	5	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	153	217	217	257	5,725	8,523	8,523	8,523
ix) अन्य	869	202	303	302	1	1	1	4
5. राजकोषीय सेवाएं	1	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	102,918	127,762	119,153	154,155	66,169	76,056	74,887	79,850
i) फसल कार्य	520	603	603	513	117	135	135	149
ii) पशुपालन	263	257	262	288	73	1,261	92	177
iii) मत्स्य पालन	173	200	200	227	88	90	90	99
iv) वानिकी और वन्य जीवन	20,317	21,153	21,153	32,000	191	222	222	222
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	582	700	700	620	14	34	34	30
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3,080	43	43	43	6	9	9	5
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	3898	9,877	8,989	9,735	1,032	851	851	977
ix) लघु सिंचाई	772	1,424	2,978	3,361	148	1,036	1,036	600
x) बिजली	—	10,000	—	—	59,491	67,500	67,500	72,000
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	75	47	44	50	241	187	187	312
xiii) उद्योग@	72,186	82,523	82,523	104,862	2,677	2,700	2,700	2,900
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	1,430	1,051	1,051	1,500
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	—	—	—	—	34	180	180	40
xvii) अन्य*	1,052	935	1,658	2,456	627	800	800	839
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	104,923	183,011	216,043	237,961	6,652	19,893	13,893	20,775
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	41,491	73,694	103,156	121,785	2,995	12,959	6,959	12,959
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	23,902	29,095	28,416	27,557	495	963	963	845
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	32,415	37,700	34,873	46,799	2,478	3,162	3,162	2,509
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	7,115	42,522	49,598	41,820	684	2,809	2,809	4,462
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	—	—	—	—	87	166	166	174
ग) अन्य	7,115	42,522	49,598	41,820	597	2,643	2,643	4,288



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	2,506,687	2,628,184	3,045,992	3,296,422	1,385,331	1,374,665	1,591,812	1,791,735
I. कर राजस्व (अ+आ)	1,907,054	2,000,775	2,249,660	2,515,492	1,027,962	1,068,585	1,176,971	1,359,410
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	1,569,791	1,624,410	1,849,360	2,086,752	907,864	958,230	1,054,870	1,225,100
1. आय पर कर (i+ii)	11,932	16,050	16,000	12,300	—	—	—	—
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	11,932	16,050	16,000	12,300	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	155,338	145,450	160,450	173,750	135,286	101,960	141,000	179,200
i) भू-राजस्व	38,023	25,000	30,000	26,750	1,312	1,960	1,000	1,200
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	115,316	120,000	130,000	145,000	133,973	100,000	140,000	178,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	1,999	450	450	2,000	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	1,402,520	1,462,910	1,672,910	1,900,702	772,579	856,270	913,870	1,045,900
i) बिक्री कर (क से च)	1,056,134	1,090,000	1,300,000	1,508,000	560,445	639,000	675,000	783,200
क) राज्य बिक्री कर / वैट	636,048	689,000	52,000	30,000	435,995	484,000	483,405	557,545
ख) केंद्रीय बिक्री कर	191,521	210,400	205,000	306,905	124,446	155,000	191,595	225,655
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	228,315	190,000	39,000	48,405	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	48	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	202	600	1,004,000	1,122,690	4	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,806	5,852	5,852	5,000	110,686	120,000	120,000	132,000
iii) वाहन कर	115,397	120,000	120,000	128,400	17,212	16,000	25,000	27,500
iv) माल और यात्री कर	15,630	20,843	20,843	22,302	75,760	73,000	84,000	92,400
v) विद्युत शुल्क और कर	189,968	200,000	200,000	214,000	6,153	6,120	8,220	9,000
vi) मनोरंजन कर	4,424	7,600	6,600	3,500	1,354	1,500	1,000	1,100
vii) अन्य कर और शुल्क	16,161	18,615	19,615	19,500	968	650	650	700
आ. केंद्रीय कर में अंश	337,263	376,365	400,300	428,740	120,097	110,355	122,101	134,310
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	599,633	627,410	796,332	780,930	357,370	306,080	414,841	432,325
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	335,337	333,396	401,814	387,994	245,857	198,096	298,848	292,496
1. ब्याज प्राप्तियाँ	13,091	16,995	21,000	18,695	44,248	59,040	51,611	59,216
2. लाभांश और लाभ	13,958	4,008	4,008	4,409	192	330	346	351
3. सामान्य सेवाएं	40,613	49,790	73,954	53,773	29,745	12,947	14,434	13,912
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	18,829	5	73	3
4. समाज सेवा (i से ix)	23,535	23,259	23,407	26,084	88,600	41,590	141,485	122,605
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,481	6,850	6,850	7,330	9,206	8,570	11,700	11,911
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,382	5,500	5,500	5,800	3,050	4,040	4,407	4,488
iii) परिवार कल्याण	53	100	100	100	9	12	12	10

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	747	1,222	1,222	1,380	175	200	211	220
v) शहरी विकास	5,485	2,890	2,890	4,550	71,409	23,010	120,286	100,210
vi) श्रम और रोजगार	1,421	1,588	1,736	1,859	933	586	649	654
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	224	380	380	225	422	397	400	343
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	152	145	145	155	3,284	4,670	3,725	4,675
ix) अन्य	3,590	4,584	4,584	4,685	111	105	95	94
5. राजकोषीय सेवाएं	8	5	5	8	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	244,132	239,339	279,440	285,025	83,071	84,189	90,974	96,412
i) फसल कार्य	1,044	900	900	990	268	303	288	303
ii) पशुपालन	360	550	550	550	165	231	180	185
iii) मत्स्य पालन	323	600	600	600	96	140	123	151
iv) वानिकी और वन्य जीवन	4,276	6,000	4,500	4,986	3,284	3,062	3,011	2,432
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	1,655	1,926	1,926	2,061	712	850	450	470
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	21	2	2	2	212	187	121	131
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	24,862	30,000	30,000	31,700	6,413	8,500	10,961	11,565
ix) लघु सिंचाई	464	1,284	1,284	1,374	11	12	17	—
x) बिजली	2,126	5	5	100	297	310	500	525
xi) पेट्रोलियम	3	1	1	1	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	353	550	550	550	107	260	262	273
xiii) उद्योग@	189,005	175,100	215,200	215,800	15,295	13,502	16,003	17,263
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	4,551	8,857	8,857	9,077	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	5	2	2	2	54,844	55,520	57,700	61,700
xvi) पर्यटन	1	1	1	1	173	77	104	77
xvii) अन्य*	15,083	13,561	15,062	17,231	1,195	1,235	1,254	1,337
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	264,296	294,014	394,518	392,936	111,513	107,984	115,992	139,828
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	133,234	167,006	196,795	213,368	51,087	32,851	35,011	41,326
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	3,958	—	—	155	1,038	16,389	17,036	27,632
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	56,750	70,865	81,899	126,162	32,499	33,177	35,213	39,711
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	70,353	56,143	115,824	53,251	26,889	25,567	28,732	31,160
क) सांविधिक अनुदान	—	2,336	2,336	2,500	18,446	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	48,881	19,373	79,256	15,027	3,706	9,795	9,795	10,285
ग) अन्य	21,472	34,434	34,232	35,724	4,737	15,772	18,937	20,875



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	655,862	652,123	694,603	730,546	1,154,024	1,256,531	1,198,059	1,340,490
I. कर राजस्व (अ+आ)	199,028	200,163	210,955	260,311	285,317	338,862	339,098	367,011
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	149,702	150,563	151,663	195,090	168,935	190,028	190,264	219,864
1. आय पर कर (i+ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि-आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	8,352	8,862	8,863	9,264	4,492	5,000	5,626	6,903
i) भू-राजस्व	109	168	168	176	148	256	178	230
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	8,243	8,695	8,695	9,088	4,335	4,735	5,445	6,670
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	9	9	3	3
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	141,350	141,700	142,800	185,826	164,443	185,028	184,638	212,961
i) बिक्री कर (क से च)	72,698	78,000	78,000	111,500	109,200	123,500	121,100	142,231
क) राज्य बिक्री कर / वैट	64,162	70,501	68,700	98,572	85,400	97,400	95,000	107,800
ख) केंद्रीय बिक्री कर	8,049	7,499	7,499	11,985	-	-	-	-
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	-	-	-	-	23,800	26,100	26,100	34,431
घ) बिक्री कर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियाँ	487	-	1,801	943	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	32,897	33,000	33,000	36,269	19,000	22,300	21,500	22,500
iii) वाहन कर	10,151	11,000	11,000	12,000	4,593	5,028	6,350	7,150
iv) माल और यात्री कर	4,261	4,000	4,000	4,635	24,650	26,200	26,230	27,500
v) विद्युत शुल्क और कर	8,929	5,200	6,300	7,822	7,000	8,000	9,456	13,578
vi) मनोरंजन कर	12	17	17	19	-	-	2	2
vii) अन्य कर और शुल्क	12,402	10,484	10,483	13,581	-	-	-	-
आ. केंद्रीय कर में अंश	49,326	49,600	59,292	65,221	116,382	148,834	148,834	147,147
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	456,835	451,960	483,647	470,235	868,707	917,669	858,962	973,479
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	68,968	68,373	88,171	80,328	72,743	82,061	60,415	91,305
1. ब्याज प्राप्तियाँ	4,929	1,219	1,376	1,277	1,600	2,028	1,857	1,944
2. लाभांश और लाभ	2,861	65	102	85	2,062	2,700	2,700	3,000
3. सामान्य सेवाएं	4,728	4,557	5,594	6,004	3,451	3,309	3,927	3,627
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	-4	-	-	-	-	-	-	-
4. समाज सेवा (i से ix)	7,283	7,103	7,531	8,540	3,190	3,292	3,273	3,705
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,164	3,746	3,933	4,785	109	114	131	136
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	531	478	557	585	1,057	1,080	1,179	1,188
iii) परिवार कल्याण	6	10	6	7	-	-	-	-

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	196	226	226	235	130	195	115	117
v) शहरी विकास	518	254	411	412	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	320	300	300	301	75	80	85	90
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	178	169	177	184	3	4	4	4
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,300	1,858	1,858	1,966	1,815	1,820	1,760	2,170
ix) अन्य	70	63	63	65	1	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	49,167	55,429	73,568	64,422	62,440	70,732	48,657	79,029
i) फसल कार्य	841	468	468	488	394	402	384	466
ii) पशुपालन	53	39	39	40	370	394	433	453
iii) मत्स्य पालन	74	91	91	105	112	275	121	126
iv) वानिकी और वन्य जीवन	14,963	9,802	4,997	4,864	6,398	7,391	4,318	4,719
v) बागान	1	1	1	1	—	—	—	—
vi) सहकारिता	168	96	96	245	16	16	16	16
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	5	5	5	10	20	9	20
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	44	11	12	13	218	250	241	221
ix) लघु सिंचाई	54	42	65	75	201	251	216	211
x) बिजली	25,147	40,000	61,182	52,500	53,100	60,000	40,742	70,245
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	56	39	41	39	158	149	258	155
xiii) उद्योग@	6,703	4,206	5,811	5,206	740	840	1,128	1,621
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	1	11	11	11	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	27	26	26	27	28	42	73	63
xvii) अन्य*	1,031	593	724	803	697	703	717	713
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	387,867	383,587	395,476	389,907	795,963	835,608	798,547	882,174
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	117,320	139,320	139,320	142,250	365,723	453,136	392,134	475,466
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,393	1,213	1,780	1,213	—	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	27,960	10,629	21,857	12,499	35,000	70,000	70,000	70,000
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	241,194	232,425	232,519	233,945	395,241	312,472	336,413	336,708
क) सांविधिक अनुदान	217,728	210,714	210,714	212,096	288,851	261,450	255,070	265,624
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	18,849	7,770	7,770	7,999	62,433	6,672	35,077	23,580
ग) अन्य	4,617	13,941	14,035	13,850	43,957	44,350	46,266	47,504



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	820,277	1,014,447	1,014,447	1,161,207	3,035,205	3,587,507	3,799,580	4,076,209
I. कर राजस्व (अ+आ)	512,151	694,613	694,613	834,549	2,284,497	2,714,267	2,889,757	3,299,117
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	288,847	312,815	312,815	355,034	1,863,155	2,253,378	2,388,794	2,669,117
1. आय पर कर (i+ii)	—	-20	-20	-22	33,187	34,388	38,279	39,750
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	162	170	153	161
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	—	-20	-20	-22	33,025	34,218	38,126	39,589
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	15,500	12,825	12,825	14,556	232,870	266,826	343,875	448,622
i) भू-राजस्व	3,000	3,300	3,300	3,745	11,650	8,215	10,761	8,622
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	12,500	9,525	9,525	10,811	221,220	258,611	333,114	440,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	273,347	300,010	300,010	340,500	1,597,098	1,952,164	2,006,640	2,180,745
i) बिक्री कर (क से च)	214,995	245,800	245,800	278,983	986,954	1,243,010	1,238,031	1,486,852
क) राज्य बिक्री कर / वैट	149,916	180,721	180,721	205,118	861,431	1,056,396	1,052,163	1,283,285
ख) केंद्रीय बिक्री कर	65,079	65,079	65,079	73,865	125,523	186,614	185,868	203,567
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	15,500	18,600	18,600	21,111	339,679	406,034	451,995	330,000
iii) वाहन कर	27,000	16,280	16,280	18,478	110,545	128,500	147,966	156,000
iv) माल और यात्री कर	7,393	12,000	12,000	13,620	104,145	115,537	109,564	126,960
v) विद्युत शुल्क और कर	7,331	6,000	6,000	6,810	27,709	30,000	30,000	34,020
vi) मनोरंजन कर	281	993	993	1,127	8,806	4,484	4,484	5,790
vii) अन्य कर और शुल्क	847	337	337	371	19,260	24,599	24,600	41,123
आ. केंद्रीय कर में अंश	223,304	381,798	381,798	479,515	421,342	460,889	500,963	630,000
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	308,126	319,834	319,834	326,658	750,708	873,240	909,823	777,092
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	139,072	143,351	143,351	159,912	387,471	408,844	429,675	185,710
1. ब्याज प्राप्तियाँ	8,924	5,925	5,925	6,148	28,300	17,861	17,861	18,754
2. लाभांश और लाभ	300	300	300	341	1,688	1,760	1,760	273
3. सामान्य सेवाएं	3,426	3,664	3,664	4,159	203,021	257,366	293,199	15,423
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	176,653	245,420	245,420	—
4. समाज सेवा (i से ix)	3,922	4,713	4,713	5,349	12,913	13,260	13,260	13,924
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	654	718	719	816	4,491	4,900	4,900	5,145
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	580	580	580	658	4,392	5,017	5,017	5,268
iii) परिवार कल्याण	25	25	25	28	15	120	120	127



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	100	74	74	84	1,647	1,151	1,151	1,208
v) शहरी विकास	1	13	13	15	61	114	114	119
vi) श्रम और रोजगार	196	196	196	223	1,273	1,145	1,145	1,203
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,400	1,500	1,500	1,703	648	529	529	555
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	396	897	897	1,018	35	61	61	64
ix) अन्य	570	710	709	804	351	224	223	235
5. राजकोषीय सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	122,500	128,749	128,749	143,915	141,549	118,596	103,595	137,336
i) फसल कार्य	404	367	367	417	1,069	1,581	1,581	1,660
ii) पशुपालन	18	34	34	39	373	422	422	443
iii) मत्स्य पालन	136	153	153	174	452	372	372	390
iv) वानिकी और वन्य जीवन	2,500	2,500	2,500	2,838	11,580	16,941	16,941	17,788
v) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) सहकारिता	46	245	245	278	3,107	3,463	3,463	3,636
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	63	5	5	6	32	3	3	3
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	2,657	2,923	2,923	1,122	2,230	4,045	4,045	4,247
ix) लघु सिंचाई	58	64	64	73	736	662	662	695
x) बिजली	-	-	-	-	4,255	-	-	4,300
xi) पेट्रोलियम	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) ग्राम और लघु उद्योग	8	38	38	43	2,905	1,938	1,938	2,035
xiii) उद्योग@	115,141	120,401	120,401	136,655	35,202	35,428	35,428	60,449
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	-	-	-	-	788	793	793	833
xv) सड़क परिवहन	1	57	57	65	-	-	-	-
xvi) पर्यटन	-	90	90	102	736	776	776	815
xvii) अन्य*	1,468	1,872	1,871	2,105	78,084	52,173	37,171	40,042
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	169,054	176,483	176,483	166,746	363,237	464,396	480,148	591,382
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	44,620	56,958	56,958	32,601	91,528	184,749	184,749	203,719
	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	44,688	32,774	32,774	38,676	3,692	69,359	13,569	14,947
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	68,430	39,283	39,283	41,841	94,443	93,877	165,419	259,588
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	11,316	47,468	47,468	53,628	173,574	116,411	116,411	113,128
क) सांविधिक अनुदान	1,850	6,319	6,319	9,334	6,892	15,000	15,000	15,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	9,456	9,728	9,728	10,015	8,600	9,028	9,028	9,481
ग) अन्य	10	31,421	31,421	34,279	158,082	92,383	92,383	88,647



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,529,452	1,914,004	1,896,704	2,144,575	2,059,679	2,348,019	2,485,986	2,799,584
I. कर राजस्व (अ+आ)	1,229,682	1,468,986	1,519,755	1,759,127	1,545,605	1,704,463	1,779,015	2,010,159
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	977,862	1,166,296	1,199,754	1,378,978	911,470	1,002,946	1,016,757	1,171,675
1. आय पर कर (i+ii)	615	624	624	656	15,845	16,073	15,901	16,722
i) कृषि-आय कर	615	624	624	656	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	—	—	—	—	15,845	16,073	15,901	16,722
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	119,191	152,127	144,769	163,850	108,642	108,421	127,500	153,000
i) भू-राजस्व	4,388	5,572	5,331	5,569	7,716	8,421	12,500	13,000
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	110,142	140,037	132,920	152,412	100,948	100,000	115,000	140,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	4,662	6,518	6,518	5,869	-21	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	858,056	1,013,545	1,054,362	1,214,473	786,983	878,452	873,356	1,001,953
i) बिक्री कर (क से च)	703,797	812,956	889,770	1,003,551	450,842	535,700	510,000	590,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	625,307	400,458	788,258	895,396	408,862	438,295	449,141	520,575
ख) केंद्रीय बिक्री कर	48,636	44,300	51,024	56,925	41,664	97,350	60,859	69,425
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	177	3	220	330	—	—	—	—
ड) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	29,677	368,195	50,268	50,900	316	55	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	84,100	94,473	86,188	98,686	137,038	143,000	150,000	170,000
iii) वाहन कर	62,851	76,000	72,808	83,508	55,602	65,000	67,500	77,500
iv) माल और यात्री कर	—	—	—	—	57,858	57,000	67,638	80,000
v) विद्युत शुल्क और कर	3,152	26,569	2,056	25,000	84,227	76,336	76,336	82,500
vi) मनोरंजन कर	106	201	164	174	922	1,403	1,862	1,933
vii) अन्य कर और शुल्क	4,050	3,346	3,376	3,554	493	13	20	20
आ. केंद्रीय कर में अंश	251,820	302,690	320,000	380,149	634,135	701,517	762,258	838,484
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	299,770	445,019	376,949	385,447	514,074	643,555	706,970	789,425
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	93,677	111,262	104,629	113,307	220,820	205,908	233,416	242,703
1. ब्याज प्राप्तियाँ	4,636	4,951	4,548	4,555	52,720	4,443	9,053	3,999
2. लाभांश और लाभ	1,819	4,010	3,020	2,520	572	942	1,963	2,257
3. सामान्य सेवाएं	41,662	45,982	39,985	45,179	18,620	14,026	50,685	14,528
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	22,957	25,100	23,500	25,145	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	12,455	16,282	16,575	17,395	7,643	4,193	4,544	4,745
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,209	11,493	11,733	12,157	1,220	114	110	135
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,980	3,322	3,322	3,800	1,173	1,794	1,830	1,844
iii) परिवार कल्याण	3	13	13	6	76	107	107	117



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	387	182	182	197	1,416	1,313	1,127	1,251
v) शहरी विकास	103	100	100	108	140	95	118	121
vi) श्रम और रोजगार	497	467	525	559	509	322	394	412
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	96	79	82	106	355	3	22	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	257	257	278	559	435	807	825
ix) अन्य	182	369	362	184	2,195	8	30	30
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	33,105	40,037	40,501	43,658	141,265	182,304	167,169	217,174
i) फसल कार्य	1,374	1,468	1,708	1,583	1,203	834	976	1,149
ii) पशुपालन	568	626	626	688	316	384	334	223
iii) मत्स्य पालन	536	251	251	550	106	193	172	193
iv) वानिकी और वन्य जीवन	18,963	25,032	25,032	26,844	49,040	45,000	46,000	52,500
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	3,578	3,539	3,539	3,822	1,423	1,643	1,113	1,533
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	3	3	3	951	288	1,087	1,102
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	487	625	625	890	2,957	6,790	6,476	6,853
ix) लघु सिंचाई	146	152	152	164	776	1,353	1,360	3,699
x) बिजली	—	—	—	—	8	13,479	13,154	20,000
xi) पेट्रोलियम	1	1	1	1	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	472	455	455	574	338	106	106	108
xiii) उद्योग@	2,521	3,181	3,181	3,336	82,429	110,380	94,568	127,880
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	253	161	240	256	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	307	243	348	364	2	—	—	—
xvii) अन्य*	3,899	4,300	4,339	4,581	1,718	1,854	1,823	1,934
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	206,093	333,757	272,320	272,141	293,254	437,648	473,554	546,722
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	48,581	79,517	91,801	107,132	126,360	157,162	159,012	236,507
	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,839	—	—	—	6,588	98,029	124,448	122,558
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	29,597	78,586	79,074	93,827	83,520	60,816	66,655	75,744
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	126,076	175,654	101,445	71,181	76,786	121,640	123,439	111,913
क) सांविधिक अनुदान	70,891	163,880	58,947	58,947	53,271	40,480	—	—
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	6,413	6,733	6,733	7,070	19,067	19,618	24,667	15,148
ग) अन्य	48,772	5,041	35,765	5,164	4,448	61,542	98,772	96,765



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	4,843,828	5,914,588	6,026,737	6,829,887	240,896	279,213	298,869	276,216
I. कर राजस्व (अ+आ)	3,852,224	4,712,995	4,634,719	5,300,211	43,710	47,584	52,219	64,395
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	3,354,025	4,145,419	4,032,386	4,587,406	9,496	10,426	11,094	12,744
1. आय पर कर (i+ii)	115,772	110,003	123,200	129,800	1,197	1,365	1,370	1,400
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	115,772	110,003	123,200	129,800	1,197	1,365	1,370	1,400
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	569,483	654,000	685,000	789,000	413	341	341	375
i) भू-राजस्व	42,897	94,000	60,000	69,000	132	80	80	88
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	526,586	560,000	625,000	720,000	281	261	261	287
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	2,668,770	3,381,416	3,224,186	3,668,606	7,886	8,720	9,383	10,969
i) बिक्री कर (क से च)	1,967,674	2,631,451	2,396,200	2,746,500	7,117	7,280	8,500	10,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,712,047	1,661,254	1,508,600	1,943,200	7,117	7,280	8,500	10,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	231,818	275,000	251,400	205,500	—	—	—	—
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	16,569	683,197	621,300	590,200	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	933	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	6,307	12,000	14,900	7,600	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	282,385	310,000	325,000	350,000	326	363	363	399
iii) वाहन कर	130,911	141,000	180,000	207,000	334	398	398	438
iv) माल और यात्री कर	50,463	52,500	54,567	59,400	68	85	85	94
v) विद्युत शुल्क और कर	166,087	150,222	169,670	178,154	27	587	30	30
vi) मनोरंजन कर	24,489	33,999	27,500	35,500	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	46,761	62,244	71,249	92,052	14	7	7	8
आ. केंद्रीय कर में अंश	498,199	567,576	602,333	712,805	34,214	37,158	41,125	51,651
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	991,605	1,201,593	1,392,018	1,529,676	197,186	231,629	246,650	211,821
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	593,505	669,564	532,236	574,767	7,646	12,725	16,498	14,627
1. ब्याज प्राप्तियाँ	173,724	104,834	105,275	102,702	614	896	896	941
2. लाभांश और लाभ	366	425	375	425	—	1	1	1
3. सामान्य सेवाएं	152,190	278,446	142,648	156,127	1,210	432	7,945	5,460
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	79,629	226,280	90,139	100,000	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	43,297	44,480	45,107	46,333	413	737	502	547
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,341	8,171	8,521	8,685	97	213	120	130
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,692	13,900	14,300	14,872	29	59	30	35
iii) परिवार कल्याण	476	1,584	1,584	1,182	—	—	—	—



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	2,146	2,245	2,245	2,357	111	140	140	150
v) शहरी विकास	4,379	5,268	5,280	5,285	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	4,357	4,550	4,547	4,775	2	4	3	3
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,999	4,976	4,976	5,225	—	1	—	—
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	527	982	848	933	169	310	200	220
ix) अन्य	2,380	2,804	2,806	3,019	5	10	9	9
5. राजकोषीय सेवाएं	57	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	223,871	241,379	238,831	269,180	5,409	10,659	7,154	7,678
i) फसल कार्य	3,154	3,565	3,565	3,745	7	10	12	15
ii) पशुपालन	1,229	1,274	1,717	1,503	7	10	10	10
iii) मत्स्य पालन	378	479	479	503	2	10	8	10
iv) वानिकी और वन्य जीवन	9,202	14,673	14,858	22,291	149	160	210	220
v) बागान	—	—	—	—	—	10	—	—
vi) सहकारिता	5,576	5,733	5,760	6,048	13	12	14	15
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	193	225	225	236	1	—	2	2
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	37,239	60,980	48,011	62,000	197	130	347	350
ix) लघु सिंचाई	6,547	5,131	3,032	3,462	8	5	9	10
x) बिजली	17,461	9,623	15,623	9,646	4,987	10,285	6,500	7,000
xi) पेट्रोलियम	3	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	299	300	310	315	18	11	11	12
xiii) उद्योग@	69,911	72,360	77,323	87,523	1	3	9	10
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	28	—	—	—	3	2	2	3
xvii) अन्य*	72,651	67,036	67,928	71,908	16	11	20	21
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	398,100	532,029	859,782	954,909	189,540	218,904	230,152	197,194
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	125,533	219,701	241,701	362,202	85,299	110,130	112,225	80,158
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	28,616	1,973	1,973	250	3,692	6,200	8,695	4,579
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	85,751	164,315	161,442	138,235	12,790	9,500	11,271	10,167
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	2,834	3,475	5,259	4,664
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	158,200	146,040	454,666	454,222	84,925	89,599	92,702	97,626
क) सांविधिक अनुदान	5,724	10,000	15,661	10,000	81,141	88,512	88,814	93,319
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	16,718	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	135,758	136,040	439,005	444,222	3,784	1,087	3,888	4,307



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	174,692	245,813	245,778	324,177	165,365	169,499	199,339	193,636
I. कर राजस्व (अ+आ)	60,323	68,980	68,980	86,117	28,089	31,823	33,460	40,902
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	25,266	26,839	26,839	33,193	5,506	4,678	6,315	6,813
1. आय पर कर (i+ii)	116	115	115	128	453	430	430	450
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	116	115	115	128	453	430	430	450
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	580	598	598	829	176	112	120	123
i) भू-राजस्व	33	48	48	37	159	100	100	102
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	547	550	550	792	17	12	20	21
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	24,570	26,126	26,126	32,236	4,877	4,136	5,765	6,240
i) बिक्री कर (क से च)	17,337	18,000	18,000	23,316	4,159	3,500	5,100	5,500
क) राज्य बिक्री कर / वैट	3,619	8,088	8,088	10,081	4,159	3,500	5,100	5,500
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,372	3,564	3,564	3,564	—	—	—	—
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	8,998	6,348	6,348	9,671	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	10	—	—	—	—	—	—	—
ड) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	3,338	—	—	—	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	5,916	6,000	6,000	7,158	146	136	140	145
iii) वाहन कर	873	850	850	1,056	435	380	400	450
iv) माल और यात्री कर	276	460	460	570	99	85	90	95
v) विद्युत शुल्क और कर	4	136	136	5	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	126	419	419	27	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	38	261	261	104	37	35	35	50
आ. केंद्रीय कर में अंश	35,057	42,141	42,141	52,924	22,583	27,145	27,145	34,089
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	114,369	176,833	176,798	238,060	137,277	137,676	165,879	152,734
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	14,600	17,348	17,313	18,035	12,009	11,502	11,973	9,797
1. ब्याज प्राप्तियाँ	667	550	515	600	694	250	600	625
2. लाभांश और लाभ	1	19	19	19	—	—	—	—
3. सामान्य सेवाएं	1,737	3,409	3,409	2,294	1,211	1,404	3,070	801
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	89	1,800	1,800	924	645	800	2,482	300
4. समाज सेवा (i से ix)	316	380	380	364	669	631	675	657
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	55	110	110	100	80	62	46	48
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	70	105	105	96	47	40	42	42
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	16	49	49	30	43	35	40	45
v) शहरी विकास	3	2	2	3	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	118	55	55	58	—	—	—	—
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	10	10	11	27	30	80	35
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	51	43	43	60	464	460	460	480
ix) अन्य	2	6	6	6	7	4	7	7
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	11,879	12,990	12,990	14,758	9,434	9,217	7,628	7,715
i) फसल कार्य	199	331	331	301	22	15	31	32
ii) पशुपालन	132	180	180	120	54	65	65	65
iii) मत्स्य पालन	1	6	6	6	2	4	4	4
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,530	1,430	1,430	1,785	416	275	300	320
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	57	61	61	64	67	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	61	129	129	113	52	50	50	55
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	3	6	6	6	3	5	1	1
x) बिजली	—	—	—	—	8,181	8,287	6,582	6,643
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	13	34	34	34	23	10	15	15
xiii) उद्योग@	9,757	10,500	10,500	12,143	33	10	30	10
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	155	159	159	165
xvi) पर्यटन	—	2	2	2	62	60	60	65
xvii) अन्य*	126	311	311	184	364	275	329	338
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	99,769	159,485	159,485	220,025	125,268	126,174	153,906	142,936
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	44,536	81,577	81,577	115,771	50,918	64,612	64,767	76,963
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	341	3,231	3,231	5,380	419	110	406	110
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	11,790	23,359	23,359	41,119	9,091	14	19,146	15
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,499	7,020	7,020	8,609	4,480	2	6,544	3
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	40,603	44,298	44,298	49,146	60,360	61,436	63,043	65,846
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	54,219	57,912	57,912	62,777
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	424	871	871	896	247	508	501	523
ग) अन्य	40,179	43,427	43,427	48,250	5,894	3,016	4,630	2,546



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	226,721	271,603	274,291	305,982	1,408,471	1,546,508	1,764,852	1,946,720
I. कर राजस्व (अ+आ)	35,404	39,433	41,758	47,068	987,903	1,040,149	1,196,528	1,340,631
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	10,552	11,901	11,891	12,814	500,228	508,348	575,262	661,552
1. आय पर कर (i+ii)	1,487	1,404	1,404	1,516	6,646	6,500	7,200	7,920
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,487	1,404	1,404	1,516	6,646	6,500	7,200	7,920
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	144	145	145	157	30,568	47,000	47,000	53,480
i) भू-राजस्व	55	59	59	64	6,962	18,000	18,000	21,000
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	89	86	86	93	23,606	29,000	29,000	32,480
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	8,921	10,352	10,342	11,141	463,014	454,848	521,062	600,152
i) बिक्री कर (क से च)	7,716	9,180	9,180	9,914	301,172	281,747	337,675	402,488
क) राज्य बिक्री कर / वैट	7,716	9,180	9,180	9,914	252,417	235,822	283,011	358,131
ख) केंद्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	48,755	45,930	54,664	44,357
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	-5	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	196	270	270	292	38,933	49,000	49,000	55,370
iii) वाहन कर	872	760	760	793	40,586	48,000	48,000	55,200
iv) माल और यात्री कर	135	130	130	140	46,334	37,000	47,000	53,693
v) विद्युत शुल्क और कर	1	1	1	1	35,313	39,000	38,119	33,000
vi) मनोरंजन कर	—	—	—	—	10	28	21	7
vii) अन्य कर और शुल्क	1	11	1	1	666	73	1,247	394
आ. केंद्रीय कर में अंश	24,852	27,532	29,867	34,254	487,675	531,801	621,266	679,079
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	191,317	232,169	232,532	258,913	420,568	506,359	568,323	606,089
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	9,682	9,120	8,446	9,704	153,189	136,951	185,337	158,078
1. ब्याज प्राप्तियाँ	560	378	378	340	29,802	6,000	17,556	6,996
2. लाभांश और लाभ	—	—	—	—	12,059	3,876	4,929	6,000
3. सामान्य सेवाएं	2,493	1,778	1,778	1,754	6,356	9,853	44,291	8,875
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	1,564	1,080	1,080	1,000	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	395	471	471	509	10,070	8,929	8,952	12,104
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22	24	24	26	4,299	1,500	3,081	4,725
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	7	15	15	16	926	1,354	1,250	1,470
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	6	5	5	9

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	223	273	273	295	1,190	1,575	1,282	1,654
v) शहरी विकास	—	—	—	—	23	18	180	37
vi) श्रम और रोजगार	3	4	4	4	357	252	321	404
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	31	18	18	19	37	13	13	53
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	106	135	135	146	2,933	4,000	2,586	3,358
ix) अन्य	3	2	2	3	299	212	234	394
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	1	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	6,234	6,493	5,819	7,101	94,901	108,293	109,609	124,103
i) फसल कार्य	6	11	11	12	586	548	246	683
ii) पशुपालन	37	43	43	47	87	68	70	105
iii) मत्स्य पालन	4	1	1	1	224	205	175	315
iv) वानिकी और वन्य जीवन	621	426	502	542	5,913	8,000	10,480	6,200
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	89	5	5	5	212	224	146	235
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	4	4	4	127	94	27	137
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	3,902	6,000	4,578	7,200
ix) लघु सिंचाई	1	1	1	1	481	1,000	295	1,100
x) बिजली	4,271	4,800	4,200	5,280	291	345	109	362
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	130	19	19	21	32	9	8	37
xiii) उद्योग@	5	7	7	7	80,516	90,007	90,002	104,516
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	46	61	141	64
xv) सड़क परिवहन	734	1,115	965	1,115	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	26	24	24	26	21	25	12	32
xvii) अन्य*	306	37	37	40	2,463	1,707	3,320	3,117
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	181,635	223,049	224,086	249,209	267,379	369,408	382,986	448,011
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	43,998	71,059	71,471	82,120	107,880	168,350	152,717	209,608
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	22,277	29,442	27,383	32,792	4,570	46,834	53,472	54,912
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	—	—	—	—	48,269	53,038	70,141	79,752
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,863	4,143	4,453	4,115	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	112,497	118,405	120,779	130,182	106,660	101,186	106,656	103,739
क) सांविधिक अनुदान	99,360	103,766	103,766	112,444	48,804	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	287	295	295	303	—	—	—	23,953
ग) अन्य	12,850	14,344	16,718	17,435	57,856	101,186	106,656	79,786



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,696,647	2,004,011	1,987,497	2,274,954	2,083,919	2,399,134	2,543,356	2,859,949
I. कर राजस्व (अ+आ)	1,021,682	1,129,393	1,133,173	1,272,911	1,518,030	1,730,305	1,807,461	2,091,430
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	898,937	981,064	975,790	1,087,603	988,022	1,093,212	1,131,422	1,291,326
1. आय पर कर (i+ii)	-	-	-	-	25	-	-	-
i) कृषि-आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	-	-	-	-	25	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	168,679	176,625	200,050	230,053	111,658	131,007	137,007	162,506
i) भू-राजस्व	1,629	1,625	50	53	8,430	11,006	9,006	10,006
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	167,050	175,000	200,000	230,000	103,180	120,000	127,500	147,500
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	48	1	501	5,000
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	730,258	804,439	775,740	857,550	876,339	962,205	994,415	1,128,820
i) बिक्री कर (क से च)	462,688	538,200	512,500	577,800	559,364	624,000	665,000	767,600
क) राज्य बिक्री कर / वैट	416,417	451,997	476,748	551,610	505,579	573,888	611,596	705,957
ख) केंद्रीय बिक्री कर	35,660	86,203	35,752	25,400	34,823	35,519	37,852	43,692
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	-	-	-	790	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियाँ	10,611	-	-	-	18,962	14,593	15,552	17,951
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	156,816	162,844	160,000	172,600	152,180	160,000	157,000	172,000
iii) वाहन कर	43,119	47,120	47,150	48,800	90,818	95,000	95,000	105,000
iv) माल और यात्री कर	-	-	-	-	23,671	22,500	22,500	25,000
v) विद्युत शुल्क और कर	66,941	55,475	55,500	57,600	47,135	57,605	51,416	55,220
vi) मनोरंजन कर	562	684	495	500	1,119	1,300	1,500	1,600
vii) अन्य कर और शुल्क	133	116	95	250	2,052	1,800	1,999	2,400
आ. केंद्रीय कर में अंश	122,745	148,329	157,383	185,308	530,008	637,093	676,039	800,104
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	674,964	874,619	854,324	1,002,043	565,889	668,829	735,895	768,519
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	453,632	556,004	587,762	662,029	273,767	270,188	318,402	338,429
1. ब्याज प्राप्तियाँ	64,407	81,169	73,433	83,115	99,021	91,575	101,062	94,924
2. लाभांश और लाभ	10,197	234	110	110	2,257	2,253	2,769	2,715
3. सामान्य सेवाएं	334,963	420,250	441,448	513,083	48,529	30,342	53,317	62,493
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	320,211	407,355	406,039	496,939	-	-	-	-
4. समाज सेवा (i से ix)	13,543	14,982	25,823	17,050	23,387	28,335	27,153	29,787
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,217	3,257	4,957	5,544	2,462	2,125	3,121	3,184
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,422	5,915	4,605	4,881	1,670	2,962	2,904	3,014
iii) परिवार कल्याण	23	37	35	35	33	25	25	25

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	204	248	248	248	359	540	321	331
v) शहरी विकास	2,744	604	11,119	1,150	57	79	82	89
vi) श्रम और रोजगार	672	789	843	844	311	259	266	277
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	395	639	539	539	201	155	211	224
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,826	3,470	3,470	3,800	18,039	22,000	20,035	22,454
ix) अन्य	40	23	8	10	255	190	188	189
5. राजकोषीय सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	30,522	39,369	46,948	48,671	100,573	117,683	134,101	148,510
i) फसल कार्य	594	835	852	863	297	425	269	265
ii) पशुपालन	667	421	734	807	145	133	133	141
iii) मत्स्य पालन	114	140	139	141	730	565	660	700
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,180	1,790	1,786	1,886	4,007	4,275	4,310	4,865
v) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) सहकारिता	337	410	410	450	1,479	897	1,559	1,515
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,661	1,560	1,827	2,010	257	342	295	338
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	2,617	9,428	11,936	11,934	4,679	7,075	5,754	6,048
ix) लघु सिंचाई	18	15	15	15	1,842	2,645	2,221	2,611
x) बिजली	75	-	-	-	-	4	100	100
xi) पेट्रोलियम	-	-	-	-	740	12,000	827	927
xii) ग्राम और लघु उद्योग	74	60	60	60	49	18	60	60
xiii) उद्योग@	1,161	1,381	1,153	1,273	81,455	85,045	114,555	128,040
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	-	-	-	-	-	-	-	-
xv) सड़क परिवहन	17,082	14,518	16,343	17,417	-	-	-	-
xvi) पर्यटन	-	-	-	-	2,422	2,511	1,636	1,515
xvii) अन्य*	4,942	8,811	11,693	11,815	2,471	1,748	1,722	1,385
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	221,332	318,615	266,562	340,014	292,122	398,641	417,493	430,090
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	31,022	29,262	36,128	83,755	87,691	128,628	118,648	126,295
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	545	7,803	10,371	20,118	6,730	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	19,423	85,780	69,058	121,818	111,675	168,411	175,430	208,711
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	547	-	-	-
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	170,342	195,770	151,005	114,323	85,479	101,602	123,415	95,084
क) सांविधिक अनुदान	-	10,524	10,524	10,524	46,127	65,160	67,310	65,160
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	-	-	-	-	31,173	32,732	41,366	25,734
ग) अन्य	170,342	185,246	140,481	103,799	8,179	3,710	14,739	4,190



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	196,432	217,034	241,666	276,441	3,395,999	3,873,159	4,046,066	4,453,228
I. कर राजस्व (अ+आ)	32,934	30,366	33,862	40,636	2,833,876	3,303,624	3,443,609	3,855,543
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	14,720	11,902	12,992	14,472	2,332,602	2,701,071	2,804,609	3,098,819
1. आय पर कर (i+ii)	4,781	3,600	3,800	4,200	13	—	—	—
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	13	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	4,781	3,600	3,800	4,200	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	288	237	257	306	227,620	252,056	280,533	334,674
i) भू-राजस्व	61	89	89	92	17,948	5,263	6,917	7,077
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	227	148	168	214	208,486	245,165	271,988	325,888
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	1,186	1,628	1,628	1,709
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	9,651	8,065	8,935	9,966	2,104,969	2,449,015	2,524,076	2,764,145
i) बिक्री कर (क से च)	5,664	4,700	5,000	5,500	1,555,469	1,808,966	1,855,222	2,003,084
क) राज्य बिक्री कर / वैट	4,076	2,400	2,400	2,400	1,369,386	1,628,100	1,628,100	1,807,191
ख) केंद्रीय बिक्री कर	729	300	400	400	186,084	180,866	227,122	195,893
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	859	2,000	2,200	2,700	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,296	2,600	2,700	2,800	317,665	367,326	380,012	437,012
iii) वाहन कर	424	230	250	300	112,493	124,828	128,471	141,022
iv) माल और यात्री कर	—	—	—	—	98,494	112,400	121,984	143,331
v) विद्युत शुल्क और कर	—	—	—	—	9,522	25,000	25,000	25,000
vi) मनोरंजन कर	56	55	55	55	1,258	40	263	93
vii) अन्य कर और शुल्क	211	480	930	1,311	10,068	10,456	13,124	14,603
आ. केंद्रीय कर में अंश	18,214	18,464	20,870	26,164	501,274	602,553	639,000	756,724
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	163,498	186,669	207,805	235,806	562,121	569,537	602,456	597,685
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	99,009	101,322	104,558	138,300	260,075	267,442	290,057	284,593
1. ब्याज प्राप्तियाँ	631	107	407	308	79,744	73,437	87,604	84,228
2. लाभांश और लाभ	114	75	75	75	2,247	1,413	1,499	1,488
3. सामान्य सेवाएं	92,045	96,144	96,247	126,870	22,496	50,628	60,759	53,250
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	89,835	94,330	94,329	124,829	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	477	364	372	478	44,622	35,124	48,166	43,848
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	95	60	60	61	20,998	16,703	23,643	21,564
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	91	45	45	45	9,069	9,845	9,570	9,640
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	3,601	12	3,766	1,213



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	28	35	36	36	2,501	2,518	4,533	4,708
v) शहरी विकास	68	74	74	74	2,150	82	165	115
vi) श्रम और रोजगार	16	5	10	10	2,803	2,905	2,900	3,013
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44	47	47	52	2,039	2,108	2,742	2,742
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	116	88	89	190	293	26	18	19
ix) अन्य	19	10	11	10	1,168	925	829	834
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	2	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	5,742	4,632	7,457	10,569	110,964	106,839	92,029	101,778
i) फसल कार्य	36	39	39	39	6,643	7,096	7,078	7,230
ii) पशुपालन	41	50	50	50	762	788	847	850
iii) मत्स्य पालन	1	2	2	3	1,744	1,942	834	834
iv) वानिकी और वन्य जीवन	997	700	800	750	13,859	17,138	8,247	12,286
v) बागान	201	200	200	282	—	—	—	—
vi) सहकारिता	—	—	—	—	2,972	2,568	974	976
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	1,999	2,309	3,556	3,737
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	1,490	1,795	2,233	2,097
ix) लघु सिंचाई	31	10	10	10	216	418	322	336
x) बिजली	2,800	2,400	4,900	8,000	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	2	1	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	14	26	25	25	2,041	1,300	987	527
xiii) उद्योग@	29	9	9	9	46,588	52,806	60,787	66,730
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	1,367	1,100	1,300	1,300	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	81	80	80	82	3,509	1,100	1,564	1,565
xvii) अन्य*	144	16	42	19	29,138	17,577	4,601	4,610
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	64,489	85,347	103,247	97,506	302,047	302,095	312,398	313,093
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	36,636	53,594	57,978	58,132	98,588	187,594	205,708	206,463
	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	271	170	240	70	6,713	4,447	5,933	4,548
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	9,621	19,632	30,926	23,272	67,732	40,539	39,837	41,693
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,090	4,305	6,015	7,762	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	15,871	7,646	8,088	8,270	129,014	69,515	60,920	60,389
क) सांविधिक अनुदान	14,326	4,706	4,706	5,286	600	47,605	38,899	37,275
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	1,315	1,353	1,353	1,393	7,841	16,465	16,465	17,288
ग) अन्य	230	1,587	2,029	1,591	120,573	5,445	5,556	5,826



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	302,411	320,415	318,167	366,295	553,701	744,086	684,334	901,650
I. कर राजस्व (अ+आ)	70,048	74,001	83,323	92,884	279,451	313,703	348,230	399,052
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	29,610	31,160	35,323	40,084	178,455	207,142	235,023	274,535
1. आय पर कर (i+ii)	2,209	2,100	2,403	2,515	349	387	455	472
i) कृषि-आय कर	14	—	10	15	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,195	2,100	2,393	2,500	349	387	455	472
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	1,747	1,760	1,900	2,110	34,257	33,802	38,395	48,628
i) भू-राजस्व	325	160	300	310	918	975	1,443	2,062
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	1,421	1,600	1,600	1,800	33,339	32,827	36,952	46,566
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	1	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	25,655	27,300	31,020	35,459	143,849	172,954	196,174	225,435
i) बिक्री कर (क से च)	20,339	21,800	24,680	28,500	101,433	115,884	136,471	155,150
क) राज्य बिक्री कर / वैट	20,339	21,800	24,680	28,500	23	69,447	121,261	135,950
ख) केंद्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	101,410	9,182	14,237	16,000
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	36,292	384	2,500
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	963	589	700
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,230	4,000	3,600	3,888	29,275	40,094	37,061	45,971
iii) वाहन कर	1,743	1,500	2,150	2,416	11,485	13,610	15,495	17,000
iv) माल और यात्री कर	—	—	—	—	—	1	1	1
v) विद्युत शुल्क और कर	2	—	—	—	1,224	2,759	6,619	6,708
vi) मनोरंजन कर	3	—	—	—	446	572	506	560
vii) अन्य कर और शुल्क	339	—	590	655	-14	34	21	45
आ. केंद्रीय कर में अंश	40,438	42,841	48,000	52,800	100,996	106,561	113,207	124,516
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	232,363	246,413	234,844	273,411	274,250	430,383	336,104	502,598
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	6,360	6,034	7,107	7,902	65,009	78,412	62,855	88,337
1. ब्याज प्राप्तियाँ	1,662	600	2,000	2,000	3,460	2,768	2,040	2,162
2. लाभांश और लाभ	27	30	30	33	7	32	32	12
3. सामान्य सेवाएं	2,150	2,459	2,126	2,417	9,426	18,249	11,954	20,440
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	548	588	548	609	4,152	4,645	4,449	5,002
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	87	110	100	116	2,484	3,596	3,158	3,512
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	245	300	300	330	604	298	426	429
iii) परिवार कल्याण	1	—	—	—	6	7	3	3



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	111	150	122	134	163	191	151	164
v) शहरी विकास	—	—	—	—	105	82	171	173
vi) श्रम और रोजगार	11	13	12	13	116	102	141	152
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7	—	7	8	115	97	205	210
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	75	—	—	—	315	3	9	100
ix) अन्य	11	15	7	8	243	269	185	260
5. राजकोषीय सेवाएं	1	600	200	—	—	2	—	1
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	1,973	1,757	2,203	2,843	47,964	52,716	44,381	60,720
i) फसल कार्य	143	175	150	193	280	841	272	360
ii) पशुपालन	131	121	130	150	103	92	106	113
iii) मत्स्य पालन	60	59	63	65	3	4	3	5
iv) वानिकी और वन्य जीवन	487	550	550	605	15,947	13,090	17,434	18,951
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	7	6	7	8	119	151	399	451
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	20	19	3	21
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	621	161	431	521
ix) लघु सिंचाई	30	14	33	36	92	165	119	126
x) बिजली	110	—	—	—	23,081	32,800	17,200	31,600
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	5	11	5	6	83	48	128	128
xiii) उद्योग@	847	700	1,100	1,600	5,327	4,437	6,318	7,090
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	20	11	107	110
xvi) पर्यटन	58	42	63	68	1,661	500	393	505
xvii) अन्य*	96	79	101	111	606	397	1,466	739
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	226,003	240,379	227,737	265,509	209,242	351,972	273,248	414,261
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	79,957	92,454	85,430	109,794	81,977	186,494	126,856	227,362
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	772	400	800	900	2,118	2,390	989	6,228
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	14,052	20,251	23,214	27,465	13,113	31,300	16,691	41,224
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,533	12,502	2,610	4,748	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	128,688	114,772	115,683	122,602	112,034	131,788	128,713	139,447
क) सांविधिक अनुदान	104,341	106,430	106,400	112,291	99,265	122,034	123,918	128,976
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	860	992	1,500	1,021	10,653	7,244	4,328	8,750
ग) अन्य	23,487	7,350	7,783	9,290	2,116	2,510	467	1,721



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	4,534,916	5,614,439	6,003,015	7,401,769	2,372,589	2,670,280	2,704,077	3,065,731
I. कर राजस्व (अ+आ)	3,706,103	4,453,568	4,626,171	5,528,140	1,705,671	2,074,241	2,103,971	2,432,129
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	1,885,790	2,348,378	2,438,100	2,780,219	1,038,838	1,272,679	1,253,514	1,425,475
1. आय पर कर (i+ii)	1,180	600	600	700	25,065	30,246	27,557	30,188
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	150	208	150	150
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,180	600	600	700	24,915	30,038	27,407	30,038
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	310,547	358,178	420,000	437,873	209,548	223,560	239,334	273,649
i) भू-राजस्व	10,869	8,178	10,000	10,273	91,711	89,451	100,877	110,964
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	299,678	350,000	410,000	427,600	117,759	134,000	138,367	162,581
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	78	109	90	103
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	1,574,063	1,989,600	2,017,500	2,341,646	804,225	1,018,873	986,623	1,121,638
i) बिक्री कर (क से च)	1,128,467	1,452,800	1,482,800	1,731,410	610,877	762,248	723,890	850,571
क) राज्य बिक्री कर / वैट	729,935	855,000	940,000	1,193,000	537,884	678,950	637,392	748,936
ख) केंद्रीय बिक्री कर	88,309	90,000	112,000	68,200	71,397	81,969	84,605	99,411
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	17,394	495,000	418,000	448,815	3	700	4	4
घ) बिक्री कर अधिभार	5,769	—	—	—	1,588	600	1,882	2,212
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	4	15	5	6
च) अन्य प्राप्तियाँ	287,060	12,800	12,800	21,395	1	14	1	1
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	308,854	365,000	365,000	419,200	74,346	86,995	88,941	101,766
iii) वाहन कर	96,520	70,968	70,968	82,630	53,756	75,984	57,331	64,588
iv) माल और यात्री कर	10,519	64,232	64,232	70,700	63	65	72	82
v) विद्युत शुल्क और कर	18,227	22,000	22,000	24,005	38,246	47,985	79,927	63,250
vi) मनोरंजन कर	8,310	13,200	11,923	13,122	4,483	5,369	5,092	5,779
vii) अन्य कर और शुल्क	3,166	1,400	577	579	22,453	40,228	31,369	35,602
आ. केंद्रीय कर में अंश	1,820,313	2,105,190	2,188,071	2,747,921	666,833	801,562	850,457	1,006,654
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	828,812	1,160,872	1,376,846	1,873,630	666,918	596,039	600,106	633,602
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	293,032	357,804	541,046	682,386	101,881	124,460	120,717	129,784
1. ब्याज प्राप्तियाँ	45,794	65,157	65,157	166,482	37,808	27,978	41,538	45,741
2. लाभांश और लाभ	777	592	592	592	158	55	174	191
3. सामान्य सेवाएं	35,853	56,313	269,055	172,035	17,108	33,630	23,139	24,736
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	2,006	2,638	2,106	2,212
4. समाज सेवा (i से ix)	104,934	20,404	20,404	25,725	10,174	19,252	15,245	16,487
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	93,481	7,122	7,122	8,563	2,264	3,845	2,327	2,557
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,975	6,304	6,304	7,833	5,316	12,319	10,135	10,872
iii) परिवार कल्याण	102	150	150	200	51	58	56	62

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	1,084	2,346	2,346	3,464	967	1,799	1,064	1,170
v) शहरी विकास	86	3,198	3,198	3,890	352	74	387	426
vi) श्रम और रोजगार	1,267	869	869	1,164	358	216	410	451
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,423	400	400	424	320	403	369	404
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	170	—	—	—	129	176	142	156
ix) अन्य	3,346	14	14	187	417	363	354	389
5. राजकोषीय सेवाएं	5	—	—	—	1	1	1	1
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	105,669	215,339	185,838	317,552	36,632	43,544	40,621	42,627
i) फसल कार्य	4,084	2,868	2,868	2,936	532	781	644	705
ii) पशुपालन	1,059	2,255	2,255	2,377	423	589	606	652
iii) मत्स्य पालन	235	295	295	313	685	522	525	567
iv) वानिकी और वन्य जीवन	16,198	12,746	12,746	18,515	3,861	5,119	4,272	4,699
v) बागान	—	—	—	—	8	2	—	—
vi) सहकारिता	627	1,156	1,156	1,184	534	708	587	646
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	300	277	277	294	31	40	34	38
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	17,751	12,869	12,869	17,298	515	514	566	623
ix) लघु सिंचाई	2,121	2,657	2,657	4,315	1,925	2,678	2,118	2,329
x) बिजली	14,870	135,000	103,500	210,571	1	1	1	1
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	3	2	2
xii) ग्राम और लघु उद्योग	343	8	8	8	141	228	155	171
xiii) उद्योग @	35,567	35,058	35,058	44,904	2,233	2,858	2,466	2,712
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	5	8	6	6
xv) सड़क परिवहन	919	187	187	198	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	31	750	750	851	515	158	566	623
xvii) अन्य*	11,564	9,212	11,212	13,788	25,222	29,335	28,073	28,853
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	535,780	803,068	835,800	1,191,244	565,037	471,579	479,390	503,818
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	191,624	271,664	271,664	429,942	146,207	190,876	161,450	271,202
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	15,948	582	582	120	6,457	8,787	9,044	9,067
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	125,558	211,911	229,710	388,997	108,089	101,228	107,739	117,993
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	202,650	318,911	333,844	372,185	304,284	170,688	201,157	105,556
क) सांविधिक अनुदान	174,587	272,306	292,483	334,142	269,686	144,978	161,618	79,457
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	22,195	22,836	22,836	23,510	17,605	18,112	18,112	18,647
ग) अन्य	5,868	23,769	18,525	14,533	16,993	7,598	21,427	7,452



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	43,102,112	50,877,532	53,142,885	60,673,309
I. कर राजस्व (अ+आ)	30,633,154	35,749,925	37,281,683	43,022,171
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	21,230,734	24,807,967	25,708,028	29,403,800
1. आय पर कर (i+ii)	256,318	272,055	286,397	302,813
i) कृषि-आय कर	1,656	2,202	2,137	2,632
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	254,662	269,853	284,260	300,181
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	2,766,714	3,078,092	3,407,992	4,030,996
i) भू-राजस्व	271,625	333,244	306,959	328,655
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	2,486,775	2,734,632	3,090,344	3,686,157
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	8,314	10,215	10,689	16,184
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	18,207,701	21,457,820	22,013,640	25,069,991
i) बिक्री कर (क से च)	12,876,923	15,434,154	15,811,257	18,297,304
क) राज्य बिक्री कर / वैट	10,473,167	11,521,140	11,474,771	13,684,400
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,561,097	1,834,508	1,894,748	1,990,812
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	295,102	1,437,665	1,111,163	1,134,054
घ) बिक्री कर अधिभार	8,851	703	2,202	2,642
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	2,496	1,015	1,005	1,796
च) अन्य प्राप्तियाँ	536,210	639,124	1,327,366	1,483,600
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	2,503,560	2,855,848	2,940,928	3,157,782
iii) वाहन कर	1,196,410	1,323,159	1,357,170	1,522,174
iv) माल और यात्री कर	644,957	746,284	774,611	850,925
v) विद्युत शुल्क और कर	771,759	822,755	855,921	905,243
vi) मनोरंजन कर	64,865	85,509	76,741	85,076
vii) अन्य कर और शुल्क	149,228	190,111	197,012	251,489
आ. केंद्रीय कर में अंश	9,402,420	10,941,958	11,573,655	13,618,371
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	12,468,957	15,127,609	15,861,200	17,651,137
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	4,793,942	5,198,534	5,565,726	5,919,088
1. ब्याज प्राप्तियाँ	937,978	850,112	930,189	1,100,782
2. लाभांश और लाभ	57,825	30,322	32,005	33,467
3. सामान्य सेवाएं	1,178,356	1,510,788	1,697,237	1,428,466
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	712,414	1,074,125	866,971	820,669
4. समाज सेवा (i से ix)	454,857	328,677	453,916	447,380
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	190,349	92,905	109,540	116,462
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	65,818	83,923	82,073	86,209
iii) परिवार कल्याण	4,746	2,294	6,436	3,554

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
iv) आवास निर्माण	14,710	17,444	17,894	20,208
v) शहरी विकास	88,152	37,407	146,040	118,503
vi) श्रम और रोजगार	18,200	16,946	17,670	18,807
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,924	12,834	13,595	14,413
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	40,448	52,506	48,335	54,004
ix) अन्य	17,509	12,420	12,333	15,220
5. राजकोषीय सेवाएं	76	608	206	9
6. आर्थिक सेवाएं (I से xvii)	2,164,851	2,478,027	2,452,173	2,908,985
i) फसल कार्य	24,831	25,846	25,212	26,191
ii) पशुपालन	8,283	10,573	10,203	10,382
iii) मत्स्य पालन	7,158	7,646	6,413	7,154
iv) वानिकी और वन्य जीवन	225,772	236,288	225,113	262,776
v) बागान	210	213	201	283
vi) सहकारिता	24,966	28,144	26,362	28,134
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	9,122	5,698	7,802	8,397
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	119,856	171,707	161,042	184,888
ix) लघु सिंचाई	16,942	21,756	19,399	25,371
x) बिजली	231,757	408,713	355,671	510,381
xi) पेट्रोलियम	122,366	142,006	130,831	140,031
xii) ग्राम और लघु उद्योग	8,521	6,267	6,120	5,999
xiii) उद्योग @	975,341	1,041,150	1,115,521	1,319,656
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	11,183	18,100	18,257	19,263
xv) सड़क परिवहन	75,989	73,702	78,019	83,519
xvi) पर्यटन	9,757	8,255	8,318	8,472
xvii) अन्य*	292,797	271,962	257,690	268,087
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	7,675,015	9,929,075	10,295,474	11,732,049
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	2,874,765	4,229,886	4,107,927	5,249,922
	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	221,606	567,763	504,877	555,052
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	1,331,444	1,818,918	1,991,390	2,465,492
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	33,893	73,480	82,542	73,567
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	3,213,307	3,239,027	3,608,736	3,388,017
क) सांविधिक अनुदान	1,804,896	1,963,702	1,711,286	1,706,737
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	327,167	253,200	363,646	272,211
ग) अन्य	1,081,244	1,022,126	1,533,805	1,409,068



परिशिष्ट

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,084,354	1,109,873	1,230,686	1,528,215	180,187	182,190	180,242	195,980
I. कर राजस्व (अ+आ)	893,928	888,400	1,007,575	1,212,503	47,940	48,200	53,700	58,600
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	893,928	888,400	1,007,575	1,212,503	47,940	48,200	53,700	58,600
1. आय पर कर (i+ii)	—	—	—	—	—	—	—	—
i) कृषि-आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	—	—	—	—	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	82,766	85,000	90,000	135,000	2,428	1,735	2,626	2,627
i) भू-राजस्व	1	—	—	—	31	26	26	27
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	82,765	85,000	90,000	135,000	2,397	1,709	2,600	2,600
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	811,162	803,400	917,575	1,077,503	45,512	46,465	51,074	55,973
i) बिक्री कर (क से च)	650,055	649,800	739,800	873,000	30,422	32,400	35,700	39,400
क) राज्य बिक्री कर / वैट	556,064	549,775	639,775	753,175	30,422	32,400	35,700	39,400
ख) केंद्रीय बिक्री कर	93,918	100,000	100,000	119,800	—	—	—	—
ग) मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियाँ	73	25	25	25	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	102,480	97,500	108,000	116,640	12,517	11,500	12,700	13,800
iii) वाहन कर	29,874	32,500	35,000	46,300	2,556	2,550	2,658	2,757
iv) माल और यात्री कर	12	200	200	200	—	—	—	—
v) विद्युत शुल्क और कर	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	3,424	4,100	4,200	4,950	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	25,317	19,300	30,375	36,413	17	15	16	16
आ. केंद्रीय कर में अंश	—	—	—	—	—	—	—	—
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	190,426	221,473	223,111	315,712	132,247	133,990	126,542	137,380
इ. राज्य का अपना करेतर राजस्व (1 से 6)	139,896	131,722	137,799	169,932	51,099	54,900	52,500	55,900
1. ब्याज प्राप्तियाँ	125,417	122,249	126,400	157,976	239	260	502	276
2. लाभांश और लाभ	3,862	400	1,900	2,072	174	219	185	203
3. सामान्य सेवाएं	4,911	4,876	4,645	4,835	789	1,128	1,119	1,166
जिसमें से राज्यों की लाटरियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
4. समाज सेवा (i से ix)	3,160	2,755	2,759	2,870	868	908	898	951
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,140	820	820	853	46	70	50	55
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,393	1,320	1,320	1,373	357	435	437	470
iii) परिवार कल्याण	1	1	1	1	—	—	—	—

परिशिष्ट I : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की राजस्व प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	221	220	250	260	95	41	41	42
v) शहरी विकास	1	—	1	1	1	15	15	16
vi) श्रम और रोजगार	339	340	350	364	88	83	91	93
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	63	50	15	16	31	12	12	12
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	235	240	240	250
ix) अन्य	2	4	2	2	14	12	12	13
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,546	1,442	2,095	2,179	49,028	52,384	49,796	53,305
i) फसल कार्य	42	32	40	42	53	28	29	30
ii) पशुपालन	39	32	32	33	9	13	10	10
iii) मत्स्य पालन	4	10	2	2	12	11	12	13
iv) वानिकी और वन्य जीवन	14	20	5	5	13	1	1	1
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	6	15	5	5	15	17	17	17
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2	5	1	1	1	1	1	1
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	322	210	300	312	—	1	1	1
ix) लघु सिंचाई	5	6	5	6	13	25	22	24
x) बिजली	1,127	190	900	936	48,688	52,100	49,500	53,000
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) ग्राम और लघु उद्योग	265	170	170	177	14	4	10	10
xiii) उद्योग@	9	12	5	5	48	65	65	65
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	—	—	—	—	46	26	43	44
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	6	5	5	5	27	31	12	13
xvii) अन्य*	705	735	625	650	89	63	75	77
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	50,530	89,751	85,312	145,780	81,149	79,090	74,042	81,480
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	13,427	50,251	50,049	103,280	81,149	30,130	24,685	28,400
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	4,400	7,000	2,763	10,000	—	1,500	584	1,380
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	25	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	32,703	32,500	32,500	32,500	—	47,460	48,748	51,700
क) सांविधिक अनुदान	32,703	32,500	32,500	32,500	—	10,760	12,048	15,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	—	—	—	—	—	36,700	36,700	36,700

— : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

@ : इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं।

* : इसमें डेअरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाएँ, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल आदि से प्राप्त राशि शामिल हैं।

परिशिष्टों की टिप्पणियाँ भी देखें।

स्रोत : सभी राज्यों के बजट दस्तावेज।



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	648,229	2,843,301	3,491,530	1,248,901	3,283,799	4,532,700	1,226,115	3,293,838	4,519,953	1,566,792	3,931,812	5,498,604
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	639,973	1,479,806	2,119,779	1,234,042	1,674,441	2,908,483	1,211,254	1,693,902	2,905,156	1,462,947	2,122,774	3,585,721
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	415,264	800,488	1,215,752	780,975	910,865	1,691,840	757,325	927,736	1,685,061	954,145	1,093,949	2,048,094
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	69,167	464,586	533,753	161,756	545,706	707,462	161,288	543,633	704,921	194,388	611,578	805,966
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,899	109,888	127,787	36,694	130,077	166,771	36,776	127,557	164,333	39,478	168,746	208,224
3. परिवार कल्याण	32,972	881	33,853	37,019	1,114	38,134	37,019	1,111	38,130	41,032	393	41,425
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	81,404	9,497	90,901	115,251	12,049	127,301	90,266	11,396	101,662	102,281	19,581	121,862
5. आवास निर्माण	27,537	1,325	28,862	92,942	1,661	94,603	92,942	1,652	94,594	109,375	1,755	111,130
6. शहरी विकास	47,367	28,200	75,567	78,408	20,774	99,182	78,408	17,953	96,361	148,055	20,826	168,881
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	84,067	49,308	133,375	156,950	68,288	225,239	158,672	66,717	225,389	154,467	120,092	274,559
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,435	6,748	8,183	2,297	8,064	10,362	2,297	8,034	10,331	2,381	10,490	12,871
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	45,637	12,913	58,550	87,986	7,206	95,192	87,986	6,982	94,968	117,403	28,268	145,671
10. पौष्टिक आहार	7,265	54,961	62,226	11,119	72,981	84,100	11,119	72,979	84,098	43,733	72,988	116,721
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	55,319	55,319	—	36,284	36,284	—	63,313	63,313	—	31,967	31,967
12. अन्य*	514	6,862	7,376	552	6,660	7,212	552	6,409	6,961	1,552	7,265	8,817
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	224,709	679,318	904,027	453,067	763,576	1,216,643	453,929	766,166	1,220,095	508,802	1,028,825	1,537,627
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	54,891	65,090	119,981	80,840	85,544	166,384	81,602	83,834	165,436	103,163	97,660	200,823
i) फसल कार्य	32,772	10,144	42,916	50,712	12,584	63,295	50,612	12,525	63,137	67,771	16,976	84,747
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	245	1,538	1,783	554	2,081	2,635	554	2,072	2,626	638	2,348	2,986
iii) पशु पालन	2,219	18,163	20,382	2,532	22,848	25,380	2,994	22,735	25,729	6,803	26,300	33,103
iv) डेरी विकास	—	66	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	1,040	1,791	2,831	1,817	2,128	3,946	2,217	2,115	4,332	2,554	2,419	4,973
vi) वानिकी और वन्यजीवन	16,463	12,831	29,294	20,433	15,799	36,231	20,433	15,758	36,191	20,024	17,842	37,866
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,050	11,469	12,519	2,010	16,152	18,162	2,010	15,676	17,686	2,910	16,930	19,840
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,076	8,557	9,633	2,782	13,354	16,136	2,782	12,354	15,136	2,463	14,179	16,642
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	26	531	557	—	599	599	—	599	599	—	666	666
2. ग्रामीण विकास	65,150	103,976	169,126	135,700	137,098	272,799	135,700	128,232	263,932	119,280	132,362	251,642
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	50,913	211,128	262,041	155,136	277,615	432,751	155,136	296,719	451,855	175,835	379,070	554,905
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	46,810	200,285	247,095	149,345	265,924	415,269	149,345	284,298	433,643	158,943	365,687	524,630
ii) लघु सिंचाई	3,352	3,179	6,531	4,643	3,601	8,244	4,643	3,599	8,242	15,888	3,820	19,708
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	7,665	7,665	—	8,091	8,091	—	8,822	8,822	—	9,564	9,564
5. ऊर्जा	1,726	178,413	180,139	5,684	151,983	157,667	5,684	130,389	136,073	6,098	252,018	258,116
जिसमें से : बिजली	1,580	178,355	179,935	5,408	151,780	157,188	5,408	130,187	135,595	5,822	251,744	257,566
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	20,488	4,943	25,431	31,624	5,900	37,524	31,624	5,675	37,299	43,740	12,760	56,500
i) ग्राम और लघु उद्योग	13,298	2,606	15,904	17,058	1,923	18,981	17,058	1,879	18,937	21,854	4,541	26,395
ii) उद्योग@	4,348	2,337	6,685	7,739	3,977	11,716	7,739	3,796	11,535	14,886	8,219	23,105
iii) अन्य**	2,842	—	2,842	6,827	—	6,827	6,827	—	6,827	7,000	—	7,000



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	20	104,058	104,078	14	91,565	91,579	14	107,532	107,546	514	139,374	139,888
i) सड़क और पुल	—	65,995	65,995	—	80,618	80,618	—	98,070	98,070	500	123,312	123,812
ii) अन्य @@	20	38,063	38,083	14	10,946	10,960	14	9,462	9,476	14	16,062	16,076
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	212	67	279	414	142	555	414	139	553	714	162	876
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	31,309	11,643	42,952	43,655	13,729	57,384	43,755	13,646	57,401	59,458	15,419	74,877
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	22,057	3,134	25,191	32,547	3,849	36,396	32,647	3,809	36,456	47,535	4,396	51,931
ii) पर्यटन	4,386	225	4,611	6,251	1,525	7,776	6,251	1,520	7,771	6,251	1,552	7,803
iii) नागरिक आपूर्ति	3,650	4,723	8,373	3,751	4,184	7,935	3,751	4,173	7,924	4,251	4,789	9,040
iv) अन्य +	1,216	3,561	4,777	1,106	4,171	5,277	1,106	4,144	5,250	1,421	4,682	6,103
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	8,256	1,340,954	1,349,210	14,860	1,581,278	1,596,138	14,861	1,573,926	1,588,787	103,845	1,780,959	1,884,804
अ. राज्य सरकार के विभाग	1,082	27,924	29,006	1,150	38,218	39,368	1,150	37,782	38,932	392	46,977	47,369
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	1,550	52,407	53,957	2,636	62,997	65,633	2,636	60,277	62,913	2,636	71,380	74,016
i) कर और शुल्क वसूली	1,550	42,209	43,759	2,636	53,332	55,968	2,636	52,006	54,642	2,636	61,684	64,320
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	10,198	10,198	—	9,665	9,665	—	8,271	8,271	—	9,696	9,696
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	—	720,775	720,775	—	819,667	819,667	—	819,666	819,666	—	886,407	886,407
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	19,965	19,965	—	21,349	21,349	—	21,348	21,348	—	23,544	23,544
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	700,810	700,810	—	798,318	798,318	—	798,318	798,318	—	862,863	862,863
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	143,972	143,972	—	177,308	177,308	—	165,300	165,300	—	130,026	130,026
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	509,554	509,554	—	557,833	557,833	—	569,841	569,841	—	649,717	649,717
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	182,839	182,839	—	194,030	194,030	—	194,030	194,030	—	220,030	220,030
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	47,173	47,173	—	63,176	63,176	—	63,176	63,176	—	83,118	83,118
iv) अन्य	—	111	111	—	1	1	—	1	1	—	2	2
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	5,624	220,129	225,753	11,074	266,978	278,051	11,075	262,783	273,858	100,817	323,765	424,582
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	606	6,568	7,174	4,978	6,971	11,950	4,978	6,834	11,812	94,842	7,924	102,766
ii) जिला प्रशासन	—	32,243	32,243	—	39,879	39,879	—	39,568	39,568	—	52,448	52,448
iii) पुलिस	4,372	138,391	142,763	3,000	151,687	154,687	3,000	149,642	152,642	3,000	178,039	181,039
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	2	5,138	5,140	2	15,570	15,572	2	15,527	15,529	2	25,036	25,038
v) अन्य ++	644	37,789	38,433	3,093	52,871	55,964	3,095	51,212	54,307	2,973	60,318	63,291
उ. पेन्शन	—	319,695	319,695	—	393,403	393,403	—	393,403	393,403	—	452,413	452,413
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	24	24	—	16	16	—	15	15	—	17	17
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	22,541	22,541	—	28,079	28,079	—	26,010	26,010	—	28,079	28,079
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	22,541	22,541	—	28,079	28,079	—	26,010	26,010	—	28,079	28,079

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	72,365	94,399	166,764	82,883	98,068	180,951	76,964	120,252	197,216	104,441	112,412	216,853
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	70,618	47,273	117,891	82,215	48,916	131,130	76,274	62,829	139,102	103,781	56,007	159,788
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	40,457	16,650	57,107	18,179	18,978	37,157	36,510	27,164	63,674	18,202	22,052	40,254
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,520	9,087	21,607	11,218	9,036	20,253	14,674	10,404	25,078	11,028	10,570	21,598
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,335	5,353	6,688	1,265	5,575	6,841	1,797	6,383	8,180	1,272	6,678	7,950
3. परिवार कल्याण	396	—	396	43	—	43	414	—	414	14	—	14
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,338	953	14,291	3,301	344	3,645	14,492	1,141	15,633	3,175	501	3,676
5. आवास निर्माण	742	239	981	800	—	800	880	324	1,204	880	—	880
6. शहरी विकास	—	54	54	—	147	147	14	465	479	—	182	182
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. श्रम और श्रम कल्याण	171	78	249	245	83	328	215	95	310	158	98	256
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,052	392	2,444	857	431	1,288	3,191	414	3,605	1,193	472	1,665
10. पौष्टिक आहार	113	10	123	318	7	325	689	10	699	345	7	352
11. प्राकृतिक आपदा राहत	9,668	—	9,668	—	2,912	2,912	—	7,350	7,350	—	2,997	2,997
12. अन्य*	122	484	606	132	443	575	144	578	722	137	547	684
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	30,161	30,623	60,784	64,036	29,937	93,973	39,764	35,665	75,428	85,579	33,955	119,534
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	10,681	9,761	20,442	7,626	9,753	17,379	11,709	11,565	23,274	7,501	10,703	18,204
i) फसल कार्य	3,959	1,999	5,958	2,290	2,051	4,340	4,451	2,201	6,652	2,132	2,303	4,435
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,086	898	1,984	809	902	1,711	957	940	1,897	752	949	1,701
iii) पशु पालन	938	1,238	2,176	723	1,189	1,912	1,111	1,329	2,440	748	1,327	2,075
iv) डेरी विकास	25	25	50	30	28	58	25	30	55	30	30	60
v) मत्स्य पालन	296	192	488	272	193	465	242	215	457	240	224	464
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,248	2,709	5,957	3,281	2,735	6,016	4,575	2,845	7,420	3,337	2,961	6,298
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	2,447	2,447	—	2,386	2,386	—	3,701	3,701	—	2,591	2,591
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	53	53	106	62	54	117	34	62	96	34	65	99
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	237	176	413	158	191	349	260	214	474	174	223	397
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	839	24	863	—	25	25	54	28	82	54	30	84
2. ग्रामीण विकास	1,990	3,457	5,447	2,067	2,497	4,564	2,184	2,544	4,728	2,040	2,505	4,545
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,595	3	2,598	5,629	3	5,632	5,635	3	5,638	3,408	4	3,412
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,869	656	4,525	4,610	685	5,296	5,419	782	6,201	7,390	782	8,172
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	40	—	40	48	—	48	48	—	48	48	—	48
ii) लघु सिंचाई	3,629	656	4,285	4,322	685	5,008	4,611	762	5,373	7,072	782	7,854
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	308	20	328	10	—	10
5. ऊर्जा	861	9,462	10,323	208	10,546	10,753	190	11,882	12,072	1,248	11,161	12,409
जिसमें से : बिजली	238	9,462	9,700	22	10,546	10,567	4	11,882	11,886	1,062	11,160	12,222
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	943	620	1,563	762	531	1,293	1,037	733	1,770	770	630	1,400
i) ग्राम और लघु उद्योग	847	619	1,466	647	531	1,178	872	733	1,605	648	630	1,278
ii) उद्योग@	96	—	96	115	—	115	155	—	155	112	—	112
iii) अन्य**	—	1	1	—	—	—	10	—	10	10	—	10



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,521	5,789	9,310	3,569	5,079	8,648	3,324	7,223	10,547	3,305	7,175	10,480
i) सड़क और पुल	2,964	1,078	4,042	3,302	289	3,591	3,011	1,240	4,251	3,045	1,413	4,458
ii) अन्य @@	557	4,711	5,268	267	4,790	4,359	313	5,983	6,296	260	5,762	3,492
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,035	—	1,035	1,027	—	1,027	1,152	—	1,152	1,028	—	1,028
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	4,666	875	5,541	38,537	843	39,381	9,114	933	10,046	58,889	995	59,884
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,913	80	3,993	37,967	87	38,054	7,947	87	8,034	58,192	87	58,279
ii) पर्यटन	336	14	350	254	18	272	441	24	465	340	25	365
iii) नागरिक आपूर्ति	141	419	560	162	340	502	481	389	870	164	441	605
iv) अन्य +	276	362	638	155	399	553	245	433	677	193	442	635
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,747	47,126	48,873	669	49,152	49,821	690	57,424	58,114	660	56,405	57,064
अ. राज्य सरकार के विभाग	21	2,179	2,200	—	1,569	1,569	24	1,889	1,913	—	1,762	1,762
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	13	364	377	13	363	376	13	480	493	13	473	486
i) कर और शुल्क वसूली	—	349	349	—	347	347	—	461	461	—	456	456
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	13	15	28	13	16	29	13	19	32	13	17	30
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	16,752	16,752	—	18,969	18,969	—	22,521	22,521	—	22,257	22,257
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	1,107	1,107	—	900	900	—	1,276	1,276	—	1,476	1,476
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	15,645	15,645	—	18,069	18,069	—	21,245	21,245	—	20,781	20,781
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	15,645	15,645	—	18,069	18,069	—	21,245	21,245	—	20,781	20,781
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,713	20,713	22,426	656	20,404	21,060	654	24,691	25,345	647	23,296	23,942
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	60	2,439	2,499	26	1,770	1,797	38	2,572	2,610	26	2,294	2,320
ii) जिला प्रशासन	—	4,090	4,090	—	4,134	4,134	—	4,918	4,918	—	4,714	4,714
iii) पुलिस	1,049	9,263	10,312	—	10,040	10,040	—	10,966	10,966	—	10,462	10,462
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	523	3,975	4,498	550	3,296	3,846	529	4,839	5,368	529	4,538	5,067
v) अन्य ++	81	946	1,027	80	1,163	1,243	87	1,396	1,483	92	1,288	1,379
उ. पेन्शन	—	7,075	7,075	—	7,798	7,798	—	7,790	7,790	—	8,548	8,548
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	43	43	—	50	50	—	52	52	—	69	69
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	212,704	840,927	1,053,631	344,313	1,265,310	1,609,623	367,318	1,297,447	1,664,765	363,829	1,245,252	1,609,081
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	192,092	440,288	632,380	300,544	675,280	975,824	323,549	699,012	1,022,562	302,207	689,944	992,151
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	109,573	289,137	398,710	167,704	480,634	648,338	175,897	487,106	663,003	157,430	513,724	671,154
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,738	218,822	251,560	36,696	341,294	377,990	43,543	341,406	384,949	37,906	333,520	371,425
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,156	27,544	32,700	11,027	65,185	76,211	11,027	70,173	81,200	18,569	81,126	99,696
3. परिवार कल्याण	6,526	693	7,219	13,872	6,623	20,495	13,872	6,623	20,495	11,912	6,599	18,511
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	20,253	12,631	32,884	3,326	17,491	20,817	3,326	17,541	20,867	2,509	12,346	14,854
5. आवास निर्माण	620	47	667	154	1,284	1,437	154	1,284	1,437	285	1,166	1,451
6. शहरी विकास	6,133	2,521	8,654	13,657	4,098	17,755	13,657	4,172	17,829	14,535	6,766	21,301
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	12,116	12,931	25,047	40,789	1,972	42,761	42,134	3,058	45,192	55,648	39,251	94,899
8. श्रम और श्रम कल्याण	172	2,535	2,708	1,359	3,660	5,019	1,359	3,698	5,057	3,618	3,395	7,013
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22,395	7,714	30,108	41,836	6,745	48,581	41,836	6,865	48,701	2,569	5,761	8,330
10. पौष्टिक आहार	3,425	1,454	4,880	4,863	202	5,065	4,863	202	5,065	9,607	39	9,646
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	58	58	—	29,514	29,514	—	29,514	29,514	—	20,448	20,448
12. अन्य*	39	2,188	2,227	127	2,566	2,693	127	2,571	2,698	272	3,307	3,579
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	82,519	151,151	233,670	132,840	194,645	327,485	147,653	211,907	359,559	144,777	176,220	320,997
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	16,061	38,718	54,779	30,091	52,510	82,601	30,305	53,959	84,264	34,343	49,831	84,174
i) फसल कार्य	6,611	8,094	14,705	13,156	12,512	25,668	13,156	13,062	26,218	17,641	11,529	29,170
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	493	1,728	2,221	567	2,269	2,836	567	2,269	2,836	405	1,462	1,867
iii) पशु पालन	756	7,780	8,536	2,328	11,477	13,805	2,529	11,549	14,079	2,256	11,843	14,099
iv) डेरी विकास	946	753	1,698	1,547	1,159	2,706	1,547	1,159	2,706	1,435	1,087	2,522
v) मत्स्य पालन	1,889	1,222	3,110	2,297	1,625	3,922	2,297	1,625	3,922	2,665	1,526	4,191
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,670	9,862	13,532	7,016	14,496	21,512	7,016	14,498	21,514	6,075	13,432	19,507
vii) बागान	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	—	2
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	59	2,181	2,240	265	1,921	2,186	277	2,740	3,017	198	1,473	1,671
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,566	4,523	6,089	2,546	4,166	6,711	2,546	4,166	6,711	3,030	4,422	7,452
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	45	2,340	2,385	276	2,554	2,830	276	2,554	2,830	630	2,759	3,389
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	28	234	261	91	330	421	91	338	429	6	299	305
2. ग्रामीण विकास	24,574	13,108	37,683	41,748	34,177	75,925	55,448	34,187	89,635	46,915	33,857	80,772
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,564	613	2,177	5,951	227	6,178	6,390	227	6,617	9,826	291	10,117
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	21,866	21,866	—	31,443	31,443	—	31,866	31,866	—	35,091	35,091
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	3,653	3,653	—	6,231	6,231	—	6,294	6,294	—	4,763	4,763
ii) लघु सिंचाई	—	9,986	9,986	—	13,765	13,765	—	14,101	14,101	—	17,830	17,830
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	8,074	8,074	—	11,204	11,204	—	11,227	11,227	—	12,236	12,236
5. ऊर्जा	917	31,342	32,259	11	16,474	16,485	11	30,535	30,546	6	3,338	3,344
जिसमें से : बिजली	909	31,336	32,245	—	16,460	16,460	—	30,521	30,521	—	3,322	3,322
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	5,311	8,079	13,390	9,082	8,364	17,446	9,082	8,599	17,680	10,298	6,155	16,453
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,919	7,496	11,415	7,545	7,659	15,204	7,545	7,894	15,439	9,056	5,434	14,490
ii) उद्योग@	1,392	583	1,975	1,537	704	2,241	1,537	704	2,241	1,242	721	1,963
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,758	30,904	34,662	4,795	46,430	51,225	4,795	47,488	52,283	8,829	42,296	51,125
i) सड़क और पुल	3,259	26,930	30,188	4,023	40,884	44,907	4,023	40,967	44,990	3,693	40,880	44,573
ii) अन्य @@	499	3,975	4,473	772	5,546	6,318	772	6,521	7,293	5,136	1,416	6,552
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	140	32	172	171	57	228	171	57	228	416	60	476
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	30,194	6,489	36,683	40,990	4,965	45,955	41,451	4,990	46,440	34,144	5,301	39,444
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	29,688	4,486	34,174	40,505	2,315	42,820	40,505	2,339	42,844	32,982	2,563	35,545
ii) पर्यटन	156	365	521	185	357	542	185	357	542	695	376	1,071
iii) नागरिक आपूर्ति	110	23	133	4	36	39	211	36	247	—	36	36
iv) अन्य +	240	1,615	1,855	296	2,258	2,554	549	2,258	2,807	467	2,326	2,793
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	20,612	399,550	420,161	43,769	588,506	632,275	43,769	596,834	640,603	61,622	541,477	603,099
अ. राज्य सरकार के विभाग	71	11,302	11,373	—	15,955	15,955	—	16,703	16,703	—	12,635	12,635
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	113	11,923	12,036	477	22,084	22,561	477	22,107	22,584	627	22,122	22,749
i) कर और शुल्क वसूली	113	11,819	11,932	477	21,979	22,456	477	22,003	22,480	627	22,012	22,639
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	104	104	—	104	104	—	104	104	—	110	110
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	165,412	165,412	—	231,429	231,429	—	231,430	231,430	—	206,589	206,589
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	14,400	14,400	—	17,600	17,600	—	17,600	17,600	—	20,400	20,400
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	151,012	151,012	—	213,829	213,829	—	213,830	213,830	—	186,189	186,189
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	17,945	17,945	—	60,941	60,941	—	60,942	60,942	—	32,118	32,118
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	103,671	103,671	—	125,277	125,277	—	125,277	125,277	—	125,338	125,338
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	57,248	57,248	—	61,443	61,443	—	61,443	61,443	—	65,498	65,498
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	41,996	41,996	—	48,171	48,171	—	48,171	48,171	—	54,445	54,445
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	29,396	29,396	—	27,611	27,611	—	27,611	27,611	—	28,733	28,733
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	20,427	109,714	130,142	43,292	172,355	215,647	43,292	179,911	223,203	60,995	157,427	218,422
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	20,383	9,323	29,706	38,158	33,209	71,367	38,158	35,533	73,691	52,969	21,142	74,111
ii) जिला प्रशासन	—	4,585	4,585	—	5,670	5,670	—	6,093	6,093	—	5,300	5,300
iii) पुलिस	—	71,966	71,966	100	97,291	97,391	100	100,267	100,367	100	92,565	92,665
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	16	9,705	9,722	9	16,835	16,844	9	16,895	16,904	—	19,536	19,536
v) अन्य ++	28	14,135	14,163	5,025	19,351	24,376	5,025	21,124	26,149	7,926	18,885	26,811
उ. पेन्शन	—	101,148	101,148	—	146,646	146,646	—	146,646	146,646	—	142,662	142,662
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	51	51	—	37	37	—	37	37	—	41	41
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	1,089	1,089	—	1,525	1,525	—	1,600	1,600	—	13,831	13,831
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	1,089	1,089	—	1,525	1,525	—	1,600	1,600	—	13,831	13,831

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	243,140	1,532,459	1,775,599	363,269	1,814,687	2,177,956	412,941	1,938,333	2,351,274	436,537	1,959,239	2,395,776
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	240,914	681,987	922,901	313,090	844,792	1,157,882	362,274	976,061	1,338,335	367,235	999,474	1,366,709
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	154,109	532,083	686,192	198,810	612,044	810,854	201,137	669,457	870,594	184,063	713,758	897,821
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	46,188	393,208	439,396	71,559	423,853	495,412	72,464	457,433	529,897	28,583	509,880	538,463
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	151	75,872	76,023	512	90,631	91,143	634	102,887	103,521	510	99,438	99,948
3. परिवार कल्याण	—	11,671	11,671	—	18,499	18,499	—	18,516	18,516	—	19,899	19,899
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	16,182	13,063	29,245	6,030	15,792	21,822	9,230	15,804	25,034	7,230	18,200	25,430
5. आवास निर्माण	—	52	52	—	95	95	—	95	95	—	1,090	1,090
6. शहरी विकास	5,862	5,590	11,452	56,294	5,345	61,639	54,394	7,097	61,491	65,326	5,342	70,668
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	3,060	6,985	10,045	8,620	6,166	14,786	8,620	6,166	14,786	10,822	8,429	19,251
8. श्रम और श्रम कल्याण	61,734	- 48,182	13,552	13,625	3,644	17,269	13,625	4,308	17,933	40,275	4,061	44,336
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	128	26,519	26,647	387	29,695	30,082	387	30,054	30,441	4,952	28,178	33,130
10. पौष्टिक आहार	20,671	—	20,671	41,238	—	41,238	41,238	—	41,238	25,319	—	25,319
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	44,892	44,892	—	15,477	15,477	—	24,064	24,064	—	15,939	15,939
12. अन्य*	133	2,413	2,546	545	2,847	3,392	545	3,033	3,578	1,046	3,302	4,348
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	86,805	149,904	236,709	114,280	232,748	347,028	161,137	306,604	467,741	183,172	285,716	468,888
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	15,516	25,530	41,046	8,294	33,828	42,122	27,221	35,503	62,724	28,165	36,245	64,410
i) फसल कार्य	12,641	6,751	19,392	4,344	12,391	16,735	16,770	11,642	28,412	18,867	11,860	30,727
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	47	706	753	98	1,176	1,274	78	996	1,074	310	441	751
iii) पशु पालन	149	5,724	5,873	310	6,883	7,193	310	7,588	7,898	433	7,900	8,333
iv) डेरी विकास	81	317	398	207	349	556	5,207	549	5,756	3,207	364	3,571
v) मत्स्य पालन	159	821	980	379	1,324	1,703	400	1,326	1,726	400	1,295	1,695
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,465	3,307	4,772	1,514	3,493	5,007	3,014	4,227	7,241	3,014	4,349	7,363
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	664	4,779	5,443	926	4,860	5,786	926	4,861	5,787	1,700	6,174	7,874
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	195	2,959	3,154	392	3,183	3,575	392	4,144	4,536	109	3,678	3,787
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	115	166	281	124	169	293	124	170	294	125	184	309
2. ग्रामीण विकास	51,798	54,460	106,258	66,944	57,237	124,181	96,104	57,878	153,982	132,010	59,165	191,175
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	15,146	33,131	48,277	32,590	40,158	72,748	32,602	43,090	75,692	10,097	47,800	57,897
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	16,215	16,215	—	18,097	18,097	—	19,631	19,631	—	22,220	22,220
ii) लघु सिंचाई	12,442	9,444	21,886	28,684	12,825	41,509	28,697	13,875	42,572	4,517	14,929	19,446
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	5,691	5,691	—	5,893	5,893	—	6,240	6,240	—	7,692	7,692
5. ऊर्जा	81	61	142	384	41,523	41,907	384	108,029	108,413	628	72,281	72,909
जिसमें से : बिजली	—	61	61	—	41,523	41,523	—	108,029	108,029	—	72,281	72,281
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,399	2,194	3,593	2,549	2,927	5,476	4,111	3,152	7,263	10,541	2,964	13,505
i) ग्राम और लघु उद्योग	948	919	1,867	2,045	1,272	3,317	2,327	1,411	3,738	4,121	1,330	5,451
ii) उद्योग@	451	1,275	1,726	504	1,655	2,159	1,784	1,741	3,525	6,420	1,634	8,054
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	162	28,339	28,501	385	46,288	46,673	385	46,294	46,679	410	55,844	56,254
i) सड़क और पुल	122	28,185	28,307	265	46,126	46,391	265	46,126	46,391	290	55,658	55,948
ii) अन्य @@	40	154	194	120	162	282	120	168	288	120	186	306
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,704	6,190	8,894	3,135	10,788	13,923	331	12,659	12,990	1,322	11,418	12,740
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	—	1,550	1,550	2	1,731	1,733	2	1,939	1,941	1,000	2,073	3,073
ii) पर्यटन	175	272	447	100	218	318	100	218	318	113	232	345
iii) नागरिक आपूर्ति	2,377	2,470	4,847	2,804	5,994	8,798	—	6,931	6,931	—	6,450	6,450
iv) अन्य +	152	1,898	2,050	229	2,845	3,074	229	3,571	3,800	209	2,663	2,872
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	2,226	850,052	852,278	50,179	969,458	1,019,637	50,667	961,835	1,012,502	69,302	959,765	1,029,067
अ. राज्य सरकार के विभाग	936	33,215	34,151	1,636	29,744	31,380	1,664	35,678	37,342	1,649	30,507	32,156
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	1,137	19,667	20,804	1,630	24,947	26,577	1,630	25,919	27,549	1,995	27,061	29,056
i) कर और शुल्क वसूली	1,137	19,458	20,595	1,630	24,707	26,337	1,630	25,652	27,282	1,995	26,804	28,799
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	209	209	—	240	240	—	267	267	—	257	257
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	364,889	364,889	—	420,959	420,959	—	384,533	384,533	—	390,941	390,941
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	364,889	364,889	—	420,959	420,959	—	384,533	384,533	—	390,941	390,941
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	102,441	102,441	—	109,667	109,667	—	73,226	73,226	—	64,096	64,096
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	199,233	199,233	—	258,221	258,221	—	258,221	258,221	—	268,388	268,388
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	94,289	94,289	—	98,675	98,675	—	98,675	98,675	—	95,520	95,520
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	103,470	103,470	—	126,193	126,193	—	126,193	126,193	—	150,900	150,900
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	62,762	62,762	—	52,554	52,554	—	52,554	52,554	—	57,964	57,964
iv) अन्य	—	453	453	—	517	517	—	532	532	—	493	493
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	153	186,727	186,880	46,913	191,834	238,747	47,373	213,048	260,421	65,658	198,902	264,560
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2	4,423	4,425	138	5,088	5,226	133	5,787	5,920	682	5,685	6,367
ii) जिला प्रशासन	—	47,739	47,739	45,170	12,291	57,461	45,175	12,318	57,493	61,255	13,173	74,428
iii) पुलिस	112	104,749	104,861	105	131,513	131,618	105	146,608	146,713	940	135,283	136,223
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	11,140	11,140	—	21,700	21,700	—	22,239	22,239	—	20,867	20,867
v) अन्य ++	39	18,676	18,715	1,500	21,242	22,742	1,960	26,096	28,056	2,781	23,894	26,675
उ. पेन्शन	—	245,554	245,554	—	301,974	301,974	—	302,657	302,657	—	312,354	312,354
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	420	420	—	437	437	—	437	437	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	420	420	—	437	437	—	437	437	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	200,839	544,875	745,714	288,568	671,159	959,727	329,354	695,442	1,024,796	404,243	762,319	1,166,562
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	200,373	293,385	493,758	286,882	320,742	607,624	327,338	348,710	676,048	401,871	353,849	755,720
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	127,730	157,043	284,773	187,501	186,840	374,341	224,655	194,738	419,393	272,179	210,257	482,436
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	55,817	66,590	122,407	80,952	73,868	154,820	92,286	73,878	166,164	105,802	86,397	192,199
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,868	19,149	26,018	18,075	21,731	39,806	15,273	21,068	36,341	24,742	25,904	50,646
3. परिवार कल्याण	3,270	—	3,270	7,509	8	7,517	7,367	8	7,375	7,981	15	7,996
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	14,600	5,484	20,083	25,193	5,870	31,063	25,410	6,051	31,460	33,946	6,468	40,414
5. आवास निर्माण	3,276	1,603	4,879	2,150	5,411	7,561	2,150	5,541	7,691	2,618	3,554	6,172
6. शहरी विकास	5,162	1,027	6,189	5,874	2,091	7,965	33,504	2,082	35,586	40,959	2,161	43,120
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	10,336	38,708	49,044	9,840	45,545	55,385	12,688	43,845	56,533	11,149	48,717	59,866
8. श्रम और श्रम कल्याण	702	1,998	2,700	1,745	2,271	4,016	2,057	2,302	4,359	2,730	2,806	5,536
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,968	9,758	19,726	15,057	11,288	26,345	16,705	12,393	29,098	21,639	15,013	36,652
10. पौष्टिक आहार	17,690	3	17,694	20,998	—	20,998	16,856	—	16,856	20,504	—	20,504
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	11,346	11,346	—	16,990	16,990	—	25,544	25,544	—	17,336	17,336
12. अन्य*	41	1,376	1,417	108	1,767	1,875	359	2,027	2,385	109	1,888	1,996
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	72,643	136,342	208,985	99,381	133,902	233,283	102,683	153,972	256,654	129,692	143,592	273,284
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	26,680	72,307	98,988	35,460	48,632	84,092	39,462	63,529	102,991	55,753	53,665	109,418
i) फसल कार्य	7,389	5,139	12,528	8,140	6,389	14,529	9,126	5,733	14,859	11,278	7,140	18,418
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	170	678	848	5	849	854	5	797	802	65	977	1,042
iii) पशु पालन	3,299	5,531	8,830	6,022	5,502	11,524	8,081	5,587	13,668	8,211	6,141	14,351
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	533	540	1,073	641	593	1,234	652	601	1,253	696	679	1,375
vi) वानिकी और वन्यजीवन	10,326	26,051	36,377	11,150	25,159	36,309	14,245	30,587	44,831	15,815	29,442	45,258
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	2,548	32,833	35,381	6,585	7,960	14,545	4,438	18,200	22,637	15,516	6,138	21,654
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,341	570	1,911	1,200	902	2,102	1,200	901	2,101	650	1,788	2,438
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,074	967	2,041	1,717	1,278	2,995	1,716	1,124	2,840	1,748	1,342	3,090
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,774	18	1,791
2. ग्रामीण विकास	29,386	28,400	57,785	48,495	30,007	78,502	43,774	29,898	73,672	48,479	30,554	79,032
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,551	7,749	12,300	2,894	7,036	9,930	2,835	7,643	10,478	3,217	6,998	10,215
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	2,841	6,572	9,413	—	5,894	5,894	—	6,423	6,423	—	5,901	5,901
ii) लघु सिंचाई	1,636	1,177	2,813	2,747	1,142	3,889	2,746	1,219	3,965	2,908	1,097	4,005
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	4,302	9,366	13,668	2,810	9,333	12,143	5,175	13,523	18,697	10,630	10,760	21,390
जिसमें से : बिजली	1,786	9,366	11,152	1,290	9,332	10,622	3,655	13,523	17,177	9,110	10,760	19,870
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,607	3,989	7,597	4,708	7,200	11,908	6,274	7,089	13,362	6,953	8,179	15,132
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,656	1,757	3,413	2,579	2,073	4,652	3,487	2,065	5,552	2,814	2,324	5,138
ii) उद्योग@	1,951	2,232	4,183	2,129	5,087	7,216	2,787	5,023	7,810	4,139	5,856	9,995
iii) अन्य**	—	—	—	—	40	40	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,411	13,754	16,165	2,250	30,722	32,972	2,250	31,332	33,582	1,836	32,281	34,117
i) सड़क और पुल	2,411	13,736	16,147	2,250	30,712	32,962	2,250	31,322	33,572	50	32,270	32,320
ii) अन्य @@	—	18	18	—	10	10	—	10	10	1,786	11	1,797
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	314	50	364	641	55	696	741	55	796	695	72	767
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,393	726	2,119	2,123	917	3,040	2,173	903	3,075	2,130	1,082	3,212
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	—	230	230	6	304	310	6	297	303	6	398	404
ii) पर्यटन	1,335	—	1,335	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	58	496	554	117	613	730	167	606	772	124	684	808
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	466	218,225	218,691	1,686	318,042	319,728	2,016	300,778	302,794	2,372	368,820	371,191
अ. राज्य सरकार के विभाग	49	6,221	6,269	54	9,034	9,088	54	9,710	9,764	220	10,944	11,164
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	74	14,709	14,783	776	30,572	31,348	1,023	30,371	31,395	838	35,599	36,438
i) कर और शुल्क वसूली	74	14,677	14,751	776	30,509	31,285	1,023	30,323	31,346	838	35,546	36,385
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	31	31	—	63	63	—	48	48	—	53	53
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	101,154	101,154	—	124,824	124,824	—	116,633	116,633	—	129,863	129,863
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	5,000	5,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	96,154	96,154	—	114,824	114,824	—	106,633	106,633	—	119,863	119,863
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	19,949	19,949	—	18,995	18,995	—	17,551	17,551	—	17,385	17,385
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	57,291	57,291	—	72,778	72,778	—	67,783	67,783	—	78,976	78,976
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	21,476	21,476	—	24,479	24,479	—	22,779	22,779	—	21,721	21,721
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	31,694	31,694	—	40,066	40,066	—	40,915	40,915	—	49,091	49,091
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	12,142	12,142	—	14,527	14,527	—	12,438	12,438	—	14,527	14,527
iv) अन्य	—	6,772	6,772	—	8,524	8,524	—	8,862	8,862	—	8,976	8,976
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	344	49,978	50,322	856	83,682	84,538	939	70,989	71,927	1,313	114,110	115,423
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	2,369	2,369	43	3,134	3,177	76	3,257	3,333	73	3,615	3,688
ii) जिला प्रशासन	—	4,266	4,266	—	5,228	5,228	—	5,228	5,228	—	6,636	6,636
iii) पुलिस	128	34,051	34,179	723	42,206	42,929	734	44,984	45,717	1,135	53,315	54,450
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	216	3,316	3,531	—	6,843	6,843	—	7,342	7,342	—	11,242	11,242
v) अन्य ++	—	5,976	5,976	90	26,271	26,361	129	10,178	10,307	105	39,301	39,406
उ. पेन्शन	—	46,157	46,157	—	69,914	69,914	—	73,060	73,060	—	78,288	78,288
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	6	6	—	16	16	—	16	16	—	16	16
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	33,265	33,265	—	32,375	32,375	—	45,954	45,954	—	39,650	39,650
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	33,265	33,265	—	32,375	32,375	—	45,954	45,954	—	39,650	39,650



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	41,470	177,601	219,072	54,906	262,721	317,628	52,955	203,912	256,868	56,381	282,610	338,991
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	40,850	103,927	144,776	53,465	112,826	166,291	51,815	121,605	173,420	55,052	121,645	176,697
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	27,332	46,381	73,713	36,194	48,944	85,139	35,430	50,607	86,037	37,392	53,493	90,885
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,901	26,408	33,309	9,200	27,235	36,435	13,481	28,142	41,623	8,438	30,060	38,498
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,579	8,617	12,196	3,902	9,041	12,943	3,996	9,417	13,413	4,076	9,721	13,797
3. परिवार कल्याण	210	—	210	307	—	307	307	—	307	320	—	320
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,672	7,875	10,547	2,100	8,373	10,473	2,100	8,373	10,473	2,126	9,308	11,434
5. आवास निर्माण	—	476	476	—	436	436	—	436	436	—	468	468
6. शहरी विकास	3,490	408	3,898	10,218	554	10,772	4,318	1,034	5,352	10,422	802	11,224
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	123	14	137	198	18	216	443	18	461	421	18	439
8. श्रम और श्रम कल्याण	493	820	1,313	560	921	1,480	609	921	1,530	550	969	1,519
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,252	1,316	9,568	8,175	1,782	9,956	8,452	1,577	10,029	9,849	1,572	11,421
10. पौष्टिक आहार	238	77	315	295	80	375	295	80	375	295	80	375
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	153	153	—	281	281	—	387	387	—	262	262
12. अन्य*	1,374	217	1,591	1,240	224	1,464	1,429	222	1,651	895	233	1,128
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	13,518	57,545	71,063	17,271	63,882	81,153	16,385	70,998	87,383	17,659	68,153	85,812
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	4,157	2,479	6,636	4,639	2,782	7,421	4,624	2,880	7,504	4,950	3,034	7,984
i) फसल कार्य	979	674	1,653	1,365	742	2,107	1,185	742	1,927	1,422	768	2,190
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	75	63	138	135	62	197	135	62	197	84	62	146
iii) पशु पालन	357	459	816	481	518	999	481	617	1,098	516	632	1,148
iv) डेरी विकास	495	10	505	704	28	732	704	28	732	676	17	693
v) मत्स्य पालन	1,451	214	1,665	1,153	229	1,382	1,235	229	1,464	1,228	235	1,463
vi) वानिकी और वन्यजीवन	617	660	1,277	611	761	1,372	754	761	1,515	698	810	1,508
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	3	64	67	5	67	72	5	67	72	5	74	79
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	7	69	76	22	76	98	22	76	98	37	76	113
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	173	228	401	163	252	415	103	252	355	284	309	593
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	38	38	—	46	46	—	46	46	—	51	51
2. ग्रामीण विकास	2,763	1,423	4,186	2,928	1,750	4,678	2,931	1,750	4,681	2,869	1,915	4,784
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	224	—	224	243	—	243	275	—	275	222	—	222
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	362	1,872	2,234	453	2,028	2,481	453	2,328	2,781	1,286	2,029	3,315
जिसमें से :											10,520	
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	834	834	—	904	904	—	946	946	623	962	1,585
ii) लघु सिंचाई	113	936	1,049	159	1,009	1,168	159	1,193	1,352	275	933	1,208
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	34	71	105	44	80	124	44	152	196	121	95	216
5. ऊर्जा	1,158	41,795	42,953	1,283	46,637	47,920	1,283	51,937	53,220	1,417	49,783	51,200
जिसमें से : बिजली	1,125	41,796	42,921	1,250	46,637	47,887	1,250	51,937	53,187	1,417	49,754	51,171
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,308	212	1,520	3,689	408	4,098	2,763	409	3,172	3,629	518	4,147
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,088	133	1,221	2,345	308	2,653	1,158	308	1,466	1,754	414	2,168
ii) उद्योग@	220	79	299	1,344	100	1,444	1,605	101	1,706	1,650	104	1,754
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	—	225



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	758	8,803	9,561	1,041	9,151	10,192	1,041	10,551	11,592	730	9,564	10,294
i) सड़क और पुल	287	6,642	6,929	175	6,888	7,063	175	7,888	8,063	66	7,163	7,229
ii) अन्य @@	471	2,161	2,632	866	2,263	3,129	866	2,663	3,529	664	2,401	3,065
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	325	—	325	370	—	370	370	—	370	380	—	380
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,463	961	3,424	2,626	1,126	3,751	2,645	1,143	3,788	2,176	1,310	3,486
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8	402	410	10	498	508	10	515	525	10	646	656
ii) पर्यटन	2,391	224	2,615	2,503	248	2,751	2,516	248	2,764	2,049	263	2,312
iii) नागरिक आपूर्ति	1	94	95	1	111	112	4	111	115	3	123	126
iv) अन्य +	63	241	304	112	268	380	115	269	384	114	278	392
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	621	73,675	74,295	1,441	149,895	151,336	1,141	82,307	83,448	1,329	160,965	162,294
अ. राज्य सरकार के विभाग	69	2,110	2,179	74	2,415	2,489	74	2,660	2,734	76	3,044	3,120
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	293	1,134	1,427	804	1,558	2,362	404	1,578	1,982	695	1,532	2,227
i) कर और शुल्क वसूली	293	1,127	1,420	804	1,544	2,348	404	1,564	1,968	695	1,523	2,218
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	7	7	—	14	14	—	14	14	—	9	9
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	42,037	42,037	—	45,196	45,196	—	45,197	45,197	—	51,700	51,700
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	40,037	40,037	—	43,196	43,196	—	43,197	43,197	—	49,700	49,700
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	5,754	5,754	—	6,295	6,295	—	6,295	6,295	—	5,237	5,237
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	28,500	28,500	—	31,833	31,833	—	31,833	31,833	—	38,130	38,130
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	8,493	8,493	—	9,233	9,233	—	9,233	9,233	—	9,686	9,686
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	17,352	17,352	—	20,000	20,000	—	20,000	20,000	—	26,385	26,385
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	4,316	4,316	—	4,011	4,011	—	4,011	4,011	—	5,110	5,110
iv) अन्य	—	1,467	1,467	—	1,058	1,058	—	1,058	1,058	—	1,223	1,223
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	258	12,574	12,832	564	15,521	16,084	563	15,979	16,542	483	17,053	17,536
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	853	853	—	913	913	—	988	988	—	963	963
ii) जिला प्रशासन	—	919	919	—	1,220	1,220	—	1,166	1,166	—	1,322	1,322
iii) पुलिस	1	6,589	6,590	—	7,941	7,941	—	8,370	8,370	—	9,299	9,299
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	91	2,351	2,442	300	3,231	3,531	300	3,231	3,531	300	3,029	3,329
v) अन्य ++	166	1,862	2,028	264	2,216	2,479	263	2,224	2,487	183	2,440	2,623
उ. पेन्शन	—	15,583	15,583	—	16,500	16,500	—	16,500	16,500	—	18,975	18,975
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	237	237	—	68,705	68,705	100	393	493	75	68,661	68,736
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	21	21	—	68,350	68,350	—	33	33	—	68,356	68,356
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	392,142	2,154,408	2,546,550	480,041	2,147,513	2,627,555	558,565	2,307,140	2,865,706	682,070	2,449,265	3,131,335
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	384,171	1,022,765	1,406,936	461,350	945,837	1,407,187	538,391	1,122,829	1,661,220	660,086	1,091,022	1,751,107
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	200,772	626,515	827,287	260,027	565,469	825,496	313,539	691,562	1,005,101	385,985	626,147	1,012,132
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,464	390,738	416,202	48,043	382,982	431,025	43,751	404,586	448,338	64,884	413,426	478,310
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	27,542	64,251	91,794	29,995	60,423	90,417	29,511	63,495	93,006	39,191	63,603	102,794
3. परिवार कल्याण	1,795	10,698	12,492	5,910	12,111	18,021	2,891	10,139	13,030	4,556	10,782	15,338
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,059	10,521	22,579	10,440	8,696	19,136	22,026	8,796	30,822	30,030	9,236	39,266
5. आवास निर्माण	21,305	6,882	28,187	25,139	10,004	35,142	25,459	8,638	34,097	27,248	8,585	35,833
6. शहरी विकास	28,511	21,459	49,971	45,324	23,776	69,099	96,463	32,901	129,364	115,899	22,846	138,746
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	42,185	24,852	67,037	43,786	22,652	66,438	48,413	22,873	71,286	52,068	22,325	74,393
8. श्रम और श्रम कल्याण	4,094	9,306	13,399	5,384	9,954	15,338	5,386	10,221	15,606	7,154	11,211	18,366
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,498	12,087	23,585	13,901	9,807	23,707	14,804	8,953	23,757	15,864	7,562	23,426
10. पौष्टिक आहार	23,378	16,056	39,434	30,567	12,967	43,534	23,320	23,876	47,196	26,700	22,580	49,280
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	55,826	55,826	—	8,063	8,063	—	92,584	92,584	—	29,988	29,988
12. अन्य*	2,941	3,840	6,782	1,539	4,036	5,575	1,514	4,499	6,013	2,390	4,001	6,391
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	183,399	396,250	579,649	201,323	380,368	581,691	224,853	431,267	656,119	274,101	464,875	738,976
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	38,867	52,857	91,724	42,961	50,871	93,831	46,693	56,601	103,294	66,453	60,060	126,513
i) फसल कार्य	18,689	13,469	32,157	20,353	14,353	34,706	19,852	17,802	37,654	31,780	19,654	51,434
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	7,565	606	8,171	7,486	641	8,127	11,751	709	12,460	13,918	741	14,659
iii) पशु पालन	3,468	5,879	9,348	4,488	5,742	10,231	4,324	5,984	10,307	6,416	6,465	12,882
iv) डेरी विकास	169	45	214	258	45	303	389	351	740	2,942	45	2,987
v) मत्स्य पालन	977	7,402	8,379	1,516	5,122	6,638	1,514	4,776	6,290	2,450	6,189	8,639
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,227	12,184	15,410	3,315	11,919	15,234	3,207	12,780	15,987	3,529	12,852	16,381
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	504	1,361	1,865	504	1,411	1,915	504	1,380	1,884	810	1,454	2,264
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,091	8,263	11,355	3,015	8,060	11,076	3,015	9,237	12,253	2,859	8,871	11,730
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,172	3,505	4,676	1,516	3,435	4,951	1,626	3,441	5,067	1,245	3,642	4,887
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	144	149	510	142	652	510	142	652	505	146	651
2. ग्रामीण विकास	57,154	21,568	78,721	69,143	22,998	92,141	84,921	23,964	108,885	86,017	20,361	106,378
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	490	2,336	2,826	531	2,276	2,807	524	2,409	2,933	648	2,293	2,941
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,061	29,180	37,241	9,517	29,495	39,011	13,819	38,001	51,819	15,786	31,508	47,294
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	398	23,758	24,156	623	24,026	24,649	1,210	30,418	31,628	2,965	25,969	28,934
ii) लघु सिंचाई	7,052	5,185	12,238	8,245	5,093	13,339	11,810	5,649	17,459	11,885	5,169	17,054
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	135	193	328	110	367	477	227	1,929	2,156	320	369	689
5. ऊर्जा	34,244	173,108	207,352	15,270	171,382	186,652	25,419	177,345	202,764	12,689	214,254	226,943
जिसमें से : बिजली	34,160	173,108	207,268	15,186	171,382	186,568	25,337	177,345	202,682	12,605	214,254	226,859
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	18,747	4,382	23,128	25,172	4,500	29,673	24,169	4,618	28,788	38,880	6,189	45,069
i) ग्राम और लघु उद्योग	8,175	2,245	10,420	10,473	2,356	12,829	11,031	2,491	13,522	16,402	2,891	19,293
ii) उद्योग@	10,571	2,131	12,702	14,700	2,140	16,839	13,138	2,120	15,258	22,478	3,293	25,771
iii) अन्य**	—	6	6	—	4	4	—	8	8	—	5	5



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	16,004	93,295	109,299	20,797	81,085	101,882	11,584	109,582	121,166	35,182	110,314	145,496
i) सड़क और पुल	16,004	57,454	73,458	20,797	45,353	66,150	11,584	73,828	85,412	35,182	74,576	109,758
ii) अन्य @@	—	35,841	35,841	—	35,732	35,732	—	35,753	35,753	—	35,738	35,738
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,460	105	4,565	4,817	105	4,922	4,120	110	4,230	3,024	111	3,135
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	5,373	19,418	24,791	13,115	17,656	30,771	13,604	18,636	32,240	15,421	19,785	35,206
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	980	2,783	3,762	1,649	2,767	4,416	1,624	2,959	4,583	2,141	2,994	5,136
ii) पर्यटन	3,438	21	3,459	10,448	22	10,470	10,983	199	11,182	10,448	18	10,466
iii) नागरिक आपूर्ति	332	14,575	14,907	577	13,196	13,774	578	13,745	14,324	712	15,060	15,772
iv) अन्य +	624	2,039	2,663	440	1,671	2,111	419	1,733	2,152	2,119	1,713	3,833
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	7,972	1,120,838	1,128,809	18,691	1,191,772	1,210,463	20,174	1,168,897	1,189,071	21,984	1,348,207	1,370,191
अ. राज्य सरकार के विभाग	35	18,033	18,068	1,087	18,821	19,908	735	21,166	21,901	808	25,933	26,741
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	444	18,302	18,746	394	19,101	19,495	470	19,904	20,374	825	19,045	19,870
i) कर और शुल्क वसूली	444	18,109	18,553	394	18,868	19,262	470	19,686	20,157	825	18,819	19,644
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	193	193	—	233	233	—	217	217	—	226	226
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	803	738,520	739,323	—	795,474	795,474	4,337	774,442	778,779	—	862,546	862,546
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	125,000	125,000	—	80,000	80,000	—	80,000	80,000	—	88,000	88,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	803	613,520	614,323	—	715,474	715,474	4,337	694,442	698,779	—	774,546	774,546
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	94,018	94,018	—	129,801	129,801	—	91,306	91,306	—	95,960	95,960
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	451,537	451,537	—	516,433	516,433	—	533,169	533,169	—	605,338	605,338
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	119,440	119,440	—	120,609	120,609	—	118,329	118,329	—	122,695	122,695
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	317,984	317,984	—	381,906	381,906	—	396,590	396,590	—	462,045	462,045
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	31,094	31,094	—	31,721	31,721	—	34,071	34,071	—	36,954	36,954
iv) अन्य	803	36,871	37,674	—	37,519	37,519	4,337	35,896	40,233	—	36,294	36,294
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	6,689	120,617	127,306	17,210	122,286	139,496	14,632	128,333	142,965	20,352	134,072	154,424
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	3,505	4,188	7,693	5,722	3,974	9,696	4,656	4,782	9,438	6,705	4,659	11,363
ii) जिला प्रशासन	461	8,275	8,736	783	7,285	8,068	775	7,775	8,550	954	8,610	9,564
iii) पुलिस	834	84,248	85,083	4,703	78,775	83,477	2,297	83,539	85,836	9,946	88,329	98,275
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	248	8,894	9,143	1	16,755	16,756	1	16,459	16,460	151	15,959	16,110
v) अन्य ++	1,640	15,012	16,652	6,001	15,498	21,499	6,903	15,778	22,681	2,596	16,515	19,111
उ. पेन्शन	—	210,117	210,117	—	190,965	190,965	—	209,644	209,644	—	231,440	231,440
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	15,248	15,248	—	45,124	45,124	—	15,407	15,407	—	75,171	75,171
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	10,805	10,805	—	9,904	9,904	—	15,415	15,415	—	10,036	10,036
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	10,805	10,805	—	9,904	9,904	—	15,415	15,415	—	10,036	10,036

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	201,480	1,062,509	1,263,990	223,387	1,183,278	1,406,666	254,960	1,402,165	1,657,125	315,087	1,361,768	1,676,855
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	197,621	583,415	781,037	219,569	664,298	883,866	251,087	893,079	1,144,166	311,101	808,358	1,119,459
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	128,979	270,580	399,560	150,683	299,132	449,815	171,235	302,607	473,842	212,941	342,954	555,895
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33,165	163,812	196,977	40,547	191,758	232,305	47,680	186,921	234,601	73,745	217,453	291,198
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,689	28,853	38,542	17,987	30,340	48,327	12,531	31,186	43,717	11,835	36,826	48,662
3. परिवार कल्याण	6,386	—	6,386	6,345	—	6,345	5,963	—	5,963	6,225	—	6,225
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	596	35,097	35,693	1,200	35,780	36,980	1,200	37,470	38,670	705	39,929	40,634
5. आवास निर्माण	—	1,205	1,205	—	764	764	—	2,006	2,006	—	1,154	1,154
6. शहरी विकास	5,087	6,430	11,518	10,364	6,523	16,887	13,364	6,632	19,996	20,313	6,643	26,956
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	6,360	2,310	8,670	6,324	2,409	8,733	10,289	3,087	13,375	13,320	3,629	16,949
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,452	7,557	10,009	3,219	9,377	12,596	3,069	8,227	11,296	2,327	8,994	11,320
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	60,499	7,492	67,991	57,873	6,997	64,871	68,216	8,721	76,936	68,992	10,321	79,313
10. पौष्टिक आहार	4,230	45	4,275	6,310	46	6,357	8,410	50	8,460	14,530	49	14,579
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	15,443	15,443	—	13,093	13,093	—	16,130	16,130	—	15,750	15,750
12. अन्य*	516	2,337	2,853	514	2,042	2,556	514	2,177	2,691	950	2,205	3,155
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	68,642	312,835	381,477	68,885	365,166	434,051	79,852	590,472	670,324	98,160	465,404	563,565
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	17,324	36,361	53,685	21,690	38,940	60,630	22,202	40,004	62,206	29,425	46,940	76,365
i) फसल कार्य	3,116	6,801	9,918	4,362	7,214	11,576	5,454	7,263	12,718	11,326	7,694	19,021
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	615	1,590	2,205	710	1,662	2,372	710	1,722	2,432	550	1,806	2,356
iii) पशु पालन	1,652	11,635	13,286	3,240	12,741	15,981	2,440	12,405	14,845	2,945	13,430	16,375
iv) डेरी विकास	170	81	252	263	117	380	209	92	301	265	97	362
v) मत्स्य पालन	877	396	1,274	1,041	409	1,450	759	435	1,193	862	799	1,660
vi) वानिकी और वन्यजीवन	9,145	4,142	13,286	9,935	4,375	14,310	9,895	4,534	14,429	10,299	4,758	15,057
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	508	508	—	542	542	—	1,211	1,211	—	499	499
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	805	9,105	9,911	818	9,573	10,390	812	10,091	10,904	2,014	10,494	12,508
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	943	2,014	2,957	1,321	2,214	3,535	1,923	2,155	4,078	1,164	7,261	8,425
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	88	88	—	94	94	—	97	97	—	102	102
2. ग्रामीण विकास	17,184	10,928	28,111	17,568	10,637	28,205	17,570	15,067	32,637	21,334	19,311	40,645
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	15,480	34,204	49,684	18,900	49,803	68,703	18,940	55,095	74,035	23,380	57,986	81,366
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	6,293	33,838	40,131	11,100	48,724	59,824	11,140	54,001	65,141	11,300	56,837	68,137
ii) लघु सिंचाई	—	366	366	—	1,079	1,079	—	1,094	1,094	—	1,149	1,149
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	2,273	139,524	141,798	1,700	165,593	167,293	2,320	375,866	378,186	432	230,757	231,189
जिसमें से : बिजली	1,874	139,509	141,383	1,300	165,575	166,875	1,920	375,849	377,769	—	230,340	230,340
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	10,528	1,385	11,912	5,342	1,629	6,971	15,701	1,690	17,391	5,357	2,536	7,893
i) ग्राम और लघु उद्योग	8,277	171	8,448	3,376	183	3,558	13,411	181	13,592	3,413	324	3,736
ii) उद्योग@	2,250	1,214	3,464	1,967	1,446	3,413	2,290	1,509	3,799	1,945	2,212	4,157
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,724	88,813	91,537	205	96,782	96,987	205	100,924	101,129	7,200	105,864	113,064
i) सड़क और पुल	2,619	21,838	24,457	—	27,327	27,327	—	30,339	30,339	7,000	31,679	38,679
ii) अन्य @@	105	66,975	67,080	205	69,455	69,660	205	70,585	70,790	200	74,186	74,386
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	842	46	889	780	56	836	797	56	853	676	158	834
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,287	1,574	3,861	2,700	1,727	4,427	2,117	1,770	3,887	10,357	1,852	12,209
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,088	666	2,755	2,465	753	3,218	2,026	765	2,791	10,341	775	11,115
ii) पर्यटन	—	185	185	—	181	181	—	176	176	—	184	184
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	199	723	922	235	793	1,028	91	829	919	17	893	909
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	3,859	454,108	457,967	3,819	491,498	495,316	3,873	481,494	485,368	3,986	520,201	524,187
अ. राज्य सरकार के विभाग	89	12,693	12,782	201	11,871	12,072	201	13,507	13,708	100	13,862	13,962
आ. राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	23	11,322	11,345	54	13,026	13,080	37	13,763	13,800	75	13,926	14,001
i) कर और शुल्क वसूली	23	11,029	11,052	54	12,565	12,619	37	13,293	13,330	75	13,432	13,507
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	293	293	—	461	461	—	471	471	—	494	494
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	214,173	214,173	—	245,118	245,118	—	232,935	232,935	—	255,517	255,517
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	4,190	4,190	—	5,100	5,100	—	5,100	5,100	—	5,402	5,402
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	209,983	209,983	—	240,018	240,018	—	227,835	227,835	—	250,115	250,115
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	19,980	19,980	—	24,557	24,557	—	17,389	17,389	—	17,142	17,142
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	146,489	146,489	—	167,508	167,508	—	163,180	163,180	—	181,734	181,734
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	41,065	41,065	—	45,609	45,609	—	42,458	42,458	—	46,041	46,041
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	79,824	79,824	—	89,043	89,043	—	94,932	94,932	—	102,961	102,961
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	41,230	41,230	—	45,563	45,563	—	44,873	44,873	—	48,397	48,397
iv) अन्य	—	2,285	2,285	—	2,389	2,389	—	2,392	2,392	—	2,841	2,841
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	3,747	91,115	94,862	3,564	105,552	109,116	3,635	109,118	112,753	3,811	113,832	117,643
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	5,940	5,940	—	3,694	3,694	—	4,203	4,203	—	4,041	4,041
ii) जिला प्रशासन	—	5,072	5,072	—	5,413	5,413	—	5,575	5,575	—	5,662	5,662
iii) पुलिस	—	64,512	64,512	—	72,227	72,227	—	72,045	72,045	—	76,686	76,686
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,705	6,018	9,723	3,504	13,913	17,417	3,575	15,977	19,552	3,745	16,372	20,117
v) अन्य ++	42	9,573	9,615	60	10,306	10,366	60	11,318	11,378	66	11,070	11,136
उ. पेन्शन	—	103,313	103,313	—	115,117	115,117	—	111,335	111,335	—	122,469	122,469
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	21,493	21,493	—	814	814	—	836	836	—	595	595
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	19,423	19,423	—	23	23	—	46	46	—	16	16
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	24,986	24,986	—	27,483	27,483	—	27,591	27,591	—	33,209	33,209
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	24,986	24,986	—	27,483	27,483	—	27,591	27,591	—	33,209	33,209

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	118,339	528,276	646,615	115,371	562,162	677,533	116,093	583,908	700,001	118,840	636,720	755,560
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	116,401	247,788	364,189	113,673	256,953	370,626	113,588	274,424	388,012	116,861	305,710	422,571
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	66,563	164,288	230,851	69,461	155,388	224,850	68,706	166,115	234,821	69,034	195,518	264,552
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,546	99,718	117,264	20,408	105,342	125,750	20,285	106,335	126,620	19,811	129,142	148,953
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,814	14,956	30,770	15,903	15,370	31,274	16,252	15,875	32,127	18,561	16,953	35,514
3. परिवार कल्याण	3,456	259	3,715	3,562	253	3,816	3,561	255	3,816	3,480	280	3,760
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,707	21,718	35,425	8,170	15,513	23,683	8,168	24,153	32,321	4,137	28,634	32,771
5. आवास निर्माण	1,374	395	1,769	1,565	315	1,880	1,515	328	1,843	1,847	346	2,193
6. शहरी विकास	2,946	286	3,232	998	2,621	3,619	1,008	2,646	3,654	1,607	3,357	4,964
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,421	562	1,983	3,162	532	3,693	3,188	549	3,737	3,277	594	3,871
8. श्रम और श्रम कल्याण	106	1,425	1,531	154	1,486	1,640	167	1,556	1,723	345	1,680	2,025
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,720	2,534	11,254	13,238	2,472	15,709	13,146	2,864	16,010	13,457	2,638	16,095
10. पौष्टिक आहार	1,158	—	1,158	868	—	868	868	—	868	943	—	943
11. प्राकृतिक आपदा राहत	5	21,366	21,371	—	10,360	10,360	—	10,360	10,360	—	10,665	10,665
12. अन्य*	310	1,069	1,379	1,434	1,124	2,558	548	1,194	1,742	1,569	1,229	2,798
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	49,838	83,500	133,338	44,212	101,564	145,776	44,882	108,309	153,191	47,827	110,192	158,019
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	21,004	25,987	46,991	23,311	24,862	48,172	23,370	25,033	48,403	22,934	24,073	47,007
i) फसल कार्य	4,043	7,436	11,479	3,256	5,848	9,105	3,162	5,983	9,145	3,703	6,402	10,105
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,641	1,160	2,801	1,616	1,248	2,864	1,628	1,258	2,886	1,616	1,347	2,963
iii) पशु पालन	1,483	5,550	7,033	1,155	5,822	6,977	1,067	5,843	6,910	1,537	6,343	7,880
iv) डेरी विकास	403	220	623	83	221	304	83	221	304	85	243	328
v) मत्स्य पालन	167	373	540	152	382	534	149	385	534	133	423	556
vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,697	8,934	16,631	12,288	9,014	21,301	12,370	9,014	21,384	10,339	7,468	17,807
vii) बागान	4	45	49	6	45	51	6	45	51	7	50	57
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	27	541	568	35	514	549	39	518	557	25	518	543
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,443	597	6,040	4,625	597	5,222	4,625	596	5,221	5,385	—	5,385
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	96	1,131	1,227	95	1,170	1,266	241	1,170	1,411	104	1,279	1,383
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	3,066	7,609	10,675	3,685	9,131	12,816	4,594	9,251	13,845	7,088	9,727	16,815
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,300	7,670	8,970	1,212	11,088	12,300	1,197	11,612	12,809	253	12,881	13,134
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	215	300	515	340	240	580	340	240	580	—	263	263
ii) लघु सिंचाई	1,045	7,369	8,414	823	10,826	11,649	808	11,350	12,158	200	12,596	12,796
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	29	—	29	25	22	47	25	22	47	30	22	52
5. ऊर्जा	9,736	2,616	12,352	5,570	9,310	14,881	5,307	14,743	20,050	6,157	13,227	19,384
जिसमें से : बिजली	9,599	2,469	12,068	5,301	9,187	14,488	5,116	14,614	19,730	5,850	13,091	18,941
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,324	1,377	3,701	1,919	1,384	3,303	1,899	1,430	3,329	2,550	1,494	4,044
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,259	903	3,162	1,818	905	2,723	1,798	949	2,747	2,479	973	3,452
ii) उद्योग@	65	475	540	101	480	580	101	481	582	71	521	592
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	4,633	36,596	41,229	708	43,967	44,675	708	44,416	45,124	1,268	46,710	47,978
i) सड़क और पुल	4,537	31,388	35,925	577	38,856	39,433	577	39,290	39,867	1,237	41,840	43,077
ii) अन्य @@	96	5,208	5,304	131	5,111	5,242	131	5,126	5,257	31	4,870	4,901
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	200	35	235	160	36	196	160	36	196	144	39	183
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	7,575	1,610	9,185	7,647	1,787	9,434	7,647	1,788	9,435	7,433	2,041	9,474
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	7,155	529	7,684	7,125	582	7,707	7,124	582	7,706	7,023	612	7,635
ii) पर्यटन	344	47	391	518	53	571	518	53	571	405	175	580
iii) नागरिक आपूर्ति	—	589	589	—	632	632	—	634	634	—	683	683
iv) अन्य +	76	445	521	5	520	524	5	519	524	5	571	576
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,938	279,869	281,807	1,698	304,922	306,620	2,505	309,197	311,702	1,979	330,694	332,673
अ. राज्य सरकार के विभाग	120	6,615	6,735	194	5,611	5,805	194	6,566	6,760	213	6,608	6,821
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	335	8,068	8,403	133	8,077	8,210	150	8,187	8,337	147	8,819	8,966
i) कर और शुल्क वसूली	335	7,910	8,245	133	7,989	8,122	150	8,081	8,231	147	8,726	8,873
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	158	158	—	88	88	—	106	106	—	93	93
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	156,272	156,272	—	175,356	175,356	—	166,430	166,430	—	177,248	177,248
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	156,272	156,272	—	175,356	175,356	—	166,430	166,430	—	177,248	177,248
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	7,490	7,490	—	10,597	10,597	—	8,612	8,612	—	8,192	8,192
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	124,816	124,816	—	137,459	137,459	—	130,408	130,408	—	139,046	139,046
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	35,334	35,334	—	36,911	36,911	—	33,223	33,223	—	39,603	39,603
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	22,493	22,493	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	23,966	23,966	—	27,300	27,300	—	27,410	27,410	—	30,010	30,010
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,483	41,249	42,732	1,371	45,281	46,652	2,161	47,242	49,403	1,619	49,236	50,855
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	2,698	2,698	—	2,504	2,504	—	2,630	2,630	—	2,796	2,796
ii) जिला प्रशासन	1,333	4,435	5,768	1,225	4,559	5,784	2,015	4,581	6,596	1,464	4,990	6,454
iii) पुलिस	—	19,504	19,504	—	19,082	19,082	—	20,161	20,161	—	20,877	20,877
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	70	7,079	7,149	32	11,764	11,797	32	12,005	12,037	20	12,664	12,684
v) अन्य ++	80	7,533	7,613	114	7,370	7,484	114	7,865	7,979	135	7,909	8,044
उ. पेन्शन	—	66,976	66,976	—	69,825	69,825	—	80,000	80,000	—	88,000	88,000
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	689	689	—	772	772	—	772	772	—	783	783
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	619	619	—	287	287	—	287	287	—	316	316
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	619	619	—	287	287	—	287	287	—	316	316

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	114,530	857,871	972,400	87,624	875,376	962,999	79,389	927,295	1,006,684	53,711	1,007,874	1,061,586
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	110,352	486,945	597,297	87,064	470,200	557,263	78,781	514,391	593,172	53,259	558,266	611,525
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	59,535	234,452	293,987	55,064	200,157	255,221	52,756	238,149	290,905	40,863	235,369	276,232
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,978	84,927	110,904	17,271	102,353	119,624	16,822	103,637	120,459	18,974	110,134	129,108
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,264	37,281	50,545	13,357	41,687	55,044	11,400	42,468	53,868	864	55,571	56,435
3. परिवार कल्याण	2,645	—	2,645	2,800	—	2,800	2,800	—	2,800	2,800	—	2,800
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,522	22,819	30,341	8,031	22,454	30,485	8,253	27,037	35,290	—	36,904	36,904
5. आवास निर्माण	—	2,876	2,876	—	2,889	2,889	—	3,046	3,046	3,060	—	3,060
6. शहरी विकास	1,655	13,155	14,810	3,822	12,562	16,384	3,828	13,559	17,387	4,109	13,614	17,723
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,667	357	2,025	1,733	388	2,121	1,796	432	2,228	1,982	455	2,436
8. श्रम और श्रम कल्याण	771	616	1,387	268	1,093	1,361	270	669	938	440	762	1,201
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,972	5,626	10,598	6,401	5,399	11,800	6,205	7,543	13,748	7,115	6,090	13,205
10. पौष्टिक आहार	901	61	962	1,217	62	1,279	1,217	57	1,273	1,340	65	1,405
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	64,618	64,618	—	8,922	8,922	—	37,355	37,355	—	9,187	9,187
12. अन्य*	160	2,115	2,275	166	2,347	2,513	166	2,346	2,512	180	2,587	2,767
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	50,816	252,493	303,309	31,999	270,043	302,042	26,025	276,242	302,267	12,396	322,898	335,293
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	20,952	34,051	55,002	13,664	43,112	56,776	14,373	45,206	59,579	484	60,700	61,184
i) फसल कार्य	6,438	4,810	11,248	6,809	5,110	11,919	6,881	4,831	11,712	25	11,824	11,849
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,127	946	2,073	262	1,703	1,965	263	1,926	2,189	—	2,434	2,434
iii) पशु पालन	2,611	10,967	13,578	2,617	10,873	13,490	2,776	11,869	14,645	145	14,551	14,696
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	384	1,560	1,944	50	1,878	1,928	10	1,927	1,937	10	2,053	2,063
vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,110	12,077	19,187	242	19,457	19,699	242	20,557	20,799	242	21,637	21,879
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	54	—	54	56	—	56	56	—	56	62	—	62
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,068	2,008	5,076	3,460	2,239	5,699	3,620	2,287	5,907	—	5,695	5,695
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहाकरिता	160	1,237	1,397	166	1,389	1,555	171	1,332	1,503	—	1,671	1,671
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	446	446	—	464	464	355	476	831	—	834	834
2. ग्रामीण विकास	5,173	5,840	11,013	5,106	6,175	11,281	5,541	6,296	11,837	5,366	8,131	13,496
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	988	988	—	1,107	1,107	—	929	929	—	1,268	1,268
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,367	13,043	19,410	506	19,225	19,730	539	20,414	20,953	10	24,079	24,089
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,529	1,859	3,388	—	2,936	2,936	—	3,751	3,751	—	4,745	4,745
ii) लघु सिंचाई	2,854	8,789	11,642	—	12,194	12,194	—	12,638	12,638	—	14,220	14,220
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	1,515	1,898	3,414	—	3,615	3,615	—	3,517	3,517	—	4,074	4,074
5. ऊर्जा	11,827	182,716	194,543	2,648	182,405	185,053	—	185,453	185,453	—	205,402	205,402
जिसमें से : बिजली	11,827	182,716	194,543	2,648	182,405	185,053	—	185,453	185,453	—	205,402	205,402
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,986	7,566	11,552	4,152	7,962	12,114	4,257	7,778	12,035	134	12,703	12,837
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,670	6,587	10,257	3,800	6,851	10,652	3,912	6,860	10,772	134	11,077	11,211
ii) उद्योग@	—	—	—	—	—	—	345	918	1,263	—	1,626	1,626
iii) अन्य**	316	979	1,295	352	1,110	1,462	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3	3,584	3,588	4	3,884	3,888	4	3,687	3,691	—	3,697	3,697
i) सड़क और पुल	—	3,584	3,584	—	3,694	3,694	—	3,687	3,687	—	3,697	3,697
ii) अन्य @@	3	—	3	4	190	194	4	—	4	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	684	69	753	—	721	721	—	838	838	—	968	968
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,824	4,636	6,460	5,920	5,453	11,373	1,311	5,640	6,951	6,402	5,950	12,352
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	707	1,575	2,282	5,735	1,543	7,278	947	1,600	2,547	1,809	1,841	3,650
ii) पर्यटन	965	2,066	3,031	26	2,951	2,977	190	3,041	3,231	452	2,986	3,438
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	152	995	1,148	158	960	1,118	175	999	1,174	4,141	1,123	5,265
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	4,178	370,926	375,104	560	405,176	405,736	608	412,903	413,511	452	449,608	450,060
अ. राज्य सरकार के विभाग	100	8,527	8,627	100	8,675	8,775	100	7,922	8,022	100	10,973	11,073
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	—	6,448	6,448	—	6,761	6,761	—	6,779	6,779	—	8,123	8,123
i) कर और शुल्क वसूली	—	6,442	6,442	—	6,754	6,754	—	6,737	6,737	—	7,769	7,769
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	7	7	—	7	7	—	42	42	—	354	354
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	130,020	130,020	—	135,300	135,300	—	120,209	120,209	—	125,225	125,225
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	20	20	—	100	100	—	100	100	—	100	100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	130,000	130,000	—	135,200	135,200	—	120,109	120,109	—	125,125	125,125
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	130,000	130,000	—	135,200	135,200	—	120,109	120,109	—	125,125	125,125
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	4,078	152,888	156,966	460	178,407	178,866	508	176,989	177,498	352	207,083	207,435
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	218	2,170	2,388	227	2,382	2,609	263	2,160	2,423	250	2,787	3,037
ii) जिला प्रशासन	—	2,943	2,943	—	3,206	3,206	—	3,165	3,165	—	3,594	3,594
iii) पुलिस	—	117,759	117,759	—	123,696	123,696	—	137,030	137,030	—	144,053	144,053
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,637	11,455	15,092	—	15,461	15,461	—	15,915	15,915	—	16,352	16,352
v) अन्य ++	223	18,561	18,784	233	33,661	33,894	245	18,720	18,966	102	40,296	40,399
उ. पेन्शन	—	73,038	73,038	—	76,006	76,006	—	101,000	101,000	—	98,200	98,200
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	4	4	—	28	28	—	4	4	—	4	4
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	1	1	—	25	25	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	334,215	641,379	975,594	409,435	676,284	1,085,719	418,181	705,252	1,123,433	402,892	809,003	1,211,894
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	288,395	355,141	643,536	358,321	377,442	735,763	367,868	403,776	771,644	389,103	380,097	769,200
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	128,950	249,765	378,715	170,520	298,936	469,456	174,587	289,346	463,934	190,041	273,046	463,088
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	48,678	143,228	191,906	56,594	154,137	210,731	57,645	154,145	211,790	88,424	144,338	232,762
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,799	59,018	67,817	12,589	55,773	68,362	12,732	55,988	68,720	5,639	44,131	49,770
3. परिवार कल्याण	16,847	2,013	18,860	13,482	1,512	14,994	13,481	1,512	14,994	17,405	1,246	18,650
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,175	11,736	13,911	2,013	12,800	14,813	2,013	12,828	14,841	2,300	12,563	14,863
5. आवास निर्माण	2,025	208	2,233	178	9,308	9,486	178	10,308	10,486	180	10,581	10,761
6. शहरी विकास	600	865	1,465	19,233	758	19,991	19,233	1,963	21,197	1,000	847	1,847
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	16,307	12,737	29,044	18,047	16,830	34,877	18,047	16,870	34,917	17,245	17,803	35,048
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,852	2,183	4,035	3,126	2,624	5,750	3,126	2,624	5,750	3,290	2,654	5,944
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,705	7,391	23,096	27,181	7,082	34,263	27,055	7,672	34,726	37,027	7,093	44,120
10. पौष्टिक आहार	15,712	—	15,712	17,778	—	17,778	20,778	—	20,778	17,172	—	17,172
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	8,000	8,000	—	35,743	35,743	—	22,772	22,772	—	28,839	28,839
12. अन्य*	250	2,386	2,636	299	2,369	2,668	300	2,664	2,964	360	2,952	3,312
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	159,445	105,376	264,821	187,801	78,506	266,307	193,281	114,429	307,710	199,061	107,051	306,112
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	27,684	24,177	51,861	44,672	20,146	64,818	46,975	20,453	67,427	60,563	20,414	80,977
i) फसल कार्य	8,312	2,766	11,078	8,450	2,823	11,273	8,450	2,823	11,273	21,170	2,672	23,842
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	713	833	1,546	2,145	962	3,107	2,145	962	3,107	1,300	881	2,181
iii) पशु पालन	962	3,806	4,768	2,367	4,203	6,570	2,367	4,203	6,570	2,992	4,389	7,381
iv) डेरी विकास	1,327	474	1,801	5,139	482	5,621	5,139	482	5,621	5,126	456	5,582
v) मत्स्य पालन	639	373	1,012	1,061	427	1,488	1,051	437	1,488	1,444	380	1,825
vi) वानिकी और वन्यजीवन	11,937	7,196	19,133	13,290	7,427	20,717	13,820	7,627	21,447	12,075	7,417	19,492
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,315	2,103	3,418	2,180	2,113	4,293	2,180	2,113	4,293	2,870	2,300	5,170
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	2,460	6,558	9,018	10,000	1,641	11,641	11,783	1,738	13,521	13,351	1,849	15,200
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	19	68	87	40	68	108	40	68	108	235	70	305
2. ग्रामीण विकास	82,881	19,906	102,787	85,166	26,134	111,300	90,525	26,004	116,529	53,334	23,615	76,949
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,044	4,049	13,093	540	13,173	13,713	540	17,873	18,413	440	14,746	15,186
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	10,257	10,257	—	10,607	10,607	—	14,136	14,136	—	11,189	11,189
ii) लघु सिंचाई	200	2,362	2,562	140	2,566	2,706	140	3,737	3,877	40	3,556	3,596
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	12,391	40,458	52,849	13,238	1,120	14,358	13,238	29,670	42,908	39,500	29,815	69,315
जिसमें से : बिजली	9,909	40,458	50,367	10,438	1,120	11,558	10,438	29,670	40,108	35,500	29,815	65,315
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	11,139	2,123	13,262	15,944	2,357	18,301	16,093	2,507	18,600	15,858	2,650	18,508
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,321	950	2,271	4,272	1,151	5,423	4,271	1,191	5,462	6,299	1,221	7,520
ii) उद्योग@	9,818	1,173	10,991	11,672	1,206	12,878	11,822	1,316	13,138	9,559	1,429	10,988
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	9,111	11,917	21,028	21,218	12,327	33,545	18,875	14,650	33,525	22,283	12,680	34,963
i) सड़क और पुल	350	11,896	12,246	390	12,303	12,693	390	12,283	12,673	449	11,169	11,618
ii) अन्य @@	8,761	21	8,782	20,828	24	20,852	18,485	2,367	20,852	21,834	1,512	23,346
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	7,195	2,746	9,941	7,023	3,249	10,272	7,035	3,272	10,308	7,083	3,131	10,214
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	—	1,234	1,234	—	1,403	1,403	—	1,425	1,425	—	1,479	1,479
ii) पर्यटन	300	162	462	400	166	566	400	166	566	596	125	721
iii) नागरिक आपूर्ति	6,528	701	7,229	6,125	926	7,051	6,125	926	7,051	6,300	756	7,056
iv) अन्य +	367	649	1,016	498	754	1,252	510	755	1,265	187	770	957
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	45,820	286,176	331,996	51,114	298,576	349,690	50,313	301,210	351,523	13,789	428,889	442,679
अ. राज्य सरकार के विभाग	—	10,023	10,023	800	9,664	10,464	—	10,867	10,867	—	12,547	12,547
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	2,270	9,332	11,602	4,826	9,949	14,775	4,825	9,992	14,817	1,888	13,359	15,247
i) कर और शुल्क वसूली	2,270	9,004	11,274	4,826	9,616	14,442	4,825	9,658	14,483	1,888	13,211	15,098
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	328	328	—	333	333	—	333	333	—	149	149
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	71,953	71,953	—	77,741	77,741	—	77,743	77,743	—	180,193	180,193
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	71,953	71,953	—	77,741	77,741	—	77,743	77,743	—	180,193	180,193
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	32,191	32,191	—	32,089	32,089	—	32,089	32,089	—	32,407	32,407
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	18,898	18,898	—	21,770	21,770	—	21,770	21,770	—	123,621	123,621
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	16,500	16,500	—	18,000	18,000	—	18,000	18,000	—	36,520	36,520
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	600	600	—	720	720	—	720	720	—	78,245	78,245
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	20,727	20,727	—	23,812	23,812	—	23,812	23,812	—	24,000	24,000
iv) अन्य	—	137	137	—	70	70	—	73	73	—	165	165
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	43,550	117,404	160,954	45,488	122,108	167,596	45,488	123,494	168,982	11,902	152,038	163,940
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	150	2,979	3,129	200	2,973	3,173	200	3,258	3,458	120	55,723	55,843
ii) जिला प्रशासन	28,680	4,243	32,923	35,528	4,631	40,159	35,528	4,771	40,299	1,685	5,029	6,714
iii) पुलिस	13,475	85,840	99,315	8,250	90,806	99,056	8,250	91,367	99,617	9,067	72,457	81,524
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	45	10,013	10,058	62	11,643	11,705	62	11,848	11,910	53	8,136	8,189
v) अन्य ++	1,200	14,329	15,529	1,448	12,055	13,503	1,448	12,250	13,698	977	10,693	11,670
उ. पेन्शन	—	77,464	77,464	—	79,114	79,114	—	79,114	79,114	—	70,752	70,752
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	62	62	—	266	266	—	266	266	—	16	16
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	62	62	—	266	266	—	266	266	—	16	16

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	506,866	2,297,224	2,804,090	785,956	2,648,099	3,434,055	843,686	2,672,740	3,516,426	998,159	2,915,385	3,913,544
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	505,664	1,178,947	1,684,611	773,244	1,209,044	1,982,288	829,661	1,309,872	2,139,533	987,987	1,557,902	2,545,889
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	311,081	578,798	889,879	512,974	611,492	1,124,466	523,431	680,293	1,203,724	625,016	853,293	1,478,309
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	105,366	378,374	483,740	128,480	421,178	549,658	140,413	450,451	590,864	150,795	544,229	695,024
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	26,315	74,091	100,406	29,503	85,866	115,369	32,283	88,986	121,269	34,441	109,037	143,478
3. परिवार कल्याण	12,627	817	13,444	18,577	785	19,362	20,250	821	21,071	20,691	995	21,686
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,886	920	14,806	16,649	892	17,541	22,351	912	23,263	22,069	1,082	23,151
5. आवास निर्माण	25,265	2,002	27,267	19,407	4,545	23,952	19,874	4,545	24,419	28,063	5,001	33,064
6. शहरी विकास	43,253	5,851	49,104	146,980	2,323	149,303	130,191	2,480	132,671	201,183	8,156	209,339
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	41,422	26,132	67,554	64,292	28,109	92,401	68,180	30,077	98,257	85,509	39,410	124,919
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,293	4,377	6,670	4,190	5,194	9,384	4,715	5,423	10,138	7,538	6,411	13,949
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	21,456	25,743	47,199	70,854	29,965	100,819	71,113	30,211	101,324	60,488	104,902	165,390
10. पौष्टिक आहार	8,565	6,978	15,543	11,197	13,039	24,236	11,197	13,039	24,236	11,228	13,691	24,919
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	47,488	47,488	—	12,939	12,939	—	45,244	45,244	—	12,641	12,641
12. अन्य*	10,633	6,025	16,658	2,845	6,657	9,502	2,864	8,104	10,968	3,011	7,738	10,749
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	194,583	600,149	794,732	260,270	597,552	857,822	306,230	629,579	935,809	362,971	704,609	1,067,580
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	65,785	220,880	286,665	107,204	176,269	283,473	114,322	171,187	285,509	156,689	216,635	373,324
i) फसल कार्य	20,648	14,561	35,209	34,963	34,973	69,936	46,893	24,747	71,640	59,277	36,987	96,264
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	15,330	2,265	17,595	21,733	2,699	24,432	14,826	2,868	17,694	22,693	5,103	27,796
iii) पशु पालन	4,907	13,391	18,298	9,174	13,402	22,576	10,307	13,989	24,296	12,082	16,341	28,423
iv) डेरी विकास	980	—	980	4,990	1,100	6,090	4,990	1,100	6,090	7,950	—	7,950
v) मत्स्य पालन	1,610	1,066	2,676	2,974	1,091	4,065	2,975	1,212	4,187	5,079	1,347	6,426
vi) वानिकी और वन्यजीवन	8,302	17,634	25,936	16,695	17,398	34,093	17,654	19,513	37,167	19,479	22,759	42,238
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	75,156	75,156	—	73,874	73,874	—	73,955	73,955	500	62,286	62,786
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4,400	7,251	11,651	6,200	7,541	13,741	6,200	7,541	13,741	8,000	7,843	15,843
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	9,608	89,556	99,164	10,475	24,191	34,666	10,477	26,262	36,739	21,629	63,969	85,598
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	63,050	14,550	77,600	66,096	31,382	97,478	66,161	31,945	98,106	80,039	34,138	114,177
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,900	14,245	17,145	7,653	15,000	22,653	7,654	30,000	37,654	7,141	30,000	37,141
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,461	15,121	21,582	7,583	14,429	22,012	10,616	17,241	27,857	9,514	16,882	26,396
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	290	6,542	6,832	390	5,963	6,353	398	6,831	7,229	951	7,329	8,280
ii) लघु सिंचाई	2,004	8,530	10,534	2,153	8,436	10,589	2,266	10,380	12,646	2,784	9,517	12,301
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	49	49	—	30	30	—	30	30	—	36	36
5. ऊर्जा	1,425	182,268	183,693	3,195	241,700	244,895	4,174	241,870	246,044	2,623	215,176	217,799
जिसमें से : बिजली	1,063	182,268	183,331	1,851	241,700	243,551	2,830	241,870	244,700	1,832	215,176	217,008
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	13,511	22,258	35,769	18,778	16,413	35,191	21,482	18,995	40,477	32,033	30,761	62,794
i) ग्राम और लघु उद्योग	11,507	19,517	31,024	17,227	14,220	31,447	19,775	16,754	36,529	29,590	28,192	57,782
ii) उद्योग@	2,004	2,741	4,745	1,151	2,193	3,344	1,307	2,241	3,548	2,023	2,569	4,592
iii) अन्य**	—	—	—	400	—	400	400	—	400	420	—	420



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	31,488	44,122	75,610	15,510	92,670	108,180	45,782	107,432	153,214	58,952	86,461	145,413
i) सड़क और पुल	31,488	33,700	65,188	15,510	76,262	91,772	45,782	76,404	122,186	58,952	67,724	126,676
ii) अन्य @@	—	10,422	10,422	—	16,408	16,408	—	31,028	31,028	—	18,737	18,737
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,577	1	1,578	4,153	1	4,154	4,157	1	4,158	3,631	1	3,632
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	8,386	86,704	95,090	30,098	9,688	39,786	31,882	10,908	42,790	12,349	74,555	86,904
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,038	2,375	5,413	1,378	4,069	5,447	1,628	4,920	6,548	2,081	4,974	7,055
ii) पर्यटन	3,094	149	3,243	5,050	162	5,212	5,052	168	5,220	5,733	239	5,972
iii) नागरिक आपूर्ति	195	343	538	220	369	589	238	497	735	69	697	766
iv) अन्य +	2,059	83,837	85,896	23,450	5,088	28,538	24,964	5,323	30,287	4,466	68,645	73,111
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,202	1,002,381	1,003,583	12,712	1,286,037	1,298,749	14,025	1,209,839	1,223,864	10,172	1,167,044	1,177,216
अ. राज्य सरकार के विभाग	20	24,743	24,763	1,200	29,985	31,185	1,260	32,493	33,753	1,000	33,923	34,923
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	633	38,988	39,621	3,150	39,480	42,630	3,300	42,231	45,531	2,077	46,489	48,566
i) कर और शुल्क वसूली	633	35,047	35,680	3,150	35,247	38,397	3,300	37,982	41,282	2,077	43,174	45,251
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	3,941	3,941	—	4,233	4,233	—	4,249	4,249	—	3,315	3,315
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	—	376,482	376,482	—	436,602	436,602	—	423,209	423,209	—	481,800	481,800
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	376,482	376,482	—	436,602	436,602	—	423,209	423,209	—	481,800	481,800
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	71,516	71,516	—	32,606	32,606	—	74,209	74,209	—	81,404	81,404
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	251,746	251,746	—	288,818	288,818	—	290,951	290,951	—	311,474	311,474
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	101,477	101,477	—	101,231	101,231	—	99,764	99,764	—	95,550	95,550
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	131,178	131,178	—	166,186	166,186	—	171,352	171,352	—	195,625	195,625
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	53,211	53,211	—	64,009	64,009	—	58,038	58,038	—	88,912	88,912
iv) अन्य	—	9	9	—	51,169	51,169	—	11	11	—	10	10
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	549	172,691	173,240	8,362	277,563	285,925	9,465	209,362	218,827	7,095	260,701	267,796
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	56	4,425	4,481	1,462	5,384	6,846	1,562	5,536	7,098	570	6,722	7,292
ii) जिला प्रशासन	—	13,825	13,825	—	15,766	15,766	—	17,318	17,318	—	19,617	19,617
iii) पुलिस	—	102,270	102,270	4,900	114,241	119,141	5,900	119,237	125,137	3,800	133,090	136,890
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	135	28,212	28,347	400	33,522	33,922	400	34,434	34,834	200	38,542	38,742
v) अन्य ++	358	23,959	24,317	1,600	108,650	110,250	1,603	32,837	34,440	2,525	62,730	65,255
उ. पेन्शन	—	223,679	223,679	—	266,554	266,554	—	266,554	266,554	—	341,582	341,582
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	165,798	165,798	—	235,853	235,853	—	235,990	235,990	—	2,549	2,549
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	165,128	165,128	—	233,389	233,389	—	233,389	233,389	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	115,896	115,896	—	153,018	153,018	—	153,029	153,029	—	190,439	190,439
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	115,896	115,896	—	153,018	153,018	—	153,029	153,029	—	190,439	190,439



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	321,551	1,520,819	1,842,370	310,933	2,144,550	2,455,483	318,636	2,169,714	2,488,351	313,692	2,355,998	2,669,690
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	304,180	662,624	966,804	300,307	857,186	1,157,493	303,997	869,589	1,173,587	288,439	943,449	1,231,889
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	113,095	476,542	589,638	161,176	669,200	830,376	165,418	672,170	837,588	181,340	742,789	924,129
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,987	327,699	345,686	21,693	472,453	494,146	21,989	470,203	492,192	17,013	538,031	555,044
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,428	75,280	83,708	9,043	115,798	124,841	9,147	117,344	126,491	7,525	116,954	124,479
3. परिवार कल्याण	10,399	4	10,403	11,180	—	11,180	11,180	—	11,180	15,000	—	15,000
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,995	8,468	22,463	33,288	9,371	42,659	33,288	9,371	42,659	20,565	10,308	30,873
5. आवास निर्माण	6,500	2,622	9,122	4,350	1,435	5,785	4,350	1,531	5,881	2,078	1,348	3,426
6. शहरी विकास	21,439	8,127	29,566	31,846	1,242	33,088	32,095	1,239	33,334	58,839	1,346	60,185
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	17,458	4,948	22,405	24,352	10,956	35,308	27,152	11,951	39,103	28,421	13,839	42,260
8. श्रम और श्रम कल्याण	345	14,651	14,996	1,158	13,733	14,891	989	14,188	15,177	1,955	14,851	16,806
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,660	22,421	38,081	23,801	32,289	56,090	24,587	33,059	57,646	29,658	33,486	63,144
10. पौष्टिक आहार	—	19	19	—	57	57	—	60	60	—	84	84
11. प्राकृतिक आपदा राहत	160	10,048	10,208	—	8,977	8,977	—	10,355	10,355	—	9,427	9,427
12. अन्य*	725	2,256	2,981	465	2,891	3,356	641	2,868	3,509	286	3,116	3,402
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	191,085	186,081	377,166	139,131	187,986	327,117	138,580	197,420	335,999	107,100	200,660	307,760
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	26,000	60,745	86,745	42,692	75,920	118,611	49,675	77,532	127,206	36,624	81,743	118,367
i) फसल कार्य	7,605	11,355	18,960	19,763	17,743	37,505	25,472	17,654	43,126	15,370	28,740	44,110
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,065	1,196	3,261	2,878	1,600	4,478	2,878	1,602	4,480	1,812	1,877	3,689
iii) पशु पालन	4,120	8,426	12,546	3,981	10,984	14,966	3,981	11,022	15,003	3,830	12,504	16,334
iv) डेरी विकास	837	1,155	1,992	1,031	1,618	2,650	1,928	1,622	3,549	933	1,792	2,724
v) मत्स्य पालन	2,277	1,524	3,801	4,251	2,599	6,850	4,600	2,634	7,234	4,812	2,618	7,430
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,419	10,272	13,691	5,580	14,413	19,993	5,616	14,432	20,048	4,228	14,066	18,294
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	747	3,314	4,061	588	11,940	12,528	588	13,356	13,944	379	5,347	5,726
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,937	4,984	7,921	2,620	6,070	8,690	2,618	6,069	8,687	2,110	6,667	8,777
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	386	18,565	18,951	880	7,395	8,275	880	7,583	8,463	585	8,073	8,658
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,607	-46	1,561	1,119	1,557	2,676	1,114	1,558	2,672	2,565	60	2,625
2. ग्रामीण विकास	97,665	36,089	133,754	38,759	9,296	48,055	32,084	9,323	41,407	15,271	10,418	25,689
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,096	—	1,096	1,313	—	1,313	1,313	—	1,313	1,313	—	1,313
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,826	21,041	22,867	3,161	24,889	28,050	3,185	24,186	27,371	6,030	25,369	31,399
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	12	12,024	12,036	26	13,842	13,868	41	13,470	13,511	40	14,693	14,733
ii) लघु सिंचाई	859	7,289	8,148	1,685	9,806	11,491	1,694	9,794	11,488	2,964	10,676	13,640
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	101	1,727	1,828	—	1,241	1,241	—	922	922	1,366	—	1,366
5. ऊर्जा	9,861	100	9,961	4,130	2,325	6,455	5,313	135	5,448	5,793	198	5,991
जिसमें से : बिजली	9,330	10	9,340	4,130	6	4,136	4,123	6	4,129	4,400	55	4,455
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	11,069	4,570	15,639	19,385	5,075	24,460	18,690	6,046	24,736	13,795	5,611	19,406
i) ग्राम और लघु उद्योग	5,691	4,108	9,799	9,476	4,322	13,798	10,645	4,329	14,974	9,646	4,789	14,435
ii) उद्योग@	5,379	462	5,841	9,909	304	10,213	8,045	717	8,762	4,149	822	4,971
iii) अन्य**	—	—	—	—	449	449	—	1,000	1,000	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	24,974	55,795	80,769	10,176	60,951	71,127	10,281	70,528	80,809	10,105	66,452	76,557
i) सड़क और पुल	24,887	53,269	78,156	10,060	57,234	67,294	10,165	66,777	76,942	10,030	62,206	72,236
ii) अन्य @@	87	2,526	2,613	116	3,717	3,833	116	3,751	3,867	75	4,246	4,321
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,415	1,745	6,160	4,335	1,832	6,167	4,270	1,832	6,102	4,423	2,015	6,438
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	14,178	5,996	20,174	15,181	7,697	22,878	13,770	7,838	21,608	13,746	8,854	22,600
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,347	1,598	7,945	8,600	2,081	10,681	7,543	2,088	9,631	5,686	2,455	8,141
ii) पर्यटन	6,643	1,621	8,264	5,221	1,683	6,903	5,215	1,802	7,017	6,983	1,941	8,924
iii) नागरिक आपूर्ति	13	475	488	46	621	667	46	623	669	26	712	738
iv) अन्य +	1,175	2,302	3,477	1,314	3,313	4,627	966	3,325	4,291	1,051	3,746	4,797
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	17,371	858,195	875,566	10,626	1,096,260	1,106,886	14,639	1,109,021	1,123,660	25,253	1,202,336	1,227,589
अ. राज्य सरकार के विभाग	-	21,722	21,722	-	23,876	23,876	-	24,397	24,397	-	23,637	23,637
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	4,523	34,687	39,210	-	48,983	48,983	2,150	50,073	52,223	203	52,152	52,355
i) कर और शुल्क वसूली	4,523	27,278	31,802	-	41,530	41,530	2,150	41,613	43,763	203	44,687	44,890
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	-	7,409	7,409	-	7,453	7,453	-	8,460	8,460	-	7,465	7,465
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	392,984	392,984	-	457,781	457,781	-	459,910	459,910	-	496,658	496,658
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	-	13,059	13,059	-	15,000	15,000	-	16,593	16,593	-	18,828	18,828
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	379,925	379,925	-	442,781	442,781	-	443,317	443,317	-	477,830	477,830
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	-	41,250	41,250	-	46,239	46,239	-	44,248	44,248	-	51,322	51,322
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	221,621	221,621	-	240,972	240,972	-	240,705	240,705	-	269,281	269,281
जिसमें से:												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	-	89,090	89,090	-	97,780	97,780	-	97,684	97,684	-	110,620	110,620
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	72,091	72,091	-	92,928	92,928	-	97,146	97,146	-	111,210	111,210
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	117,054	117,054	-	155,571	155,571	-	156,769	156,769	-	157,128	157,128
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	1,595	1,595	-	100	100
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	2,360	99,968	102,328	2,620	144,762	147,382	1,804	142,526	144,330	14,465	149,080	163,545
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	720	5,473	6,192	1,071	7,046	8,117	691	7,122	7,812	-	7,547	7,547
ii) जिला प्रशासन	-	6,539	6,539	-	9,263	9,263	-	9,251	9,251	6,800	10,604	17,404
iii) पुलिस	980	58,444	59,424	300	87,110	87,410	300	85,483	85,783	140	88,513	88,653
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-	8,987	8,987	-	14,037	14,037	-	12,779	12,779	-	18,959	18,959
v) अन्य ++	661	20,525	21,186	1,249	27,305	28,554	813	27,892	28,705	7,525	23,457	30,982
उ. पेन्शन	-	286,118	286,118	-	405,483	405,483	-	405,633	405,633	-	457,822	457,822
ऊ. विविध सामान्य सेवा	10,488	22,716	33,203	8,006	15,375	23,381	10,685	26,481	37,166	10,585	22,985	33,570
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	-	17,184	17,184	-	14,300	14,300	-	21,351	21,351	-	21,500	21,500
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	-	-	-	191,104	191,104	-	191,104	191,104	-	210,213	210,213
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	-	-	-	-	191,104	191,104	-	191,104	191,104	-	210,213	210,213

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	421,247	1,635,100	2,056,347	516,289	1,734,708	2,250,997	582,488	1,727,160	2,309,648	687,621	1,911,290	2,598,911
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	398,007	787,298	1,185,304	488,737	718,277	1,207,014	554,392	746,205	1,300,597	660,966	791,797	1,452,763
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	226,042	439,792	665,834	276,307	462,666	738,974	310,914	476,241	787,155	379,172	514,110	893,282
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	66,527	224,049	290,576	85,442	268,180	353,622	87,677	270,437	358,114	110,081	299,257	409,338
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,913	69,885	82,798	13,807	79,525	93,332	16,712	79,291	96,003	8,100	90,925	99,025
3. परिवार कल्याण	9,569	108	9,677	11,699	—	11,699	11,699	320	12,019	18,086	402	18,488
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,985	20,660	31,645	8,500	23,059	31,559	9,420	23,259	32,679	13,885	23,708	37,593
5. आवास निर्माण	2,820	4,571	7,391	3,170	6,529	9,699	3,346	7,766	11,112	6,161	6,704	12,865
6. शहरी विकास	15,299	1,253	16,552	20,519	956	21,475	51,386	991	52,378	65,009	1,066	66,075
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	69,243	47,030	116,273	61,442	16,677	78,119	62,286	17,064	79,350	74,149	19,781	93,930
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,133	4,513	5,647	3,177	5,117	8,294	2,989	4,814	7,803	3,463	5,805	9,268
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,011	21,717	45,728	35,036	23,009	58,045	41,361	24,082	65,443	46,336	25,570	71,906
10. पौष्टिक आहार	13,508	255	13,763	33,474	380	33,855	23,980	220	24,200	33,822	210	34,032
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	42,108	42,108	—	35,087	35,087	—	43,171	43,171	—	35,094	35,094
12. अन्य*	35	3,643	3,677	42	4,148	4,189	58	4,826	4,884	80	5,587	5,667
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	171,965	347,506	519,470	212,430	255,611	468,040	243,478	269,964	513,442	281,794	277,687	559,481
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	46,202	82,320	128,522	59,844	103,933	163,777	69,926	110,414	180,340	70,517	104,909	175,426
i) फसल कार्य	16,512	11,966	28,478	27,673	12,980	40,652	23,675	13,089	36,764	29,324	14,195	43,519
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	718	2,199	2,918	1,609	2,417	4,026	1,295	2,337	3,632	1,183	2,540	3,723
iii) पशु पालन	3,579	13,107	16,686	5,055	14,636	19,692	5,387	15,802	21,189	4,667	20,015	24,682
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	759	883	1,642	1,769	1,229	2,997	975	1,230	2,205	1,256	1,659	2,916
vi) वानिकी और वन्यजीवन	21,311	43,187	64,498	19,153	41,505	60,658	27,980	46,617	74,597	25,383	46,704	72,087
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	41	5,400	5,441	721	13,758	14,479	1,321	13,843	15,164	844	12,058	12,901
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,654	3,465	5,119	1,673	3,713	5,385	1,908	3,709	5,617	2,119	3,801	5,920
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,626	2,114	3,741	2,192	13,696	15,887	7,385	13,787	21,172	5,740	3,937	9,677
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	99,665	12,170	111,835	132,368	13,965	146,333	153,853	15,142	168,996	185,512	16,414	201,926
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,061	24,660	32,721	615	27,245	27,860	545	27,839	28,384	535	29,948	30,484
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	7,565	19,419	26,984	—	21,133	21,133	—	21,738	21,738	—	23,558	23,558
ii) लघु सिंचाई	272	5,219	5,492	435	6,084	6,519	360	6,074	6,434	355	6,390	6,745
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	6,602	191,745	198,347	10,194	55,043	65,237	9,194	59,643	68,837	11,983	61,903	73,886
जिसमें से : बिजली	6,602	191,745	198,347	10,194	55,043	65,237	9,194	59,643	68,837	11,983	61,903	73,886
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	6,859	3,822	10,681	7,992	8,767	16,758	8,112	8,904	17,015	9,268	11,919	21,188
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,467	3,113	6,581	6,600	3,420	10,020	6,527	3,496	10,024	6,457	3,666	10,123
ii) उद्योग@	3,390	709	4,099	1,391	5,347	6,739	1,584	5,407	6,991	2,812	8,254	11,066
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	—	29,810	29,810	—	42,950	42,950	—	43,849	43,849	30	48,370	48,400
i) सड़क और पुल	—	29,808	29,808	—	42,918	42,918	—	43,817	43,817	—	48,323	48,323
ii) अन्य @@	—	1	1	—	32	32	—	32	32	30	47	77
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3,842	190	4,032	830	149	979	829	149	978	2,568	168	2,736
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	733	2,789	3,523	587	3,560	4,147	1,018	4,026	5,044	1,380	4,057	5,437
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1	678	679	1	783	784	—	810	810	36	908	944
ii) पर्यटन	382	203	585	536	252	788	856	252	1,108	1,245	256	1,501
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	350	1,909	2,259	50	2,526	2,575	162	2,964	3,126	99	2,892	2,992
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	2,979	756,332	759,312	6,263	920,647	926,910	5,469	877,012	882,481	5,327	1,002,513	1,007,840
अ. राज्य सरकार के विभाग	—	17,704	17,704	—	23,312	23,312	—	25,345	25,345	—	27,045	27,045
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	1,573	87,848	89,421	4,862	101,280	106,141	4,332	104,925	109,256	2,913	108,926	111,839
i) कर और शुल्क वसूली	1,573	85,573	87,146	4,862	99,852	104,714	4,332	103,628	107,960	2,913	108,599	111,512
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	2,275	2,275	—	1,428	1,428	—	1,297	1,297	—	327	327
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	342,179	342,179	—	414,503	414,503	—	391,002	391,002	—	425,333	425,333
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	100	100	—	100	100	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	342,179	342,179	—	414,403	414,403	—	390,902	390,902	—	425,333	425,333
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	69,957	69,957	—	73,134	73,133	—	71,154	71,154	—	73,530	73,530
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	226,677	226,677	—	271,230	271,230	—	258,020	258,020	—	285,062	285,062
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	82,580	82,580	—	94,173	94,173	—	85,745	85,745	—	93,476	93,476
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	94,640	94,640	—	121,868	121,868	—	121,868	121,868	—	140,868	140,868
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	37,144	37,144	—	60,757	60,757	—	51,180	51,180	—	56,326	56,326
iv) अन्य	—	8,401	8,401	—	9,282	9,282	—	10,549	10,549	—	10,415	10,415
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,406	142,220	143,626	1,402	204,127	205,529	1,138	172,070	173,207	2,414	231,233	233,646
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	4,162	4,162	200	4,982	5,182	1	5,298	5,299	875	5,749	6,624
ii) जिला प्रशासन	—	13,366	13,366	—	16,462	16,462	—	17,286	17,286	—	19,264	19,264
iii) पुलिस	1,118	93,183	94,301	1,202	94,756	95,958	1,137	101,909	103,046	1,375	108,871	110,246
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	288	10,971	11,259	—	20,045	20,045	—	22,159	22,159	—	20,379	20,379
v) अन्य ++	—	20,537	20,537	—	67,882	67,882	—	25,418	25,418	163	76,971	77,134
उ. पेन्शन	—	155,715	155,715	—	176,637	176,637	—	172,916	172,916	—	199,905	199,905
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	10,668	10,668	—	788	788	—	10,755	10,755	—	10,071	10,071
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	20,262	91,470	111,731	21,289	95,783	117,072	22,627	103,943	126,570	21,328	116,980	138,308
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	20,262	91,470	111,731	21,289	95,783	117,072	22,627	103,943	126,570	21,328	116,980	138,308

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	530,540	4,697,445	5,227,985	801,445	5,082,559	5,884,003	936,335	5,409,653	6,345,989	1,145,896	5,632,923	6,778,820
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	520,258	2,402,932	2,923,190	770,607	2,266,395	3,037,003	902,533	2,683,957	3,586,490	1,099,865	2,598,290	3,698,155
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	318,760	1,672,959	1,991,719	507,340	1,560,706	2,068,046	619,935	1,801,976	2,421,911	713,981	1,737,788	2,451,768
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	52,375	1,023,808	1,076,183	65,741	1,067,697	1,133,438	87,838	1,165,460	1,253,298	75,703	1,155,758	1,231,461
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	39,369	159,341	198,710	33,450	168,666	202,116	42,267	174,494	216,761	56,176	178,791	234,967
3. परिवार कल्याण	11,651	2,042	13,693	28,897	2,801	31,698	28,992	2,526	31,518	28,924	2,910	31,833
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	58,077	106,016	164,093	69,737	69,280	139,017	79,452	68,593	148,045	101,235	88,243	189,479
5. आवास निर्माण	17,345	25,246	42,590	7,889	21,769	29,659	31,207	25,040	56,247	63,389	18,824	82,213
6. शहरी विकास	5,301	18,167	23,468	154,664	40,826	195,490	144,900	53,326	198,226	166,478	41,002	207,480
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	83,758	81,523	165,280	86,003	85,713	171,716	122,024	85,496	207,520	141,725	87,811	229,535
8. श्रम और श्रम कल्याण	4,115	23,178	27,293	6,767	23,523	30,290	8,755	25,675	34,430	9,331	24,348	33,679
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,600	54,496	66,096	14,643	58,872	73,515	26,519	59,867	86,385	29,311	61,540	90,852
10. पौष्टिक आहार	34,621	21,718	56,339	38,170	1,361	39,531	46,200	1,361	47,561	38,944	3,287	42,230
11. प्राकृतिक आपदा राहत	28	152,469	152,497	50	14,698	14,748	450	134,079	134,529	1,353	69,575	70,928
12. अन्य*	522	4,955	5,477	1,329	5,498	6,828	1,333	6,058	7,390	1,412	5,699	7,110
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	201,498	729,973	931,471	263,268	705,690	968,957	282,597	881,982	1,164,579	385,885	860,502	1,246,387
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	46,825	226,397	273,222	62,183	204,940	267,123	78,237	251,423	329,659	68,860	236,647	305,507
i) फसल कार्य	25,714	35,492	61,207	32,545	29,966	62,511	34,640	32,154	66,794	36,044	33,595	69,639
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,572	866	2,438	1,231	934	2,165	1,206	1,062	2,268	1,645	742	2,387
iii) पशु पालन	3,846	20,504	24,351	9,729	20,892	30,621	10,088	29,657	39,745	8,827	22,594	31,421
iv) डेरी विकास	1,295	68,511	69,806	400	59,729	60,129	4,199	48,666	52,864	700	61,977	62,677
v) मत्स्य पालन	1,436	6,974	8,411	3,106	15,202	18,308	3,076	9,650	12,726	2,072	11,785	13,857
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,298	36,178	38,476	4,629	32,626	37,255	7,187	37,090	44,278	7,313	40,122	47,434
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	7,791	7,791	—	8,212	8,212	—	8,363	8,363	—	8,578	8,578
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,230	23,637	25,867	1,865	24,994	26,859	2,201	25,714	27,915	1,500	27,064	28,564
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	8,434	26,444	34,877	8,678	12,385	21,063	15,640	59,065	74,705	10,759	30,190	40,949
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	54,510	147,281	201,792	59,694	184,800	244,495	79,841	229,143	308,984	160,620	204,631	365,251
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,102	21	2,123	2,106	24	2,130	3,271	24	3,295	2,317	25	2,342
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	18,048	113,789	131,837	52,796	106,854	159,650	23,671	117,773	141,444	64,627	107,548	172,175
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	3,721	94,197	97,917	40,498	90,664	131,162	5,455	92,930	98,385	45,672	89,846	135,519
ii) लघु सिंचाई	12,875	18,201	31,076	10,329	15,546	25,876	16,480	24,174	40,654	17,317	17,041	34,358
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल विकास	—	1,382	1,382	—	633	633	—	659	659	—	649	649
5. ऊर्जा	25,700	173,613	199,313	47,059	122,867	169,926	48,014	183,722	231,736	50,097	184,685	234,781
जिसमें से : बिजली	15,124	169,780	184,904	46,159	122,867	169,026	47,099	183,654	230,753	48,367	184,685	233,051
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	28,928	16,861	45,790	12,453	19,358	31,811	20,513	30,631	51,144	3,917	56,937	60,854
i) ग्राम और लघु उद्योग	723	2,411	3,133	3,190	2,712	5,903	2,487	3,668	6,156	2,923	2,867	5,790
ii) उद्योग@	28,205	14,451	42,656	9,263	16,646	25,908	18,026	26,962	44,988	994	54,070	55,064
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	11,873	43,567	55,440	8,807	51,812	60,619	9,601	53,977	63,578	15,523	54,483	70,006
i) सड़क और पुल	5,734	43,355	49,089	2,761	51,593	54,355	3,551	53,763	57,314	10,922	54,258	65,179
ii) अन्य @@	6,138	212	6,351	6,046	218	6,264	6,050	214	6,264	4,602	225	4,827
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,300	—	1,300	2,204	1	2,204	2,454	1	2,454	2,552	1	2,553
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	12,210	8,444	20,654	15,965	15,035	31,000	16,996	15,290	32,285	17,372	15,547	32,918
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,320	5,839	9,159	761	6,055	6,816	1,031	6,212	7,244	940	6,425	7,365
ii) पर्यटन	8,104	4	8,107	15,078	6,254	21,331	15,878	6,254	22,131	16,189	6,254	22,443
iii) नागरिक आपूर्ति	2	—	2	28	—	28	28	—	28	8	—	8
iv) अन्य +	784	2,601	3,385	98	2,726	2,825	59	2,824	2,882	234	2,868	3,102
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	7,011	2,162,639	2,169,650	27,444	2,731,858	2,759,302	28,609	2,636,285	2,664,894	42,163	2,944,911	2,987,074
अ. राज्य सरकार के विभाग	—	43,356	43,356	—	50,215	50,215	—	53,130	53,130	—	55,451	55,451
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	2,867	316,640	319,507	3,449	304,969	308,418	4,447	382,715	387,162	4,142	401,548	405,690
i) कर और शुल्क वसूली	2,867	311,019	313,886	3,449	300,699	304,149	4,447	381,441	385,888	4,142	400,808	404,950
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	5,621	5,621	—	4,270	4,270	—	1,274	1,274	—	740	740
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	975,624	975,624	—	1,252,488	1,252,488	—	1,229,532	1,229,532	—	1,267,485	1,267,485
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	40,900	40,900	—	52,600	52,600	—	52,600	52,600	—	56,100	56,100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	934,724	934,724	—	1,199,888	1,199,888	—	1,176,932	1,176,932	—	1,211,385	1,211,385
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	85,557	85,557	—	67,499	67,499	—	55,065	55,065	—	69,393	69,393
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	700,566	700,566	—	980,125	980,125	—	963,513	963,513	—	970,545	970,545
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	144,775	144,775	—	153,697	153,697	—	156,485	156,485	—	168,399	168,399
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	493,203	493,203	—	639,891	639,891	—	639,891	639,891	—	699,622	699,622
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	128,244	128,244	—	140,546	140,546	—	139,513	139,513	—	151,713	151,713
iv) अन्य	—	20,357	20,357	—	11,718	11,718	—	18,841	18,841	—	19,734	19,734
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	4,144	416,596	420,740	23,994	518,905	542,899	24,162	490,952	515,115	38,021	669,271	707,292
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2,125	7,669	9,794	2,002	8,348	10,350	2,002	8,416	10,418	2,202	8,545	10,747
ii) जिला प्रशासन	919	109,695	110,614	21,500	119,782	141,282	21,683	124,368	146,051	31,605	123,870	155,475
iii) पुलिस	—	230,420	230,420	—	261,969	261,969	—	277,058	277,058	3,644	295,967	299,611
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	482	35,141	35,622	342	32,891	33,233	327	40,153	40,480	410	35,387	35,797
v) अन्य ++	619	33,671	34,290	150	95,916	96,066	150	40,958	41,108	160	205,501	205,661
उ. पेन्शन	—	332,796	332,796	—	340,555	340,555	—	390,716	390,716	—	414,979	414,979
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	77,628	77,628	—	264,727	264,727	—	89,240	89,240	—	136,177	136,177
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	76,713	76,713	—	224,054	224,054	—	88,625	88,625	—	95,500	95,500
III. सहायता अनुदान और अंशदान	3,270	131,874	135,144	3,393	84,305	87,698	5,193	89,411	94,605	3,868	89,722	93,590
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	3,270	85,486	88,756	3,393	84,305	87,698	5,193	89,411	94,605	3,868	89,722	93,590



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	39,361	161,089	200,450	39,221	160,251	199,472	47,293	173,927	221,219	58,333	177,482	235,815
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	39,183	89,339	128,522	39,071	85,381	124,452	46,847	91,838	138,684	58,276	93,190	151,467
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	22,904	45,553	68,457	20,780	41,905	62,685	23,724	43,860	67,584	20,405	46,432	66,836
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,792	30,396	41,188	7,938	28,427	36,364	8,126	29,312	37,439	7,558	29,715	37,272
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	445	6,577	7,022	378	5,462	5,840	763	6,110	6,873	789	6,886	7,675
3. परिवार कल्याण	819	—	819	1,057	—	1,057	918	—	918	690	—	690
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	163	2,758	2,921	50	1,873	1,923	50	1,983	2,033	45	2,091	2,136
5. आवास निर्माण	—	2,500	2,500	—	2,045	2,045	—	2,042	2,042	—	2,009	2,009
6. शहरी विकास	1,525	323	1,848	1,173	395	1,568	1,141	394	1,535	921	1,713	2,634
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	5,273	659	5,932	5,779	998	6,777	5,862	1,024	6,886	4,672	1,057	5,729
8. श्रम और श्रम कल्याण	159	471	629	84	380	464	244	406	650	142	416	558
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,647	1,288	3,935	2,788	1,218	4,005	4,543	1,496	6,040	3,751	1,335	5,086
10. पौष्टिक आहार	935	8	943	1,485	6	1,490	1,978	8	1,986	1,779	8	1,787
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	572	572	—	572	572	10	615	625
12. अन्य*	146	574	720	50	530	580	98	512	610	48	588	636
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	16,279	43,786	60,065	18,292	43,475	61,767	23,123	47,978	71,101	37,872	46,759	84,630
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	5,458	8,974	14,433	5,559	7,583	13,142	7,821	7,765	15,586	5,998	8,098	14,096
i) फसल कार्य	2,282	2,100	4,382	2,235	1,765	4,000	3,126	1,838	4,964	2,808	1,883	4,691
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	905	735	1,640	1,198	566	1,764	1,448	593	2,041	1,268	633	1,901
iii) पशु पालन	264	2,601	2,865	340	2,045	2,386	537	2,056	2,594	255	2,164	2,419
iv) डेरी विकास	52	63	115	25	59	84	25	61	86	25	65	90
v) मत्स्य पालन	286	995	1,281	204	860	1,064	214	838	1,051	205	818	1,022
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,508	1,109	2,617	1,433	1,197	2,630	2,342	1,214	3,556	1,290	1,325	2,615
vii) बागान	3	—	3	3	—	3	3	—	3	5	—	5
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	4	490	494	7	377	384	7	454	461	7	431	439
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	16	117	134	24	96	120	32	94	126	32	100	132
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	135	764	899	87	618	705	85	617	702	101	678	779
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3	—	3	3	—	3	3	—	3	3	—	3
2. ग्रामीण विकास	3,437	2,446	5,882	3,603	1,572	5,175	3,453	1,522	4,975	3,136	3,376	6,512
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,704	—	1,704	1,643	—	1,643	4,475	—	4,475	4,014	—	4,014
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,408	2,968	4,375	1,425	3,376	4,800	1,583	3,512	5,095	1,475	3,591	5,066
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	892	1,197	2,089	843	1,907	2,750	1,012	1,940	2,952	867	1,966	2,833
ii) लघु सिंचाई	3	725	728	—	711	711	9	709	718	8	724	732
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल विकास	—	899	899	—	642	642	—	730	730	—	773	773
5. ऊर्जा	104	19,328	19,432	195	19,847	20,042	195	23,910	24,105	195	20,090	20,285
जिसमें से : बिजली	—	19,328	19,328	—	19,847	19,847	—	23,910	23,910	—	20,090	20,090
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	634	4,115	4,749	1,940	1,838	3,778	1,978	1,932	3,910	1,883	2,024	3,907
i) ग्राम और लघु उद्योग	525	3,912	4,437	1,765	1,697	3,462	1,802	1,771	3,573	1,708	1,881	3,590
ii) उद्योग@	110	202	312	176	141	316	171	41	212	170	39	209
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	5	120	125	5	104	109



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	—	4,744	4,744	—	8,235	8,235	—	8,292	8,292	—	8,494	8,494
i) सड़क और पुल	—	4,744	4,744	—	8,235	8,235	—	8,292	8,292	—	8,494	8,494
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	764	149	913	1,040	67	1,107	960	73	1,033	1,035	69	1,104
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,770	1,063	3,833	2,887	959	3,846	2,658	973	3,631	20,136	1,016	21,152
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,638	279	2,917	2,755	271	3,026	2,466	287	2,753	19,945	305	20,250
ii) पर्यटन	27	154	181	21	128	148	82	130	211	93	132	225
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	11	—	11	—	—	—
iv) अन्य +	105	630	735	111	560	672	99	557	655	99	578	677
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	178	71,750	71,928	150	74,870	75,020	446	82,089	82,535	57	84,291	84,348
अ. राज्य सरकार के विभाग	1	2,233	2,234	—	3,341	3,341	—	2,922	2,922	—	2,910	2,910
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	82	1,973	2,056	64	1,684	1,748	192	1,736	1,928	15	1,702	1,717
i) कर और शुल्क वसूली	82	1,915	1,997	64	1,663	1,727	192	1,713	1,905	15	1,681	1,696
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	59	59	—	21	21	—	24	24	—	21	21
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	23,753	23,753	—	25,283	25,283	—	27,464	27,464	—	29,449	29,449
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	23,753	23,753	—	25,283	25,283	—	27,464	27,464	—	29,449	29,449
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	12,507	12,507	—	11,565	11,565	—	11,850	11,850	—	9,698	9,698
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	7,373	7,373	—	8,651	8,651	—	10,783	10,783	—	14,760	14,760
जिसमें से:												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	5,373	5,373	—	6,107	6,107	—	6,766	6,766	—	8,431	8,431
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,424	1,424	—	55	55	—	2,560	2,560	—	4,853	4,853
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	3,873	3,873	—	5,067	5,067	—	4,830	4,830	—	4,991	4,991
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	95	26,863	26,958	86	26,065	26,151	254	28,805	29,059	42	29,986	30,028
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	43	1,627	1,670	10	1,551	1,561	142	1,563	1,705	—	1,603	1,603
ii) जिला प्रशासन	—	1,359	1,359	—	1,120	1,120	—	1,187	1,187	—	1,222	1,222
iii) पुलिस	—	18,866	18,866	—	15,918	15,918	—	20,318	20,318	—	21,561	21,561
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	2,214	2,214	—	4,902	4,902	—	3,070	3,070	—	2,852	2,852
v) अन्य ++	51	2,797	2,848	76	2,574	2,650	112	2,667	2,779	42	2,748	2,790
उ. पेन्शन	—	16,849	16,849	—	18,437	18,437	—	21,106	21,106	—	20,206	20,206
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	78	78	—	61	61	—	57	57	—	39	39
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	78	78	—	60	60	—	51	51	—	38	38
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	49,157	118,291	167,448	83,537	128,240	211,777	83,537	128,239	211,776	133,176	140,033	273,209
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	46,903	58,012	104,915	80,470	62,739	143,209	80,470	62,739	143,209	129,070	66,940	196,010
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	21,401	34,074	55,475	35,825	38,054	73,879	35,825	38,054	73,879	53,333	40,856	94,189
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,604	19,503	31,107	17,466	21,400	38,866	17,466	21,400	38,866	27,635	23,113	50,748
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,513	6,022	8,534	3,590	5,724	9,314	3,590	5,724	9,314	5,515	6,125	11,640
3. परिवार कल्याण	783	85	868	912	122	1,034	912	122	1,034	971	132	1,103
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	715	4,639	5,354	1,162	4,907	6,069	1,162	4,907	6,069	1,535	5,300	6,835
5. आवास निर्माण	825	888	1,713	921	1,207	2,128	921	1,207	2,128	1,008	1,305	2,313
6. शहरी विकास	802	336	1,138	1,724	613	2,337	1,724	613	2,337	3,095	647	3,742
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	245	96	341	1,405	1,128	2,533	1,405	1,128	2,533	1,350	1,138	2,488
8. श्रम और श्रम कल्याण	152	454	606	478	550	1,028	478	550	1,028	812	600	1,412
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,216	364	1,580	2,718	404	3,121	2,718	404	3,121	3,199	425	3,624
10. पौष्टिक आहार	2,387	71	2,458	5,150	168	5,318	5,150	168	5,318	7,865	178	8,043
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	1,129	1,129	—	1,161	1,161	—	1,161	1,161	—	1,195	1,195
12. अन्य*	159	487	646	298	671	969	298	671	969	349	698	1,047
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	25,502	23,938	49,440	44,645	24,685	69,330	44,645	24,685	69,330	75,737	26,084	101,821
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	7,731	8,575	16,307	12,743	8,728	21,471	12,743	8,728	21,471	21,467	9,384	30,851
i) फसल कार्य	2,997	1,791	4,788	4,459	1,840	6,299	4,459	1,840	6,299	8,865	2,024	10,889
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,664	1,397	3,061	2,065	1,590	3,655	2,065	1,590	3,655	4,090	1,736	5,826
iii) पशु पालन	930	1,531	2,461	1,351	1,690	3,041	1,351	1,690	3,041	2,440	1,825	4,265
iv) डेरी विकास	202	298	500	261	350	611	261	350	611	463	281	744
v) मत्स्य पालन	368	321	688	483	370	853	483	370	853	642	400	1,042
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,166	2,476	3,642	3,483	2,020	5,503	3,483	2,020	5,503	3,555	2,180	5,735
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	93	278	371	174	295	469	174	295	469	204	320	524
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहाकरिता	203	380	582	339	450	789	339	450	789	988	486	1,474
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	108	104	212	128	123	251	128	123	251	220	132	352
2. ग्रामीण विकास	8,480	1,247	9,728	9,058	1,195	10,253	8,653	1,195	9,848	15,157	1,291	16,448
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	405	—	405	4,340	—	4,340	4,340	—	4,340	6,521	—	6,521
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	456	808	1,265	557	801	1,358	557	801	1,358	1,034	865	1,899
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	454	745	1,199	557	740	1,297	557	740	1,297	1,034	800	1,834
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	1	63	64	—	61	61	—	61	61	—	65	65
5. ऊर्जा	5,833	1,080	6,913	13,560	1,250	14,810	13,965	1,250	15,215	20,100	1,250	21,350
जिसमें से : बिजली	5,612	1,080	6,692	13,675	—	13,675	12,425	1,250	13,675	19,800	1,250	21,050
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,358	5,624	6,983	1,560	3,351	4,911	1,560	3,351	4,911	2,839	3,555	6,394
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,125	1,139	2,264	1,283	1,229	2,511	1,283	1,229	2,511	2,424	1,326	3,750
ii) उद्योग@	233	4,486	4,719	277	2,123	2,400	277	2,123	2,400	415	2,229	2,644
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	—	5,254	5,254	—	7,673	7,673	—	7,673	7,673	—	7,948	7,948
i) सड़क और पुल	—	5,254	5,254	—	7,673	7,673	—	7,673	7,673	—	7,948	7,948
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	14	14	—	28	28	—	28	28	—	28	28
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,238	1,336	2,573	2,826	1,658	4,485	2,826	1,658	4,485	8,619	1,763	10,382
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	802	466	1,269	2,235	550	2,785	2,235	550	2,785	5,125	600	5,725
ii) पर्यटन	169	87	256	239	148	387	239	148	387	2,933	155	3,088
iii) नागरिक आपूर्ति	100	417	517	150	430	580	150	430	580	300	452	752
iv) अन्य +	166	366	532	203	530	733	203	530	733	261	556	817
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	2,254	60,279	62,533	3,067	65,501	68,568	3,067	65,500	68,567	4,106	73,093	77,199
अ. राज्य सरकार के विभाग	26	4,991	5,017	42	2,923	2,965	42	2,981	3,023	10	3,634	3,644
आ. राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	180	2,087	2,267	200	2,075	2,275	200	2,075	2,275	250	2,308	2,558
i) कर और शुल्क वसूली	180	2,079	2,259	200	2,062	2,262	200	2,062	2,262	250	2,295	2,545
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	8	8	—	12	12	—	12	12	—	13	13
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	19,925	19,925	—	22,194	22,194	—	22,194	22,194	—	23,576	23,576
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	825	825	—	906	906	—	906	906	—	1,054	1,054
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	19,100	19,100	—	21,288	21,288	—	21,288	21,288	—	22,522	22,522
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	4,426	4,426	—	5,048	5,048	—	5,043	5,043	—	4,110	4,110
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	12,174	12,174	—	13,439	13,439	—	13,444	13,444	—	15,312	15,312
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	7,881	7,881	—	8,316	8,316	—	8,316	8,316	—	9,856	9,856
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	2,109	2,109	—	2,679	2,679	—	2,679	2,679	—	3,035	3,035
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	2,500	2,500	—	2,800	2,800	—	2,800	2,800	—	3,100	3,100
iv) अन्य	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	2,048	23,923	25,971	2,825	28,766	31,591	2,825	28,708	31,533	3,846	32,191	36,037
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	2,544	2,544	—	3,742	3,742	—	3,742	3,742	—	4,042	4,042
ii) जिला प्रशासन	—	887	887	—	1,040	1,040	—	1,040	1,040	—	1,123	1,123
iii) पुलिस	—	11,981	11,981	—	13,048	13,048	—	13,048	13,048	—	14,800	14,800
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1,908	3,626	5,534	2,522	5,751	8,273	2,522	5,751	8,273	3,436	6,693	10,129
v) अन्य ++	140	4,885	5,026	303	5,185	5,488	303	5,127	5,430	410	5,533	5,943
उ. पेन्शन	—	9,322	9,322	—	9,498	9,498	—	9,498	9,498	—	11,338	11,338
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	31	31	—	45	45	—	44	44	—	47	47
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	29	29	—	42	42	—	42	42	—	45	45
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	53,992	104,808	158,800	48,528	107,291	155,819	62,968	118,733	181,701	55,723	121,628	177,351
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	52,156	52,481	104,637	47,489	50,537	98,026	61,540	54,500	116,039	54,647	58,669	113,316
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	27,996	26,763	54,759	24,242	27,127	51,369	33,666	29,109	62,775	28,281	32,388	60,669
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	13,715	14,110	27,825	10,979	14,793	25,772	16,320	15,577	31,898	11,707	17,557	29,264
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,662	2,980	6,642	3,839	3,440	7,279	4,447	3,440	7,888	4,144	4,380	8,524
3. परिवार कल्याण	761	44	805	143	66	209	881	66	947	153	42	195
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,673	2,799	5,472	3,402	1,414	4,816	3,372	1,424	4,796	1,977	1,685	3,662
5. आवास निर्माण	654	401	1,055	498	382	880	664	416	1,080	398	415	813
6. शहरी विकास	1,204	249	1,453	1,513	265	1,778	2,247	265	2,512	5,424	554	5,978
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,136	4,510	6,646	2,166	4,611	6,777	2,166	4,939	7,105	2,226	5,378	7,604
8. श्रम और श्रम कल्याण	287	153	440	150	167	317	231	169	400	180	181	361
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,360	908	2,268	630	524	1,154	1,744	639	2,383	662	658	1,319
10. पौष्टिक आहार	1,023	27	1,050	682	27	709	1,382	27	1,410	1,200	29	1,229
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	370	370	—	677	677	—	1,366	1,366	—	697	697
12. अन्य*	521	212	733	240	761	1,001	211	780	991	210	813	1,023
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	24,160	25,718	49,877	23,247	23,410	46,657	27,874	25,391	53,265	26,366	26,281	52,646
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	11,248	6,428	17,677	7,520	6,095	13,615	11,280	6,821	18,101	7,215	6,963	14,179
i) फसल कार्य	6,251	1,196	7,447	3,839	1,267	5,106	5,792	1,331	7,123	3,957	1,397	5,354
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	388	379	766	400	378	778	316	378	694	320	487	807
iii) पशु पालन	1,489	919	2,408	751	961	1,711	1,314	961	2,274	617	1,099	1,717
iv) डेरी विकास	134	40	174	36	41	78	83	41	124	50	44	94
v) मत्स्य पालन	338	134	472	280	143	424	406	143	550	250	185	435
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,616	1,357	2,972	1,321	1,423	2,744	2,525	1,470	3,996	1,216	1,541	2,757
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	292	2,130	2,422	329	1,592	1,921	158	2,196	2,353	80	1,847	1,927
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	10	—	10	12	—	12	12	—	12	12	—	12
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	391	173	563	351	187	538	469	198	668	513	259	772
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	341	101	441	200	103	303	205	103	308	200	104	304
2. ग्रामीण विकास	2,455	435	2,890	2,306	456	2,763	3,997	456	4,454	4,409	556	4,965
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,735	—	1,735	2,676	—	2,676	3,395	—	3,395	3,123	—	3,123
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	715	62	776	163	74	237	184	74	258	564	96	660
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1
ii) लघु सिंचाई	685	62	746	147	74	221	155	74	229	543	96	639
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	2,349	13,103	15,453	2,951	9,907	12,858	2,951	10,839	13,790	3,061	11,050	14,111
जिसमें से : बिजली	2,295	13,103	15,398	2,890	9,918	12,808	2,890	10,850	13,740	3,000	11,061	14,061
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,804	892	3,696	2,069	956	3,025	2,608	956	3,564	1,845	1,089	2,934
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,677	759	3,436	1,969	807	2,776	2,483	807	3,290	1,713	913	2,627
ii) उद्योग@	126	133	260	100	149	249	125	149	274	132	175	308
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,544	3,580	5,124	1,568	4,765	6,333	1,886	4,906	6,792	1,870	5,037	6,907
i) सड़क और पुल	1,213	2,212	3,425	749	3,340	4,090	858	3,468	4,326	842	3,500	4,342
ii) अन्य @@	330	1,369	1,699	819	1,425	2,244	1,028	1,438	2,466	1,028	1,537	2,565
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	152	—	152	—	—	—	170	—	170	239	10	249
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,158	1,217	2,375	3,994	1,157	5,150	1,401	1,339	2,740	4,039	1,481	5,520
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	366	390	755	3,096	462	3,558	313	462	775	3,254	498	3,752
ii) पर्यटन	332	37	370	290	38	328	335	40	375	310	88	398
iii) नागरिक आपूर्ति	215	495	710	212	528	739	460	533	993	214	570	784
iv) अन्य +	245	295	540	396	129	525	294	304	598	261	325	586
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,836	52,327	54,163	1,039	56,754	57,793	1,428	64,233	65,661	1,077	62,959	64,035
अ. राज्य सरकार के विभाग	3	1,854	1,857	23	1,693	1,716	43	1,918	1,962	28	1,812	1,839
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	114	2,062	2,176	100	1,926	2,026	106	2,866	2,972	120	2,088	2,208
i) कर और शुल्क वसूली	114	1,997	2,111	100	1,868	1,968	106	2,806	2,912	120	2,030	2,150
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	65	65	—	58	58	—	59	59	—	58	58
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	19,065	19,065	—	21,387	21,387	—	23,379	23,379	—	22,809	22,809
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	600	600	—	700	700	—	700	700	—	1,400	1,400
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	18,465	18,465	—	20,687	20,687	—	22,679	22,679	—	21,409	21,409
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	4,426	4,426	—	4,361	4,361	—	4,361	4,361	—	3,188	3,188
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	9,149	9,149	—	10,418	10,418	—	12,410	12,410	—	11,200	11,200
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	8,508	8,508	—	8,951	8,951	—	10,943	10,943	—	9,474	9,474
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,128	1,128	—	1,441	1,441	—	1,441	1,441	—	1,700	1,700
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	4,890	4,890	—	5,908	5,908	—	5,908	5,908	—	7,020	7,020
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,719	20,366	22,085	916	21,085	22,000	1,279	25,405	26,684	929	25,581	26,510
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	1,918	1,918	—	2,138	2,138	—	4,015	4,015	—	4,339	4,339
ii) जिला प्रशासन	107	1,304	1,411	125	1,454	1,579	125	1,476	1,601	140	1,537	1,677
iii) पुलिस	610	11,146	11,756	4	10,941	10,945	28	12,994	13,022	10	13,009	13,019
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	258	1,461	1,719	258	2,134	2,392	258	2,135	2,393	270	2,250	2,520
v) अन्य ++	744	4,538	5,282	529	4,418	4,946	867	4,786	5,653	509	4,446	4,955
उ. पेन्शन	—	8,915	8,915	—	10,598	10,598	—	10,598	10,598	—	10,601	10,601
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	65	65	—	66	66	—	67	67	—	68	68
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	65	65	—	66	66	—	67	67	—	68	68
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	42,246	163,805	206,051	50,469	168,490	218,959	55,146	178,472	233,619	54,002	191,433	245,435
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	41,430	70,632	112,061	49,662	69,772	119,434	53,966	74,866	128,832	53,034	80,179	133,213
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	16,023	39,199	55,221	17,280	36,291	53,571	20,430	39,007	59,437	17,386	43,735	61,121
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,924	24,659	30,583	6,968	23,904	30,872	8,254	25,264	33,517	6,819	28,250	35,069
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,194	7,596	9,790	2,055	6,882	8,936	2,092	7,353	9,445	1,518	8,977	10,495
3. परिवार कल्याण	806	369	1,175	847	410	1,257	847	435	1,282	1,867	459	2,325
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	139	3,053	3,192	111	1,954	2,065	208	2,097	2,304	127	2,280	2,407
5. आवास निर्माण	475	296	771	200	268	468	200	289	489	400	302	702
6. शहरी विकास	30	311	341	98	63	161	98	359	456	64	386	450
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,356	—	1,356	1,644	—	1,644	2,872	—	2,872	1,331	—	1,331
8. श्रम और श्रम कल्याण	392	583	975	407	586	993	399	613	1,012	295	663	958
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,552	653	3,205	2,664	605	3,268	2,701	842	3,543	2,394	721	3,114
10. पौष्टिक आहार	2,042	15	2,056	2,098	42	2,141	2,537	15	2,552	2,370	16	2,386
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	462	462	—	394	394	—	475	475	—	405	405
12. अन्य*	113	1,203	1,316	189	1,184	1,373	223	1,266	1,489	202	1,276	1,478
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	25,407	31,433	56,840	32,382	33,481	65,863	33,536	35,858	69,395	35,648	36,443	72,092
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	7,222	9,084	16,306	10,631	8,641	19,272	10,897	8,848	19,745	9,672	9,431	19,103
i) फसल कार्य	2,400	2,270	4,670	2,618	2,262	4,879	3,218	2,260	5,478	2,668	2,379	5,047
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,613	1,072	2,685	1,717	1,002	2,719	2,114	1,009	3,123	1,398	1,062	2,460
iii) पशु पालन	1,659	1,803	3,461	1,868	2,004	3,872	1,525	2,011	3,536	1,220	2,125	3,344
iv) डेरी विकास	102	52	153	48	24	72	210	24	234	180	26	206
v) मत्स्य पालन	265	412	677	492	412	904	547	423	970	468	448	916
vi) वानिकी और वन्यजीवन	683	1,775	2,458	3,055	1,606	4,661	2,344	1,712	4,055	3,059	1,798	4,857
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	80	567	647	16	579	594	109	583	691	22	617	640
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	166	404	571	174	354	528	188	359	548	183	415	598
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	254	729	983	644	399	1,043	644	467	1,111	474	562	1,036
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	7,586	1,136	8,723	8,054	1,504	9,558	8,110	1,949	10,059	7,295	2,092	9,387
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,404	240	1,644	1,857	225	2,082	2,440	223	2,662	3,050	234	3,284
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,804	703	2,507	3,365	765	4,130	3,728	777	4,504	5,020	818	5,838
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	1,804	703	2,507	3,365	765	4,130	3,728	777	4,504	5,020	818	5,838
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	46	9,676	9,722	50	9,746	9,796	49	11,400	11,449	51	9,802	9,853
जिसमें से : बिजली	—	9,675	9,675	—	9,746	9,746	—	11,400	11,400	—	9,765	9,765
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,896	1,441	4,337	3,161	1,459	4,620	2,588	1,739	4,327	4,397	2,293	6,689
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,822	911	3,733	3,076	912	3,988	2,492	1,193	3,685	4,204	1,717	5,920
ii) उद्योग@	75	530	605	85	547	632	96	546	642	193	576	769
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	20	7,590	7,610	35	9,442	9,477	35	9,124	9,159	80	9,604	9,684
i) सड़क और पुल	—	5,769	5,769	—	7,629	7,629	—	7,210	7,210	—	7,658	7,658
ii) अन्य @@	20	1,822	1,841	35	1,813	1,848	35	1,914	1,949	80	1,946	2,026
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	197	27	225	674	26	700	1,070	61	1,130	733	42	775
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	4,231	1,536	5,767	4,555	1,672	6,227	4,619	1,739	6,358	5,351	2,127	7,477
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,855	665	4,520	3,915	779	4,695	3,910	804	4,714	4,751	935	5,686
ii) पर्यटन	121	172	293	339	182	521	354	187	541	382	196	578
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	255	699	954	300	711	1,012	355	748	1,103	218	995	1,213
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	816	93,174	93,990	807	98,718	99,525	1,180	103,607	104,787	968	111,254	112,222
अ. राज्य सरकार के विभाग	18	2,616	2,635	50	2,305	2,355	90	2,634	2,724	50	2,873	2,923
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	401	1,719	2,119	361	1,749	2,110	540	1,769	2,310	547	1,851	2,398
i) कर और शुल्क वसूली	401	1,717	2,117	361	1,747	2,108	540	1,767	2,308	547	1,849	2,396
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	25,389	25,389	—	28,091	28,091	—	28,868	28,868	—	32,843	32,843
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	1,607	1,607	—	1,918	1,918
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	25,389	25,389	—	28,091	28,091	—	27,261	27,261	—	30,925	30,925
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	4,305	4,305	—	4,069	4,069	—	3,552	3,552	—	3,246	3,246
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	17,801	17,801	—	19,900	19,900	—	19,807	19,807	—	23,712	23,712
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	12,482	12,482	—	14,867	14,867	—	14,867	14,867	—	17,662	17,662
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	3,282	3,282	—	4,122	4,122	—	3,902	3,902	—	3,968	3,968
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	397	45,424	45,822	396	43,147	43,543	550	47,818	48,368	371	47,973	48,344
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	3,359	3,359	—	3,210	3,210	—	3,467	3,467	—	3,343	3,343
ii) जिला प्रशासन	100	4,160	4,260	100	3,635	3,735	100	3,801	3,901	50	3,978	4,028
iii) पुलिस	—	30,277	30,277	—	29,993	29,993	150	33,418	33,568	—	33,249	33,249
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	3,323	3,323	—	2,002	2,002	—	2,659	2,659	—	2,843	2,843
v) अन्य ++	297	4,305	4,602	296	4,307	4,603	300	4,473	4,772	321	4,560	4,881
उ. पेन्शन	—	17,942	17,942	—	23,300	23,300	—	22,370	22,370	—	25,585	25,585
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	84	84	—	126	126	—	147	147	—	129	129
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	84	84	—	91	91	—	90	90	—	97	97
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	211,274	1,149,079	1,360,353	299,416	1,294,572	1,593,988	315,489	1,374,591	1,690,079	410,926	1,431,221	1,842,147
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	210,587	452,514	663,101	296,696	492,479	789,175	313,229	558,817	872,046	405,900	589,352	995,252
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	133,597	334,178	467,775	182,622	336,200	518,822	179,138	394,630	573,768	209,139	395,656	604,795
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,056	199,102	231,158	23,248	216,060	239,308	34,479	221,075	255,554	64,781	237,918	302,699
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-5,643	43,259	37,616	6,577	50,800	57,377	4,425	50,958	55,383	13,057	57,108	70,165
3. परिवार कल्याण	7,434	14	7,448	10,156	1,174	11,330	10,277	1,174	11,451	11,268	1,194	12,462
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	18,827	12,498	31,325	16,355	14,406	30,761	16,019	11,351	27,370	13,529	11,137	24,666
5. आवास निर्माण	613	7,318	7,931	1,011	8,008	9,019	687	10,188	10,875	15	13,085	13,100
6. शहरी विकास	1,451	4,301	5,752	7,863	2,457	10,320	2,347	2,629	4,976	7,320	2,534	9,854
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	22,245	13,705	35,950	27,828	11,520	39,348	34,713	12,483	47,196	33,477	16,983	50,460
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,606	2,231	3,837	1,813	2,318	4,131	1,425	2,501	3,926	2,779	2,739	5,518
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22,172	17,886	40,058	31,528	12,064	43,592	38,523	21,842	60,365	41,426	24,786	66,212
10. पौष्टिक आहार	22,398	660	23,058	24,278	121	24,399	30,515	132	30,647	19,718	148	19,866
11. प्राकृतिक आपदा राहत	9,500	30,155	39,655	31,024	14,075	45,099	4,668	56,845	61,513	707	24,117	24,824
12. अन्य*	938	3,049	3,987	941	3,197	4,138	1,060	3,452	4,512	1,063	3,907	4,970
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	76,990	118,336	195,326	114,074	156,279	270,353	134,091	164,188	298,278	196,762	193,696	390,458
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	14,325	41,733	56,058	19,424	43,318	62,742	24,131	45,564	69,695	47,404	50,290	97,694
i) फसल कार्य	6,267	10,530	16,797	5,759	12,410	18,169	8,462	12,481	20,943	25,489	13,837	39,326
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	3,833	2,716	6,549	3,100	2,589	5,689	3,911	3,079	6,990	2,761	3,139	5,900
iii) पशु पालन	509	7,423	7,932	1,137	7,774	8,911	1,421	8,199	9,620	2,182	9,030	11,212
iv) डेरी विकास	785	36	821	535	40	575	532	44	576	224	51	275
v) मत्स्य पालन	1,048	1,674	2,722	1,976	1,644	3,620	1,816	1,808	3,624	2,413	1,944	4,357
vi) वानिकी और वन्यजीवन	927	9,169	10,096	5,799	8,511	14,310	4,549	9,198	13,747	11,926	10,921	22,847
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	668	4,853	5,521	699	4,428	5,127	519	4,492	5,011	519	4,540	5,059
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	257	2,055	2,312	389	2,630	3,019	389	2,735	3,124	389	2,791	3,180
x) कृषि वित्त संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	29	3,089	3,118	28	3,084	3,112	2,528	3,311	5,839	1,403	3,811	5,214
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2	188	190	2	208	210	4	217	221	98	226	324
2. ग्रामीण विकास	21,797	29,597	51,394	21,625	28,356	49,981	33,411	29,534	62,945	72,816	30,413	103,229
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,688	18,845	23,533	3,895	19,878	23,773	6,246	22,053	28,299	8,367	28,463	36,830
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	227	10,436	10,663	175	11,404	11,579	292	12,908	13,200	140	17,122	17,262
ii) लघु सिंचाई	3,573	4,589	8,162	2,424	4,424	6,848	4,019	4,845	8,864	5,857	6,045	11,902
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	-	3,739	3,739	-	3,967	3,967	-	4,202	4,202	-	4,811	4,811
5. ऊर्जा	3,582	504	4,086	17,826	314	18,140	13,005	365	13,370	10,936	397	11,333
जिसमें से : बिजली	3,517	487	4,004	7,046	297	7,343	3,031	348	3,379	8,535	380	8,915
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	5,582	2,508	8,090	4,408	4,193	8,601	7,166	4,672	11,838	9,513	5,186	14,699
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,825	2,893	5,718	3,830	2,843	6,673	5,497	3,178	8,675	6,092	3,484	9,576
ii) उद्योग@	2,203	1,314	3,517	553	1,350	1,903	1,644	1,494	3,138	3,396	1,702	5,098
iii) अन्य**	554	-1,699	-1,145	25	-	25	25	-	25	25	-	25



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	36	20,457	20,493	5,509	55,301	60,810	4,185	56,555	60,740	5,475	73,148	78,623
i) सड़क और पुल	—	19,787	19,787	5,500	54,789	60,289	4,176	56,023	60,199	5,473	72,684	78,157
ii) अन्य @@	36	670	706	9	512	521	9	532	541	2	464	466
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,045	233	1,278	1,788	266	2,054	1,641	300	1,941	3,085	341	3,426
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	25,935	4,459	30,394	39,599	4,653	44,252	44,306	5,145	49,451	39,166	5,458	44,624
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25,359	2,982	28,341	39,092	3,140	42,232	43,974	3,410	47,384	38,690	3,684	42,374
ii) पर्यटन	262	318	580	385	308	693	177	338	515	324	373	697
iii) नागरिक आपूर्ति	—	166	166	—	157	157	—	220	220	4	205	209
iv) अन्य +	314	993	1,307	122	1,048	1,170	155	1,177	1,332	148	1,196	1,344
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	687	681,879	682,566	2,720	773,261	775,981	2,260	788,032	790,292	5,026	809,780	814,806
अ. राज्य सरकार के विभाग	157	9,619	9,776	234	12,053	12,287	247	13,976	14,223	228	11,079	11,307
आ. राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	440	18,259	18,699	2,149	18,454	20,603	1,860	20,464	22,324	3,554	22,588	26,142
i) कर और शुल्क वसूली	440	18,013	18,453	2,149	18,172	20,321	1,860	20,182	22,042	3,554	22,291	25,845
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	246	246	—	282	282	—	282	282	—	297	297
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	435,717	435,717	—	459,005	459,005	—	476,005	476,005	—	434,918	434,918
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	66,007	66,007	—	78,807	78,807	—	148,807	148,807	—	30,007	30,007
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	369,710	369,710	—	380,198	380,198	—	327,198	327,198	—	404,911	404,911
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	74,710	74,710	—	122,131	122,131	—	70,562	70,562	—	117,801	117,801
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	153,844	153,844	—	174,000	174,000	—	176,754	176,754	—	202,390	202,390
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	86,691	86,691	—	92,210	92,210	—	93,393	93,393	—	83,684	83,684
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	47,115	47,115	—	60,526	60,526	—	62,587	62,587	—	97,826	97,826
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	135,924	135,924	—	78,205	78,205	—	78,820	78,820	—	84,714	84,714
iv) अन्य	—	5,232	5,232	—	5,862	5,862	—	1,062	1,062	—	6	6
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (I से V)	90	75,193	75,283	337	80,967	81,304	153	96,185	96,338	1,244	109,055	110,299
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	4,686	4,686	220	4,936	5,156	37	5,282	5,319	11	5,777	5,788
ii) जिला प्रशासन	—	4,561	4,561	—	4,449	4,449	—	4,970	4,970	946	5,307	6,253
iii) पुलिस	6	42,957	42,963	—	43,975	43,975	—	50,677	50,677	—	61,485	61,485
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	9,772	9,772	1	13,829	13,830	—	18,277	18,277	10	19,420	19,430
v) अन्य ++	84	13,217	13,301	116	13,778	13,894	116	16,979	17,095	277	17,066	17,343
उ. पेन्शन	—	133,857	133,857	—	193,421	193,421	—	162,041	162,041	—	212,626	212,626
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	9,234	9,234	—	9,361	9,361	—	19,361	19,361	—	19,514	19,514
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	14,686	14,686	—	28,832	28,832	—	27,742	27,742	—	32,089	32,089
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	14,686	14,686	—	28,832	28,832	—	27,742	27,742	—	32,089	32,089

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	96,064	1,724,778	1,820,842	147,436	1,997,189	2,144,625	150,276	2,056,280	2,206,556	214,266	2,244,631	2,458,897
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	94,829	636,984	731,813	146,285	773,413	919,698	149,176	777,330	926,506	212,394	843,927	1,056,322
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	28,108	332,984	360,406	72,342	436,840	509,182	57,388	414,211	471,599	66,199	429,078	495,277
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,717	217,192	228,909	46,483	229,694	276,177	38,102	229,933	268,035	35,398	256,741	292,139
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,353	61,628	62,981	4,426	78,504	82,930	1,431	70,528	71,958	4,656	71,042	75,698
3. परिवार कल्याण	5,069	1,535	6,605	6,373	1,676	8,049	5,387	1,692	7,079	7,253	1,858	9,111
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	65	19,049	19,114	60	21,459	21,519	—	21,064	21,064	—	22,629	22,629
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. शहरी विकास	—	1,612	1,612	16	1,728	1,744	16	11,699	11,715	—	4,813	4,813
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,423	5,870	8,293	4,748	6,782	11,530	3,680	6,726	10,406	7,144	6,976	14,120
8. श्रम और श्रम कल्याण	36	5,809	5,845	1,901	6,448	8,349	29	6,563	6,592	2,263	7,627	9,890
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,053	10,296	17,349	8,091	57,723	65,814	8,000	38,832	46,832	8,485	12,652	21,136
10. पौष्टिक आहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	7,301	7,301	—	30,666	30,666	—	24,711	24,711	—	42,278	42,278
12. अन्य*	391	2,006	2,397	244	2,161	2,405	744	2,463	3,206	1,000	2,463	3,463
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	66,721	304,686	371,407	73,943	336,573	410,516	91,788	363,119	454,907	146,196	414,849	561,045
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	8,949	39,783	48,732	18,907	40,089	58,996	12,436	41,735	54,171	40,499	46,881	87,380
i) फसल कार्य	2,041	6,908	8,949	5,310	7,766	13,076	1,777	7,831	9,608	21,419	8,631	30,051
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	170	3,171	3,341	415	3,288	3,703	773	3,357	4,129	1,301	3,276	4,577
iii) पशु पालन	704	10,865	11,570	1,683	11,088	12,771	1,872	11,961	13,833	3,725	13,002	16,727
iv) डेरी विकास	265	492	757	286	524	810	1,716	523	2,239	8,798	591	9,389
v) मत्स्य पालन	68	609	677	241	657	898	152	675	827	953	741	1,694
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,151	2,270	6,421	7,910	2,556	10,466	4,585	2,557	7,143	3,965	2,767	6,732
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,550	10,106	11,656	2,000	9,085	11,085	500	9,620	10,120	300	12,596	12,896
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	—	5,034	5,034	1,062	4,714	5,776	1,062	4,879	5,941	38	4,938	4,976
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	328	328	—	411	411	—	331	331	—	339	339
2. ग्रामीण विकास	306	4,450	4,756	4,688	4,740	9,428	9,175	6,098	15,273	31,181	6,249	37,430
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2	59,414	59,416	—	57,238	57,238	—	61,063	61,063	—	66,834	66,834
जिसमें से :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	46,709	46,709	—	47,194	47,194	—	50,666	50,666	—	56,063	56,063
ii) लघु सिंचाई	—	8,218	8,218	—	4,486	4,486	—	4,594	4,594	—	4,849	4,849
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	2	4,487	4,489	—	4,908	4,908	—	5,154	5,154	—	5,272	5,272
5. ऊर्जा	—	155,131	155,131	—	172,722	172,722	—	195,196	195,196	—	200,420	200,420
जिसमें से : बिजली	—	155,093	155,093	—	172,655	172,655	—	195,136	195,136	—	200,357	200,357
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	5,155	1,954	7,109	308	2,577	2,885	10,850	3,586	14,436	181	12,868	13,050
i) ग्राम और लघु उद्योग	125	1,927	2,052	245	2,485	2,730	825	3,448	4,273	181	2,668	2,850
ii) उद्योग@	5,030	28	5,057	63	92	155	10,025	137	10,162	—	10,200	10,200
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	-2,284	37,362	35,078	150	52,288	52,438	2	47,943	47,945	350	48,611	48,961
i) सड़क और पुल	-2,284	9,141	6,856	-	23,484	23,484	-	23,024	23,024	-	23,862	23,862
ii) अन्य @@	-	28,221	28,221	150	28,804	28,954	2	24,919	24,921	350	24,749	25,099
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	195	79	274	10	83	93	19	86	105	1,820	94	1,914
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	54,398	6,513	60,911	49,880	6,836	56,716	59,306	7,413	66,719	72,165	32,892	105,057
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	54,108	663	54,771	49,685	673	50,358	59,059	658	59,717	71,931	709	72,640
ii) पर्यटन	27	61	88	30	65	95	30	76	106	110	83	193
iii) नागरिक आपूर्ति	11	4,875	4,886	26	5,064	5,090	16	5,625	5,641	113	30,887	31,000
iv) अन्य +	252	915	1,166	139	1,034	1,173	201	1,053	1,254	11	1,213	1,224
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,235	1,050,392	1,051,627	1,151	1,206,042	1,207,193	1,100	1,238,016	1,239,115	1,872	1,344,157	1,346,029
अ. राज्य सरकार के विभाग	-	13,678	13,678	-	16,606	16,606	120	18,637	18,757	164	18,039	18,203
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	960	20,957	21,917	-	22,844	22,844	500	25,014	25,514	1,598	26,838	28,436
i) कर और शुल्क वसूली	960	15,264	16,224	-	17,015	17,015	500	19,383	19,883	1,598	21,002	22,600
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	-	5,693	5,693	-	5,829	5,829	-	5,631	5,631	-	5,836	5,836
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	-	371,517	371,517	-	417,747	417,747	-	428,845	428,845	-	435,646	435,646
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	371,517	371,517	-	417,747	417,747	-	428,845	428,845	-	435,646	435,646
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	-	30,109	30,109	-	37,565	37,565	-	4,841	4,841	-	4,678	4,678
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	270,484	270,484	-	297,616	297,616	-	345,098	345,098	-	349,437	349,437
जिसमें से:												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	-	68,105	68,105	-	71,388	71,388	-	74,312	74,312	-	77,462	77,462
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	153,274	153,274	-	181,896	181,896	-	198,407	198,407	-	206,519	206,519
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	57,233	57,233	-	66,776	66,776	-	62,542	62,542	-	62,972	62,972
iv) अन्य	-	13,691	13,691	-	15,790	15,790	-	16,364	16,364	-	18,559	18,559
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (I से V)	275	168,761	169,036	1,151	187,951	189,102	480	195,539	196,018	110	205,149	205,259
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	156	5,988	6,144	970	6,355	7,325	104	6,927	7,031	-	7,081	7,081
ii) जिला प्रशासन	-	7,808	7,808	-	9,166	9,166	-	13,080	13,080	-	12,697	12,697
iii) पुलिस	-	114,591	114,591	-	120,999	120,999	-	126,666	126,666	-	134,601	134,601
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-	19,815	19,815	50	28,157	28,207	-	24,569	24,569	-	26,426	26,426
v) अन्य ++	119	20,559	20,678	131	23,274	23,405	376	24,297	24,672	110	24,344	24,454
उ. पेन्शन	-	165,567	165,567	-	169,342	169,342	-	178,431	178,431	-	179,085	179,085
ऊ. विविध सामान्य सेवा	-	309,912	309,912	-	391,552	391,552	-	391,550	391,550	-	479,400	479,400
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	-	309,686	309,686	-	391,345	391,345	-	391,345	391,345	-	479,189	479,189
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	37,402	37,402	-	17,734	17,734	-	40,934	40,934	-	56,547	56,547
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	-	37,402	37,402	-	17,734	17,734	-	40,934	40,934	-	56,547	56,547



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	313,153	1,836,767	2,149,921	373,923	2,029,511	2,403,434	391,865	2,141,846	2,533,711	514,304	2,324,169	2,838,473
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	308,817	958,913	1,267,731	371,605	1,007,406	1,379,011	383,539	1,091,096	1,474,635	511,537	1,158,851	1,670,388
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	134,463	664,976	799,439	169,474	702,913	872,387	168,919	721,978	890,897	168,958	816,100	985,058
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	58,825	406,374	465,199	53,314	443,038	496,352	51,588	434,546	486,134	42,169	482,102	524,271
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,089	84,867	97,956	21,763	89,764	111,527	19,622	89,422	109,044	23,470	100,291	123,761
3. परिवार कल्याण	13,252	2,448	15,700	16,775	2,716	19,491	16,731	2,694	19,425	22,036	3,124	25,160
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	103	90,606	90,709	79	84,616	84,695	1,272	85,705	86,977	80	89,635	89,715
5. आवास निर्माण	71	2,782	2,853	—	1,848	1,848	—	2,202	2,202	—	2,450	2,450
6. शहरी विकास	6,202	7,384	13,586	15,065	7,333	22,398	12,962	7,409	20,371	12,522	67,223	79,745
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	13,758	3,529	17,287	20,369	3,761	24,130	21,972	3,870	25,842	21,399	4,776	26,175
8. श्रम और श्रम कल्याण	175	4,514	4,689	492	4,689	5,181	365	4,741	5,106	447	5,244	5,691
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,991	18,156	21,147	4,974	18,807	23,781	12,603	22,353	34,956	7,685	23,977	31,662
10. पौष्टिक आहार	25,474	117	25,591	36,630	123	36,753	31,791	124	31,915	39,133	136	39,269
11. प्राकृतिक आपदा राहत	500	41,787	42,287	—	43,873	43,873	—	66,090	66,090	—	34,568	34,568
12. अन्य*	23	2,412	2,435	13	2,345	2,358	13	2,822	2,835	17	2,574	2,591
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	174,354	293,937	468,292	202,131	304,493	506,624	214,620	369,118	583,738	342,579	342,751	685,330
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	35,480	49,607	85,087	30,574	52,132	82,706	31,952	51,482	83,434	32,279	55,917	88,196
i) फसल कार्य	24,472	11,873	36,345	15,928	12,033	27,961	15,501	12,421	27,922	15,329	13,763	29,092
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	4,473	1,821	6,294	6,445	2,009	8,454	6,592	1,852	8,444	6,139	1,931	8,070
iii) पशु पालन	1,739	12,403	14,142	2,159	13,485	15,644	2,111	13,180	15,291	2,157	14,697	16,854
iv) डेरी विकास	267	—	267	—	—	—	173	—	173	345	—	345
v) मत्स्य पालन	78	716	794	151	748	899	147	758	905	123	812	935
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,132	14,583	17,715	5,025	15,322	20,347	3,904	15,075	18,979	4,966	16,127	21,093
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	546	—	546	389	—	389
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	769	5,505	6,274	670	5,462	6,132	629	5,264	5,893	611	5,313	5,924
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	545	2,424	2,969	196	2,780	2,976	2,349	2,626	4,975	2,220	2,940	5,160
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	282	287	—	293	293	—	306	306	—	334	334
2. ग्रामीण विकास	53,390	39,734	93,125	76,071	42,570	118,641	64,096	39,353	103,449	72,510	44,476	116,986
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,862	90,924	92,786	1,974	97,393	99,367	1,926	97,682	99,608	1,887	101,577	103,464
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	942	81,349	82,291	984	87,328	88,312	991	87,339	88,330	1,001	90,803	91,804
ii) लघु सिंचाई	114	6,132	6,246	55	6,605	6,660	66	6,880	6,946	25	7,154	7,179
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	40,302	79,682	119,984	43,909	63,296	107,205	45,907	129,121	175,028	40,340	88,471	128,811
जिसमें से : बिजली	40,270	79,682	119,952	43,865	63,296	107,161	45,865	129,121	174,986	40,280	88,470	128,750
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,909	6,107	9,016	3,613	6,164	9,777	3,619	6,533	10,152	3,571	6,827	10,398
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,712	1,091	2,803	1,628	1,134	2,762	1,682	1,220	2,902	1,646	1,227	2,873
ii) उद्योग@	1,197	5,016	6,213	1,985	5,030	7,015	1,937	5,313	7,250	1,925	5,600	7,525
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	28,116	22,562	50,678	32,116	36,864	68,980	43,116	38,871	81,987	32,216	38,956	71,172
i) सड़क और पुल	28,116	21,500	49,616	32,116	36,864	68,980	43,116	37,893	81,009	32,216	38,956	71,172
ii) अन्य @@	—	1,062	1,062	—	—	—	—	978	978	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	248	247	495	279	258	537	245	259	504	267	286	553
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	12,047	5,074	17,121	13,595	5,815	19,410	23,759	5,817	29,576	159,494	6,241	165,735
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8,519	870	9,389	9,522	951	10,473	19,453	939	20,392	155,369	1,048	156,417
ii) पर्यटन	1,693	259	1,952	1,911	281	2,192	2,335	283	2,618	1,946	311	2,257
iii) नागरिक आपूर्ति	695	2,737	3,432	751	3,371	4,122	784	3,370	4,154	774	3,554	4,328
iv) अन्य +	1,140	1,208	2,348	1,411	1,212	2,623	1,187	1,225	2,412	1,405	1,328	2,733
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	4,336	877,696	882,032	2,318	1,022,092	1,024,410	8,326	1,049,992	1,058,318	2,767	1,163,610	1,166,377
अ. राज्य सरकार के विभाग	1,219	19,881	21,100	1,100	20,023	21,123	1,172	21,695	22,867	1,255	23,074	24,329
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	1,214	39,191	40,405	610	45,528	46,138	5,736	41,697	47,433	1,313	43,914	45,227
i) कर और शुल्क वसूली	1,214	34,096	35,310	610	38,542	39,152	5,736	40,860	46,596	1,313	43,263	44,576
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	5,095	5,095	—	6,986	6,986	—	837	837	—	651	651
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	521,020	521,020	—	580,225	580,225	—	606,366	606,366	—	672,563	672,563
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	35,000	35,000	—	60,000	60,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	521,020	521,020	—	580,225	580,225	—	571,366	571,366	—	612,563	612,563
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	62,578	62,578	—	64,438	64,438	—	63,160	63,160	—	64,556	64,556
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	350,816	350,816	—	395,799	395,799	—	387,338	387,338	—	414,842	414,842
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	128,774	128,774	—	140,261	140,261	—	132,407	132,407	—	144,415	144,415
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	202,370	202,370	—	235,271	235,271	—	235,916	235,916	—	251,582	251,582
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	104,642	104,642	—	116,033	116,033	—	116,845	116,845	—	128,867	128,867
iv) अन्य	—	2,984	2,984	—	3,955	3,955	—	4,023	4,023	—	4,298	4,298
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (I से V)	1,903	131,117	133,020	608	142,122	142,730	1,418	146,035	147,453	199	157,119	157,318
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	33	5,095	5,128	5	5,526	5,531	5	5,413	5,418	10	6,019	6,029
ii) जिला प्रशासन	113	12,346	12,459	90	13,218	13,308	55	13,098	13,153	—	14,684	14,684
iii) पुलिस	1,585	86,983	88,568	319	91,946	92,265	1,145	91,300	92,445	43	101,882	101,925
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	114	7,457	7,571	150	13,243	13,393	120	14,323	14,443	85	13,526	13,611
v) अन्य ++	58	19,236	19,294	44	18,189	18,233	93	21,901	21,994	61	21,008	21,069
उ. पेन्शन	—	165,063	165,063	—	232,819	232,819	—	232,736	232,736	—	265,482	265,482
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	1,424	1,424	—	1,375	1,375	—	1,463	1,463	—	1,458	1,458
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	158	158	—	13	13	—	758	758	—	1,708	1,708
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	158	158	—	13	13	—	758	758	—	1,708	1,708

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	29,418	147,343	176,761	35,549	156,717	192,266	39,548	157,220	196,768	46,253	191,749	238,002
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	28,705	31,714	60,419	34,289	33,541	67,830	38,138	32,427	70,565	43,820	34,491	78,311
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	14,632	19,148	33,780	15,492	20,301	35,793	18,557	20,334	38,891	21,445	21,670	43,115
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,842	11,958	19,800	7,523	12,190	19,713	9,562	12,202	21,764	10,536	13,325	23,861
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,562	3,048	4,610	1,496	3,113	4,609	2,127	3,113	5,240	3,037	3,610	6,647
3. परिवार कल्याण	579	—	579	546	—	546	546	—	546	606	—	606
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	755	645	1,400	772	636	1,408	893	636	1,529	1,468	584	2,052
5. आवास निर्माण	1,140	727	1,867	961	814	1,775	961	814	1,775	1,577	571	2,148
6. शहरी विकास	286	261	547	755	306	1,061	763	306	1,069	351	324	675
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	539	75	614	878	451	1,329	960	451	1,411	831	277	1,108
8. श्रम और श्रम कल्याण	71	79	150	70	85	155	101	85	186	165	94	259
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,058	240	1,298	1,415	278	1,693	1,438	290	1,728	1,527	286	1,813
10. पौष्टिक आहार	560	36	596	569	44	613	575	44	619	619	46	665
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	1,534	1,534	228	1,814	2,042	231	1,814	2,045	228	1,868	2,096
12. अन्य*	240	545	785	279	570	849	400	579	979	500	685	1,185
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	14,073	12,566	26,639	18,797	13,240	32,037	19,581	12,093	31,674	22,375	12,821	35,196
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	4,931	5,120	10,051	5,015	4,962	9,977	6,799	4,975	11,774	7,534	5,245	12,779
i) फसल कार्य	1,109	1,062	2,171	1,095	1,114	2,209	1,336	1,114	2,450	1,670	1,231	2,901
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	163	247	410	120	282	402	120	282	402	140	289	429
iii) पशु पालन	571	657	1,228	713	671	1,384	821	671	1,492	997	757	1,754
iv) डेरी विकास	333	18	351	550	20	570	550	20	570	485	20	505
v) मत्स्य पालन	44	149	193	36	148	184	45	148	193	146	171	317
vi) वानिकी और वन्यजीवन	760	1,196	1,956	1,255	1,178	2,433	1,474	1,191	2,665	1,427	1,252	2,679
vii) बागान	—	278	278	—	278	278	—	278	278	—	282	282
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	226	1,241	1,467	246	882	1,128	248	882	1,130	205	856	1,061
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	87	—	87	27	—	27	27	—	27	40	—	40
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	211	272	483	218	389	607	218	389	607	349	387	736
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,427	—	1,427	755	—	755	1,960	—	1,960	2,075	—	2,075
2. ग्रामीण विकास	3,186	54	3,240	3,424	328	3,752	3,419	327	3,746	3,615	327	3,942
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	230	—	230	900	—	900	540	—	540	150	—	150
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	716	141	857	1,663	145	1,808	1,679	144	1,823	1,140	142	1,282
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	437	130	567	772	137	909	778	137	915	755	135	890
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल विकास	274	10	284	886	7	893	896	7	903	360	7	367
5. ऊर्जा	980	3,209	4,189	1,905	3,167	5,072	1,904	1,923	3,827	1,782	2,374	4,156
जिसमें से : बिजली	950	3,209	4,159	1,862	3,166	5,028	1,861	1,923	3,784	1,700	2,374	4,074
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,043	415	2,458	1,817	419	2,236	1,887	419	2,306	2,211	434	2,646
i) ग्राम और लघु उद्योग	565	328	893	568	325	893	599	325	924	812	333	1,146
ii) उद्योग@	1,478	87	1,565	1,249	94	1,343	1,288	94	1,382	1,399	101	1,500
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	873	3,399	4,272	1,841	3,932	5,773	1,851	4,018	5,869	2,264	4,001	6,265
i) सड़क और पुल	791	1,598	2,389	1,747	2,339	4,086	1,757	2,389	4,146	2,026	2,433	4,459
ii) अन्य @@	82	1,801	1,883	94	1,593	1,687	94	1,629	1,723	238	1,568	1,806
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	107	—	107	170	—	170	232	—	232	351	—	351
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,007	228	1,235	2,062	287	2,349	1,269	287	1,556	3,328	298	3,626
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	348	23	371	1,136	25	1,161	195	25	220	2,287	25	2,312
ii) पर्यटन	467	120	587	518	149	667	562	149	711	615	156	771
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	29	29	47	29	76	94	26	120
iv) अन्य +	192	85	277	408	84	492	465	84	549	332	91	423
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	713	115,629	116,342	1,260	123,176	124,436	1,410	124,793	126,203	2,433	157,258	159,691
अ. राज्य सरकार के विभाग	—	1,761	1,761	—	2,056	2,056	—	2,186	2,186	—	2,389	2,389
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	8	806	814	8	1,561	1,569	25	1,561	1,586	20	1,462	1,482
i) कर और शुल्क वसूली	8	806	814	8	1,561	1,569	25	1,561	1,586	20	1,462	1,482
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	11,360	11,360	—	12,634	12,634	—	12,822	12,822	—	14,097	14,097
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	1,100	1,100	—	1,173	1,173	—	1,173	1,173	—	1,173	1,173
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	10,260	10,260	—	11,461	11,461	—	11,649	11,649	—	12,924	12,924
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	3,706	3,706	—	3,887	3,887	—	4,012	4,012	—	2,434	2,434
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	4,521	4,521	—	5,324	5,324	—	5,387	5,387	—	8,205	8,205
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	3,701	3,701	—	4,418	4,418	—	4,481	4,481	—	5,879	5,879
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,300	1,300
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	2,033	2,033	—	2,250	2,250	—	2,250	2,250	—	2,285	2,285
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	658	9,669	10,327	1,252	10,825	12,077	1,385	11,305	12,690	1,263	12,806	14,069
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	1,004	1,004	15	952	967	12	1,070	1,082	125	1,126	1,251
ii) जिला प्रशासन	—	384	384	—	391	391	—	396	396	—	426	426
iii) पुलिस	289	6,169	6,458	—	6,314	6,314	136	6,564	6,700	26	7,041	7,067
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	116	525	641	137	1,494	1,631	137	1,544	1,681	331	1,812	2,143
v) अन्य ++	253	1,587	1,840	1,100	1,674	2,774	1,100	1,731	2,831	781	2,401	3,182
उ. पेन्शन	47	4,105	4,152	—	4,259	4,259	—	4,578	4,578	—	4,663	4,663
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	87,928	87,928	—	91,841	91,841	—	92,341	92,341	1,150	121,841	122,991
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	87,616	87,616	—	91,329	91,329	—	91,329	91,329	—	121,329	121,329
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	513,546	2,687,321	3,200,867	663,784	3,322,297	3,986,081	808,452	3,262,273	4,070,725	865,162	3,598,205	4,463,367
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	477,676	1,231,215	1,708,891	632,407	1,558,760	2,191,167	773,109	1,513,752	2,286,861	829,755	1,679,484	2,509,239
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	343,733	787,908	1,131,641	499,333	898,976	1,398,309	608,974	881,452	1,490,426	702,071	1,027,956	1,730,027
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,872	468,384	501,256	43,608	598,659	642,267	42,260	644,896	687,156	72,704	751,529	824,233
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	18,199	92,591	110,790	24,703	125,366	150,069	24,593	129,286	153,879	16,505	163,507	180,012
3. परिवार कल्याण	27,394	1,103	28,497	26,377	1,986	28,363	27,425	2,482	29,907	29,948	4,552	34,500
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,955	509	6,464	8,063	1,779	9,842	8,929	1,768	10,697	2,913	1,908	4,821
5. आवास निर्माण	10,248	4,162	14,410	46,387	3,276	49,663	47,700	3,925	51,625	75,891	3,554	79,445
6. शहरी विकास	18,204	1,325	19,529	57,605	3,675	61,280	67,476	3,667	71,143	67,201	3,209	70,410
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	51,061	25,375	76,436	52,770	31,407	84,177	63,617	33,580	97,197	62,475	38,642	101,117
8. श्रम और श्रम कल्याण	602	12,266	12,868	1,181	13,656	14,837	13,545	1,471	15,016	1,927	14,366	16,293
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	101,713	18,276	119,989	144,116	23,703	167,819	136,764	29,151	165,915	180,739	31,739	212,478
10. पौष्टिक आहार	77,342	857	78,199	94,356	1,190	95,546	101,430	1,297	102,727	116,551	2,094	118,645
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	157,455	157,455	—	12,679	12,679	—	22,896	22,896	—	4,795	4,795
12. अन्य*	143	5,605	5,748	167	81,600	81,767	75,235	7,033	82,268	75,217	8,061	83,278
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	133,943	443,307	577,250	133,074	659,784	792,858	164,135	632,300	796,435	127,684	651,528	779,212
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	39,639	85,534	125,173	42,525	131,374	173,899	58,091	138,697	196,788	50,269	149,726	199,995
i) फसल कार्य	13,493	40,857	54,350	12,172	77,886	90,058	14,242	81,170	95,412	13,960	85,569	99,529
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	6,190	884	7,074	9,502	1,073	10,575	12,019	1,112	13,131	11,215	2,597	13,812
iii) पशु पालन	2,809	10,284	13,093	2,205	14,055	16,260	2,797	12,336	15,133	656	15,860	16,516
iv) डेरी विकास	478	1,990	2,468	498	1,296	1,794	498	1,398	1,896	318	1,537	1,855
v) मत्स्य पालन	3,367	1,301	4,668	5,798	1,682	7,480	16,393	1,688	18,081	10,524	2,096	12,620
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,251	7,319	11,570	4,646	8,758	13,404	4,164	8,819	12,983	4,154	10,573	14,727
vii) बागान	1	—	1	2	—	2	2	—	2	2	—	2
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4,549	6,671	11,220	5,671	7,217	12,888	5,935	8,219	14,154	8,016	8,507	16,523
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	4,481	12,844	17,325	1,988	15,244	17,232	1,987	19,647	21,634	1,281	17,566	18,847
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	20	3,384	3,404	43	4,163	4,206	54	4,308	4,362	143	5,421	5,564
2. ग्रामीण विकास	46,723	13,090	59,813	51,163	19,842	71,005	58,262	18,212	76,474	40,060	23,592	63,652
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	869	58	927	716	72	788	1,240	78	1,318	557	82	639
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,919	48,314	53,233	6,151	47,415	53,566	5,973	40,840	46,813	5,571	49,783	55,354
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	2,737	43,427	46,164	3,738	42,501	46,239	3,436	35,921	39,357	2,952	43,948	46,900
ii) लघु सिंचाई	586	3,971	4,557	562	4,625	5,187	669	4,499	5,168	513	5,415	5,928
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	915	915	—	289	289	—	420	420	—	420	420
5. ऊर्जा	94	102,613	102,707	2,148	118,089	120,237	158	118,111	118,269	1,170	113,927	115,097
जिसमें से : बिजली	—	102,613	102,613	2,000	118,089	120,089	—	118,111	118,111	1,000	113,927	114,927
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	23,520	6,917	30,437	21,816	19,373	41,189	29,867	20,148	50,015	22,335	20,963	43,298
i) ग्राम और लघु उद्योग	22,320	6,273	28,593	16,328	15,836	32,164	27,212	16,509	43,721	19,092	17,192	36,284
ii) उद्योग@	1,151	781	1,932	4,988	3,537	8,525	2,560	3,639	6,199	3,193	3,771	6,964
iii) अन्य**	49	-137	-88	500	—	500	95	—	95	50	—	50



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	13,440	48,443	61,883	2,504	81,871	84,375	3,830	82,356	86,186	2,088	86,112	88,200
i) सड़क और पुल	13,440	48,316	61,756	2,504	81,756	84,260	3,830	82,134	85,964	2,088	86,072	88,160
ii) अन्य @@	—	127	127	—	115	115	—	222	222	—	40	40
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,058	51	1,109	1,909	63	1,972	1,122	68	1,190	1,528	77	1,605
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	3,681	138,287	141,968	4,142	241,685	245,827	5,592	213,790	219,382	4,106	207,266	211,372
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	330	1,987	2,317	613	2,492	3,105	590	2,611	3,201	500	2,953	3,453
ii) पर्यटन	2,436	373	2,809	2,705	500	3,205	4,022	517	4,539	2,705	549	3,254
iii) नागरिक आपूर्ति	72	132,819	132,891	33	234,516	234,549	141	206,546	206,687	—	199,132	199,132
iv) अन्य +	843	3,108	3,951	791	4,177	4,968	839	4,116	4,955	901	4,632	5,533
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	3,035	1,286,055	1,289,090	2,537	1,548,289	1,550,826	6,503	1,530,274	1,536,777	6,567	1,638,245	1,644,812
अ. राज्य सरकार के विभाग	512	24,000	24,512	546	39,139	39,685	511	43,607	44,118	571	34,019	34,590
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	1,241	66,384	67,625	554	79,527	80,081	1,016	71,370	72,386	134	56,416	56,550
i) कर और शुल्क वसूली	1,241	58,963	60,204	554	71,930	72,484	1,016	66,265	67,281	134	51,258	51,392
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	7,421	7,421	—	7,597	7,597	—	5,105	5,105	—	5,158	5,158
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	500,879	500,879	—	579,881	579,881	—	594,289	594,289	—	599,583	599,583
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	455,879	455,879	—	534,881	534,881	—	549,289	549,289	—	554,583	554,583
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	42,625	42,625	—	50,670	50,670	—	62,585	62,585	—	54,000	54,000
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	342,185	342,185	—	411,141	411,141	—	414,923	414,923	—	447,652	447,652
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	119,398	119,398	—	129,589	129,589	—	126,330	126,330	—	137,750	137,750
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	161,387	161,387	—	218,594	218,594	—	218,594	218,594	—	251,080	251,080
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	54,543	54,543	—	59,938	59,938	—	57,782	57,782	—	45,207	45,207
iv) अन्य	—	16,526	16,526	—	13,132	13,132	—	13,999	13,999	—	7,724	7,724
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,282	211,645	212,927	1,437	276,107	277,544	4,976	297,874	302,850	5,862	324,886	330,748
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	100	5,734	5,834	373	6,905	7,278	157	7,409	7,566	196	8,370	8,566
ii) जिला प्रशासन	—	35,282	35,282	—	51,843	51,843	3,004	48,833	51,837	5,000	53,577	58,577
iii) पुलिस	—	122,653	122,653	—	146,787	146,787	—	168,958	168,958	—	185,316	185,316
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	12,409	12,409	—	27,557	27,557	—	28,428	28,428	—	28,737	28,737
v) अन्य ++	1,182	35,567	36,749	1,064	43,015	44,079	1,815	44,246	46,061	666	48,886	49,552
उ. पेन्शन	—	445,957	445,957	—	567,612	567,612	—	517,009	517,009	—	617,298	617,298
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	37,190	37,190	—	6,023	6,023	—	6,125	6,125	—	6,043	6,043
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	22	22	—	1	1	—	3	3	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	32,835	170,051	202,886	28,840	215,248	244,088	28,840	218,247	247,087	28,840	280,476	309,316
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	32,835	170,051	202,886	28,840	215,248	244,088	28,840	218,247	247,087	28,840	280,476	309,316

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	41,241	197,916	239,157	50,659	225,640	276,299	52,609	210,779	263,389	58,076	244,259	302,335
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	35,709	90,573	126,281	46,932	94,262	141,194	47,172	90,135	137,307	46,195	104,902	151,097
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	24,763	53,169	77,932	32,366	66,361	98,727	31,337	61,775	93,112	29,267	72,666	101,932
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,275	41,031	46,306	6,362	52,022	58,384	7,437	45,665	53,103	3,615	55,060	58,674
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,311	6,451	8,763	3,193	7,422	10,615	3,447	7,547	10,994	4,152	8,379	12,531
3. परिवार कल्याण	1,073	—	1,073	1,332	—	1,332	1,134	—	1,134	1,283	—	1,283
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	453	315	768	512	987	1,499	519	1,087	1,606	179	1,521	1,700
5. आवास निर्माण	—	294	294	—	600	600	—	600	600	—	600	600
6. शहरी विकास	1,373	89	1,461	4,644	53	4,697	979	227	1,206	2,137	228	2,365
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	7,956	1,198	9,154	7,663	1,167	8,830	9,193	1,166	10,359	8,816	1,174	9,990
8. श्रम और श्रम कल्याण	133	513	646	164	593	757	223	591	814	252	626	878
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,944	1,226	5,170	6,563	1,764	8,327	6,534	1,950	8,483	6,989	2,324	9,313
10. पौष्टिक आहार	1,850	88	1,938	1,487	99	1,586	1,425	94	1,519	1,207	102	1,309
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	1,330	1,330	—	937	937	—	2,112	2,112	—	1,857	1,857
12. अन्य*	395	635	1,030	446	717	1,163	446	735	1,181	636	795	1,432
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	10,946	37,403	48,349	14,566	27,901	42,467	15,835	28,360	44,195	16,929	32,236	49,165
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	4,274	11,040	15,314	6,200	12,573	18,773	7,235	12,300	19,535	8,776	13,891	22,667
i) फसल कार्य	2,415	4,362	6,777	3,235	4,862	8,097	4,029	4,860	8,890	4,861	5,600	10,461
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	71	526	597	178	591	769	166	588	754	105	613	718
iii) पशु पालन	244	1,994	2,238	402	2,212	2,614	525	2,130	2,655	771	2,473	3,244
iv) डेरी विकास	29	95	123	16	127	143	17	92	109	14	107	121
v) मत्स्य पालन	508	845	1,353	1,003	923	1,926	903	880	1,782	1,063	941	2,004
vi) वानिकी और वन्यजीवन	858	1,949	2,807	1,099	2,511	3,610	1,354	2,423	3,778	1,362	2,704	4,066
vii) बागान	9	—	9	14	—	14	21	—	21	25	—	25
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	31	657	687	60	688	748	54	685	739	50	749	799
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	14	—	14	80	—	80	34	—	34	244	—	244
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	95	612	707	113	659	772	132	641	773	281	704	985
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	4,442	2,975	7,417	5,625	3,501	9,126	5,750	3,529	9,279	4,933	4,316	9,250
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	183	—	183	344	—	344	311	—	311	512	—	512
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	36	2,393	2,429	72	2,608	2,680	71	2,683	2,755	53	3,026	3,079
जिसमें से :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	36	1,739	1,775	72	1,985	2,057	71	2,080	2,151	53	2,333	2,385
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल विकास	—	654	654	—	623	623	—	604	604	—	694	694
5. ऊर्जा	2	12,365	12,368	4	120	124	4	122	126	11	163	174
जिसमें से : बिजली	—	12,329	12,329	—	78	78	—	78	78	—	111	111
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,470	1,195	2,665	1,482	1,365	2,847	1,876	1,327	3,203	1,750	1,443	3,193
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,240	1,180	2,420	1,140	1,336	2,476	1,561	1,298	2,859	987	1,425	2,413
ii) उद्योग@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अन्य**	230	15	245	342	29	371	315	29	344	763	18	781



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	14	6,642	6,657	21	6,769	6,790	25	7,473	7,498	23	8,264	8,287
i) सड़क और पुल	—	5,819	5,819	—	5,741	5,741	—	6,441	6,441	—	7,237	7,237
ii) अन्य @@	14	823	837	21	1,028	1,049	25	1,032	1,057	23	1,027	1,050
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	105	44	149	111	48	159	42	48	90	177	51	228
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	418	749	1,167	707	917	1,624	522	877	1,399	694	1,082	1,776
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	154	120	273	352	131	483	115	133	248	227	142	369
ii) पर्यटन	93	23	116	116	36	152	134	32	166	160	39	198
iii) नागरिक आपूर्ति	109	310	419	171	393	564	227	379	606	257	500	757
iv) अन्य +	62	296	358	68	357	425	47	332	379	51	401	452
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	172	107,343	107,515	299	131,378	131,677	327	120,645	120,971	5,566	139,357	144,922
अ. राज्य सरकार के विभाग	36	2,336	2,371	85	2,572	2,657	49	2,915	2,964	78	3,654	3,732
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	19	2,171	2,190	41	1,968	2,009	15	1,998	2,013	16	2,289	2,305
i) कर और शुल्क वसूली	19	2,085	2,104	41	1,869	1,910	15	1,892	1,907	16	2,178	2,194
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	86	86	—	99	99	—	106	106	—	111	111
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	—	41,062	41,062	—	38,169	38,169	—	41,979	41,979	—	40,928	40,928
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	4,000	4,000	—	—	—	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	37,062	37,062	—	38,169	38,169	—	39,979	39,979	—	38,928	38,928
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	5,886	5,886	—	6,556	6,556	—	1,687	1,687	—	2,383	2,383
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	21,260	21,260	—	20,983	20,983	—	26,131	26,131	—	24,757	24,757
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	9,119	9,119	—	8,778	8,778	—	11,180	11,180	—	10,000	10,000
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	8,204	8,204	—	8,500	8,500	—	11,260	11,260	—	11,000	11,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	9,915	9,915	—	10,630	10,630	—	12,161	12,161	—	11,788	11,788
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	117	37,613	37,730	173	60,668	60,841	263	45,965	46,228	5,472	63,364	68,836
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	1,520	1,520	—	1,696	1,696	—	1,766	1,766	—	1,963	1,963
ii) जिला प्रशासन	14	2,104	2,119	17	1,890	1,907	116	2,013	2,129	108	2,224	2,332
iii) पुलिस	—	25,859	25,859	—	28,059	28,059	—	28,980	28,980	—	30,029	30,029
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	55	3,970	4,026	85	7,741	7,826	68	8,582	8,649	598	9,074	9,671
v) अन्य ++	48	4,159	4,207	71	21,282	21,353	80	4,625	4,705	4,766	20,074	24,840
उ. पेन्शन	—	24,162	24,162	—	28,000	28,000	—	27,787	27,787	—	29,121	29,121
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	5,361	—	5,361	3,428	—	3,428	5,110	—	5,110	6,315	—	6,315
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	5,361	—	5,361	3,428	—	3,428	5,110	—	5,110	6,315	—	6,315

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	139,631	421,466	561,097	231,576	528,048	759,624	156,596	491,933	648,529	231,915	575,343	807,258
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	139,575	207,161	346,736	231,278	250,448	481,726	156,451	222,650	379,101	231,183	262,310	493,492
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	76,995	148,579	225,574	145,874	172,175	318,048	87,736	153,990	241,727	148,623	183,018	331,641
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,624	99,860	125,484	35,605	116,795	152,400	33,151	106,592	139,742	43,731	121,843	165,575
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,038	20,549	25,587	10,325	26,022	36,347	6,530	18,149	24,679	9,850	24,180	34,030
3. परिवार कल्याण	2,245	—	2,245	3,206	—	3,206	2,449	—	2,449	3,460	—	3,460
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	18,238	9,423	27,661	24,948	5,000	29,948	23,544	5,000	28,544	32,072	6,000	38,072
5. आवास निर्माण	—	255	255	—	260	260	—	107	107	—	162	162
6. शहरी विकास	10,588	250	10,838	48,960	322	49,282	4,563	317	4,880	22,847	423	23,270
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	6,375	4,789	11,163	6,341	4,612	10,953	5,273	4,092	9,365	10,081	5,128	15,209
8. श्रम और श्रम कल्याण	997	1,730	2,727	4,845	2,168	7,013	1,068	1,890	2,958	4,002	2,324	6,326
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,254	4,414	11,669	11,082	5,649	16,731	10,626	6,342	16,967	21,541	6,498	28,039
10. पौष्टिक आहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदा राहत	40	5,602	5,642	65	9,494	9,559	133	8,773	8,905	502	13,881	14,384
12. अन्य*	595	1,707	2,302	496	1,854	2,350	400	2,730	3,130	536	2,579	3,115
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	62,580	58,582	121,162	85,404	78,274	163,677	68,715	68,659	137,374	82,560	79,292	161,851
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	23,423	27,380	50,802	37,058	31,433	68,491	31,666	29,832	61,498	34,092	33,484	67,577
i) फसल कार्य	6,946	6,444	13,390	10,710	7,515	18,225	10,164	6,862	17,027	15,627	8,425	24,051
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	470	—	470	535	—	535	644	—	644	240	—	240
iii) पशु पालन	812	2,901	3,713	1,418	3,269	4,687	914	2,965	3,878	689	3,594	4,283
iv) डेरी विकास	780	162	943	814	205	1,019	938	197	1,135	998	217	1,215
v) मत्स्य पालन	62	117	180	197	159	357	95	192	287	470	235	706
vi) वानिकी और वन्यजीवन	12,578	11,501	24,079	18,395	13,362	31,756	15,398	12,464	27,862	12,418	13,905	26,322
vii) बागान	—	25	25	—	—	—	—	—	—	—	50	50
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	1,051	1,051	—	1,325	1,325	—	1,192	1,192	800	1,079	1,879
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,011	4,658	5,669	3,475	4,886	8,361	1,566	5,413	6,979	1,289	5,550	6,839
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	764	519	1,283	1,513	712	2,225	1,946	548	2,494	1,562	429	1,991
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	19,047	7,435	26,482	22,326	9,007	31,333	20,007	7,600	27,607	27,701	9,735	37,436
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,315	15,479	16,794	1,608	18,390	19,997	549	15,420	15,969	1,008	17,639	18,647
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	50	10,769	10,819	—	13,357	13,357	68	11,434	11,501	5	12,878	12,883
ii) लघु सिंचाई	986	4,419	5,405	1,108	4,743	5,851	274	3,981	4,255	303	4,470	4,773
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	291	291	—	290	290	—	5	5	—	290	290
5. ऊर्जा	9,311	141	9,452	4,741	192	4,933	3,881	157	4,038	1,809	177	1,986
जिसमें से : बिजली	7,944	11	7,956	3,500	42	3,542	2,770	8	2,778	1,030	33	1,063
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,623	1,063	2,686	2,934	1,294	4,228	1,778	1,135	2,913	2,424	1,301	3,725
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,606	851	2,457	2,901	1,041	3,942	1,756	943	2,700	2,413	1,075	3,488
ii) उद्योग@	17	212	229	33	253	286	21	192	213	11	226	237
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखण्ड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,631	5,914	7,544	2,762	16,747	19,509	3,005	13,439	16,445	6,175	15,507	21,682
i) सड़क और पुल	1,631	5,105	6,736	2,762	12,824	15,586	3,005	11,621	14,626	6,113	12,584	18,697
ii) अन्य @@	—	808	808	—	3,923	3,923	—	1,819	1,819	62	2,923	2,985
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,700	—	1,700	3,885	—	3,885	1,341	—	1,341	1,238	—	1,238
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	4,531	1,171	5,702	10,090	1,211	11,301	6,488	1,076	7,564	8,113	1,449	9,562
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,405	308	3,713	7,900	116	8,016	4,350	95	4,445	4,876	113	4,989
ii) पर्यटन	970	214	1,185	2,112	317	2,429	2,047	246	2,293	2,236	476	2,712
iii) नागरिक आपूर्ति	—	174	174	15	220	235	—	191	191	925	217	1,141
iv) अन्य +	156	475	630	63	558	621	92	542	634	76	644	720
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	56	202,641	202,697	299	256,271	256,569	145	239,609	239,753	732	280,678	281,411
अ. राज्य सरकार के विभाग	—	5,882	5,882	10	10,382	10,392	—	8,582	8,582	408	14,056	14,464
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	48	10,027	10,075	267	14,808	15,075	120	9,392	9,512	276	14,625	14,901
i) कर और शुल्क वसूली	48	9,863	9,911	267	14,582	14,849	120	9,227	9,347	276	14,369	14,646
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	164	164	—	226	226	—	165	165	—	256	256
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	95,253	95,253	—	114,125	114,125	—	114,734	114,734	—	126,042	126,042
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	14,500	14,500	—	13,500	13,500	—	13,500	13,500	—	11,000	11,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	80,753	80,753	—	100,625	100,625	—	101,234	101,234	—	115,042	115,042
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	4,227	4,227	—	3,800	3,800	—	3,800	3,800	—	3,700	3,700
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	63,060	63,060	—	77,211	77,211	—	79,534	79,534	—	92,226	92,226
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	28,552	28,552	—	27,951	27,951	—	29,716	29,716	—	31,814	31,814
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	32,041	32,041	—	40,000	40,000	—	41,175	41,175	—	48,500	48,500
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	8,038	8,038	—	12,582	12,582	—	12,582	12,582	—	13,583	13,583
iv) अन्य	—	5,427	5,427	—	7,033	7,033	—	5,318	5,318	—	5,533	5,533
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	8	46,085	46,093	22	64,531	64,553	24	54,427	54,451	48	65,953	66,001
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	3,312	3,312	—	4,711	4,711	—	3,260	3,260	—	5,080	5,080
ii) जिला प्रशासन	—	2,887	2,887	—	4,067	4,067	—	3,328	3,328	—	4,496	4,496
iii) पुलिस	—	23,528	23,528	—	31,695	31,695	—	28,395	28,395	—	33,411	33,411
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	11,231	11,231	—	17,847	17,847	—	13,794	13,794	—	16,223	16,223
v) अन्य ++	8	5,128	5,136	22	6,210	6,232	24	5,649	5,673	48	6,744	6,792
उ. पेन्शन	—	45,305	45,305	—	52,319	52,319	—	52,319	52,319	—	59,997	59,997
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	89	89	—	105	105	—	156	156	—	5	5
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	11,664	11,664	—	21,329	21,329	—	29,675	29,675	—	32,355	32,355
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	11,664	11,664	—	21,329	21,329	—	29,675	29,675	—	32,355	32,355

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	644,481	4,017,233	4,661,714	926,105	4,576,017	5,502,122	998,603	4,668,515	5,667,118	1,392,541	5,394,597	6,787,138
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	640,020	1,696,535	2,336,555	907,270	1,928,170	2,835,440	978,085	2,008,960	2,987,045	1,373,701	2,401,667	3,775,369
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	473,114	1,087,857	1,560,971	671,560	1,245,736	1,917,296	731,321	1,276,737	2,008,058	1,001,145	1,539,571	2,540,716
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	157,925	721,065	878,990	228,698	834,265	1,062,962	230,564	852,869	1,083,433	277,778	942,404	1,220,182
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	45,391	170,027	215,418	55,219	208,575	263,795	57,260	208,600	265,861	55,295	240,853	296,148
3. परिवार कल्याण	33,512	10,631	44,143	40,172	13,021	53,193	41,038	13,326	54,364	38,802	14,430	53,232
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	62,347	91	62,438	53,115	—	53,115	56,990	—	56,990	61,338	—	61,338
5. आवास निर्माण	50	1,788	1,838	50	2,357	2,407	50	2,517	2,567	70	3,253	3,323
6. शहरी विकास	4,957	6,101	11,058	31,263	12,269	43,532	31,263	17,439	48,702	230,354	19,045	249,398
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	88,382	58,345	146,727	117,252	55,385	172,638	117,282	56,385	173,668	76,720	141,485	218,205
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,751	11,307	13,058	1,875	12,043	13,918	36,083	12,043	48,127	3,577	13,983	17,559
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	77,921	66,617	144,538	143,674	71,543	215,217	160,547	73,239	233,787	256,843	121,875	378,718
10. पौष्टिक आहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	37,315	37,315	—	30,472	30,472	—	31,370	31,370	—	33,359	33,359
12. अन्य*	877	4,571	5,448	242	5,806	6,048	242	8,948	9,190	369	8,885	9,254
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	166,906	608,678	775,584	235,711	682,434	918,144	246,764	732,223	978,987	372,556	862,096	1,234,653
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	34,691	113,348	148,040	53,142	110,188	163,330	62,563	110,733	173,295	134,415	126,890	261,304
i) फसल कार्य	17,096	54,227	71,323	25,125	53,531	78,656	25,649	53,531	79,180	65,518	58,091	123,609
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	11,542	7,014	18,556	16,713	7,428	24,141	19,444	7,428	26,872	26,307	9,081	35,387
iii) पशु पालन	1,760	15,857	17,617	4,884	17,823	22,707	4,911	17,827	22,737	8,919	19,788	28,708
iv) डेरी विकास	1,379	752	2,131	1,384	812	2,195	1,432	812	2,243	12,204	948	13,152
v) मत्स्य पालन	1,124	1,816	2,941	1,469	1,716	3,186	1,658	1,716	3,375	3,493	2,056	5,549
vi) वानिकी और वन्यजीवन	402	14,100	14,502	630	16,619	17,249	2,333	16,619	18,952	2,419	20,760	23,179
vii) बागान	—	254	254	—	269	269	—	269	269	—	327	327
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	8,305	8,305	—	1	1	—	1	1	—	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,277	4,189	5,466	2,821	4,681	7,502	2,921	5,221	8,142	8,075	5,749	13,824
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	108	6,311	6,419	115	6,619	6,734	4,215	6,619	10,834	7,480	9,333	16,812
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2	523	525	—	689	689	—	689	689	—	756	756
2. ग्रामीण विकास	77,163	148,779	225,941	123,743	108,378	232,121	124,569	108,496	233,065	153,841	149,479	303,320
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,950	—	4,950	6,300	2,500	8,800	6,300	2,500	8,800	5,000	2,500	7,500
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	24,927	114,146	139,073	28,268	186,147	214,416	28,423	182,197	210,621	28,259	223,222	251,481
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	100	91,027	91,127	100	142,883	142,983	100	138,933	139,033	100	171,031	171,131
ii) लघु सिंचाई	15,339	19,669	35,008	16,467	39,854	56,321	16,622	39,854	56,476	17,267	48,781	66,048
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	—	3,450	3,450	—	3,410	3,410	—	3,410	3,410	—	3,410	3,410
5. ऊर्जा	4,810	135,295	140,105	2,188	107,893	110,081	2,269	160,893	163,162	2,129	160,522	162,651
जिसमें से : बिजली	3,949	135,008	138,957	—	107,578	107,578	—	160,578	160,578	—	160,149	160,149
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	18,094	10,980	29,074	11,478	9,238	20,716	11,517	9,277	20,794	35,470	36,495	71,966
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,980	5,465	12,445	6,965	5,580	12,545	7,004	5,586	12,590	7,930	6,736	14,666
ii) उद्योग@	10,914	4,381	15,296	3,811	3,464	7,275	3,811	3,498	7,308	26,540	4,350	30,890
iii) अन्य**	200	1,134	1,334	703	193	896	703	193	896	1,000	25,409	26,409



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	78	76,375	76,453	222	146,962	147,184	222	146,982	147,204	140	149,086	149,226
i) सड़क और पुल	—	73,109	73,109	—	143,481	143,481	—	143,481	143,481	—	144,739	144,739
ii) अन्य @@	78	3,266	3,344	222	3,481	3,703	222	3,501	3,723	140	4,346	4,486
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	550	210	760	9,097	343	9,440	9,546	343	9,889	12,032	480	12,512
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,642	9,545	11,187	1,273	10,784	12,056	1,355	10,802	12,157	1,270	13,423	14,693
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	357	4,080	4,438	224	4,560	4,784	224	4,560	4,784	38	5,670	5,708
ii) पर्यटन	309	654	962	565	718	1,282	577	718	1,294	182	867	1,049
iii) नागरिक आपूर्ति	—	572	572	—	746	746	70	746	816	—	980	980
iv) अन्य +	976	4,239	5,215	485	4,760	5,244	485	4,778	5,263	1,050	5,905	6,956
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	4,462	2,087,506	2,091,968	18,834	2,378,521	2,397,355	20,519	2,390,202	2,410,721	18,840	2,630,289	2,649,128
अ. राज्य सरकार के विभाग	1,142	47,773	48,915	2,112	68,143	70,255	2,112	69,232	71,344	2,503	74,148	76,651
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	763	93,159	93,922	3,060	102,001	105,061	4,283	103,017	107,300	4,672	122,874	127,547
i) कर और शुल्क वसूली	763	92,411	93,173	3,060	101,082	104,142	4,283	102,098	106,381	4,672	121,820	126,492
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	748	748	—	919	919	—	919	919	—	1,055	1,055
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	—	1,173,505	1,173,505	—	1,312,806	1,312,806	—	1,348,562	1,348,562	—	1,411,937	1,411,937
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	263,680	263,680	—	287,207	287,207	—	287,207	287,207	—	305,793	305,793
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	909,825	909,825	—	1,025,599	1,025,599	—	1,061,355	1,061,355	—	1,106,144	1,106,144
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	192,867	192,867	—	152,620	152,620	—	184,562	184,562	—	171,747	171,747
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	624,059	624,059	—	701,372	701,372	—	705,185	705,185	—	749,342	749,342
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	273,571	273,571	—	256,805	256,805	—	256,108	256,108	—	266,950	266,950
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	309,018	309,018	—	375,256	375,256	—	380,834	380,834	—	417,720	417,720
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	83,747	83,747	—	160,602	160,602	—	160,602	160,602	—	174,002	174,002
iv) अन्य	—	9,152	9,152	—	11,006	11,006	—	11,006	11,006	—	11,052	11,052
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	2,557	371,246	373,803	8,662	439,336	447,998	9,124	432,992	442,116	1,164	437,390	438,554
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	12	12,311	12,323	3,284	90,002	93,286	3,746	85,919	89,665	—	16,657	16,657
ii) जिला प्रशासन	—	19,671	19,671	5,000	21,433	26,433	5,000	21,437	26,437	650	24,953	25,603
iii) पुलिस	113	254,980	255,093	—	265,762	265,762	—	267,296	267,296	—	321,561	321,561
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	136	31,975	32,111	224	3,451	3,675	224	-1,438	-1,214	228	4,663	4,892
v) अन्य ++	2,296	52,310	54,607	154	58,688	58,842	154	59,778	59,932	285	69,555	69,840
उ. पेन्शन	—	399,080	399,080	—	454,150	454,150	—	434,300	434,300	—	581,936	581,936
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	2,743	2,743	5,000	2,086	7,086	5,000	2,100	7,100	10,500	2,004	12,504
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	1	1	—	49	49	—	49	49	—	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	233,192	233,192	—	269,326	269,326	—	269,352	269,352	—	362,641	362,641
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	233,192	233,192	—	269,326	269,326	—	269,352	269,352	—	362,641	362,641

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	429,408	2,682,272	3,111,681	496,855	3,007,349	3,504,204	523,373	3,022,666	3,546,039	665,252	3,117,254	3,782,506
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	424,299	1,019,198	1,443,498	490,973	1,180,486	1,671,459	517,037	1,202,443	1,719,480	654,694	1,207,615	1,862,309
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	218,012	761,991	980,003	317,931	891,084	1,209,015	329,415	887,649	1,217,064	444,132	905,718	1,349,850
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	70,788	484,673	555,461	100,734	568,694	669,428	110,785	545,234	656,019	113,532	570,121	683,653
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,761	118,245	132,006	23,053	135,560	158,613	20,175	135,644	155,819	23,802	142,657	166,459
3. परिवार कल्याण	18,070	381	18,451	17,749	796	18,545	19,778	409	20,187	19,191	431	19,622
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,869	13,890	20,759	7,891	13,938	21,829	7,835	19,438	27,273	7,808	15,787	23,595
5. आवास निर्माण	26	6,091	6,117	140	8,887	9,027	50	8,632	8,682	200	8,870	9,070
6. शहरी विकास	40,446	53,571	94,017	69,998	65,864	135,861	61,849	87,495	149,344	159,023	60,891	219,914
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	17,943	9,900	27,843	23,100	11,037	34,137	24,425	11,487	35,912	22,838	15,213	38,051
8. श्रम और श्रम कल्याण	70	5,433	5,503	287	6,244	6,531	280	6,164	6,444	1,256	6,570	7,826
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	31,373	38,969	70,342	46,844	47,119	93,962	54,205	49,084	103,289	64,767	50,263	115,030
10. पौष्टिक आहार	13,107	45	13,152	21,401	454	21,855	23,283	455	23,738	23,395	455	23,850
11. प्राकृतिक आपदा राहत	11	23,473	23,484	—	24,149	24,149	—	14,717	14,717	—	25,213	25,213
12. अन्य*	5,548	7,320	12,868	6,734	8,343	15,077	6,750	8,890	15,640	8,320	9,247	17,567
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	206,287	257,208	463,495	173,042	289,401	462,444	187,622	314,794	502,416	210,562	301,897	512,459
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	15,204	63,199	78,403	20,278	74,597	94,875	22,350	69,979	92,329	21,689	74,346	96,035
i) फसल कार्य	6,106	13,506	19,612	8,568	15,196	23,763	11,168	15,030	26,198	8,922	15,968	24,890
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	64	1,002	1,066	75	1,434	1,509	75	1,251	1,326	82	1,348	1,430
iii) पशु पालन	1,959	11,327	13,286	1,747	12,995	14,742	2,060	12,726	14,786	2,490	13,509	15,999
iv) डेरी विकास	100	6,992	7,092	230	11,269	11,499	230	7,500	7,730	48	7,932	7,980
v) मत्स्य पालन	2,665	1,826	4,491	1,929	1,941	3,870	2,628	2,069	4,697	1,888	2,167	4,055
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,864	11,951	13,815	3,519	13,003	16,522	3,892	13,008	16,900	3,980	13,723	17,703
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	22	7,339	7,361	43	8,742	8,785	44	8,226	8,270	80	8,708	8,788
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,681	5,031	6,712	1,011	5,365	6,376	1,083	5,545	6,628	1,016	6,104	7,120
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	628	3,675	4,303	2,967	3,981	6,948	983	3,998	4,981	2,993	4,221	7,214
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	115	550	665	190	671	861	187	626	813	190	666	856
2. ग्रामीण विकास	71,993	50,619	122,612	88,251	62,253	150,504	81,886	80,639	162,525	111,464	66,320	177,784
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	24,890	15,312	40,202	21,327	16,373	37,700	28,505	16,464	44,969	25,297	17,332	42,629
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,469	51,300	53,769	3,092	53,922	57,014	3,087	62,794	65,881	3,462	58,296	61,758
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,500	16,380	17,880	1,530	6,738	8,268	1,529	24,101	25,630	1,777	20,068	21,845
ii) लघु सिंचाई	119	26,195	26,314	396	26,931	27,326	391	30,541	30,932	410	30,236	30,646
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	469	8,129	8,598	736	7,769	8,505	737	8,152	8,889	810	7,992	8,802
5. ऊर्जा	42,481	—	42,481	901	—	901	1,701	—	1,701	3,760	—	3,760
जिसमें से : बिजली	41,795	—	41,795	1	—	1	801	—	801	2,760	—	2,760
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	36,904	9,716	46,620	20,048	8,564	28,612	30,861	8,511	39,372	21,174	8,565	29,739
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,533	8,477	15,010	4,643	7,096	11,739	5,434	7,120	12,554	4,658	7,095	11,753
ii) उद्योग@	30,371	1,239	31,610	15,405	1,468	16,874	25,427	1,391	26,818	16,516	1,470	17,986
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	10,299	59,054	69,353	16,740	65,705	82,445	16,648	67,936	84,584	19,689	67,969	87,658
i) सड़क और पुल	7,981	23,260	31,241	14,500	29,186	43,686	9,966	34,949	44,915	13,177	33,586	46,763
ii) अन्य @@	2,318	35,794	38,112	2,240	36,519	38,759	6,682	32,987	39,669	6,512	34,383	40,895
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	578	25	603	931	26	957	926	27	953	2,109	29	2,138
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,469	7,983	9,452	1,474	7,962	9,436	1,658	8,444	10,102	1,918	9,040	10,958
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	111	3,248	3,359	266	3,797	4,063	246	3,883	4,129	247	4,146	4,393
ii) पर्यटन	318	1,633	1,951	454	364	818	557	1,093	1,650	814	1,157	1,971
iii) नागरिक आपूर्ति	414	1,444	1,858	676	1,736	2,412	697	1,595	2,292	749	1,767	2,516
iv) अन्य +	626	1,658	2,284	78	2,065	2,143	158	1,873	2,031	108	1,970	2,078
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	4,511	1,630,260	1,634,771	5,282	1,793,734	1,799,016	5,736	1,789,101	1,794,837	8,638	1,877,877	1,886,515
अ. राज्य सरकार के विभाग	1,001	23,042	24,043	205	29,895	30,100	1,346	31,984	33,330	1,730	26,632	28,362
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	439	48,203	48,642	1,084	52,785	53,869	1,078	52,984	54,062	1,685	55,695	57,380
i) कर और शुल्क वसूली	439	45,908	46,347	1,084	50,331	51,415	1,078	50,513	51,591	1,685	53,025	54,710
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	-	2,295	2,295	-	2,454	2,454	-	2,471	2,471	-	2,670	2,670
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	996,876	996,876	-	1,128,577	1,128,577	-	1,117,812	1,117,812	-	1,184,531	1,184,531
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	-	21,600	21,600	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	36,000	36,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	975,276	975,276	-	1,098,577	1,098,577	-	1,087,812	1,087,812	-	1,148,531	1,148,531
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	-	160,582	160,582	-	184,176	184,176	-	180,904	180,904	-	171,687	171,687
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	705,406	705,406	-	815,872	815,872	-	812,387	812,387	-	875,084	875,084
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	-	156,851	156,851	-	164,179	164,179	-	159,039	159,039	-	181,042	181,042
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	447,081	447,081	-	553,323	553,323	-	548,141	548,141	-	606,136	606,136
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	37,177	37,177	-	41,100	41,100	-	41,160	41,160	-	43,260	43,260
iv) अन्य	-	72,111	72,111	-	57,430	57,430	-	53,361	53,361	-	58,500	58,500
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	3,071	196,538	199,609	3,993	217,528	221,521	3,312	239,579	242,891	5,223	238,336	243,559
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	-	6,199	6,199	50	7,246	7,296	103	7,430	7,533	120	7,971	8,091
ii) जिला प्रशासन	-	6,781	6,781	-	7,494	7,494	-	7,505	7,505	-	7,932	7,932
iii) पुलिस	1,470	124,105	125,575	850	131,090	131,940	800	139,858	140,658	1,700	146,271	147,971
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	949	20,731	21,680	1,682	27,911	29,593	966	39,433	40,399	2,355	28,836	31,191
v) अन्य ++	652	38,722	39,374	1,411	43,787	45,197	1,443	45,353	46,796	1,048	47,326	48,374
उ. पेन्शन	-	364,150	364,150	-	362,244	362,244	-	344,132	344,132	-	369,942	369,942
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	-	1,451	1,451	-	2,705	2,705	-	2,610	2,610	-	2,741	2,741
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	-	1,377	1,377	-	2,598	2,598	-	2,532	2,532	-	2,659	2,659
III. सहायता अनुदान और अंशदान	598	32,814	33,412	600	33,129	33,729	600	31,122	31,722	1,920	31,762	33,682
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	598	32,814	33,412	600	33,129	33,729	600	31,122	31,722	1,920	31,762	33,682

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	6,962,631	36,840,761	43,803,392	9,560,378	42,151,885	51,712,264	10,259,736	43,439,727	53,699,463	12,350,122	47,125,873	59,475,995
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	6,749,756	17,369,792	24,119,549	9,217,536	19,030,023	28,247,559	9,891,558	20,501,794	30,393,353	11,864,968	21,960,162	33,825,130
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	3,963,983	10,891,167	14,855,150	5,758,035	11,995,416	17,753,452	6,157,904	12,638,054	18,795,957	7,332,167	13,683,091	21,015,257
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,061,376	6,753,362	7,814,737	1,444,525	7,747,014	9,191,539	1,529,931	7,951,636	9,481,567	1,723,537	8,663,449	10,386,986
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	300,997	1,453,217	1,754,214	407,725	1,722,321	2,130,046	402,841	1,742,486	2,145,327	436,770	1,942,399	2,379,169
3. परिवार कल्याण	230,544	45,796	276,340	286,848	65,673	352,521	288,120	64,231	352,351	315,955	69,742	385,697
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	398,753	447,732	846,486	429,748	410,733	840,481	451,786	429,186	880,973	469,264	477,569	946,833
5. आवास निर्माण	122,910	77,250	200,160	207,912	96,396	304,308	233,288	105,479	338,766	324,744	97,151	421,895
6. शहरी विकास	279,174	189,506	468,680	838,875	219,940	1,058,815	864,191	281,360	1,145,550	1,424,991	296,947	1,721,938
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	609,216	436,446	1,045,662	797,481	439,113	1,236,595	877,350	445,534	1,322,884	903,561	660,382	1,563,943
8. श्रम और श्रम कल्याण	88,298	77,346	165,644	61,022	140,669	201,691	104,099	130,542	234,640	103,651	153,966	257,616
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	525,807	397,410	923,217	824,309	474,439	1,298,748	892,507	487,721	1,380,227	1,065,860	616,004	1,681,864
10. पौष्टिक आहार	298,594	103,561	402,155	406,548	103,457	510,004	411,096	114,299	525,394	458,319	116,292	574,612
11. प्राकृतिक आपदा राहत	19,912	837,047	856,958	31,367	420,304	451,671	5,482	795,125	800,607	2,800	494,962	497,763
12. अन्य*	28,402	72,494	100,897	21,676	155,359	177,034	97,213	90,456	187,669	102,715	94,228	196,943
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	2,785,773	6,478,625	9,264,398	3,459,501	7,034,607	10,494,107	3,733,655	7,863,741	11,597,395	4,532,801	8,277,071	12,809,873
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xii)	651,206	1,447,465	2,098,672	854,746	1,503,755	2,358,500	960,659	1,586,580	2,547,239	1,167,732	1,693,807	2,861,539
i) फसल कार्य	269,303	298,585	567,888	339,233	377,125	716,358	378,702	374,821	753,523	518,225	431,136	949,360
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	65,008	38,237	103,245	84,302	43,433	127,734	88,684	44,101	132,784	102,336	49,904	152,240
iii) पशु पालन	49,795	212,726	262,522	74,861	237,784	312,645	80,401	248,892	329,292	89,527	270,697	360,224
iv) डेरी विकास	11,633	82,646	94,279	19,336	79,643	98,978	31,083	65,361	96,445	47,500	77,927	125,427
v) मत्स्य पालन	24,716	36,246	60,962	36,740	45,835	82,575	47,639	40,505	88,144	48,539	46,646	95,185
vi) वानिकी और वन्यजीवन	144,131	287,977	432,108	186,700	308,644	495,344	200,355	328,610	528,965	197,587	346,194	543,780
vii) बागान	17	602	619	27	593	619	34	592	626	41	709	750
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	5,306	158,228	163,533	10,159	141,200	151,359	8,911	156,044	164,955	20,491	119,845	140,335
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	41,106	121,892	162,998	49,751	131,181	180,932	47,408	135,864	183,272	55,629	149,636	205,264
x) कृषि वित्त संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	35,528	203,175	238,703	50,433	128,163	178,596	72,612	181,566	254,177	79,666	190,676	270,342
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4,661	7,152	11,813	3,205	10,156	13,361	4,830	10,225	15,054	8,193	10,438	18,630
2. ग्रामीण विकास	976,014	782,763	1,758,777	1,195,406	860,985	2,056,391	1,296,019	919,535	2,215,555	1,514,291	949,327	2,463,618
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	47,342	33,816	81,158	63,529	37,807	101,336	76,606	52,856	129,463	73,113	54,030	127,143
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	194,807	944,653	1,139,460	342,745	1,143,318	1,486,063	323,503	1,202,501	1,526,005	376,240	1,347,069	1,723,309
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	76,163	731,047	807,210	209,741	868,497	1,078,238	175,405	918,349	1,093,754	227,385	1,047,842	1,275,228
ii) लघु सिंचाई	72,468	165,986	238,454	90,291	200,737	291,028	101,754	219,350	321,104	97,991	231,561	329,552
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	2,561	49,387	51,947	1,801	53,142	54,943	2,237	56,285	58,522	3,017	58,471	61,488
5. ऊर्जा	232,998	1,888,715	2,121,714	203,762	1,734,784	1,938,546	211,697	2,268,028	2,479,725	234,645	2,163,401	2,398,045
जिसमें से : बिजली	211,457	1,884,059	2,095,516	180,016	1,730,275	1,910,291	186,018	2,266,894	2,452,912	216,053	2,161,710	2,377,763
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	245,140	137,309	382,448	240,187	153,564	393,751	293,962	171,840	465,802	307,317	265,050	572,367
i) ग्राम और लघु उद्योग	117,901	88,741	206,641	138,792	92,207	230,998	165,936	98,837	264,773	171,450	117,746	289,196
ii) उद्योग@	123,046	48,270	171,317	92,246	59,532	151,778	119,646	71,654	191,300	126,370	121,768	248,138
iii) अन्य**	4,191	299	4,491	9,149	1,826	10,975	8,380	1,349	9,729	9,498	25,536	35,034



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	165,206	900,524	1,065,729	152,947	1,212,217	1,365,164	183,653	1,295,034	1,478,687	236,538	1,344,299	1,580,838
i) सड़क और पुल	145,550	654,472	800,022	119,988	978,400	1,098,388	148,481	1,050,399	1,198,881	193,351	1,105,918	1,299,269
ii) अन्य @@	19,656	246,052	265,708	32,959	233,817	266,776	35,172	244,635	279,807	43,188	238,381	281,568
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	26,046	3,419	29,465	39,796	4,362	44,158	36,948	4,567	41,514	44,865	5,260	50,125
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	247,015	339,962	586,977	366,385	383,816	750,200	350,608	362,800	713,408	578,061	454,830	1,032,891
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	179,654	43,240	222,894	259,542	46,766	306,308	240,170	48,765	288,936	477,021	53,455	530,476
ii) पर्यटन	39,274	9,661	48,936	58,253	17,322	75,575	62,033	18,435	80,468	66,308	19,209	85,517
iii) नागरिक आपूर्ति	14,965	168,421	183,385	15,751	273,598	289,350	14,066	247,730	261,796	14,963	268,035	282,998
iv) अन्य +	13,123	118,640	131,763	32,838	46,130	78,968	34,338	47,871	82,209	19,769	114,131	133,900
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	150,549	18,537,975	18,688,524	285,292	21,911,685	22,196,976	305,807	21,665,054	21,970,861	422,883	23,635,640	24,058,523
अ. राज्य सरकार के विभाग	6,707	406,032	412,740	10,903	490,096	500,999	11,188	523,084	534,272	11,583	534,165	545,749
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	21,757	938,835	960,592	31,701	1,041,056	1,072,756	41,566	1,115,242	1,156,808	33,275	1,185,205	1,218,480
i) कर और शुल्क वसूली	21,744	886,164	907,908	31,688	987,962	1,019,651	41,553	1,074,458	1,116,011	33,262	1,145,774	1,179,035
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	13	52,671	52,684	13	53,093	53,106	13	40,784	40,797	13	39,431	39,444
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	803	9,044,546	9,045,349	-	10,391,532	10,391,532	4,337	10,338,711	10,343,048	-	10,988,686	10,988,686
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	-	642,953	642,953	-	662,042	662,042	-	772,617	772,617	-	721,194	721,194
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	803	8,401,593	8,402,396	-	9,729,490	9,729,490	4,337	9,566,095	9,570,432	-	10,267,491	10,267,491
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	-	1,314,974	1,314,974	-	1,440,613	1,440,613	-	1,318,306	1,318,306	-	1,291,439	1,291,439
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	5,622,732	5,622,732	-	6,621,983	6,621,983	-	6,663,853	6,663,853	-	7,275,569	7,275,569
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	-	1,903,612	1,903,612	-	1,989,690	1,989,690	-	1,965,706	1,965,706	-	2,109,778	2,109,778
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	2,771,677	2,771,677	-	3,404,512	3,404,512	-	3,461,370	3,461,370	-	3,972,648	3,972,648
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	1,116,257	1,116,257	-	1,277,171	1,277,171	-	1,257,640	1,257,640	-	1,368,649	1,368,649
iv) अन्य	803	347,630	348,433	-	389,724	389,724	4,337	326,297	330,634	-	331,832	331,832
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	110,746	3,319,026	3,429,772	229,682	4,068,861	4,298,544	232,931	4,018,124	4,251,055	355,715	4,550,885	4,906,600
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	28,169	120,975	149,145	59,154	231,343	290,497	57,063	235,637	292,700	159,776	213,563	373,339
ii) जिला प्रशासन	31,727	361,770	393,496	109,538	375,990	485,528	113,576	385,544	499,120	110,656	418,989	529,645
iii) पुलिस	26,142	2,095,283	2,121,425	24,456	2,319,865	2,344,320	24,081	2,437,138	2,461,219	34,926	2,612,022	2,646,948
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	12,994	290,904	303,898	10,312	393,526	403,838	9,532	412,928	422,460	12,723	430,354	443,077
v) अन्य ++	11,714	450,094	461,808	26,223	748,138	774,361	28,679	546,877	575,556	37,633	875,958	913,591
उ. पेन्शन	47	4,064,703	4,064,750	-	4,782,489	4,782,489	-	4,773,873	4,773,873	-	5,426,269	5,426,269
ऊ. विविध सामान्य सेवा	10,488	764,834	775,322	13,006	1,137,651	1,150,657	15,785	896,021	911,806	22,310	950,430	972,740
जिसमें से:												
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	-	677,428	677,428	-	1,025,724	1,025,724	-	828,953	828,953	-	788,800	788,800
III. सहायता अनुदान और अंशदान	59,056	932,993	992,050	54,157	1,125,872	1,180,029	57,177	1,183,467	1,240,644	58,403	1,440,348	1,498,751
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	59,056	801,120	860,176	54,157	1,125,872	1,180,029	57,177	1,183,467	1,240,644	58,403	1,440,348	1,498,751



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	164,622	486,917	651,539	202,666	550,899	753,565	214,899	589,159	804,058	334,029	662,636	996,664
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	157,153	231,225	388,378	192,190	236,738	428,928	204,950	258,129	463,079	323,549	265,355	588,904
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	138,369	192,662	331,030	163,968	213,184	377,152	177,964	225,265	403,229	271,856	241,182	513,038
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,667	132,645	158,312	33,149	151,963	185,112	34,686	149,452	184,137	53,176	171,876	225,052
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	40,232	36,499	76,731	51,277	40,656	91,933	58,298	38,434	96,732	78,081	44,215	122,296
3. परिवार कल्याण	1,158	—	1,158	3,011	—	3,011	1,628	—	1,628	3,595	—	3,595
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,037	—	13,037	8,555	—	8,555	8,551	—	8,551	9,575	—	9,575
5. आवास निर्माण	60	2,125	2,185	60	2,521	2,581	1,060	2,155	3,215	1,061	2,410	3,471
6. शहरी विकास	41,947	6,075	48,022	48,565	6,573	55,138	50,965	8,517	59,482	98,565	10,022	108,587
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	1,160	217	1,378	1,450	299	1,749	1,377	282	1,659	2,016	387	2,403
8. श्रम और श्रम कल्याण	393	2,911	3,304	590	3,355	3,945	760	3,109	3,869	1,522	3,570	5,093
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,455	10,998	21,452	12,085	6,281	18,366	13,634	21,543	35,177	15,429	6,861	22,290
10. पौष्टिक आहार	3,765	232	3,997	4,772	30	4,802	6,750	33	6,784	8,613	44	8,657
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	288	288	440	266	706	255	270	525	223	420	643
12. अन्य*	494	671	1,166	14	1,240	1,254	—	1,471	1,471	—	1,378	1,378
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	18,784	38,563	57,348	28,222	23,554	51,776	26,986	32,864	59,850	51,693	24,173	75,865
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	1,508	2,702	4,210	1,850	3,063	4,913	2,147	3,099	5,245	1,806	3,552	5,358
i) फसल कार्य	77	658	735	197	753	950	201	740	941	233	865	1,098
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	27	9	36	35	13	48	35	11	46	40	14	54
iii) पशु पालन	582	639	1,221	643	715	1,358	656	714	1,369	624	813	1,437
iv) डेरी विकास	423	37	460	500	40	540	800	154	954	401	160	561
v) मत्स्य पालन	1	28	28	1	27	28	1	24	25	3	33	36
vi) वानिकी और वन्यजीवन	277	840	1,118	357	940	1,297	357	912	1,269	407	1,067	1,474
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	92	92	—	90	90	—	88	88	—	95	95
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	14	326	339	37	400	437	17	370	387	28	411	439
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	107	73	180	80	85	165	80	85	165	70	95	165
2. ग्रामीण विकास	278	200	478	412	270	682	281	208	489	7,830	246	8,076
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	33	5,258	5,291	34	5,027	5,061	41	5,074	5,115	42	5,159	5,201
जिसमें से :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	2	762	764	3	767	770	3	721	724	3	791	794
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	31	4,496	4,527	31	4,260	4,291	38	4,353	4,391	39	4,368	4,407
5. ऊर्जा	417	7,171	7,588	651	2,500	3,151	691	9,000	9,691	725	1	726
जिसमें से : बिजली	337	7,171	7,508	601	2,500	3,101	651	9,000	9,651	725	1	726
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,219	567	1,786	1,027	683	1,710	1,583	597	2,180	2,342	755	3,097
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,219	555	1,774	1,027	663	1,690	1,583	581	2,164	2,342	729	3,071
ii) उद्योग@	—	12	12	—	20	20	—	16	16	—	26	26
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	13,457	20,184	33,641	21,148	9,400	30,548	20,256	12,087	32,343	34,865	10,400	45,265
i) सड़क और पुल	12,843	6,909	19,753	14,900	7,000	21,900	14,900	7,900	22,800	31,100	8,000	39,100
ii) अन्य @@	614	13,275	13,888	6,248	2,400	8,648	5,356	4,187	9,543	3,765	2,400	6,165
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	612	13	626	695	19	714	715	23	738	2,025	24	2,049
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,260	2,468	3,728	2,405	2,592	4,997	1,273	2,776	4,049	2,058	4,035	6,093
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	38	279	317	63	356	419	40	284	324	40	369	409
ii) पर्यटन	618	37	655	1,314	74	1,388	599	221	820	973	67	1,040
iii) नागरिक आपूर्ति	322	1,528	1,849	190	1,619	1,809	267	1,697	1,964	199	1,829	2,028
iv) अन्य +	282	624	906	838	543	1,381	367	575	942	846	1,770	2,616
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	7,469	214,913	222,382	10,476	270,015	280,491	9,949	277,845	287,795	10,480	330,587	341,067
अ. राज्य सरकार के विभाग	824	13,214	14,038	1,008	15,743	16,751	1,380	15,543	16,923	1,356	19,009	20,365
आ.राजकोषीय सेवाएँ (I से II)	2,155	5,268	7,423	2,760	6,824	9,584	2,697	8,126	10,823	2,085	8,829	10,914
i) कर और शुल्क वसूली	1,593	5,268	6,861	2,560	6,824	9,384	1,827	8,126	9,953	2,075	8,829	10,904
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	562	—	562	200	—	200	870	—	870	10	—	10
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	—	168,465	168,465	—	213,007	213,007	—	221,024	221,024	—	266,873	266,873
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	1,183	1,183	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	167,282	167,282	—	213,007	213,007	—	221,024	221,024	—	266,873	266,873
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	167,282	167,282	—	213,007	213,007	—	221,024	221,024	—	266,873	266,873
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	4,490	27,872	32,362	6,708	34,306	41,014	5,872	33,024	38,897	7,039	35,678	42,717
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	194	1,572	1,766	260	2,107	2,367	334	1,733	2,067	319	2,222	2,541
ii) जिला प्रशासन	1,190	1,440	2,630	1,458	1,737	3,195	1,622	1,603	3,225	1,611	1,914	3,525
iii) पुलिस	226	101	327	350	163	513	500	147	647	1,050	186	1,236
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	—	16,642	16,642	5	18,872	18,877	10	17,198	17,208	10	19,379	19,389
v) अन्य ++	2,880	8,117	10,997	4,635	11,427	16,062	3,406	12,344	15,750	4,049	11,977	16,026
उ. पेन्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	—	95	95	—	135	135	—	128	128	—	198	198
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	40,779	40,779	—	44,146	44,146	—	53,184	53,184	—	66,694	66,694
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	40,779	40,779	—	44,146	44,146	—	53,184	53,184	—	66,694	66,694



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	64,868	114,574	179,442	79,244	116,700	195,944	70,252	123,465	193,717	88,513	126,473	214,986
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	63,091	77,899	140,990	76,849	78,605	155,454	65,550	81,312	146,862	81,667	83,663	165,330
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	41,005	27,381	68,386	48,307	24,810	73,117	43,134	27,647	70,781	60,359	27,248	87,607
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,114	12,166	19,280	7,531	12,891	20,422	8,946	13,133	22,079	9,623	13,674	23,297
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,621	5,850	10,471	7,005	5,970	12,975	10,093	6,230	16,323	11,710	6,301	18,011
3. परिवार कल्याण	290	22	312	600	23	623	532	24	556	507	25	532
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,394	1,085	2,480	1,658	1,162	2,820	1,829	1,230	3,059	1,550	1,335	2,886
5. आवास निर्माण	5,807	90	5,897	7,758	76	7,834	2,646	646	3,292	8,492	71	8,563
6. शहरी विकास	2,777	426	3,204	2,818	232	3,050	3,375	496	3,871	2,887	278	3,165
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2,194	1,056	3,250	2,237	941	3,178	2,585	1,414	3,999	2,233	1,009	3,242
8. श्रम और श्रम कल्याण	439	484	922	494	503	997	492	526	1,018	567	529	1,096
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,815	2,713	9,528	7,713	2,282	9,995	10,202	2,844	13,046	9,344	3,018	12,362
10. पौष्टिक आहार	1,874	299	2,173	1,990	312	2,302	2,233	374	2,606	2,259	361	2,619
11. प्राकृतिक आपदा राहत	7,500	2,858	10,358	8,301	135	8,436	—	454	454	11,051	367	11,418
12. अन्य*	181	331	511	202	284	486	202	276	478	135	281	416
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	22,086	50,518	72,604	28,542	53,795	82,337	22,416	53,665	76,081	21,309	56,415	77,724
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	7,239	1,747	8,986	5,803	1,843	7,646	7,471	2,731	10,202	6,104	2,566	8,670
i) फसल कार्य	1,782	724	2,506	1,340	755	2,095	1,303	1,386	2,689	1,130	1,354	2,485
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	91	91	—	92	92	—	88	88	—	90	90
iii) पशु पालन	1,504	422	1,926	1,633	430	2,063	1,566	600	2,166	1,556	500	2,056
iv) डेरी विकास	352	22	374	269	32	301	188	34	222	710	25	735
v) मत्स्य पालन	2,075	218	2,293	1,064	240	1,304	2,638	257	2,895	1,301	270	1,571
vi) वानिकी और वन्यजीवन	341	95	436	153	101	254	153	107	260	242	110	352
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	857	9	866	945	—	945	791	—	791	828	—	828
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	81	153	234	155	180	335	158	245	403	117	204	321
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	248	12	260	245	13	258	674	14	688	220	13	233
2. ग्रामीण विकास	1,442	468	1,909	7,512	516	8,028	1,812	526	2,339	1,341	540	1,880
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,831	—	2,831	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,180	590	1,770	1,714	590	2,304	1,040	870	1,910	1,205	868	2,072
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	982	590	1,572	1,423	590	2,013	1,040	627	1,667	1,205	643	1,847
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	198	—	198	291	—	291	—	242	242	—	225	225
5. ऊर्जा	362	44,697	45,058	572	48,900	49,472	946	47,900	48,846	685	50,635	51,320
जिसमें से : बिजली	362	44,697	45,058	572	48,900	49,472	946	47,900	48,846	685	50,635	51,320
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,221	1,390	3,611	2,079	135	2,213	2,108	134	2,241	2,603	148	2,752
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,899	114	2,013	1,904	132	2,036	1,933	131	2,065	2,483	146	2,629
ii) उद्योग@	322	1,276	1,598	175	3	177	175	2	177	120	3	123
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट II : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का राजस्व व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	4,120	725	4,845	3,551	791	4,342	3,662	732	4,394	2,254	764	3,018
i) सड़क और पुल	3,900	639	4,539	3,351	699	4,050	3,651	639	4,290	2,232	658	2,891
ii) अन्य @@	220	86	306	200	92	292	11	93	104	22	105	127
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	114	6	120	115	8	123	124	8	131	115	9	124
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,578	895	3,473	4,196	1,013	5,209	2,253	764	3,017	4,002	886	4,887
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	335	553	888	1,029	651	1,680	178	394	572	735	486	1,221
ii) पर्यटन	821	61	882	1,466	63	1,529	1,200	70	1,270	2,292	74	2,365
iii) नागरिक आपूर्ति	1,369	144	1,513	1,565	154	1,719	731	150	881	840	163	1,003
iv) अन्य +	52	137	189	137	144	281	144	150	293	135	163	298
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	1,777	36,330	38,108	2,395	37,715	40,110	4,702	41,774	46,475	6,845	42,407	49,253
अ. राज्य सरकार के विभाग	-	1,500	1,500	-	1,373	1,373	100	1,856	1,956	65	1,471	1,536
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	379	1,055	1,433	431	1,177	1,608	3,304	1,735	5,039	5,412	1,313	6,725
i) कर और शुल्क वसूली	379	1,055	1,433	431	1,177	1,608	3,304	1,735	5,039	5,412	1,313	6,725
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	-	17,139	17,139	-	18,273	18,273	-	18,734	18,734	-	20,272	20,272
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	17,139	17,139	-	18,273	18,273	-	18,734	18,734	-	20,272	20,272
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	-	17,126	17,126	-	18,273	18,273	-	18,676	18,676	-	20,259	20,259
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य	-	13	13	-	-	-	-	59	59	-	10	10
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,399	8,016	9,414	1,964	8,289	10,253	1,298	8,946	10,243	1,369	9,005	10,373
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	25	760	786	226	737	963	70	805	875	110	777	887
ii) जिला प्रशासन	26	144	170	51	141	192	18	163	181	19	154	173
iii) पुलिस	753	3,313	4,067	735	3,399	4,134	540	3,819	4,359	537	3,825	4,363
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	49	1,028	1,076	199	1,098	1,297	125	1,038	1,163	117	1,078	1,195
v) अन्य ++	545	2,770	3,316	754	2,914	3,668	544	3,120	3,665	585	3,170	3,755
उ. पेन्शन	-	8,568	8,568	-	8,550	8,550	-	10,419	10,419	-	10,281	10,281
ऊ. विविध सामान्य सेवा जिसमें से:	-	53	53	-	54	54	-	84	84	-	66	66
राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	345	345	-	380	380	-	379	379	-	403	403
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	-	345	345	-	380	380	-	379	379	-	403	403

- : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

* : इसमें सूचना और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवा और अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

@ : इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर किए गए व्यय शामिल हैं।

** : इसमें अन्य उद्योग पर व्यय तथा उद्योग और खनिज पर किए गए अन्य परिव्यय शामिल हैं।

@@ : इसमें बंदरगाह और प्रकाशगृह, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और देश में जल परिवहन आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

+ : इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय शामिल हैं।

++ : इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और लेखा, प्रशासन, जेल, आपूर्ति और निपटान, स्टेशनरी और मुद्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर किए गए व्यय आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	16,479,976	3,419,815	3,122,771	4,221,354	707,621	219,529	579,684	604,581
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	1,345,390	1,631,269	1,558,420	2,327,571	73,200	34,043	29,724	15,081
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	799,253	1,251,156	1,075,477	1,428,052	69,444	25,286	32,118	37,847
1. बाजार ऋण	195,637	191,273	272,594	492,845	28,571	2,573	2,573	13,897
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	16,108	19,793	19,793	21,772	95	113	113	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	76,468	97,990	97,990	135,000	4,500	4,500	4,500	6,416
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	1,210	3,746	3,746	3,746	643	500	650	650
6. भारिबैंक से अर्धोपाय अग्रिम	-	300,000	100,000	300,000	24,370	5,522	6,997	6,997
7. एनएसएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	454,412	517,000	400,000	350,000	10,527	10,325	3,000	3,000
8. अन्य @ जिसमें:	55,418	121,354	181,354	124,689	738	1,753	14,285	6,887
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	51,283	200,606	112,678	147,849	20,324	9,641	8,392	55
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	49,739	200,606	112,678	147,849	96	8,782	8,342	-
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	497	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,540	-	-	-	188	-	50	55
4. योजनेतर (i से ii)	2	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	2	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्धोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	20,040	362	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	18,243	117,221	61,947	27,580	282	-	175	180
1. आवास निर्माण	44	50,000	17,070	2,270	-	-	-	-
2. शहरी विकास	343	400	200	100	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	510	200	200	210	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	1	2	5	5	-	-	-	-
5. सहकारिता	1,143	15,000	6,360	4,025	32	-	-	-
6. लघु सिंचाई	-	8,500	1,000	100	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	4,454	1,000	242	1,947	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	3	54	25	25	2	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	1,996	2,050	545	481	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	6,938	11,505	11,505	12,657	248	-	175	180
12. अन्य**	2,811	28,510	24,795	5,760	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	3	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	141,792	169,436	169,436	186,379	12,945	10,488	11,558	12,136
1. राज्य भविष्य निधि	116,707	140,772	140,772	154,849	12,389	9,888	11,055	11,608
2. अन्य	25,085	28,664	28,664	31,530	556	600	503	528
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	85,184	80,965	87,387	84,036	1,692	1,650	1,000	1,000
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	140	34	34	34	-	-	-	-
2. शोधन निधि	29,972	21,864	21,864	24,072	800	400	1,000	1,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	55,072	59,067	65,489	59,930	892	1,250	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,706,665	1,295,430	1,310,845	1,407,457	14,829	10,595	13,312	13,978
1. सिविल जमा	876,696	269,706	280,697	312,390	10,211	7,952	10,967	11,515
2. स्थानीय निधि जमाराशि	517,885	640,821	645,306	688,718	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	18,694	24,050	24,050	25,000	4,618	2,643	2,345	2,463
4. अन्य	293,390	360,853	360,792	381,349	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	12,780,602	-	-	-	480,045	102,741	441,852	463,944
1. उचित	-7,202	-	-	-	5,106	32,885	-17,957	-18,855
2. नकदी शेष निवेश खाता	4,255,238	-	-	-	473,680	68,549	459,665	482,648
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	7,669,933	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	862,633	-	-	-	1,259	1,307	144	151
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	600	-	600
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	305,000	305,000	940,000	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	896,952	-	-	-	108,061	58,527	71,276	74,840



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	2,095,729	2,093,338	7,217,720	5,579,636	9,882,178	1,244,194	1,244,194	913,050
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	162,435	223,817	229,699	253,695	503,378	517,884	517,884	481,603
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	352,196	261,073	273,173	239,565	376,854	649,883	649,883	576,961
1. बाजार ऋण	88,028	87,035	90,035	119,565	72,763	239,931	239,931	211,723
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-39	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	11,688	15,000	15,000	18,800	4,694	59,004	59,004	64,904
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	39	-	-	1,200	1,821	845	845	231
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	188,070	100,000	100,000	50,000	-	100,000	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	64,410	59,038	68,138	50,000	86,670	250,000	250,000	200,000
8. अन्य @ जिसमें:	-	-	-	-	210,906	103	103	103
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	48,209	3	3	3
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	5,549	16,980	10,762	14,849	181	385	385	677
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	4,791	12,633	5,717	9,849	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	172	-	-	-	170	374	374	666
4. योजनेतर (i से ii)	91	45	45	-	11	11	11	11
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	91	45	45	-	11	11	11	11
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	495	4,302	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	3,757	4,310	4,310	4,741	5,086	5,116	5,116	2,589
1. आवास निर्माण	-	-	-	-	2	1	1	2
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	15	13	13	14	4,474	4,211	4,211	1,675
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	3	5	5	6	24	31	31	30
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	11	59	59	59
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,739	4,292	4,292	4,721	430	814	814	823
12. अन्य**	-	-	-	-	145	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	61,652	65,800	65,800	71,208	108,766	129,800	129,800	108,766
1. राज्य भविष्य निधि	59,501	63,000	63,000	68,308	104,147	125,800	125,800	104,147
2. अन्य	2,151	2,800	2,800	2,900	4,619	4,000	4,000	4,619
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	14,947	47,115	47,115	40,848	43,962	15,323	15,323	19,075
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	14,400	17,600	17,600	20,400	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	547	29,515	29,515	20,448	43,962	15,323	15,323	19,075
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	163,685	85,300	85,300	95,650	188,606	443,687	443,687	204,982
1. सिविल जमा	119,880	45,000	45,000	45,000	66,498	50,000	50,000	73,311
2. स्थानीय निधि जमाराशि	632	300	300	650	117,868	90,000	90,000	130,671
3. सिविल अग्रिम	43,173	40,000	40,000	50,000	4,240	2,000	2,000	1,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	301,687	301,687	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,299,133	1,512,760	6,631,260	5,012,775	8,951,749	-	-	-
1. उचित	-15,723	10,000	10,000	10,000	21,145	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,313,202	1,500,000	6,618,500	5,000,000	8,930,147	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,654	2,760	2,760	2,775	457	-	-	-
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	189,810	95,000	95,000	95,000	206,974	-	-	-



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII) कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	3,743,571 145,144	2,076,252 173,414	1,997,641 166,246	2,106,000 243,785	940,254 83,569	289,980 85,108	282,481 77,610	291,621 86,750
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	117,806	140,300	108,900	168,500	69,608	67,709	67,709	83,794
1. बाजार ऋण	-	10,000	-	25,000	8,322	13,961	13,961	30,046
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	18,232	21,000	18,400	35,000	-	1,500	1,500	1,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	188	1,300	500	500	-	200	200	200
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	18,000	-	18,000	-	10,000	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	99,386	90,000	90,000	90,000	60,980	40,648	40,648	40,648
8. अन्य @ जिसमें:	-	-	-	-	306	1,400	1,400	1,400
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	5,628	14,610	18,845	27,903	232	21,962	14,462	7,500
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	5,073	14,000	17,706	26,682	-	21,962	14,462	7,500
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	555	400	829	911	67	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	210	310	310	166	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	210	310	310	166	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	1,792	7,386	29,279	47,583	633	883	883	900
1. आवास निर्माण	-	-	-	-	39	68	68	68
2. शहरी विकास	167	433	433	20,433	6	30	30	30
3. फसल उत्पादन	4	158	398	402	0	4	4	4
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	164	106	20,111	15,150	-	-	-	-
5. सहकारिता	918	483	483	651	36	17	17	34
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	197	4,591	6,751	9,230	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	7	15	14	11	-	3	3	3
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	36	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	196	303	125	125	505	712	712	712
12. अन्य**	139	1,297	964	1,581	10	50	50	50
V. अंतर राज्य निपटान	-	1	1	1	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	4,147	4,000	4,129	4,000	22	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	37,939	46,166	46,411	46,697	12,616	12,210	12,210	12,210
1. राज्य भविष्य निधि	34,688	42,506	42,506	42,506	12,372	12,000	12,000	12,000
2. अन्य	3,251	3,660	3,905	4,191	244	210	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	24,716	51,867	59,507	55,347	3,561	3,300	3,301	3,301
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	1	1	1	-	-	-	-
2. शोधन निधि	5,000	10,000	10,000	10,000	1,504	2,000	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	31	29	29	29	-	-	-	-
4. अन्य	19,685	41,837	49,477	45,317	2,058	1,301	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	102,002	116,384	72,990	98,390	8,634	8,466	8,466	8,466
1. सिविल जमा	81,219	47,779	47,779	47,779	8,206	8,245	8,245	8,245
2. स्थानीय निधि जमाराशि	15	10	10	10	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	20,741	22,000	22,000	22,000	405	220	220	220
4. अन्य	27	46,595	3,201	28,601	23	1	1	1
X. उचित और विविध (1 से 4)	3,191,615	1,454,070	1,454,070	1,454,070	692,816	120,450	120,450	120,450
1. उचित	1,006	4,721	4,721	4,721	12,781	5,000	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	2,038,883	900,000	900,000	900,000	539,805	60,000	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	492,466	245,581	245,581	245,581	-	-	-	-
4. अन्य	659,260	303,768	303,768	303,768	140,231	55,450	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	257,927	241,469	203,510	203,510	152,132	55,000	55,000	55,000

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	10,397,640	6,976,211	13,082,013	6,107,584	9,579,804	10,035,763	14,413,907	15,665,860
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	1,236,317	947,801	850,979	909,664	267,410	431,941	473,515	390,849
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	930,659	984,428	728,932	973,881	330,860	336,944	187,619	376,693
1. बाजार ऋण	60,227	60,227	-	80,000	52,081	58,499	-	74,963
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	12,939	-	-	-	70,043	110,200	45,000	137,800
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	-	-	-	14,958	27,750	21,169	29,320
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	1	-	-	53	1,460	1,460	1,600
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	100,000	-	100,000	-	10,000	1,000	1,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	782,432	730,000	611,831	690,260	190,121	120,045	110,000	99,000
8. अन्य @ जिसमें:	75,061	94,200	117,101	103,621	3,604	8,990	8,990	33,010
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	135,660	79,208	75,558	42,105	4,015	36,660	5,331	5,251
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	141,779	79,207	75,558	42,104	3,209	36,070	4,861	4,741
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	970	-	-	-	292	440	320	360
4. योजनेतर (i से ii)	2,056	-	-	-	514	150	150	150
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	2,056	-	-	-	514	150	150	150
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	1	-	1	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-9,145	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	178,369	21,295	83,595	23,425	28,990	18,378	222,669	19,410
1. आवास निर्माण	351	1,000	1,000	1,000	66	159	166	163
2. शहरी विकास	1,056	1,592	1,592	1,602	24	17	17	14
3. फसल उत्पादन	5	10	10	5	1	22	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	41	1,000	1,000	1,000	476	376	420	-
5. सहकारिता	1,039	2,500	2,500	2,500	176	522	252	425
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	164,859	-	62,300	-	11,972	-	202,229	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	-143	117	117	117	6,922	8,403	8,411	8,307
9. उद्योग और खनिज	162	50	50	50	880	440	900	1,200
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	6,120	7,729	7,729	8,679	8,319	8,293	9,067	9,067
12. अन्य**	4,879	7,297	7,297	8,472	154	147	1,207	234
V. अंतर राज्य निपटान	-	1	1	1	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	726	-	17,371	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	88,430	113,229	93,563	117,925	116,561	109,814	123,533	135,798
1. राज्य भविष्य निधि	76,856	102,321	80,529	106,041	115,615	108,846	122,568	134,823
2. अन्य	11,574	10,908	13,034	11,884	946	968	965	975
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	196,270	138,551	200,100	140,957	49,749	24,365	24,375	25,142
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	60	105	100	105	5,266	5,465	5,475	5,495
2. शोधन निधि	121,532	80,000	80,000	88,000	5,593	5,100	5,100	5,402
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	74,678	58,446	120,000	52,852	38,890	13,800	13,800	14,245
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,219,307	1,156,127	1,101,477	1,155,372	189,322	201,526	205,323	211,504
1. सिविल जमा	339,672	312,000	312,000	312,000	127,349	113,000	143,000	143,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	798,317	700,000	700,000	750,000	1,872	1,450	2,223	2,334
3. सिविल अग्रिम	15,699	17,000	17,000	17,000	5,401	6,000	5,400	6,000
4. अन्य	65,619	127,127	72,477	76,372	54,700	81,076	54,700	60,170
X. उचित और विविध (1 से 4)	6,842,912	4,072,212	10,372,212	3,237,352	8,609,614	9,158,075	13,395,057	14,642,062
1. उचित	-3,117	167,860	167,860	4,500	-38,606	1,650,075	1,700,000	1,777,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	5,517,087	1,000,000	7,300,000	100,000	8,639,604	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	7,500,000	11,686,441	12,855,085
4. अन्य	1,328,942	1,104,352	1,104,352	1,332,852	8,616	8,000	8,616	9,477
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें: विनिवेश	794	-	140	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	804,513	411,160	409,065	416,566	250,694	150,000	250,000	250,000



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (Revised Estimates)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII) कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	1,988,148 235,013	413,877 201,212	445,122 231,957	436,535 218,870	367,777 192,699	281,263 151,414	346,616 189,243	415,129 241,828
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	198,620	174,937	196,991	186,244	111,724	72,163	88,246	143,800
1. बाजार ऋण	46,885	46,750	59,687	59,800	15,224	16,746	16,746	20,700
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	89	8,242	10,000	10,000	11,300	10,000	10,000	10,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	12,509	20,500	25,077	10,000	21,000	10,000	15,000	20,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	543	31	367	28	-	-	-	-
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	23,278	14,000	14,500	19,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	81,604	37,614	84,460	87,416	60,000	30,000	30,000	59,600
8. अन्य @ जिसमें:	33,712	47,800	2,900	-	4,200	5,417	16,500	33,500
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	2,805	14,408	14,408	14,358	39,426	55,237	52,100	51,606
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	2,408	14,372	14,372	14,322	39,426	55,237	52,100	51,606
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	340	36	36	36	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	57	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	57	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	2,197	2,367	2,458	2,268	355	355	377	311
1. आवास निर्माण	47	52	49	48	20	16	23	14
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	3	7	7	7	5	5	5	5
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	7	9	9	8	-	-	-	-
5. सहकारिता	223	380	380	320	2	3	10	3
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	55	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	22	24	118	24	-	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	5	5	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	1,824	1,864	1,865	1,835	300	300	300	250
12. अन्य**	17	31	31	27	23	26	39	39
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	102,631	54,500	63,600	66,000	100,394	99,243	103,982	113,758
1. राज्य भविष्य निधि	101,100	52,900	62,000	64,400	98,000	96,719	101,462	111,116
2. अन्य	1,531	1,600	1,600	1,600	2,394	2,524	2,520	2,642
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	21,378	-	-	-	77,464	18,341	58,226	66,285
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	21,378	-	-	-	77,464	18,341	58,226	66,285
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	70,769	37,387	37,387	37,387	2,300	2,300	2,300	2,300
1. सिविल जमा	55,042	7,987	7,987	7,987	1,300	1,300	1,100	1,100
2. स्थानीय निधि जमाराशि	1,038	21,500	21,500	21,500	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	14,141	7,250	7,250	7,250	1,000	1,000	1,200	1,200
4. अन्य	548	650	650	650	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,313,095	82,241	82,241	82,241	22,815	20,324	27,840	23,604
1. उचित	21,751	17,100	17,100	17,100	16,815	14,324	21,840	17,604
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,291,161	15,000	15,000	15,000	3,600	3,600	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
4. अन्य	183	141	141	141	2,400	2,400	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	245	165
XIII. विप्रेषण	276,652	48,037	48,037	48,037	13,300	13,300	13,300	13,300



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	552,124	828,765	828,765	833,083	10,158,729	2,272,177	2,150,988	2,575,430
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	233,355	499,928	499,928	459,776	682,532	318,702	519,513	495,246
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	200,358	462,255	462,255	454,660	463,687	255,000	320,000	255,000
1. बाजार ऋण	23,562	33,855	33,855	38,426	41,478	-	-	-
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	35,000	82,000	82,000	63,070	25,093	60,000	60,000	60,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	25,000	18,000	18,000	20,430	194	-	-	-
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	135,000	-	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	51,796	151,100	151,100	171,499	396,923	60,000	260,000	60,000
8. अन्य @ जिसमें:	65,000	177,300	177,300	161,235	-	-	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	-	-	-	-	102,667	117,941	118,752	199,071
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	-	-	-	-	106,612	117,891	117,891	198,660
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	-	-	-	-	941	-	111	111
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	46	50	750	300
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	46	50	750	300
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	-4,931	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	992	1,193	1,193	1,354	12,355	4,461	4,461	4,907
1. आवास निर्माण	5	6	6	7	600	572	572	630
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	51	51	57
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	6	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	-	-	-	-	175	151	151	166
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	500	500	500	568	636	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	56	56	56	64	48	39	39	42
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	463	65	65	71
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	5	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	430	630	630	715	622	-675	-675	-742
12. अन्य**	-	-	-	-	9,801	4,258	4,258	4,683
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	15,000	15,000	15,000	15,000	3,891	500	500	500
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	33,795	39,112	39,112	44,347	165,055	192,995	192,995	207,431
1. राज्य भविष्य निधि	32,795	37,812	37,812	42,917	85,362	99,099	99,099	106,512
2. अन्य	1,000	1,300	1,300	1,430	79,693	93,896	93,896	100,919
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	7,000	16,182	16,182	19,839	130,736	83,700	83,700	89,961
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	6	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	1,907	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	7,000	16,182	16,182	19,839	128,824	83,700	83,700	89,961
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	103,659	103,659	103,659	95,642	1,592,609	578,080	578,080	621,320
1. सिविल जमा	13,341	13,341	13,341	14,475	333,674	85,000	85,000	91,358
2. स्थानीय निधि जमाराशि	38,100	38,100	38,100	14,919	702,438	420,000	420,000	451,416
3. सिविल अग्रिम	6,618	6,618	6,618	6,618	7,766	-	-	-
4. अन्य	45,600	45,600	45,600	59,630	548,732	73,080	73,080	78,546
X. उचित और विविध (1 से 4)	65,114	65,114	65,114	65,264	7,411,064	831,500	644,500	903,682
1. उचित	38,514	38,514	38,514	38,514	-55,880	26,500	26,500	28,482
2. नकदी शेष निवेश खाता	20,000	20,000	20,000	20,000	5,769,055	305,000	118,000	337,800
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	6,600	6,600	6,600	6,750	1,697,889	500,000	500,000	537,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	70,000
XIII. विप्रेषण	126,206	126,250	126,250	136,977	276,664	208,000	208,000	223,558



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII) कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	5,371,781 636,421	5,083,525 894,813	6,199,606 922,151	6,055,082 915,127	6,338,379 884,285	5,169,959 633,251	9,027,894 540,398	3,874,225 649,800
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,136,648	1,036,497	1,516,266	1,362,842	486,682	1,075,949	576,658	728,992
1. बाजार ऋण	180,115	179,395	187,171	210,138	126,082	282,833	142,147	228,634
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	12,256	12,000	12,000	12,000
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	12,571	45,200	45,150	45,200	42,879	56,000	56,000	70,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	13,535	3,400	3,000	1,500	1,963	1,416	1,416	1,558
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	614,625	460,500	938,000	788,000	-	500,000	150,000	200,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	267,802	300,000	294,944	270,002	303,502	216,000	212,095	209,600
8. अन्य @ जिसमें:	4,000	4,002	4,001	4,002	-	7,700	3,000	7,200
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	2	1	2	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	60,329	135,078	133,407	138,338	29,383	60,509	43,386	109,706
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	24,139	97,882	97,882	103,088	28,710	59,064	41,941	108,261
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,190	2,156	500	225	510	1,445	1,445	1,445
4. योजनेतर (i से ii)	25	40	25	25	163	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	25	40	25	25	163	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-25	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	5,150	9,349	9,319	7,964	285,198	4,369	5,826	4,378
1. आवास निर्माण	-161	117	117	76	227	233	282	274
2. शहरी विकास	93	343	343	350	443	1,612	1,428	1,639
3. फसल उत्पादन	-	24	24	24	106	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	105	100	100	107	-	105	90	85
5. सहकारिता	918	1,911	1,911	948	2,339	973	1,464	968
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	281,682	-	1,024	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	432	775	775	544	15	58	58	58
9. उद्योग और खनिज	36	2,578	2,578	2,595	13	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,194	2,768	3,243	2,768	8	851	851	731
12. अन्य**	533	734	229	552	365	538	629	623
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	1,504	100	-	100	-	4,000	11,814	10,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	777,725	1,054,122	1,046,647	1,169,760	132,968	144,513	142,000	142,349
1. राज्य भविष्य निधि	159,575	309,196	309,244	363,306	113,153	119,370	121,000	125,300
2. अन्य	618,150	744,926	737,403	806,454	19,815	25,143	21,000	17,049
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	24,824	26,689	28,169	29,408	67,546	65,898	81,805	60,641
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	38	36	38	36
2. शोधन निधि	13,059	16,111	16,593	18,828	-	100	100	100
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	29	19	29	29
4. अन्य	11,765	10,578	11,576	10,580	67,479	65,743	81,638	60,476
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	160,215	427,597	454,315	489,073	415,639	497,994	449,983	551,634
1. सिविल जमा	110,169	104,258	117,160	137,970	248,189	163,856	261,000	274,000
2. स्थानीय निधि जमा राशि	45,364	321,050	333,115	347,065	13,781	4,300	15,000	5,000
3. सिविल अग्रिम	144	60	44	43	25,789	35,000	30,000	30,000
4. अन्य	4,538	2,229	3,996	3,995	127,880	294,838	143,983	242,634
X. उचित और विविध (1 से 4)	2,628,080	1,894,799	2,434,818	2,240,868	4,289,260	2,766,500	7,216,400	1,716,500
1. उचित	440,845	413,878	460,290	460,304	-2,729	15,000	15,000	15,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	389,641	30,005	223,505	30,005	2,631,668	1,500,000	6,000,000	500,000
3. भारिबैंक के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,797,604	1,450,916	1,751,023	1,750,559	1,660,321	1,251,500	1,201,400	1,201,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	577,306	499,294	576,665	616,729	631,703	550,227	500,022	550,025

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	12,017,317	6,614,943	14,498,153	10,709,259	507,171	469,310	452,953	541,320
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	2,265,254	1,967,881	1,688,376	1,724,464	62,861	25,438	43,905	49,193
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	2,316,845	1,202,169	1,448,478	1,494,919	43,127	57,568	47,487	45,133
1. बाजार ऋण	157,267	173,760	173,700	204,452	20,491	22,147	21,990	20,424
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	50,000	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	16,450	100,000	20,000	100,000	799	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	8,009	32,730	30,768	28,651	15	-	-	-
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	368,493	300,000	266,483	300,000	9,090	10,000	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,593,946	566,488	927,748	861,815	12,732	24,321	24,397	23,609
8. अन्य @ जिसमें:	122,679	29,191	29,779	-	-	100	100	100
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	20	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	49,019	69,378	62,973	81,853	506	-	671	621
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	46,954	63,413	50,000	72,925	29	-	671	621
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	2,066	5,865	12,873	8,828	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	377	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	100	100	100	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	100	100	100	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	100	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	55,125	51,451	50,502	53,434	64	70	123	128
1. आवास निर्माण	3,263	3,407	3,800	3,800	-	1	1	1
2. शहरी विकास	434	1,243	1,075	1,390	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	6	8	8	8	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	1,125	1,633	1,390	1,460	31	7	32	32
6. लघु सिंचाई	2	10	1	1	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	27,249	21,468	21,400	21,400	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	123	175	100	175	-	7	-	-
9. उद्योग और खनिज	2,743	475	650	800	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	11,812	14,036	13,601	15,826	33	55	40	45
12. अन्य**	8,368	8,997	8,477	8,575	-	-	50	50
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	195,452	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	179,385	216,066	202,585	232,527	24,027	10,200	8,200	8,600
1. राज्य भविष्य निधि	161,680	191,155	181,722	205,095	23,837	10,000	8,000	8,400
2. अन्य	17,705	24,911	20,863	27,433	190	200	200	200
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	550,383	493,521	590,781	591,018	1,036	572	572	589
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	99	71	81	72	-	-	-	-
2. शोधन निधि	52,043	52,600	52,600	56,100	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	24	30	30	30	-	-	-	-
4. अन्य	498,217	440,819	538,069	534,816	1,036	572	572	589
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	837,093	656,189	885,859	900,268	51,772	15,400	10,400	10,400
1. सिविल जमा	757,444	609,376	831,675	851,558	32,912	10,000	5,000	5,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-29,999	304	21	202	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	36,630	35,008	37,502	37,508	889	400	400	400
4. अन्य	73,019	11,501	16,661	11,000	17,971	5,000	5,000	5,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	6,490,782	2,827,608	9,994,073	6,158,979	281,426	323,000	323,000	408,000
1. उचित	-5,101	35,662	8,273	9,679	22,508	5,000	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	6,572,596	2,400,000	5,749,500	6,000,000	252,615	315,000	315,000	400,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-76,713	391,946	4,236,300	149,300	6,303	3,000	3,000	3,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	105,000	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,238,233	1,098,561	1,262,904	1,196,260	105,213	62,500	62,500	67,849



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	1,282,059	1,295,563	1,194,634	1,208,305	433,939	51,841	740,667	53,533
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	46,156	43,890	31,962	44,436	52,681	34,264	39,278	33,293
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	33,957	25,315	26,023	40,604	30,664	26,730	26,608	25,423
1. बाजार ऋण	15,825	10,827	12,535	28,246	11,466	10,454	12,474	13,353
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	300	300	-	4,396	4,918	4,918	2,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,403	2,600	2,600	3,000	830	1,400	1,400	1,400
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	154	238	238	168	246	-	-	-
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	9,234	4,050	4,050	4,050	6,324	6,000	3,000	6,670
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,641	5,500	5,500	4,640	2,650	3,300	3,300	2,000
8. अन्य @ जिसमें:	1,700	1,800	800	500	4,752	658	1,516	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	323	12,351	562	677	980	750	1,100	1,320
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	148	11,514	300	638	604	750	750	1,320
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	160	15	220	15	360	-	350	-
4. योजनेतर (i से ii)	15	42	42	24	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	15	42	42	24	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	780	-	-	16	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	1,852	2,000	2,000	1,800	2,298	2,283	2,299	2,270
1. आवास निर्माण	7	12	12	-	1,783	1,750	1,800	1,820
2. शहरी विकास	-	-	-	10	1	1	1	1
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	8	7	7	5	38	31	47	48
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	14	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	-	1	1	-	-	1	1	1
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	1	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	1,824	1,980	1,980	1,784	461	500	450	400
12. अन्य**	-	-	-	-	15	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	8,168	21,000	17,732	21,000	10	10	10	10
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	8,850	7,850	7,850	8,635	18,868	17,750	17,750	19,000
1. राज्य भविष्य निधि	8,850	7,850	7,850	8,635	18,280	17,500	17,500	18,750
2. अन्य	-	-	-	-	588	250	250	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	1,956	2,143	2,072	2,254	970	1,208	1,700	2,400
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	826	982	911	1,059	600	700	700	1,400
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,129	1,161	1,161	1,195	370	508	1,000	1,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	34,313	24,770	14,590	14,823	29,534	1,710	30,500	1,710
1. सिविल जमा	30,154	21,566	11,386	11,619	28,402	1,700	30,000	1,700
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	2	2	2	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	4,159	3,202	3,202	3,202	1,131	10	500	10
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,125,205	1,140,758	1,064,478	1,058,745	258,792	1,400	620,700	1,400
1. उचित	-1,776	5,173	3,058	2,253	5,157	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	268,684	374,165	300,000	300,000	252,654	-	19,200	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	858,004	761,100	761,100	756,171	-	-	600,000	-
4. अन्य	293	320	321	321	981	1,400	1,500	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	67,437	59,376	59,326	59,768	91,825	-	40,000	-

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नगालैंड				उड़ीसा			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	515,884	122,350	204,856	209,385	4,212,578	1,578,713	1,347,720	2,127,724
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	44,020	52,160	53,246	34,285	397,985	368,199	289,450	396,073
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	70,878	77,786	81,672	96,009	210,527	309,436	160,001	169,990
1. बाजार ऋण	25,383	28,148	29,319	30,459	50,613	163,908	-	108,458
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	2,477	2,100	2,940	1,475	-	2,697	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	2,634	2,850	2,650	2,650	18,441	30,000	30,000	30,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	167	238	238	400	-	-	1	2
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	27,492	35,000	35,000	50,000	-	50,000	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,036	1,200	2,450	2,650	141,473	61,530	130,000	31,530
8. अन्य @ जिसमें:	10,689	8,250	9,075	8,375	-	1,301	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	10,477	10,000	-	-	-1,030	105,745	92,266	192,342
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	-	-	-	-	-1,588	105,325	91,610	189,909
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	360	-	-	-	476	420	625	2,433
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	82	-	31	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	82	-	31	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	117	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	540	574	574	516	34,760	27,640	19,126	24,641
1. आवास निर्माण	21	424	424	381	544	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	136	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	395	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	133	-	-	-
5. सहकारिता	469	14	14	13	176	-	-	-
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	14,833	5,514	5,514	11,029
8. ग्राम और लघु उद्योग	-	22	22	20	62	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	4,001	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	50	114	114	103	13,903	18,116	13,112	13,100
12. अन्य**	-	-	-	-	577	4,010	500	512
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	8,080	15,000	15,000	15,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	13,619	9,800	9,800	10,050	274,218	192,804	192,804	200,854
1. राज्य भविष्य निधि	13,391	9,550	9,550	9,800	273,905	192,504	192,504	200,504
2. अन्य	228	250	250	250	313	300	300	350
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	462	180	300	300	110,482	124,451	200,948	68,368
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	66,007	78,807	148,807	30,007
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	24	-	-	-
4. अन्य	462	180	300	300	44,451	45,644	52,141	38,361
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	6,877	1,260	12,000	2,000	239,733	345,030	208,968	311,018
1. सिविल जमा	5,674	1,000	11,000	1,000	145,401	127,060	170,406	150,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	39,710	33,502	33,502	45,000
3. सिविल अग्रिम	1,203	260	1,000	1,000	4,009	4,560	4,560	4,560
4. अन्य	-	-	-	-	50,613	179,908	500	111,458
X. उचित और विविध (1 से 4)	337,446	8,740	20,500	20,500	3,102,216	264,562	264,562	910,510
1. उचित	3,990	1,490	4,000	4,000	-7,378	8,000	8,000	8,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	320,071	6,500	6,500	6,500	3,107,148	255,500	255,500	900,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	13,386	750	10,000	10,000	2,446	1,062	1,062	2,510
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	75,585	14,010	80,010	80,010	233,592	194,045	194,045	235,001



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII) कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	4,324,606 508,540	6,926,564 561,346	14,799,187 556,602	14,906,811 690,493	9,242,091 746,206	6,325,881 668,991	9,045,528 666,306	7,105,043 772,018
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	510,640	537,430	414,777	525,640	485,948	744,997	392,341	477,531
1. बाजार ऋण	119,930	123,240	114,677	235,005	104,074	212,513	149,901	267,531
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	23,601	32,400	32,400	40,035	31,823	50,000	50,310	50,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	10	500	500	500	1,931	400	484	400
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	26,917	100	-	100	-	300,000	-	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	340,182	381,190	267,200	250,000	348,120	182,084	191,646	149,600
8. अन्य @ जिसमें:	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	2,401	13,725	2,079	46,758	63,581	75,652	51,366	100,600
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	2,219	13,465	1,819	46,458	148,869	70,854	46,040	93,090
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	161	-	-	-	1,331	4,048	5,322	7,510
4. योजनेतर (i से ii)	21	260	260	300	-46,237	750	5	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	21	260	260	300	-46,237	750	5	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	-40,382	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	13,670	24,190	39,619	7,591	23,760	10,783	51,434	11,006
1. आवास निर्माण	21	18	5	6	181	138	133	133
2. शहरी विकास	62	200	-	-	2,214	200	200	200
3. फसल उत्पादन	1,316	5	5	6	456	505	404	404
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	3,365	-	-	-	13	2	1	1
5. सहकारिता	31	22	20	23	4,775	4,541	6,219	2,772
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	1	1	1
7. बिजली परियोजना	271	15,000	30,644	-	14,490	4,496	14,238	6,412
8. ग्राम और लघु उद्योग	366	1,914	2,010	1,236	19	20	228	228
9. उद्योग और खनिज	275	-	-	-	655	168	345	175
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	7,810	6,837	6,929	6,316	608	481	29,380	448
12. अन्य**	153	194	4	5	350	231	286	233
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	148,294	152,371	190,726	188,788	247,061	264,212	263,797	284,441
1. राज्य भविष्य निधि	144,996	148,259	187,239	185,101	168,669	176,707	173,882	185,758
2. अन्य	3,298	4,112	3,487	3,687	78,392	87,505	89,916	98,683
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	21,867	30,397	26,142	47,568	58,959	114,938	155,977	188,504
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	284	7,348	1,656	17,774	191	-	201	201
2. शोधन निधि	-	7,000	-	5,000	-	-	35,000	60,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	21,583	16,049	24,486	24,794	58,768	114,938	120,776	128,304
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	146,235	96,976	206,312	206,713	4,295,125	4,286,691	4,742,840	5,190,428
1. सिविल जमा	136,227	91,198	200,098	200,398	429,064	426,386	440,977	455,178
2. स्थानीय निधि जमा राशि	24	39	4	4	3,725,770	3,576,533	4,104,611	4,410,330
3. सिविल अग्रिम	4,592	5,739	3,808	3,908	3,737	6,002	5,008	5,008
4. अन्य	5,392	-	2,403	2,403	136,554	277,770	192,244	319,912
X. उचित और विविध (1 से 4)	3,379,198	5,986,001	13,792,827	13,756,849	3,753,584	507,204	3,058,367	507,128
1. उचित	23,276	66,711	36,809	-	3,782	6,161	6,175	6,165
2. नकदी शेष निवेश खाता	2,215,181	974,143	3,531,265	3,531,565	3,749,102	500,000	3,051,329	500,000
3. भारिबैंक के पास जमा राशियां	-	4,010,891	8,898,393	8,898,423	-	-	-	-
4. अन्य	1,140,741	934,256	1,326,361	1,326,861	699	1,043	863	963
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	81	-	-	-
XIII. विप्रेषण	102,302	85,474	126,705	126,905	313,992	321,405	329,405	345,405

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	234,236	194,510	233,899	245,645	13,357,803	8,126,200	13,824,675	10,123,403
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	11,884	24,681	24,043	30,587	1,129,832	1,128,871	1,147,367	1,141,897
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	13,962	20,586	20,930	28,391	919,951	980,058	897,621	972,385
1. बाजार ऋण	10,399	15,352	15,696	24,633	161,888	278,511	278,511	342,163
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	964	964	964	964	-	26,000	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	800	800	800	2,000	51,778	108,500	98,363	109,916
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	1,832	747	747	306
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	67,512	100,000	100,000	150,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,755	3,426	3,426	750	614,451	420,000	420,000	370,000
8. अन्य @ जिसमें:	44	44	44	44	22,490	46,300	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	544	359	759	795	44,168	134,826	69,228	145,052
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	218	350	350	386	43,330	133,776	68,260	143,992
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	284	-	400	400	790	1,000	918	1,010
4. योजनेतर (i से ii)	13	9	9	9	48	50	50	50
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	13	9	9	9	48	50	50	50
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	29	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	14	71	71	51	89,213	137,119	174,477	126,093
1. आवास निर्माण	-	-	-	-	2,244	94	23	23
2. शहरी विकास	-	-	-	-	8,414	1,044	925	914
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	10	-	2	1
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	30,003	30,018	60,000	60,003
5. सहकारिता	-	-	-	-	1,919	29,242	40,028	1,499
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	3	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	8,488	11,525	11,525	12,507
8. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	327	667	667	667
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	11,262	12,931	12,920	12,931
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	14	71	71	51	9,300	14,935	11,608	12,429
12. अन्य**	-	-	-	-	17,243	28,662	28,779	17,119
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	10	67	-	-	1,652	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	7,381	7,696	8,333	8,075	294,316	288,856	349,425	365,316
1. राज्य भविष्य निधि	7,162	7,500	8,100	7,800	291,534	282,840	344,478	360,132
2. अन्य	219	196	233	275	2,782	6,016	4,947	5,184
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	2,855	4,105	4,255	4,165	630,984	463,727	263,078	190,859
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	23	-	-
2. शोधन निधि	1,100	1,173	1,173	1,173	299,568	245,074	88,574	47,236
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	1	1	1	1
4. अन्य	1,755	2,932	3,082	2,992	331,415	218,629	174,503	143,622
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	2,823	2,121	2,121	2,823	891,414	897,885	996,672	1,006,201
1. सिविल जमा	2,823	2,121	2,121	2,823	595,520	587,741	720,633	732,112
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	155,747	145,088	160,623	160,623
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	6,837	5,716	6,880	6,886
4. अन्य	-	-	-	-	133,310	159,340	108,536	106,580
X. उचित और विविध (1 से 4)	162,927	110,404	148,204	157,616	10,275,015	5,032,348	10,865,475	7,108,829
1. उचित	-222	235	235	232	255,511	166,095	245,707	245,696
2. नकदी शेष निवेश खाता	73,564	30,000	67,800	67,800	8,343,597	3,500,000	8,422,482	4,699,007
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	89,585	80,169	80,169	89,584	1,675,907	1,366,253	2,197,286	2,164,126
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	43,729	49,158	49,158	43,729	212,742	189,732	208,699	208,669



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	991,262	669,252	1,468,565	983,641	3,993,743	1,325,089	1,198,161	1,226,244
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	43,473	71,668	38,168	54,487	244,462	275,347	144,421	183,011
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	33,641	57,368	24,750	35,800	196,904	223,300	145,620	163,133
1. बाजार ऋण	13,720	10,368	3,500	12,000	56,846	53,800	37,081	54,363
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	3,000	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	173	3,000	3,000	5,000	14,319	17,500	16,256	19,250
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	1,067	2,500	2,521	1,320
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	22,024	30,000	30,000	20,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	20,025	41,000	18,250	18,800	102,647	117,000	59,762	68,200
8. अन्य @ जिसमें:	-277	-	-	-	-	2,500	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	369	-	-	-	786	4,955	2,027	6,441
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	157	-	-	-	786	2,455	498	6,441
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	372	-	-	-	-	1,000	629	-
4. योजनेतर (i से ii)	11	-	-	-	-	1,500	901	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	11	-	-	-	-	1,500	901	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-171	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	386	304	250	289	3,637	17,965	11,933	15,636
1. आवास निर्माण	20	23	-	-	-	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	100	-	50
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	1	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	3	3	-	-	33	45	-	21
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	3,028	6,700	1,289	3,710
8. ग्राम और लघु उद्योग	2	3	-	-	1	10,001	10,002	10,005
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	360	271	250	289	571	1,089	640	1,821
12. अन्य**	-	4	-	-	4	31	2	29
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	1,614	4,000	874	2,800
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	37,529	47,400	41,250	45,200	32,077	36,661	24,534	27,560
1. राज्य भविष्य निधि	37,194	47,000	40,910	44,900	31,372	35,790	23,664	26,690
2. अन्य	335	400	340	300	705	871	871	871
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	764	1,100	500	500	25,648	33,500	28,500	26,000
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	14,500	15,500	15,500	13,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	764	1,100	500	500	11,148	18,000	13,000	13,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	21,079	35,060	20,800	20,800	219,953	184,364	166,328	166,328
1. सिविल जमा	20,243	23,000	20,000	20,000	141,791	76,723	66,628	66,628
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	69,124	107,641	99,700	99,700
3. सिविल अग्रिम	836	12,060	800	800	9,038	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उच्च और विविध (1 से 4)	826,471	483,020	1,315,156	826,052	3,245,047	618,791	616,792	616,792
1. उच्च	8,765	3,000	8,000	6,000	15,075	24,572	22,572	22,572
2. नकदी शेष निवेश खाता	817,613	480,000	1,307,066	820,002	863,885	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	1,821,104	-	-	-
4. अन्य	93	20	90	50	544,983	594,219	594,220	594,220
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	71,022	45,000	65,858	55,000	268,077	201,553	201,553	201,553



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	30,430,128	6,672,854	6,066,080	31,990,709	11,018,834	9,436,861	15,126,315	16,286,156
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	2,291,352	1,534,476	1,377,490	1,601,467	1,934,857	1,676,341	1,407,545	1,649,968
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,612,186	2,342,942	1,189,506	2,457,095	1,519,141	1,667,585	1,402,546	1,626,113
1. बाजार ऋण	418,471	324,727	324,791	428,698	174,132	175,929	264,893	306,265
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	148,000	150,000	150,000	150,000	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	44,813	53,215	53,215	55,000	-	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	45	-	-	-	3,682	1,793	1,793	2,028
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	308,115	1,000,000	-	1,000,000	26,956	100,000	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	688,870	800,000	650,000	800,000	1,072,550	1,262,700	920,000	1,010,000
8. अन्य @	3,872	15,000	11,500	23,397	241,821	126,163	114,860	206,820
जिसमें:								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	3	30	30	30
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	121,674	57,872	50,265	51,265	58,396	103,673	77,966	104,836
1. राज्य योजना कार्यक्रम	169,817	57,607	50,000	50,000	57,896	103,673	77,966	104,836
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,485	-	-	1,000	500	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	65	265	265	265	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	65	265	265	265	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	1,288	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-50,981	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	58,505	38,793	38,793	60,799	63,133	22,658	25,374	7,334
1. आवास निर्माण	5,507	1,337	1,337	5,986	31	150	150	150
2. शहरी विकास	2,765	1,535	1,535	1,293	1	95	95	95
3. फसल उत्पादन	14	1,440	1,440	1,442	-	50	50	50
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	5	15	15	14	-	4	4	4
5. सहकारिता	2,378	968	968	1,141	149	275	275	275
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-9	7	7	7
7. बिजली परियोजना	33,453	100	100	100	58,382	14,409	14,439	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	586	4,324	4,324	4,424	24	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	2,003	14,656	14,656	32,181	31	1,205	4,044	1,245
10. सड़क परिवहन	-	49	49	49	-	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,312	4,303	4,303	4,098	4,441	6,000	5,000	5,000
12. अन्य**	8,482	10,067	10,066	10,071	83	155	1,002	200
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	29,852	-	2,562	1,000	401	-	195	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	360,537	405,236	405,336	438,663	112,968	138,859	123,975	136,270
1. राज्य भविष्य निधि	346,336	390,543	390,643	423,970	109,976	135,859	120,975	133,070
2. अन्य	14,201	14,693	14,693	14,693	2,992	3,000	3,000	3,200
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	318,142	339,848	339,868	360,917	160,029	56,899	86,333	97,499
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	9,647	12,000	12,000	12,000	-	-	1	-
2. शोधन निधि	263,680	287,207	287,207	305,793	110,719	-	30,000	36,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	44,815	40,641	40,661	43,124	49,310	56,899	56,332	61,499
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,654,938	550,962	552,548	552,548	948,006	979,946	1,125,010	1,232,068
1. सिविल जमा	722,706	266,750	268,336	268,336	193,440	207,832	204,202	217,090
2. स्थानीय निधि जमाराशि	550,967	284,212	284,212	284,212	472,013	379,030	443,765	476,055
3. सिविल अग्रिम	15,242	-	-	-	18,011	17,016	17,011	17,512
4. अन्य	366,023	-	-	-	264,542	376,068	460,032	521,411
X. उचित और विविध (1 से 4)	25,450,222	2,685,702	3,235,702	27,816,922	7,913,976	6,230,189	12,045,361	12,826,619
1. उचित	-1,229,231	75,015	75,015	75,015	20,511	8,980	27,049	8,007
2. नकदी शेष निवेश खाता	8,387,958	-	550,000	25,000,000	6,156,986	200,000	5,000,000	5,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	14,960,390	-	-	-	-	4,500,000	5,200,000	5,800,000
4. अन्य	3,331,105	2,610,687	2,610,687	2,741,907	1,736,479	1,521,209	1,818,312	2,018,612
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	824,072	251,500	251,500	251,500	242,785	237,053	239,556	255,418



परिशिष्ट

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	171,165,373	90,214,578	141,140,794	147,396,347
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	16,460,713	15,178,150	14,315,426	16,095,316
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	13,642,770	15,066,850	12,562,587	15,174,996
1. बाजार ऋण	2,279,480	2,826,762	2,497,768	3,681,787
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	129,389	122,127	93,028	90,211
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	243,238	272,200	207,000	299,800
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	487,457	904,709	813,784	979,461
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	62,346	70,045	67,474	65,418
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	1,722,501	3,688,172	1,959,030	3,368,817
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,857,642	6,481,509	6,229,895	5,974,619
8. अन्य@ जिसमें:	860,715	701,326	694,608	714,883
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	48,212	55	34	35
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	809,676	1,352,512	1,019,729	1,491,828
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	875,421	1,280,888	951,774	1,425,278
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	2,068	6,362	12,873	8,828
4. योजनेतर (i से ii)	13,589	11,334	12,129	16,177
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-42,852	3,482	2,953	1,544
(ii) अन्य	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-42,852	3,482	2,953	1,544
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	46,288	45,001	40,000	40,001
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	-84,838	5,444	-	-
1. आवास निर्माण	890,356	532,583	848,181	459,177
2. शहरी विकास	14,861	59,577	27,039	16,852
3. फसल उत्पादन	16,160	8,896	7,925	28,177
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	2,835	2,436	2,556	2,566
5. सहकारिता	34,314	31,737	81,755	76,377
6. लघु सिंचाई	22,625	62,952	66,752	19,017
7. बिजली परियोजना	-4	8,518	1,008	108
8. ग्राम और लघु उद्योग	624,561	85,303	372,195	66,903
9. उद्योग और खनिज	8,902	26,822	27,114	26,094
10. सड़क परिवहन	24,572	34,682	36,812	51,789
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	5	8,249	8,249	8,249
12. अन्य**	87,372	108,174	128,111	104,230
V. अंतर राज्य निपटान	54,151	95,238	88,665	58,815
VI. आकस्मिकता निधि	-	2	2	2
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	273,869	70,272	90,254	74,410
1. राज्य भविष्य निधि	3,652,398	4,037,188	4,087,012	4,408,743
2. अन्य	2,759,440	2,973,286	3,035,863	3,266,437
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	892,957	1,063,902	1,051,149	1,142,306
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	2,633,565	2,240,535	2,407,215	2,216,781
2. शोधन निधि	15,731	25,084	19,587	35,718
3. अकाल राहत निधि	1,002,810	842,218	814,729	726,570
4. अन्य	109	79	89	89
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,614,915	1,373,154	1,572,810	1,454,404
1. सिविल जमा	15,317,136	13,042,895	13,842,073	14,611,283
2. स्थानीय निधि जमाराशि	5,633,247	3,681,876	4,365,739	4,463,573
3. सिविल अग्रिम	7,220,666	6,763,882	7,391,993	7,888,410
4. अन्य	274,742	253,814	238,798	249,588
X. उच्चत और विविध (1 से 4)	2,188,482	2,343,322	1,845,543	2,009,712
1. उच्चत	125,180,232	48,300,513	100,251,011	102,137,752
2. नकदी शेष निवेश खाता	-450,427	2,801,951	2,898,760	2,752,488
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	83,194,425	14,437,462	50,293,911	54,673,927
4. अन्य	25,801,897	18,867,572	29,241,515	30,405,260
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	16,634,337	12,193,527	17,816,824	14,306,077
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें: विनिवेश	105,000	600	-	600
XIII. विप्रेषण	875	305,000	305,385	1,010,165
	-	100,000	100,000	-
	8,659,500	5,265,631	5,727,344	5,810,610



राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन

परिशिष्ट III : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों की पूंजी प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (I से XIII)	621,613	18,732	421,714	37,189	35,948	81,880	45,161	79,300
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल)*	621,613	18,732	421,714	37,189	35,948	81,880	45,161	79,300
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	589,645	-	400,214	-	-	48,710	-	42,500
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	589,645	-	400,214	-	-	-	-	-
8. अन्य @	-	-	-	-	-	48,710	-	42,500
जिसमें:	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	-	-	-	-	35,333	32,500	44,328	36,200
1. राज्य योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	35,333	32,500	44,328	36,200
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदत्त योजना सहायता अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	31,968	18,732	21,500	37,189	615	670	834	600
1. आवास निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	494	600	500	500	-	-	-	-
12. अन्य**	31,474	18,132	21,000	36,689	615	670	834	600
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य भविष्य निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. सिविल जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-

- : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

* : इसमें मद I से XIII का जोड़ शामिल है जहां मद V से XI, XIII तथा II(3) निवल आधार पर हैं, जबकि मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं हैं। मद II (6) तथा X (2 व 3) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्तीय मदों के रूप में लिया गया है।

: भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाहरी एजेंसियों से संसाधन नहीं जुटा सकते।

@ : भूमि प्रतिकर बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि से ऋण शामिल हैं।

+ : आवास व्यवस्था, वाहन क्रय, त्योहार, विवाह आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।

** : इसमें शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए लिये गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।

परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	802,011	15,709,060	16,511,071	1,041,450	2,281,810	3,323,260	1,056,084	2,058,250	3,114,334	1,730,524	2,484,678	4,215,203
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	802,011	537,047	1,339,058	1,041,450	493,264	1,534,714	1,056,084	493,900	1,549,984	1,730,524	590,896	2,321,421
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	769,938	-3,770	766,169	1,001,811	4,725	1,006,536	1,016,444	4,725	1,021,169	1,282,432	4,475	1,286,907
1. विकासात्मक (क + ख)	767,390	-3,803	763,587	993,732	4,234	997,966	1,008,366	4,234	1,012,600	1,271,444	4,234	1,275,678
(क) समाज सेवा (1 से 9)	15,590	-	15,590	53,277	51	53,329	53,262	51	53,313	58,784	51	58,835
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,296	-	3,296	4,261	-	4,261	4,261	-	4,261	9,862	-	9,862
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	549	-	549	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	5,770	-	5,770
3. परिवार कल्याण	30	-	30	30	-	30	30	-	30	30	-	30
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	206	-	206	118	-	118	103	-	103	103	-	103
5. आवास निर्माण	419	-	419	2,942	51	2,993	2,942	51	2,993	5,942	51	5,993
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,047	-	10,047	39,962	-	39,962	39,962	-	39,962	32,763	-	32,763
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	869	-	869	1,215	-	1,215	1,215	-	1,215	315	-	315
9. अन्य *	175	-	175	3,650	-	3,650	3,650	-	3,650	4,000	-	4,000
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	751,800	-3,803	747,997	940,455	4,183	944,637	955,104	4,183	959,287	1,212,660	4,183	1,216,843
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	787	-65	723	2,977	-	2,977	2,877	-	2,877	3,012	-	3,012
i) फसल कार्य	16	-	16	-	-	-	-	-	-	135	-	135
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशु पालन	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	170	-	170	845	-	845	745	-	745	745	-	745
vi) वानिकी और वन्यजीवन	507	-	507	62	-	62	62	-	62	62	-	62
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	48	-65	-17	2,070	-	2,070	2,070	-	2,070	2,070	-	2,070
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	32,053	-	32,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	615,775	-	615,775	846,214	-	846,214	846,214	-	846,214	1,122,705	-	1,122,705
5. ऊर्जा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,478	-6	4,472	5,228	-	5,228	5,228	-	5,228	4,576	-	4,576
i) ग्राम और लघु उद्योग	200	-6	194	205	-	205	205	-	205	203	-	203
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	200	-	200	200	-	200	200	-	200
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	4,278	-	4,278	4,823	-	4,823	4,823	-	4,823	4,173	-	4,173
7. परिवहन (i + ii)	87,644	-3,730	83,914	71,286	4,159	75,445	71,286	4,159	75,445	67,618	4,159	71,777
i) सड़क और पुल	81,417	-3,730	77,688	66,136	4,159	70,295	66,136	4,159	70,295	60,468	4,159	64,627
ii) अन्य **	6,227	-	6,227	5,150	-	5,150	5,150	-	5,150	7,150	-	7,150
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	11,062	-2	11,059	14,750	24	14,774	29,500	24	29,524	14,750	24	14,774
i) पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य @@	11,062	-2	11,059	14,750	24	14,774	29,500	24	29,524	14,750	24	14,774
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,548	34	2,582	8,079	491	8,570	8,078	491	8,569	10,988	241	11,229
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	439,859	439,859	—	618,592	618,592	—	419,664	419,664	—	713,951	713,951
1. बाजार से ऋण	—	57,386	57,386	—	53,018	53,018	—	53,018	53,018	—	100,817	100,817
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	3,594	3,594	—	31,781	31,781	—	31,781	31,781	—	35,885	35,885
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	201	201	—	6,221	6,221	—	3,492	3,492	—	13,683	13,683
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	7,779	7,779	—	3,181	3,181	—	2,386	2,386	—	1,016	1,016
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	300,000	300,000	—	100,000	100,000	—	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	-28,945	-28,945	—	18,295	18,295	—	14,641	14,641	—	20,368	20,368
8. अन्य	—	399,844	399,844	—	206,096	206,096	—	214,346	214,346	—	242,183	242,183
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	243,610	243,610	—	12,180	12,180	—	12,180	12,180	—	24,361	24,361
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	57,382	57,382	—	78,765	78,765	—	78,329	78,329	—	81,475	81,475
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	51,551	51,551	—	71,938	71,938	—	76,146	76,146	—	79,395	79,395
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	154	154	—	211	211	—	211	211	—	210	210
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	645	645	—	580	580	—	580	580	—	603	603
4. योजनेतर (i से ii)	—	646	646	—	637	637	—	628	628	—	623	623
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	646	646	—	637	637	—	628	628	—	623	623
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	4,386	4,386	—	5,398	5,398	—	765	765	—	644	644
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	32,072	43,576	75,649	39,639	91,184	130,823	39,639	91,184	130,823	448,092	90,997	539,089
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	32,072	39,882	71,955	39,639	85,025	124,664	39,639	85,025	124,664	448,092	83,837	531,930
(क) समाज सेवा (1 से 7)	19,139	38,382	57,521	26,793	82,798	109,591	26,793	82,798	109,591	384,546	81,611	466,157
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	200	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,700	4,800	6,500	1,000	5,986	6,986	1,000	5,986	6,986	11,900	6,585	18,485
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	2,500	2,500	—	2,500	2,500	—	2,500	2,500	—	2,500	2,500
5. आवास निर्माण	16,640	27,685	44,325	25,373	69,312	94,685	25,373	69,312	94,685	372,226	67,526	439,752
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	2,265	2,265	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
7. अन्य	799	932	1,731	420	—	420	420	—	420	420	—	420
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	12,934	1,500	14,434	12,846	2,227	15,073	12,846	2,227	15,073	63,546	2,227	65,773
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	103	—	103	2,575	—	2,575	2,575	—	2,575	1,075	—	1,075
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	1,070	—	1,070	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	3,956	—	3,956	5,197	—	5,197	5,197	—	5,197	19,897	—	19,897



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	7,805	1,500	9,305	5,074	2,227	7,301	5,074	2,227	7,301	42,574	2,227	44,801
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	3,694	3,694	-	6,159	6,159	-	6,159	6,159	-	7,159	7,159
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	3,694	3,694	-	6,159	6,159	-	6,159	6,159	-	7,159	7,159
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	93,653	93,653	-	105,145	105,145	-	105,145	105,145	-	115,659	115,659
1. राज्य भविष्य निधि	-	79,487	79,487	-	88,851	88,851	-	88,851	88,851	-	97,736	97,736
2. अन्य	-	14,166	14,166	-	16,293	16,293	-	16,293	16,293	-	17,923	17,923
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	81,865	81,865	-	60,723	60,723	-	60,727	60,727	-	66,229	66,229
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	28,089	28,089	-	21,003	21,003	-	21,003	21,003	-	21,003	21,003
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	53,775	53,775	-	39,720	39,720	-	39,724	39,724	-	45,226	45,226
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,584,414	1,584,414	-	1,322,677	1,322,677	-	1,298,477	1,298,477	-	1,411,893	1,411,893
1. सिविल जमा	-	781,564	781,564	-	349,650	349,650	-	337,998	337,998	-	365,572	365,572
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	516,382	516,382	-	657,113	657,113	-	643,735	643,735	-	708,507	708,507
3. सिविल अग्रिम	-	17,781	17,781	-	23,003	23,003	-	23,003	23,003	-	25,003	25,003
4. अन्य	-	268,687	268,687	-	292,911	292,911	-	293,742	293,742	-	312,811	312,811
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	12,538,395	12,538,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचंत	-	-274,659	-274,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	4,292,664	4,292,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	7,669,933	7,669,933	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	850,457	850,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	873,606	873,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			6,332			96,555			8,435			6,148
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-6,411			-99,583			-5,354			-3,648
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-79			-3,028			3,081			2,500
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-37,505			-3,028			3,081			2,500
क) अथ शेष			28,615			-6,403			-8,890			-5,809
ख) इति शेष			-8,890			-9,431			-5,809			-3,309
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			37,426			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	43,903	643,083	686,986	31,320	206,139	237,458	67,708	561,852	629,560	30,138	595,256	625,394
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	43,903	33,029	76,932	31,320	26,175	57,495	67,708	18,887	86,595	30,138	22,755	52,893
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	43,869	-107	43,762	31,232	-58	31,174	67,547	-18	67,529	30,075	-17	30,058
1. विकासात्मक (क + ख)	42,262	-107	42,155	29,663	-58	29,605	64,072	-18	64,054	28,015	-17	27,998
(क) समाज सेवा (1 से 9)	9,022	-	9,022	5,091	-	5,091	16,885	8	16,893	3,679	-	3,679
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,434	-	2,434	247	-	247	5,985	8	5,993	1,060	-	1,060
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	510	-	510	760	-	760	3,123	-	3,123	2	-	2
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,706	-	1,706	1,124	-	1,124	1,854	-	1,854	708	-	708
5. आवास निर्माण	590	-	590	846	-	846	921	-	921	766	-	766
6. शहरी विकास	2,184	-	2,184	1,767	-	1,767	4,177	-	4,177	865	-	865
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,384	-	1,384	334	-	334	744	-	744	262	-	262
9. अन्य *	214	-	214	13	-	13	81	-	81	16	-	16
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	33,240	-107	33,133	24,571	-58	24,514	47,187	-26	47,161	24,336	-17	24,319
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,363	-107	2,256	409	-58	351	1,749	-26	1,723	457	-17	440
i) फसल कार्य	161	-	161	221	-	221	317	-	317	317	-	317
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	508	-	508	11	-	11
iii) पशु पालन	498	-	498	56	-	56	270	-	270	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-
v) मत्स्य पालन	39	-	39	17	-	17	32	-	32	-	-	-
vi) वानिकी और वन्यजीवन	500	-	500	40	-	40	-	-	-	40	-	40
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	-107	-107	-	-58	-58	-	-26	-26	-	-17	-17
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12	-	12	45	-	45	50	-	50	50	-	50
x) सहाकरिता	1,153	-	1,153	30	-	30	568	-	568	39	-	39
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	241	-	241	62	-	62	131	-	131	90	-	90
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	5,628	-	5,628	2,098	-	2,098	6,155	-	6,155	2,785	-	2,785
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	586	-	586	550	-	550	1,230	-	1,230	580	-	580
5. ऊर्जा	12,409	-	12,409	10,527	-	10,527	15,507	-	15,507	9,290	-	9,290
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	286	-	286	10	-	10	117	-	117	-	-	-
i) ग्राम और लघु उद्योग	5	-	5	5	-	5	14	-	14	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	141	-	141	2	-	2	100	-	100	-	-	-
iv) अन्य #	140	-	140	3	-	3	3	-	3	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	9,548	-	9,548	10,054	-	10,054	20,690	-	20,690	10,885	-	10,885
i) सड़क और पुल	9,301	-	9,301	9,607	-	9,607	20,171	-	20,171	10,431	-	10,431
ii) अन्य **	247	-	247	447	-	447	519	-	519	454	-	454
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,179	—	2,179	862	—	862	1,608	—	1,608	249	—	249
i) पर्यटन	2,164	—	2,164	826	—	826	1,575	—	1,575	219	—	219
ii) अन्य @@	15	—	15	36	—	36	33	—	33	30	—	30
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	1,607	—	1,607	1,569	—	1,569	3,475	—	3,475	2,060	—	2,060
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	11,422	11,422	—	23,695	23,695	—	15,296	15,296	—	16,744	16,744
1. बाजार से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	13,258	13,258	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000
8. अन्य	—	11,422	11,422	—	10,437	10,437	—	12,296	12,296	—	13,744	13,744
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	21,467	21,467	—	2,183	2,183	—	3,253	3,253	—	5,668	5,668
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	21,467	21,467	—	2,183	2,183	—	3,253	3,253	—	5,668	5,668
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	34	248	282	88	355	443	161	356	517	63	360	423
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	34	—	34	88	—	88	161	—	161	63	—	63
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	34	—	34	88	—	88	161	—	161	63	—	63
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	32	—	32	88	—	88	161	—	161	63	—	63
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	248	248	-	355	355	-	356	356	-	360	360
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	248	248	-	355	355	-	356	356	-	360	360
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	1,606	1,606	-	5,850	5,850	-	6,549	6,549	-	6,876	6,876
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,426	1,426	-	5,600	5,600	-	6,046	6,046	-	6,348	6,348
2. अन्य	-	180	180	-	250	250	-	503	503	-	528	528
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	806	806	-	1,650	1,650	-	9,998	9,998	-	1,000	1,000
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	800	800	-	400	400	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	6	6	-	1,250	1,250	-	8,998	8,998	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	12,718	12,718	-	10,595	10,595	-	13,287	13,287	-	13,412	13,412
1. सिविल जमा	-	8,302	8,302	-	7,952	7,952	-	10,941	10,941	-	10,949	10,949
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	4,416	4,416	-	2,643	2,643	-	2,346	2,346	-	2,463	2,463
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	489,043	489,043	-	102,741	102,741	-	441,855	441,855	-	478,773	478,773
1. उचंत	-	14,063	14,063	-	32,885	32,885	-	-17,957	-17,957	-	5,974	5,974
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	473,680	473,680	-	68,549	68,549	-	459,668	459,668	-	472,648	472,648
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,300	1,300	-	1,307	1,307	-	144	144	-	151	151
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	600	600	-	-	-	-	600	600
XII. विप्रेषण	-	105,880	105,880	-	58,527	58,527	-	71,276	71,276	-	71,840	71,840
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-3,731			-23,452			-56,873			-37,813
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			18,174			19,048			42,047			16,276
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			14,443			-4,404			-14,826			-21,537
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			38,813			1,118			-7,832			-4,540
क) अथ शेष			-22,585			-11,366			-5,692			-13,427
ख) हति शेष			16,228			-10,248			-13,524			-17,967
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-			-			3			-10,000
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-24,370			-5,522			-6,997			-6,997



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	111,181	2,146,748	2,257,929	282,968	1,950,338	2,233,306	293,447	7,071,749	7,365,196	288,828	5,417,187	5,706,014
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	111,181	43,950	155,131	282,968	80,817	363,785	293,447	83,728	377,175	288,828	91,246	380,073
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	100,876	7,657	108,532	269,337	8,625	277,962	279,816	11,535	291,351	273,765	11,172	284,937
1. विकासात्मक (क + ख)	100,491	7,000	107,491	266,430	7,528	273,958	276,909	10,138	287,047	270,919	9,879	280,798
(क) समाज सेवा (1 से 9)	3,525	983	4,507	33,842	485	34,327	33,442	1,095	34,537	45,917	1,449	47,366
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	322	—	322	262	—	262	262	—	262	86	100	186
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,133	48	1,181	780	100	880	780	100	880	179	100	279
3. परिवार कल्याण	—	1	1	5	—	5	5	—	5	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	27,100	—	27,100	27,100	—	27,100	30,779	—	30,779
5. आवास निर्माण	167	130	297	667	385	1,052	667	385	1,052	750	344	1,094
6. शहरी विकास	1,899	804	2,703	4,927	—	4,927	4,527	610	5,137	14,111	905	15,016
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	—	3	101	—	101	101	—	101	—	—	—
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. अन्य *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	96,967	6,017	102,984	232,588	7,043	239,631	243,467	9,043	252,510	225,002	8,430	233,432
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	20	—	20	252	—	252	252	—	252	1,380	—	1,380
i) फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	392	—	392
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
v) मत्स्य पालन	3	—	3	66	—	66	66	—	66	16	—	16
vi) वानिकी और वन्यजीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	150
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	10	—	10	64	—	64	64	—	64	120	—	120
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	6	—	6	122	—	122	122	—	122	701	—	701
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	27,525	—	27,525	107,542	—	107,542	118,420	—	118,420	89,942	—	89,942
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11,200	—	11,200	27,669	—	27,669	27,670	—	27,670	32,155	—	32,155
5. ऊर्जा	20,535	—	20,535	47,166	—	47,166	47,166	—	47,166	31,485	—	31,485
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	197	—	197	7,550	—	7,550	7,550	—	7,550	14,679	600	15,279
i) ग्राम और लघु उद्योग	177	—	177	110	—	110	110	—	110	—	—	—
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	19	—	19	7,440	—	7,440	7,440	—	7,440	14,679	600	15,279
7. परिवहन (i + ii)	37,361	6,017	43,378	41,515	6,688	48,202	41,515	8,688	50,202	54,831	7,830	62,661
i) सड़क और पुल	37,331	4,517	41,848	41,060	5,354	46,414	41,060	7,354	48,414	53,911	7,830	61,741
ii) अन्य **	30	1,500	1,530	455	1,334	1,789	455	1,334	1,789	920	—	920
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	129	—	129	895	356	1,251	895	356	1,251	530	—	530
i) पर्यटन	129	—	129	43	356	399	43	356	399	528	—	528
ii) अन्य @@	—	—	—	852	—	852	852	—	852	2	—	2
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	385	657	1,041	2,907	1,097	4,004	2,907	1,397	4,304	2,846	1,293	4,139
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	245,767	245,767	—	135,067	135,067	—	135,067	135,067	—	105,838	105,838
1. बाजार से ऋण	—	16,263	16,263	—	17,890	17,890	—	17,890	17,890	—	33,287	33,287
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	47	47	—	39	39	—	39	39	—	38	38
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	4,477	4,477	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	3,500	3,500
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	220	220	—	220	220	—	564	564
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	219,819	219,819	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000	—	50,000	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	2,574	2,574	—	4,715	4,715	—	4,715	4,715	—	6,658	6,658
8. अन्य	—	2,588	2,588	—	7,204	7,204	—	7,204	7,204	—	11,791	11,791
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	4,289	4,289	—	4,289	4,289	—	8,576	8,576
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	10,088	10,088	—	35,943	35,943	—	35,944	35,944	—	23,211	23,211
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	8,279	8,279	—	9,143	9,143	—	9,144	9,144	—	9,286	9,286
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	11,268	11,268	—	11,268	11,268	—	2,452	2,452
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	—	—	—	2,461	2,461	—	2,461	2,461	—	828	828
4. योजनेतर (i से ii)	—	49	49	—	4,474	4,474	—	4,474	4,474	—	2,926	2,926
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	49	49	—	4,474	4,474	—	4,474	4,474	—	2,926	2,926
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	2,086	2,086	—	2,086	2,086	—	1,207	1,207
7. अन्य	—	1,760	1,760	—	1,512	1,512	—	1,512	1,512	—	1,512	1,512
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	10,305	257	10,562	13,631	1,181	14,812	13,631	1,181	14,812	15,063	1,025	16,088
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	10,305	72	10,377	13,631	367	13,998	13,631	367	13,998	15,063	305	15,368
(क) समाज सेवा (1 से 7)	2,005	72	2,077	115	367	481	115	367	481	431	305	736
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	5	5	—	5	5	—	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	42	—	42	37	—	37	37	—	37	65	—	65
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	72	72	—	362	362	—	362	362	—	300	300
7. अन्य	1,963	—	1,963	77	—	77	77	—	77	366	—	366
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	8,300	—	8,300	13,516	—	13,516	13,516	—	13,516	14,632	—	14,632
1. फसल कार्य	—	—	—	3	—	3	3	—	3	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	4	—	4	4	—	4	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	50	—	50	50	—	50	262	—	262
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	8,126	—	8,126	13,105	—	13,105	13,105	—	13,105	14,120	—	14,120

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	74	—	74	253	—	253	253	—	253	50	—	50
8. अन्य उद्योग और खनिज	100	—	100	—	—	—	100	—	100	200	—	200
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	—	—	—	102	—	102	2	—	2	—	—	—
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	186	186	—	815	815	—	815	815	—	720	720
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	186	186	—	815	815	—	815	815	—	720	720
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	23,089	23,089	—	24,346	24,346	—	24,346	24,346	—	26,668	26,668
1. राज्य भविष्य निधि	—	21,819	21,819	—	21,600	21,600	—	21,600	21,600	—	23,868	23,868
2. अन्य	—	1,270	1,270	—	2,746	2,746	—	2,746	2,746	—	2,800	2,800
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	33,381	33,381	—	47,115	47,115	—	47,115	47,115	—	40,848	40,848
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	14,400	14,400	—	17,600	17,600	—	17,600	17,600	—	20,400	20,400
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	18,981	18,981	—	29,515	29,515	—	29,515	29,515	—	20,448	20,448
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	168,812	168,812	—	85,300	85,300	—	85,300	85,300	—	95,650	95,650
1. सिविल जमा	—	134,223	134,223	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	41	41	—	300	300	—	300	300	—	650	650
3. सिविल अग्रिम	—	34,548	34,548	—	40,000	40,000	—	40,000	40,000	—	50,000	50,000
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उच्चत और विविध (1 से 4)	—	1,464,389	1,464,389	—	1,512,760	1,512,760	—	6,631,260	6,631,260	—	5,012,775	5,012,775
1. उच्चत	—	12,017	12,017	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	1,450,958	1,450,958	—	1,500,000	1,500,000	—	6,618,500	6,618,500	—	5,000,000	5,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,413	1,413	—	2,760	2,760	—	2,760	2,760	—	2,775	2,775
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	188,309	188,309	—	95,000	95,000	—	95,000	95,000	—	95,000	95,000
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			7,304			-139,967			-147,477			-126,378
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			150,908			-43,478			-63,010			89,741
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			158,212			-183,446			-210,486			-36,637
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-11,292			-183,446			-210,486			-36,637
क) अथ शेष			-25,209			-16,102			-36,501			-246,987
ख) इति शेष			-36,501			-199,548			-246,987			-283,624
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			137,756			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			31,749			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	165,247	9,695,113	9,860,360	462,517	907,901	1,370,418	540,268	924,358	1,464,626	583,498	677,881	1,261,379
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	165,247	316,000	481,247	462,517	181,591	644,108	540,268	198,048	738,316	583,498	246,434	829,932
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	155,039	53,351	208,390	432,161	59,056	491,217	502,812	72,269	575,081	557,935	80,957	638,892
1. विकासात्मक (क + ख)	151,070	50,129	201,199	422,813	45,350	468,163	492,533	54,354	546,887	549,667	72,785	622,452
(क) समाज सेवा (1 से 9)	24,724	8,119	32,843	41,548	26,396	67,944	48,086	34,847	82,933	52,242	50,749	102,991
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,914	—	2,914	4,583	—	4,583	10,727	—	10,727	8,116	—	8,116
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,791	—	13,791	13,187	—	13,187	13,287	31	13,318	13,310	—	13,310
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,279	7,822	12,101	16,048	25,922	41,970	16,088	34,342	50,430	20,428	49,855	70,283
5. आवास निर्माण	22	297	319	399	474	873	399	474	873	399	894	1,293
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,718	—	3,718	5,932	—	5,932	6,186	—	6,186	3,487	—	3,487
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	950	—	950	950	—	950	6,053	—	6,053
9. अन्य *	—	—	—	449	—	449	449	—	449	449	—	449
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	126,346	42,010	168,356	381,265	18,954	400,219	444,447	19,507	463,954	497,425	22,036	519,461
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	8,500	819	9,319	200	673	873	400	726	1,126	100	290	390
i) फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्यजीवन	—	80	80	—	80	80	—	80	80	—	90	90
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	8,500	739	9,239	200	593	793	400	646	1,046	100	200	300
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	40,423	—	40,423	102,516	—	102,516	130,966	—	130,966	124,277	—	124,277
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	18,226	40,920	59,146	88,642	15,900	104,542	91,685	16,400	108,085	123,452	20,365	143,817
5. ऊर्जा	30,201	—	30,201	45,157	—	45,157	45,157	—	45,157	57,486	—	57,486
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	529	—	529	20,533	—	20,533	20,547	—	20,547	22,359	—	22,359
i) ग्राम और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	529	—	529	20,533	—	20,533	20,547	—	20,547	22,359	—	22,359
7. परिवहन (i + ii)	27,499	—	27,499	122,317	2,380	124,697	153,792	2,380	156,172	166,914	1,380	168,294
i) सड़क और पुल	26,042	—	26,042	122,217	2,380	124,597	153,692	2,380	156,072	165,814	1,380	167,194
ii) अन्य **	1,457	—	1,457	100	—	100	100	—	100	1,100	—	1,100
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	968	271	1,239	1,900	1	1,901	1,900	1	1,901	2,837	1	2,838
i) पर्यटन	548	271	819	1,500	—	1,500	1,500	—	1,500	2,400	—	2,400
ii) अन्य @@	420	—	420	400	1	401	400	1	401	437	1	438
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	3,969	3,222	7,191	9,348	13,706	23,054	10,279	17,915	28,194	8,268	8,172	16,440
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	53,572	53,572	—	171,569	171,569	—	171,569	171,569	—	220,220	220,220
1. बाजार से ऋण	—	38,450	38,450	—	41,790	41,790	—	41,790	41,790	—	77,963	77,963
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	11	11	—	11	11	—	11	11	—	11	11
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	4,657	4,657	—	1,720	1,720	—	1,720	1,720	—	2,017	2,017
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	1,327	1,327	—	962	962	—	962	962	—	800	800
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	8,990	8,990	—	16,454	16,454	—	16,454	16,454	—	18,509	18,509
8. अन्य	—	137	137	—	10,632	10,632	—	10,632	10,632	—	20,920	20,920
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	70	70	—	10,563	10,563	—	10,563	10,563	—	20,850	20,850
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	44,503	44,503	—	48,125	48,125	—	47,113	47,113	—	42,853	42,853
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	39,094	39,094	—	43,004	43,004	—	41,721	41,721	—	41,721	41,721
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	62	62	—	63	63	—	60	60	—	60	60
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	144	144	—	147	147	—	134	134	—	147	147
4. योजनेतर (i से ii)	—	302	302	—	10	10	—	297	297	—	925	925
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	302	302	—	10	10	—	297	297	—	925	925
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	4,901	4,901	—	4,901	4,901	—	4,901	4,901	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	10,208	164,574	174,782	30,356	2,841	33,197	37,456	7,097	44,553	25,563	2,404	27,967
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	10,208	164,468	174,676	30,356	2,556	32,912	37,456	6,462	43,918	25,563	2,119	27,682
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	262	262	—	160	160	—	210	210	—	210	210
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	262	262	—	160	160	—	210	210	—	210	210
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	10,208	164,206	174,414	30,356	2,396	32,752	37,456	6,252	43,708	25,563	1,909	27,472
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	453	—	453	552	—	552	552	2,921	3,473	81	—	81
5. बड़ी और मझौली सिंचाई आदि	—	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	9,752	163,775	173,527	29,804	1,908	31,712	29,804	1,908	31,712	25,379	1,908	27,287



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	7,100	—	7,100	100	—	100
9. ग्रामीण विकास	—	350	350	—	485	485	—	485	485	—	1	1
10. अन्य	—	7	7	—	3	3	—	938	938	3	—	3
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	106	106	—	285	285	—	635	635	—	285	285
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	106	106	—	285	285	—	635	635	—	285	285
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	72,265	72,265	—	128,300	128,300	—	128,300	128,300	—	83,806	83,806
1. राज्य भविष्य निधि	—	63,746	63,746	—	115,800	115,800	—	115,800	115,800	—	70,520	70,520
2. अन्य	—	8,519	8,519	—	12,500	12,500	—	12,500	12,500	—	13,286	13,286
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	—	—	—	15,323	15,323	—	15,323	15,323	—	15,775	15,775
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	15,323	15,323	—	15,323	15,323	—	15,775	15,775
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	147,149	147,149	—	482,687	482,687	—	482,687	482,687	—	231,866	231,866
1. सिविल जमा	—	43,368	43,368	—	85,000	85,000	—	85,000	85,000	—	76,195	76,195
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	99,272	99,272	—	90,000	90,000	—	90,000	90,000	—	150,671	150,671
3. सिविल अग्रिम	—	4,509	4,509	—	6,000	6,000	—	6,000	6,000	—	5,000	5,000
4. अन्य	—	—	—	—	301,687	301,687	—	301,687	301,687	—	—	—
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	8,955,740	8,955,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. उचंत	—	18,111	18,111	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	8,930,461	8,930,461	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	7,168	7,168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	203,959	203,959	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			22,131			-126,224			-220,431			-348,329
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			8,071			61,123			-75,240			348,326
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			30,202			-65,101			-295,671			-3
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			29,888			-65,101			-295,671			-3
क) अथ शेष			-142,448			62,893			188,758			5,000
ख) इति शेष			-112,560			-2,208			-106,913			4,997
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			314			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	179,500	3,750,495	3,929,995	268,434	1,936,414	2,204,848	335,287	1,855,535	2,190,822	379,819	1,911,003	2,290,822
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	179,500	47,294	226,794	268,434	33,576	302,010	335,287	24,140	359,428	379,819	48,787	428,606
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	148,312	378	148,690	262,771	380	263,151	251,790	3,141	254,931	352,740	3,150	355,890
1. विकासात्मक (क + ख)	145,558	376	145,934	256,073	320	256,393	244,016	2,790	246,806	344,531	2,889	347,421
(क) समाज सेवा (1 से 9)	36,480	252	36,732	62,168	144	62,312	60,463	144	60,607	85,182	138	85,320
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,726	—	7,726	15,512	—	15,512	16,015	—	16,015	20,942	—	20,942
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,848	—	3,848	11,421	—	11,421	10,774	—	10,774	16,433	—	16,433
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,025	—	1,025	1,737	—	1,737	1,964	—	1,964	3,710	—	3,710
5. आवास निर्माण	1,707	—	1,707	2,620	—	2,620	3,464	—	3,464	3,316	—	3,316
6. शहरी विकास	1,575	—	1,575	12,150	—	12,150	8,150	—	8,150	17,202	—	17,202
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18,373	—	18,373	16,097	—	16,097	17,150	—	17,150	19,947	—	19,947
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,984	218	2,202	1,565	110	1,675	1,721	110	1,831	2,349	136	2,486
9. अन्य *	242	34	276	1,066	34	1,100	1,226	34	1,260	1,283	2	1,285
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	109,078	124	109,202	193,905	176	194,081	183,552	2,646	186,198	259,350	2,751	262,101
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	2,547	82	2,629	6,220	155	6,375	8,724	151	8,875	9,014	1	9,015
i) फसल कार्य	58	50	108	70	5	75	70	1	71	43	1	44
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,579	—	1,579	2,125	—	2,125	2,125	—	2,125	2,195	—	2,195
iii) पशु पालन	15	—	15	1	—	1	181	—	181	20	—	20
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	40	—	40	150	—	150	100	—	100	100	—	100
vi) वानिकी और वन्यजीवन	837	—	837	2,070	—	2,070	2,724	—	2,724	2,730	—	2,730
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	20	32	52	225	150	375	25	150	175	15	—	15
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-1	—	-1	1,579	—	1,579	3,499	—	3,499	3,910	—	3,910
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	4,552	—	4,552	13,478	—	13,478	15,582	—	15,582	17,513	—	17,513
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	54,707	—	54,707	77,550	—	77,550	76,502	—	76,502	88,340	—	88,340
5. ऊर्जा	2,500	—	2,500	—	—	—	3	—	3	3	—	3
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,142	2	4,144	6,351	2	6,353	6,340	—	6,340	10,666	—	10,666
i) ग्राम और लघु उद्योग	4,142	2	4,144	6,351	2	6,353	6,340	—	6,340	10,666	—	10,666
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	40,358	40	40,398	89,376	—	89,376	75,472	2,495	77,967	131,600	2,750	134,350
i) सड़क और पुल	40,159	—	40,159	89,372	—	89,372	75,432	—	75,432	131,508	—	131,508
ii) अन्य **	199	40	239	4	—	4	40	2,495	2,535	92	2,750	2,842
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	271	—	271	930	19	949	930	—	930	2,215	—	2,215
i) पर्यटन	271	—	271	930	—	930	930	—	930	2,215	—	2,215
ii) अन्य @@	—	—	—	—	19	19	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,755	2	2,757	6,698	60	6,758	7,775	351	8,125	8,209	260	8,469
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	—	27,884	27,884	—	37,477	37,477	—	18,252	18,252	—	51,375	51,375
1. बाजार से ऋण	—	8,539	8,539	—	9,536	9,536	—	9,575	9,575	—	15,861	15,861
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	646	646	—	—	—	—	646	646
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	16,720	16,720	—	2,825	2,825	—	2,587	2,587	—	6,272	6,272
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	1,240	1,240	—	707	707	—	780	780	—	849	849
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	18,000	18,000	—	—	—	—	18,000	18,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	1,322	1,322	—	2,893	2,893	—	2,893	2,893	—	4,475	4,475
8. अन्य	—	63	63	—	2,870	2,870	—	2,417	2,417	—	5,272	5,272
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	2,417	2,417	—	2,417	2,417	—	4,832	4,832
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	—	16,471	16,471	—	11,280	11,280	—	1,308	1,308	—	10,828	10,828
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	9,631	9,631	—	10,672	10,672	—	1,141	1,141	—	10,643	10,643
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	1,192	1,192	—	100	100	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	2,552	2,552	—	290	290	—	68	68	—	86	86
4. योजनेतर (i से ii)	—	3,096	3,096	—	218	218	—	99	99	—	99	99
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	3,096	3,096	—	218	218	—	99	99	—	99	99
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	31,187	2,561	33,748	5,663	2,439	8,102	83,497	1,439	84,936	27,079	1,434	28,513
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	31,187	2,561	33,748	5,663	2,418	8,081	83,497	1,418	84,915	27,079	1,413	28,492
(क) समाज सेवा (1 से 7)	3,707	2,520	6,227	2,802	2,027	4,829	59,177	1,027	60,204	7,166	1,022	8,188
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,000	—	2,000	50	—	50	50	—	50	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	807	—	807	1,500	—	1,500	5,773	—	5,773	4,065	—	4,065
5. आवास निर्माण	—	515	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	5	5	—	20	20	—	20	20	—	15	15
7. अन्य	900	2,000	2,900	1,252	2,007	3,259	53,353	1,007	54,360	3,101	1,007	4,108
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	27,480	40	27,521	2,861	391	3,252	24,320	391	24,711	19,913	391	20,304
1. फसल कार्य	—	40	40	—	391	391	—	391	391	—	391	391
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	4,032	—	4,032	335	—	335	20,377	—	20,377	15,925	—	15,925
4. सहकारिता	1,508	—	1,508	1,687	—	1,687	2,605	—	2,605	2,562	—	2,562
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	20,525	—	20,525	—	—	—	500	—	500	500	—	500

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	15	—	15	38	—	38	38	—	38	26	—	26
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,400	—	1,400	800	—	800	800	—	800	900	—	900
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	1	1	—	21	21	—	21	21	—	21	21
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	1	1	—	21	21	—	21	21	—	21	21
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
VI. आकस्मिकता निधि	—	4,147	4,147	—	4,000	4,000	—	4,129	4,129	—	4,000	4,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	39,866	39,866	—	40,036	40,036	—	40,336	40,336	—	44,290	44,290
1. राज्य भविष्य निधि	—	36,478	36,478	—	36,836	36,836	—	36,836	36,836	—	40,290	40,290
2. अन्य	—	3,388	3,388	—	3,200	3,200	—	3,500	3,500	—	4,000	4,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	10,856	10,856	—	39,561	39,561	—	85,567	85,567	—	43,041	43,041
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
2. शोधन निधि	—	5,000	5,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	7	7	—	29	29	—	29	29
4. अन्य	—	5,856	5,856	—	29,553	29,553	—	75,537	75,537	—	33,011	33,011
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	90,481	90,481	—	107,152	107,152	—	47,972	47,972	—	95,429	95,429
1. सिविल जमा	—	68,424	68,424	—	41,947	41,947	—	25,747	25,747	—	44,924	44,924
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	—	—	—	5	5	—	5	5	—	5	5
3. सिविल अग्रिम	—	21,177	21,177	—	21,900	21,900	—	21,900	21,900	—	21,900	21,900
4. अन्य	—	880	880	—	43,300	43,300	—	320	320	—	28,600	28,600
X. उच्चत और विविध (1 से 4)	—	3,298,383	3,298,383	—	1,454,117	1,454,117	—	1,451,461	1,451,461	—	1,453,461	1,453,461
1. उच्चत	—	2,396	2,396	—	-6	-6	—	-2,662	-2,662	—	-663	-663
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	2,143,656	2,143,656	—	900,000	900,000	—	900,000	900,000	—	900,000	900,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	492,466	492,466	—	245,581	245,581	—	245,581	245,581	—	245,581	245,581
4. अन्य	—	659,865	659,865	—	308,542	308,542	—	308,542	308,542	—	308,542	308,542
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	259,469	259,469	—	239,971	239,971	—	201,930	201,930	—	203,995	203,995
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-81,650			-128,596			-193,183			-184,821
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			138,137			119,991			167,831			180,134
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			56,487			-8,605			-25,352			-4,687
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-48,286			-8,605			-25,352			-4,687
क) अथ शेष			769			-13,718			-48,518			-73,870
ख) इति शेष			-47,517			-22,323			-73,870			-78,557
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			104,773			—			—			—
iii. भारिबैंक के अधोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	58,218	882,068	940,286	73,202	214,135	287,337	67,611	213,215	280,826	73,876	215,856	289,732
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	58,218	7,585	65,803	73,202	9,263	82,465	67,611	8,343	75,954	73,876	10,984	84,860
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	57,885	152	58,037	72,833	—	72,833	67,029	—	67,029	72,617	—	72,617
1. विकासात्मक (क + ख)	48,370	152	48,522	63,650	—	63,650	57,790	—	57,790	63,052	—	63,052
(क) समाज सेवा (1 से 9)	9,588	—	9,588	21,822	—	21,822	14,706	—	14,706	20,733	—	20,733
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,647	—	1,647	4,191	—	4,191	3,824	—	3,824	3,888	—	3,888
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,517	—	1,517	1,653	—	1,653	1,847	—	1,847	1,508	—	1,508
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,980	—	5,980	15,000	—	15,000	8,057	—	8,057	14,822	—	14,822
5. आवास निर्माण	6	—	6	290	—	290	290	—	290	27	—	27
6. शहरी विकास	329	—	329	430	—	430	430	—	430	230	—	230
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	105	—	105	105	—	105	105	—	105	105	—	105
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	150	—	150	150	—	150	150	—	150
9. अन्य *	4	—	4	3	—	3	3	—	3	3	—	3
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	38,782	152	38,934	41,828	—	41,828	43,084	—	43,084	42,319	—	42,319
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	1,247	152	1,399	1,297	—	1,297	1,172	—	1,172	1,047	—	1,047
i) फसल कार्य	200	—	200	191	—	191	191	—	191	117	—	117
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	113	—	113	190	—	190	190	—	190	150	—	150
iii) पशु पालन	83	—	83	88	—	88	88	—	88	68	—	68
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	146	—	146	130	—	130	130	—	130	121	—	121
vi) वानिकी और वन्यजीवन	100	—	100	116	—	116	56	—	56	76	—	76
vii) बागान	21	—	21	22	—	22	22	—	22	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	152	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2	—	2	5	—	5	5	—	5	5	—	5
x) सहकारिता	582	—	582	555	—	555	490	—	490	510	—	510
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	8	—	8	117	—	117	117	—	117	141	—	141
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	152	—	152	171	—	171	171	—	171	205	—	205
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	15,868	—	15,868	16,362	—	16,362	16,392	—	16,392	16,016	—	16,016
5. ऊर्जा	10,228	—	10,228	10,350	—	10,350	10,350	—	10,350	10,608	—	10,608
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	808	—	808	1,471	—	1,471	2,129	—	2,129	1,935	—	1,935
i) ग्राम और लघु उद्योग	404	—	404	1,061	—	1,061	219	—	219	430	—	430
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4	—	4	10	—	10	10	—	10	5	—	5
iv) अन्य #	400	—	400	400	—	400	1,900	—	1,900	1,500	—	1,500
7. परिवहन (i + ii)	10,279	—	10,279	11,525	—	11,525	12,337	—	12,337	12,067	—	12,067
i) सड़क और पुल	9,806	—	9,806	10,000	—	10,000	10,981	—	10,981	10,900	—	10,900
ii) अन्य **	473	—	473	1,525	—	1,525	1,356	—	1,356	1,167	—	1,167
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	50	—	50	50	—	50	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	192	—	192	485	—	485	366	—	366	300	—	300
i) पर्यटन	192	—	192	485	—	485	366	—	366	300	—	300
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	9,515	—	9,515	9,183	—	9,183	9,239	—	9,239	9,565	—	9,565
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	4,534	4,534	—	15,220	15,220	—	15,120	15,120	—	17,028	17,028
1. बाजार से ऋण	—	1,750	1,750	—	1,925	1,925	—	1,925	1,925	—	3,067	3,067
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	199	199	—	199	199	—	199	199	—	199	199
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	408	408	—	613	613	—	613	613	—	583	583
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	14	14	—	18	18	—	18	18	—	18	18
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	594	594	—	1,000	1,000	—	900	900	—	1,750	1,750
8. अन्य	—	1,569	1,569	—	1,465	1,465	—	1,465	1,465	—	1,411	1,411
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	2,526	2,526	—	3,661	3,661	—	2,761	2,761	—	3,557	3,557
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	2,478	2,478	—	3,600	3,600	—	2,700	2,700	—	3,460	3,460
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	3	3	—	4	4	—	4	4	—	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	28	28	—	40	40	—	40	40	—	40	40
4. योजनेतर (i से ii)	—	17	17	—	17	17	—	17	17	—	55	55
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	17	17	—	17	17	—	17	17	—	55	55
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	333	373	706	369	382	751	582	462	1,044	1,259	399	1,658
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	333	140	473	369	50	419	582	130	712	1,259	120	1,379
(क) समाज सेवा (1 से 7)	158	140	298	66	50	116	516	130	646	509	120	629
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	127	—	127	—	—	—	450	—	450	450	—	450
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	29	—	29	50	—	50	50	—	50	50	—	50
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	140	140	—	50	50	—	130	130	—	120	120
7. अन्य	2	—	2	16	—	16	16	—	16	9	—	9
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	175	—	175	303	—	303	66	—	66	750	—	750
1. फसल कार्य	62	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	13	—	13	281	—	281	44	—	44	99	—	99
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	10	-	10	10	-	10	-	-	-
10. अन्य	100	-	100	12	-	12	12	-	12	651	-	651
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	233	233	-	332	332	-	332	332	-	279	279
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	233	233	-	332	332	-	332	332	-	279	279
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	7,877	7,877	-	9,210	9,210	-	9,210	9,210	-	9,210	9,210
1. राज्य भविष्य निधि	-	7,798	7,798	-	9,000	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	9,000
2. अन्य	-	79	79	-	210	210	-	210	210	-	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	2,768	2,768	-	3,301	3,301	-	3,301	3,301	-	3,301	3,301
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	1,504	1,504	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,264	1,264	-	1,301	1,301	-	1,301	1,301	-	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	9,367	9,367	-	6,911	6,911	-	6,911	6,911	-	6,911	6,911
1. सिविल जमा	-	5,439	5,439	-	3,190	3,190	-	3,190	3,190	-	3,190	3,190
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	405	405	-	220	220	-	220	220	-	220	220
4. अन्य	-	3,523	3,523	-	3,501	3,501	-	3,501	3,501	-	3,501	3,501
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	703,923	703,923	-	120,450	120,450	-	120,450	120,450	-	120,450	120,450
1. उचंत	-	8,203	8,203	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	557,602	557,602	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	138,118	138,118	-	55,450	55,450	-	55,450	55,450	-	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	150,548	150,548	-	55,000	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	55,000
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			17,768			2,643			1,657			1,891
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-2,186			-3,416			-3,486			-791
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			15,583			-773			-1,829			1,100
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-2,214			-773			-1,829			1,100
क) अथ शेष			-1,325			-1,325			-3,539			-5,368
ख) इति शेष			-3,539			-2,098			-5,368			-4,268
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			17,797			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	719,165	9,629,851	10,349,016	651,299	6,322,835	6,974,134	841,799	12,405,126	13,246,925	758,810	5,480,902	6,239,711
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	719,165	157,774	876,939	651,299	294,425	945,724	841,799	174,091	1,015,890	758,810	282,982	1,041,791
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	678,687	17,179	695,866	627,986	22,371	650,357	810,350	18,809	829,158	719,138	24,192	743,331
1. विकासात्मक (क + ख)	671,466	15,463	686,929	622,467	18,743	641,210	804,372	17,588	821,961	706,022	18,974	724,996
(क) समाज सेवा (1 से 9)	174,418	7,459	181,878	178,264	10,038	188,302	181,775	5,544	187,319	200,681	10,018	210,699
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,309	418	14,727	24,290	737	25,027	25,244	574	25,818	29,788	2,833	32,621
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,647	—	2,647	7,324	—	7,324	6,330	—	6,330	9,626	—	9,626
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	65,025	977	66,002	65,037	600	65,637	87,885	1,007	88,893	86,220	200	86,420
5. आवास निर्माण	7,657	5,986	13,643	9,305	7,661	16,966	10,460	3,559	14,018	8,193	5,685	13,878
6. शहरी विकास	2,251	—	2,251	2,308	-5	2,303	2,465	—	2,465	5,070	-5	5,065
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,110	188	1,299	2,747	564	3,311	1,641	234	1,875	5,118	795	5,913
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	58	—	58	424	1	425	313	1	314	428	1	429
9. अन्य *	81,360	-110	81,250	66,829	480	67,309	47,438	169	47,607	56,238	510	56,748
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	497,047	8,004	505,051	444,203	8,705	452,908	622,597	12,044	634,641	505,341	8,956	514,297
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	11,789	249	12,038	14,723	338	15,061	21,445	488	21,933	17,845	599	18,444
i) फसल कार्य	145	—	145	102	—	102	79	—	79	73	—	73
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	67	—	67	100	—	100	100	—	100	98	—	98
iii) पशु पालन	—	—	—	30	—	30	—	—	—	38	—	38
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	-11	—	-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्यजीवन	11,679	224	11,903	12,342	300	12,642	19,117	470	19,587	16,880	575	17,455
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	44	26	70	30	38	68	30	18	48	10	24	34
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	524	—	524	922	—	922	922	—	922	709	—	709
x) सहकारिता	-660	—	-660	1,197	—	1,197	1,197	—	1,197	38	—	38
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	80	—	80	40	—	40	40	—	40	50	—	50
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	225,139	—	225,139	294,715	—	294,715	408,351	—	408,351	352,461	—	352,461
5. ऊर्जा	194,991	—	194,991	56,626	—	56,626	118,832	—	118,832	53,054	—	53,054
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	31	—	31	385	—	385	353	—	353	308	—	308
i) ग्राम और लघु उद्योग	24	—	24	127	—	127	95	—	95	50	—	50
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	7	—	7	258	—	258	258	—	258	258	—	258
7. परिवहन (i + ii)	64,868	7,492	72,360	77,214	8,325	85,539	73,076	8,025	81,101	80,823	8,325	89,148
i) सड़क और पुल	63,041	7,370	70,411	75,289	7,825	83,114	69,611	7,825	77,436	78,898	7,825	86,723
ii) अन्य **	1,827	122	1,949	1,925	500	2,425	3,465	200	3,665	1,925	500	2,425
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	150	—	150	500	—	500	500	—	500	800	—	800
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	—	262	262	—	42	42	—	3,531	3,531	—	32	32
i) पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य @@	—	262	262	—	42	42	—	3,531	3,531	—	32	32
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	7,221	1,716	8,937	5,519	3,628	9,147	5,978	1,220	7,198	13,117	5,218	18,335
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	54,182	54,182	—	286,694	286,694	—	82,952	82,952	—	300,166	300,166
1. बाजार से ऋण	—	24,904	24,904	—	36,404	36,404	—	36,404	36,404	—	63,864	63,864
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	2,189	2,189	—	2,130	2,130	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247
4. नाबार्ड से ऋण	—	232	232	—	234	234	—	234	234	—	159	159
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	2,111	2,111	—	2,072	2,072	—	2,092	2,092	—	408	408
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	100,000	100,000	—	—	—	—	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	133,994	133,994	—	30,115	30,115	—	110,405	110,405
8. अन्य	—	24,748	24,748	—	11,860	11,860	—	11,859	11,859	—	23,083	23,083
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	58,657	58,657	—	51,240	51,240	—	54,662	54,662	—	55,942	55,942
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	57,024	57,024	—	47,302	47,302	—	53,349	53,349	—	54,628	54,628
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	436	436	—	436	436	—	436	436	—	436	436
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	446	446	—	437	437	—	461	461	—	463	463
4. योजनेतर (i से ii)	—	751	751	—	415	415	—	416	416	—	414	414
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	751	751	—	415	415	—	416	416	—	414	414
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	2,649	2,649	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	40,478	29,944	70,422	23,313	36,250	59,563	31,449	19,915	51,364	39,671	4,929	44,600
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	40,478	22,511	62,989	23,313	30,200	53,513	31,449	15,275	46,724	39,671	151	39,822
(क) समाज सेवा (1 से 7)	328	9,313	9,640	660	20,200	20,860	1,952	275	2,227	6,107	151	6,258
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	9,090	9,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	129	129	—	—	—	—	150	150	—	1	1
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	94	94	—	20,200	20,200	—	125	125	—	150	150
7. अन्य	328	—	328	660	—	660	1,952	—	1,952	6,107	—	6,107
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	40,151	13,198	53,349	22,653	10,000	32,653	29,497	15,000	44,497	33,564	—	33,564
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	12	—	12	62	—	62	62	—	62	52	—	52
4. सहकारिता	4,080	—	4,080	449	—	449	448	—	448	242	—	242
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	13,318	5,882	19,200	9,547	—	9,547	6,346	15,000	21,346	1,241	—	1,241

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	26	—	26	178	—	178	218	—	218	29	—	29
8. अन्य उद्योग और खनिज	10,987	—	10,987	12,417	—	12,417	12,423	—	12,423	12,000	—	12,000
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	11,727	7,316	19,044	—	10,000	10,000	10,000	—	10,000	20,000	—	20,000
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	7,433	7,433	—	6,050	6,050	—	4,640	4,640	—	4,778	4,778
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	2,160	2,160	—	3,380	3,380	—	2,470	2,470	—	2,581	2,581
ख) विविध	—	5,273	5,273	—	2,670	2,670	—	2,170	2,170	—	2,197	2,197
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
VI. आकस्मिकता निधि	—	7,611	7,611	—	—	—	—	17,371	17,371	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	62,582	62,582	—	113,229	113,229	—	93,563	93,563	—	117,925	117,925
1. राज्य भविष्य निधि	—	57,408	57,408	—	102,321	102,321	—	80,529	80,529	—	106,041	106,041
2. अन्य	—	5,174	5,174	—	10,908	10,908	—	13,034	13,034	—	11,884	11,884
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	193,053	193,053	—	173,551	173,551	—	235,100	235,100	—	168,457	168,457
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	18	18	—	105	105	—	100	100	—	105	105
2. शोधन निधि	—	125,000	125,000	—	80,000	80,000	—	80,000	80,000	—	88,000	88,000
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	68,035	68,035	—	93,446	93,446	—	155,000	155,000	—	80,352	80,352
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	1,173,431	1,173,431	—	1,156,127	1,156,127	—	1,101,477	1,101,477	—	1,155,372	1,155,372
1. सिविल जमा	—	269,930	269,930	—	312,000	312,000	—	312,000	312,000	—	312,000	312,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	769,999	769,999	—	700,000	700,000	—	700,000	700,000	—	750,000	750,000
3. सिविल अग्रिम	—	15,701	15,701	—	17,000	17,000	—	17,000	17,000	—	17,000	17,000
4. अन्य	—	117,801	117,801	—	127,127	127,127	—	72,477	72,477	—	76,372	76,372
X. उच्चत और विविध (1 से 4)	—	7,229,647	7,229,647	—	4,072,212	4,072,212	—	10,372,212	10,372,212	—	3,237,352	3,237,352
1. उच्चत	—	4,395	4,395	—	167,860	167,860	—	167,860	167,860	—	4,500	4,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	5,827,842	5,827,842	—	1,000,000	1,000,000	—	7,300,000	7,300,000	—	100,000	100,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	1,800,000	1,800,000	—	1,800,000	1,800,000	—	1,800,000	1,800,000
4. अन्य	—	1,397,410	1,397,410	—	1,104,352	1,104,352	—	1,104,352	1,104,352	—	1,332,852	1,332,852
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	803,564	803,564	—	411,160	411,160	—	409,065	409,065	—	416,566	416,566
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			359,377			2,077			-164,911			-132,127
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-39,862			629			180,285			165,086
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			319,515			2,706			15,374			32,959
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			8,761			2,706			15,374			32,959
क) अथ शेष			13,258			69,759			22,019			37,392
ख) इति शेष			22,019			72,465			37,393			70,351
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			310,755			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	169,217	9,553,869	9,723,086	164,146	9,840,773	10,004,919	209,346	14,118,934	14,328,280	284,787	15,493,292	15,778,079
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	169,217	49,832	219,049	164,146	66,644	230,790	209,346	67,699	277,046	284,787	96,353	381,140
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	165,186	-3,955	161,231	161,686	-8,988	152,698	205,686	-2,624	203,062	281,797	-2,089	279,708
1. विकासात्मक (क + ख)	156,969	-3,955	153,014	153,435	-8,988	144,447	196,905	-2,624	194,281	272,197	-2,089	270,108
(क) समाज सेवा (1 से 9)	43,911	-	43,911	46,113	-	46,113	51,238	-	51,238	86,384	-	86,384
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,300	-	2,300	2,560	-	2,560	4,219	-	4,219	3,956	-	3,956
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,782	-	1,782	1,906	-	1,906	1,906	-	1,906	3,274	-	3,274
3. परिवार कल्याण	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	37,438	-	37,438	38,983	-	38,983	42,450	-	42,450	71,410	-	71,410
5. आवास निर्माण	631	-	631	728	-	728	728	-	728	685	-	685
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	240	-	240	300	-	300	300	-	300	315	-	315
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,212	-	1,212	922	-	922	926	-	926	1,400	-	1,400
9. अन्य *	306	-	306	714	-	714	709	-	709	5,344	-	5,344
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	113,058	-3,955	109,103	107,322	-8,988	98,334	145,667	-2,624	143,043	185,813	-2,089	183,724
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	1,031	-3,998	-2,967	247	-9,049	-8,802	637	-2,878	-2,241	779	-2,150	-1,371
i) फसल कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशु पालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) वानिकी और वन्यजीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	-3,998	-3,998	-	-9,049	-9,049	-	-2,878	-2,878	-	-2,150	-2,150
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	1,031	-	1,031	247	-	247	637	-	637	779	-	779
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	46,916	-	46,916	35,700	-	35,700	35,660	-	35,660	55,500	-	55,500
5. ऊर्जा	27,545	-	27,545	41,800	-	41,800	78,580	-	78,580	83,300	-	83,300
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	559	-	559	335	-	335	750	-	750	156	-	156
i) ग्राम और लघु उद्योग	9	-	9	31	-	31	30	-	30	23	-	23
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	550	-	550	304	-	304	720	-	720	133	-	133
7. परिवहन (i + ii)	36,007	43	36,051	28,440	61	28,501	28,440	254	28,694	45,198	61	45,259
i) सड़क और पुल	32,249	-	32,249	22,500	-	22,500	22,500	-	22,500	40,876	-	40,876
ii) अन्य **	3,759	43	3,802	5,940	61	6,001	5,940	254	6,194	4,322	61	4,383
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,000	—	1,000	800	—	800	1,600	—	1,600	880	—	880
i) पर्यटन	1,000	—	1,000	800	—	800	1,600	—	1,600	880	—	880
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	8,217	—	8,217	8,251	—	8,251	8,781	—	8,781	9,600	—	9,600
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	100,726	100,726	—	166,428	166,428	—	90,747	90,747	—	211,505	211,505
1. बाजार से ऋण	—	13,387	13,387	—	13,389	13,389	—	14,728	14,728	—	25,343	25,343
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	321	321	—	317	317	—	317	317	—	314	314
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	70,600	70,600	—	110,200	110,200	—	45,000	45,000	—	137,800	137,800
4. नाबार्ड से ऋण	—	8,992	8,992	—	8,769	8,769	—	8,072	8,072	—	9,745	9,745
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	760	760	—	755	755	—	807	807	—	888	888
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	10,000	10,000	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	5,050	5,050	—	10,292	10,292	—	8,714	8,714	—	13,120	13,120
8. अन्य	—	1,617	1,617	—	12,706	12,706	—	12,109	12,109	—	23,294	23,294
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	10,111	10,111	—	10,111	10,111	—	20,223	20,223
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	10,025	10,025	—	13,351	13,351	—	10,149	10,149	—	10,104	10,104
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	8,976	8,976	—	11,129	11,129	—	9,037	9,037	—	9,037	9,037
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	191	191	—	191	191	—	191	191	—	191	191
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	135	135	—	122	122	—	129	129	—	133	133
4. योजनेतर (i से ii)	—	375	375	—	355	355	—	446	446	—	396	396
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	375	375	—	355	355	—	446	446	—	396	396
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	347	347	—	1,554	1,554	—	347	347	—	347	347
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	4,031	13,636	17,667	2,460	16,054	18,514	3,660	15,427	19,087	2,990	15,633	18,623
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	4,031	5,513	9,545	2,460	7,901	10,361	3,660	7,274	10,934	2,990	7,100	10,090
(क) समाज सेवा (1 से 7)	620	5,413	6,033	520	6,301	6,821	520	6,300	6,820	600	6,500	7,100
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	620	5,413	6,033	520	6,300	6,820	520	6,300	6,820	600	6,500	7,100
7. अन्य	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	3,411	100	3,511	1,940	1,600	3,540	3,140	974	4,114	2,390	600	2,990
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	362	—	362	450	—	450	450	—	450	740	—	740
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	1,500	1,500	—	500	500	—	500	500
6. बिजली परियोजना	499	—	499	1,400	—	1,400	500	—	500	500	—	500



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	2,460	—	2,460	—	—	—	2,100	—	2,100	850	—	850
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	90	—	90	90	—	90	90	—	90	300	—	300
10. अन्य	—	100	100	—	100	100	—	474	474	—	100	100
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	8,123	8,123	—	8,153	8,153	—	8,153	8,153	—	8,533	8,533
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	8,123	8,123	—	8,153	8,153	—	8,153	8,153	—	8,533	8,533
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	81,085	81,085	—	76,021	76,021	—	79,451	79,451	—	87,365	87,365
1. राज्य भविष्य निधि	—	79,589	79,589	—	74,806	74,806	—	79,077	79,077	—	86,984	86,984
2. अन्य	—	1,496	1,496	—	1,215	1,215	—	374	374	—	381	381
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	48,337	48,337	—	22,750	22,750	—	32,034	32,034	—	23,776	23,776
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	3,950	3,950	—	3,790	3,790	—	3,870	3,870	—	4,069	4,069
2. शोधन निधि	—	5,593	5,593	—	5,100	5,100	—	5,100	5,100	—	5,402	5,402
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	38,794	38,794	—	13,860	13,860	—	23,064	23,064	—	14,305	14,305
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	173,519	173,519	—	191,326	191,326	—	192,836	192,836	—	197,993	197,993
1. सिविल जमा	—	112,630	112,630	—	103,000	103,000	—	131,000	131,000	—	130,000	130,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	1,407	1,407	—	1,250	1,250	—	1,736	1,736	—	1,823	1,823
3. सिविल अग्रिम	—	5,402	5,402	—	6,000	6,000	—	5,400	5,400	—	6,000	6,000
4. अन्य	—	54,081	54,081	—	81,076	81,076	—	54,700	54,700	—	60,170	60,170
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	8,884,164	8,884,164	—	9,213,831	9,213,831	—	13,450,914	13,450,914	—	14,699,005	14,699,005
1. उचंत	—	43,797	43,797	—	1,535,075	1,535,075	—	1,645,000	1,645,000	—	1,712,500	1,712,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	8,831,246	8,831,246	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	7,670,306	7,670,306	—	11,797,284	11,797,284	—	12,977,012	12,977,012
4. अन्य	—	9,121	9,121	—	8,450	8,450	—	8,630	8,630	—	9,493	9,493
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	246,332	246,332	—	150,000	150,000	—	250,000	250,000	—	250,000	250,000
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			48,361			201,151			196,469			9,709
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			121,342			-32,001			-65,314			114,878
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			169,703			169,150			131,155			124,587
ई. अधिशेष वित्त (+)/घाटा (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-21,939			-1,156			20,312			2,660
क) अथशेष			-3,870			-4,446			-25,809			-5,496
ख) हतिशेष			-25,809			-5,602			-5,497			-2,836
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			191,642			170,306			110,843			121,927
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	82,992	1,918,038	2,001,030	76,034	313,803	389,837	104,840	317,968	422,808	104,968	306,549	411,517
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	82,992	129,051	212,043	76,034	100,638	176,672	104,840	104,803	209,643	104,968	88,884	193,852
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	81,641	435	82,076	74,966	1,000	75,966	103,701	2,893	106,594	102,192	7,622	109,814
1. विकासात्मक (क + ख)	76,770	133	76,903	70,061	1,000	71,061	98,148	2,893	101,041	97,257	7,622	104,879
(क) समाज सेवा (1 से 9)	36,899	-	36,899	28,900	1,000	29,900	49,035	1,893	50,928	30,975	4,700	35,675
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,089	-	4,089	5,856	-	5,856	9,988	-	9,988	10,258	-	10,258
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,841	-	4,841	4,072	-	4,072	4,341	-	4,341	3,367	-	3,367
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	19,405	-	19,405	13,190	-	13,190	28,903	3	28,905	14,790	-	14,790
5. आवास निर्माण	4,907	-	4,907	4,554	-	4,554	4,575	891	5,466	722	4,700	5,422
6. शहरी विकास	46	-	46	35	1,000	1,035	35	1,000	1,035	35	-	35
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,309	-	3,309	1,111	-	1,111	1,111	-	1,111	1,351	-	1,351
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	258	-	258	5	-	5	5	-	5	395	-	395
9. अन्य *	44	-	44	77	-	77	77	-	77	57	-	57
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	39,871	133	40,004	41,161	-	41,161	49,113	1,000	50,113	66,282	2,922	69,204
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,057	-77	979	1,753	-	1,753	2,029	1,000	3,029	1,788	1,500	3,288
i) फसल कार्य	-634	-	-634	60	-	60	57	1,000	1,057	74	1,500	1,574
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	580	-	580	950	-	950	950	-	950	955	-	955
iii) पशु पालन	350	-	350	327	-	327	325	-	325	321	-	321
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	132	-	132	93	-	93	93	-	93	107	-	107
vi) वानिकी और वन्यजीवन	653	-	653	275	-	275	388	-	388	279	-	279
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	70	-77	-7	22	-	22	23	-	23	24	-	24
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-94	-	-94	27	-	27	193	-	193	29	-	29
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	350	-	350	450	-	450	450	-	450	343	-	343
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	10,439	-	10,439	16,168	-	16,168	19,878	-	19,878	26,054	-	26,054
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100	-	9,100
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	762	-	762	2,418	-	2,418	2,418	-	2,418	2,227	-	2,227
i) ग्राम और लघु उद्योग	722	-	722	2,418	-	2,418	2,418	-	2,418	2,227	-	2,227
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	27,172	210	27,383	20,243	-	20,243	24,210	-	24,210	26,526	1,422	27,948
i) सड़क और पुल	25,229	47	25,276	18,414	-	18,414	22,484	-	22,484	23,145	-	23,145
ii) अन्य **	1,943	163	2,107	1,829	-	1,829	1,726	-	1,726	3,381	1,422	4,803
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	91	—	91	129	—	129	128	—	128	245	—	245
i) पर्यटन	91	—	91	129	—	129	128	—	128	245	—	245
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	4,871	302	5,173	4,906	—	4,906	5,553	—	5,553	4,935	—	4,935
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	148,440	148,440	—	107,662	107,662	—	110,726	110,726	—	94,670	94,670
1. बाजार से ऋण	—	4,371	4,371	—	4,408	4,408	—	4,431	4,431	—	7,696	7,696
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	8,620	8,620	—	8,712	8,712	—	8,693	8,693	—	4,942	4,942
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	706	706	—	3,022	3,022	—	1,960	1,960	—	4,600	4,600
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	241	241	—	23	23	—	274	274	—	354	354
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	25,527	25,527	—	14,500	14,500	—	14,500	14,500	—	19,000	19,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	1,346	1,346	—	1,002	1,002	—	—	—	—	—	—
8. अन्य	—	107,629	107,629	—	75,996	75,996	—	80,868	80,868	—	58,078	58,078
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	5,641	5,641	—	6,356	6,356	—	5,508	5,508	—	5,471	5,471
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	4,424	4,424	—	5,188	5,188	—	4,856	4,856	—	4,856	4,856
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	4	4	—	3	3	—	3	3	—	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	420	420	—	412	412	—	416	416	—	404	404
4. योजनेतर (i से ii)	—	239	239	—	247	247	—	233	233	—	209	209
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	239	239	—	247	247	—	233	233	—	209	209
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	554	554	—	506	506	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	1,351	62	1,413	1,068	120	1,188	1,139	175	1,314	2,776	120	2,896
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	1,351	1	1,353	1,068	60	1,128	1,139	30	1,169	2,776	30	2,806
(क) समाज सेवा (1 से 7)	1,072	1	1,073	1,057	60	1,117	1,057	30	1,087	2,356	30	2,386
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	1,072	1	1,073	1,036	60	1,096	1,036	30	1,066	2,326	30	2,356
7. अन्य	—	—	—	21	—	21	21	—	21	30	—	30
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	279	—	279	11	—	11	82	—	82	420	—	420
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	81	—	81	—	—	—	71	—	71	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	197	—	197	—	—	—	—	—	—	400	—	400



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	1	-	-	11	-	11	11	-	11	20	-	20
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	61	61	-	60	60	-	145	145	-	90	90
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	61	61	-	60	60	-	145	145	-	90	90
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	71,622	71,622	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000
1. राज्य भविष्य निधि	-	71,011	71,011	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400
2. अन्य	-	611	611	-	600	600	-	600	600	-	600	600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	20,102	20,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,102	20,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	60,487	60,487	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387
1. सिविल जमा	-	42,738	42,738	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	3,066	3,066	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500
3. सिविल अग्रिम	-	14,141	14,141	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250
4. अन्य	-	542	542	-	650	650	-	650	650	-	650	650
X. उच्चत और विविध (1 से 4)	-	1,346,205	1,346,205	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241
1. उच्चत	-	20,878	20,878	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	1,324,765	1,324,765	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4. अन्य	-	562	562	-	141	141	-	141	141	-	141	141
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	265,044	265,044	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			22,970			24,540			22,314			25,015
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			9,246			-25,410			-5,399			-25,017
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			32,216			-870			16,915			-2
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-3,637			-1,370			16,915			-2
क) अथ शेष			-13,281			1,370			-16,916			-
ख) इति शेष			-16,918			-			-1			-2
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			33,604			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			2,249			500			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	341,620	207,795	549,415	407,143	177,351	584,494	340,810	196,944	537,754	464,348	244,495	708,843
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	326,231	48,106	374,337	391,559	63,090	454,649	321,974	58,653	380,627	450,448	85,959	536,407
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	326,231	9,957	336,188	391,559	10,160	401,719	321,974	11,065	333,039	450,448	26,409	476,857
1. विकासात्मक (क + ख)	286,878	8,583	295,461	346,730	8,860	355,590	278,913	10,318	289,231	397,929	26,409	424,338
(क) समाज सेवा (1 से 9)	76,246	739	76,985	84,894	1,091	85,985	83,277	992	84,269	107,618	16,315	123,933
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,746	—	14,746	13,278	—	13,278	18,340	—	18,340	17,522	—	17,522
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,907	—	7,907	8,607	—	8,607	18,361	—	18,361	22,984	—	22,984
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	21,807	—	21,807	20,565	—	20,565	15,625	—	15,625	14,200	—	14,200
5. आवास निर्माण	300	—	300	300	—	300	300	—	300	350	—	350
6. शहरी विकास	13,574	—	13,574	16,468	—	16,468	14,296	—	14,296	25,574	—	25,574
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,661	—	2,661	1,810	—	1,810	1,898	—	1,898	1,810	—	1,810
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,041	739	9,780	16,595	1,091	17,686	8,848	992	9,840	16,467	1,203	17,671
9. अन्य *	6,210	—	6,210	7,271	—	7,271	5,609	—	5,609	8,710	15,112	23,822
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	210,632	7,844	218,476	261,836	7,769	269,605	195,636	9,326	204,962	290,311	10,094	300,405
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	12,432	7,844	20,276	16,961	7,769	24,730	13,873	9,309	23,182	14,429	10,094	24,523
i) फसल कार्य	5,220	400	5,620	4,470	383	4,853	4,995	246	5,241	4,520	150	4,670
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,287	—	1,287	5,566	—	5,566	872	—	872	2,824	—	2,824
iii) पशु पालन	905	—	905	905	—	905	1,347	—	1,347	1,105	—	1,105
iv) डेरी विकास	80	—	80	80	—	80	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	700	—	700	700	—	700	980	—	980	740	—	740
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,675	—	2,675	3,675	—	3,675	3,757	—	3,757	3,675	—	3,675
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	115	7,444	7,559	115	7,386	7,501	115	9,063	9,178	115	9,544	9,659
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,200	—	1,200	1,200	—	1,200	1,273	—	1,273	1,200	—	1,200
x) सहकारिता	250	—	250	250	—	250	534	—	534	250	400	650
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	13,362	—	13,362	39,362	—	39,362	37,552	—	37,552	39,239	—	39,239
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	12,463	—	12,463	24,563	—	24,563	25,208	—	25,208	24,563	—	24,563
5. ऊर्जा	103,711	—	103,711	99,530	—	99,530	74,876	—	74,876	108,424	—	108,424
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	6,153	—	6,153	7,052	—	7,052	7,327	—	7,327	9,790	—	9,790
i) ग्राम और लघु उद्योग	5,568	—	5,568	6,467	—	6,467	6,584	—	6,584	9,123	—	9,123
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	255	—	255	255	—	255	413	—	413	337	—	337
iv) अन्य #	330	—	330	330	—	330	330	—	330	330	—	330
7. परिवहन (i + ii)	5,045	—	5,045	3,998	—	3,998	9,728	—	9,728	9,990	—	9,990
i) सड़क और पुल	4,855	—	4,855	3,808	—	3,808	9,538	—	9,538	9,200	—	9,200
ii) अन्य **	190	—	190	190	—	190	190	—	190	790	—	790
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	298	—	298	298	—	298	748	—	748	751	—	751
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	57,168	—	57,168	70,072	—	70,072	26,324	17	26,341	83,125	—	83,125
i) पर्यटन	4,905	—	4,905	5,905	—	5,905	7,458	—	7,458	9,540	—	9,540
ii) अन्य @@	52,263	—	52,263	64,167	—	64,167	18,866	17	18,883	73,585	—	73,585
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	39,353	1,374	40,727	44,829	1,300	46,129	43,062	747	43,808	52,519	—	52,519
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	14,769	14,769	—	25,730	25,730	—	31,200	31,200	—	42,030	42,030
1. बाजार से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. अन्य	—	14,769	14,769	—	25,730	25,730	—	31,200	31,200	—	42,030	42,030
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	18,807	18,807	—	17,127	17,127	—	11,299	11,299	—	11,282	11,282
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	18,807	18,807	—	17,127	17,127	—	11,299	11,299	—	11,282	11,282
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	—	4,572	4,572	—	10,072	10,072	—	5,088	5,088	—	6,237	6,237
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	—	4,452	4,452	—	5,007	5,007	—	5,007	5,007	—	6,106	6,106
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	—	—	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	2,500	2,500
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	2,500	2,500
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	—	4,452	4,452	—	4,007	4,007	—	4,007	4,007	—	3,606	3,606
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	2,361	2,361	-	2,125	2,125	-	2,125	2,125	-	1,913	1,913
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	2,091	2,091	-	1,882	1,882	-	1,882	1,882	-	1,693	1,693
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	120	120	-	5,065	5,065	-	81	81	-	131	131
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	120	120	-	65	65	-	81	81	-	131	131
ख) विविध	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	45,398	45,398	-	50,015	50,015	-	50,892	50,892	-	54,778	54,778
1. राज्य भविष्य निधि	-	44,397	44,397	-	48,995	48,995	-	49,695	49,695	-	53,568	53,568
2. अन्य	-	1,001	1,001	-	1,020	1,020	-	1,197	1,197	-	1,210	1,210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	67,631	67,631	-	18,538	18,538	-	36,999	36,999	-	49,792	49,792
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	67,631	67,631	-	18,538	18,538	-	36,999	36,999	-	49,792	49,792
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	15,389	11,943	27,332	15,584	12,616	28,200	18,836	12,523	31,359	13,900	17,069	30,969
1. सिविल जमा	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100
2. स्थानीय निधि जमाराशि	15,389	9,643	25,032	15,584	10,316	25,900	18,836	10,223	29,059	13,900	14,769	28,669
3. सिविल अग्रिम	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	21,358	21,358	-	19,793	19,793	-	24,578	24,578	-	23,598	23,598
1. उचंत	-	15,358	15,358	-	13,793	13,793	-	18,578	18,578	-	17,598	17,598
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-181,637			-303,234			-191,138			-293,715
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			181,623			293,531			191,376			278,904
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-14			-9,703			238			-14,811
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-14			-9,703			238			-14,811
क) अथ शेष			-165,900			-165,900			-197,964			-197,964
ख) इति शेष			-165,914			-175,603			-197,726			-212,940
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	267,473	417,406	684,879	375,266	407,338	782,604	376,716	386,284	763,000	351,094	435,369	786,463
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	267,473	98,637	366,110	375,266	78,501	453,767	376,716	72,447	449,163	351,094	77,063	428,157
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	222,188	—	222,188	273,440	—	273,440	274,990	—	274,990	292,364	5,330	297,694
1. विकासात्मक (क + ख)	212,923	—	212,923	264,922	—	264,922	266,473	—	266,473	281,449	—	281,449
(क) समाज सेवा (1 से 9)	68,374	—	68,374	90,839	—	90,839	91,309	—	91,309	113,368	—	113,368
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19,627	—	19,627	27,570	—	27,570	27,620	—	27,620	28,663	—	28,663
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,300	—	6,300	14,349	—	14,349	14,749	—	14,749	22,642	—	22,642
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	25,713	—	25,713	30,684	—	30,684	30,704	—	30,704	22,142	—	22,142
5. आवास निर्माण	3,991	—	3,991	3,885	—	3,885	3,885	—	3,885	4,260	—	4,260
6. शहरी विकास	6,030	—	6,030	6,983	—	6,983	6,983	—	6,983	25,700	—	25,700
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,713	—	6,713	7,368	—	7,368	7,368	—	7,368	9,960	—	9,960
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. अन्य *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	144,549	—	144,549	174,083	—	174,083	175,164	—	175,164	168,081	—	168,081
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	1,055	—	1,055	845	—	845	2,027	—	2,027	1,476	—	1,476
i) फसल कार्य	370	—	370	410	—	410	410	—	410	410	—	410
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	685	—	685	435	—	435	570	—	570	517	—	517
vi) वानिकी और वन्यजीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	—	—	—	—	—	—	1,046	—	1,046	549	—	549
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	57,594	—	57,594	60,233	—	60,233	60,233	—	60,233	55,698	—	55,698
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	44,811	—	44,811	48,870	—	48,870	48,770	—	48,770	53,390	—	53,390
5. ऊर्जा	3,000	—	3,000	5,300	—	5,300	5,300	—	5,300	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	200	—	200	210	—	210	210	—	210	100	—	100
i) ग्राम और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	200	—	200	210	—	210	210	—	210	100	—	100
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	35,889	—	35,889	56,525	—	56,525	56,525	—	56,525	55,413	—	55,413
i) सड़क और पुल	29,650	—	29,650	52,010	—	52,010	52,010	—	52,010	54,247	—	54,247
ii) अन्य **	6,239	—	6,239	4,515	—	4,515	4,515	—	4,515	1,166	—	1,166
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,000	—	2,000	2,100	—	2,100	2,100	—	2,100	2,004	—	2,004
i) पर्यटन	2,000	—	2,000	2,100	—	2,100	2,100	—	2,100	2,004	—	2,004
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	9,265	—	9,265	8,518	—	8,518	8,517	—	8,517	10,915	5,330	16,245
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	—	15,074	15,074	—	12,520	12,520	—	17,520	17,520	—	16,736	16,736
1. बाजार से ऋण	—	12,925	12,925	—	8,529	8,529	—	8,529	8,529	—	6,582	6,582
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590	590
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	700	700	—	310	310	—	310	310	—	300	300
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	1,449	1,449	—	3,480	3,480	—	3,481	3,481	—	3,856	3,856
8. अन्य	—	—	—	—	201	201	—	5,201	5,201	—	5,408	5,408
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	200	200	—	200	200	—	150	150
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	—	13,513	13,513	—	24,861	24,861	—	13,707	13,707	—	13,874	13,874
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	11,707	11,707	—	22,900	22,900	—	11,724	11,724	—	11,752	11,752
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	20	20	—	20	20	—	20	20	—	20	20
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	65	65	—	65	65	—	86	86	—	156	156
4. योजनेतर (i से ii)	—	61	61	—	216	216	—	218	218	—	286	286
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	61	61	—	216	216	—	218	218	—	286	286
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	1,660	1,660	—	1,660	1,660	—	1,659	1,659	—	1,659	1,659
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	45,285	70,050	115,335	101,826	41,120	142,946	101,726	41,219	142,945	58,730	41,123	99,854
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	45,285	69,050	114,335	101,826	40,320	142,146	101,726	40,419	142,145	58,730	40,423	99,154
(क) समाज सेवा (1 से 7)	6,704	1,309	8,013	5,951	1,186	7,137	5,951	1,186	7,137	6,920	1,250	8,170
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	394	—	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,625	—	3,625	3,738	—	3,738	3,738	—	3,738	4,800	—	4,800
5. आवास निर्माण	210	1	211	122	—	122	122	—	122	120	—	120
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	900	900	—	900	900	—	900	900	—	900	900
7. अन्य	2,475	408	2,883	2,091	286	2,377	2,092	286	2,377	2,000	350	2,350
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	38,581	67,741	106,322	95,875	39,134	135,009	95,775	39,233	135,008	51,810	39,173	90,983
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	—	—	—	8,000	—	8,000	8,000	—	8,000	1,100	—	1,100
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	34,477	67,741	102,218	87,300	39,134	126,434	87,300	39,133	126,433	50,700	39,133	89,833

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	4,004	-	4,004	475	-	475	475	-	475	10	-	10
9. ग्रामीण विकास	100	-	100	100	-	100	-	100	100	-	40	40
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	1,000	1,000	-	800	800	-	800	800	-	700	700
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	1,000	1,000	-	800	800	-	800	800	-	700	700
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	18,458	18,458	-	19,300	19,300	-	19,300	19,300	-	22,562	22,562
1. राज्य भविष्य निधि	-	15,458	15,458	-	16,000	16,000	-	16,000	16,000	-	19,262	19,262
2. अन्य	-	3,000	3,000	-	3,300	3,300	-	3,300	3,300	-	3,300	3,300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	7,000	7,000	-	16,182	16,182	-	16,182	16,182	-	19,838	19,838
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	7,000	7,000	-	16,182	16,182	-	16,182	16,182	-	19,838	19,838
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	90,408	90,408	-	90,408	90,408	-	90,408	90,408	-	111,809	111,809
1. सिविल जमा	-	9,885	9,885	-	9,885	9,885	-	9,885	9,885	-	13,027	13,027
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	28,361	28,361	-	28,361	28,361	-	28,361	28,361	-	32,590	32,590
3. सिविल अग्रिम	-	6,562	6,562	-	6,562	6,562	-	6,562	6,562	-	6,562	6,562
4. अन्य	-	45,600	45,600	-	45,600	45,600	-	45,600	45,600	-	59,630	59,630
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	59,897	59,897	-	59,897	59,897	-	59,897	59,897	-	65,147	65,147
1. उचित	-	38,397	38,397	-	38,397	38,397	-	38,397	38,397	-	38,397	38,397
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	6,750	6,750
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	128,006	128,006	-	128,050	128,050	-	128,050	128,050	-	138,950	138,950
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-132,754			46,163			65,765			46,619
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-155,316			-71,272			-108,986			-50,688
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-288,070			-25,109			-43,221			-4,069
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-288,070			-25,109			-43,221			-4,069
क) अथ शेष			92,115			21,000			21,000			-4,109
ख) इति शेष			-195,955			-4,109			-22,221			-8,178
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-			-			-			-
iii. भारिबैंक के अधोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	606,234	9,780,654	10,386,888	674,318	1,748,567	2,422,885	802,064	1,627,656	2,429,720	727,460	2,012,942	2,740,402
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	606,234	87,005	693,239	674,318	100,092	774,410	802,064	114,181	916,245	727,460	270,558	998,018
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	580,640	1,553	582,193	654,759	593	655,352	787,843	14,100	801,943	684,202	136,521	820,723
1. विकासात्मक (क + ख)	558,848	1,553	560,401	631,842	593	632,435	752,847	14,100	766,947	646,632	131,021	777,653
(क) समाज सेवा (1 से 9)	110,321	209	110,530	139,235	104	139,339	151,677	104	151,781	193,304	20,713	214,017
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,058	209	5,267	5,902	104	6,006	5,902	104	6,006	15,625	345	15,970
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	769	—	769	11,683	—	11,683	16,883	—	16,883	28,340	—	28,340
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	72,009	—	72,009	73,093	—	73,093	77,188	—	77,188	119,705	3,418	123,123
5. आवास निर्माण	21,587	—	21,587	25,635	—	25,635	27,635	—	27,635	7,800	13,000	20,800
6. शहरी विकास	3,381	—	3,381	3,200	—	3,200	3,200	—	3,200	—	3,950	3,950
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,637	—	6,637	17,756	—	17,756	18,503	—	18,503	18,128	—	18,128
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	357	—	357	1,140	—	1,140	1,140	—	1,140	2,310	—	2,310
9. अन्य *	523	—	523	826	—	826	1,226	—	1,226	1,396	—	1,396
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	448,527	1,344	449,871	492,607	489	493,096	601,170	13,996	615,166	453,328	110,308	563,636
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	2,661	-945	1,716	2,939	—	2,939	4,216	—	4,216	7,791	—	7,791
i) फसल कार्य	4	—	4	30	—	30	30	—	30	1,330	—	1,330
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,999	—	1,999	865	—	865	865	—	865	1,000	—	1,000
iii) पशु पालन	10	—	10	500	—	500	1,100	—	1,100	3,280	—	3,280
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	560	-4	556	636	—	636	1,048	—	1,048	1,731	—	1,731
vi) वानिकी और वन्यजीवन	78	—	78	81	—	81	346	—	346	154	—	154
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	10	—	10	10	—	10	10	—	10	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	—	-941	-941	817	—	817	817	—	817	296	—	296
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	96	96	—	121	121	7,500	121	7,621	10,744	—	10,744
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	332,625	344	332,969	374,692	368	375,060	440,601	375	440,976	305,225	81,768	386,993
5. ऊर्जा	5,000	—	5,000	—	—	—	—	13,500	13,500	25,000	10,600	35,600
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,210	—	1,210	3,482	—	3,482	9,614	—	9,614	12,418	—	12,418
i) ग्राम और लघु उद्योग	525	—	525	2,480	—	2,480	2,480	—	2,480	2,255	—	2,255
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	680	—	680	1,000	—	1,000	7,127	—	7,127	10,001	—	10,001
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	5	—	5	2	—	2	7	—	7	162	—	162
7. परिवहन (i + ii)	101,141	1,904	103,045	109,574	—	109,574	132,952	—	132,952	81,716	12,000	93,716
i) सड़क और पुल	100,570	1,904	102,474	108,924	—	108,924	126,431	—	126,431	80,566	12,000	92,566
ii) अन्य **	571	—	571	650	—	650	6,521	—	6,521	1,150	—	1,150
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	5,890	-55	5,835	1,920	—	1,920	6,287	—	6,287	10,434	5,940	16,374
i) पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य @@	5,890	-55	5,835	1,920	—	1,920	6,287	—	6,287	10,434	5,940	16,374
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	21,792	—	21,792	22,917	—	22,917	34,996	—	34,996	37,570	5,500	43,070
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	39,337	39,337	—	184,034	184,034	—	48,099	48,099	—	218,574	218,574
1. बाजार से ऋण	—	24,928	24,928	—	23,398	23,398	—	23,398	23,398	—	46,527	46,527
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	3,473	3,473	—	3,467	3,467	—	3,467	3,467	—	3,469	3,469
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	245	245	—	3,234	3,234	—	2,245	2,245	—	5,473	5,473
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	4,506	4,506	—	4,096	4,096	—	4,150	4,150	—	4,088	4,088
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	135,000	135,000	—	—	—	—	135,000	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	11,467	11,467	—	11,467	11,467	—	17,893	17,893
8. अन्य	—	6,185	6,185	—	3,372	3,372	—	3,372	3,372	—	6,124	6,124
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	41,750	41,750	—	46,405	46,405	—	43,347	43,347	—	46,373	46,373
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	39,661	39,661	—	8,499	8,499	—	5,476	5,476	—	8,423	8,423
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	371	371	—	369	369	—	369	369	—	368	368
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	971	971	—	989	989	—	999	999	—	1,076	1,076
4. योजनेतर (i से ii)	—	665	665	—	714	714	—	669	669	—	672	672
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	665	665	—	714	714	—	669	669	—	672	672
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	82	82	—	35,834	35,834	—	35,834	35,834	—	35,834	35,834
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	25,594	4,366	29,960	19,559	4,060	23,619	14,221	8,635	22,856	43,258	4,090	47,348
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	25,594	2,775	28,369	19,559	3,100	22,659	14,221	7,600	21,821	43,258	3,100	46,358
(क) समाज सेवा (1 से 7)	14,276	—	14,276	16,155	—	16,155	7,155	4,500	11,655	41,800	—	41,800
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	959	—	959	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	462	—	462	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	35	—	35	100	—	100	100	—	100	100	—	100
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,250	—	5,250	12,300	—	12,300	3,300	4,500	7,800	20,900	—	20,900
5. आवास निर्माण	4,640	—	4,640	—	—	—	—	—	—	15,000	—	15,000
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	4	—	4	700	—	700	700	—	700	300	—	300
7. अन्य	2,926	—	2,926	3,055	—	3,055	3,055	—	3,055	5,500	—	5,500
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	11,318	2,775	14,093	3,404	3,100	6,504	7,066	3,100	10,166	1,458	3,100	4,558
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	800	—	800	1,000	—	1,000	650	—	650
4. सहकारिता	—	—	—	123	—	123	1,433	—	1,433	501	—	501
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	1,813	—	1,813	1,652	—	1,652	1,652	—	1,652	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	9	—	9	525	—	525	525	—	525	3	—	3
8. अन्य उद्योग और खनिज	7,459	2,775	10,234	—	3,100	3,100	1,751	3,100	4,851	—	3,100	3,100
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	2,037	—	2,037	304	—	304	705	—	705	304	—	304
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	1,591	1,591	—	960	960	—	1,035	1,035	—	990	990
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	226	226	—	672	672	—	747	747	—	702	702
ख) विविध	—	1,365	1,365	—	288	288	—	288	288	—	288	288
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	500	500	—	500	500	—	500	500
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	99,468	99,468	—	98,775	98,775	—	98,775	98,775	—	106,163	106,163
1. राज्य भविष्य निधि	—	50,679	50,679	—	54,142	54,142	—	54,142	54,142	—	58,192	58,192
2. अन्य	—	48,789	48,789	—	44,633	44,633	—	44,633	44,633	—	47,971	47,971
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	115,762	115,762	—	33,100	33,100	—	33,100	33,100	—	89,961	89,961
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	7,398	7,398	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	108,350	108,350	—	33,100	33,100	—	33,100	33,100	—	89,961	89,961
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	1,629,449	1,629,449	—	646,600	646,600	—	646,600	646,600	—	621,320	621,320
1. सिविल जमा	—	300,776	300,776	—	96,000	96,000	—	96,000	96,000	—	91,358	91,358
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	707,236	707,236	—	450,000	450,000	—	450,000	450,000	—	451,416	451,416
3. सिविल अग्रिम	—	8,384	8,384	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	613,053	613,053	—	100,600	100,600	—	100,600	100,600	—	78,546	78,546
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	7,576,270	7,576,270	—	529,500	529,500	—	529,500	529,500	—	565,882	565,882
1. उचंत	—	-52,785	-52,785	—	29,500	29,500	—	29,500	29,500	—	28,482	28,482
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	5,986,505	5,986,505	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,642,550	1,642,550	—	500,000	500,000	—	500,000	500,000	—	537,400	537,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	272,699	272,699	—	205,000	205,000	—	205,000	205,000	—	223,558	223,558
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-10,707			-455,708			-396,733			-502,772
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			231,115			153,453			283,153			162,666
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			220,408			-302,255			-113,579			-340,106
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			2,958			2,745			4,421			-2,306
क) अथ शेष			2,257			5,157			5,216			9,637
ख) इति शेष			5,215			7,902			9,637			7,331
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			217,450			-305,000			-118,000			-337,800
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	107,771	4,934,788	5,042,558	218,765	4,334,478	4,553,243	240,682	5,423,973	5,664,655	223,466	5,320,345	5,543,812
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	107,771	161,356	269,127	218,765	145,766	364,531	240,682	146,519	387,201	223,466	180,390	403,856
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	81,741	-48	81,694	138,185	1,710	139,895	159,507	1,744	161,251	130,985	977	131,962
1. विकासात्मक (क + ख)	74,865	-154	74,712	134,868	1,610	136,478	153,337	1,625	154,963	129,402	876	130,279
(क) समाज सेवा (1 से 9)	13,399	-108	13,292	12,661	1,175	13,837	14,336	1,175	15,511	8,541	-3	8,538
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,071	-	4,071	1,822	1,178	3,000	2,084	1,178	3,262	687	-	687
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,704	-	5,704	3,078	-	3,078	4,414	-	4,414	2,185	-	2,185
3. परिवार कल्याण	103	-	103	220	-	220	220	-	220	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	500	-	500
5. आवास निर्माण	612	-103	509	587	-3	584	587	-3	584	700	-3	697
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,420	-2	2,418	4,214	-	4,214	4,217	-	4,217	4,330	-	4,330
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	425	-3	422	215	-	215	215	-	215	104	-	104
9. अन्य *	65	-	65	26	-	26	99	-	99	35	-	35
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	61,466	-46	61,420	122,206	435	122,641	139,002	450	139,452	120,862	879	121,741
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	4,427	-58	4,369	13,175	404	13,580	12,530	418	12,948	13,931	847	14,779
i) फसल कार्य	130	-25	105	1,705	28	1,733	1,105	36	1,141	1,130	30	1,160
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	965	-	965	2,542	-	2,542	2,542	-	2,542	1,108	-	1,108
iii) पशु पालन	308	-	308	2,204	-	2,204	2,204	-	2,204	1,565	-	1,565
iv) डेरी विकास	6	-	6	-	-	-	-	2	2	-	250	250
v) मत्स्य पालन	1,184	5	1,189	3,160	-	3,160	3,185	-	3,185	2,404	-	2,404
vi) वानिकी और वन्यजीवन	679	-	679	1,035	-	1,035	964	-	964	1,950	-	1,950
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	166	300	466	350	376	726	350	380	730	525	567	1,092
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	770	-338	432	1,680	-	1,680	1,680	-	1,680	2,650	-	2,650
xi) अन्य @	220	-	220	500	-	500	500	-	500	2,600	-	2,600
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20,837	-	20,837	20,367	-	20,367	22,607	-	22,607	17,743	-	17,743
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	3,124	-	3,124	2,378	-	2,378	5,194	-	5,194	1,517	-	1,517
i) ग्राम और लघु उद्योग	624	-	624	1,928	-	1,928	1,988	-	1,988	162	-	162
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	2,500	-	2,500	450	-	450	3,206	-	3,206	1,355	-	1,355
7. परिवहन (i + ii)	31,087	12	31,099	82,239	30	82,269	93,375	30	93,405	85,125	30	85,155
i) सड़क और पुल	28,433	-	28,433	65,831	-	65,831	76,485	-	76,485	67,307	-	67,307
ii) अन्य **	2,654	12	2,666	16,408	30	16,438	16,890	30	16,920	17,818	30	17,848
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	—	700
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,991	—	1,991	4,047	1	4,048	5,296	2	5,298	1,845	2	1,847
i) पर्यटन	1,972	—	1,972	2,537	—	2,537	3,593	—	3,593	1,335	—	1,335
ii) अन्य @@	19	—	19	1,510	1	1,511	1,703	2	1,705	510	2	512
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	6,876	106	6,982	3,317	100	3,417	6,169	119	6,288	1,583	100	1,683
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	737,199	737,199	—	538,941	538,941	—	1,014,326	1,014,326	—	903,977	903,977
1. बाजार से ऋण	—	34,484	34,484	—	38,168	38,168	—	38,110	38,110	—	66,323	66,323
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	13,116	13,116	—	16,041	16,041	—	16,041	16,041	—	19,000	19,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	30,918	30,918	—	1,775	1,775	—	1,630	1,630	—	3,802	3,802
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	15,126	15,126	—	7,000	7,000	—	7,000	7,000	—	5,000	5,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	638,150	638,150	—	460,500	460,500	—	938,000	938,000	—	788,000	788,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	2,857	2,857	—	6,962	6,962	—	5,058	5,058	—	7,371	7,371
8. अन्य	—	2,548	2,548	—	8,495	8,495	—	8,487	8,487	—	14,481	14,481
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	5	5	—	5,801	5,801	—	5,793	5,793	—	11,585	11,585
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	59,671	59,671	—	64,765	64,765	—	60,067	60,067	—	62,510	62,510
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	23,689	23,689	—	26,212	26,212	—	24,287	24,287	—	26,728	26,728
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	108	108	—	107	107	—	107	107	—	107	107
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	430	430	—	396	396	—	421	421	—	424	424
4. योजनेतर (i से ii)	—	280	280	—	248	248	—	249	249	—	249	249
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	280	280	—	248	248	—	249	249	—	249	249
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	35,000	35,000	—	35,000	35,000	—	35,000	35,000	—	35,000	35,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	164	164	—	2,803	2,803	—	2	2	—	2	2
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	26,029	2,682	28,712	80,580	850	81,430	81,176	8,380	89,556	92,481	927	93,408
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	26,029	2,166	28,195	80,580	210	80,791	81,176	7,645	88,821	92,481	210	92,691
(क) समाज सेवा (1 से 7)	10,523	136	10,659	66,792	190	66,981	66,846	174	67,020	80,829	189	81,018
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	125	—	125	702	—	702	702	—	702	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,604	—	9,604	65,450	—	65,450	65,495	—	65,495	80,000	—	80,000
5. आवास निर्माण	350	128	478	351	141	492	351	141	492	550	155	705
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	40	40	—	25	25	—	25	25
7. अन्य	444	8	452	289	9	298	289	8	297	279	9	288
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	15,506	2,030	17,536	13,789	21	13,809	14,330	7,471	21,801	11,652	21	11,673
1. फसल कार्य	261	—	261	17	21	38	17	21	38	—	21	21
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	537	—	537	600	—	600	600	—	600	1,000	—	1,000
4. सहकारिता	1,831	—	1,831	1,950	—	1,950	1,950	—	1,950	1,465	—	1,465
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	6,628	—	6,628	5,909	—	5,909	5,400	—	5,400	6,600	—	6,600

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	1,055	—	1,055	1,837	—	1,837	1,887	—	1,887	137	—	137
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,000	—	1,000	1,300	—	1,300	1,300	—	1,300	950	—	950
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	4,196	2,030	6,226	2,175	—	2,175	3,175	7,451	10,626	1,500	—	1,500
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	516	516	—	640	640	—	735	735	—	717	717
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	516	516	—	640	640	—	735	735	—	717	717
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	215	215	—	100	100	—	—	—	—	100	100
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	772,714	772,714	—	869,046	869,046	—	915,044	915,044	—	978,101	978,101
1. राज्य भविष्य निधि	—	98,885	98,885	—	155,302	155,302	—	155,340	155,340	—	198,252	198,252
2. अन्य	—	673,829	673,829	—	713,744	713,744	—	759,704	759,704	—	779,849	779,849
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	13,050	13,050	—	28,430	28,430	—	31,390	31,390	—	29,759	29,759
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	—	—	—	16,111	16,111	—	16,593	16,593	—	18,828	18,828
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	13,050	13,050	—	12,319	12,319	—	14,797	14,797	—	10,931	10,931
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	163,079	163,079	—	430,069	430,069	—	446,231	446,231	—	475,607	475,607
1. सिविल जमा	—	116,637	116,637	—	109,189	109,189	—	133,237	133,237	—	141,572	141,572
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	43,449	43,449	—	317,538	317,538	—	309,039	309,039	—	329,190	329,190
3. सिविल अग्रिम	—	138	138	—	74	74	—	70	70	—	77	77
4. अन्य	—	2,854	2,854	—	3,269	3,269	—	3,885	3,885	—	4,769	4,769
X. उच्च और विविध (1 से 4)	—	2,605,207	2,605,207	—	1,895,038	1,895,038	—	2,395,328	2,395,328	—	2,247,595	2,247,595
1. उच्च	—	403,804	403,804	—	413,360	413,360	—	420,506	420,506	—	466,267	466,267
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	404,179	404,179	—	30,005	30,005	—	223,505	223,505	—	30,005	30,005
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,797,224	1,797,224	—	1,451,673	1,451,673	—	1,751,318	1,751,318	—	1,751,324	1,751,324
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	581,018	581,018	—	505,529	505,529	—	551,462	551,462	—	620,793	620,793
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			367,295			530,283			534,952			511,272
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-312,916			-541,479			-591,648			-525,116
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			54,379			-11,196			-56,697			-13,844
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			16,316			-11,196			-56,697			-13,844
क) अथ शेष			-10,731			-48,132			14,672			-42,025
ख) इति शेष			5,585			-59,328			-42,025			-55,869
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			14,538			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			23,525			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	373,772	5,966,020	6,339,792	523,485	4,721,479	5,244,964	520,898	8,723,220	9,244,118	624,192	3,438,892	4,063,084
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	373,772	467,397	841,169	523,485	184,772	708,256	520,898	235,724	756,622	624,192	214,446	838,638
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	369,981	292,347	662,328	478,508	38,346	516,853	485,641	31,586	517,227	568,446	19,700	588,146
1. विकासात्मक (क + ख)	361,175	289,020	650,195	471,680	30,646	502,326	477,684	30,586	508,269	564,077	16,700	580,776
(क) समाज सेवा (1 से 9)	62,945	574	63,518	64,811	629	65,440	81,075	569	81,644	89,246	684	89,930
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,202	—	4,202	6,969	—	6,969	7,191	—	7,191	7,040	—	7,040
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,317	37	6,354	10,776	414	11,190	13,047	354	13,401	17,430	369	17,798
3. परिवार कल्याण	81	—	81	337	—	337	337	—	337	337	—	337
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	30,576	—	30,576	20,023	—	20,023	36,223	—	36,223	37,725	—	37,725
5. आवास निर्माण	414	—	414	499	—	499	499	—	499	471	—	471
6. शहरी विकास	8,078	356	8,435	6,451	—	6,451	5,644	—	5,644	5,058	—	5,058
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,028	—	13,028	17,078	—	17,078	17,373	—	17,373	18,668	—	18,668
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	183	180	363	2,604	215	2,819	688	215	903	1,607	315	1,922
9. अन्य *	65	—	65	73	—	73	73	—	73	910	—	910
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	298,230	288,447	586,677	406,870	30,017	436,886	396,608	30,017	426,625	474,830	16,016	490,846
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	3,016	749	3,765	4,397	—	4,397	5,758	—	5,758	4,984	—	4,984
i) फसल कार्य	141	25	166	153	—	153	153	—	153	—	—	—
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,515	—	1,515	1,110	—	1,110	1,834	—	1,834	1,265	—	1,265
iii) पशु पालन	36	—	36	—	—	—	—	—	—	44	—	44
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	29	—	29	49	—	49	554	—	554	73	—	73
vi) वानिकी और वन्यजीवन	549	—	549	476	—	476	476	—	476	751	—	751
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	233	724	957	25	—	25	158	—	158	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	513	—	513	2,584	—	2,584	2,583	—	2,583	2,851	—	2,851
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	38,576	—	38,576	39,498	—	39,498	44,253	—	44,253	50,779	—	50,779
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	125,377	—	125,377	188,933	—	188,933	158,892	—	158,892	176,709	—	176,709
5. ऊर्जा	36,195	287,422	323,617	67,638	30,000	97,638	47,152	30,000	77,152	68,857	16,000	84,857
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	11,898	21	11,919	2,296	12	2,308	20,914	12	20,926	1,703	11	1,714
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,341	21	1,362	1,279	12	1,290	1,267	12	1,278	1,006	11	1,017
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5	—	5	6	—	6	6	—	6	9	—	9
iv) अन्य #	10,552	—	10,552	1,012	—	1,012	19,642	—	19,642	689	—	689
7. परिवहन (i + ii)	80,666	250	80,916	99,168	—	99,168	115,005	—	115,005	164,822	—	164,822
i) सड़क और पुल	79,041	—	79,041	97,928	—	97,928	110,265	—	110,265	160,772	—	160,772
ii) अन्य **	1,625	250	1,875	1,240	—	1,240	4,740	—	4,740	4,050	—	4,050
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,502	5	2,506	4,939	5	4,944	4,635	5	4,640	6,975	5	6,980
i) पर्यटन	2,502	—	2,502	4,939	—	4,939	4,635	—	4,635	6,975	—	6,975
ii) अन्य @@	—	5	5	—	5	5	—	5	5	—	5	5
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	8,806	3,327	12,133	6,827	7,700	14,527	7,958	1,000	8,958	4,369	3,000	7,369
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	56,385	56,385	—	576,317	576,317	—	228,449	228,449	—	323,932	323,932
1. बाजार से ऋण	—	31,653	31,653	—	33,223	33,223	—	35,755	35,755	—	51,084	51,084
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	350	350	—	350	350	—	347	347	—	347	347
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
4. नाबार्ड से ऋण	—	3,019	3,019	—	6,000	6,000	—	5,612	5,612	—	11,835	11,835
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	4,301	4,301	—	2,500	2,500	—	2,463	2,463	—	2,000	2,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	500,000	500,000	—	150,000	150,000	—	200,000	200,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	6,133	6,133	—	7,713	7,713	—	7,713	7,713	—	11,726	11,726
8. अन्य	—	10,929	10,929	—	26,531	26,531	—	26,559	26,559	—	46,918	46,918
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	9,432	9,432	—	22,751	22,751	—	22,751	22,751	—	36,071	36,071
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	39,011	39,011	—	43,183	43,183	—	42,689	42,689	—	44,216	44,216
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	34,637	34,637	—	41,592	41,592	—	41,065	41,065	—	42,653	42,653
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	277	277	—	276	276	—	276	276	—	276	276
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	891	891	—	930	930	—	930	930	—	873	873
4. योजनेतर (i से ii)	—	386	386	—	384	384	—	417	417	—	414	414
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	386	386	—	384	384	—	417	417	—	414	414
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	2,820	2,820	—	1	1	—	1	1	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	3,791	79,653	83,445	44,977	26,926	71,903	35,257	83,001	118,258	55,746	26,621	82,367
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	3,791	79,654	83,446	44,977	26,906	71,882	35,257	82,955	118,212	55,746	26,550	82,296
(क) समाज सेवा (1 से 7)	6,944	49,444	56,389	24,075	26,055	50,130	14,054	26,055	40,109	25,659	26,050	51,709
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	539	—	539	1,148	—	1,148	60	—	60	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,031	—	5,031	3,455	—	3,455	1,005	—	1,005	5,279	—	5,279
5. आवास निर्माण	355	—	355	300	—	300	300	—	300	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	13	13	—	125	125	—	125	125	—	120	120
7. अन्य	1,020	49,431	50,451	19,172	25,930	45,102	12,690	25,930	38,620	20,380	25,930	46,310
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	-3,153	30,210	27,057	20,902	851	21,752	21,203	56,900	78,103	30,087	500	30,587
1. फसल कार्य	—	210	210	—	601	601	—	500	500	—	500	500
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	250	250	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	2,945	—	2,945	1,453	—	1,453	1,453	—	1,453	1,883	—	1,883
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	-12,171	30,000	17,829	19,394	—	19,394	19,394	56,400	75,794	28,200	—	28,200



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	46	—	46	50	—	50	50	—	50	—	—	—
8. अन्य उद्योग और खनिज	6,000	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	27	—	27	6	—	6	306	—	306	4	—	4
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	-1	-1	—	21	21	—	46	46	—	71	71
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	-1	-1	—	21	21	—	46	46	—	71	71
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
VI. आकस्मिकता निधि	—	814	814	—	4,000	4,000	—	5,814	5,814	—	10,000	10,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	132,848	132,848	—	138,513	138,513	—	128,523	128,523	—	133,173	133,173
1. राज्य भविष्य निधि	—	121,467	121,467	—	114,370	114,370	—	116,000	116,000	—	120,000	120,000
2. अन्य	—	11,381	11,381	—	24,143	24,143	—	12,523	12,523	—	13,173	13,173
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	53,064	53,064	—	64,948	64,948	—	81,740	81,740	—	82,643	82,643
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	36	36	—	38	38	—	36	36
2. शोधन निधि	—	—	—	—	100	100	—	100	100	—	100	100
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	53,064	53,064	—	64,812	64,812	—	81,602	81,602	—	82,507	82,507
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	356,090	356,090	—	507,044	507,044	—	394,851	394,851	—	526,608	526,608
1. सिविल जमा	—	195,902	195,902	—	176,406	176,406	—	210,000	210,000	—	250,000	250,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	5,467	5,467	—	2,300	2,300	—	10,000	10,000	—	1,000	1,000
3. सिविल अग्रिम	—	26,060	26,060	—	34,000	34,000	—	30,000	30,000	—	30,000	30,000
4. अन्य	—	128,660	128,660	—	294,338	294,338	—	144,851	144,851	—	245,608	245,608
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	4,327,966	4,327,966	—	2,766,500	2,766,500	—	7,216,500	7,216,500	—	1,716,500	1,716,500
1. उचंत	—	-12,758	-12,758	—	15,000	15,000	—	15,000	15,000	—	15,000	15,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	2,676,198	2,676,198	—	1,500,000	1,500,000	—	6,000,000	6,000,000	—	500,000	500,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,664,526	1,664,526	—	1,251,500	1,251,500	—	1,201,500	1,201,500	—	1,201,500	1,201,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	6,000	6,000	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	627,840	627,840	—	555,702	555,702	—	504,067	504,067	—	555,500	555,500
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			43,116			-75,005			-216,224			-188,860
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			3,332			97,022			176,337			200,673
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			46,448			22,017			-39,887			11,814
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			1,919			22,017			-39,887			11,814
क) अथ शेष			2,489			-26,870			4,410			-35,477
ख) इति शेष			4,408			-4,853			-35,477			-23,663
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			44,530			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	767,493	10,840,374	11,607,867	599,396	5,361,067	5,960,463	875,953	13,391,985	14,267,938	931,788	9,537,923	10,469,711
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	767,493	872,180	1,639,674	599,396	514,005	1,113,401	875,953	603,806	1,479,759	931,788	553,128	1,484,915
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	680,136	327,706	1,007,842	537,567	214,349	751,916	832,552	219,021	1,051,573	865,509	203,502	1,069,012
1. विकासात्मक (क + ख)	674,951	325,817	1,000,768	530,735	208,087	738,822	814,956	211,072	1,026,028	843,940	193,919	1,037,859
(क) समाज सेवा (1 से 9)	124,898	-181	124,718	24,184	113	24,297	95,958	58	96,016	76,872	108	76,980
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,230	-	1,230	3,788	-	3,788	12,036	-	12,036	7,729	-	7,729
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,050	-	9,050	5,535	-	5,535	8,254	-	8,254	9,361	-	9,361
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	100	-	100	100	-	100	100	-	100	300	-	300
5. आवास निर्माण	1,097	-	1,097	967	-	967	967	-	967	3,527	-	3,527
6. शहरी विकास	88,964	1	88,966	1,000	2	1,002	3,242	2	3,244	3,700	2	3,702
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20,782	-	20,782	8,297	-	8,297	63,878	-	63,878	46,030	-	46,030
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	296	-182	114	85	111	196	435	56	491	243	106	349
9. अन्य *	3,379	-	3,379	4,412	-	4,412	7,047	-	7,047	5,983	-	5,983
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	550,053	325,998	876,050	506,551	207,974	714,525	718,997	211,014	930,011	767,068	193,811	960,879
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	19,558	13,029	32,587	62,390	15,936	78,326	76,211	20,584	96,795	60,845	23,836	84,680
i) फसल कार्य	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	12,732	611	13,344	27,329	1,746	29,075	36,020	2,808	38,828	34,520	5,352	39,872
iii) पशु पालन	94	-	94	146	-	146	161	-	161	378	-	378
iv) डेरी विकास	94	-	94	165	-	165	189	-	189	222	-	222
v) मत्स्य पालन	1,220	-	1,220	6,337	-	6,337	3,170	-	3,170	2,831	-	2,831
vi) वानिकी और वन्यजीवन	726	171	897	1,357	179	1,536	1,654	179	1,833	1,684	170	1,853
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	12,182	12,182	807	14,011	14,818	807	17,598	18,405	807	18,314	19,120
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5	-	5	85	-	85	85	-	85	94	-	94
x) सहकारिता	4,687	-	4,687	26,164	-	26,164	34,125	-	34,125	20,310	-	20,310
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	46,376	-	46,376	39,385	-	39,385	68,120	-	68,120	113,020	-	113,020
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	4,261	-	4,261	4,525	-	4,525	4,539	-	4,539	4,525	-	4,525
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	316,030	290,402	606,431	218,949	166,617	385,566	363,359	165,009	528,367	337,662	141,769	479,431
5. ऊर्जा	56,219	-	56,219	75,923	-	75,923	79,469	-	79,469	133,550	-	133,550
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	12,974	-	12,974	2,176	-	2,176	2,175	-	2,175	3,395	-	3,395
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,725	-	1,725	1,876	-	1,876	1,875	-	1,875	3,395	-	3,395
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	11,250	-	11,250	300	-	300	300	-	300	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	94,626	13,857	108,483	103,058	15,557	118,615	124,985	15,557	140,542	113,956	18,480	132,436
i) सड़क और पुल	93,330	-	93,330	103,058	-	103,058	124,985	-	124,985	113,956	-	113,956
ii) अन्य **	1,296	13,857	15,153	-	15,557	15,557	-	15,557	15,557	-	18,480	18,480
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4	—	4	10	—	10	6	—	6	10	—	10
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	5	8,709	8,714	135	9,864	9,999	134	9,864	9,998	106	9,726	9,832
i) पर्यटन	30	—	30	100	—	100	100	—	100	100	—	100
ii) अन्य @@	-25	8,709	8,684	35	9,864	9,899	34	9,864	9,898	6	9,726	9,732
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	5,184	1,890	7,074	6,832	6,262	13,094	17,597	7,948	25,545	21,569	9,584	31,153
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	521,615	521,615	—	449,287	449,287	—	420,446	420,446	—	522,998	522,998
1. बाजार से ऋण	—	42,590	42,590	—	46,993	46,993	—	46,993	46,993	—	77,685	77,685
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	19,493	19,493	—	13,411	13,411	—	19,484	19,484	—	25,034	25,034
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	606	606	—	2,252	2,252	—	6,408	6,408
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	32,722	32,722	—	12,900	12,900	—	13,947	13,947	—	12,592	12,592
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	368,493	368,493	—	300,000	300,000	—	266,483	266,483	—	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	20,598	20,598	—	43,895	43,895	—	43,895	43,895	—	71,253	71,253
8. अन्य	—	37,719	37,719	—	31,482	31,482	—	27,392	27,392	—	30,025	30,025
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	4	4	—	10	10	—	9	9	—	5	5
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	52,549	52,549	—	40,168	40,168	—	32,585	32,585	—	41,653	41,653
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	31,694	31,694	—	38,362	38,362	—	30,774	30,774	—	39,716	39,716
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	83	83	—	83	83	—	83	83	—	83	83
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	968	968	—	1,025	1,025	—	1,040	1,040	—	1,201	1,201
4. योजनेतर (i से ii)	—	14,494	14,494	—	698	698	—	688	688	—	653	653
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	14,494	14,494	—	698	698	—	688	688	—	653	653
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	5,311	5,311	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	87,357	338,803	426,160	61,829	110,203	172,032	43,401	198,239	241,640	66,278	84,977	151,256
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	87,357	329,439	416,796	61,829	104,595	166,424	43,401	192,761	236,162	66,278	79,010	145,289
(क) समाज सेवा (1 से 7)	5,249	36,886	42,135	42,772	44,365	87,137	25,409	45,567	70,975	45,645	50,381	96,026
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	6	6	—	—	—	—	15	15	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	24	—	24	68	—	68	68	—	68	62	—	62
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	951	951	—	951	951	—	951	951	—	808	808
5. आवास निर्माण	—	18,808	18,808	—	22,599	22,599	—	23,694	23,694	—	25,738	25,738
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	17,109	17,109	—	20,720	20,720	—	20,830	20,830	—	23,805	23,805
7. अन्य	5,225	13	5,238	42,704	95	42,799	25,340	76	25,417	45,583	30	45,613
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	82,108	292,553	374,661	19,057	60,230	79,287	17,992	147,194	165,187	20,633	28,630	49,263
1. फसल कार्य	—	757	757	—	5	5	—	870	870	—	5	5
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	1,541	202,577	204,118	6,235	57,802	64,037	5,201	137,110	142,311	4,392	16,176	20,568
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	267	—	267	246	—	246	311	—	311
6. बिजली परियोजना	76,206	89,220	165,426	7,006	2,423	9,429	7,007	7,516	14,523	8,736	12,449	21,185



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	3,325	—	3,325	2,722	—	2,722	2,744	—	2,744	5,440	—	5,440
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	794	—	794	814	1,698	2,512	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	100	—	100	—	—	—	33	—	33	—	—	—
10. अन्य	936	—	936	2,033	—	2,033	1,949	—	1,949	1,753	—	1,753
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	9,364	9,364	—	5,608	5,608	—	5,478	5,478	—	5,967	5,967
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	3,554	3,554	—	5,608	5,608	—	5,478	5,478	—	5,967	5,967
ख) विविध	—	5,809	5,809	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	128,857	128,857	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	120,704	120,704	—	143,899	143,899	—	131,449	131,449	—	146,223	146,223
1. राज्य भविष्य निधि	—	112,998	112,998	—	130,442	130,442	—	122,038	122,038	—	131,801	131,801
2. अन्य	—	7,707	7,707	—	13,457	13,457	—	9,412	9,412	—	14,423	14,423
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	448,521	448,521	—	331,977	331,977	—	406,580	406,580	—	400,254	400,254
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	4	4	—	4	4	—	4	4
2. शोधन निधि	—	52,043	52,043	—	52,600	52,600	—	52,600	52,600	—	56,100	56,100
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	396,478	396,478	—	279,373	279,373	—	353,976	353,976	—	344,149	344,149
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	694,546	694,546	—	536,714	536,714	—	744,685	744,685	—	781,611	781,611
1. सिविल जमा	—	613,886	613,886	—	471,759	471,759	—	691,116	691,116	—	686,155	686,155
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	45	45	—	303	303	—	9	9	—	200	200
3. सिविल अग्रिम	—	36,551	36,551	—	35,025	35,025	—	37,509	37,509	—	37,522	37,522
4. अन्य	—	44,063	44,063	—	29,627	29,627	—	16,050	16,050	—	57,734	57,734
X. उच्च और विविध (1 से 4)	—	6,766,119	6,766,119	—	2,651,694	2,651,694	—	9,982,876	9,982,876	—	6,160,490	6,160,490
1. उच्च	—	-37,636	-37,636	—	35,688	35,688	—	18,975	18,975	—	11,190	11,190
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	6,788,726	6,788,726	—	2,600,000	2,600,000	—	5,727,900	5,727,900	—	6,000,000	6,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	15,028	15,028	—	16,006	16,006	—	4,236,001	4,236,001	—	149,300	149,300
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	185,000	185,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	1,255,953	1,255,953	—	882,776	882,776	—	1,256,104	1,256,104	—	1,196,215	1,196,215
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			625,578			854,479			208,616			239,546
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-384,156			30,585			-319,250			51,067
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			241,422			885,064			-110,634			290,613
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			25,292			685,064			-89,034			290,613
क) अथ शेष			-25,143			367,998			148			-88,886
ख) इति शेष			149			1,053,062			-88,886			201,727
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			216,130			200,000			-21,600			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	67,624	469,816	537,441	89,948	472,429	562,377	99,982	437,123	537,105	50,644	522,231	572,875
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	67,624	6,208	73,832	89,948	28,557	118,505	99,982	28,075	128,057	50,644	30,106	80,750
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	61,578	3	61,581	83,926	4	83,930	94,097	4	94,101	49,759	4	49,763
1. विकासात्मक (क + ख)	42,804	3	42,807	62,398	4	62,402	81,297	4	81,301	48,640	4	48,644
(क) समाज सेवा (1 से 9)	13,039	3	13,042	22,702	1	22,703	28,426	1	28,427	13,019	1	13,020
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,043	—	1,043	3,561	—	3,561	4,753	—	4,753	1,776	—	1,776
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	455	—	455	2,837	—	2,837	3,144	—	3,144	529	—	529
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,556	—	8,556	10,471	—	10,471	14,917	—	14,917	8,652	—	8,652
5. आवास निर्माण	655	3	658	1,718	1	1,719	1,718	1	1,719	818	1	819
6. शहरी विकास	925	—	925	2,436	—	2,436	3,186	—	3,186	1,116	—	1,116
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	236	—	236	348	—	348	123	—	123	61	—	61
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	819	—	819	831	—	831	5	—	5	—	—	—
9. अन्य *	351	—	351	500	—	500	580	—	580	67	—	67
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	29,765	—	29,765	39,697	3	39,700	52,870	3	52,873	35,622	3	35,625
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	1,156	—	1,156	218	—	218	157	—	157	200	—	200
i) फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	15	—	15	25	—	25	25	—	25	10	—	10
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	13	—	13	26	—	26	29	—	29	29	—	29
vi) वानिकी और वन्यजीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-15	—	-15	2	—	2	2	—	2	2	—	2
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	1,143	—	1,143	166	—	166	101	—	101	159	—	159
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	18	—	18	15	—	15	15	—	15	15	—	15
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	2,410	—	2,410	150	—	150	1,852	—	1,852	960	—	960
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	13,916	—	13,916	18,827	—	18,827	21,800	—	21,800	20,023	—	20,023
5. ऊर्जा	2,865	—	2,865	7,089	—	7,089	11,031	—	11,031	5,660	—	5,660
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,541	—	1,541	6,299	—	6,299	6,298	—	6,298	6,251	—	6,251
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,528	—	1,528	6,277	—	6,277	6,276	—	6,276	6,215	—	6,215
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	1	—	1	16	—	16	16	—	16	36	—	36
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	12	—	12	7	—	7	7	—	7	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	7,607	—	7,607	6,983	3	6,986	10,977	3	10,980	2,103	3	2,106
i) सड़क और पुल	7,536	—	7,536	6,883	3	6,886	10,927	3	10,930	2,003	3	2,006
ii) अन्य **	71	—	71	100	—	100	50	—	50	100	—	100
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	252	—	252	115	—	115	739	—	739	409	—	409
i) पर्यटन	252	—	252	115	—	115	739	—	739	409	—	409
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	18,774	—	18,774	21,528	—	21,528	12,801	—	12,801	1,119	—	1,119
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	16,432	16,432	—	13,436	13,436	—	3,057	3,057	—	5,193	5,193
1. बाजार से ऋण	—	1,597	1,597	—	2,385	2,385	—	1,760	1,760	—	3,718	3,718
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	300	300	—	300	300	—	300	300
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	266	266	—	265	265	—	267	267	—	267	267
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	14,573	14,573	—	10,000	10,000	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	-7	-7	—	128	128	—	176	176	—	309	309
8. अन्य	—	3	3	—	358	358	—	554	554	—	600	600
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	4,333	4,333	—	24,477	24,477	—	24,436	24,436	—	24,428	24,428
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	231	231	—	1,998	1,998	—	195	195	—	195	195
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	28	28	—	28	28	—	32	32	—	27	27
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	82	82	—	92	92	—	71	71	—	71	71
4. योजनेतर (i से ii)	—	3,929	3,929	—	22,217	22,217	—	24,098	24,098	—	24,097	24,097
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	3,929	3,929	—	22,217	22,217	—	24,098	24,098	—	24,097	24,097
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	62	62	—	41	41	—	38	38	—	38	38
7. अन्य	—	—	—	—	102	102	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	6,046	13	6,059	6,023	640	6,663	5,885	578	6,463	885	480	1,365
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	6,046	13	6,059	6,023	320	6,343	5,885	71	5,956	885	125	1,010
(क) समाज सेवा (1 से 7)	6,000	13	6,013	5,000	320	5,320	5,000	71	5,071	—	125	125
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	13	13	—	320	320	—	71	71	—	125	125
7. अन्य	6,000	—	6,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	46	—	46	1,023	—	1,023	885	—	885	885	—	885
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	758	-	758	620	-	620	620	-	620
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	26	-	26	265	-	265	265	-	265	265	-	265
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	-	-	-	320	320	-	507	507	-	355	355
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	-	-	-	320	320	-	507	507	-	355	355
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	9,067	9,067	-	11,800	11,800	-	6,300	6,300	-	6,288	6,288
1. राज्य भविष्य निधि	-	8,794	8,794	-	11,500	11,500	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000
2. अन्य	-	273	273	-	300	300	-	300	300	-	288	288
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	231	231	-	572	572	-	572	572	-	589	589
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	231	231	-	572	572	-	572	572	-	589	589
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	8,121	8,121	-	37,900	37,900	-	18,576	18,576	-	12,401	12,401
1. सिविल जमा	-	3,490	3,490	-	30,000	30,000	-	5,000	5,000	-	7,000	7,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	879	879	-	400	400	-	576	576	-	401	401
4. अन्य	-	3,752	3,752	-	7,500	7,500	-	13,000	13,000	-	5,000	5,000
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	302,677	302,677	-	322,100	322,100	-	322,100	322,100	-	406,998	406,998
1. उचंत	-	27,547	27,547	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	266,432	266,432	-	315,000	315,000	-	315,000	315,000	-	399,998	399,998
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	8,698	8,698	-	3,100	3,100	-	3,100	3,100	-	3,000	3,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	128,940	128,940	-	61,500	61,500	-	61,500	61,500	-	65,849	65,849
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-10,971			-93,069			-84,153			-31,558
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			40,444			79,741			77,650			40,402
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			29,473			-13,328			-6,503			8,844
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			10,173			-13,328			-6,503			8,846
क) अथ शेष			-24,151			-10,618			-9,782			-16,285
ख) इति शेष			-13,978			-23,946			-16,285			-7,439
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			13,817			-			-			-2
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			5,483			-			-			-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	26,622	1,243,218	1,269,840	44,197	1,279,996	1,324,194	44,200	1,186,731	1,230,930	60,622	1,197,170	1,257,792
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	26,622	6,707	33,329	44,197	8,323	52,520	44,200	8,322	52,521	60,622	10,901	71,523
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	25,854	79	25,933	40,107	—	40,107	40,109	—	40,109	57,786	—	57,786
1. विकासात्मक (क + ख)	24,733	79	24,812	36,764	—	36,764	36,764	—	36,764	53,995	—	53,995
(क) समाज सेवा (1 से 9)	11,373	79	11,452	13,669	—	13,669	13,669	—	13,669	21,147	—	21,147
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	70	—	70	220	—	220	220	—	220	700	—	700
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,698	—	1,698	1,906	—	1,906	1,906	—	1,906	3,149	—	3,149
3. परिवार कल्याण	25	—	25	120	—	120	120	—	120	120	—	120
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,786	—	7,786	8,823	—	8,823	8,823	—	8,823	14,935	—	14,935
5. आवास निर्माण	182	79	261	339	—	339	338	—	338	494	—	494
6. शहरी विकास	812	—	812	1,450	—	1,450	1,450	—	1,450	131	—	131
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	800	—	800	810	—	810	810	—	810	1,617	—	1,617
9. अन्य *	—	—	—	2	—	2	2	—	2	1	—	1
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	13,360	—	13,360	23,095	—	23,095	23,095	—	23,095	32,848	—	32,848
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	461	—	461	1,535	—	1,535	1,535	—	1,535	1,827	—	1,827
i) फसल कार्य	38	—	38	38	—	38	38	—	38	60	—	60
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	7	—	7	8	—	8	8	—	8	20	—	20
vi) वानिकी और वन्यजीवन	60	—	60	904	—	904	904	—	904	995	—	995
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	342	—	342	563	—	563	563	—	563	712	—	712
xi) अन्य @	14	—	14	22	—	22	22	—	22	40	—	40
2. ग्रामीण विकास	43	—	43	50	—	50	50	—	50	50	—	50
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	2,614	—	2,614	3,460	—	3,460	3,460	—	3,460	3,045	—	3,045
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	758	—	758	844	—	844	844	—	844	2,180	—	2,180
5. ऊर्जा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	841	—	841	1,293	—	1,293	1,293	—	1,293	937	—	937
i) ग्राम और लघु उद्योग	526	—	526	748	—	748	748	—	748	710	—	710
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	25	—	25	25	—	25	25	—	25
iv) अन्य #	315	—	315	520	—	520	520	—	520	202	—	202
7. परिवहन (i + ii)	8,603	—	8,603	15,891	—	15,891	15,891	—	15,891	24,799	—	24,799
i) सड़क और पुल	8,281	—	8,281	15,541	—	15,541	15,541	—	15,541	24,374	—	24,374
ii) अन्य **	322	—	322	350	—	350	350	—	350	425	—	425
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	40	—	40	22	—	22	22	—	22	10	—	10
i) पर्यटन	40	—	40	22	—	22	22	—	22	10	—	10
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	1,121	—	1,121	3,343	—	3,343	3,345	—	3,345	3,791	—	3,791
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	13,776	13,776	—	9,816	9,816	—	9,816	9,816	—	12,444	12,444
1. बाजार से ऋण	—	2,748	2,748	—	2,750	2,750	—	2,750	2,750	—	4,820	4,820
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	28	28	—	28	28	—	28	28	—	27	27
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	23	23	—	330	330	—	330	330	—	635	635
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	217	217	—	282	282	—	282	282	—	240	240
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	9,234	9,234	—	4,050	4,050	—	4,050	4,050	—	4,050	4,050
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	182	182	—	296	296	—	296	296	—	422	422
8. अन्य	—	1,344	1,344	—	2,080	2,080	—	2,080	2,080	—	2,250	2,250
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	70	70	—	70	70	—	140	140
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	1,795	1,795	—	2,157	2,157	—	2,157	2,157	—	2,107	2,107
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	1,506	1,506	—	1,846	1,846	—	1,846	1,846	—	1,816	1,816
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	86	86	—	88	88	—	88	88	—	101	101
4. योजनेतर (i से ii)	—	37	37	—	41	41	—	41	41	—	40	40
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	37	37	—	41	41	—	41	41	—	40	40
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	72	72	—	88	88	—	88	88	—	66	66
7. अन्य	—	92	92	—	92	92	—	92	92	—	82	82
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	768	294	1,062	4,091	400	4,491	4,091	400	4,491	2,836	400	3,236
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	768	11	779	4,091	50	4,141	4,091	50	4,141	2,836	50	2,886
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	11	11	100	50	150	100	50	150	—	50	50
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	100	—	100	100	—	100	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	11	11	—	40	40	—	40	40	—	40	40
7. अन्य	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	10	10
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	768	—	768	3,991	—	3,991	3,991	—	3,991	2,836	—	2,836
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	74	—	74	160	—	160	160	—	160	136	—	136
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	694	—	694	3,831	—	3,831	3,831	—	3,831	2,200	—	2,200

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	283	283	-	350	350	-	350	350	-	350	350
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	283	283	-	350	350	-	350	350	-	350	350
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	8,168	8,168	-	21,000	21,000	-	17,732	17,732	-	21,000	21,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	4,420	4,420	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,150	3,150
1. राज्य भविष्य निधि	-	4,420	4,420	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,150	3,150
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	1,920	1,920	-	2,143	2,143	-	2,072	2,072	-	2,254	2,254
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	825	825	-	982	982	-	911	911	-	1,059	1,059
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,095	1,095	-	1,161	1,161	-	1,161	1,161	-	1,195	1,195
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	18,153	18,153	-	22,190	22,190	-	11,860	11,860	-	13,460	13,460
1. सिविल जमा	-	13,993	13,993	-	18,986	18,986	-	8,656	8,656	-	10,256	10,256
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2
3. सिविल अग्रिम	-	4,160	4,160	-	3,202	3,202	-	3,202	3,202	-	3,202	3,202
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	1,126,763	1,126,763	-	1,158,102	1,158,102	-	1,078,556	1,078,556	-	1,080,391	1,080,391
1. उचित	-	-900	-900	-	2,486	2,486	-	1,370	1,370	-	1,464	1,464
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	269,288	269,288	-	377,265	377,265	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	858,004	858,004	-	778,000	778,000	-	776,836	776,836	-	778,571	778,571
4. अन्य	-	371	371	-	351	351	-	350	350	-	356	356
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	67,850	67,850	-	61,188	61,188	-	61,138	61,138	-	61,964	61,964
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			12,824			-8,631			-20,560			-27,087
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			7,246			34,037			34,002			50,968
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			20,069			25,406			13,442			23,881
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			19,465			5,406			-2,294			1,481
क) अथ शेष			-21,191			-13,396			-1,726			-4,018
ख) इति शेष			-1,726			-7,990			-4,020			-2,538
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			604			20,000			15,736			22,400
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	45,626	391,621	437,247	24,125	28,258	52,383	48,245	709,858	758,103	28,869	32,619	61,488
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	45,626	12,772	58,398	24,125	10,681	34,806	48,245	9,119	57,364	28,869	12,380	41,249
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	45,380	-243	45,137	24,125	-	24,125	48,245	-	48,245	28,869	-	28,869
1. विकासात्मक (क + ख)	44,034	-243	43,791	22,496	-	22,496	46,435	-	46,435	27,406	-	27,406
(क) समाज सेवा (1 से 9)	8,994	-	8,994	3,013	-	3,013	11,793	-	11,793	4,173	-	4,173
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,321	-	1,321	-	-	-	1,290	-	1,290	106	-	106
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	254	-	254	21	-	21	66	-	66	5	-	5
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,840	-	5,840	2,349	-	2,349	7,803	-	7,803	3,273	-	3,273
5. आवास निर्माण	198	-	198	260	-	260	300	-	300	300	-	300
6. शहरी विकास	614	-	614	89	-	89	178	-	178	125	-	125
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	742	-	742	264	-	264	2,126	-	2,126	324	-	324
9. अन्य *	25	-	25	30	-	30	30	-	30	40	-	40
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	35,040	-243	34,797	19,483	-	19,483	34,642	-	34,642	23,233	-	23,233
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	940	-243	697	410	-	410	1,633	-	1,633	518	-	518
i) फसल कार्य	163	-	163	167	-	167	478	-	478	230	-	230
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	295	-	295	-	-	-	243	-	243	1	-	1
iii) पशु पालन	11	-	11	29	-	29	29	-	29	52	-	52
iv) डेरी विकास	-	-	-	4	-	4	4	-	4	-	-	-
v) मत्स्य पालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) वानिकी और वन्यजीवन	260	-	260	-	-	-	559	-	559	105	-	105
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	-243	-243	20	-	20	130	-	130	38	-	38
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	211	-	211	179	-	179	179	-	179	92	-	92
xi) अन्य @	-	-	-	11	-	11	11	-	11	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	275	-	275	194	-	194	211	-	211	250	-	250
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	5,403	-	5,403	877	-	877	7,133	-	7,133	879	-	879
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,261	-	1,261	3,006	-	3,006	3,357	-	3,357	2,911	-	2,911
5. ऊर्जा	12,261	-	12,261	4,310	-	4,310	8,842	-	8,842	4,950	-	4,950
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	436	-	436	215	-	215	635	-	635	235	-	235
i) ग्राम और लघु उद्योग	436	-	436	215	-	215	635	-	635	235	-	235
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	13,986	-	13,986	10,471	-	10,471	12,536	-	12,536	13,490	-	13,490
i) सड़क और पुल	13,790	-	13,790	10,255	-	10,255	12,332	-	12,332	13,384	-	13,384
ii) अन्य **	196	-	196	216	-	216	204	-	204	106	-	106
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	478	—	478	—	—	—	295	—	295	—	—	—
i) पर्यटन	478	—	478	—	—	—	295	—	295	—	—	—
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	1,346	—	1,346	1,629	—	1,629	1,810	—	1,810	1,463	—	1,463
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	14,308	14,308	—	11,003	11,003	—	9,686	9,686	—	16,175	16,175
1. बाजार से ऋण	—	1,500	1,500	—	1,650	1,650	—	1,878	1,878	—	2,271	2,271
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	730	730	—	1,533	1,533	—	1,609	1,609	—	1,967	1,967
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	4,874	4,874	—	672	672	—	672	672	—	714	714
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	138	138	—	138	138	—	187	187	—	187	187
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	6,324	6,324	—	6,000	6,000	—	3,000	3,000	—	6,670	6,670
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	47	47	—	112	112	—	112	112	—	164	164
8. अन्य	—	695	695	—	898	898	—	2,228	2,228	—	4,202	4,202
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	1,867	1,867	—	1,908	1,908	—	1,908	1,908	—	1,823	1,823
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	1,488	1,488	—	1,539	1,539	—	1,539	1,539	—	1,501	1,501
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	121	121	—	108	108	—	108	108	—	128	128
4. योजनेतर (i से ii)	—	168	168	—	168	168	—	168	168	—	93	93
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	168	168	—	168	168	—	168	168	—	93	93
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	90	90	—	93	93	—	93	93	—	101	101
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	246	3,163	3,409	—	3,769	3,769	—	525	525	—	1,051	1,051
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	246	3,153	3,399	—	3,254	3,254	—	—	—	—	536	536
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	3,148	3,148	—	3,254	3,254	—	—	—	—	536	536
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	3,148	3,148	—	3,254	3,254	—	—	—	—	536	536
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	246	5	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	246	—	246	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	10	10	-	515	515	-	525	525	-	515	515
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	10	10	-	515	515	-	525	525	-	515	515
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	9,018	9,018	-	7,200	7,200	-	7,200	7,200	-	8,000	8,000
1. राज्य भविष्य निधि	-	8,770	8,770	-	7,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,750	7,750
2. अन्य	-	248	248	-	200	200	-	200	200	-	250	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	1,827	1,827	-	1,258	1,258	-	1,750	1,750	-	2,450	2,450
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	600	600	-	700	700	-	700	700	-	1,400	1,400
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,227	1,227	-	558	558	-	1,050	1,050	-	1,050	1,050
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	29,776	29,776	-	1,710	1,710	-	29,552	29,552	-	1,710	1,710
1. सिविल जमा	-	28,645	28,645	-	1,700	1,700	-	29,052	29,052	-	1,700	1,700
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,131	1,131	-	10	10	-	500	500	-	10	10
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	247,138	247,138	-	1,400	1,400	-	619,881	619,881	-	1,400	1,400
1. उचित	-	-4,084	-4,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	250,245	250,245	-	-	-	-	18,550	18,550	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-
4. अन्य	-	977	977	-	1,400	1,400	-	1,331	1,331	-	1,400	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	84,757	84,757	-	-	-	-	39,346	39,346	-	-	-
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-5,716			-541			-18,084			-7,954
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			6,564			13,680			17,637			16,285
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			848			13,139			-447			8,331
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			3,257			13,139			203			8,331
क) अथ शेष			-13,877			-15,675			-10,621			-10,417
ख) इति शेष			-10,621			-2,536			-10,417			-2,086
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-2,409			-			-650			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
नगालैंड

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	50,474	485,353	535,828	69,146	95,968	165,114	78,817	169,092	247,909	83,660	195,373	279,033
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	50,474	24,352	74,826	69,146	24,278	93,424	78,817	17,467	96,284	83,660	20,273	103,933
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	50,439	1,347	51,786	68,596	389	68,985	78,267	1,582	79,848	82,878	881	83,759
1. विकासात्मक (क + ख)	44,256	1,347	45,603	58,311	389	58,700	71,574	1,582	73,156	61,182	881	62,064
(क) समाज सेवा (1 से 9)	15,508	-	15,508	22,209	-	22,209	27,649	-	27,649	21,484	-	21,484
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,897	-	1,897	5,446	-	5,446	5,391	-	5,391	4,014	-	4,014
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,163	-	1,163	2,121	-	2,121	2,354	-	2,354	3,873	-	3,873
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,738	-	5,738	4,584	-	4,584	4,495	-	4,495	1,313	-	1,313
5. आवास निर्माण	2,976	-	2,976	3,760	-	3,760	5,052	-	5,052	4,707	-	4,707
6. शहरी विकास	2,566	-	2,566	4,971	-	4,971	7,171	-	7,171	5,738	-	5,738
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	731	-	731	968	-	968	2,868	-	2,868	1,398	-	1,398
9. अन्य *	438	-	438	360	-	360	318	-	318	443	-	443
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	28,747	1,347	30,094	36,102	389	36,491	43,925	1,582	45,507	39,698	881	40,579
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,837	1,308	4,146	3,361	9	3,371	3,346	1,202	4,548	3,598	501	4,099
i) फसल कार्य	660	-	660	812	-	812	592	-	592	1,296	-	1,296
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	24	-	24	20	-	20	20	-	20	20	-	20
iii) पशु पालन	102	-	102	350	-	350	370	-	370	353	-	353
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	183	-	183	193	-	193	293	-	293	184	-	184
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,172	-	1,172	1,315	-	1,315	1,400	-	1,400	707	-	707
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	234	8	242	195	9	204	195	502	696	219	1	220
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	462	1,300	1,762	477	-	477	477	700	1,177	819	500	1,319
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	5,759	-	5,759	9,027	-	9,027	11,946	-	11,946	9,537	-	9,537
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	82	-	82	105	-	105	105	-	105	6	-	6
5. ऊर्जा	7,620	-	7,620	9,256	-	9,256	9,286	-	9,286	12,466	-	12,466
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	3,335	-	3,335	2,687	-	2,687	2,780	-	2,780	2,608	-	2,608
i) ग्राम और लघु उद्योग	35	-	35	60	-	60	60	-	60	64	-	64
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1,422	-	1,422	615	-	615	615	-	615	558	-	558
iv) अन्य #	1,878	-	1,878	2,012	-	2,012	2,105	-	2,105	1,986	-	1,986
7. परिवहन (i + ii)	8,597	39	8,636	10,513	380	10,893	15,310	380	15,690	10,937	380	11,317
i) सड़क और पुल	8,025	39	8,064	9,938	380	10,318	14,569	380	14,949	10,044	380	10,424
ii) अन्य **	572	-	572	575	-	575	741	-	741	893	-	893
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
नगालैंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	50	—	50	50	—	50	50	—	50	100	—	100
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	417	—	417	1,103	—	1,103	1,103	—	1,103	447	—	447
i) पर्यटन	328	—	328	1,008	—	1,008	1,008	—	1,008	395	—	395
ii) अन्य @@	89	—	89	95	—	95	95	—	95	52	—	52
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	6,184	—	6,184	10,285	—	10,285	6,692	—	6,692	21,695	—	21,695
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	27,784	27,784	—	46,876	46,876	—	48,873	48,873	—	67,365	67,365
1. बाजार से ऋण	—	3,965	3,965	—	4,757	4,757	—	4,757	4,757	—	7,927	7,927
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	435	435	—	550	550	—	654	654	—	826	826
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	647	647	—	881	881	—	902	902	—	1,134	1,134
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	520	520	—	443	443	—	1,201	1,201	—	77	77
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	16,631	16,631	—	35,000	35,000	—	35,000	35,000	—	50,000	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	918	918	—	11	11	—	961	961	—	1,011	1,011
8. अन्य	—	4,669	4,669	—	5,235	5,235	—	5,399	5,399	—	6,392	6,392
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	11,825	11,825	—	11,972	11,972	—	1,973	1,973	—	1,986	1,986
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	1,449	1,449	—	1,783	1,783	—	1,783	1,783	—	1,693	1,693
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	33	33	—	5	5	—	5	5	—	7	7
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	113	113	—	67	67	—	67	67	—	178	178
4. योजनेतर (i से ii)	—	88	88	—	12	12	—	12	12	—	12	12
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	88	88	—	12	12	—	12	12	—	12	12
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	49	49	—	60	60	—	60	60	—	51	51
7. अन्य	—	92	92	—	44	44	—	44	44	—	44	44
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	35	26	61	550	40	590	550	40	590	782	40	822
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	35	8	43	550	22	572	550	22	572	782	22	804
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	8	8	—	22	22	—	22	22	—	22	22
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	8	8	—	22	22	—	22	22	—	22	22
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	35	—	35	550	—	550	550	—	550	782	—	782
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	35	—	35	550	—	550	550	—	550	782	—	782
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
नगालैंड

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	19	19	-	19	19	-	19	19	-	19	19
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	19	19	-	19	19	-	19	19	-	19	19
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	13,175	13,175	-	9,000	9,000	-	11,800	11,800	-	12,290	12,290
1. राज्य भविष्य निधि	-	12,899	12,899	-	8,730	8,730	-	11,520	11,520	-	12,000	12,000
2. अन्य	-	276	276	-	270	270	-	280	280	-	290	290
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	781	781	-	180	180	-	300	300	-	300	300
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	781	781	-	180	180	-	300	300	-	300	300
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	11,482	11,482	-	3,260	3,260	-	4,000	4,000	-	12,000	12,000
1. सिविल जमा	-	10,274	10,274	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	11,000	11,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,209	1,209	-	260	260	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	340,196	340,196	-	10,240	10,240	-	20,515	20,515	-	20,500	20,500
1. उच्च	-	-529	-529	-	1,490	1,490	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	320,071	320,071	-	6,500	6,500	-	6,500	6,500	-	6,500	6,500
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	1,500	1,500	-	15	15	-	-	-
4. अन्य	-	20,654	20,654	-	750	750	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	78,736	78,736	-	14,010	14,010	-	80,010	80,010	-	80,010	80,010
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-30,805			-41,263			-43,037			-69,647
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			20,667			52,642			40,671			60,546
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-10,139			11,380			-2,366			-9,101
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			723			9,880			-2,381			-9,101
क) अथ शेष			-33,940			-26,349			-21,701			-24,082
ख) इति शेष			-33,217			-16,469			-24,082			-33,183
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-			1,500			15			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-10,862			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	98,094	4,136,041	4,234,134	128,301	1,402,933	1,531,234	159,593	1,262,903	1,422,496	188,508	2,043,791	2,232,300
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	98,094	116,191	214,285	128,301	183,070	311,371	159,593	192,510	352,103	188,508	320,507	509,015
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	96,313	7,494	103,806	123,211	11,711	134,922	150,808	11,711	162,520	172,189	19,188	191,377
1. विकासात्मक (क + ख)	95,284	3,254	98,539	120,699	3,850	124,549	148,964	4,780	153,744	168,540	11,319	179,859
(क) समाज सेवा (1 से 9)	11,514	397	11,910	27,238	1,533	28,771	32,056	1,529	33,585	47,169	1,594	48,763
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	228	—	228	696	—	696	747	—	747	680	—	680
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,638	—	1,638	1,789	—	1,789	2,905	—	2,905	1,277	—	1,277
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,017	—	7,017	19,201	500	19,701	23,233	650	23,883	33,330	700	34,030
5. आवास निर्माण	1,338	397	1,735	1,287	1,033	2,320	886	879	1,765	3,846	894	4,740
6. शहरी विकास	155	—	155	712	—	712	525	—	525	1,419	—	1,419
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,137	—	1,137	3,553	—	3,553	3,760	—	3,760	6,618	—	6,618
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. अन्य *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	83,771	2,858	86,629	93,461	2,317	95,778	116,908	3,251	120,159	121,371	9,725	131,096
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	3,053	2,437	5,490	3,518	—	3,518	3,055	—	3,055	3,044	—	3,044
i) फसल कार्य	-1	—	-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	21	—	21	486	—	486	301	—	301	359	—	359
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,613	2,437	4,050	1,960	—	1,960	1,687	—	1,687	1,685	—	1,685
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	1,419	—	1,419	1,072	—	1,072	1,067	—	1,067	1,000	—	1,000
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	48,402	—	48,402	53,621	—	53,621	73,909	—	73,909	72,904	—	72,904
5. ऊर्जा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	10	-356	-346	30	—	30	30	—	30	55	—	55
i) ग्राम और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	10	—	10	30	—	30	30	—	30	30	—	30
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	-356	-356	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	25
7. परिवहन (i + ii)	31,131	759	31,890	35,438	2,297	37,735	38,641	3,231	41,872	44,262	9,705	53,967
i) सड़क और पुल	31,019	759	31,778	35,091	2,297	37,388	38,327	3,231	41,558	41,216	9,705	50,921
ii) अन्य **	111	—	111	347	—	347	314	—	314	3,046	—	3,046
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,175	18	1,193	854	20	874	1,272	20	1,292	1,106	20	1,126
i) पर्यटन	575	—	575	854	—	854	1,272	—	1,272	1,106	—	1,106
ii) अन्य @@	600	18	618	—	20	20	—	20	20	—	20	20
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	1,028	4,239	5,267	2,512	7,861	10,373	1,845	6,931	8,776	3,649	7,869	11,518
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	51,516	51,516	—	179,981	179,981	—	122,859	122,859	—	233,765	233,765
1. बाजार से ऋण	—	40,299	40,299	—	39,348	39,348	—	70,168	70,168	—	141,768	141,768
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	331	331	—	314	314	—	314	314	—	304	304
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	831	831	—	1,972	1,972	—	4,384	4,384	—	5,392	5,392
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	431	431	—	275	275	—	332	332	—	75	75
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	50,000	50,000	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	2,938	2,938	—	75,368	75,368	—	34,937	34,937	—	67,418	67,418
8. अन्य	—	6,687	6,687	—	12,704	12,704	—	12,723	12,723	—	18,809	18,809
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	5,514	5,514	—	5,514	5,514	—	11,029	11,029
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	52,243	52,243	—	33,641	33,641	—	43,224	43,224	—	43,503	43,503
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	19,667	19,667	—	28,350	28,350	—	41,674	41,674	—	41,932	41,932
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	338	338	—	338	338	—	338	338	—	338	338
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	755	755	—	703	703	—	692	692	—	707	707
4. योजनेतर (i से ii)	—	18,836	18,836	—	2,744	2,744	—	358	358	—	364	364
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	18,836	18,836	—	2,744	2,744	—	358	358	—	364	364
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	9,903	9,903	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	2,744	2,744	—	1,506	1,506	—	162	162	—	162	162
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	1,781	4,939	6,720	5,090	7,737	12,827	8,784	14,715	23,500	16,319	24,052	40,371
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	1,781	1,427	3,208	5,090	1,484	6,574	8,784	1,484	10,268	16,319	1,500	17,819
(क) समाज सेवा (1 से 7)	589	1,427	2,017	1,090	1,484	2,574	1,013	1,484	2,497	12,942	1,500	14,442
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	589	—	589	1,090	—	1,090	1,013	—	1,013	12,942	—	12,942
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	1,427	1,427	—	1,484	1,484	—	1,484	1,484	—	1,500	1,500
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	1,192	—	1,192	4,000	—	4,000	7,771	—	7,771	3,377	—	3,377
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	203	—	203	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	984	—	984	4,000	—	4,000	—	—	—	3,360	—	3,360



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	6,859	-	6,859	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	6	-	6	-	-	-	911	-	911	15	-	15
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	3,511	3,511	-	6,253	6,253	-	13,231	13,231	-	22,552	22,552
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	466	466	-	753	753	-	731	731	-	552	552
ख) विविध	-	3,045	3,045	-	5,500	5,500	-	12,500	12,500	-	22,000	22,000
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	139,403	139,403	-	172,924	172,924	-	172,804	172,804	-	180,804	180,804
1. राज्य भविष्य निधि	-	139,116	139,116	-	172,504	172,504	-	172,504	172,504	-	180,504	180,504
2. अन्य	-	287	287	-	420	420	-	300	300	-	300	300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	128,446	128,446	-	126,444	126,444	-	200,941	200,941	-	68,710	68,710
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	66,001	66,001	-	78,800	78,800	-	148,800	148,800	-	30,000	30,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	62,445	62,445	-	47,644	47,644	-	52,141	52,141	-	38,710	38,710
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	224,847	224,847	-	385,690	385,690	-	209,106	209,106	-	321,018	321,018
1. सिविल जमा	-	131,544	131,544	-	162,520	162,520	-	165,344	165,344	-	160,000	160,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	38,673	38,673	-	38,502	38,502	-	38,502	38,502	-	45,000	45,000
3. सिविल अग्रिम	-	4,017	4,017	-	4,760	4,760	-	4,760	4,760	-	4,560	4,560
4. अन्य	-	50,613	50,613	-	179,908	179,908	-	500	500	-	111,458	111,458
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	3,293,983	3,293,983	-	275,048	275,048	-	277,786	277,786	-	902,736	902,736
1. उचंत	-	-20,420	-20,420	-	8,500	8,500	-	8,490	8,490	-	8,490	8,490
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	3,312,406	3,312,406	-	264,849	264,849	-	267,622	267,622	-	891,633	891,633
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,996	1,996	-	1,699	1,699	-	1,674	1,674	-	2,613	2,613
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	233,171	233,171	-	194,757	194,757	-	194,757	194,757	-	235,016	235,016
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			183,700			56,829			-62,653			-112,943
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			48,119			-47,480			74,775			104,576
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			231,819			9,349			12,122			-8,367
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			26,561			-			-			-
क) अथ शेष			-21,286			-21,653			6,528			-14,893
ख) इति शेष			5,275			-21,653			6,528			-14,893
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			205,258			9,349			12,122			-8,367
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	131,326	4,090,190	4,221,515	211,859	6,536,047	6,747,906	312,460	14,320,882	14,633,342	388,453	14,366,452	14,754,905
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	131,326	93,102	224,427	211,859	170,829	382,688	312,460	168,121	480,581	388,453	149,864	538,317
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	131,326	20,364	151,689	208,153	29,491	237,644	298,654	30,013	328,667	388,453	28,947	417,401
1. विकासात्मक (क + ख)	128,906	13,763	142,669	197,547	17,080	214,627	290,654	20,913	311,567	376,139	17,764	393,904
(क) समाज सेवा (1 से 9)	31,347	3,052	34,399	43,109	3,920	47,029	73,175	2,469	75,644	127,551	4,368	131,919
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,861	6	1,867	12,170	6	12,176	10,965	6	10,972	30,627	6	30,634
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	76	219	296	2,617	732	3,349	1,126	542	1,668	6,662	732	7,394
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	14,629	—	14,629	27,730	350	28,080	23,585	350	23,935	42,822	350	43,172
5. आवास निर्माण	3,200	22	3,222	—	—	—	14,185	20	14,205	1,016	529	1,545
6. शहरी विकास	11,113	2,750	13,863	—	2,770	2,770	22,405	1,470	23,875	40,168	2,750	42,918
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	444	—	444	444	4	448	500	—	500
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	469	55	523	136	62	198	270	72	342	75	—	75
9. अन्य *	-1	—	-1	12	—	12	194	4	198	5,680	—	5,680
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	97,559	10,711	108,270	154,438	13,160	167,598	217,479	18,444	235,923	248,589	13,396	261,985
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,017	30	1,048	4,091	101	4,192	3,041	2,811	5,852	2,639	103	2,741
i) फसल कार्य	—	49	49	—	100	100	6	100	106	500	100	600
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	836	2	837	1,033	1	1,034	1,199	2	1,201	913	2	915
iii) पशु पालन	82	—	82	1,174	—	1,174	503	—	503	970	—	970
iv) डेरी विकास	—	-29	-29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	17	—	17	510	—	510	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्यजीवन	362	—	362	40	—	40	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	9	9	1	—	1	—	2,710	2,710	—	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-280	—	-280	1,333	—	1,333	1,333	—	1,333	255	—	255
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	2,035	2,461	4,496	15,761	2,550	18,311	21,469	2,550	24,019	27,455	4,250	31,705
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	24,142	6,300	30,442	31,016	8,768	39,784	30,694	11,353	42,047	77,000	8,153	85,153
5. ऊर्जा	4,528	—	4,528	200	—	200	200	—	200	45	—	45
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	563	19	582	—	24	24	4	24	28	2,810	20	2,830
i) ग्राम और लघु उद्योग	563	19	582	—	24	24	4	24	28	2,810	20	2,830
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	35,543	1,902	37,445	41,200	1,711	42,911	39,491	1,614	41,105	114,298	869	115,167
i) सड़क और पुल	35,543	—	35,543	39,775	531	40,306	39,205	754	39,959	110,510	88	110,598
ii) अन्य **	—	1,902	1,902	1,425	1,180	2,605	286	860	1,146	3,788	781	4,569
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	901	—	901	5,632	—	5,632	3,994	—	3,994	2,576	—	2,576
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	28,829	—	28,829	56,538	6	56,544	118,587	92	118,679	21,766	1	21,767
i) पर्यटन	55	—	55	934	—	934	482	—	482	3,195	—	3,195
ii) अन्य @@	28,774	—	28,774	55,604	6	55,610	118,105	92	118,197	18,571	1	18,572
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,420	6,601	9,020	10,606	12,411	23,017	8,000	9,100	17,100	12,314	11,183	23,497
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	150,373	150,373	—	158,031	158,031	—	127,146	127,146	—	146,923	146,923
1. बाजार से ऋण	—	22,110	22,110	—	22,124	22,124	—	24,336	24,336	—	32,752	32,752
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	104	104	—	105	105	—	100	100	—	100	100
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	41,744	41,744	—	44,866	44,866	—	44,866	44,866	—	48,756	48,756
4. नाबार्ड से ऋण	—	12,654	12,654	—	32,795	32,795	—	13,465	13,465	—	14,405	14,405
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	643	643	—	—	—	—	2	2	—	1	1
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	55,247	55,247	—	100	100	—	—	—	—	100	100
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	12,739	12,739	—	39,390	39,390	—	20,210	20,210	—	27,184	27,184
8. अन्य	—	5,133	5,133	—	18,651	18,651	—	24,167	24,167	—	23,626	23,626
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	3,187	3,187	—	3,187	3,187	—	3,187	3,187
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	16,009	16,009	—	26,766	26,766	—	21,092	21,092	—	21,029	21,029
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	11,329	11,329	—	22,275	22,275	—	17,162	17,162	—	17,162	17,162
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	650	650	—	640	640	—	651	651	—	628	628
4. योजनेतर (i से ii)	—	3,343	3,343	—	3,309	3,309	—	3,278	3,278	—	3,240	3,240
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	3,343	3,343	—	3,309	3,309	—	3,278	3,278	—	3,240	3,240
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	687	687	—	542	542	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	—	3,348	3,348	3,706	1,507	5,213	13,805	34,737	48,542	—	1,820	1,820
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	—	1,997	1,997	3,706	84	3,790	13,805	33,094	46,899	—	—	—
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	1,128	1,128	3,119	—	3,119	4,293	—	4,293	—	—	—
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	1,128	1,128	3,107	—	3,107	4,281	—	4,281	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	12	—	12	12	—	12	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	—	869	869	587	84	671	9,512	33,094	42,606	—	—	—
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	8,750	—	8,750	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	289	289	—	—	—	175	—	175	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	84	84	587	84	671	587	3,094	3,681	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	30,000	30,000	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	371	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	1,351	1,351	-	1,423	1,423	-	1,643	1,643	-	1,820	1,820
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	1,351	1,351	-	1,423	1,423	-	1,643	1,643	-	1,820	1,820
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	109,384	109,384	-	110,215	110,215	-	113,968	113,968	-	96,916	96,916
1. राज्य भविष्य निधि	-	107,738	107,738	-	108,259	108,259	-	112,239	112,239	-	95,101	95,101
2. अन्य	-	1,646	1,646	-	1,956	1,956	-	1,729	1,729	-	1,815	1,815
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	2,791	2,791	-	22,968	22,968	-	473	473	-	975	975
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
2. शोधन निधि	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-	-	-	500	500
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,791	2,791	-	15,958	15,958	-	463	463	-	465	465
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	154,703	154,703	-	109,802	109,802	-	184,416	184,416	-	184,817	184,817
1. सिविल जमा	-	129,417	129,417	-	91,198	91,198	-	158,356	158,356	-	158,356	158,356
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	11	11	-	511	511	-	56	56	-	56	56
3. सिविल अग्रिम	-	4,587	4,587	-	5,739	5,739	-	3,818	3,818	-	3,918	3,918
4. अन्य	-	20,687	20,687	-	12,354	12,354	-	22,187	22,187	-	22,487	22,487
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	3,529,827	3,529,827	-	5,984,903	5,984,903	-	13,681,813	13,681,813	-	13,757,571	13,757,571
1. उच्च	-	22,299	22,299	-	66,711	66,711	-	15,368	15,368	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	2,367,872	2,367,872	-	974,143	974,143	-	3,441,439	3,441,439	-	3,531,565	3,531,565
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	4,010,891	4,010,891	-	8,898,393	8,898,393	-	8,898,693	8,898,693
4. अन्य	-	1,139,656	1,139,656	-	933,158	933,158	-	1,326,613	1,326,613	-	1,327,313	1,327,313
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	103,391	103,391	-	92,364	92,364	-	127,224	127,224	-	127,454	127,454
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			284,112			178,656			76,020			152,175
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-124,192			-140,614			-219,060			-183,948
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			159,920			38,042			-143,040			-31,773
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-21,101			38,042			-53,214			-32,043
क) अथ शेष			8,152			168,861			-12,782			-65,997
ख) इति शेष			-12,949			206,903			-65,996			-98,040
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			152,691			-			-89,826			270
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			28,330			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	463,609	8,691,907	9,155,516	512,885	5,802,614	6,315,499	545,631	8,506,666	9,052,297	558,489	6,532,134	7,090,623
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	463,609	108,506	572,115	512,885	145,724	658,609	545,631	167,445	713,076	558,489	199,109	757,598
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	423,308	6,140	429,448	495,662	6,744	502,406	514,968	14,182	529,150	525,671	5,051	530,722
1. विकासात्मक (क + ख)	414,811	3,122	417,933	489,035	4,038	493,073	506,197	3,712	509,909	520,281	3,134	523,415
(क) समाज सेवा (1 से 9)	170,758	3,108	173,866	268,317	4,036	272,353	270,634	3,707	274,341	251,733	3,133	254,866
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,242	—	4,242	7,918	—	7,918	8,205	—	8,205	7,363	—	7,363
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,564	—	6,564	5,977	—	5,977	7,947	—	7,947	5,524	—	5,524
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	—	124
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	78,821	1,952	80,773	126,705	3,000	129,705	140,263	2,562	142,825	170,386	2,400	172,786
5. आवास निर्माण	372	1,156	1,528	850	1,036	1,886	427	1,036	1,463	1,080	733	1,813
6. शहरी विकास	72,849	—	72,849	113,782	—	113,782	97,581	109	97,690	53,735	—	53,735
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,548	—	5,548	8,128	—	8,128	9,487	—	9,487	9,084	—	9,084
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	576	—	576	869	—	869	1,039	—	1,039	900	—	900
9. अन्य *	1,786	—	1,786	4,088	—	4,088	5,685	—	5,685	3,537	—	3,537
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	244,053	14	244,067	220,718	2	220,720	235,563	5	235,568	268,548	1	268,549
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	11,339	12	11,351	11,198	—	11,198	11,723	—	11,723	8,999	—	8,999
i) फसल कार्य	753	12	765	320	—	320	299	—	299	499	—	499
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,633	—	1,633	1,765	—	1,765	2,225	—	2,225	1,279	—	1,279
iii) पशु पालन	16	—	16	190	—	190	189	—	189	145	—	145
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	35	—	35	27	—	27	36	—	36	45	—	45
vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,812	—	7,812	6,500	—	6,500	6,083	—	6,083	3,305	—	3,305
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	328	—	328	233	—	233
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	246	—	246	234	—	234	275	—	275	325	—	325
x) सहकारिता	846	—	846	2,162	—	2,162	2,288	—	2,288	3,168	—	3,168
xi) अन्य @	-2	—	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	24,672	—	24,672	21,112	—	21,112	27,640	—	27,640	13,950	—	13,950
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	5,387	—	5,387	4,457	—	4,457	7,304	—	7,304	4,542	—	4,542
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	99,142	—	99,142	94,596	—	94,596	81,680	—	81,680	95,111	—	95,111
5. ऊर्जा	63,060	—	63,060	50,100	—	50,100	69,893	—	69,893	106,300	—	106,300
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,585	—	2,585	1,338	—	1,338	1,708	—	1,708	1,765	—	1,765
i) ग्राम और लघु उद्योग	141	—	141	184	—	184	148	—	148	275	—	275
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	140	—	140	501	—	501	481	—	481	497	—	497
iv) अन्य #	2,304	—	2,304	653	—	653	1,079	—	1,079	993	—	993
7. परिवहन (i + ii)	29,988	—	29,988	30,185	—	30,185	29,638	—	29,638	30,922	—	30,922
i) सड़क और पुल	29,988	—	29,988	30,185	—	30,185	29,638	—	29,638	30,922	—	30,922
ii) अन्य **	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	41	—	41	58	—	58	37	—	37	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	7,839	2	7,841	7,674	2	7,676	5,940	5	5,945	6,959	1	6,960
i) पर्यटन	3,953	—	3,953	2,789	—	2,789	1,915	—	1,915	2,076	—	2,076
ii) अन्य @@	3,886	2	3,888	4,885	2	4,887	4,025	5	4,030	4,883	1	4,884
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	8,497	3,018	11,515	6,627	2,706	9,333	8,771	10,470	19,241	5,390	1,917	7,307
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	—	62,925	62,925	—	401,552	401,552	—	114,463	114,463	—	164,642	164,642
1. बाजार से ऋण	—	39,750	39,750	—	43,371	43,371	—	43,408	43,408	—	91,277	91,277
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	652	652	—	18,525	18,525	—	18,525	18,525	—	18,518	18,518
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	623	623	—	2,565	2,565	—	2,565	2,565	—	5,790	5,790
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	1,447	1,447	—	699	699	—	666	666	—	778	778
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	300,000	300,000	—	—	—	—	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	8,527	8,527	—	19,546	19,546	—	19,546	19,546	—	32,738	32,738
8. अन्य	—	11,926	11,926	—	16,846	16,846	—	29,753	29,753	—	5,541	5,541
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	1,844	1,844	—	14,751	14,751	—	1,844	1,844
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	—	36,324	36,324	—	36,517	36,517	—	37,259	37,259	—	38,322	38,322
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	34,505	34,505	—	34,651	34,651	—	35,420	35,420	—	36,420	36,420
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	3	3
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	1,182	1,182	—	1,207	1,207	—	1,202	1,202	—	1,267	1,267
4. योजनेतर (i से ii)	—	633	633	—	655	655	—	633	633	—	632	632
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	633	633	—	655	655	—	633	633	—	632	632
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	40,301	3,117	43,418	17,223	911	18,134	30,663	1,541	32,204	32,818	1,094	33,912
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	40,301	3,114	43,415	17,223	911	18,134	30,663	1,540	32,203	32,818	1,094	33,912
(क) समाज सेवा (1 से 7)	40	856	896	40	750	790	25	1,200	1,225	30	1,000	1,030
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	40	856	896	40	750	790	25	1,200	1,225	30	1,000	1,030
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	40,261	2,258	42,519	17,183	161	17,344	30,638	340	30,978	32,788	94	32,882
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	1,094	—	1,094	778	—	778
4. सहकारिता	4,119	319	4,438	2,183	161	2,344	2,044	162	2,206	3,210	94	3,304
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	36,142	—	36,142	15,000	—	15,000	27,500	—	27,500	28,800	—	28,800



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग		927	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	1,012	1,012	-	-	-	-	178	178	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	109,356	109,356	-	146,781	146,781	-	129,078	129,078	-	143,003	143,003
1. राज्य भविष्य निधि	-	76,558	76,558	-	108,473	108,473	-	92,504	92,504	-	101,129	101,129
2. अन्य	-	32,798	32,798	-	38,308	38,308	-	36,574	36,574	-	41,874	41,874
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	62,603	62,603	-	113,466	113,466	-	138,582	138,582	-	158,114	158,114
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	62,603	62,603	-	113,466	113,466	-	138,582	138,582	-	108,014	108,014
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	4,252,245	4,252,245	-	4,267,994	4,267,994	-	4,723,722	4,723,722	-	5,169,338	5,169,338
1. सिविल जमा	-	408,827	408,827	-	423,786	423,786	-	438,825	438,825	-	452,526	452,526
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	3,690,482	3,690,482	-	3,560,966	3,560,966	-	4,088,172	4,088,172	-	4,392,371	4,392,371
3. सिविल अग्रिम	-	3,748	3,748	-	6,002	6,002	-	5,008	5,008	-	5,008	5,008
4. अन्य	-	149,188	149,188	-	277,240	277,240	-	191,717	191,717	-	319,433	319,433
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	3,843,889	3,843,889	-	507,244	507,244	-	3,018,434	3,018,434	-	507,165	507,165
1. उचंत	-	5,616	5,616	-	6,161	6,161	-	6,172	6,172	-	6,162	6,162
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	3,836,617	3,836,617	-	500,000	500,000	-	3,011,329	3,011,329	-	500,000	500,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,656	1,656	-	1,083	1,083	-	933	933	-	1,003	1,003
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	315,308	315,308	-	321,405	321,405	-	329,405	329,405	-	345,405	345,405
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			174,090			10,384			-46,770			14,420
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-66,002			-4,300			9,646			21,476
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			108,088			6,084			-37,124			35,896
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			20,573			6,084			2,876			35,896
क) अथ शेष			-42,203			-42,312			-21,630			-18,754
ख) इति शेष			-21,630			-36,228			-18,754			17,142
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			87,515			-			-40,000			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सिक्किम

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	34,574	210,402	244,976	51,837	173,804	225,641	65,096	213,831	278,927	63,250	220,437	283,687
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	34,574	3,240	37,814	51,837	3,975	55,812	65,096	3,975	69,071	63,250	5,378	68,628
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	34,574	-	34,574	51,837	-	51,837	65,096	-	65,096	63,250	-	63,250
1. विकासात्मक (क + ख)	32,837	-	32,837	50,084	-	50,084	62,871	-	62,871	60,312	-	60,312
(क) समाज सेवा (1 से 9)	10,896	-	10,896	17,711	-	17,711	20,407	-	20,407	19,249	-	19,249
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,495	-	2,495	3,689	-	3,689	4,374	-	4,374	2,548	-	2,548
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	794	-	794	333	-	333	268	-	268	685	-	685
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,190	-	5,190	8,555	-	8,555	10,227	-	10,227	9,100	-	9,100
5. आवास निर्माण	2,134	-	2,134	2,665	-	2,665	2,820	-	2,820	4,349	-	4,349
6. शहरी विकास	270	-	270	1,886	-	1,886	2,055	-	2,055	2,015	-	2,015
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13	-	13	213	-	213	288	-	288	125	-	125
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-	-	-	370	-	370	375	-	375	427	-	427
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	21,940	-	21,940	32,373	-	32,373	42,464	-	42,464	41,063	-	41,063
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	512	-	512	491	-	491	729	-	729	674	-	674
i) फसल कार्य	96	-	96	161	-	161	111	-	111	265	-	265
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशु पालन	97	-	97	64	-	64	72	-	72	82	-	82
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	20	-	20	24	-	24	24	-	24	95	-	95
vi) वानिकी और वन्यजीवन	250	-	250	200	-	200	245	-	245	185	-	185
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	28	-	28	20	-	20	35	-	35	36	-	36
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	21	-	21	22	-	22	62	-	62	1	-	1
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	180	-	180	10	-	10
2. ग्रामीण विकास	651	-	651	1,932	-	1,932	2,512	-	2,512	5,283	-	5,283
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	2,483	-	2,483	1,922	-	1,922	2,922	-	2,922	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	195	-	195	207	-	207	612	-	612	660	-	660
5. ऊर्जा	8,802	-	8,802	9,285	-	9,285	17,264	-	17,264	14,335	-	14,335
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	791	-	791	610	-	610	381	-	381	86	-	86
i) ग्राम और लघु उद्योग	355	-	355	500	-	500	240	-	240	75	-	75
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4	-	4	10	-	10	10	-	10	-	-	-
iv) अन्य #	432	-	432	100	-	100	131	-	131	11	-	11
7. परिवहन (i + ii)	7,147	-	7,147	14,116	-	14,116	14,734	-	14,734	16,222	-	16,222
i) सड़क और पुल	7,035	-	7,035	11,049	-	11,049	11,667	-	11,667	13,079	-	13,079
ii) अन्य **	112	-	112	3,067	-	3,067	3,067	-	3,067	3,143	-	3,143
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	45	—	45	45	—	45	87	—	87
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,359	—	1,359	3,765	—	3,765	3,265	—	3,265	3,716	—	3,716
i) पर्यटन	1,359	—	1,359	3,765	—	3,765	3,265	—	3,265	3,716	—	3,716
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	1,737	—	1,737	1,753	—	1,753	2,225	—	2,225	2,938	—	2,938
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	2,094	2,094	—	2,713	2,713	—	2,713	2,713	—	3,976	3,976
1. बाजार से ऋण	—	1,565	1,565	—	1,721	1,721	—	1,721	1,721	—	2,565	2,565
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	275	275	—	379	379	—	379	379	—	404	404
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	81	81	—	81	81	—	178	178
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	59	59	—	98	98	—	98	98	—	156	156
8. अन्य	—	195	195	—	434	434	—	434	434	—	673	673
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	239	239	—	239	239	—	478	478
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	1,146	1,146	—	1,242	1,242	—	1,242	1,242	—	1,377	1,377
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	980	980	—	1,081	1,081	—	1,081	1,081	—	1,187	1,187
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	105	105	—	97	97	—	97	97	—	98	98
4. योजनेतर (i से ii)	—	6	6	—	9	9	—	9	9	—	28	28
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	6	6	—	9	9	—	9	9	—	28	28
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
7. अन्य	—	55	55	—	55	55	—	55	55	—	55	55
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	—	—	—	—	20	20	—	20	20	—	25	25
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	15	15
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	15	15
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	15	15
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	10	10	-	-	-	-	57	57	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	6,082	6,082	-	4,641	4,641	-	6,060	6,060	-	6,660	6,660
1. राज्य भविष्य निधि	-	6,022	6,022	-	4,600	4,600	-	6,000	6,000	-	6,600	6,600
2. अन्य	-	60	60	-	41	41	-	60	60	-	60	60
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	2,567	2,567	-	3,505	3,505	-	4,255	4,255	-	4,230	4,230
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	1,100	1,100	-	1,173	1,173	-	1,173	1,173	-	1,173	1,173
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,467	1,467	-	2,332	2,332	-	3,082	3,082	-	3,057	3,057
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	2,515	2,515	-	2,121	2,121	-	2,121	2,121	-	2,823	2,823
1. सिविल जमा	-	2,515	2,515	-	2,121	2,121	-	2,121	2,121	-	2,823	2,823
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	146,627	146,627	-	110,404	110,404	-	148,205	148,205	-	157,617	157,617
1. उचित	-	-290	-290	-	236	236	-	236	236	-	232	232
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	58,376	58,376	-	30,000	30,000	-	67,800	67,800	-	67,800	67,800
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	88,541	88,541	-	80,168	80,168	-	80,169	80,169	-	89,585	89,585
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	49,361	49,361	-	49,158	49,158	-	49,158	49,158	-	43,729	43,729
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-25,928			-31,131			-45,030			-38,039
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			19,675			24,768			44,897			38,435
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-6,253			-6,363			-133			396
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			8,935			-6,363			-133			396
क) अथ शेष			8,158			-5,636			17,093			16,960
ख) इति शेष			17,093			-11,999			16,960			17,356
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-15,188			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	436,930	13,139,363	13,576,293	572,435	7,440,229	8,012,664	654,058	13,148,293	13,802,351	787,044	9,330,563	10,117,607
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	436,930	236,621	673,551	572,435	442,898	1,015,333	654,058	600,435	1,254,493	787,044	349,053	1,136,097
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	407,209	-1,753	405,456	556,061	87,103	643,164	626,930	11,841	638,771	768,791	17,346	786,137
1. विकासात्मक (क + ख)	392,705	189	392,894	547,423	75,284	622,707	616,912	—	616,912	749,457	305	749,762
(क) समाज सेवा (1 से 9)	112,591	-467	112,124	124,240	311	124,551	123,103	315	123,418	158,104	266	158,370
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	26,095	-44	26,051	17,608	—	17,608	17,400	—	17,400	19,061	—	19,061
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	24,498	—	24,498	18,206	—	18,206	10,123	—	10,123	17,237	—	17,237
3. परिवार कल्याण	126	—	126	4,062	—	4,062	3,079	—	3,079	1,709	—	1,709
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	38,701	—	38,701	52,334	—	52,334	48,601	—	48,601	48,254	—	48,254
5. आवास निर्माण	2,670	—	2,670	9,421	—	9,421	12,191	—	12,191	26,458	—	26,458
6. शहरी विकास	9,037	-794	8,243	14,643	—	14,643	18,148	—	18,148	38,058	—	38,058
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,804	55	10,859	7,584	—	7,584	12,447	—	12,447	6,571	—	6,571
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	143	—	143	154	—	154	145	—	145	203	—	203
9. अन्य *	517	316	833	228	311	539	969	315	1,284	553	266	819
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	280,114	656	280,770	423,183	74,973	498,156	493,809	-315	493,494	591,353	39	591,392
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	18,117	-268	17,849	22,485	74,765	97,250	149,631	-529	149,102	152,268	-220	152,048
i) फसल कार्य	45	—	45	134	—	134	184	—	184	15	15	30
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,034	—	1,034	2,431	—	2,431	3,349	—	3,349	4,008	—	4,008
iii) पशु पालन	1,287	—	1,287	4,741	—	4,741	4,773	—	4,773	314	—	314
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्य पालन	378	—	378	523	—	523	663	—	663	1,486	—	1,486
vi) वानिकी और वन्यजीवन	9,535	—	9,535	13,333	—	13,333	13,551	—	13,551	12,775	—	12,775
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	36	—	36	36	—	36	193	—	193
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	184	—	184	203	—	203	203	—	203	205	—	205
x) सहकारिता	5,654	-268	5,386	634	74,765	75,399	126,422	-529	125,893	132,530	-235	132,295
xi) अन्य @	—	—	—	450	—	450	450	—	450	742	—	742
2. ग्रामीण विकास	60,996	—	60,996	84,167	—	84,167	93,250	—	93,250	83,646	—	83,646
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	2,254	—	2,254	3,334	—	3,334	3,294	—	3,294	3,207	—	3,207
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	26,505	—	26,505	52,271	—	52,271	41,760	—	41,760	57,261	—	57,261
5. ऊर्जा	2,500	—	2,500	2,500	—	2,500	17,500	—	17,500	10,000	—	10,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-686	900	214	164	—	164	164	—	164	175	50	225
i) ग्राम और लघु उद्योग	14	900	914	49	—	49	49	—	49	68	50	118
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	-700	—	-700	115	—	115	115	—	115	107	—	107
7. परिवहन (i + ii)	163,513	24	163,537	256,837	208	257,045	185,947	211	186,158	282,844	209	283,053
i) सड़क और पुल	162,413	24	162,437	245,887	208	246,095	168,347	211	168,558	271,551	209	271,760
ii) अन्य **	1,100	—	1,100	10,950	—	10,950	17,600	—	17,600	11,293	—	11,293
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	20	—	20	196	—	196	654	—	654
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	6,915	—	6,915	1,405	—	1,405	2,067	3	2,070	1,298	—	1,298
i) पर्यटन	815	—	815	1,405	—	1,405	2,067	—	2,067	1,298	—	1,298
ii) अन्य @@	6,100	—	6,100	—	—	—	—	3	3	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	14,504	-1,942	12,562	8,638	11,819	20,457	10,018	11,841	21,859	19,334	17,041	36,375
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	—	241,959	241,959	—	338,942	338,942	—	514,199	514,199	—	359,967	359,967
1. बाजार से ऋण	—	40,495	40,495	—	44,469	44,469	—	44,568	44,568	—	81,434	81,434
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	6,778	6,778	—	7,223	7,223	—	7,223	7,223	—	7,550	7,550
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	1,371	1,371	—	1,478	1,478	—	1,478	1,478	—	1,593	1,593
4. नाबार्ड से ऋण	—	742	742	—	49,444	49,444	—	56,682	56,682	—	68,659	68,659
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	2,110	2,110	—	1,518	1,518	—	1,677	1,677	—	1,428	1,428
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	106,657	106,657	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000	—	150,000	150,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	5,068	5,068	—	11,503	11,503	—	11,503	11,503	—	18,942	18,942
8. अन्य	—	78,738	78,738	—	123,307	123,307	—	291,068	291,068	—	30,361	30,361
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	28,311	28,311	—	196,214	196,214	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	—	30,211	30,211	—	30,550	30,550	—	30,532	30,532	—	31,712	31,712
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	28,889	28,889	—	29,213	29,213	—	29,194	29,194	—	30,340	30,340
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	65	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	124	124	—	124	124	—	124	124	—	123	123
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	646	646	—	661	661	—	661	661	—	711	711
4. योजनेतर (i से ii)	—	552	552	—	552	552	—	553	553	—	538	538
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	552	552	—	552	552	—	553	553	—	538	538
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	29,721	74,231	103,952	16,374	87,782	104,156	27,128	145,341	172,469	18,253	91,622	109,875
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	29,475	72,960	102,435	16,114	85,952	102,066	27,018	143,551	170,569	18,093	89,933	108,026
(क) समाज सेवा (1 से 7)	15,964	19,211	35,175	3,217	16,310	19,527	11,846	22,314	34,160	10,000	16,233	26,233
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	250	250	—	—	—	—	250	250	—	250	250
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	11,775	15,782	27,557	—	5,460	5,460	1,129	11,214	12,343	—	5,133	5,133
5. आवास निर्माण	—	650	650	—	650	650	—	650	650	—	650	650
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	4,189	—	4,189	—	10,200	10,200	—	10,200	10,200	—	10,200	10,200
7. अन्य	—	2,529	2,529	3,217	—	3,217	10,717	—	10,717	10,000	—	10,000
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	13,511	53,749	67,260	12,897	69,642	82,539	15,172	121,237	136,409	8,093	73,700	81,793
1. फसल कार्य	—	1,634	1,634	—	—	—	—	255	255	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	30,000	30,000	—	30,000	30,000	—	60,000	60,000	—	60,000	60,000
4. सहकारिता	2,924	6,057	8,981	168	27,000	27,168	168	37,000	37,168	220	—	220
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	2,358	—	2,358	2,000	4,599	6,599	—	4,599	4,599	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	219	3,521	3,740	25	—	25	—	16	16	—	—	—
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	9,719	9,719	—	8,016	8,016	—	16,976	16,976	—	11,200	11,200
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	8,010	2,818	10,828	10,704	27	10,731	15,004	2,391	17,395	7,873	2,500	10,373
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	246	1,271	1,517	260	1,830	2,090	110	1,790	1,900	160	1,689	1,849
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	210	1,271	1,481	200	1,829	2,029	50	1,789	1,839	100	1,689	1,789
ख) विविध	36	—	36	60	1	61	60	1	61	60	—	60
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	1,637	1,637	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	261,556	261,556	—	285,462	285,462	—	292,198	292,198	—	311,054	311,054
1. राज्य भविष्य निधि	—	257,195	257,195	—	279,999	279,999	—	289,125	289,125	—	307,839	307,839
2. अन्य	—	4,361	4,361	—	5,463	5,463	—	3,073	3,073	—	3,215	3,215
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	638,386	638,386	—	462,863	462,863	—	233,637	233,637	—	184,586	184,586
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	300,514	300,514	—	244,981	244,981	—	90,894	90,894	—	49,141	49,141
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	337,872	337,872	—	217,882	217,882	—	142,743	142,743	—	135,445	135,445
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	892,112	892,112	—	933,926	933,926	—	987,329	987,329	—	983,591	983,591
1. सिविल जमा	—	607,879	607,879	—	615,139	615,139	—	721,335	721,335	—	720,325	720,325
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	149,956	149,956	—	158,501	158,501	—	153,106	153,106	—	153,106	153,106
3. सिविल अग्रिम	—	6,803	6,803	—	5,757	5,757	—	6,862	6,862	—	6,872	6,872
4. अन्य	—	127,474	127,474	—	154,529	154,529	—	106,026	106,026	—	103,288	103,288
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	10,802,096	10,802,096	—	5,023,034	5,023,034	—	10,724,970	10,724,970	—	7,142,298	7,142,298
1. उचित	—	234,085	234,085	—	163,027	163,027	—	252,547	252,547	—	252,222	252,222
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	8,979,226	8,979,226	—	3,500,000	3,500,000	—	8,293,032	8,293,032	—	4,699,007	4,699,007
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,588,785	1,588,785	—	1,360,007	1,360,007	—	2,179,391	2,179,391	—	2,191,069	2,191,069
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	198,928	198,928	—	190,567	190,567	—	208,246	208,246	—	208,387	208,387
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			456,282			113,536			-107,124			5,797
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			195,131			-112,923			-24,661			-10,138
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			651,413			613			-131,785			-4,341
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-23,361			613			-2,335			-4,341
क) अथ शेष			29,661			-1,018			6,301			3,965
ख) इति शेष			6,300			-405			3,966			-376
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			635,629			—			-129,450			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			39,145			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	61,842	994,810	1,056,652	97,840	637,672	735,512	93,852	1,449,299	1,543,151	123,363	958,097	1,081,460
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	61,842	29,139	90,981	97,840	40,088	137,928	93,852	16,900	110,752	123,363	18,945	142,308
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	61,840	12,577	74,417	97,838	6,722	104,560	93,848	7,973	101,821	123,349	7,852	131,201
1. विकासात्मक (क + ख)	54,294	11,830	66,124	67,995	4,080	72,075	81,749	5,157	86,906	77,928	4,768	82,696
(क) समाज सेवा (1 से 9)	24,756	95	24,851	25,955	330	26,285	37,115	224	37,339	35,811	387	36,198
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,312	3	4,315	3,162	5	3,167	9,855	5	9,860	6,605	9	6,614
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,521	92	5,613	8,744	325	9,069	11,265	219	11,484	11,431	378	11,809
3. परिवार कल्याण	—	—	—	200	—	200	200	—	200	200	—	200
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,519	—	8,519	7,457	—	7,457	9,851	—	9,851	11,012	—	11,012
5. आवास निर्माण	2,572	—	2,572	3,053	—	3,053	3,000	—	3,000	4,000	—	4,000
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,306	—	3,306	2,226	—	2,226	1,780	—	1,780	1,804	—	1,804
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	526	—	526	993	—	993	636	—	636	441	—	441
9. अन्य *	—	—	—	120	—	120	528	—	528	319	—	319
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	29,538	11,735	41,273	42,040	3,750	45,790	44,634	4,933	49,567	42,116	4,381	46,497
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,406	-151	3,255	3,278	500	3,778	3,576	863	4,439	3,416	500	3,916
i) फसल कार्य	720	-201	519	789	—	789	513	—	513	624	—	624
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	320	—	320	380	—	380	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	848	—	848	1,084	—	1,084	1,092	—	1,092	777	—	777
iv) डेरी विकास	—	—	—	142	—	142	—	—	—	95	—	95
v) मत्स्य पालन	265	—	265	112	—	112	122	—	122	2	—	2
vi) वानिकी और वन्यजीवन	117	50	167	152	500	652	1,041	863	1,904	758	500	1,258
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	332	—	332	47	—	47	111	—	111	112	—	112
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	300
x) सहकारिता	354	—	354	252	—	252	397	—	397	373	—	373
xi) अन्य @	449	—	449	320	—	320	300	—	300	375	—	375
2. ग्रामीण विकास	745	—	745	1,819	—	1,819	621	570	1,191	383	1	384
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	3,760	—	3,760	5,058	—	5,058	3,229	—	3,229	4,219	—	4,219
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	4,020	—	4,020	6,523	—	6,523	9,267	—	9,267	7,316	—	7,316
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,516	10,425	12,941	9,901	2,000	11,901	7,560	2,200	9,760	9,028	2,400	11,428
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,052	—	1,052	1,086	—	1,086	1,086	—	1,086	1,122	—	1,122
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	1,052	—	1,052	1,086	—	1,086	1,086	—	1,086	1,122	—	1,122
7. परिवहन (i + ii)	13,468	1,461	14,929	13,814	1,250	15,064	18,034	1,300	19,334	15,676	1,380	17,056
i) सड़क और पुल	13,370	—	13,370	13,713	—	13,713	17,314	—	17,314	15,274	—	15,274
ii) अन्य **	98	1,461	1,559	101	1,250	1,351	720	1,300	2,020	402	1,380	1,782
8. संचार	3	—	3	4	—	4	4	—	4	—	100	100



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	74	—	74	30	—	30	406	—	406	397	—	397
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	494	—	494	527	—	527	850	—	850	559	—	559
i) पर्यटन	23	—	23	42	—	42	352	—	352	3	—	3
ii) अन्य @@	471	—	471	485	—	485	498	—	498	556	—	556
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	7,546	747	8,293	29,843	2,642	32,485	12,099	2,816	14,915	45,421	3,084	48,505
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	13,641	13,641	—	30,007	30,007	—	5,842	5,842	—	7,904	7,904
1. बाजार से ऋण	—	1,792	1,792	—	1,971	1,971	—	1,971	1,971	—	4,549	4,549
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	700	700	—	16	16	—	81	81	—	138	138
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	17	17	—	13	13	—	40	40	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	203	203	—	25,193	25,193	—	665	665	—	800	800
8. अन्य	—	10,929	10,929	—	2,814	2,814	—	3,085	3,085	—	2,417	2,417
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	2,689	2,689	—	2,909	2,909	—	2,784	2,784	—	2,789	2,789
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	2,358	2,358	—	2,596	2,596	—	2,550	2,550	—	2,550	2,550
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	5	5	—	4	4	—	8	8	—	7	7
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	104	104	—	83	83	—	37	37	—	35	35
4. योजनेतर (i से ii)	—	65	65	—	66	66	—	66	66	—	65	65
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	65	65	—	66	66	—	66	66	—	65	65
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	119	119	—	122	122	—	123	123	—	132	132
7. अन्य	—	38	38	—	38	38	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	2	233	235	2	450	452	4	300	304	14	400	414
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	2	173	175	2	340	342	4	180	184	14	220	234
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	173	173	—	340	340	—	180	180	—	220	220
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	173	173	—	340	340	—	180	180	—	220	220
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	2	—	2	2	—	2	4	—	4	14	—	14
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	2	—	2	2	—	2	4	—	4	14	—	14
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	60	60	-	110	110	-	120	120	-	180	180
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	60	60	-	110	110	-	120	120	-	180	180
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	30,575	30,575	-	33,454	33,454	-	33,620	33,620	-	36,800	36,800
1. राज्य भविष्य निधि	-	30,123	30,123	-	33,000	33,000	-	33,160	33,160	-	36,500	36,500
2. अन्य	-	452	452	-	454	454	-	460	460	-	300	300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	53	53	-	1,100	1,100	-	80	80	-	500	500
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	53	53	-	1,100	1,100	-	80	80	-	500	500
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	22,066	22,066	-	35,000	35,000	-	19,900	19,900	-	19,800	19,800
1. सिविल जमा	-	21,230	21,230	-	23,000	23,000	-	19,000	19,000	-	19,000	19,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	836	836	-	12,000	12,000	-	900	900	-	800	800
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	837,802	837,802	-	483,025	483,025	-	1,311,620	1,311,620	-	832,050	832,050
1. उचित	-	2,113	2,113	-	3,000	3,000	-	2,500	2,500	-	2,000	2,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	835,494	835,494	-	480,000	480,000	-	1,309,070	1,309,070	-	830,000	830,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	195	195	-	25	25	-	50	50	-	50	50
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	75,174	75,174	-	45,005	45,005	-	67,180	67,180	-	50,002	50,002
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-47,511			-66,260			-72,583			-87,822
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			63,253			44,116			54,778			63,961
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			15,742			-22,144			-17,805			-23,861
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-2,139			-22,144			-19,809			-33,859
क) अथ शेष			4,360			20,000			24,080			30,000
ख) इति शेष			2,221			-2,144			4,271			-3,859
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			17,881			-			2,004			9,998
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	177,421	3,792,389	3,969,810	270,897	1,081,766	1,352,663	178,749	1,128,634	1,307,382	246,893	1,081,904	1,328,797
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	177,421	27,877	205,298	270,897	32,024	302,921	178,749	74,893	253,641	246,893	38,670	285,563
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	165,756	4,786	170,542	239,870	13,700	253,570	169,649	55,749	225,398	231,161	6,575	237,736
1. विकासात्मक (क + ख)	152,575	-760	151,815	223,487	1,050	224,537	161,036	47,536	208,572	216,544	46	216,590
(क) समाज सेवा (1 से 9)	20,620	182	20,802	45,931	1,050	46,981	36,350	8	36,358	44,061	45	44,106
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,403	—	6,403	16,963	—	16,963	12,521	—	12,521	17,435	—	17,435
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,340	—	7,340	13,278	—	13,278	12,933	—	12,933	13,045	—	13,045
3. परिवार कल्याण	—	—	—	2,815	—	2,815	1,679	—	1,679	2,905	—	2,905
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	1,282	182	1,464	4,364	1,050	5,414	2,163	8	2,171	2,120	45	2,165
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,561	—	4,561	7,266	—	7,266	6,524	—	6,524	7,508	—	7,508
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	677	—	677	335	—	335	120	—	120	550	—	550
9. अन्य *	357	—	357	910	—	910	410	—	410	498	—	498
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	131,955	-942	131,013	177,556	—	177,556	124,686	47,528	172,214	172,483	1	172,484
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	8,686	-944	7,742	15,941	—	15,941	3,236	47,528	50,764	5,485	1	5,486
i) फसल कार्य	15	121	136	761	—	761	362	895	1,257	317	—	317
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	677	—	677	1,405	—	1,405	718	—	718	615	—	615
iv) डेरी विकास	330	—	330	388	—	388	281	—	281	—	—	—
v) मत्स्य पालन	50	—	50	437	—	437	320	—	320	110	—	110
vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,447	—	7,447	11,450	—	11,450	388	—	388	2,570	—	2,570
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	66	-1,065	-999	500	—	500	341	46,633	46,974	973	1	974
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	100	—	100	1,000	—	1,000	826	—	826	900	—	900
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	3,177	—	3,177	8,250	—	8,250	6,881	—	6,881	10,064	—	10,064
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	22,534	2	22,536	37,370	—	37,370	32,123	—	32,123	45,468	—	45,468
5. ऊर्जा	21,034	—	21,034	33,890	—	33,890	15,893	—	15,893	22,848	—	22,848
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	17,650	—	17,650	14,455	—	14,455	2,289	—	2,289	6,785	—	6,785
i) ग्राम और लघु उद्योग	240	—	240	360	—	360	358	—	358	200	—	200
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	17,410	—	17,410	14,095	—	14,095	1,931	—	1,931	6,585	—	6,585
7. परिवहन (i + ii)	54,250	—	54,250	60,475	—	60,475	58,987	—	58,987	76,878	—	76,878
i) सड़क और पुल	46,646	—	46,646	54,300	—	54,300	53,664	—	53,664	70,431	—	70,431
ii) अन्य **	7,604	—	7,604	6,175	—	6,175	5,323	—	5,323	6,447	—	6,447
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	4,624	—	4,624	7,175	—	7,175	5,277	—	5,277	4,955	—	4,955
i) पर्यटन	4,624	—	4,624	7,175	—	7,175	5,277	—	5,277	4,955	—	4,955
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	13,181	5,546	18,727	16,383	12,650	29,033	8,613	8,213	16,826	14,617	6,529	21,146
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	43,651	43,651	—	43,957	43,957	—	45,337	45,337	—	46,612	46,612
1. बाजार से ऋण	—	16,489	16,489	—	8,099	8,099	—	8,099	8,099	—	15,252	15,252
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	3	3	—	4,400	4,400	—	4,400	4,400	—	5,000	5,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	839	839	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	1,300	1,300
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	25,501	25,501	—	30,000	30,000	—	30,000	30,000	—	20,000	20,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	819	819	—	400	400	—	1,780	1,780	—	5,000	5,000
8. अन्य	—	—	—	—	58	58	—	58	58	—	60	60
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	3,083	3,083	—	2,813	2,813	—	2,813	2,813	—	2,904	2,904
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	1,028	1,028	—	2,620	2,620	—	913	913	—	2,150	2,150
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	105	105	—	122	122	—	122	122	—	173	173
4. योजनेतर (i से ii)	—	68	68	—	70	70	—	70	70	—	80	80
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	68	68	—	70	70	—	70	70	—	80	80
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	1,882	1,882	—	—	—	—	1,707	1,707	—	500	500
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	11,665	1,858	13,523	31,027	1,555	32,582	9,100	994	10,094	15,732	2,580	18,312
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	11,665	1,757	13,422	31,027	1,190	32,217	9,100	920	10,020	15,732	2,190	17,922
(क) समाज सेवा (1 से 7)	300	1,757	2,057	5,400	1,190	6,590	400	920	1,320	450	2,190	2,640
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	300	—	300	400	—	400	400	—	400	450	—	450
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	1,209	1,209	—	1,040	1,040	—	905	905	—	1,290	1,290
7. अन्य	—	548	548	5,000	150	5,150	—	15	15	—	900	900
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	11,365	—	11,365	25,627	—	25,627	8,700	—	8,700	15,282	—	15,282
1. फसल कार्य	—	—	—	35	—	35	—	—	—	285	—	285
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	176	—	176	501	—	501	67	—	67	201	—	201
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	11,189	—	11,189	25,091	—	25,091	8,633	—	8,633	14,796	—	14,796



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	-	101	101	-	365	365	-	73	73	-	390	390
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	-	101	101	-	290	290	-	72	72	-	290	290
ख) विविध	-	-	-	-	75	75	-	2	2	-	100	100
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	22,063	22,063	-	28,233	28,233	-	34,233	34,233	-	31,725	31,725
1. राज्य भविष्य निधि	-	21,119	21,119	-	27,389	27,389	-	33,389	33,389	-	30,881	30,881
2. अन्य	-	944	944	-	844	844	-	844	844	-	844	844
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	25,779	25,779	-	17,500	17,500	-	15,500	15,500	-	17,500	17,500
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शोधन निधि	-	14,500	14,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	11,279	11,279	-	17,500	17,500	-	15,500	15,500	-	17,500	17,500
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	200,360	200,360	-	158,121	158,121	-	158,121	158,121	-	158,121	158,121
1. सिविल जमा	-	128,152	128,152	-	63,113	63,113	-	63,113	63,113	-	63,113	63,113
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	63,115	63,115	-	95,008	95,008	-	95,008	95,008	-	95,008	95,008
3. सिविल अग्रिम	-	9,093	9,093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचंत और विविध (1 से 4)	-	3,201,007	3,201,007	-	614,334	614,334	-	614,334	614,334	-	614,334	614,334
1. उचंत	-	-43,179	-43,179	-	20,114	20,114	-	20,114	20,114	-	20,114	20,114
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	875,642	875,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	1,821,104	1,821,104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	547,440	547,440	-	594,220	594,220	-	594,220	594,220	-	594,220	594,220
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	289,802	289,802	-	201,553	201,553	-	201,553	201,553	-	201,553	201,553
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			39,164			-27,575			-109,222			-102,553
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-7,394			-15,571			35,804			94,390
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			31,770			-43,146			-73,418			-8,163
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			16,536			-43,146			-73,418			-8,163
क) अथ शेष			-1,639			-11,042			10,407			822
ख) इति शेष			14,897			-54,188			-63,011			-7,341
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			11,757			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			3,477			-			-			-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	875,066	29,403,454	30,278,520	1,284,542	5,486,709	6,771,251	1,325,403	5,157,467	6,482,869	1,685,179	30,858,066	32,543,245
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	875,066	447,126	1,322,192	1,284,542	348,330	1,632,872	1,325,403	368,874	1,694,277	1,685,179	468,823	2,154,002
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	817,201	53,922	871,123	1,227,152	116,569	1,343,721	1,272,214	137,112	1,409,326	1,635,036	207,931	1,842,967
1. विकासात्मक (क + ख)	791,401	48,368	839,768	1,202,331	81,262	1,283,593	1,236,293	92,810	1,329,103	1,604,385	175,513	1,779,898
(क) समाज सेवा (1 से 9)	114,213	1,670	115,883	195,659	2,176	197,835	222,017	3,688	225,705	195,327	6,623	201,950
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,212	—	32,212	21,254	35	21,289	32,788	1,285	34,073	32,378	1,328	33,706
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	47,182	—	47,182	138,031	1,104	139,135	150,814	1,105	151,918	116,778	1,207	117,985
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	23,206	—	23,206	18,553	—	18,553	19,172	—	19,172	10,597	—	10,597
5. आवास निर्माण	2,537	974	3,511	7,434	974	8,408	8,856	1,236	10,092	8,888	4,050	12,938
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	—	1,000
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	7,880	—	7,880	5,592	—	5,592	5,592	—	5,592	20,254	—	20,254
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	534	—	534	652	6	658	652	6	658	531	6	537
9. अन्य *	661	696	1,357	4,143	57	4,200	4,144	57	4,201	4,900	33	4,933
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	677,188	46,698	723,886	1,006,672	79,086	1,085,758	1,014,276	89,122	1,103,397	1,409,058	168,890	1,577,948
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	20,634	2,521	23,155	36,223	87	36,310	37,134	87	37,221	43,470	1	43,471
i) फसल कार्य	132	1,949	2,081	9,978	—	9,978	10,628	—	10,628	10,281	—	10,281
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	892	—	892
iii) पशु पालन	3,659	—	3,659	5,601	86	5,687	5,638	86	5,724	10,012	—	10,012
iv) डेरी विकास	55	—	55	—	—	—	52	—	52	—	—	—
v) मत्स्य पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्यजीवन	14,742	—	14,742	16,915	—	16,915	17,087	—	17,087	20,439	—	20,439
vii) बागान	509	—	509	470	—	470	470	—	470	587	—	587
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	572	572	—	1	1	—	1	—	—	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,275	—	1,275	3,109	—	3,109	3,109	—	3,109	130	—	130
x) सहकारिता	262	—	262	150	—	150	150	—	150	1,130	—	1,130
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	66,319	—	66,319	56,151	—	56,151	56,524	—	56,524	67,266	—	67,266
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	54,630	—	54,630	59,950	15,000	74,950	59,950	15,000	74,950	67,000	15,000	82,000
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	164,127	—	164,127	236,688	—	236,688	172,452	—	172,452	227,433	—	227,433
5. ऊर्जा	76,008	—	76,008	283,966	28,075	312,041	263,634	28,075	291,709	544,205	121,578	665,783
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,027	14,591	16,617	952	—	952	994	—	994	925	—	925
i) ग्राम और लघु उद्योग	18	—	18	100	—	100	103	—	103	225	—	225
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	38	—	38	30	—	30	30	—	30	—	—	—
iv) अन्य #	1,970	14,591	16,561	822	—	822	861	—	861	700	—	700
7. परिवहन (i + ii)	289,114	29,586	318,699	324,679	35,924	360,603	419,429	45,959	465,389	451,679	32,311	483,990
i) सड़क और पुल	285,227	29,586	314,812	318,128	35,924	354,052	409,878	35,924	445,803	447,593	30,271	477,863
ii) अन्य **	3,887	—	3,887	6,551	—	6,551	9,551	10,035	19,586	4,087	2,040	6,127
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	200
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	4,329	—	4,329	8,063	—	8,063	4,159	—	4,159	6,881	—	6,881
i) पर्यटन	4,329	—	4,329	8,063	—	8,063	4,159	—	4,159	6,881	—	6,881
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	25,800	5,554	31,354	24,821	35,307	60,128	35,921	44,302	80,223	30,651	32,418	63,069
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	—	715,175	715,175	—	1,241,571	1,241,571	—	241,571	241,571	—	1,261,097	1,261,097
1. बाजार से ऋण	—	217,742	217,742	—	26	26	—	26	26	—	21	21
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	722	722	—	692	692	—	692	692	—	661	661
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	140,000	140,000	—	150,000	150,000	—	150,000	150,000	—	150,000	150,000
4. नाबार्ड से ऋण	—	28,533	28,533	—	25,844	25,844	—	25,844	25,844	—	26,491	26,491
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	239	239	—	341	341	—	341	341	—	346	346
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	310,663	310,663	—	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	1,000,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	15,459	15,459	—	34,039	34,039	—	34,039	34,039	—	53,313	53,313
8. अन्य	—	1,817	1,817	—	30,629	30,629	—	30,629	30,629	—	30,265	30,265
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	28	28	—	11	11	—	11	11	—	11	11
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	—	118,174	118,174	—	119,041	119,041	—	119,041	119,041	—	119,005	119,005
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	115,252	115,252	—	116,251	116,251	—	116,251	116,251	—	116,116	116,116
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	11	11	—	11	11	—	11	11	—	11	11
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	2,126	2,126	—	2,003	2,003	—	2,004	2,004	—	2,083	2,083
4. योजनेतर (i से ii)	—	785	785	—	776	776	—	776	776	—	797	797
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	785	785	—	776	776	—	776	776	—	797	797
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	57,865	10,519	68,384	57,390	21,151	78,541	53,189	21,151	74,340	50,143	30,792	80,934
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	57,865	10,373	68,238	57,390	20,569	77,959	53,189	20,219	73,408	50,143	29,649	79,792
(क) समाज सेवा (1 से 7)	31,339	4,745	36,084	35,316	12,718	48,034	31,116	9,868	40,984	38,292	12,728	51,020
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	789	—	789	791	—	791	791	—	791	791	—	791
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	19,914	—	19,914	14,000	—	14,000	19,000	—	19,000	20,000	—	20,000
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	894	894	—	2,718	2,718	—	4,868	4,868	—	7,728	7,728
7. अन्य	10,636	3,851	14,487	20,525	10,000	30,525	11,325	5,000	16,325	17,501	5,000	22,501
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	26,526	5,628	32,154	22,074	7,851	29,925	22,074	10,351	32,425	11,851	16,921	28,772
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	2,045	—	2,045	6,339	—	6,339	6,339	—	6,339	3,295	—	3,295
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	8,991	—	8,991	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	246	220	466	—	301	301	—	301	301	—	201	201
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,844	5,318	8,162	2,029	7,500	9,529	2,029	7,500	9,529	3,600	7,500	11,100
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	12,400	90	12,490	13,706	50	13,756	13,706	2,550	16,256	4,956	9,220	14,176
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	146	146	—	582	582	—	932	932	—	1,143	1,143
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	146	146	—	582	582	—	932	932	—	1,143	1,143
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	18,277	18,277	—	—	—	—	213	213	—	1,000	1,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	164,529	164,529	—	233,647	233,647	—	233,647	233,647	—	267,021	267,021
1. राज्य भविष्य निधि	—	157,904	157,904	—	228,359	228,359	—	228,360	228,360	—	261,733	261,733
2. अन्य	—	6,625	6,625	—	5,288	5,288	—	5,288	5,288	—	5,288	5,288
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	1,970	1,970	—	141,564	141,564	—	141,564	141,564	—	225,248	225,248
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	100	100	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000
2. शोधन निधि	—	—	—	—	97,927	97,927	—	97,927	97,927	—	179,147	179,147
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	1,870	1,870	—	40,637	40,637	—	40,637	40,637	—	43,100	43,100
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	1,321,080	1,321,080	—	525,965	525,965	—	525,965	525,965	—	527,551	527,551
1. सिविल जमा	—	509,965	509,965	—	259,710	259,710	—	259,710	259,710	—	261,296	261,296
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	494,397	494,397	—	266,255	266,255	—	266,255	266,255	—	266,255	266,255
3. सिविल अग्रिम	—	15,331	15,331	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	301,387	301,387	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उच्च और विविध (1 से 4)	—	26,189,713	26,189,713	—	2,835,701	2,835,701	—	3,485,702	3,485,702	—	27,966,922	27,966,922
1. उच्च	—	-1,283,654	-1,283,654	—	75,015	75,015	—	75,015	75,015	—	75,015	75,015
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	9,202,961	9,202,961	—	—	—	—	650,000	650,000	—	25,000,000	25,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	14,960,390	14,960,390	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	3,310,017	3,310,017	—	2,760,686	2,760,686	—	2,760,687	2,760,687	—	2,891,907	2,891,907
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	810,096	810,096	—	251,500	251,500	—	251,500	251,500	—	251,500	251,500
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			969,160			-98,395			-316,789			-552,536
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-126,799			112,317			335,899			614,632
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			842,361			13,922			19,110			62,096
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			24,810			13,922			-80,890			62,096
क) अथ शेष			-9,755			-50,317			323,425			548,147
ख) इति शेष			15,055			-36,395			242,535			610,243
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			815,003			—			100,000			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			2,548			—			—			—

परिशिष्ट



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	247,118	10,010,710	10,257,828	369,032	8,184,208	8,553,240	356,870	13,926,785	14,283,655	430,009	15,098,567	15,528,576
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	247,118	699,936	947,054	369,032	393,535	762,567	356,870	416,394	773,264	430,009	462,377	892,386
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	135,565	29,709	165,274	202,094	2,133	204,227	213,286	1,933	215,219	269,962	2,078	272,040
1. विकासात्मक (क + ख)	133,343	29,146	162,489	193,688	1,098	194,786	204,111	994	205,105	256,097	1,093	257,190
(क) समाज सेवा (1 से 9)	31,228	365	31,593	66,891	42	66,933	50,533	17	50,550	90,186	26	90,212
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	611	249	860	2,197	—	2,197	2,321	—	2,321	4,345	—	4,345
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,955	—	7,955	16,938	—	16,938	13,734	—	13,734	18,616	—	18,616
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	18,116	—	18,116	37,552	—	37,552	24,902	—	24,902	54,561	—	54,561
5. आवास निर्माण	1,039	105	1,144	3,444	32	3,476	3,130	17	3,147	3,433	26	3,459
6. शहरी विकास	377	—	377	891	—	891	2,182	—	2,182	1,595	—	1,595
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,285	—	1,285	1,196	—	1,196	1,868	—	1,868	3,678	—	3,678
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,302	11	1,313	3,097	10	3,107	1,661	—	1,661	2,901	—	2,901
9. अन्य *	543	—	543	1,576	—	1,576	735	—	735	1,057	—	1,057
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	102,115	28,781	130,896	126,797	1,056	127,853	153,578	977	154,555	165,911	1,067	166,978
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	4,192	3	4,195	6,674	900	7,574	5,101	900	6,001	12,378	900	13,278
i) फसल कार्य	246	3	249	1,230	—	1,230	1,450	—	1,450	1,600	—	1,600
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	55	—	55	139	—	139	139	—	139	965	—	965
iv) डेरी विकास	572	—	572	641	—	641	365	—	365	454	—	454
v) मत्स्य पालन	1,575	—	1,575	1,915	—	1,915	1,915	—	1,915	4,415	—	4,415
vi) वानिकी और वन्यजीवन	615	—	615	1,500	—	1,500	600	—	600	2,500	—	2,500
vii) बागान	120	—	120	152	—	152	159	—	159	170	—	170
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	68	—	68	186	900	1,086	152	900	1,052	1,150	900	2,050
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	100
x) सहकारिता	722	—	722	141	—	141	151	—	151	454	—	454
xi) अन्य @	219	—	219	770	—	770	170	—	170	570	—	570
2. ग्रामीण विकास	3	—	3	5	—	5	5	—	5	5	—	5
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	5,744	25	5,769	6,736	—	6,736	9,700	—	9,700	15,742	—	15,742
	80	—	80	88	—	88	96	—	96	95	—	95
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	19,321	255	19,576	44,087	54	44,141	30,293	—	30,293	47,643	56	47,699
5. ऊर्जा	35,175	28,493	63,668	19,416	—	19,416	59,744	—	59,744	28,500	—	28,500
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,606	—	4,606	2,576	—	2,576	9,110	—	9,110	5,975	—	5,975
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,935	—	2,935	538	—	538	1,089	—	1,089	2,848	—	2,848
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	1,671	—	1,671	2,038	—	2,038	8,021	—	8,021	3,127	—	3,127
7. परिवहन (i + ii)	31,885	—	31,885	44,751	49	44,800	35,983	69	36,052	53,056	102	53,158
i) सड़क और पुल	20,663	—	20,663	43,383	49	43,432	31,852	69	31,921	50,867	102	50,969
ii) अन्य **	11,222	—	11,222	1,368	—	1,368	4,131	—	4,131	2,189	—	2,189
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,189	5	1,194	2,552	53	2,605	3,642	8	3,650	2,612	9	2,621
i) पर्यटन	349	—	349	352	—	352	937	—	937	1,362	—	1,362
ii) अन्य @@	840	5	845	2,200	53	2,253	2,705	8	2,713	1,250	9	1,259
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,222	563	2,785	8,406	1,035	9,441	9,175	939	10,114	13,865	985	14,850
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	607,566	607,566	—	382,962	382,962	—	418,787	418,787	—	460,156	460,156
1. बाजार से ऋण	—	47,321	47,321	—	49,217	49,217	—	49,217	49,217	—	86,653	86,653
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	451	451	—	500	500	—	450	450	—	440	440
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	278	278	—	271	271	—	280	280	—	280	280
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	3,089	3,089	—	3,200	3,200	—	3,280	3,280	—	3,830	3,830
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	26,956	26,956	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	407,184	407,184	—	85,869	85,869	—	85,868	85,868	—	108,890	108,890
8. अन्य	—	122,287	122,287	—	143,905	143,905	—	179,692	179,692	—	160,063	160,063
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	2	2	—	9,849	9,849	—	9,849	9,849	—	19,668	19,668
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	82,311	82,311	—	88,371	88,371	—	87,514	87,514	—	93,318	93,318
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	57,820	57,820	—	64,471	64,471	—	63,614	63,614	—	70,243	70,243
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	39	39	—	34	34	—	34	34	—	34	34
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	490	490	—	459	459	—	459	459	—	425	425
4. योजनेतर (i से ii)	—	16,326	16,326	—	16,329	16,329	—	16,329	16,329	—	16,261	16,261
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	16,326	16,326	—	16,329	16,329	—	16,329	16,329	—	16,261	16,261
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	7,636	7,636	—	7,078	7,078	—	7,078	7,078	—	6,355	6,355
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	111,553	7,306	118,859	166,938	20,069	187,007	143,584	8,161	151,745	160,047	6,825	166,872
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	111,553	7,122	118,675	166,938	19,419	186,357	143,584	7,736	151,320	160,047	6,400	166,447
(क) समाज सेवा (1 से 7)	2,721	131	2,852	—	12,234	12,234	7,342	190	7,532	11,563	130	11,693
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	5	5	—	5	5	—	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	87	87	—	100	100	—	75	75	—	75	75
7. अन्य	2,721	44	2,765	—	12,129	12,129	7,342	110	7,452	11,563	50	11,613
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	108,832	6,991	115,823	166,938	7,185	174,123	136,242	7,546	143,788	148,484	6,270	154,754
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	206	—	206	224	20	244	176	20	196	297	20	317
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	102,500	—	102,500	157,112	—	157,112	127,908	200	128,108	137,450	200	137,650



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	61	107	168	324	75	399	122	150	272	295	150	445
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,445	6,386	7,831	2,890	6,690	9,580	1,640	6,448	8,088	3,878	5,325	9,203
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	4,620	498	5,118	6,388	400	6,788	6,396	728	7,124	6,564	575	7,139
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	184	184	—	650	650	—	425	425	—	425	425
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	184	184	—	650	650	—	425	425	—	425	425
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	195	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	84,197	84,197	—	104,582	104,582	—	92,560	92,560	—	101,670	101,670
1. राज्य भविष्य निधि	—	81,872	81,872	—	102,082	102,082	—	90,060	90,060	—	99,070	99,070
2. अन्य	—	2,325	2,325	—	2,500	2,500	—	2,500	2,500	—	2,600	2,600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	147,167	147,167	—	53,319	53,319	—	94,505	94,505	—	93,117	93,117
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	110,719	110,719	—	—	—	—	30,000	30,000	—	36,000	36,000
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	36,448	36,448	—	53,319	53,319	—	64,505	64,505	—	57,117	57,117
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	1,072,165	1,072,165	—	1,035,376	1,035,376	—	1,169,475	1,169,475	—	1,259,366	1,259,366
1. सिविल जमा	—	149,415	149,415	—	188,262	188,262	—	193,667	193,667	—	179,388	179,388
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	441,190	441,190	—	434,030	434,030	—	498,765	498,765	—	541,055	541,055
3. सिविल अग्रिम	—	18,018	18,018	—	17,016	17,016	—	17,011	17,011	—	17,512	17,512
4. अन्य	—	463,542	463,542	—	396,068	396,068	—	460,032	460,032	—	521,411	521,411
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	7,736,780	7,736,780	—	6,260,343	6,260,343	—	11,817,733	11,817,733	—	12,826,619	12,826,619
1. उचंत	—	-368,824	-368,824	—	8,980	8,980	—	7,802	7,802	—	8,007	8,007
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	6,383,783	6,383,783	—	230,153	230,153	—	4,791,619	4,791,619	—	5,000,000	5,000,000
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	4,500,000	4,500,000	—	5,200,000	5,200,000	—	5,800,000	5,800,000
4. अन्य	—	1,721,821	1,721,821	—	1,521,210	1,521,210	—	1,818,312	1,818,312	—	2,018,612	2,018,612
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	243,314	243,314	—	237,053	237,053	—	236,117	236,117	—	255,418	255,418
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			987,804			913,774			634,281			757,578
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-739,097			-833,924			-841,963			-716,778
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			248,706			79,851			-207,682			40,800
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			21,909			49,698			700			40,800
क) अथ शेष			-23,109			-400			-1,200			-500
ख) इति शेष			-1,200			49,298			-500			40,300
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			226,797			30,153			-208,381			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	7,512,121	163,134,637	170,646,758	9,576,786	79,347,060	88,923,846	10,636,467	130,894,611	141,531,078	12,252,577	136,009,973	148,262,550
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	7,496,732	4,868,023	12,364,755	9,561,202	4,204,937	13,766,139	10,617,631	4,477,503	15,095,134	12,238,677	4,947,254	17,185,931
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	6,918,691	837,262	7,755,952	8,827,431	626,836	9,454,266	9,833,852	660,346	10,494,198	11,061,799	817,754	11,879,553
1. विकासात्मक (क + ख)	6,681,966	800,306	7,482,272	8,531,358	506,061	9,037,418	9,532,175	534,545	10,066,719	10,687,439	698,030	11,385,469
(क) समाज सेवा (1 से 9)	1,387,176	26,530	1,413,706	1,764,294	54,625	1,818,919	1,973,452	58,439	2,031,891	2,202,539	121,366	2,323,906
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	170,763	841	171,604	215,973	2,065	218,038	264,528	3,160	267,688	292,860	4,621	297,481
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	171,803	397	172,200	309,030	2,675	311,705	337,781	2,351	340,132	355,223	2,785	358,008
3. परिवार कल्याण	366	1	367	7,789	—	7,789	5,670	—	5,670	5,425	—	5,425
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	507,387	10,751	518,138	649,615	30,372	679,987	712,615	38,914	751,529	845,777	56,923	902,700
5. आवास निर्माण	65,263	9,227	74,491	92,819	12,694	105,513	113,385	8,552	121,937	99,416	30,949	130,366
6. शहरी विकास	227,029	3,118	230,147	196,579	3,767	200,346	208,029	3,192	211,221	242,644	7,602	250,246
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	123,916	241	124,157	159,428	564	159,992	222,106	238	222,343	218,214	795	219,009
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	23,385	1,018	24,403	35,683	1,606	37,289	28,057	1,453	29,509	41,450	1,768	43,217
9. अन्य *	97,264	936	98,199	97,378	882	98,260	81,282	579	81,861	101,531	15,923	117,454
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	5,294,790	773,776	6,068,566	6,767,064	451,436	7,218,499	7,558,722	476,106	8,034,828	8,484,899	576,664	9,061,563
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	148,839	22,380	171,220	238,209	92,531	330,740	377,796	82,635	460,430	377,394	36,786	414,180
i) फसल कार्य	8,678	2,448	11,126	21,802	516	22,319	22,068	2,278	24,345	23,836	1,796	25,633
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	24,980	613	25,593	46,406	1,747	48,153	53,043	2,809	55,852	51,239	5,354	56,593
iii) पशु पालन	9,196	—	9,196	19,059	86	19,145	19,223	86	19,309	21,507	—	21,507
iv) डेरी विकास	1,137	-29	1,108	1,420	—	1,420	894	2	897	773	250	1,023
v) मत्स्य पालन	7,461	1	7,462	16,877	—	16,877	14,384	—	14,384	16,129	—	16,129
vi) वानिकी और वन्यजीवन	62,968	2,962	65,930	75,798	1,059	76,857	73,091	1,592	74,682	74,454	1,335	75,788
vii) बागान	650	—	650	644	—	644	651	—	651	757	—	757
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,380	15,958	17,339	2,655	13,765	16,419	2,912	75,050	77,962	4,571	27,186	31,756
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,448	—	3,448	5,803	—	5,803	5,922	—	5,922	3,118	—	3,118
x) सहकारिता	28,041	427	28,469	45,672	75,358	121,030	183,976	817	184,793	176,674	865	177,539
xi) अन्य @	900	—	900	2,073	—	2,073	1,633	—	1,633	4,337	—	4,337
2. ग्रामीण विकास	392,520	2,557	395,077	484,557	2,671	487,228	574,081	3,241	577,322	620,211	4,251	624,462
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	128,091	25	128,116	209,347	15,000	224,347	240,115	15,000	255,115	206,637	15,000	221,637
	6,747	—	6,747	8,118	—	8,118	8,100	—	8,100	8,032	—	8,032
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,275,404	338,223	2,613,627	2,859,105	191,707	3,050,812	3,081,913	193,137	3,275,050	3,388,470	252,111	3,640,581
5. ऊर्जा	738,904	326,340	1,065,244	889,930	60,075	950,005	1,003,238	73,775	1,077,013	1,348,492	150,578	1,499,070
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	82,101	15,171	97,272	93,579	38	93,617	117,638	36	117,674	115,556	681	116,237
i) ग्राम और लघु उद्योग	22,257	936	23,193	33,368	38	33,406	33,334	36	33,370	43,263	81	43,344
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	691	—	691	1,246	—	1,246	7,373	—	7,373	10,267	—	10,267
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2,208	-356	1,853	1,663	—	1,663	1,900	—	1,900	1,531	—	1,531
iv) अन्य #	56,945	14,591	71,536	57,303	—	57,303	75,032	—	75,032	60,495	600	61,095
7. परिवहन (i + ii)	1,384,024	59,866	1,443,890	1,791,884	79,022	1,870,906	1,928,984	94,355	2,023,338	2,244,650	101,396	2,346,046
i) सड़क और पुल	1,329,991	40,515	1,370,506	1,720,281	59,110	1,779,392	1,835,041	62,290	1,897,332	2,163,247	73,952	2,237,199
ii) अन्य **	54,033	19,350	73,384	71,603	19,912	91,514	93,943	32,064	126,007	81,403	27,444	108,847
8. संचार	3	—	3	4	—	4	4	—	4	—	100	100



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,518	—	1,518	6,693	—	6,693	6,032	—	6,032	6,275	—	6,275
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	143,386	9,215	152,600	193,755	10,393	204,148	228,921	13,928	242,850	177,213	15,761	192,974
i) पर्यटन	32,982	271	33,253	46,817	356	47,173	45,818	356	46,174	52,146	—	52,146
ii) अन्य @@	110,403	8,944	119,347	146,938	10,037	156,975	183,103	13,573	196,676	125,067	15,761	140,828
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	236,725	36,955	273,680	296,073	120,775	416,848	301,677	125,801	427,478	374,360	119,723	494,084
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	4,431,966	4,431,966	—	6,210,080	6,210,080	—	4,483,783	4,483,783	—	6,545,963	6,545,963
1. बाजार से ऋण	—	749,000	749,000	—	550,558	550,558	—	587,206	587,206	—	1,051,106	1,051,106
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	59,728	59,728	—	105,123	105,123	—	110,653	110,653	—	120,980	120,980
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	255,904	255,904	—	308,674	308,674	—	243,591	243,591	—	340,418	340,418
4. नाबार्ड से ऋण	—	120,484	120,484	—	159,290	159,290	—	145,103	145,103	—	197,481	197,481
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	80,783	80,783	—	42,918	42,918	—	44,684	44,684	—	37,405	37,405
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	1,823,774	1,823,774	—	3,683,150	3,683,150	—	1,952,033	1,952,033	—	3,361,820	3,361,820
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	476,103	476,103	—	567,373	567,373	—	363,237	363,237	—	606,731	606,731
8. अन्य	—	866,189	866,189	—	792,994	792,994	—	1,037,276	1,037,276	—	830,021	830,021
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	253,151	253,151	—	117,347	117,347	—	298,150	298,150	—	163,010	163,010
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	814,071	814,071	—	869,778	869,778	—	818,697	818,697	—	843,320	843,320
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	620,814	620,814	—	650,397	650,397	—	627,896	627,896	—	671,271	671,271
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	65	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	3,486	3,486	—	13,682	13,682	—	13,588	13,588	—	4,761	4,761
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	14,262	14,262	—	14,225	14,225	—	14,024	14,024	—	13,037	13,037
4. योजनेतर (i से ii)	—	66,196	66,196	—	55,581	55,581	—	55,242	55,242	—	54,167	54,167
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	66,196	66,196	—	55,581	55,581	—	55,242	55,242	—	54,167	54,167
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	54,903	54,903	—	50,001	50,001	—	40,000	40,000	—	40,001	40,001
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	392	392	—	2,489	2,489	—	2,489	2,489	—	1,603	1,603
7. अन्य	—	54,018	54,018	—	83,403	83,403	—	65,458	65,458	—	58,479	58,479
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	578,041	864,404	1,442,445	733,771	490,068	1,223,839	783,779	710,302	1,494,081	1,176,878	442,456	1,619,334
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	577,795	824,791	1,402,586	733,511	442,318	1,175,829	783,669	661,246	1,444,914	1,176,718	382,209	1,558,927
(क) समाज सेवा (1 से 7)	127,679	176,485	304,164	241,039	233,440	474,479	270,679	205,927	476,606	675,845	205,067	880,912
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,808	456	5,264	1,989	10	1,999	1,360	275	1,635	1,241	260	1,501
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,287	4,800	7,087	1,702	5,986	7,688	1,702	5,986	7,688	11,900	6,585	18,485
3. परिवार कल्याण	59	—	59	168	—	168	168	—	168	162	—	162
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	56,306	28,323	84,629	100,843	8,911	109,754	99,840	19,165	119,005	135,494	8,441	143,935
5. आवास निर्माण	22,855	52,192	75,047	30,530	95,956	126,486	31,628	93,947	125,575	400,953	94,606	495,558
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	5,885	30,096	35,981	2,256	70,210	72,466	2,256	51,911	54,167	3,226	58,390	61,616
7. अन्य	35,478	60,619	96,097	103,551	52,367	155,918	133,725	34,642	168,368	122,870	36,786	159,656
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	450,116	648,306	1,098,422	492,472	208,879	701,350	512,989	455,319	968,308	500,873	177,142	678,015
1. फसल कार्य	323	2,641	2,963	55	1,017	1,072	8,770	2,037	10,807	285	917	1,202
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	289	289	—	—	—	175	—	175	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	4,581	30,000	34,581	1,801	30,250	32,051	23,137	60,000	83,137	18,405	60,000	78,405
4. सहकारिता	23,000	209,037	232,036	34,605	85,067	119,672	35,088	180,307	215,395	22,621	16,290	38,911
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	1,070	74	1,144	267	1,500	1,767	246	500	746	311	500	811
6. बिजली परियोजना	326,183	356,618	682,801	387,348	48,064	435,412	344,077	154,756	498,834	342,879	53,690	396,570



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	7,541	4,900	12,441	6,709	376	7,085	8,558	467	9,025	7,451	351	7,802
8. अन्य उद्योग और खनिज	35,239	26,559	61,798	20,705	27,431	48,136	35,291	37,847	73,138	22,138	29,038	51,176
9. ग्रामीण विकास	291	350	640	211	485	696	144	585	729	320	41	361
10. अन्य	51,890	17,838	69,728	40,771	14,689	55,459	57,505	18,819	76,324	86,463	16,315	102,778
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	246	39,613	39,859	260	47,750	48,010	110	49,057	49,167	160	60,247	60,407
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	210	24,120	24,330	200	34,216	34,416	50	34,096	34,146	100	35,662	35,762
ख) विविध	36	15,493	15,529	60	13,534	13,594	60	14,961	15,021	60	24,585	24,645
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	3	3
VI. आकस्मिकता निधि	-	190,020	190,020	-	64,610	64,610	-	65,826	65,826	-	56,610	56,610
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	-	2,606,062	2,606,062	-	3,003,623	3,003,623	-	2,998,351	2,998,351	-	3,169,180	3,169,180
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,775,177	1,775,177	-	2,099,360	2,099,360	-	2,066,214	2,066,214	-	2,200,519	2,200,519
2. अन्य	-	830,885	830,885	-	904,263	904,263	-	932,137	932,137	-	968,661	968,661
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	2,110,717	2,110,717	-	1,804,031	1,804,031	-	1,929,387	1,929,387	-	1,793,246	1,793,246
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	4,082	4,082	-	6,946	6,946	-	7,024	7,024	-	7,326	7,326
2. शोधन निधि	-	734,087	734,087	-	636,477	636,477	-	576,401	576,401	-	571,254	571,254
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	7	7	-	29	29	-	29	29
4. अन्य	-	1,372,548	1,372,548	-	1,160,601	1,160,601	-	1,345,933	1,345,933	-	1,214,638	1,214,638
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	15,389	14,575,518	14,590,907	15,584	13,142,668	13,158,252	18,836	13,645,774	13,664,610	13,900	14,445,932	14,459,832
1. सिविल जमा	-	4,850,151	4,850,151	-	3,702,599	3,702,599	-	4,167,379	4,167,379	-	4,225,811	4,225,811
2. स्थानीय निधि जमाराशि	15,389	7,062,194	7,077,583	15,584	6,832,761	6,848,345	18,836	7,404,773	7,423,609	13,900	7,955,173	7,969,073
3. सिविल अग्रिम	-	266,787	266,787	-	256,023	256,023	-	242,096	242,096	-	253,479	253,479
4. अन्य	-	2,396,386	2,396,386	-	2,351,285	2,351,285	-	1,831,525	1,831,525	-	2,011,469	2,011,469
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	127,865,204	127,865,204	-	48,066,652	48,066,652	-	99,880,720	99,880,720	-	102,079,870	102,079,870
1. उच्च	-	-1,226,637	-1,226,637	-	2,673,371	2,673,371	-	2,762,909	2,762,909	-	2,713,051	2,713,051
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	86,670,496	86,670,496	-	14,375,064	14,375,064	-	49,800,134	49,800,134	-	54,327,756	54,327,756
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	-	25,801,897	25,801,897	-	19,056,278	19,056,278	-	29,368,109	29,368,109	-	30,549,857	30,549,857
4. अन्य	-	16,619,448	16,619,448	-	11,961,938	11,961,938	-	17,949,567	17,949,567	-	14,489,206	14,489,206
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	185,060	185,060	-	600	600	-	6,000	6,000	-	600	600
XII. विप्रेषण	-	8,654,355	8,654,355	-	5,068,112	5,068,112	-	5,695,424	5,695,424	-	5,815,040	5,815,040
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			4,095,958			1,412,020			-764,465			-1,074,784
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-701,283			-817,438			-556,582			1,197,299
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			3,394,675			594,582			-1,321,047			122,514
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-182,671			473,296			-946,866			331,086
क) अथ शेष			-411,809			224,361			220,787			-222,441
ख) इति शेष			-594,479			697,657			-726,079			108,480
ii. नकद शेष निवेश खाता (निबल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			-			-			-			-
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निबल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	265,213	197,423	462,636	311,163	269,818	580,981	312,023	982,522	1,294,545	574,837	284,553	859,390
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	265,213	197,423	462,636	311,163	269,818	580,981	312,023	982,522	1,294,545	574,837	284,553	859,390
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	143,965	6,278	150,243	195,918	414	196,332	198,129	424	198,553	342,876	580	343,456
1. विकासात्मक (क + ख)	135,596	6,278	141,874	173,243	414	173,657	183,359	424	183,783	327,171	-	327,171
(क) समाज सेवा (1 से 9)	27,776	5,902	33,678	53,501	-	53,501	42,069	-	42,069	65,266	-	65,266
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,842	-	7,842	17,485	-	17,485	15,588	-	15,588	23,198	-	23,198
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,931	-	12,931	16,720	-	16,720	17,355	-	17,355	19,164	-	19,164
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास निर्माण	1,684	-	1,684	3,600	-	3,600	3,000	-	3,000	2,830	-	2,830
6. शहरी विकास	3,499	5,902	9,401	11,810	-	11,810	3,071	-	3,071	12,860	-	12,860
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	271	-	271	2,301	-	2,301	1,600	-	1,600	2,900	-	2,900
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	738	-	738	980	-	980	800	-	800	3,180	-	3,180
9. अन्य *	811	-	811	605	-	605	655	-	655	1,134	-	1,134
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	107,820	376	108,196	119,742	414	120,156	141,290	424	141,714	261,905	-	261,905
1. कृषि और संबंधित कार्यक्रम (i से xi)	10,301	-	10,301	840	-	840	662	-	662	3,468	-	3,468
i) फसल कार्य	19	-	19	40	-	40	22	-	22	25	-	25
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	-	-	-	15	-	15	5	-	5	10	-	10
iii) पशु पालन	154	-	154	132	-	132	134	-	134	100	-	100
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्य पालन	5	-	5	3	-	3	1	-	1	3	-	3
vi) वानिकी और वन्यजीवन	10,123	-	10,123	650	-	650	500	-	500	620	-	620
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	-	2,700
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
2. ग्रामीण विकास	3,205	-	3,205	3,320	-	3,320	6,944	-	6,944	5,320	-	5,320
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,792	376	4,168	2,855	414	3,269	1,588	424	2,012	6,861	-	6,861
5. ऊर्जा	326	-	326	2,003	-	2,003	16,103	-	16,103	81,489	-	81,489
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	945	-	945	4,269	-	4,269	418	-	418	1,912	-	1,912
i) ग्राम और लघु उद्योग	945	-	945	4,214	-	4,214	418	-	418	1,862	-	1,862
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	55	-	55	-	-	-	50	-	50
7. परिवहन (i + ii)	89,072	-	89,072	105,630	-	105,630	115,384	-	115,384	162,713	-	162,713
i) सड़क और पुल	53,818	-	53,818	53,500	-	53,500	79,722	-	79,722	84,300	-	84,300
ii) अन्य **	35,254	-	35,254	52,130	-	52,130	35,662	-	35,662	78,413	-	78,413
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

पद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	140	—	140	—	—	—	20	—	20
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	179	—	179	685	—	685	191	—	191	122	—	122
i) पर्यटन	169	—	169	600	—	600	100	—	100	—	—	—
ii) अन्य @@	10	—	10	85	—	85	91	—	91	122	—	122
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	8,369	—	8,369	22,675	—	22,675	14,770	—	14,770	15,705	580	16,285
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	5,824	5,824	—	97,898	97,898	—	766,246	766,246	—	116,691	116,691
1. बाजार से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	5,824	5,824	—	97,898	97,898	—	766,246	766,246	—	116,691	116,691
8. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमेंसे: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	16,542	16,542	—	—	—	—	26	26	—	—	—
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	16,542	16,542	—	—	—	—	26	26	—	—	—
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	121,248	168,778	290,026	115,245	171,506	286,751	113,894	215,826	329,720	231,961	167,282	399,243
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	121,248	112,449	233,697	115,245	113,972	229,217	113,894	88,242	202,136	231,961	95,970	327,931
(क) समाज सेवा (1 से 7)	82,249	—	82,249	90,004	—	90,004	93,659	—	93,659	137,855	—	137,855
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	67,762	—	67,762	74,800	—	74,800	74,800	—	74,800	117,225	—	117,225
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	1,500	—	1,500	2,500	—	2,500
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	53	—	53	100	—	100	100	—	100	100	—	100
7. अन्य	14,434	—	14,434	15,104	—	15,104	17,259	—	17,259	18,030	—	18,030
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	38,999	112,449	151,448	25,241	113,972	139,213	20,235	88,242	108,477	94,106	95,970	190,076
1. फसल कार्य	—	—	—	20	—	20	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	1	—	1	25	—	25	—	—	—	12	—	12
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	26,600	15,000	41,600	19,000	15,000	34,000	9,100	—	9,100	42,646	—	42,646



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	109	—	109	158	—	158	85	—	85	177	—	177
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,000	—	22,000
9. ग्रामीण विकास	6,000	—	6,000	6,000	—	6,000	5,000	—	5,000	—	—	—
10. अन्य	6,289	97,449	103,738	38	98,972	99,010	6,050	88,242	94,292	29,271	95,970	125,241
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	56,329	56,329	—	57,534	57,534	—	127,584	127,584	—	71,312	71,312
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	43	43	—	100	100	—	150	150	—	150	150
ख) विविध	—	56,286	56,286	—	57,434	57,434	—	127,434	127,434	—	71,162	71,162
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. राज्य भविष्य निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. सिविल जमा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. सिविल अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उचंत और विविध (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. उचंत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			158,979			-562,250			-872,831			-822,201
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			432,814			356,307			426,633			531,551
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			591,794			-205,493			-446,198			-290,650
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			591,794			-205,493			-446,198			-290,650
क) अथ शेष			—			—			—			—
ख) इति शेष			—			—			—			—
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			—			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

राज्य वित्त : बजट 2007-08 का अध्ययन



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	28,959	8,910	37,869	63,256	7,870	71,126	37,142	9,834	46,976	58,142	11,200	69,342
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)\$	28,959	8,910	37,869	63,256	7,870	71,126	37,142	9,834	46,976	58,142	11,200	69,342
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	28,881	—	28,881	63,148	—	63,148	37,036	—	37,036	58,108	—	58,108
1. विकासात्मक (क + ख)	26,277	—	26,277	60,259	—	60,259	33,725	—	33,725	55,499	—	55,499
(क) समाज सेवा (1 से 9)	9,367	—	9,367	24,471	—	24,471	7,837	—	7,837	35,662	—	35,662
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,869	—	3,869	3,227	—	3,227	1,860	—	1,860	2,708	—	2,708
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,051	—	1,051	2,555	—	2,555	1,584	—	1,584	1,857	—	1,857
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,763	—	3,763	4,485	—	4,485	3,615	—	3,615	6,568	—	6,568
5. आवास निर्माण	322	—	322	463	—	463	256	—	256	595	—	595
6. शहरी विकास	—	—	—	13,400	—	13,400	—	—	—	23,615	—	23,615
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	207	—	207	103	—	103	307	—	307	103	—	103
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43	—	43	43	—	43	43	—	43	93	—	93
9. अन्य *	112	—	112	196	—	196	172	—	172	123	—	123
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	16,910	—	16,910	35,788	—	35,788	25,889	—	25,889	19,837	—	19,837
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	553	—	553	823	—	823	1,840	—	1,840	443	—	443
i) फसल कार्य	80	—	80	90	—	90	82	—	82	15	—	15
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशु पालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	36	—	36	104	—	104	104	—	104	10	—	10
v) मत्स्य पालन	7	—	7	6	—	6	1,005	—	1,005	7	—	7
vi) वानिकी और वन्यजीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	350	—	350	518	—	518	545	—	545	391	—	391
xi) अन्य @	80	—	80	105	—	105	105	—	105	20	—	20
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पर्वतीय क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,199	—	3,199	5,745	—	5,745	4,074	—	4,074	2,538	—	2,538
5. ऊर्जा	2,862	—	2,862	3,028	—	3,028	3,487	—	3,487	3,745	—	3,745
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,173	—	4,173	7,320	—	7,320	9,071	—	9,071	6,950	—	6,950
i) ग्राम और लघु उद्योग	514	—	514	430	—	430	426	—	426	450	—	450
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	3,659	—	3,659	6,890	—	6,890	8,645	—	8,645	6,500	—	6,500
7. परिवहन (i + ii)	5,487	—	5,487	17,646	—	17,646	6,568	—	6,568	5,452	—	5,452
i) सड़क और पुल	3,997	—	3,997	14,016	—	14,016	5,937	—	5,937	4,888	—	4,888
ii) अन्य **	1,490	—	1,490	3,630	—	3,630	631	—	631	564	—	564
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	636	—	636	1,226	—	1,226	850	—	850	709	—	709
i) पर्यटन	606	—	606	1,191	—	1,191	765	—	765	674	—	674
ii) अन्य @@	30	—	30	35	—	35	85	—	85	35	—	35
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,604	—	2,604	2,888	—	2,888	3,311	—	3,311	2,609	—	2,609
II. आंतरिक ऋण की चुकोती (1 से 8)	—	93	93	—	291	291	—	291	291	—	709	709
1. बाजार से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	93	93	—	291	291	—	291	291	—	709	709
8. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: भूमि क्षतिपूर्ति बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋण की चुकोती (1 से 7)	—	8,508	8,508	—	7,179	7,179	—	9,340	9,340	—	10,185	10,185
1. राज्य योजना कार्यक्रम	—	4,400	4,400	—	3,708	3,708	—	4,708	4,708	—	4,862	4,862
जिसमें: प्राकृतिक आपदा के लिए योजना सहायता अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	—	6	6	—	6	6	—	7	7	—	9	9
4. योजनेतर (i से ii)	—	4,101	4,101	—	3,465	3,465	—	4,626	4,626	—	5,315	5,315
i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	4,101	4,101	—	3,465	3,465	—	4,626	4,626	—	5,315	5,315
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	78	307	385	109	400	509	107	202	309	34	306	340
1. विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	78	64	142	109	150	259	107	21	128	34	40	74
(क) समाज सेवा (1 से 7)	—	64	64	—	150	150	—	21	21	2	40	42
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	64	64	—	150	150	—	21	21	—	40	40
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	78	—	78	109	—	109	107	—	107	32	—	32
1. फसल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मिट्टी और जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहाकरिता	1	—	1	22	—	22	22	—	22	—	—	—
5. बड़ी और मझोली सिंचाई आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. बिजली परियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



परिशिष्ट IV : राज्यों तथा विधिमंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों का पूंजी व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)			2006-07 (बजट अनुमान)			2006-07 (संशोधित अनुमान)			2007-08 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्राम और लघु उद्योग	25	—	25	21	—	21	21	—	21	19	—	19
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	52	—	52	65	—	65	63	—	63	14	—	14
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	—	243	243	—	250	250	—	181	181	—	266	266
क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	—	243	243	—	250	250	—	181	181	—	266	266
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. राज्य भविष्य निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. मूल्यहास/नवाकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शोधन निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. सिविल जमा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. सिविल अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उर्ध्व और विविध (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. उर्ध्व	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. नकदी शेष निवेश खाता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. भारिबैंक के पास जमाराशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			-1,919			10,754			-1,814			9,958
आ. राजस्व खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			746			-13,754			-13,474			-19,006
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			-1,173			-3,000			-15,288			-9,048
ई. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) (इ = i से iii) का वित्तपोषण												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			-1,173			-3,000			-15,288			-9,048
क) अथ शेष			25,510			3,000			24,336			9,048
ख) इति शेष			24,336			—			9,048			—
ii. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-) / जोड़ (+)			—			—			—			—
iii. भारिबैंक के अर्थापाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

— : शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

\$: इसमें I से IV मदों की जोड़ शामिल है जबकि II(3) और II(6) मदों को शामिल नहीं किया है। मद II(3) की पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत निवल आधार पर किया है, जबकि II(6) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्त पोषण मद के रूप में लिया गया है।

* : इसमें सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

@ : इसमें अन्य कृषि कार्यक्रम आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

: इसमें सीमेंट और अधात्विक उद्योगों, पेट्रो-रसायन उद्योगों, रसायन उद्योगों, इंजीनियरी उद्योगों, दूरसंचार और इलैक्ट्रोलिक उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों, अणु ऊर्जा उद्योगों, अन्य उद्योगों और खनिज आदि पर परिव्यय शामिल हैं।

** : इसमें भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन - भारतीय रेलवे स्टैटेजिक लाइन, बंदरगाह और प्रकाशगृह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अन्य परिवहन आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

@@ : इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, प्रौद्योगिकी, अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर परिव्यय और सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं आदि में निवेश शामिल है।

परिशिष्ट पर टिप्पणी भी देखें।

प्रातः राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट

परिशिष्टों की टिप्पणियां

परिशिष्ट I की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के अंतर्गत एक या अनेक उप समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि बिक्री-कर को छोड़कर 'अन्य उपसमूह' के सामने दर्शाई गई है, बिक्री-कर से संबंधित राशि 'राज्य बिक्री-कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट II की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि "अन्य" उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
4. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट III की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम "आंतरिक ऋण" में शामिल किया है। जबकि भारिबैंक के पास "नकदी शेष निवेश खाता" और जमा राशियां क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उच्च और विविध' में शामिल की गई हैं। निवल आधार पर कुल पूंजी प्राप्ति लेने वाले पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया है।
2. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'प्रारक्षित निधि', 'जमा और अग्रिम' 'उच्च और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
3. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
4. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
5. वर्ष 2005-06 के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
6. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट IV की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं। लोकलेखा को छोड़कर कुछ पूंजी व्यय को पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया है।
2. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या अनेक उप-समूह से संबंधित ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उप-समूहों के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
4. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
5. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।